राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का इक्तालीसवां दिवस [संख्या : 24

मंगलवार,

2 मई, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्रीमती पूनम गोयल।

जिला कोटा के ग्रामीण बालिका विद्यालयों में समानीकरण योजना के तहत पदस्थापन

719. **श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा में व्याख्याताओं के कितने पद रिक्त हैं? जिला मुख्यालय से दूर के बालिका विद्यालयों में कितने पद व्याख्याताओं के कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिक्त पदों को भरने की क्या योजना है? अब उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

(3) क्या यह सही है कि समानीकरण योजना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के कई विद्यालयों में अभी भी पद रिक्त हैं? यदि हां, तो उन्हें भरने की भावी योजना क्या है? अब उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

शिक्षा मंत्री (श्री सी. पी. जोशी) : (1) जिला कोटा में व्याख्याताओं के कुल 72 पद रिक्त हैं। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है। जिला मुख्यालय से दूर के बालिका विद्यालयों में व्याख्याताओं के 11 पद रिक्त हैं। विवरण परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(2) सीधी भर्ती पर प्रतिबन्ध के हटने तथा नियमानुसार पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त उक्त रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(3) जी, हां। सीधी भर्ती पर प्रतिबन्ध हटने तथा नियमानुसार पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त उक्त रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्रीमती पूनम गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि क्या अन्य जिलों से कोटा में व्याख्याताओं को समायोजित करने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब

(श्रीमती पूनम गोयल)

तक ? क्या सेवानिवृत्त अध्यापकों को संविदा के आधार पर नियुक्त करने का विचार है ? यदि नहीं तो क्यों ? तथा हां, तो कब तक ? सीधी भर्ती का प्रतिबंध कब तक हटाने का विचार है ? पदोन्नति की प्रक्रिया क्या जुलाई, 2000 से पूर्व पूर्ण कर ली जाएगी ? क्या व्याख्याताओं की कमी के कारण छात्र-छात्राओं की शिक्षा में व्यवधान नहीं आ रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में 11 व्याख्याताओं के पद खाली हैं और जैसा माननीय सदस्या ने कहा, हम डी. पी. सी. भी करवा रहे हैं और जुलाई के पहले डी. पी. सी. से पद भरा देंगे। आर. पी. एस. सी. को भी हमने कार्यवाही के लिये लिखा है उस प्रोसेस को भी हम एक्सपेडाइट कराएंगे जिससे सीधी भर्ती से भी लोग उपलब्ध हो सकें। जो अध्यापक क्वालिफिकेशन रख रहे हैं सैकण्ड ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के, उनको भी हमने पढ़ाने के लिये लेने की व्यवस्था की है जिससे आज जो स्थिति हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं है। मैंने जैसा बताया कोटा में मात्र 11 व्याख्याताओं के पद खाली हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जुलाई के पहले डी. पी. सी. के माध्यम से और आर. पी. एस. सी. को एक्सपेडाइट करके कोशिश करेंगे कि इन रिक्त पदों को भर दें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री राजेन्द्र राठौड़।

इलैक्ट्रोनिक मीटरों का रख-रखाव

720. **श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य विद्युत मण्डल ने खर्चा कम करने की दृष्टि से कितने कर्मचारियों/अधिकारियों के पद समाप्त करने व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा छुट्टी पर भेजने का नीतिगत निर्णय लिया ? इससे कितना खर्च कम होगा ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने की दृष्टि से इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो कितने इलैक्ट्रोनिक मीटर किस-किस कम्पनी में कितनी-कितनी मात्रा में खरीदे गये ? कितने यान्त्रिक मीटर इलैक्ट्रोनिक मीटर में बदले गये हैं तथा कितने बदले जाने प्रस्तावित हैं ?

(3) विद्युत मण्डल के पास कितने यान्त्रिक मीटर इलैक्ट्रोनिक मीटर में बदलने के निर्णय के समय के पड़े थे ? उन यान्त्रिक मीटर का क्या किया गया ?

(4) इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाते समय उनके रख-रखाव, मरम्मत की निर्माता कम्पनी से क्या शर्तें निर्धारित की गई ? वर्तमान में कितने इलैक्ट्रानिक मीटर खराब होने की सूचना मण्डल को मिली है ?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(5) विधान सभा क्षेत्र चूरू में कुल कितने शहरी व ग्रामीण उपभोक्ता हैं तथा कितने उपभोक्ताओं के यान्त्रिक मीटर को इलैक्ट्रोनिक मीटर में बदल दिया गया है?

ऊर्जा मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने खर्चा कम करने की दृष्टि से कई संवर्गों के रिक्त पदों को समाप्त करने व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को 3 माह की नोटिस अवधि की शर्त को शिथिल करते हुए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने तथा जो कर्मचारी व अधिकारी अपने स्वयं के व्यवसाय स्थापित करने हेतु लंबी अवधि का अवकाश लेना चाहते हैं, उन्हें लंबे अवकाश पर जाने की अनुमति देने संबंधी नीतिगत निर्णय लिए हैं। वित्तीय वर्ष 1999-2000 में 4424 पद समाप्त किये जा चुके हैं जिससे वर्तमान में मंडल का 34 करोड़ 75 लाख रुपये वेतन एवं 10 प्रतिशत अन्य संस्थापन व्ययों का प्रति वर्ष खर्चा कम होगा। जहां तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा छुट्टी पर भेजे जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या का प्रश्न है, मंडल द्वारा इस प्रकार के कर्मचारियों व अधिकारियों की कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है। यह केवल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने या लंबी अवधि के अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों की स्वेच्छा पर निर्भर है।

(2) जी हां, विद्युत मंडल द्वारा खरीदे गये स्टैटिक इलैक्ट्रोनिक मीटरों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है। राज्य में माह मार्च, 2000 तक 261850 यांत्रिक मीटरों के स्थान पर इलैक्ट्रोनिक मीटर बदले गये तथा मीटरों की उपलब्धतानुसार धीरे-धीरे सभी उपभोक्ताओं के यांत्रिक मीटरों की जगह इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाना प्रस्तावित है? ऐसे मीटरों की संख्या लाखों में है जिनको बदलने में कई वर्ष लगेंगे।

(3) मंडल द्वारा इलैक्ट्रोनिक मीटर खरीदने के निर्णय से पहले विद्युत मंडल के विभिन्न भंडारों में दिनांक 01.06.1994 की स्थिति के अनुसार कुल 80,215 यांत्रिक मीटर पड़े हुए थे। इन मीटरों को भी क्षेत्रों में मंडल के नियमित कार्यों अर्थात् नये कनेक्शन एवं खराब मीटरों को बदलने के उपयोग में लिया गया।

(4) इलैक्ट्रोनिक मीटरों के रख-रखाव के लिए सामान्यतया वे ही शर्तें लागू हैं जो यांत्रिक मीटरों के निर्माता कम्पनियों के लिए हैं, सिवाय इसके कि गारंटी अवधि जो यांत्रिक मीटरों के लिए क्षेत्रों में लगाने की तिथि से 12 महीने या भंडारों में प्राप्ति की तिथि से 18 महीने है, इसके स्थान पर इलैक्ट्रोनिक मीटरों के लिए गारंटी अवधि मीटर प्राप्ति की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। वर्तमान में विद्युत मंडल के पास 23086 इलैक्ट्रोनिक मीटर खराब होने की सूचना है।

(डा. चन्द्रभान)

(5) विधान सभा क्षेत्र चूरू के शहरी क्षेत्र में 16854 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 12027 उपभोक्ता हैं। इस क्षेत्र में 70 यांत्रिक मीटरों के स्थान पर इलैक्ट्रोनिक्स मीटर बदले गये हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के खण्ड-3 में माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाही थी कि विद्युत मंडल के पास इलैक्ट्रोनिक मीटर बदलने के निर्णय के समय कितने यांत्रिक मीटर पड़े थे ?

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सूचना दी है वह सूचना दी है 1.6.1994 के आधार पर 88,000 की। अध्यक्ष महोदय, यह कैसी विडम्बना है कि सन् 2000 चल रहा है और मंत्री महोदय मुझे सूचना दे रहे हैं 1.6.1994 के आधार पर। मंत्री महेदय, मैं जानना चाहूंगा कि जब यह फैसला हुआ तब कितने यांत्रिक मीटर आपके पास थे, नम्बर एक बात? नम्बर दो बात मैं यह जानना चाहूंगा कि यांत्रिक मीटर के स्थान पर इलैक्ट्रोनिक मीटर बदलने के कारण कितनी राशि का भार विद्युत मंडल पर आएगा और कितनी राशि का भार उपभोक्ता पर आएगा? मैं यह भी जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि खरीदे गये इलैक्ट्रानिक मीटर मानक स्तर पर नहीं थे यानि आई.एस.आई. मार्का नहीं थे, इसकी शिकायत आपको प्राप्त हुई? क्या यह भी सही है कि ए.जी. की रिपोर्ट में 36 करोड़ के अपव्यय की बात इन मीटरों की खरीद-फरोख्त के कारण हुई है? मंत्री महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि...

डा. चन्द्रभान : आप अलग-अलग सवाल करो, सबके जवाब आ जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब जान लीजिये।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 1.6.1994 को ये 80215 मीटर पड़े हुए क्यों बताये। आपने सवाल किया कि विद्युत मंडल के पास कितने यांत्रिक मीटर इलैक्ट्रोनिक मीटर में बदलने के समय भंडारों में पड़े थे, अध्यक्ष महोदय, ये इलैक्ट्रोनिक मीटर खरीदने का निर्णय 1994-95 में हुआ था इसलिये मैंने ये फिगर्स माननीय सदस्य को दिये हैं। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इलैक्ट्रोनिक मीटर खरीदने से विद्युत मंडल पर कितना आर्थिक भार पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, विद्युत मण्डल एवरेज करीब तीन लाख मीटर प्रति वर्ष खरीदता है क्योंकि करीब 2 लाख से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं को भी प्रति वर्ष हम कनेक्शन दे रहे हैं और हमारे यहां शोर्टेज भी है। यांत्रिक मीटर ज्यादा खराब होते हैं, इलैक्ट्रोनिक मीटर कम खराब होते हैं, करीब चार लाख खराब हो जाते हैं। आज भी हमारी स्थिति

(डा. चन्द्रभान)

यह है कि साढ़े चार लाख के आसपास मीटर खराब हैं इसलिए यह एक रेगूलर प्रोसेस है। यह बात सही है कि इलैक्ट्रोनिक मीटर मैकेनिकल मीटर के मुकाबले थोड़ा महंगा होता है लेकिन इससे राजस्व की वसूली ज्यादा होती है। जब से इलैक्ट्रोनिक मीटर हमने लगाये हैं, हमारी राजस्व वसूली में करीब साढ़े उन्नीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इलैक्ट्रोनिक मीटर सवा चार, साढ़े चार लाख हमने लगाये हैं, इनका खर्चा निकल आया है।

एक बात आपने कही कि ये मानक स्तर के नहीं थे। जब इनकी खरीद हुई थी तो आई.एस.आई. का मार्का इस पर नहीं था। बी.एच.ई.एल. कम्पनी से इन्हें खरीदा गया था। अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा और माननीय सदस्य को भी यह जानकारी दी है कि कुलमिलाकर सिंगल फेश के और थ्री फेश के मीटर, इनके आर्डर अभी तक हुए हैं 5 लाख, 65 हजार। अलग-अलग कम्पनियों ने जो मीटर सप्लाई किए वे 423732 हैं। शुरू में बी.एच.ई.एल. नाम की कम्पनी थी उसको दो लाख का आर्डर दिया गया था और 184132 मीटर खरीदे गए, मतलब उसने सप्लाई किए।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि ये मीटर बी.एच.ई.एल. से खरीदे गए, इन पर आई.एस.आई. मार्का नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में यह शुरूआत हुई। आज तो केन्द्र सरकार भी कहती है, ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में भी यह फैसला हुआ कि मैकेनिकल मीटर खराब जल्दी होते हैं, इससे राजस्व का नुकसान होता है इसलिए इलैक्ट्रोनिक मीटर खरीदे जाएं। पिछले चार-पांच साल में इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई और सभी कम्पनियों के पास आई.एस.आई. मार्का है। शुरू में आई.एस.आई. मार्का नहीं था फिर भी इन मीटरों को खरीदा गया। मैं कहना चाहूंगा कि एक शुरूआत राजस्थान से हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि ये मीटर जून, 1995 से अक्टूबर, 1997 के बीच में खरीदे गए। (व्यवधान) उस राज का तो पता लगा लें कि किनका है। यह बात भी सही है कि सी.ए.जी. की जो रिपोर्ट थी उसमें भी यह सवाल खड़ा किया गया था। चूंकि सम्माननीय सदस्य अभी सवाल करेंगे, उससे पहले निवेदन कर दूं कि इस तरह की जानकारी आई विद्युत मण्डल के पास जिसमें कहा गया कि ये मीटर खराब हो रहे हैं। इसमें दो तरह की बात आई। एक तो यह कि ये मीटर पांच से बीस एम्पीयर के थे इसलिए पावर लोड ज्यादा होने पर बंद हो जाते हैं। दूसरी यह कि ये मीटर तेज चलते हैं। तेज तो नहीं चलते हैं, अध्यक्ष महोदय, सही चलते हैं। मैकेनिकल मीटर डेढ़-दो साल बाद में कम चलते हैं इसलिए

(डा. चन्द्रभान)

उपभोक्ताओं में एक बात आई। इसके बाद इन मीटरों को दुरुस्त कराया गया। सी. ए. जी. ने अपनी रिपोर्ट में आब्जेक्शन भी किया है। उसकी रिप्लाई तो खैर आर.एस.ई.बी. ने दी, काफी कुछ मीटरों में जो डिफैक्ट था उसको दूर भी कराया गया। यह मसला मेरी जानकारी में अप्रेल-मई में आया था और जो फर्म थी वह सितम्बर, 1998 में बंद हो गई। इसकी जब मैंने अपने अधिकारियों से जानकारी ली तो मैंने इसके खिलाफ केस भी दर्ज कराया, इसकी जो बैंक गारंटी थी, उसको भी जब्त कर लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा कि यह सारी खरीद फरोख्त 1995 से 1998 के बीच में हुई। मंत्री महोदय, आपने परिशिष्ट-"अ" पर उत्तर दिया है उसका मुलाहिजा फरमाएं। सन इलैक्ट्रो, कॉन्टीमीटर, इन्डिया मीटर, जीनस, एच.पी.एल., नैमटेक, एलीमर वगैरह, आप कह रहे हैं कि निविदाएं 1999 में आमंत्रित की गई। मैं समझता हूं कि यह प्रवृत्ति त्यागनी पड़ेगी कि कोई भी सवाल जिसमें भ्रष्टाचार की गंध आती हो, आप घुमा फिराकर कहते हैं कि पिछली सरकार ने किया। पिछली सरकार ने किया तो आप जांच क्यों नहीं करवाते? मैं पूछना चाहता हूं कि आज की तारीख में आपके पास कितने लाख यांत्रिक मीटर पड़े हैं? क्योंकि आप यांत्रिक मीटरों की जगह इलैक्ट्रोनिक मीटर लगा रहे हैं तो आपके पास बेकार यांत्रिक मीटर पड़े हैं, उनका आप क्या करेंगे? आपने कहा कि दोनों की दरों में अंतर है लेकिन आपने यह नहीं बताया कि इसके कारण से बढ़ी हुई राशि का भार उपभोक्ता वहन करेगा या आर.एस.ई.बी. पर पड़ेगा? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि निविदाएं आमंत्रित हुई उनमें भारत इलैक्ट्रिकल और विशाल हैवी इलेक्ट्रिकल की जगह पर गुड़गांव और मैसूर की कम्पनियां कहां से आ गई? इन निविदाओं की शर्त थी कि आई.एस.आई. मार्क होना जरूरी है तो फिर क्यों और किस कारण से मुख्य शर्त को छोड़ दिया गया? यांत्रिक मीटर कितने पड़े हैं और उनका क्या करेंगे, यह भी बता दें?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि कुलमिलाकर एक से चौदह जो फर्में हैं, मैंने यह कहा है कि 1995 से हम इलैक्ट्रोनिक मीटर खरीद रहे हैं, नए कनेक्शनों में भी मीटर लगा रहे हैं और पुरानों को भी बदल रहे हैं। पुरानों को तो करीब ढाई लाख के आसपास ही बदला है और हमने करीब सवा चार लाख मीटर खरीदे हैं, नयों में भी लगा रहे हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि शुरू में जो मीटर खरीदे गए थे बी.एच.ई.एल. वगैरह से, ये तीन फर्में थी तब। 1995 से 1998 के बाद के समय में जो मीटर खरीदे गए थे उनमें आई.एस.आई. मार्के की बात जो आप कह रहे हैं, मैं 17 महीनों से बिजली का

(डा. चन्द्रभान)

काम देख रहा हूं, हमारी सरकार है, हमने इलैक्ट्रोनिक मीटर खरीदे हैं, वे जीनस से ही खरीदे हैं, करीब डेढ़ लाख के आसपास अभी खरीदे हैं, ऐसा कोई मीटर नहीं खरीदा जिस पर आई.एस.आई. का मार्का न हो। आप कह रहे हैं कि हमारे पास मीटर खराब पड़े हैं। यूं तो मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 5281949 है जिसमें सिंगल फेस मीटर के 3863024, एन.डी.एस. के 654148, एग्रीकल्चर के 217000 और मिक्स प्लोट के और दूसरे भी हैं। कुलमिलाकर साढ़े तीन लाख, सवा तीन लाख, तीन लाख फ्लैट रेट वाले एग्रीकल्चर के हैं। इतने सारे मीटर हैं इनमें खराब भी होते रहते हैं। कोई 10-20 हजार खराब मीटरों की बात तो मैं नहीं करता, हमारे पास तो चार-साढ़े चार लाख मीटरों की आज भी कमी है। (व्यवधान) हां, यांत्रिक की भी कमी है। अभी मैं कहना चाहता हूं कि अभी 211000 कनेक्शन दिए है और पुराने मीटर भी बदल रहे हैं। हम इलैक्ट्रोनिक मीटर खरीद रहे हैं उनसे इसकी पूर्ति नहीं हो रही है। आज भी यांत्रिक मीटर खराब होते हैं या स्लो चलते हैं उनमें हम रिपेयर करते हैं, डिफैक्ट को, और दुबारा लगा देते हैं। अभी इतने इलैक्ट्रोनिक मीटर तो हम खरीद नहीं सकते और थोड़ा महंगा भी पड़ता है। मीटर हमारे पास पड़े नहीं हैं। हमारी दिक्कत यह है कि मीटर हमको खरीदने हैं चार-साढ़े चार लाख।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपके पास मैकेनिकल मीटर्स को सुधारने के लिए एक्सपर्ट और टैक्नीकल स्टाफ था लेकिन जो इलैक्ट्रोनिक मीटर आपने लगाये हैं उनको सुधारने के लिए आपके पास एक्सपर्ट स्टाफ नहीं है। निविदा की यह शर्त थी कि खराब होने पर फर्म ही इन मीटर्स को सुधारेगी। वह फर्म छोड़ भागी। इस दौरान जो मीटर्स खराब हो गए उनसे कितनी बिजली की छीजत हुई है और आपके बोर्ड को कितना नुकसान हुआ है?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, बी.एच.ई.एल. और भारत हैवी इलैक्ट्रिक्ल की रेट सबसे कम होने के बावजूद भी दूसरी कम्पनियों जैसे गुड़गांव इलैक्ट्रोनिक्स और मैसूर हैवी इलैक्ट्रोनिक्स से मीटर क्यों खरीदे गए? क्या यह अनियमितता नहीं है? क्या यह सही है कि आपने इलैक्ट्रोनिक मीटर ख़रीदने के लिए तत्कालीन अध्यक्ष, विद्युत मण्डल के विरुद्ध जांच प्रस्तावित की थी? यदि हां, तो जांच का क्या हुआ?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सवाल किया कि आपके पास मैकेनिकल मीटर की

(डा. चन्द्रभान)

डिफैक्ट को दूर करने के लिए स्टाफ और मीटर लैब है? आप सही बात कह रहे हैं। चूंकि देश भर में और राज्य भर में मैकेनिकल मीटर ही अभी तक लगते आये थे, तो निश्चित रूप से उस हिसाब से मीटर लैब और स्टाफ है। ये इलैक्ट्रानिक मीटर तो इण्ट्रोड्यूज ही 1994-95 के बाद हुए हैं। और जैसा मैंने कहा, उनके लिए 12 महीने और 18 महीने का गारंटी पीरियड था, इनका गारंटी पीरियड ही फर्म का पांच साल का है। यह बात सही है कि बी.एच.ई.एल. जिससे हमने 1995 से लेकर 1997 के बीच 1 लाख 84 हजार मीटर खरीदे उनमें थोड़ा डिफेक्ट आ रहा है तो हमने 15-16 हजार उनसे लिये ही नहीं। मण्डल के और उनके यह आयी थी, जो मैंने पहले ही निवेदन किया, कि वे मीटर खराब नहीं थे बल्कि एक सर्टेन एम्पीयर के बाद में वे बंद हो जाते थे, पांच से बीस...(व्यवधान) नहीं-नहीं, सब नहीं होते थे। अध्यक्ष महोदय, यह मामला थोड़ा तकनीकी है। चाहे रूरल एरिया हो चाहे अरबन, डोमेस्टिक में जो कनैक्टेड लोड होता है वह जनरली दो-तीन किलोवाट का होता है। गांवों में तो एक किलोवाट का ही लेते हैं, पांच से ज्यादा नहीं होता है। तो उसमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन ओवर लोड हो जाता है और ओवर लोड में भी एक सर्टेन लिमिट तक ये चलते थे। जब यह मसला आया तो जो भी जानकारी आयी, इनको लाया गया और फर्म के द्वारा ये ठीक कराये गये। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि करीब 95 हजार मीटर के बारे में तो मेरी जानकारी है कि उनको तो ठीक करा दिया। अब ये 23 हजार तो उस समय के हैं, मैं खुद ही कह रहा हूं कि वे...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पांच लाख में से 95 हजार।

डा. चन्द्रभान : पांच लाख नहीं, श्रीमान्, एक लाख 84 हजार में से 23 हजार तो मैं खुद ही कह रहा हूं, पड़े हैं। 90 या 95 हजार, जो भी जानकारी आयी है उन सबको ठीक कराया गया। अच्छा, सब बंद भी नहीं हुए थे। जिनके पास ओवर लोड था, कनैक्टेड लोड से ज्यादा लोड था, वही मीटर खराब हुए थे। ज्यों-ज्यों जानकारी आयी, उन सबको हम ठीक करते गये। माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि जब से आई.एस.आई. मार्क हमने लेना शुरू किया है, पिछले तीन और चार साल में मीटर खराब होने की शिकायत कम से कम है। मैकेनिकल मीटर दस परसेंट खराब होते हैं या उनकी शिकायत है लेकिन इनकी शिकायत एवरेज दो से ढाई परसेंट के बीच में है। कम्पनी वालों से बाकायदा हमारी शर्तें वगैरह,

(डा. चन्द्रभान)

अनुबन्ध है, जो भी मीटर खराब होते हैं, वे उनको तत्काल दुरुस्त कर देते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सब-स्टैण्डर्ड मीटर खरीदे गये, उन्हें खरीदते वक्त बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ सरकार ने जांच शुरू की थी और जो...(व्यवधान)...

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया, जवाब दे दिया उन्होंने। आप विराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : 36 करोड़ रुपये के इलैक्ट्रोनिक सब-स्टैण्डर्ड मीटर खरीदने के लिए जो चेयरमैन जिम्मेदार है, उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही करने का इरादा रखती है? (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह भी मैं आपकी जानकारी में ला दूं, माननीय सदस्यों को इस बी.एच.ई.एल. के बारे में पहले जो बिना आई.एस.आई. मार्क के खरीदे हैं उनकी थोड़ी चिन्ता ज्यादा ही है। मैं कहना चाहूंगा कि वैसे फील्ड से तो कोई खास शिकायत नहीं है लेकिन अगस्त, 1996 में सीनियर आफिसर्स की कांफ्रेंस हुई थी, उसमें यह मसला जानकारी में आया। विद्युत मण्डल ने, वैसे तो मैंने पहले कहा कि कोई ऐसा डिफैक्ट नहीं था कि सभी मीटर खराब हो गये थे लेकिन जिन किन्हीं की शिकायतें हैं उनको दुरुस्त करने का काम किया। आपने यह बात कही कि आपने कोई जांच कमेटी बैठाने की बात कही, मैं कहना चाहूंगा कि...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जांच के आदेश दिये।

डा. चन्द्रभान : जांच के आदेश तो नहीं दिये। अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई जांच के आदेश नहीं दिये लेकिन इस पर चर्चा जरूर हुई। जब मेरी जानकारी में लाया गया कि कुछ मीटर्स जो उसमें खरीदे थे आई.एस.आई. मार्क के, वे खराब हो गये तो काफी कुछ को तो दुरुस्त करा दिया। फिर भी जैसे मैंने कहा कि 23 हजार पड़े हैं, ये दुरुस्त नहीं हुए हैं। मैंने कहा कि उस फर्म से बात करो तो मेरी जानकारी में यह लाया गया कि यह जो फर्म है बी.एच.ई.एल., यह सितम्बर, 1998 में ही बंद हो गयी। उन्होंने कहा कि हमारे वहां पर श्रमिकों की समस्या हो गयी या सेल्स टैक्स का पेमेंट वगैरह नहीं कर पाये और बोले कि अब हमारी फर्म शुरू होगी तब ही हम ठीक करेंगे। उसके बाद में मैंने अधिकारियों से कहा कि इसमें क्या कार्यवाही हो सकती है? तो, अध्यक्ष महोदय, मई

(डा. चन्द्रभान)

के महीने में यहां सोडाला थाने में और एक भिवाड़ी में 17 मई, 1999 को और 11 मई, 1999 को इसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी और इसकी जो बैंक गारंटी थी दस या बारह लाख जो जमा थी, उसको जब्त कर लिया गया। बाकी मेरी जानकारी में यह लाया गया कि रूटीन में मीटर खराब होते रहते हैं और हम उनको रिपेयर करते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : फर्म थी एक बजाज हैवी इलैक्ट्रिक और एक भारत हैवी इलैक्ट्रिक, तो...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मंत्री महोदय, आपने सार्वजनिक रूप से इलैक्ट्रोनिक मीटर्स की जांच कराने के लिए कहा था, क्या आपने जांच करायी? किसको दी यह जांच?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आपका पब्लिक स्टेटमैंट था कि आप इस पूरे प्रकरण की जांच करवाऐंगे, आप कहे तो मैं आपका पब्लिक स्टेटमैंट जो अखबार में छपा है, पढ़ दूं?

डा. चन्द्रभान : हां, लाओ-लाओ। आप लाइये न वह स्टेटमैंट।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि माननीय सदस्य हर चीज को अखबार में छपी हुई खबर के आधार पर यहां रखते हैं और उसी को आथेन्टिक मानते हैं। अखबार में आप जानते हैं कि कई तरह की स्टोरी आती है। कई इस तरह की न्यूज प्लांट भी की जाती है। मैंने कोई पब्लिक स्टेटमैंट नहीं दिया है लेकिन इस सम्बन्ध में चर्चा होती रहती है। जब कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तो अखबार में खबरें तो छपती रहती हैं। मेरी जानकारी में जब इस विषय को लाया गया तो मैंने उस फर्म के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के आदेश दिये और उसी के अनुसार मई, 1999 में इस फर्म के खिलाफ एफ.आई.आर. लॉज करायी गयी।

श्री अध्यक्ष : श्री चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप पूरे प्रकरण की जांच करने की मंशा रखते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष : श्री चौधरी।

डा. के.सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी ने जैसे बताया कि मैकेनिकल मीटर्स के मुकाबले में इलैक्ट्रोनिक मीटर्स की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है और इनकी रेवेन्यू रिसीट्स इससे करीब 13 प्रतिशत बढ़ी है, तो क्या भविष्य में विद्युत मण्डल इस बात पर ध्यान देगा कि इलैक्ट्रोनिक मीटर ही खरीदे जाएं?

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

डा. चन्द्रभान : जी, हां। अब विद्युत मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में वह जितने भी मीटर खरीदेगा वह इलैक्ट्रोनिक मीटर ही खरीदेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय को याद है कि इसी हाउस में पिछली बार जब बिजली पर चर्चा हुई थी तो मैंने यह मामला उठाया था कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट में यह लिखा है कि 16 करोड़ रुपये का मीटर बिना टेंडर के और बिना किसी जांच के खरीदा और उसमें से उस समय तक, पिछली बहस हुई थी उस समय तक एक भी मीटर काम में नहीं लिया गया और आपने कहा था कि मैं कार्यवाही करूंगा? यह आपको याद है क्या? अगर रहे तो आगे क्या कार्यवाही हुई?

डा. चन्द्रभान : आप जब जानकारी में लाये थे अप्रेल में, इसके बाद में तो यह एफ.आई.आर. वगैरह लॉज हुई है। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सब मीटर खराब नहीं थे। मैंने पता किया था कि केवल कुछ मीटर इसमें भण्डार में जरूर थे, बाकी मीटर जो लगे हुए थे वे बाकायदा काम कर रहे हैं। इन मीटर्स के साथ दिक्कत यही थी, मैं एक जानकारी दूं कि एक प्लेट हमने उनसे लगवायी, एम.सी.बी. होती है। वह एम.सी.बी. लगायी। एम.सी.बी. लगाने के बाद ये मीटर ठीक तरह से ओवर लोड के ऊपर भी काम करने लगे। ओवर लोड होने पर ही थी, बाकी जो सामान्य लोड होता है जो कनैक्टेड लोड लेता है उस पर जनरली पांच किलोवाट तक ये सिंगल फेस के मीटर काम कर रहे थे। इसके अलावा करीब 36 हजार हमने ट्रिपल फेस के मीटर लिये थे और वे सही तरह से काम किये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या-721

श्री सुरेन्द्र व्यास।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अमराराम (धोद)।

राज्य में वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन

722. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन पर सरकार ने कुछ समय के लिए रोक लगाई थी? यदि हां, तो कब और क्यों?

(2) राज्य में फरवरी, 2000 तक कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन दी जा रही है?

(3) उक्त पेंशन स्वीकृत करने के क्या मानदण्ड हैं?

समाज कल्याण मंत्री (श्री बनवारी लाल बैरवा) : (1) जी, हां। उक्त पेंशन भुगतान पर दिनांक 27.1.2000 से 26.2.2000 तक रोक लगाई गई थी। यह इसलिए किया गया था क्योंकि सम्बन्धित बजट मद में बजट प्रावधान से अधिक व्यय हो रहा था।

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

(2) प्राप्त सूचनानुसार राज्य में फरवरी, 2000 तक विभाग निम्नानुसार वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन दे रहा है : —

1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 2,05,356 व्यक्तियों को।

2. राज्य वृद्धावस्था पेंशन 78,547 व्यक्तियों को।

3. विधवा पेंशन 1,70,676 विधवा महिलाओं को।

(3) पेंशन स्वीकृत करने के निम्न मानदण्ड हैं : —

1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति हेतु निम्न मानदण्ड हैं : —

(अ) 65 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित व्यक्ति जिनकी कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं हो।

(ब) इन व्यक्तियों की प्रति वर्ष आय 1500/- रुपये से अधिक न हो।

2. राज्य वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने हेतु निम्नांकित मानदण्ड हैं : —

(अ) वृद्ध पुरुष 58 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित हों।

(ब) वृद्ध महिलाएं 55 वर्ष से अधिक निराश्रित हों।

(स) उक्त व्यक्तियों की कोई चल या अचल सम्पत्ति न हो।

3. विधवा पेंशन हेतु निम्न मानदण्ड हैं : —

(अ) किसी भी आयु वर्ग की निराश्रित विधवा हो।

(ब) उनकी कोई चल या अचल सम्पत्ति न हो।

निराश्रित व्यक्तियों में वे लोग भी सम्मिलित होंगे जिनके 20 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र/पुत्री हैं किन्तु वे उनका भरण-पोषण नहीं करते।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग एक में उत्तर दिया है, बजट में प्रावधान नहीं करने के बाद आपने पेंशन स्वीकृत करके निराश्रित, विधवा और विकलांग लोगों के साथ विश्वासघात किया है। बजट प्रावधान न होते हुए भी उनको स्वीकृति देकर उनकी भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है। भाग-दो, मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि 31.3.99 के बाद कितनी वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन स्वीकृत की गयी है? 31.3.99 के बाद जो वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गयी थी, उनको 27.3.2000 को आपने आदेश निकाला है कि जांच के बाद जो सही पाये जाएं उनको वापस चालू कर दी जाए। फरवरी तक इस जांच के बाद, 27.3.2000 के आपके आदेश के बाद, कितनी वृद्धावस्था पेंशन वापस शुरू कर दी गयी है?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रकार का कोई

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

विश्वासघात नहीं किया गया है। 26 करोड़ रुपये का प्रावधान था, उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि एक तो इन पेंशनों के अंदर राशि में वृद्धि की जाए, उसके साथ जो लोग अब तक चिन्हित नहीं हुए हैं, उनको चिन्हित किया जाए। उसके लिए तारीख मुकर्रर कर दी कि 2 अक्टूबर, 1999 तक सबको चिन्हित करके उनके फार्म भरकर उनकी पेंशन जारी कर दी जाए। लेकिन चूंकि बजट के अंदर 26 करोड़ रुपया था, वह खर्च हो गया। इसके तत्काल बाद विभाग ने वित्त मंत्रालय को लिखा और वित्त मंत्रालय ने उसको देखकर उस पर 77 करोड़ रुपये मंजूर कर दिये। लिहाजा अब इस समय जो राशि दी जा रही है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है।

नम्बर दो आपने जो बात कही है, 31.3.99 को जिनको पेंशन दी जा रही थी उनकी संख्या है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में 2 लाख 5 हजार 356, राज्य वृद्धावस्था पेंशन में 78,547 और विधवा पेंशन में 92,818। बाद में जिनको चिन्हित किया गया है, उनकी संख्या अब बढ़कर हो गयी है 2 लाख 82 हजार 049 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में, राज्य वृद्धावस्था पेंशन में 1,06,489 और विधवा पेंशन में 77,858, कुलमिलाकर 1,17,676।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से पूछा है कि 31.3.99 के बाद कितने वृद्धावस्था पेंशन के प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं और आपने जांच के बाद जिन पर रोक लगा दी थी, 31.3.99 के बाद जितनी भी वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत हुई थी, उसमें से कितनी स्वीकृत हुई? आपने बंद करने के बाद, जांच के बाद वापस आज तक चालू नहीं की। इनमें से कितने स्वीकृत किये और उसमें जांच के बाद कितने वापस शुरू हो गये हैं? दूसरा, अध्यक्ष महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पेंशन के इस में प्रोविजन यह है कि हर महीने की पेंशन मनीआर्डर द्वारा उनको पहुंचनी चाहिए, उसके बजाय चार-चार महीने की पेंशन एक साथ मनीआर्डर से पहुंच रही है। क्या मंत्री महोदय, इसको मंथली पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे? इनकी संख्या बताएं कि 31.3.99 के बाद कितनी वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत हुई और जांच के बाद जो बंद कर दी गयी थी, कितनी वापस शुरू हुई?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, मैंने वह संख्या तो आपको अर्ज कर दी है। (व्यवधान) हां, हां, वहीं बता रहा हूं आपको कि 1999-2000 में जो चिन्हित हुए हैं, 2,82,049 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में, राज्य वृद्धावस्था पेंशन में 1,06,489 और विधवा पेंशन में 77,858 मंजूर कर दिये

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

गये हैं। उसके बाद में शिकायतें आयी कि इसमें कुछ गलत लोगों को चिन्हित कर दिया गया और गलत तरीके से मंजूर हो गयी है। लिहाजा उसके लिए दुबारा आर्डर करना पड़ा 17.11.99 को कि उनको दुबारा देख लिया जाए और तब तक उन पेंशनों को जारी रखा जाए। उसके बाद में 27.3.2000 को यह आर्डर जारी किया गया कि सर्वे के बाद जो सही पाये गये हैं उनको पेंशन जारी कर दी जाए। अब चूंकि बहुत जगह से, 25 जिलों से जानकारी आनी है, उनमें से कुछ जगह से आयी है, कुछ जगह से नहीं आयी। ज्यों ही वह सब जानकारी आएगी, वह सदन के अंदर पेश कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से जानना चाहता हूं, पहले आपने एक परिपत्र निकाला कि जो वृद्धावस्था पेंशन चाहने वाले हैं वे स्वयं अपना एक शपथ-पत्र दे दें कि हमारे पास न कोई आजीविका का स्थायी साधन है, न हमारी संतान हमारे खान-पान की व्यवस्था कर रही है, हम उनको वृद्धावस्था पेंशन दे देंगे। लोगों ने अपने आवेदन पत्र खूब सारे डाक्टरों के सर्टिफिकेट, फोटो-वोटो लगाकर जमा करा दिये। मैं आपके माध्यम से दो बात जाना चाहता हूं, पहली तो यह कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको आपने पहले वृद्धावस्था पेंशन दी थी और अब आपने उनको रोक रखा है? ऐसे कितने मामले आपके पास लम्बित हैं? इनमें भरतपुर के कितने हैं?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : पूछ लिया आपने। आपने पूछ लिया न।

मोहम्मद माहिर आजाद : दूसरा सवाल और है, अध्यक्ष महोदय। दूसरा सवाल, डीग सब डिवीजन की बात कर रहा हूं पर्टीकुलर, वहां की मीटिंग में यह बात सामने आयी थी कि वहां तो पिछले डेढ़ साल से एक व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली है। सारे मामले बनाकर उन्होंने कोषाधिकारी के पास भेजे हुए हैं, एक की भी जांच होकर वापस नहीं आयी है, लोग परेशान हो रहे हैं। इनका आप कब तक निस्तारण करके पेंशन दिलवाने की व्यवस्था करवा देंगे?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, मैंने अपने प्रश्न के उत्तर के तीसरे खण्ड में निवेदन किया था कि ये जो मानदण्ड हैं इन मानदण्डों में जो भी जानकारी में आते जाएंगे वे मंजूर कर दिये जाएंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : भरतपुर के कितने केस आपके पास पैंडिंग हैं जांच के लिए, उसमें भरतपुर के कितने हैं और कब से पैंडिंग हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूरे राजस्थान के बता दें।

श्री अध्यक्ष : भरतपुर की बताओ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : भरतपुर की बताए देता हूं मैं आपको। माननीय अध्यक्षजी, इन्होंने डीग की जानकारी चाही है, डीग की जानकारी तो मैं आपको अलग से बाद में भिजवा दूंगा। वह तो इस समय उपलब्ध नहीं है, भरतपुर की सुन लें आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : डेढ़ साल से पैंडिंग हैं, जब से आपका राज है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : भरतपुर में 31.3.99 तक दिये जा रहे थे 5,167 यह पेंशन पहले जारी हो रही थी और उसके बाद जो चिन्हित किये गये हैं वे हैं 21,726। आपने डीग के लिए फरमाया है, उसके लिए मैं आपको अलग से जानकारी भिजवा दूंगा।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था आपके प्रोविजन हैं कि मंथली उनकी पेंशन पहुंचनी चाहिए और आपके यहां से चार महीने की पेंशन एक साथ पहुंचती है, तो जिस भावना से उन निराश्रित लोगों की सरकार मदद करना चाहती है, उसके विपरीत वह पैसा चार महीने का एक साथ जाता है। केवल आपके विभाग में कमी है, क्या कारण है? उसको मंथली दिलाने का आप श्रम करें।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल जी। (व्यवधान) हीरासिंह जी।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान की विभिन्न पंचायत समितियों में अब तक कितने प्रकरण हैं जिनका फैसला नहीं हुआ? उनके फैसले आप कब तक कर देंगे, क्योंकि लम्बे समय के मामले में? पूरे राजस्थान में इस प्रकार के वृद्धावस्था पेंशन के जो प्रकरण हैं, विधवाओं के और कई प्रकार की और सहायता के, कितने-कितने, कहां-कहां हैं और उनको आप कब तक निर्णित करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल जी।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था है प्रशासन की, सरकार की कि मनीआर्डर से पेंशन भेजते हैं। लेकिन प्रशासन 6 महीने तक मनीआर्डर से पेंशन नहीं भेजता और 6 महीने के बाद प्रोविजन यह है कि दोबारा उसका रिन्युअल हो, ट्रेजरी आफिस में जाए।

श्री अध्यक्ष : आप अनुपूरक प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री नन्दलाल पूनिया : अनुपूरक ही है, अध्यक्ष महोदय। मतलब यह है कि इस तरह लोगों को बड़ी परेशानी होती है और परेशानी के कारण वृद्ध लोग घूमते-फिरते रहते हैं। तो उनकी कोई उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कितने वृद्ध इस प्रक्रिया में प्रभावित हुए?

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछ लूं, साथ-साथ जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। इसके बाद।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, यह राशि ट्रैजरी के जरिये से भेजी जाती है। पूर्व में 4 लाख 13 हजार पेंशन केसेज थे और अब जो नये चिन्हित किये गये हैं, इनकी संख्या बढ़ कर 9 लाख 18 हजार हो गयी हैं। इस बात की संभावना हो सकती है कि काम की बहुतायत के वजह से थोड़ा-सा डिले हो रहा हो लेकिन यह मेरी निश्चित मान्यता है कि दो महीने के अन्दर उनको जरूर मिलनी चाहिए। इसको मैं और चैकअप करा लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल मोदी।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, आज गांवों में यह भावना हो रही है कि सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी। जांच कराने के लिए इसको रोक दिया, यह तो सही है लेकिन आम आदमी में यह एक भ्रम पैदा हो रहा है कि सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन जारी की थी उसको रोक दिया। कृपया इसको स्पष्ट करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, एक बात स्पष्ट कर दीजिये जो काफी माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब बिराजिये। माननीय राजेन्द्रजी राठौड़, आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के कितने प्रकरण ऐसे हैं जिनमें वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन आपने नहीं दी है? कितने बकाया हैं, यही बता दो बस।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, सही बात तो यह है कि सरकार के पास पैसा ही नहीं था जिसकी वजह से यह पेंशन रोक दी। यह जांच का तो बहाना है, असल बात तो यह है कि सरकार के पास पैसा नहीं होने के कारण इसको रोक दिया गया।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मोदीजी ने जो प्रश्न किया है, ऐसा बिलकुल नहीं है। सरकार की मंशा बिलकुल स्पष्ट है। जो लोग चिन्हित हो गये हैं, जिनके प्रकरण सही हैं उन सब को पेंशन दी जाएगी। इसमें किसी तरह की कोई संशय नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कब तक?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान) स्थगित प्रश्न।

श्री हीरासिंह चौहान : यह बहुत गम्भीर सवाल है, कोई हल्का सवाल नहीं है। सरकार कम से कम यह तय करे कि जो पेंशन के फार्म पैंडिंग हैं उनको कब तक फाइनल कर देंगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, ट्रैजरी पर बैन लगा रखा है। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय स्थिति जो खराब करके गये हैं, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में जो उन पेंशनर्स को 100 रुपये दिये जा रहे थे, डबल किया है। (व्यवधान) 200 किया है। हालात खराब तो आपने किये हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि सरकार पैंडिंग फार्म के लिए निर्णय लेवे। (व्यवधान) उनको फाइनल करने में कितना आ रहा है...

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई समय सीमा निर्धारित करें।

श्री हीरासिंह चौहान : जो लम्बे समय से पैंडिंग पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। आसन पैरों पर, आसन पैरों पर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, ट्रैजरी पर बैन लगा रखा है, बिल पास नहीं हो रहे। किसी को कोई पेंशन नहीं मिल रही है पिछले एक साल से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम हाथ उठा रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। हमारा नम्बर तो आने दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आहूजाजी, बैठिये। आपका नम्बर नहीं आएगा इसमें। बहुत प्रश्न पूछ लिये हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, सालभर से पेंशन नहीं मिल रही है।

श्री अध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप समय सीमा तो निर्धारित करें।

श्री हीरासिंह चौहान : कितने पैंडिंग पड़े हैं? (व्यवधान) किस तारीख तक यह निपटा देंगे? हम और कुछ नहीं पूछना चाहते।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न, स्थगित प्रश्न। डा. किरोड़ी लाल।

श्री हीरासिंह चौहान : जो पैंडिंग फार्म हैं...(व्यवधान)... फाइनल कब तक करेंगे?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सालभर से पेंशन नहीं मिल रही है, अध्यक्ष महोदय। वृद्ध परेशान हैं वृद्धों के हजारों रुपये खर्च हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कोई तारीख निश्चित करें आपकि इस तारीख तक हम कर देंगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बुजुर्ग लोग तहसील तक आते हैं और तहसील पर परेशान होकर चले जाते हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) आप समय सीमा निश्चित करें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उनकी हाय आपको लगेगी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पंचायत समिति में परेशान होकर चले जाते हैं, वृद्धों को पेंशन नहीं मिलती। (व्यवधान) एक साल से, अध्यक्ष महोदय, पेंशन नहीं मिल रही है। लगातार वृद्ध परेशान हो रहे हैं वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलने के कारण से। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी मनीआर्डर का इन्तजार कर रहा है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हजारों रुपये खर्च हो गये, उनको पेंशन नहीं मिलती एक साल से। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत संवेदनशील है। (व्यवधान) समाज के बुजुर्गों का मामला है।

श्री अध्यक्ष : श्री माहिर आजादजी। श्री जीतमलजी, बैठिये। आसन पैरों पर। (व्यवधान) नहीं, आसन पैरों पर।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, एक समय सीमा तो तय हो जाए।

श्री अध्यक्ष : 28 तारीख का स्थगित प्रश्न।

श्री बनवारी लाल बैरवा : हजारों रुपये खर्च होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, कितने दिन में कर देंगे, यह तो बताइये आप?

श्री जीतमल खांट : पैंडिंग केस कब तक निपटाये जाएंगे? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : लोग इन्तजार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : ज्यों ही यह जानकारी आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : जानकारी तो आप मंगाओगे तब आएगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 28 तारीख का स्थगित प्रश्नकाल कर लिया है, विराजिये आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : दो जिलों से जानकारी आ गयी, शेष जिलों से आनी बाकी है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके अधिकारी जानकारी देते नहीं हैं। नहीं, कब मंगा लेंगे जानकारी?

श्री बनवारी लाल बैरवा : जिला अधिकारियों से आनी है, जिला कलेक्टर के यहां से आनी है। कुछ जगहों पर से जानकारी आ गयी है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आज़ाद : कोई समय तो हो, कब मंगाओगे जानकारी?

श्री अध्यक्ष : 28 तारीख का स्थगित प्रश्न। डा. किरोड़ी लालजी। (व्यवधान)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28.4.2000)

राज्य में बिक्रीकर प्रोत्साहन/ आस्थगन योजना

645. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा बिक्री कर प्रोत्साहन/आस्थगन की योजना लागू कर रखी है? यदि हां, तो कब से? प्रोत्साहन/आस्थगन की योजना के तहत अधिकतम छूट कितने वर्ष तक की है?

(2) प्रोत्साहन/आस्थगन योजना के तहत किसी व्यवसायी को अधिकतम कितने वर्ष तक लाभ उठाने की छूट दी गयी है? क्या उक्त योजना के तहत कच्चे माल की खरीद पर क्रय करने में छूट देय है?

(3) क्या सरकार ने वर्तमान में भी उक्त योजना को लागू कर रखा है? यदि नहीं, तो कब से बंद कर दिया है? उक्त अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने दिनांक 24 जनवरी, 2000 को विभिन्न अधिसूचनाओं के जरिये मैसर्स कजारिया, सिरेमिक लिमिटेड, मैसर्स सैमकोर ग्लास लिमिटेड, मैसर्स बरून, ब्रेबरीज लिमिटेड एवं मैसर्स एस. कुमार्स लिमिटेड को कर की छूट दी है? यदि हां, तो कितने-कितने वर्ष के लिये एवं प्रत्येक को कितनी-कितनी कर राशि की छूट दी है?

(5) उक्त फैक्ट्रियों को रीको द्वारा कितनी-कितनी भूमि किस-किस रेट पर कहां-कहां एवं कब-कब आवंटित की गयी? उक्त क्षेत्रों में रिजर्व दर क्या है? आवंटन पत्र/मांग पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त फैक्ट्रियों से कितना-कितना रोजगार प्राप्त होगा? क्या रोजगार में राजस्थान के ही लोगों को लिया जाएगा? रोजगार देने के मानदण्ड क्या होंगे तथा इस पर राज्य सरकार का क्या कोई नियंत्रण होगा? यदि हां, तो क्या?

उद्योग मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) जी नहीं। बिक्रीकर प्रोत्साहन/आस्थगन योजना, 1998 के अन्तर्गत बिक्री कर से छूट/आस्थगन अधिकतम 13 वर्ष तक की अवधि के लिए देय थी किन्तु प्रीमियर उद्योगों के लिए कस्टुमाइज्ड पैकेज के तहत यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती थी।

(2) सामान्यतया प्रोत्साहन/आस्थगन योजना के तहत किसी व्यवसाय को अधिकतम 13 वर्ष के लिए लाभ उठाने की छूट उपलब्ध थी। साधारणतया इस योजना के तहत कच्चे माल की खरीद पर क्रय कर में छूट का प्रावधान नहीं था, किन्तु प्रीमियर उद्योगों के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत क्रय कर से छूट दी जा सकती थी।

(डा. चन्द्रभान)

(3) जी, नहीं। उक्त योजना 1 मई, 2000 से समाप्त कर दी गयी है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(4) जी, हां। विवरण निम्नप्रकार है :—

नाम	लाभ	छूट राशि
मैसर्स कजारिया सिरेमिक लिमिटेड	14 वर्ष	पूर्ण बिक्री कर मुक्ति तथा क्रय कर 7 वर्ष
मैसर्स सैमकोर ग्लास लिमिटेड	11 वर्ष	पूर्ण बिक्री कर मुक्ति तथा क्रय कर 7 वर्ष
मैसर्स बरुण ब्रेबरीज लिमिटेड	13 वर्ष	स्थायी पूंजी निवेश का 130 प्रतिशत तक
मैसर्स एस. कुमार्स लिमिटेड	18 वर्ष	कच्चे माल के क्रय पर स्थायी पूंजी निवेश का 130 प्रतिशत तक

(5) मैसर्स कजारिया सिरेमिक लिमिटेड, मैसर्स सैमकोर ग्लास लिमिटेड एवं मैसर्स एस. कुमार्स लिमिटेड को रीको द्वारा भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। मै. बरूण ब्रेबरीज लिमिटेड को रीको द्वारा बोरानाड़ा तृतीय चरण औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर में कुल 68,348 वर्गमीटर भूमि 191.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दिनांक 2.9.1999, 1.11.1999 एवं 24.2.2000 के द्वारा आवंटित की गयी है। इस क्षेत्र की रिजर्व दर 225 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इसी कम्पनी को मनुष्य विस्तार औद्योगिक क्षेत्र, अलवर में 31,270 वर्गमीटर भूमि 170 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित की गयी है। इस क्षेत्र की रिजर्व दर 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर है।

कम्पनी की प्रोजेक्ट लागत 150 करोड़ से अधिक होने एवं जमीन की आवश्यकता 5 एकड़ से अधिक होने के कारण रीको भू-आवंटन नियमानुसार भू-आवंटन की दर में 15 प्रतिशत की रियायत प्रदान की गयी है। मैसर्स बरूण ब्रेबरीज लिमिटेड को उक्त भू-खण्डों के आवंटन पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(6) उक्त इकाइयों की स्थापना से निम्न विवरण के अनुसार रोजगार प्राप्त हो सकेगा :—

1. कजारिया सिरेमिक लिमिटेड 766 व्यक्तियों को
2. एस. कुमार्स लिमिटेड 1000 व्यक्तियों को

(डा. चन्द्रभान)

3. बरूण ब्रेबरीज लिमिटेड 500 व्यक्तियों को

4. सैमकोर ग्लास लिमिटेड 500 व्यक्तियों को

सैमकोर ग्लास लिमिटेड में राजस्थान के बोनाफाइड रेजिडेन्ट्स में से कम से कम अकुशल वर्क फोर्स का 70 प्रतिशत के कुशल का 25 प्रतिशत को रोजगार की शर्त रखी है।

अन्य इकाइयों में भी कुशल एवं अकुशल वर्क फोर्स का कम से कम 70 प्रतिशत राजस्थान के मूल निवासी को नियोजित किये जाने का बिक्री कर मुक्ति/आस्थगन योजना, 1998 में प्रावधान है।

उक्त कम्पनियों द्वारा नोटिफिकेशन या बिक्री कर मुक्ति/आस्थगन योजना, 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर इकाई को दिये गये लाभ को वापस वसूल करने का प्रावधान है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

डा. किरोड़ी लाल : माननीय मंत्रीजी, आपने सवाल के जवाब में कहा है कि सामान्यतः प्रोत्साहन/आस्थगन योजना के तहत किसी व्यवसाय को अधिकतम 13 वर्ष के लिए लाभ उठाने की छूट उपलब्ध है, फिर मैसर्स एस. कुमार्स लिमिटेड, भिवाड़ी को 18 वर्ष की छूट देने का क्या कारण है? आपने यह भी बताया कि साधारणतया इस योजना के तहत कच्चे माल की खरीद पर छुट देने का प्रावधान नहीं है, फिर भी आपके द्वारा इसको सेल्स टैक्स और परचेज टैक्स दोनों में 18 वर्ष के लिए छूट देने का क्या कारण है, प्रश्न एक? प्रश्न दो, आपने जो नोटिफिकेशन दिया है मेरे को, नोटिफिकेशन 99/264 19 जनवरी, 2000 जिसके द्वारा 24 जनवरी, 2000 के उपरान्त से इंसेंटिव स्कीम के लिए व्यवसायी आप्शन बन्द कर दिया था तथा इंसेंटिव स्कीम 24.1.2000 के उपरान्त देय नहीं थी। फिर भी 24.1.2000 के बाद आपने मैसर्स काजरिया सिरेमिक लिमिटेड जिसका कैपिटल इंवेस्टमेंट 271.53 करोड़ है, मैसर्स सैमकोर ग्लास लिमिटेड जिसका कैपिटल इंवेस्टमेंट 150 करोड़ है, मैसर्स वरुण ब्रेवरीज लिमिटेड जिसका कैपिटल इंवेस्टमेंट 150 करोड़ है और मैसर्स एस.कुमार्स लिमिटेड जिसका कैपिटल इंवेस्टमेंट 500 करोड़ का है, इनको आपने जो छूट दी है सेल्स टैक्स और परचेज टैक्स की, इससे राज्य सरकार को कितनी राजस्व हानि होगी?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, सामान्यतः मैंने कहा कि 13 वर्ष की छूट थी इस बिक्री कर प्रोत्साहन/आस्थगन योजना 1998 में और यह 1.4.98 से लागू है। आपने पूछा कि एस. कुमार्स को हमने 18 वर्ष

(डा. चन्द्रभान)

की छूट इसमें क्यों दी और उसे कच्चे माल की खरीद पर भी छूट क्यों दी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह औद्योगिक नीति 1998 में बनायी गयी थी, आपकी सरकार ने ही बनायी थी, उसमें 28(1)(9) में स्पष्ट निर्देश हैं :—

"Customized packages would be offered to premier projects with an investment of Rs. 150 crores and above and regular employment of 500 persons or other special projects in the trust sector."

अध्यक्ष महोदय इस औद्योगिक नीति में बाकायदा प्रावधान है और इस तरह का पैकेज इसी पालिसी के अन्तर्गत दिया गया है। एस. कुमार्स को। जरूरी भी था क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हैं कि राज्य में इंवेस्टमेंट होना चाहिए, औद्योगिक डवलपमेंट होना चाहिए और यदि कोई जरूरी छूट है तो वह भी देनी चाहिए। यह छूट की जो नीति है उसमें यह व्यवस्था थी कि बोर्ड आफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट एण्ड इंवेस्टमेंट प्रमोशन जिसके अध्यक्ष मुख्य मंत्रीजी हैं, सरकार के वरिष्ठ मंत्री, मुख्य सचिव तथा दूसरे आफिसर्स, इसके सदस्य है ये सभी बैठकर 25 करोड़ से ज्यादा का जो पैकेज होता है उस पर चर्चा करते हैं और जरूरी छूट जो होती है वह प्रीमियर प्रोजेक्ट के नाते इस पैकेज के अन्तर्गत उनको देते हैं। इसके अन्तर्गत ही एस. कुमार्स को ये रियायतें दी गयी हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि यह छूट कोई नयी नहीं है, जब आपकी सरकार थी तब आपने भी इसी तरह की छूट माइको बास को और रायल इन्फील्ड को दी थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक पूछना चाहता हूं।

डा. चन्द्रभान : पहले इनका तो हो जाने दीजिए।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, बाकी राज्यों में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जैसा हो रहा है महाराष्ट्र में इण्डिका कार गयी, 21 साल का सेल्स टैक्स एग्जम्पशन दिया है, तमिलनाडु में फोर्ड और हुण्डई गाड़ी गयी, 24 साल का सेल्स टैक्स एग्जम्पशन दिया है, क्या राजस्थान सरकार भी औद्योगिक विकास के लिए कम्पनियों को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का एग्जम्पशन या रियायत देने का विचार रखती है?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं। आप तो जानते हैं कि आर्थिक उदारीकरण का युग चल रहा है (व्यवधान)

श्री राजेंद्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे—

डा. चन्द्रभान : नहीं-नहीं, एक मिनट बैठिए आप, इनका जबाव पूरा कर दूं। पहले इनका और इनका कर दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे तो सिर्फ इतना-सा मालूम करना है।

डा. चन्द्रभान : आपको भी देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 19.1 को आपने इंसेंटिव स्कीम को बन्द किया है...

डा. चन्द्रभान : आपको बीस मिनट पहले तो दिया ही है जबाव। अध्यक्ष महोदय, देखिए, यह मुकाबला तो है, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। महाराष्ट्र में 18 साल का इण्डिका कार प्रोजेक्ट को दिया है, तमिलनाडु में 21 साल का हुण्डई कार प्रोजेक्ट को दिया है और 17 साल का...(व्यवधान) हां, एक्सटेंडेबल है। इनको जो बेनिफिट दिए गए हैं, महाराष्ट्र में कोई अन्य राज्यों से ज्यादा नहीं है।

दूसरा सवाल जो आपने किया है। यह आपकी योजना थी जो 24 जनवरी को ही समाप्त हो गयी, लेकिन उसके बाद आपने यह छूट देकर करोड़ों का नुकसान कर दिया। नुकसान तो तब होगा जब कोई लगेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि बोर्ड आफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डवलपमैंट की मीटिंग हुई थी उसमें इस सम्बन्ध में फैला हुआ था। वह मीटिंग जनवरी के महीने में हुई थीऔर उस मीटिंग के बाद में एस.कुमार्स के सम्बन्ध में और दूसरी जो फर्म हैं उनके सम्बन्ध में फैसले किये गये थे। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, इस सम्बन्ध में सरकार को जो नोटिफिकेशन जारी करना था वह 24 जनवरी को कर दिया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं यही पूछ रहा हूं कि 19.1.2000 को आपने इंसेंटिव को बन्द कर दिया, फिर 24.1.2000 को सिर्फ चार फर्मों के लिए बैठक बुलाकर उनका इंवेस्टमैंट एक हजार करोड़ का है, आप किसको मात देना चाहते हैं, औद्योगिक नीति के बहाने से? ठीक बात है, आप इंसेंटिव दें, परन्तु इसमें क्या चीज छिपी हुई है कि 19.1 को आप बन्द करते हैं और 24.1 को सिर्फ इन चार को ही छूट देते हैं?

डा. चन्द्रभान : ये वित्त मंत्रीजी बैठे हैं, उस समय ये उद्योग मंत्री थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : 19.1.2000 को बन्द नहीं किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी जबाव दे दें।

डा. चन्द्रभान : मैं भी बी. डी. का मैम्बर था उस समय और यह स्कीम 19.1.2000 नहीं, 24 जनवरी तक थी। अभी तो और लोगों को भी इसकी सुविधा मिलेगी। आज भी इसकी सुविधा मिल सकती है।

डा. किरोड़ी लाल : हम तो यह पूछना चाहते हैं कि आपने कार को ही क्यों दी? जब आपने एक बार इंसेंटिव बन्द कर दी 19.1.2000 से नोटिफिकेशन के द्वारा, तो

(डा. किरोड़ी लाल)

24.1.2000 के नोटिफिकेशन द्वारा एक बाजार करोड़...

डा. चन्द्रभान : 24 जून तक थी यह योजना।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, नहीं। आप पढ़ों इसको। आपने नोटिफिकेशन लगाया है। इस सवाल के जवाब में लगा हुआ है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 19.1. को अधिसूचना जारी हुई, 24.1. से समाप्त किये जाने की बात की गयी थी उसके अन्दर। 19 तारीख से समाप्त नहीं की गयी। 19 को अधिसूचना जारी हुई और 24.1. से समाप्त थी। यह फैसला हुआ दिल्ली के अन्दर। हरियाणा वालों ने कहा कि हमारे यहां चुनाव हैं। चुनाव के बहाने से, चाहे बहाना कहिए लेकिन उन्होंने उसको एग्जम्प्ट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में वित्त मंत्रियों की जो कांफ्रेंस हुई थी उसके अन्दर फ्लोर रेट का मामला है। एक कमेटी बनी हुई है जिसमें सेल्स टैक्स की फ़्लोर रेट तय होगी। इस बात पर भी वहां चर्चा हुई थी कि विभिन्न स्टेट्स के अन्दर कंसेशन देने के बारे में टैक्स बार शुरू हो रहा है। कोई स्टेट जाया भी होता है तो उद्योगपति एक राज्य के दूसरे राज्य के खिलाफ कहते ही हैं कि, साहब, वहां वह दे रहे हैं, आप उतना देते हैं तो आपके यहां आएंगे अन्यथा हम नहीं आएंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने 19 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया है। (व्यवधान)

(12:00 बजे)

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया एक क्वेश्चन। (व्यवधान) उद्योग मंत्रीजी।

डा. किरोड़ी लाल : आपने 24 को इंसेंटिव दिया है, वह भी 4 को दिया है, बाकी किसी को नहीं दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप 24 को इंसेंटिव दे रहे हैं और 24 को और एप्लीकेंशस भी थीं आपके सामने। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं, नहीं, एक सैकण्ड, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, यह एस. कुमार्स, सैमकोर ग्लास, वरुण ब्रेवरीज लिमिटेड को प्रीमियर इकाई का दर्जा देते हुए रियासतों का पैकेज 4 जनवरी, 2000 को ही बोर्ड की पांचवीं बैठक में ले लिया गया था, यह 4 जनवरी को ही फैसला हो गया था। वह नोटिफिकेशन बाद में हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न व उसका उत्तर

सेलून केप्टेन उदयपुर सेलून में विदेशी पर्यटक के साथ अभद्र व्यवहार

721. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एक अंग्रेज दम्पत्ति करीब सवा साल पूर्व पैलेस आन व्हील के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबन्धक को सेलून केप्टेन उदयपुर सेलून के विरुद्ध उनकी लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करने की नामजद शिकायत की थी? यदि हां, तो उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान पर्यटन सचिव ने जांच में उक्त कर्मचारी को दोषी पाया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त शिकायत पर संबंधित कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है।

(2) जी, नहीं। जांच पर्यटन सचिव के निर्देश पर कार्यकारी निदेशक राज. पर्यटन विकास निगम ने की तथा प्रथम दृष्ट्या शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम कर्मचारी आचरण अनुशासन एवं अपील नियम, 1980 के नियम 9 के अन्तर्गत कर्मचारी के विरुद्ध जांच की जा रही है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ की सड़कों की मरम्मत

935. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ जंक्शन की शुरूआत किस वर्ष में हुई? उक्त औद्योगिक क्षेत्र के बनने के बाद इसकी सड़कों की मरम्मत कब हुई और कितनी राशि व्यय हुई? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्र में स्थित श्री गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल से सर्विस चार्जेज को लेकर कोई विवाद है? यदि हां, तो क्या और क्या इस विवाद की वजह से इस महत्त्वपूर्ण इकाई के आसपास की सड़कों का सुदृढ़ीकरण रीको द्वारा नहीं किया जा रहा है?

(3) अब भविष्य में पूरे औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों का सुदृढ़ीकरण रीको द्वारा कब तक करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ जंक्शन वर्ष 1979 में राज्य सरकार से रीको को हस्तांतरित हुआ हस्तान्तरण के बाद समय-समय पर आवश्यकतानुसार वर्ष 1996-97

(उद्योग मंत्री)

से 1998-99 तक वर्ष वार सड़क मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य करवाये गये। जिसमें रुपये 25.67 लाख व्यय हुये। वर्षवार सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। श्री गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल स्पीन फेड द्वारा निगम की 18 लाख रुपये सर्विस चार्जेज की बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इस कारण इस औद्योगिक क्षेत्र के उद्योग संघ के प्रतिनिधि भी यही चाहते हैं कि जब तक स्पीनफेड, निगम की उक्त राशि जमा नहीं करवाती तब तक स्पीनफेड के आसपास वाली सड़कों पर राशि खर्च नहीं की जावे। ऐसी स्थिति में रीको द्वारा उक्त इकाई के आस-पास की सड़कों का सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया।

(3) औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य रीको द्वारा समय-समय पर करवाया जाता रहा है। श्रीगंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल स्पीनफेड के आस-पास की सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिये अनुमानित व्यय राशि 11.00 लाख रुपये होती है। निगम श्री गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल स्पीनफेड से बकाया 18 लाख रुपये की वसूली के लिये प्रयासरत है। उक्त कार्य के लिये उपयुक्त बजट प्रावधान होने पर कार्य करवाया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

औद्योगिक क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की रुग्ण इकाइयों का पुनर्वास

936. **श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) मारवाड़ जंक्शन (पाली) के औद्योगिक क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की 95% इकाइयां बन्द होने के कगार पर हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र की सभी इकाइयों को स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा आवश्यकतानुसार कार्यशील पूंजी नहीं देने के कारण वे बीमार हुई हैं ?

(4) क्या मैसर्स मालवीय उद्योग, रामदेव ब्रुश इण्डस्ट्रीज को उद्योग विभाग द्वारा रुग्ण इकाई चिन्हित कर नियमानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है ? यदि हां, तो अब तक उनके पुनर्वास पैकेज लम्बित क्यों है ?

(5) क्या प्रवासी उद्यमी द्वारा लगाया गया लघु उद्योग मैसर्स रामदेव ब्रुश इण्डस्ट्रीज एक अच्छी इकाई है और इस तरह के उत्पादन के लिये यह राजस्थान की प्रथम लघु इकाई है ? क्या उक्त उत्पादन की मांग निरन्तर बाजारों में बनी रहती है ? फिर भी उक्त इकाई का पुनर्वास पैकेज

(श्री आत्माराम मेघवाल)

क्यों नहीं बनाया जा रहा है? अब कब तक उक्त इकाइयों का पुनर्वास पैकेज घोषित कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन (पाली) में औद्योगिक क्षेत्र का विकास कर समस्त आधारभूत सुविधाएं जैसे—सड़क, बिजली एवं पानी उपलब्ध करवाये जा चुके हैं। यह एक विकसित औद्योगिक क्षेत्र है जिसे वर्ष 1980-81 में विकसित किया गया है। इस क्षेत्र में 39 भू-खण्ड नियोजित है, जिन्हें 31 औद्योगिक इकाइयों को आवंटित किया गया है।

(2) जी, नहीं। पर सही है कि इस औद्योगिक क्षेत्र में 16 इकाइयां बन्द है अथवा अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं करवा रही है। औद्योगिक इकाइयों को बन्द होना अथवा समुचित रूप से कार्य नहीं करने के मुख्य कारण जैसे—भागीदारी में विवाद, बिक्री की समस्या व्यापारिक मन्दी रही है।

(3) जी, नहीं मारवाड़ जंक्शन (पाली) में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयुपर की शाखा द्वारा औद्योगिक इकाइयों को मांग के अनुरूप नियमानुसार कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई गई है। परन्तु यह सही है कि बैंक से वित्त पोषित इकाइयां भी समय के साथ विभिन्न कारणों से बन्द हुई है एवं उनमें बैंक का पैसा फंसा है।

(4) जी, हां। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा दोनों इकाइयों को रुग्ण चिन्हित किया गया है। परन्तु उनके पुर्नवास पैकेज अस्वीकृत कर दिये गये हैं। दोनों इकाइयों की वर्तमान स्थिति निम्नप्रकार है :

1. मैसर्स मालवीय उद्योग, मारवाड़ जंक्शन राजस्थान वित्त निगम शाखा पाली द्वारा इकाई का पुर्नवास पैकेज आवेदन-पत्र निगम मुख्यालय जयपुर को भेजा गया, इकाई गत 15 वर्षों से वित्त निगम का बकाया ऋण जमा नहीं करवा रही है, इसलिये आवेदन पत्र दिनांक 31.3.2000 को निगम द्वारा निरस्त कर दिया। इस इकाई को उद्योग विभाग द्वारा भी मार्जिन मनी ऋण के रूप में रुपये 50,000/- एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 10,000/- दिये गये हैं परन्तु उक्त राशि भी इकाई द्वारा जमा नहीं कराई गई है। फलस्वरूप उक्त राशि की वसूली हेतु प्रकरण पी.डी.आर. एक्ट के तहत कलेक्टर के यहां विचाराधीन है। बैंक द्वारा भी उनके द्वारा दिये गये ऋण में से 60,000/- रुपये को सेटलमेंट के दौरान माफ किया गया है।

2. मैसर्स रामदेव ब्रुश इण्डस्ट्रीज, मारवाड़ जंक्शन इकाई राजस्थान वित्त निगम पाली का बकाया ऋण गत 3 वर्षों से जमा नहीं करवा रही है व एस.बी.बी.जे. ने इकाई के खिलाफ दो वाद दायर कर रखे हैं, इसलिए पुर्नवास पैकेज प्रार्थना पत्र राजस्थान वित्त निगम जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान वित्त निगम जयपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

(उद्योग मंत्री)

(5) जी, हां। मैसर्स रामदेव बुश इण्डस्ट्रीज बुश उत्पादन करने वाली पाली जिले की एक मात्र लघु उद्योग इकाई है। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा इकाई को रुग्ण चिन्हित किया गया तथा राजस्थान वित्त निगम द्वारा भी पुनर्वास पैकेज तैयार कर वित्त निगम के जयपुर मुख्यालय को भेजा गया परन्तु इकाई द्वारा वित्त निगम की पुरानी राशि जमा नहीं कराने एवं स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा पूर्व में दिये गये ऋण की वसूली के संबंध में वाद दायर होने के कारण वित्त निगम द्वारा इकाई का प्रकरण पुनर्वास योग्य नहीं मानते हुए निरस्त कर दिया गया।

भिवाड़ी स्थित गणपति प्लाजा एवं हनुमान प्लाजा की जांच रिपोर्ट

937. **श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तीन माह पूर्व अलवर प्रशासन ने एक बिना हस्ताक्षरित शिकायती पत्र के आधर पर भिवाड़ी स्थित गणपति प्लाज़ा एवं हनुमान प्लाजा की जांच कराई थी? यदि हां, तो जांच का नतीजा क्या रहा? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच रिपोर्ट में सरकार को कितनी राशि का नुकसान बताया है?

उत्तर

(1) भिवाड़ी स्थित गणपति प्लाजा तथा मैसर्स हनुमान ट्रेडिंग कम्पनी के प्रकरण में जांच प्रकरण अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अतः इसकी प्रति सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है।

(2) जांच पूर्ण होने पर ही नुकसान का आकलन किया जाना सम्भव हो सकेगा।

उद्योग केन्द्र अलवर द्वारा बुनकरों को देय अनुदान में अनियमितता

938. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1990 से 1995 तक जिला उद्योग केन्द्र, अलवर द्वारा गलीचा बुनकरों को लूमों के लिये अनुदान दिया गया था? यदि हां, तो कितना-कितना?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अनुदान में अनियमितता की शिकायतें भी सरकार को मिली हैं? यदि हां, तो उन पर क्या-क्या कार्यवाही किस-किस स्तर पर की गई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मामले की जांच एक अतिरिक्त निदेशक ने की है? यदि हां, तो कब तथा रिपोर्ट मुख्यालय को कब प्राप्त हुई? जांच रिपोर्ट की प्रति व की गई कार्यवाही की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(4) उक्त मामले में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं क्या-क्या की जानी है जो किस स्तर से कब तक की जा सकेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि वर्ष 1990 से 1995 तक जिला उद्योग केन्द्र, अलवर द्वारा गलीचा बुनकरों के लिए अनुदान दिया गया था। लूमों पर दिये गये अनुदान की सूचना संलग्न है।

(2) जी, हां। यह सही है कि उक्त कथित अनुदान घोटाले की शिकायत सरकार को मिली है। उक्त शिकायत की जांच निदेशालय स्तर पर की गई तथा जांच रिपोर्ट प्रशासनिक विभाग के माध्यम से कार्मिक विभाग को भेजी गई।

(3) जी, हां। यह सही है कि उक्त मामले की जांच एक अति निदेशक उद्योग द्वारा दिनांक 30.10.96 को की गई जिसकी रिपोर्ट मुख्यालय को दिनांक 5.11.96 को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रशासनिक विभाग के माध्यम से कार्मिक विभाग को प्रेषित किया गया।

(4) उक्त प्रकरण में 13 अधिकारी/कर्मचारियों की जांच की गई थी जांच रिपोर्ट प्रशासनिक विभाग के माध्यम से कार्मिक विभाग को प्रेषित की गई। कार्मिक (क-3) विभाग ने उनकी अशा. टीप दिनांक 18.6.99 में इस टिप्पणी के साथ की "विभाग द्वारा तत्कालीन सभी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच का प्रस्ताव न तो उचित है और न ही प्रमाणित होने की स्थिति में है" के साथ पुनर्विचार हेतु विभाग को लौटा दिया गया है। प्रशासनिक विभाग ने इस पर उद्योग विभाग की टिप्पणी चाही है। उद्योग विभाग द्वारा टिप्पणी तैयार कर भिजवायी जा रही है जिस पर राज्य सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

(सूचना एवं रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला नागौर के जल ग्रहण विकास कार्यों की जांच

939. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1999 में ग्राम बरनेल जिला नागौर में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा कई कार्य कराये गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या कार्य कब-कब कराये तथा कितना-कितना व्यय किया गया?

(2) उक्त कार्य सम्पन्न कराने के लिये मार्च, 1999 में एक यूजर्स कमेटी का गठन किया गया? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों

(श्री हरजीराम बुरड़क)

की और इस सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कमेटी के अध्यक्ष कौन थे तथा इनको बदला गया तो क्यों और किस प्रकार से?

(4) उक्त जो भी कार्य सम्पादित हुए वो किस-किस की देखरेख में सम्पूर्ण कराये गये तथा बैंक से राशि किस के हस्ताक्षरों से कब निकाली गई?

(5) क्या इस सम्बन्ध में कमेटी के अध्यक्ष और अन्य लोगों से सरकार को शिकायतें मिली हैं? यदि हां, तो कब-कब क्या, किस-किस की और प्राप्त शिकायतों पर क्या कोई कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाहियों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त जांच में किसी को दोषी पाया गया? यदि हां, तो कौन-कौन और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(7) क्या इस सम्बन्ध में अब कोई कार्यवाही किया जाना आवश्यक है? यदि हां तो उनके विरुद्ध क्या और कब एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि वर्ष 1999 (वित्तीय वर्ष 1998-1999 व 1999-2000) ग्राम बरनेल जिला नागौर में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा दो कार्य बरनेल-ए एवं बरनेल-बी करवाये गये हैं। इन दोनों कार्यों पर क्रमशः राशि 2.98 लाख रुपये व 4.49 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

(2) यद्यपि माह मार्च, 1999 में जल ग्रहण समिति का गठन नहीं किया गया अपितु बरनेल-ए जल ग्रहण समिति का गठन 16.9.98 तथा बरनेल-बी जल ग्रहण समिति का गठन दिनांक 9.2.99 को किया गया जिनके सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :—

जल ग्रहण समिति बरनेल-ए

क्र.सं.	नाम	पद
1.	श्री झूमरराम पुत्र श्री राम	अध्यक्ष
2.	श्री मोहम्मद अली पुत्र श्री उमर खान	सदस्य
3.	श्री अली मोहम्मद पुत्र श्री नियाजु खान	सदस्य
4.	श्री गणपतराम पुत्र श्री मेगाराम	सदस्य
5.	श्री गिरधारी राम पुत्र श्री बालूराम	सदस्य
6.	श्री राजेन्द्रराम पुत्र श्री बालूराम	सदस्य
7.	श्री मंगाराम पुत्र श्री डूंगाराम	सदस्य

(कृषि मंत्री)

जल ग्रहण समिति बरनेल-बी

क्र.सं.	नाम	पद
1.	श्री मंगेज सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह	अध्यक्ष
2.	श्री पन्नाराम पुत्र श्री गोकुल राम	सदस्य
3.	श्री सूजापुरी पुत्र श्री शिवदानपुरी	सदस्य
4.	श्री आशाराम पुत्र श्री लादूराम	सदस्य
5.	श्रीमती बाउडी पत्नि श्री हनुमानराम	सदस्य
6.	श्री कान सिंह पुत्र श्री राय सिंह	सदस्य
7.	श्रीमती प्यारी पत्नि श्री बीलाराम	सदस्य
8.	श्री बाघ सिंह पुत्र श्री बाल सिंह	सदस्य
9.	श्री छेलपूरी पुत्र श्री मुकनपुरी	सदस्य
10.	श्री भंवरा राम पुत्र श्री जसाराम	सदस्य

जारी आदेशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) उक्त कमेटी के अध्यक्ष बरनेल-ए में श्री झूमरराम पुत्र श्री श्रीराम तथा बरनेल-बी में श्री मंगेज सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह थे तथा वर्तमान में भी यथावत कार्यरत हैं।

उक्त अध्यक्षों का चयन जल ग्रहण समिति के सदस्यों द्वारा बहुमत से किया गया है। अतः चयनित अध्यक्षों को विभाग द्वारा बदले जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(4) उक्त कार्य श्री बाघ सिंह अध्यक्ष जलग्रहण समिति बरनेल एवं सचिव श्री सूरजभान सिंह, कृषि पर्यवेक्षक एवं साइट प्रभारी श्री भारतभूषण सहायक कृषि अधिकारी की देखरेख में करवाया गया।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर बैंक की जायल शाखा से जलग्रहण समिति बरनेल-ए के खाता संख्या-305 व जलग्रहण समिति बरनेल-बी के खाता संख्या-306 से राशि अध्यक्ष एवं सचिव जलग्रहण समिति के संयुक्त हस्ताक्षरों से निम्न प्रकार से निकाली गयी।

जल ग्रहण समिति बरनेल-ए

दिनांक	निकाली गई राशि	संयुक्त हस्ताक्षर
29.3.2000	2,98,000 रुपये	झूमरराम, अध्यक्ष व श्री मंगाराम, सचिव एवं महेश हजाड़ीवाल, जल ग्रहण विकास दल सदस्य
कुल	2,98,000 रुपये	

(कृषि मंत्री)

जल ग्रहण समिति बरनेल-बी

1	2	3
दिनांक	निकाली गई राशि	संयुक्त हस्ताक्षर
29.8.98	3,06440 रुपये	बाघसिंह, अध्यक्ष व सूरजभान सिंह, सचिव
28.10.98	25756 रुपये	उपरोक्तानुसार
10.11.98	57348 रुपये	
30.01.98	48708 रुपये	बाघसिंह, अध्यक्ष व श्री भारतभूषण सचिव
5.2.99	11398 रुपये	उपरोक्तानुसार
कुल	**449650 रुपये**	

(5) जी, हां। जल ग्रहण क्षेत्र बरनेल खण्ड ए व बी की अध्यक्ष एवं अन्य लोगों से निदेशालय को शिकायतें प्राप्त हुई है जिनका विवरण निम्नानुसार है : —

1. सरपंच ग्राम पंचायत, बरनेल से 24.12.98, 18.1.99 एवं 30.1.99 को सदस्य झुमरराम एवं गंगाराम के अयोग्य होने के बाबत प्राप्त हुई थी। जिसकी निदेशालय द्वारा जांच करवाई गई परन्तु उक्त शिकायत निराधार पाई गई।

2. पूसाराम, भूतपूर्व सरपंच बरनेल द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 2-4-99 एवं 15-7-99 को बरनेल खण्ड-ए की कमेटी भंग करने बाबत प्राप्त हुयी जिसकी जांच निदेशालय द्वारा करवाई गयी परन्तु उक्त शिकायत निराधार पाई गई।

3. बाघसिंह निवासी बरनेल द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 2.4.99, 17.4.99, 5.6.99 एवं 15.7.99 को कमेटी को भंग किया जाकर नई कमेटी बनाने बाबत एवं जल ग्रहण क्षेत्र में जांच करवाने बाबत प्राप्त हुई। विभाग द्वारा उक्त शिकायतों की जांच करवाने के उपरान्त उक्त शिकायत निराधार पाई गई।

(6) उक्त जांचों में किसी को दोषी नहीं पाया गया है।

(7) इस संबंध में कोई कार्यवाही विभागीय स्तर पर अपेक्षित नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

चूरू के गरीब परिवारों को बी. पी. एल. कार्ड का वितरण

940. **श्री राजेन्द्र राठौड़ :** क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला चूरू में कितने परिवारों को बी. पी. एल. कार्ड वितरित किये गये तथा इस हेतु कितनी राशि आवंटित की गई ?

(2) जिला मुख्यालय चूरू में कितने परिवारों का चयन बी. पी. एल. कार्ड हेतु किया गया तथा दिसम्बर, 1999 से फरवरी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2000 तक कितने बी. पी. एल. कार्ड धारियों को कितनी राशि की दवाइयां आवंटित की गई? भरतिया चिकित्सालय को वर्ष 1999-2000 में कुल दवाइयों का कितना बजट आवंटित किया गया व 15 मार्च, 2000 तक कितने बजट की राशि का व्यय किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला मुख्यालय चूरू में अव्यवस्था हेतु ध्यान आकर्षित करने के लिये विभिन्न निर्वाचित जन प्रतिनिधियों ने कब-कब पत्र निदेशक चिकित्सा विभाग, प्रमुख शासन सचिव, व चिकित्सा राज्य मंत्री को लिखे तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही सरकार की तरफ से कब-कब की गई?

(4) क्या यह सही है कि चूरू में भरतिया चिकित्सालय का निरीक्षण करने हेतु प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा ने निदेशालय व जिला कलक्टर, चूरू को कोई निर्देश दिये थे? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय का क्या निरीक्षण किया गया अथवा नहीं? क्या सरकार के निर्देशों की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई?

(5) विधान सभा क्षेत्र चूरू के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र सीरसला, लोहसणा बड़ा, बीनासर, दुधवाखारा, सहनाली को कितना बजट वर्ष 1999-2000 में दवाइयां हेतु आवंटित किया गया उसमें से कितना खर्च हुआ? उक्त प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर वर्ष 1999-2000 में माहवार कितने आउटडोर व इन्डोर मरीज आये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) जिला चूरू में विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में कितने निरीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी व संयुक्त निदेशक द्वारा किये गये? निरीक्षण में कब-कब कितने सरकारी कर्मचारी अनुपस्थिति पाये गये और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जिला चूरू में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 10,896 चयनित परिवारों को बी.पी.एल. कार्ड वितरित किये गये हैं। इस हेतु 66,278/-का प्रावधान जिला कलक्टर को उपलब्ध कराया गया है।

(2) चूरू शहर में 3643 चयनित परिवारों को बी.पी.एल. कार्ड वितरित किये गये तथा दिसम्बर, 99 से फरवरी, 2000 तक 1232 कार्ड धारियों को 85,689 रुपये की औषधियां निःशुल्क वितरित की गई। भरतिया चिकित्सालय, चूरू को वर्ष 1999-2000 में 15.70 लाख रुपये की राशि दवाइयों के लिए आवंटित की गई थी, जिसमें से 15 मार्च, 2000 तक 9.54 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

(3) जिला मुख्यालय, चूरू में अव्यवस्था हेतु प्राप्त शिकायतों की जांच व निराकरण हेतु दिनांक 4.8.99 को अतिरिक्त निदेशक, निरीक्षण एवं उप शासन सचिव, प्रशासनिक

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

सुधार विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर दिनांक 10.6.99 को संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जोन, बीकानेर एवं 22.7.99 को संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जोन अजमेर के द्वारा निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान कोई भी चिकित्सक अनुपस्थित नहीं पाया गया। जिला कलक्टर, चूरू द्वारा दिनांक 26.3.2000 को एवं उप खण्ड अधिकारी, चूरू द्वारा दिनांक 7.4.2000 को आकस्मिक निरीक्षण किया गया। अब अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) को निरीक्षण हेतु पुनः भिजवाया जा रहा है।

(4) जी, हां। पैरा 3 के अनुसार जिला कलक्टर द्वारा निरीक्षण कराया गया है।

(5) जिला चूरू के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये वर्ष 1999-2000 के लिये कुल 8.40 लाख रुपये का बजट था, जिसमें से विधान सभा क्षेत्र चूरू के निम्नांकित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा दवाइयों पर खर्च किया गया बजट निम्नप्रकार है : —

क्र.सं. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	(रुपये)
1. प्राथमिक स्वा. केन्द्र, सहनाली	42,928
2. प्रा. स्वा. केन्द्र, लोहसनाबड़ा	24,715
3. प्रा. स्वा. केन्द्र, दूधवाखारा	18,819
4. प्रा. स्वा. केन्द्र, बीनासर	14421
5. प्रा. स्वा. केन्द्र, सीरसला	18,903

दवाइयों हेतु प्रावधान मांग के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रवार आउट डोर व इन्डोर सूचना संलग्न है।

(6) संयुक्त निदेशक, जोन, बीकानेर द्वारा वर्ष 1999-2000 में जिला चूरू (रतनगढ़) में 3 भ्रमण किये गये एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण निम्नप्रकार है : —

	वर्ष	
	1999–2000	
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	12	3
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरू	12	3
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ़	12	3
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़	12	3

उपर्युक्त निरीक्षणों के दौरान 12 चिकित्सा अधिकारी एवं 17 कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये। इनके विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की गई :

	संख्या
कार्मिक विभाग की विभागीय कार्यवाही	2
निदेशालय द्वारा आरोप पत्र जारी किये	4

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये	6
सी.सी.ए. नियम 16 एवं 17 में कार्यवाही प्रारम्भ	9
स्पष्टीकरण मांगे गये	8

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

तहसील भीम व देवगढ़ (राजसमंद) के चिकित्सालयों के रिक्त पद

941. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत** (भीम) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला राजसमन्द की तहसील भीम व देवगढ़ के किस-किस उप स्वास्थ्य केन्द्र/एडपोस्ट/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल हास्पिटल में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों में से कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं?

उत्तर

(1) जिला राजसमंद की तहसील भीम व देवगढ़ के अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सा संस्थानों, उप स्वास्थ्य केन्द्र/एडपोस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल हास्पिटल में स्वीकृत पदों का विवरण संलग्न है।

(2) उक्त पदों में से रिक्त पदों की सूचना प्रश्न के भाग एक की सूची में संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

उदयपुर में पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में चिकित्सीय जांच में अनियमितताओं की जांच

942. **श्री खेमराज कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या जिला उदयपुर में वर्ष 1999 में पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के दौरान 130 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच की गई?

(2) क्या यह सही है कि उनमें से 11 अभ्यर्थियों में दृष्टि दोष एवं 3 अण्डकोषीय विकार के शिकार थे मगर सभी को एक मोटी रकम लेकर सर्टीफिकेट जारी कर दिये गये?

(3) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई? यदि हां, तो अब तक की क्या प्रगति रिपोर्ट है और नहीं, तो किन अधिकारियों ने उक्त जांच को दबा रखा है?

(4) क्या यह सही है कि अतिरिक्त मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सक डा. एस. एस. गुप्ता जब मेडिकल सर्टीफिकेट दिये जा रहे थे तब वहां उपस्थित थे? यदि हां, तो क्यों? क्या इन्हें भी अधिकृत किया गया था? क्या इनकी उपस्थिति से संदेह उत्पन्न हुआ है?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(3) जी, हां, इसकी जांच डा. वी. एस. मिश्रा उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है, कि यह शिकायत मिथ्या है।

(4) जी, हां, डा. एस. एस. गुप्ता, कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनांक 27.10.99 को लगभग 1.30 घंटा के लिए परीक्षण स्थल पर गये थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर दिनांक 26.10.99 को अपराह्न 30.10.99 तक राज्य कार्यवश जयपुर गये थे, अतः डा.एस.एस. गुप्ता उनके बाहर रहने के कार्यकाल में मेडिकल सर्टीफिकेट देने हेतु पूरी तरह सक्षम थे। इनकी उपस्थिति से कोई सन्देह होने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यक सुविधाओं का अभाव

943. **श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) :** क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिणधारी, समदड़ी, सिवाना में रोगियों की सुविधा के लिये एम्बूलेंस वाहन सुविधा उपलब्ध है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिणधरी, सिवाना, समदड़ी में राज्य सरकार के नियमानुसार स्वीकृत बैड एवं गद्दे व चद्दर उपलब्ध हैं? यदि हां, तो कितने व कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिणधरी, समदड़ी एवं सिवाना में उपलब्ध कराई गई रोगी वाहन की उपलब्धता का वर्ष निम्नप्रकार है : —

संस्थान का नाम	उपलब्धता का वर्ष
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिणधरी	1995
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, समदड़ी	1991
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिवाना	1990

वर्तमान में उक्त तीनों रोगी वाहन खराब हैं।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिणधरी, सिवाना एवं समदड़ी में स्वीकृत शैय्या एवं उपलब्ध शैय्या गद्दों तथा चद्दरों का विवरण निम्नप्रकार है : —

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	स्वीकृत शैय्या	उपलब्ध शैय्या	गद्दे	चद्दरें
सिणधरी	30	13	9	160
सिवाना	30	30	30	60
समदड़ी	30	17	20	120

समुचित संसाधनों के अभाव में शैय्याएं एवं गद्दे उपलब्ध नहीं करवाये जा सके हैं, जिनकी पूर्ति शीघ्र कर दी जायेगी।

चिकित्सकों की स्थानान्तरण नीति

944. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अप्रेल, 1999 से अप्रेल, 2000 तक कितने चिकित्सकों के एक से अधिक बार तबादले हुए? उक्त चिकित्सकों के तबादले एक से अधिक बार करने के क्या कारण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चिकित्सा विभाग में किस-किस स्तर के चिकित्सक/कर्मचारी का स्थानान्तरण करने के लिये किस-किस स्तर के अधिकारी अधिकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने अनुचित स्थानान्तरण के लिए किसी अधिकारी की जवाबदेही तय की है? यदि नहीं, तो अलग-अलग स्तर के चिकित्सकों के लिये क्या तबादला नीति है?

उत्तर

(1) अप्रेल, 1999 से अप्रेल, 2000 के मध्य 185 चिकित्सा अधिकारियों के एक से अधिक बार तबादले किये गये। सूची संलग्न है। उक्त चिकित्सकों के प्रशासनिक व जनहित में एक से अधिक बार ताबदले किये गये।

(2) चिकित्सा विभाग में चिकित्सा अधिकारी एवं दन्त चिकित्सा अधिकारियों के स्थानान्तरण निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के स्तर से तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ विशेषज्ञ, आदि के स्थानान्तरण प्रशासनिक विभाग द्वारा राज्य स्तर से किये जाते हैं।

अराजपत्रित कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने हेतु निम्न अधिकारी अधिकृत है : —

1. निदेशालय—स्तर पर — निदेशक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
2. जोन स्तर पर— संयुक्त निदेशक जिनके वे नियुक्ति अधिकारी है।
3. जिला स्तर पर— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिनके वे नियुक्ति अधिकारी है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(3) कोई भी अनुचित स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

अतः जवाबदेही का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

शहरी सहभागिता योजनान्तर्गत चित्तौड़गढ़ का निर्माणाधीन चिकित्सालय भवन

945. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) एवं **डॉ. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या शहरी सहभागिता योजनाअन्तर्गत निवर्तमान सरकार ने सांवरिया जी मंदिर ट्रस्ट से जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ में सभी सुविधा युक्त औषधालय निर्माण करने का एग्रीमेंट किया था? उक्त एग्रीमेंट अनुसार सांवरिया जी मंदिर ट्रस्ट द्वारा डेढ़ करोड़ रुपये राज्य सरकार को जमा करवा कर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा औषधालय का निर्माण प्रारम्भ किया गया जो राज्य सरकार के एग्रीमेन्ट के अनुसार डेढ़ करोड़ रुपये स्वीकृत नहीं होने के कारण आज भी उक्त औषधालय का निर्माण अपूर्ण है? यदि हां, तो सरकार अपने एग्रीमेंट अनुसार डेढ़ करोड़ रुपये उक्त औषधालय के निर्माण हेतु स्वीकृत कर अब कब तक अपूर्ण औषधालय को पूर्ण करायेगी?

(2) राज्य सरकार द्वारा अब तक एग्रीमेन्ट अनुसार उक्त औषधालय को पूर्ण न कराने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांकः सहभागी/नवियों/95/96/700 दिनांक 27.10.95 के नगरीय सहभागी योजनान्तर्गत जिला मुख्यालय पर श्री सांवरिया जी सामान्य चिकित्सालय भवन निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति रुपये 3.00 करोड़ की अनुमानित लागत मानते हुए वर्ष 1995-96 में व्यय हेतु 1.00 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई, प्रदत्त स्वीकृति अनुसार कुल राशि की 50% राशि श्री सांवरिया जी मंदिर मंडल द्वारा एवं 50% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। तत्पश्चात् वर्ष 1996-97 में व्यय हेतु 1.00 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई।

स्वीकृति की पालना में न्यूनतम निविदादाता में आवास विकास संस्थान को कार्यादेश दिया गया परन्तु आवास विकास संस्थान द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण उक्त निर्माण कार्य हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित निर्माण समिति की बैठक दिनांक 13.2.97 में लिये गये निर्णय की पालना में चिकित्सालय भवन निर्माण कार्य की संशोधित लागत रुपये 4.00 करोड़ के आधार पर नई निविदा जारी की गई तथा कार्य की संशोधित स्वीकृति हेतु राज्य

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

सरकार को निवेदन किया गया। न्यूनतम दर के अनुसार चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु कार्यादेश रुपये 4.62 करोड़ तथा आर्किटेक्ट कन्सलटेन्सी हेतु कार्यादेश रुपये 0.66 करोड़ का दिया गया इस प्रकार कुल निर्माण कार्य लागत रुपये 4.68 करोड़ मानते हुए राज्य सरकार से स्वीकृति की प्रत्याशा में श्री सांवरिया जी मंदिर मंडल द्वारा 50% राशि रुपये 2.34 करोड़ का व्यय कर दिया गया।

आगामी वित्तीय वर्षों में निर्माण हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही उक्त चिकित्सालयों के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली हिस्सा राशि उपलब्ध करवाया जाना संभव हो सकेगा।

उक्त चिकित्सालय के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने की अवधि का आंकलन किया जाना संभव नहीं है।

(2) निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त चिकित्साय् का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाना संभव नहीं हो सका।

डेगाना (नागौर) के विचाराधीन नवीन चिकित्सालय

946. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में कुल कितने सरकारी चिकित्सालय/उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं? सूची श्रेणी एवं ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2000-2001 में कुल कितने चिकित्सालय/उप स्वास्थ्य केन्द्र उक्त जिले में कहां-कहां पर खोलने का प्रस्ताव है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों से विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में एक भी चिकित्सालय/उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला नागौर में कुल 16 सरकारी चिकित्सालय/544 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं। नागौर जिले में सरकारी चिकित्सालय/उप स्वास्थ्य केन्द्रों की श्रेणीवार सूची संलग्न हैं।

(2) वर्ष 2000-2001 में उक्त जिले में चिकित्सालय/उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

(3) जी, नहीं, गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र डेगाना, जिला नागौर में स्वीकृत किए गए उप केन्द्रों का विवरण निम्नप्रकार है :—

वर्ष	उप केन्द्र का नाम
1997-98	शून्य
1998-99	1. कवाल पं. स. डेगाना
	2. राजापुरा—यथा—
	3. किला पं. सं. रियावड़ी
1999-2000	शून्य

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

सआदत चिकित्सालय टोंक में पुलिस कर्मी की नशा जांच रिपोर्ट

947. **श्री संजीव बेनीवाल** (भादरा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि सआदत चिकित्सालय, टोंक के मेडिकल ज्यूरिस्ट ने दिनांक 27 मार्च, 1997 को रात्रि 10.30 बजे किसी पुलिसकर्मी का नशे की हालत में होने पर मेडिकल मुआयना किया था? यदि हां, तो उक्त मेडिकल बोर्ड में कौन-कौन चिकित्सक थे और मेडिकल मुआयना कितने बजे व किसकी अभिशंषा से किया गया? मेडिकल मुआयने की प्रति सहित जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, नहीं।

महाराणा भोपाल चिकित्सालय उदयपुर में पदस्थापित प्रोफेसर एवं रीडरों द्वारा आउटडोर में रोगियों की जांच

948. **श्री रूपलाल मीणा** (सलूम्बर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

महाराणा भोपाल चिकित्सालय उदयपुर में कितने प्रोफेसर एवं रीडरों की सप्ताह में कितने दिन बहिरंग विभाग में बैठने की ड्यूटी लगायी जाती है? क्या यह सही है कि बहिरंग विभाग में बैठने वाले प्रोफेसर व रीडर पूरे समय तक नहीं बैठते हैं? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

महाराणा भोपाल चिकित्सालय में 14 प्रोफेसरों की एक दिन तथा एक दिन अल्टरनेट ड्यूटी लगाई जाती है। 13 रीडरों की सप्ताह में 2 दिन तथा एक दिन-अल्टरनेट ड्यूटी बहिरंग विभाग में लगाई जाती है।

प्रोफेसर व रीडर पूरे समय तक बैठते हैं। फिर भी विशिष्ट शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार जांच करवा कर उचित कार्यवाही करेगी।

सलूम्बर उच्चीकृत चिकित्सालय में आवश्यक उपकरणों का अभाव

949. **श्री रूपलाल** (सलूम्बर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला उदयपुर के सलूम्बर उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं?

(2) उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक का पद कब से रिक्त है? अब उक्त पद को कब तक भर दिया जायेगा?

(3) क्या उक्त चिकित्सालय में अस्थि, नाक, कान, आँख, दांतों की जांच हेतु मानदण्ड

(श्री रूपलाल)

के अनुसार पर्याप्त उपकरण उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों? अब सरकार कब तक उक्त उपकरण उपलब्ध करा देगी?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलूम्बर में 10 चिकित्सकों के पद स्वीकृत है तथा सभी पद भरे हुये हैं।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलूम्बर के कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) के पद पर पुरुष कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) पदस्थापित है। अतः पद रिक्त नहीं है।

(3) उक्त चिकित्सालय में अस्थि एवं नाक, कान व गला की विशेषज्ञों के पद स्वीकृत नहीं है। नेत्र विशेषज्ञ का पद स्वीकृत है एवं नेत्र विभाग के लिये पर्याप्त उपकरण उपलब्ध है। दन्त चिकित्सक का पद सृजित है, परन्तु विशेष उपकरण का अभाव है, जिसे समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर उपलब्ध करवाया जाना संभव हो सकेगा।

एस. एम. एस. अस्पताल के सी. ए. एस. डाक्टरों के पद

950. **श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में सी. ए. एस. डाक्टरों के पद समाप्त किये जा रहे हैं? यदि हां, तो पद समाप्त करने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पद समाप्त किये जाने से चिकित्सालय का कार्य प्रभावित होगा? यदि हां, तो इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? सी. ए. एस. डाक्टरों के उक्त चिकित्सालय में कितने पद हैं? क्या सरकार उक्त निर्णय पर पुनः विचार करेगी? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मेडिकल कालेज में पदस्थापित सी.ए.एस. चिकित्सकों की मेडिकल कालेज चिकित्सालय में उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जा रही है।

(2) जी, नहीं। अभी कोई पद समाप्त नहीं किये गये हैं। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में सी.ए.एस. डाक्टर के 44 पद हैं। पुनर्विचार का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रसाविका प्रशिक्षण केन्द्र करौली में अभ्यर्थियों के चयन में अनियमितताएं

951. **श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने ए. एन. एम. प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं?

(श्रीमती कमला बृजलाल)

(2) वर्ष 1999-2000 में कितनी महिलाओं को ट्रेनिंग सेन्टरों में ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) के लिये चयनित किया?

(3) उक्त अवधि में प्रसाविका (ए. एन. एम.) प्रशिक्षण केन्द्र करौली में कितने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया और कितनों का चयन किया गया? सूची वर्गवार सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उच्च प्रतिशत प्राप्त अभ्यर्थियों को तो साक्षात्कार में बुलाया ही नहीं गया और बुलाया गया तो चयन से वंचित रखा गया? क्या कम प्रतिशत प्राप्त अभ्यार्थियों का चयन कर लिया गया है? सूची जाति एवं वर्गवार मेरिटवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में 27 ए. एन. एम. प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं।

(2) वर्ष 1999-2000 में वर्तमान में 1510 महिलाओं को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु ट्रेनिंग सेन्टरों पर अस्थाई रूप से चयनित किया गया हैं।

(3) वर्ष 1999-2000 में प्रसाविका प्रशिक्षण केन्द्र करौली पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु साक्षात्कार के लिये बुलाये एवं चयनित किये अभ्यर्थियों का वर्गवार विवरण निम्नप्रकार है : —

क्र. सं.	वर्ग का नाम	बुलाये गये अभ्यार्थियों की संख्या	चयनित किये अभ्यार्थियों की संख्या
1.	सामान्य वर्ग	125	31
2.	ओ. बी. सी. वर्ग	48	12
3.	अनुसूचित जाति वर्ग	44	10
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	28	07
	कुल योग	**245**	**60**

(4) जी, नहीं, विभिन्न कारणों से अयोग्य होने पर ही उच्च प्रतिशत प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से एवं चयनित होने से वंचित रखा गया। चयनित अभ्यर्थियों की सूची जाति एवं वर्गवार मेरिटवार सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा (भीलवाड़ा) की सड़कों का डामरीकरण

952. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा, (भीलवाड़ा) में कौन-कौनसे मार्गों की मेटल सड़के कितनी-कितनी लागत की किस-किस योजना के तहत स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. रतन लाल जाट)

(2) क्या उक्त सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करवाये जायेंगे?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की लादेवाला से मातृकुंडिया वाया भरक-सगांव, देवरिया से मंझलाई, सालेरा तथा खांखला, बोराणा से जगदीश, कोशीथल से आमली, नान्दशा से आशा होली सड़क के डामरीकरण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में मात्र मेटल स्तर तक के लिये कोई सड़क कार्य स्वीकृत नहीं है।

(2) चूंकि कोई भी कार्य मात्र मेटल स्तर तक के लिये स्वीकृत नहीं है। अतः कार्यों को पूर्ण करना सम्भव नहीं है।

(3) जी, हां। देवरिया-उल्लई-सालेरा-खांखला सड़क वर्तमान में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में 65.93 लाख रुपये के लिये स्वीकृत है एवं निविदायें आमंत्रित करने का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकताओं के आधार पर इस कार्य को पूर्ण कराया जाना निर्भर करेगा। शेष लाखोला से मातृ कुण्डिया वाया भरक सरगांव, बोराणा से जगदीश, कोशिथल से आमली एवं नान्दशा से आशाहोली रोड को मेटल से डामर सड़क बनाने हेतु वर्तमान में कोई स्वीकृति नहीं है। इन सड़कों का डामरीकरण करना उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

जिला दौसा की सड़कों की मरम्मत

953. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला दौसा में सरकार द्वाराअतिरिक्त विशेष मरम्मत कार्यक्रम 1998-99 के प्रस्तावों के अनुसार किस-किस सड़क की कितनी-कितनी की राशि स्वीकृतियां कब-कब जारी की गई थी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से किस-किस सड़क का कितना-कितना कार्य करा दिया गया है?

(3) क्या यह सही है कि महुवा से सांथा कि.मी. 0/0 से 6/700 की स्वीकृति जारी हो जाने के बाद टेण्डर आदि कर कार्य आदेश भी प्रदान कर दिये गये हैं? यदि हां, तो अब तक उक्त सड़क की मरम्मत कार्य नहीं करवाये जाने का क्या कारण है?

(4) जिला दौसा, सवाईमाधोपुर एवं करौली में बी.ओ.टी. के तहत कौन-कौनसी नई सड़कें एवं प्रमुख मार्गों के रख-रखाव एवं मरम्मत के लिए कितनी-कितनी लागत के प्रस्ताव तैयार कराये गये हैं? सड़क

(डा. किरोड़ी लाल)

वार सूची मय लागत के सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त सभी कार्यों को प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस का कब-कब?

उत्तर

(1) जिला दौसा में सरकार द्वारा अतिरिक्त विशेष सड़क मरम्मत कार्यक्रम के तहत वर्ष 1998-99 में कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुये लेकिन सड़क मरम्मत एवं रख-रखाव के तहत वर्ष 1999-2000 में जिन सड़कों की मरम्मत का कार्य दौसा जिले में स्वीकृत हुआ उनका विवरण परिशिष्ट-"अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) परिशिष्ट-"अ" में वर्णित सड़क मरम्मत के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

(3) जी, हां। महुआ से सांथा कि.मी. 0/0 से 6/0 सड़क पर सुदृढीकरण/नवीनीकरण का कार्य लागत 13.50 लाख रुपये का योजना मद में वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत किया जा चुका है। इस कार्य का संवेदक को कार्य आदेश दिया जा चुका है लेकिन वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण उक्त सड़क का मरम्मत कार्य नहीं करवाया जा सका है।

(4) जिला दौसा, सवाईमाधोपुर में नई सड़कों के निर्माण हेतु बी.ओ.टी. आधारित कोई परियोजना तैयार नहीं हुई है। जिला करौली में महुआ करौली राज्य उच्च मार्ग संख्या 25 पर हिण्डौन बाई-पास पर आर.ओ.बी. निर्माण बी.ओ.टी. पद्धति के तहत प्रस्तावित है।

(5) उक्त बी.ओ.टी. परियोजना का कार्य स्वीकृति उपरांत निविदा आदि की कार्यवाही कर प्रतिस्पर्धात्मक कंसेशन पिरियड का पूर्ण औचित्य होने पर प्रारम्भ करना संभव हो सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर की सड़कों का रख-रखाव

954. **श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में सड़क निर्माण व रख-रखाव पर राशि व्यय की जावेगी? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण/रख-रखाव किया गया, जिस पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(2) सड़क निर्माण व रख-रखाव पर राशि व्यय करने के लिए क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? उक्त विधान सभा क्षेत्र में उनकी पालना कहां तक हुई है?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1999-2000 में विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव पर क्रमशः 5.77 लाख एवं 37.91 लाख व्यय की गई राशि एवं कार्य का सड़कवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। सड़क निर्माण व रख-रखाव के नवीनीकरण तथा विशेष मरम्मत पर राशि व्यय करने के लिये मानदण्ड निम्न प्रकार हैं :—

1. किसी भी कार्य पर बजट आवंटन से अधिक राशि व्यय नहीं की जावेगी।

2. किसी भी कार्य पर उसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय नहीं किया जा सकेगा।

3. कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर किसी भी कार्य का बजट आवंटन विभागीय स्तर पर आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा किया जा सकता है।

4. सड़क के रख-रखाव के लिये गैर योजना मद में साधारण मरम्मत के लिये प्रत्येक खण्ड को एक मुश्त राशि का आवंटन किया जाता है जिसमें आवश्यकतानुसार एवं प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुये अलग-अलग सड़कों पर सीमित वित्तीय साधनों के अनुरूप व्यय किया जाता है।

उक्त मापदण्डों को ध्यान में रखकर विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में स्वीकृत कार्यों पर राशि व्यय की गई हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

जिला झुन्झुनूं में अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

955. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर, झुन्झुनूं तथा चूरू के अधीक्षण अभियंता का कार्यालय जयपुर में स्थापित है?

(2) क्या सरकार उक्त कार्यालय को झुन्झुनूं में स्थापित करने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि सरकार की नीति के अनुसार कार्यालयों का विकेन्द्रीकरण किया जाकर विभिन्न जिलों में स्थापित किया जावे जिससे जनता को सहूलियत हो, कामकाज में सुधार हो तथा सरकारी धन की भी बचत हो? यदि हां, तो कब तक सरकार उक्त कार्यालय को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। सीकर एवं झुंझुनूं जिले के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का मुख्यालय जयपुर में स्थित हैं। जिला चूरू के अधीक्षण

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

अभियन्ता कार्यालय का मुख्यालय चूरू जिले में स्थित है।

(2) जी, नहीं। अधीक्षण अभियन्ता का मुख्यालय झुंझुनूं में स्थापित करने के संबंध में वर्तमान में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(3) कार्यालय के विकेन्द्रीकरण से आम जनता को लाभ मिलता है। वर्तमान में अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय झुन्झुनूं में स्थानान्तरित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सड़कों के निर्माण/रख-रखाव पर व्यय राशि

956. **श्री सांवल लाल (भिनाय)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) अप्रेल, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक सड़कों की मरम्मत/नयी सड़कों के निर्माण तथा पुरानी सड़कों को चौड़ी करने हेतु सरकार ने कितनी राशि व्यय की है?

(2) उक्त राशि का उपयोग कहां-कहां कितना-कितना किया गया? क्या समस्त भुगतान कर दिया गया? क्या भुगतान से पूर्व गुणवत्ता की जांच की गई?

उत्तर

(1) अप्रेल, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव मय सड़कों के चौड़ा करने के कार्य पर राज्य में कुल 5968.22 लाख रुपये की राशि सामग्री मद में व्यय की गई। इसी प्रकार अप्रेल, 1999 से मार्च, 2000 तक नई सड़कों के निर्माण पर कुल 104.46 करोड़ रुपये की राशि योजना मद में व्यय की गई।

(2) नई सड़कों के निर्माण एवं सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव पर जिलेवार राशि का उपयोग का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-"अ" एवं "ब" में प्रस्तुत है। जिलेवार व्यय अनुसार कार्यों पर भुगतान कर दिया गया है। भुगतान से पूर्व कार्यों की गुणवत्ता एवं माप की जांच विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की जाती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सहायक अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

957. **श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1999-2000 में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितनी किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की गई? उनमें से किस पर कार्य चालू कर दिया गया है एवं शेष रही स्वीकृत सड़कों पर कब तक कार्य चालू कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामस्वरूप)

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों में से कितनी सड़कों पर ग्रेवल रोड बना दिया गया है एवं कितनों पर पत्थर गिट्टी एवं डामरीकरण हेतु कार्य चालू हालत में है?

(3) ऐसी स्वीकृत कौन-कौनसी सड़कें है जिनमें जनता द्वारा कार्य चालू करवाने में दिक्कतें आ रही है? उस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(4) क्या सरकार उक्त सड़कों पर जनता से आपसी बातचीत करके कार्य चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या टोडाभीम में प्रोजेक्ट सहायक अभियन्ता लगा हुआ है और कार्यालय भी है तथा स्टाफ भी लगा हुआ है एवं बिल्डिंग भी है? यदि हां, तो उक्त स्थान पर सरकार सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोलने में क्यों देरी कर रहीं है?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में केवल विशिष्ट योजना-अन्तर्गत 6 नई सड़कों (9.375 कि.मी.) के निर्माण हेतु जिला विकास अभिकरण, करौली द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई। जिनमें से दो सड़क कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं एवं एक सड़क कार्य अपूर्ण है। शेष तीन सड़क कार्यों की निविदायें आमंत्रण आदि की कार्यवाही प्रगति पर है। उक्त कार्यों की प्रगति का विवरण परिशिष्ट-"अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों में से एक ग्रेवल सड़क, एक सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण किया जा चुका है एवं एक सड़क पर आंशिक रूप से ग्रेवल सड़क का निर्माण कराया जा चुका है। उक्त तीन सड़कों के निर्माण पर मार्च, 2000 तक 7.91 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

(3) केवल एक सड़क मेहन्दीपुर बालाजी बाईपास सड़क निर्माण में 300 मीटर लम्बाई में भूमि विवाद के कारण कार्य पूर्ण होने में दिक्कत आ रही है।

(4) बालाजी बाईपास सड़क अपूर्ण सड़क पर मुंसिफ कोर्ट, हिण्डौन द्वारा भूमि अवाप्ति कर कार्य करने के आदेश जारी किये गये हैं। चूंकि यह कार्य जिला विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत है तथा इसमें भूमि अवाप्ति का कोई प्रावधान नहीं होने से कार्य अपूर्ण है।

(5) जी, हां। चूंकि वर्तमान में टोडाभीम में प्रोजेक्ट सहायक अभियन्ता कार्यालय स्थापित है। अतः टोडाभीम में अन्य सहायक अभियन्ता कार्यालय खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 (चूरू) के लिए जारी सामग्री

958. **श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 65 (चूरू) राजगढ़ पर 38 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक के सुदृढ़ीकरण व रख-रखाव हेतु इश्यू नोट नं. 115 दिनांक 26-2-2000 को गेटपास नं. 12 से 30 ड्रम कोलतार के दिये गये थे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 65 पर सड़क की मरम्मत के नाम से दिनांक 28-2-2000 को गेटपास नं. 14 से इश्यू नोट सं. 115 से 36 ड्रम कोलतार सप्लाई किये गये हैं? यदि हां, तो इनका उपयोग कहां-कहां कब-कब हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 पेचवर्क के नाम पर दिनांक 30-3-2000 को 40 ड्रम कोलतार सम्बन्धित ठेकेदार को दिये गये? यदि हां, तो क्या इन ड्रमों का उपयोग सड़क मरम्मत हेतु हुआ? यदि हां, तो कब-कब? क्या सरकार किसी अधिकारी को भेजकर तस्दीक रिपोर्ट मंगवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर माह जनवरी, 2000 व फरवरी 2000 में 140 ड्रम कोलतार के सप्लाई किये गये? यदि हां, तो इनका उपयोग कहां-कहां किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त मार्ग में मरम्मत हेतु दिये गये डामर का उपयोग वास्तव में हुआ? क्या सरकार इसकी जांच किसी अतिरिक्त अभियन्ता स्तर के अधिकारी से करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग में मरम्मत हेतु क्वारी, रविस, पत्थर गिट्टी बिछाना तय किया था? यदि हां, तो दिनांक 31 मार्च, 2000 तक कितनी गिट्टी बिछाई गई तथा कितना भुगतान कब-कब किस किसको किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां, जारी किये गये डामर का उपयोग राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या-65 चूरू-राजगढ़ के कि.मी. 38/0 से 70/0 के बीच पेच कार्य में किया गया। उक्त डामर का पेच कार्य में कि.मी. 65/0 से 70/0 तथा कि.मी. 38/0 से 65/0 में माह फरवरी तथा माह मार्च में उपयोग किया गया।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं, उक्त वर्णित सड़क पर कुल 130 ड्रम पेच रिपेयर हेतु जारी किये। इनमें से 60 ड्रम फतेहपुर-पाली एक्सटेन्सन पर स्थानान्तरित कर दिये गये। शेष 70

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

ड्रमों का उपयोग चूरू-राजगढ़ सड़क पेच रिपेयर पर किया गया।

(4) जी हां, उक्त सड़क पर किये गये पैच कार्य का निरीक्षण कर जांच अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जोन-II, जयपुर द्वारा दिनांक 3.4.2000 को की जा चुकी है।

(5) जी हां, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग में बर्म्स की एवं सड़क के किनारों की मरम्मत हेतु गिट्टी बिछाने का कार्य किया गया है। उक्त कार्य मैसर्स सुभाष चन्द्र शर्मा, पी. डब्ल्यू. डी. ठेकेदार, सिरसला (चूरू) तथा श्री हुकम सिंह, पी. डब्ल्यू. डी. ठेकेदार, भूवाड़ी, राजगढ़ द्वारा किये गये। जिन्हें क्रमशः माह फरवरी में राशि 0.54 लाख तथा माह मार्च, 2000 में राशि 0.53 लाख का भुगतान किया गया।

विधान सभा क्षेत्र देसूरी (पाली) में सहायक अभियन्ता कार्यालय

959. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र देसूरी के रानी कस्बे में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव-सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त कार्यालय कब तक खोल दिया जावेगा?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र देसूरी के कस्बे रानी में सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

कस्बा माल लम्बोरी (बारां) सड़क की मरम्मत

960. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि कस्बा माल लम्बोरी (बारां) में निर्मित सड़कों पर पानी भरने व गहरे गड्ढे पड़ने से ग्रामवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क को ठीक करने के लिये विभाग को जनप्रतिनिधियों व ग्रामवासियों द्वारा शिकायतें भी प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब-कब?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क को ठीक करने के लिये सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कब व कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(4) उक्त राशि स्वीकृति के बाद भी लम्बे समय तक कार्य नहीं होने के क्या कारण हैं? इसके लिए कौन दोषी है?

(5) क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। कस्बा माल लम्बोरी में जिला बारां के मध्य होकर गुजरने वाली सड़क राज्य उच्च मार्ग संख्या-19 पर ग्राम में पानी की निकासी की समस्या के कारण सड़क पर गड्डे पड़ते हैं। जिससे ग्रामवासियों व यातायात को समस्या का सामना करना पड़ता है।

(2) जी हां। इस विषय में एक शिकायत माननीय विधायक श्री रामगोपाल बैरवा द्वारा दिनांक 29.9.98 को अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सानिवि. कोटा को की गई थी।

(3) जी हां। ग्राम माल लम्बोरी में सड़क सुधार के लिये राशि रुपये 8.00 लाख की स्वीकृति योजना मद में मई, 1999 में जारी की गई।

(4) कार्य की निविदा सूचना दिनांक 19.5.99 को जारी की गई व निविदाएं दिनांक 7.7.99 को प्राप्त की जानी थी संवेदकों द्वारा निविदायें के बहिष्कार के कारण निविदाएं दिनांक 29.10.99 को प्राप्त की गई। प्राप्त न्यूनतम दर प्रचलित दरों से ऊंची होने के कारण दिनांक 6.11.99 को निविदाएं निरस्त की गई। पुनः निविदाएं क्रमांक 10224 दिनांक 10.11.99 द्वारा आमंत्रित की गई जो कि 20.12.99 को प्राप्त की जानी थी। परन्तु दिसम्बर माह में वित्तीय सीमितता के कारण उक्त निविदाएं प्राप्त नहीं की गई। अतः कार्य नहीं होने के लिये कोई दोषी नहीं है।

(5) उक्त सड़क की मरम्मत कराया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन बाईपास को पेवर करने की स्वीकृति

961. **श्री केसाराम चौधरी (खारची)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या योजना मद वर्ष 1999-2000 में बिलाड़ा-देसूरी सड़क 10 किलोमीटर, सिरीयारी से फुलाद तक (20 कि.मी. से 30 कि.मी.) के नवीनीकरण प्रिमिक्स सील कोट पेवर द्वारा निर्माण हेतु 8.5 लाख रु. आवंटित हुए थे? यदि हां, तो कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या योजना एवं गैर योजना मद में वर्ष 1999-2000 में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सोजत सिटी के अन्तर्गत खारची विधान सभा क्षेत्र के मारवाड़ जंक्शन के बाईपास का मैन बाजार में पेवर करने की स्वीकृति प्रदान की है? यदि हां, तो ये दोनों कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) बिलाड़ा देसूरी सड़क पर एस.एम. एण्ड आर. में 10 किमी. की 8.50 लाख की स्वीकृति जारी हुई थी। स्वीकृति में 30/0 से 32/0, , 34/0 से 43/0 एवं 53/0

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

से 54/0 कि.मी. वर्णित थे। सिरीयारी से फुलाद कि.मी. 20/0 से 32/0 में स्थित है। स्वीकृति में वर्णित कि.मी. सड़क की कुल लम्बाई से भिन्न होने पर इनमें कि.मी. 20/0 से 30/0 परिवर्तित करने के पश्चात् उपलब्ध संसाधनों तथा पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना संभव होगा।

(2) योजना मद वर्ष 1999-2000 में सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-सोजत सिटी के अन्तर्गत खारची विधान सभा के मारवाड़ जंक्शन बाईपास किमी. 0/0 से 5/0 पर नवीनीकरण प्रिमिक्स सीलकोट पेवर द्वारा एवं मारवाड़ जक्शन से डगोर की प्याऊ कि.मी. 0/0 से 1/0 पर नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण जो मैन बाजार है, के कार्यों पर क्रमशः रुपये 4.0 लाख व 3.0 लाख स्वीकृत हैं। इन कार्यों के कार्य आदेश संवेदकों को दिये जा चुके हैं। वित्तीय संसाधनो की सीमितता के कारण यह कार्य वर्ष 1999-2000 नहीं कराये जा सके। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर अब ये कार्य पूर्ण करवाया जाना निर्भर करता है।

विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ (चूरू) की पंचायत मुख्यालयों से तहसील मुख्यालय तक सड़कें

962. **श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़)** : सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ (चूरू) की कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों की सड़कें पंचायत समिति तहसील मुख्यालय से जुड़ी हुई नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ग्राम पंचायतों की सड़कों को पंचायत समिति मुख्यालय से जोड़ने की योजना है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार ने यह घोषणा की थी कि सभी ग्राम पंचायतों को तहसील/पंचायत समिति मुख्यालय तक सड़कों से जोड़ा जायेगा? यदि हां, तो उक्त सड़कें किन कारणों से नहीं जोड़ी गई है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कुल 45 पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें से 41 पंचायत मुख्यालय तहसील मुख्यालय (श्रीडूंगरगढ़) से जुड़े हुये हैं। शेष 4 पंचायत मुख्यालय अभी तक सड़क से नहीं जुड़े हैं। सड़क से नहीं जुड़े पंचायत मुख्यालयों की सूची संलग्न परिशिष्ट-"क" में सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। शेष सड़क से बिना जुड़े 4 पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(3) जी हां। राज्य सरकार की घोषित सड़क नीति अनुसार सभी पंचायत मुख्यालयों को नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

डामर सड़क से जोड़ना एवं उनको जिला मुख्यालय से जोड़ना प्रस्तावित है। लेकिन उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण अब तक सभी पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से नहीं जोड़ा जा सका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ (चूरू) से कालू बीदासर सड़क मरम्मत

963. **श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में श्रीडूंगरगढ़ से कालू एवं बीदासर की सड़क मरम्मत पर किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सड़क क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो उक्त सड़कों को कब तक ठीक करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों (95-96 से 99-2000) में श्रीडूंगरगढ़ से कालू एवं बीदासर की सड़क पर मरम्मत एवं रख-रखाव पर कुल 48.98 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। वर्षवार व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) बींदासर-श्रीडूंगरगढ़ कालू सड़क मुख्य जिला सड़क की श्रेणी में है जिसकी कुल लम्बाई 70 कि.मी. है। बींदासर से श्रीडूंगरगढ़ (कि.मी. 0/0 से 45/0) सड़क पर सामान्य पेचेज है। श्रीडूंगरगढ़ कालू सड़क (कि.मी. 45/0 से 70/0) सड़क पर ज्यादा पोट होल्स पड़ गये हैं।

वर्ष 1999-2000 में योजना मद में उक्त सड़क के 24 कि.मी. लम्बाई हेतु 51.50 लाख रु. की लागत से नवीनीकरण का कार्य निम्नप्रकार स्वीकृत किया जा चुका है।

1.	श्रीडूंगरगढ़ कालू सड़क कि.मी. 30/0 से 40/0	16.50 लाख
2.	बींदासर श्रीडूंगरगढ़ कालू सड़क कि.मी. 60/0 से 70/0	18.00 लाख
3.	बींदासर कालू सड़क कि.मी. 0/0 से 4/0	17.00 लाख
	कुल	51.50 लाख

उपरोक्त कार्यों के संवेदकों को कार्य आदेश दिये जा चुके हैं। इन कार्यों को पूर्ण करना उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त उक्त सड़क पर कि.मी. 0/0 से 22/0, कि.मी. 55/0 से 60/0, सड़क भाग में साधारण मरम्मत कार्य वर्ष 1999-2000 में पूर्ण करवाया जा चुका है। शेष सड़क लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

चौमूं बाईपास सड़क का निर्माण कार्य

964. **श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार नेशनल हाइवे पर स्थित बड़े कस्बों में भीड़-भाड़ रहने के कारण बाईपास निर्माण करवाती है? यदि हां, तो नेशनल हाइवे नम्बर-11 (जयपुर-बीकानेर) पर चौमूं बाईपास का निर्माण अब तक क्यों नहीं करवाया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बाईपास स्वीकृत हुए 10 वर्षों से भी अधिक का समय हो गया किन्तु उसकी क्रियान्विति अभी तक नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) अब उक्त बाईपास निर्माण का कार्य कब तक चालू करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार नेशनल हाइवे पर बड़े-बड़े कस्बों में भीड़-भाड़ होने के कारण वहां पर बाइपास पारस्परिक प्राथमिकताओं, यातायात के दबाव व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्माण करवाती है। नेशनल हाइवे नं. 11 (जयपुर-बीकानेर) पर चौमूं बाईपास के निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा चुकी है। चौमूं बाईपास का निर्माण एवं काश्तकारों का भूमि मुआवजा का भुगतान उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर निर्भर करेगा।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त बाईपास का निर्माण पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

पंचायत समिति बालोतरा के प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

965. **श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक पाठशाला भांडियावास, ग्राम ढाणी बागलोप, रोडवा खुर्द, जामियाना, जास्ती पंचायत समिति बालोतरा की सबसे पुरानी पाठशाला है? यदि हां, तो उक्त स्कूलों को सरकार ने कौनसे वर्ष में स्वीकृत किया था? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यही सही है कि वर्ष 1999 में उक्त स्कूलों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को पेश किये गये थे? यदि हां, तो उन प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? क्या सरकार इस वर्ष उक्त स्कूलों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। भांडियावास ग्राम ढाणी बागलोप, रोडवा खूर्द, जामियाना, जास्ती पंचायत समिति बालोतरा के माध्यमिक

(शिक्षा मंत्री)

विद्यालय नहीं अपितु प्राथमिक विद्यालय हैं। उक्त स्कूलों की स्वीकृति का वर्ष इस प्रकार है : —

नाम विद्यालय	स्वीकृति का वर्ष
1. भांडियावास	1957
2. ग्राम ढाणी बागलोप	1965
3. रोडवा खूर्द	1963
4. जामियाना	1956
5. जासनी	1960

(2) जी नहीं। केवल राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोडवाखुर्द को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव वर्ष 1999 में राज्य सरकार को भिजवाये गये थे किन्तु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं करने आदि के कारण क्रमोन्नति नहीं की गयी। इस वर्ष प्राप्त प्रस्तावों पर निर्धारित मानदण्डों एवं आवश्यकता का आंकलन कर क्रमोन्नति के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

उच्च माध्यमिक विद्यालय माहीडेम का हस्तान्तरण

966. **श्री भाणजी (दानपुर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय माहीडेम का भवन जीर्ण-शीर्ण हालत में है? यदि हां, तो उसकी मरम्मत कौन व कब करायेगा?

(2) माही डेम विभाग ने उसे अब तक शिक्षा को हस्तांतरित क्यों नहीं किया?

(3) क्या विद्यालय भवन अस्थाई रूप से बना हुआ है? यदि हां, तो उसको स्थाई भवन में कब तक निर्माण कराया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। विद्यालय भवन की मरम्मत माही परियोजना के द्वारा करवायी जानी है।

(2) विद्यालय का भवन हस्तान्तरण भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र व अन्य तकनीकी कारणों से नहीं हो पा रहा है।

(3) जी, हां। स्थाई भवन का निर्माण विभाग द्वारा तभी करवाया जाना संभव होगा जब उक्त भवन शिक्षा विभाग को सुपुर्द कर दिया जायेगा व शिक्षा विभाग को बजट में धनराशि आवंटित हो या जनता का सहयोग प्राप्त हो।

विधान सभा क्षेत्र लाडनूं के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक

967. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) कस्बा लाडनूं (नागौर) में विभाग द्वारा संचालित कौन-कौन से विद्यालय हैं? जिनमें कौन-कौन अध्यापक कब-कब से कार्यरत हैं? विद्यालय व अध्यापकों के नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अभी जो अध्यापक इस कस्बे में कार्यरत हैं उनका सेवा काल कितना-कितना

(श्री हरजीराम बुरड़क)

है? जिसमें से कितने-कितने अध्यापक कितने समय तक इस कस्बे में कार्यरत रहे हैं?

(3) क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति-निर्धारित की है कि सेवाकाल में जो शहरी क्षेत्र में है उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में भी रहना पड़ेगा? यदि हां, तो कितने समय तक? इस संबंध में जारी आदेशों की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त नीति की पालना हुई है? यदि हां, तो किस प्रकार से और नहीं, तो क्यों? अब इसकी पालना कब तक कराई जायेगी?

उत्तर

(1) लाडनूं कस्बे (नागौर) में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जौहरी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, भूतौड़िया, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, केशरदेवी तथा प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं-1, नं-2, नं-3, नं-5, नं-6, नं-7, एवं नं-8 राजकीय प्राथमिक बालिका विद्यालय संचालित है। विद्यालयवार अध्यापकों के विद्यालय में कार्यग्रहण तिथि सहित सूचना परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के सेवाकाल का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) उपरोक्तानुसार।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला हनुमानगढ़ में खराब परिणाम देने वाले विद्यालयों के अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही

968. डा. रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने ऐसा कोई निर्णय किया था कि जिन विद्यालयों का परिणाम खराब रहेगा उनके अध्यापकों को हटाया जाएगा? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये गये हैं? उक्त आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला हनुमानगढ़ में ऐसे कितने विद्यालय है जिनका परिणाम खराब रहा और सम्बन्धित अध्यापकों के विरुद्ध राज्यादेश अनुसार कार्यवाही की गई? उक्त जिले में सरकार के आदेशों की पालना किस सीमा तक हुई और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा न्यून परीक्षा परिणाम वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/अध्यापकों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) शिक्षा सत्र 1998-99 में जिला हनुमानगढ़ में न्यून परीक्षा परिणाम वाले 29 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 27 माध्यमिक विद्यालय हैं। सभी प्रधानाध्यापकों/अध्यापकों के विरुद्ध आदेशानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी चौक बाड़मेर में पदस्थापित अंग्रेजी विषय के अध्यापक

969. **श्री अमीन खान (शिव)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्तमान में ऐसे कितने अध्यापक हैं जो तृतीय वेतन श्रृंखला से पदोन्नत होकर आए है तथा अंग्रेजी विषय के पदों पर पद स्थापित है?

(2) क्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी चौक बाड़मेर में अंग्रेजी के स्वीकृत 8 विषय अध्यापकों में से 6 पदों पर पद स्थापित वरिष्ठ अध्यापक सामान्य पदोन्नति से द्वितीय वेतन श्रृंखला पाने वाले अध्यापक है? क्या यह नीति विरुद्ध नहीं है? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है?

उत्तर

(1) वर्तमान में तृतीय वेतन श्रृंखला से पदोन्नत होकर आए तथा अंग्रेजी विषय पद पर 119 वरिष्ठ अध्यापक पदस्थापित है सूची मण्डलवार निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	मण्डल का नाम	वरि. अध्यापको की संख्या
1.	जोधपुर	36
2.	कोटा	27
3.	अजमेर	12
4.	चूरू	09
5.	जयपुर	—
6.	उदयपुर	35
		119

(2) जी हां। अंग्रेजी विषयों के अध्यापकों की अनुपलब्धता के कारण तथा छात्र हित को ध्यान में रखते हुए 06 अध्यापकों को, जो अंग्रेजी विषय में योग्यताधारी थे, पढ़ाई की व्यवस्था हेतु विद्यालय में रखा गया। अतः किसी अधिकारी को दोषी ठहराया नहीं जा सकता है। भविष्य में सीधी भर्ती से नियुक्त वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के उपलब्ध होने पर उनके द्वारा अध्यापन की व्यवस्था की जावेगी।

माध्यमिक विद्यालय साली (जयपुर) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बकाया राशि

970. **श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मांगीलाल गरासिया)

(1) वर्ष 1993-94 से 1999-2000 तक राजकीय माध्यमिक विद्यालय साली (जयपुर) के प्रायरटी रजिस्टर के अनुसार किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी के यात्रा भत्ता विपत्र कब-कब किस-किस तिथि को किस-किस अनुक्रमांक पर दर्ज करके प्राप्त किये गये? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रति वर्ष यात्रा भत्ता में कितना-कितना बजट निदेशालय बीकानेर से प्राप्त किया गया, उसमें से किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी के विपत्र नियमानुसार प्रायरटी रजिस्टर के अनुसार विपत्रों को कोषालय भिजवाकर भुगतान बैंक से आहरण करके किया जा चुका है और किस-किस का भुगतान बैंक से नगद प्राप्त करने के पश्चात् आज तक नहीं किया गया है? किस-किस कर्मचारी के बिल विद्यालय में पड़े हैं और कोष कार्यालय को प्रस्तुत क्यों नहीं किये गये हैं?

(3) किस सामान्य वित्तीय लेखा नियम एवं यात्रा भत्ता नियम के अन्तर्गत बैंक से नगद प्राप्त राशि छात्रनिधि के खाते में जमा कराकर विद्यालय द्वारा सरकारी राशि पर ब्याज प्राप्त किया जा रहा है? किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी की कितनी-कितनी राशि बकाया है? उक्त पुराने बकाया यात्रा भत्ता राशि का भुगतान अब कब तक कर दिया जायेगा?

(4) क्या सरकार नियम विरुद्ध कार्यवाही करने वाले एवं प्रायरटी रजिस्टर के अनुसार यात्रा विपत्र कोषालय को प्रस्तुत नहीं करने वाले कर्मियों के विरुद्ध जिम्मेदारी आयत करके अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1993-94 से 1999-2000 तक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, साली (जयपुर) के प्रायरटी रजिस्टर के अनुसार अधिकारी/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिलों का वर्षवार सूची परिशिष्ट-"क" में संलग्न है।

(2) शिक्षा निदेशालय बीकानेर में प्रतिवर्ष निम्नानुसार यात्रा राशि का बजट स्वीकृत किया :—

वर्ष	बजट स्वीकृत राशि
1993-94	19,000/-
1994-95	7,100/-
1995-96	8,600/-
1996-97	बजट मिला नहीं
1997-98	19,600/-
1998-99	6,000/-
1999-2000	6,000/-

परिशिष्ट-"क" के अन्तर्गत अंकित कर्मचारियों/अधिकारियों को यात्रा बिलों का भुगतान प्रायरटी रजिस्टर के अनुसार

(शिक्षा मंत्री)

1. वैदिक कन्या (स्नातकोत्तर) महा विद्यालय राजापार्क आदर्श नगर 90%
2. वैदिक बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्श नगर, जयपुर 90%
3. वैदिक बालिका उच्च प्राथ. विद्यालय, आदर्श नगर, राजापार्क, जयपुर 90%

(2) ऐसी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी हां। अनुदानित संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि की काटे जाने वाली राशि मार्च 2000 तक जमा कराई जा चुकी है।

राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय स्कीम नं. 2 (अलवर) का जर्जर भवन

973. **श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा** (बयाना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, स्कीम नं.-2 अलवर का भवन जर्जर अवस्था में है? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त विद्यालय को इस भवन से अन्य भवन में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि नहीं तो, क्यों?

(2) क्या उक्त विद्यालय के संबंध में अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-प्रथम अलवर द्वारा कोई मौका मुआयना कर भवन की स्थिति की रिपोर्ट सरकार को दी गई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों और इसमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। उपयुक्त वैकल्पिक भवन उपलब्ध होने पर विद्यालय स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

(2) अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम अलवर द्वारा भवन की मौका रिपोर्ट शिक्षा विभाग को दिनांक 11.4.2000 को प्राप्त हुयी है। विभाग वैकल्पिक भवन व्यवस्था हेतु प्रयास कर रहा है तथा वर्तमान भवन मालिक को भवन की मरम्मत करवाने के निर्देश भी दिये गए हैं। इस प्रकरण में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है।

विद्युत टैरिफ में वृद्धि

974. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सत्तारूढ़ दल ने अपने विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में विद्युत की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बढ़ी दरों को कम करने का आश्वासन दिया था ?

(2) क्या विद्युत विभाग ने वर्ष 1999-2000 में विद्युत की दरों में बढ़ोतरी की है? यदि हां, तो पुरानी और नई दरों का तुलनात्मक विवरण घरेलू/अघरेलू/सार्वजनिक प्रकाश/कृषि क्षेत्र एवम् उद्योगों में टेरिफ की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने टेरिफ बढ़ाने में जितनी मुश्तैदी दिखाई उतनी ही विद्युत विवरण एवं संधारण में मुश्तैदी दिखाई? यदि नहीं, तो बढ़ी हुई टैरिफ लेना कहां तक न्यायोचित है?

(4) क्या विद्युत की आपूर्ति राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार 8 घण्टे प्रतिदिन नहीं होने से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है? क्या सरकार उसका पुनर्भरण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। विद्युत विभाग ने बिलिंग माह नवम्बर, 1999 से टैरिफ दरों में वृद्धि की है। नई एवं पुरानी दरों के श्रेणीवार तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-"अ" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है। यह बढ़ोतरी करीब ढ़ाई वर्षों के बाद की गई।

(3) विद्युत वितरण विद्युत उपलब्धता पर निर्भर है तथा संधारण का कार्य समय-समय पर आवश्यकता अनुसार किया जाता है। जबकि टैरिफ में बढ़ोतरी विद्युत उत्पादन लागत व क्रय की लागत से संबंधित है। अतः विद्युत उत्पादन व क्रय की लागत बढ़ने के कारण टैरिफ में बढ़ोतरी न्यायोचित है।

(4) किसानों को वर्ष 1999-2000 में औसतन प्रतिदिन 6 से 8 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई। राज्य में जब भी बिजली की कमी हुई है तो अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति में कटौती कर किसानों को उपलब्धि के अनुसार ज्यादा से ज्यादा विद्युत आपूर्ति किये जाने के प्रयास किये गये हैं। अतः बिजली के कारण फसल का नुकसान होने की बात सही नहीं, इसलिए पुनर्भरण का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

पंचायत समिति बामनवास के विद्युतीकृत घोषित ग्रामों में विद्युत सम्बन्ध

975. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति बामनवास के ग्राम बाद झौपड़ी, गढ़ी का बैरवा, आबाद की ढाणी एवं पंचायत समिति बौली के ग्राम पीलुखेड़ा खुर्द, चकसोयवास, समरतपुरा, धोराला, गौठड़ा एवं थली को विद्युतीकृत घोषित कर रखा है और उनमें विद्युत लाइन नहीं है? यदि हां, तो क्या

(डा. किरोड़ी लाल)

उक्त गांवों को बोर्ड अपने खर्चे पर विद्युतीकृत कर देगा?

उत्तर

पंचायत समिति, बामनवास के ग्राम बड़ी झोपड़ी, गढ़ी का बैरवा का आबादी की ढाणी वर्ष 1991 की जनगणनानुसार पूर्व में विद्युतीकृत घोषित राजस्व ग्रामों में से अलग होकर नये राजस्व ग्राम बने हैं जिन्हें नियमानुसार स्वतः ही विद्युतीकृत ग्राम माना गया है। इन तीनो ग्रामों में वर्तमान में किसी भी श्रेणी का आवेदन पत्र नये कनेक्शन हेतु लम्बित नहीं है।

पंचायत समिति, बौंली का ग्राम पीलूखेड़ा खुर्द विद्युतीकृत घोषित ग्राम है जिसके कृषि उपभोक्ताओं को ग्राम पीलूखेड़ा कलां की लाइन से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। ग्राम चक सोमवास को दिनांक 31.03.1993 को विद्युतीकृत घोषित किया गया था। उक्त ग्राम गैर आबाद है व वर्तमान में इन गांवों में कोई भी आवेदन पत्र कनेक्शन हेतु लम्बित नहीं हैं। ग्राम समरथपुरा में 5 घरेलू श्रेणी के आवेदकों ने मांग पत्र की राशि जमा करा रखी है। "एल" फार्म प्राप्त होने पर लाइन खींची जाकर उक्त कनेक्शन जारी कर दिये जावेंगे। ग्राम गोठड़ा में कृषि कनेक्शन चालू हैं। ग्राम धोराला व थड़ी में कृषि/औद्योगिक कनेक्शन चालू हैं तथा घरेलू आवेदकों को भी कनेक्शन देने की कार्यवाही प्रगति पर है। जो गांव विद्युतीकृत घोषित हैं, उनमें कनेक्शन की मांग होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार विद्युत तंत्र का विस्तार कर कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा सकेगी।

विद्युत विभाग द्वारा राज्य के काश्तकारों एवं राजनैतिक लोगों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

976. **श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1998-99 में विद्युत की कमी के कारण राज्य के कई जिलों में काश्तकारों/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पूरी विद्युत दी जाने हेतु आन्दोलन/सत्याग्रह किये थे?

(2) क्या यह भी सही है कि तत्कालीन सरकार द्वारा ऐसे काश्तकारों, सामाजिक व राजनैतिक लोगों पर विद्युत् विभाग की ओर से मुकदमे दर्ज कराये गए थे? यदि हां, तो कहां-कहां?

उत्तर

(1) जी नहीं। आन्दोलन आदि नहीं हुए है—यदा क़दा स्थानीय समस्याओं के बारे में विरोध प्रकट किया गया है।

(2) बिजली की कमी के कारण हुए आन्दोलन/सत्याग्रह के मामले में विद्युत विभाग द्वारा एक एफ. आई. आर. भादसौड़ा पंचायत

(ऊर्जा मंत्री)

समिति भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज कराई गई थी।

जिला राजसमन्द के विद्युतीकृत ग्रामों में ट्रांसफार्मरों की स्थापना

977. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला राजसमन्द की तहसील भीम व देवगढ़ के किन-किन राजस्व ग्रामों को कब-कब विद्युतीकृत घोषित किया गया था? उक्त ग्रामों में से किन-किन ग्रामों में ट्रांसफार्मर लगा कर विद्युत कनेक्शन जारी कर दिये गये है?

(2) उक्त तहसीलों के कौन-कौन से राजस्व ग्रामों (नये/पुराने) में विद्युतीकृत घोषित होने पर भी ट्रांसफार्मर नहीं लगाये गये हैं?

(3) अब उक्त ग्रामों में ट्रांसफार्मर लगाकर कब तक घरेलू विद्युत् कनेक्शन दे दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जिला राजसमन्द की तहसील भीम व देवगढ़ के जिन राजस्व गांवों को गत वर्षों में विद्युतीकृत घोषित किया गया है तथा जिनमें ट्रांसफार्मर स्थापित कर कनेक्शन दिये गये हैं, उनका विद्युतीकरण दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट-"अ" में दर्शाया गया है।

(2) उक्त तहसीलों के विद्युतीकृत घोषित ग्राम, जिनमें ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है, का विवरण भी संबंधित ग्रामों के आगे उपरोक्त परिशिष्ट-"अ" में दर्शा दिया गया है।

(3) विद्युतीकृत घोषित ऐसे राजस्व ग्राम जिनमें विद्युत तंत्र अपूर्ण हैं, उनमें भी कनेक्शनों की मांग आने पर वित्तीय संसाधनों के अनुसार विद्युत तंत्र का विस्तार कर कनेक्शन देने की कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र चूरू के ग्राम इन्द्रपुरा में ट्रान्सफार्मर की स्थापना

978. **श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र चूरू के धांधू व धीरासी में 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण किये जाने की स्वीकृति कब हुई और निर्माण कार्य कब पूर्ण होने की योजना थी तथा वर्तमान में क्या स्थिति है व उक्त कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई है?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांव इन्द्रपुरा व दुधवाखारा में ट्रांसफार्मर स्थापित करने का कब निर्णय हुआ? अब ट्रान्सफार्मर कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे?

(3) क्या यह सही है कि इन्द्रपुरा गांव में ट्रांसफार्मर स्थापित करने का काम अचानक बंद कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चूरू के धांधू व धीरासी में 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चूरू के गांव इन्द्रपुरा व दुधवाखारा में 33 के.वी. सब-स्टेशन निर्माण की स्वीकृति क्रमशः दिनांक 13.07.1998 व 06.07.1999 को दी गई थी। उपरोक्त सब-स्टेशनों का निर्माण वर्ष 2000-2001 में किये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) जी नहीं। इन्द्रपुरा गांव में 3 के. वी. सब-स्टेशन का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। ठेका देने की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यादेश दे दिया गया है। सामान की उपलब्धतानुसार कार्य शुरू किया जा सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा के ग्रामों का विद्युतीकरण

979. **श्री जीतमल खांट (बागीदोरा)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में अब तक कुल कितने ग्राम विद्युतीकृत और कितने अविद्युतीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन गांवों को विद्युतीकृत किया गया है मौके पर उन गांवों में लाइने खींच दी गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विद्युतीकृत गांवों का अपूर्ण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांगीदोरा में कुल 254 गांव विद्युतीकृत घोषित किये जा चुके हैं। शेष 38 अविद्युतीकृत गांवों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सामान्यतया मंडल द्वारा जारी नीति के अनुसार ग्राम विद्युतीकृत घोषित किये जाते हैं लेकिन मांग आने पर उनमें विद्युत तंत्र का विस्तार कर कनेक्शन दिये जाते हैं। बागीदोरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम (1) डूंगिया की सैर (2) लागन (3) अमरपुरा (4) खूंटा मछार (5) अर्जुनपुर (6) साण्डीबोरा (7) टाण्डीजानी (8) गमीरपुरा हमीरा में विद्युत कनेक्शनों की मांग न होने के कारण विद्युत तंत्र का विस्तार नहीं किया गया है।

(3) बिन्दु संख्या-2 में वर्णित गांवों में मांग होने पर ही नियमानुसार विद्युत तंत्र का विस्तार कर कनेक्शन दिया जाना संभव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

खातौली (कोटा) में ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना

980. **श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षों में कोटा जिले के कम्बा खातौली में 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो कब कितनी राशि से व कार्य शुरू होने की अवधि क्या थी? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या स्वीकृत ग्रिड सब स्टेशन को निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व निरस्त करने के क्या कारण हैं? निरस्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ग्रिड सब स्टेशन को पुनः स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। गत वर्षों में कोटा जिले के कस्बा, खातौली में 33 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत नहीं किया गया।

(2) उक्त ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत ही नहीं किया गया।

(3) उक्त ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र कपासन के ग्रामों का विद्युतीकरण

981. **श्री मोहन लाल चित्तौड़िया** (कपासन): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में ऐसे कितने गांव हैं, जिन्हें 10-12 वर्ष पहले विद्युतीकृत घोषित किया गया था और अब तक लाइनें ही नहीं खींची गई हैं?

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गोवर्धनपुरा, कंजर कालोनी मेवदा खां जी का खेडा (भीलों की झुपड़िया) (चाकूड़ा नई आबादी) रणवों का खेड़ा तथा बालदीयों का खेड़ा (गोरा जी निम्बाहेड़ा) को विद्युतीकृत घोषित किये कितने वर्ष हो चुके हैं?

(3) क्या सरकार के समक्ष उक्त गांवों में लाइन खींच कर विधिवत विद्युतीकृत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो अब उक्त गांवों में विद्युत सप्लाई कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

(4) क्या उक्त गांवों में लाइनों के कार्य का खर्चा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा वहन किया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन के अन्तर्गत पंचायत समिति, कपासन में विद्युतीकृत घोषित गांवों में से तीन गांव गोवर्धनपुरा, खां जी का खेड़ा व रणावों का खेड़ा में विद्युत लाइन नहीं है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्णित गांवों का विद्युतीकरण विवरण निम्नानुसार है : —

(ऊर्जा मंत्री)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड संख्या	विद्युतीकरण का दिनांक
1.	गोवधर्नपुरा	22/5/181	30.04.1989
2.	मेवदा कालोनी	24	31.03.1976 (नवसृजित गांव)
3.	खानजी का खेड़ा	129	31.12.1986
4.	चाकूड़ा	176	नवम्बर, 1987
5.	बालदीयों का खेड़ा	92	28.11.1978 (नवसृजित गांव)
6.	रणवों का खेड़ा	—	30.03.1987

(3) ऐसे विद्युतीकृत ग्राम जहां लाइन कार्य किसी कारणवश अधूरा है तथा वर्तमान में लाइन का खर्चा 50,000 रु. तक आता है। (जिससे ट्रांसफार्मर की लागत शामिल नहीं है) में कनेक्शनों की मांग होने पर लाइन का कार्य मंडल द्वारा कराये जाने का प्रावधान है।

(4) जी नहीं। गांवों में लाइन खींचने का व्यय मंडल द्वारा ही वहन किया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम व अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा मात्र ऋण सुलभ कराया जाता है जिसका भुगतान (मय ब्याज) मंडल द्वारा किया जाता है। इस प्रकार उक्त गांवों सहित अन्य सभी कार्यों में लाइन इत्यादि का खर्चा मंडल द्वारा स्वयं ही वहन किया जाता है।

जिला पाली में समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांगों के लिये संचालित योजनाएं

982. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला पाली में वर्ष 1998 व 1999 में किन-किन विकलांगों को किन-किन योजना में लाभान्वित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में किन-किन विकलांगों ने गत दो वर्षों में किस-किस कार्य हेतु विभाग को आवेदन दिये, इनमें से कितने आवेदकों को क्या-क्या सहायता उपलब्ध कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में से कितने आवेदन विचाराधीन हैं और इनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा?

(5) उक्त में से कितने आवेदनों को किन-किन कारणों से निरस्त किया गया?

उत्तर

(1) विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु निम्नांकित योजनाएं संचालित की जा रही है : —

1. आर्थिक सहायता के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु अनुदान योजना।

2. कृत्रिम अंग/उपकरण सहायता अन्तर्गत शारीरिक कमी पूर्ण करने हेतु उपकरण क्रय अनुदान योजना।

(2) कार्यालय समाज कल्याण विभाग, पाली द्वारा दिनांक 1.4.98 से 31.3.99 तक आर्थिक सहायता अन्तर्गत 68 एवं कृत्रिम अंग/उपकरण सहायता अन्तर्गत 14 तथा दिनांक 1.4.99 से 31.3.2000 तक आर्थिक सहायता अन्तर्गत 42 तथा कृत्रिम अंग/उपकरण सहायता अन्तर्गत 17 विकलांगों को लाभान्वित किया गया। सूची परिशिष्ठ (1) पर संलग्न हैं।

(3) वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में आर्थिक सहायता हेतु 210 तथा कृत्रिम अंग/उपकरण सहायता हेतु 41 विकलांगों ने आवेदन प्रस्तुत किये थे, जिनमें से 110 विकलांगों को आर्थिक सहातया एवं 31 विकलांगों को कृत्रिम अंग/उपकरण सहायता उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया। सूची परिशिष्ट-"2" पर संलग्न है।

(4) उक्त प्राप्त 251 आवेदनों में से 48 आवेदन, जो आर्थिक सहायता के हैं, विचाराधीन हैं। इनका निस्तारण वित्तीय वर्ष 2000-2001 के बजट में से कर दिया जावेगा।

(5) उक्त में से 62 आवेदन पत्रों को निम्न कारणों से निरस्त किया गया है : —

16 आवेदनों को चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र एवं सहायता की सिफारिश के अभाव में।

24 आवेदनों को आय प्रमाण पत्र के अभाव में।

2 आवेदनों को अभ्यर्थी द्वारा 3 वर्ष से कम अवधि में पेश करने के कारण

20 आवेदनों को अपूर्ण होने के कारण।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बांसवाड़ा के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को आवश्यक सुविधाएं

983. **श्री जीतमल खांट** (बागीदोरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला बांसवाड़ा के छात्रावासों में वर्ष 1998-99 में कुल कितने नये तख्ते, बिस्तर, एवं गद्दे दिये गये हैं? उक्त सामग्री सरकार ने उक्त जिले में कब-कब भिजवाई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने गत बजट में प्रति छात्र 650 रुपये प्रतिमाह राशि कर दी थी? क्या इससे छात्रों के रहन सहन व्यवस्था आदि में कोई गुणात्मक सुधार आया है?

(श्री जीतमल खांट)

(3) क्या सरकार छात्रावासों में रहने वाले छात्रों पर राशि सही ख़र्च हो, उनके रहन-सहन में गुणात्मक सुधार हो इस हेतु कोई अन्य उपाय कर रही है? क्या सरकार उक्त छात्रावासों की देख-रेख हेतु कमेटी गठित करने जा रही है?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राओं को वर्ष 98-99 में निम्नानुसार सामान की आपूर्ति की गई : —

क्र.सं.	नाम सामान	आपूर्ति का दिनांक	तादाद
1	2	3	4
1.	तख्ते	—	—
2.	गद्दे	5.3.99	535
		13.3.99	225
		योग	760
3.	बिस्तर		
	1. दरी	18.3.99	300
		13.3.99	125
		योग	425
	2. चादर	22.12.98	810
		13.3.99	1050
		योग	1860
	3. तकिया कवर	22.12.98	675
		13.3.99	1100
		योग	1775
	4. तकिया मय रूई	5.3.99	425
		13.3.99	225
		योग	650

(समाज कल्याण मंत्री)

1	2	3	4
5.	कम्बल	18.3.99	505
		13.3.99	385
		योग	890
6.	खेस	20.3.99	590
		13.3.99	345
		योग	935

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा 675/- रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र शिक्षा सत्र में 9 1/2 माह के लिये राशि स्वीकृत की गई है। इससे छात्रावासों के छात्रों के रहन-सहन व व्यवस्था आदि में सुधार आया है।

(3) छात्रावास के छात्रों की मैस भत्ते की राशि सही खर्च हो इस हेतु मद वार व्यय करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं जिसके अनुसार 675/- रुपये का निम्नानुसार विभाजन किया गया है : —

क्र.सं.	मद	प्रतिमाह प्रतिछात्र	प्रतिसत्र (9 1/2 माह) प्रति छात्र (रुपये में)
1.	भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन ईंधन	525/-	4987.50
2.	स्कूल यूनीफार्म मय सिलाई जूते, मौजे, तौलिया एवं गर्म जर्सी आदि	80/-	760.00
3.	सिर पर लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन, बाल कटाई आदि	24/-	228.00
4.	चद्दरे, तकिया खोली एवं खेस आदि की धुलाई	12/-	114.00
5.	बिजली पानी	28/-	266.00
6.	समाचार पत्र पत्रिकायें आदि	06/-	57.00
	योग	675/-	6412.50

छात्रावासों में पंचायती राज की सहभागिता बढ़ाने एवं छात्रावासों के समय-समय पर निरीक्षण करने व व्यवस्था में सुधार हेतु कमेटी का गठन किया है।

राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग का गठन

984. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि निदेशालय समाज कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 11 (136) आर एण्ड पी/सकवि/ 73461 दिनांक 31-10-99 के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि राजस्थान अनुसूचित जाति/जन जाति विकास आयोग का गठन किया गया है? क्या उक्त आयोग का कार्यकाल एक वर्ष रखा गया था, जो समाप्त हो चुका है? यदि हां, तो आयोग का कार्यकाल किस तिथि से किस तिथि तक रखा गया था और क्या इसका प्रकाशन राजपत्र में किया गया? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा अ. शा. टीप संख्या मुमं/अअ/2/99 जयपुर एफ 270 दिनांक 13-12-99 के द्वारा शासन सचिव समाज कल्याण विभाग से तथ्यात्मक सूचना शीघ्र भेजने के निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो पत्र के साथ संलग्न ज्ञापन में उल्लिखित बिन्दुओं का क्रमवार उत्तर सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संदर्भित पत्र द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि राजस्थान अनु. जाति तथा जन जाति विकास आयोग के गठन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.3.98 एवं 9.7.98 को अधिसूचना जारी की गई। जिसके अनुसार यह एक सदस्यीय अस्थाई आयोग है तथा जिसका कार्यकाल एक वर्ष का है। उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग। (ख) दिनांक 13 अप्रेल, 1998 एवं 20 जुलाई, 1998 को प्रकाशित की गई, जिसकी प्रति परिशिष्ट-"अ" एवं "ब" पर उपलब्ध है। अधिसूचना अनुसार आयोग हेतु निर्धारित एक वर्ष के कार्यकाल अवधि में सदस्य का मनोनयन नहीं हो पाने से उक्त आयोग कार्यशील नहीं हो पाया।

(2) संदर्भित पत्र द्वारा अपेक्षित तथ्यात्मक टिप्पणी निम्न प्रकार से प्रस्तुत है : आयोग में सदस्य का मनोनयन नहीं हो पाया, फलस्वरूप कार्यालय स्थापित नहीं किया जा सका एवं कोई कार्य सम्पादित नहीं हुआ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

जिला कोटा एवं बारां में राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं के निर्माण हेतु आवंटित राशि

985. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला बारां व कोटा में स्वर्ण जयन्ती राजीव गांधी पाठशाला के स्थान व अध्यापक (शिक्षा कर्मी) चयन में कहां-कहां से क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायतों की प्रति

(श्री मदन दिलावर)

मय की गई कार्यवाही के साथ सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वर्ण जयंती राजीव गांधी पाठशालाओं को जिला कोटा व बारां में कहां-कहां खोला गया तथा निर्माण हेतु कहां-कहां कितना-कितना धन दिया गया? उक्त में से कितनी पाठशालाएं पूर्ण हो गई तथा शेष की क्या स्थिति है और वह कब तक पूर्ण हो जावेगी?

(3) राजीव गांधी पाठशालाओं के निर्माण हेतु आवंटित राशि किस मद से प्राप्त हुई थी? क्या ग्राम पंचायतों के निर्णय के बीच ही राशि आवंटित कर दी गई? यदि हां, तो क्यों? क्या यह ग्राम पंचायतों के अधिकारों का हनन नहीं है? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया?

उत्तर

(1) राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं के स्थान चयन एवं शिक्षा सहयोगी चयन में प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्न प्रकार है : —

जिला बारां में 15

जिला कोटा में 27

प्राप्त शिकायतों की प्रति एवं शिकायतों पर पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 के तहत की गई कार्यवाही विवरण की प्रतियां सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जिला कोटा में 148 एवं जिला बारां में 125 राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाऐं खोली गई। सूची संलग्न है। पाठशाला भवन की निर्माण हेतु लागत 2.14 लाख रुपये है।

जिला कोटा में 82 एवं जिला बारां में 101 पाठशाला भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा क्रमशः 43 तथा 22 पाठशालाऐं निर्माणाधीन है। अपूर्ण भवन शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

(3) पाठशालाओं के निर्माण के लिए दसवें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग मद से राशि आवंटित की गई। ग्राम सभा आयोजित कर पाठशालाऐं खोलने तथा भवन निर्माण कराने का प्रस्ताव लिया गया। प्रस्ताव में लिए गए निर्णय की पालना की गई है। अतः ग्राम पचांयत के अधिकारों का हनन नहीं हुआ है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

समानीकरण योजना के तहत अन्तर्जिला स्थानान्तरण

986. **श्री ललित भाटी** (अजमेर-पूर्व) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानान्तरण समानीकरण प्रक्रिया के तहत किये जा रहे

(श्री ललित भाटी)

हैं? आदेश/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) समानीकरण प्रक्रिया में किन पात्रताओं को छूट का प्रावधान/लाभ दिया गया? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या समानीकरण की आड में विभिन्न अधिकारियों द्वारा अन्तर जिला स्थानान्तरण भी किये गये हैं? यदि हां, तो जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) समानीकरण प्रक्रिया कब तक सम्पन्न करने की समयावधि तय की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) समानीकरण के तहत अब तक कितने अध्यापकों, वरिष्ठ अध्यापकों एवं व्याख्याताओं को हटाया गया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में संचालित उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार छात्रों की संख्या के अनुपात में अध्यापकों के पदस्थापन हेतु एवं इस प्रकार समानीकरण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों के रिक्त पदों की यथासंभव पूर्ति हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र दिनांक 4.10.99 तथा पत्र दिनांक 4.11.99 व निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा के पत्र दिनांक 11.11.99 तथा पत्र दिनांक 12.11.99 द्वारा उपनिदेशकगण, शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये थे। इस समानीकरण/समायोजन के फलस्वरूप होने वाले स्थानान्तरणों के संबंध में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 9.12.99 द्वारा शिथिलन प्रदान किया गया था। संबंधित आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) समानीकरण प्रक्रिया से उन अध्यापकों को छूट प्रदान की गई थी जिनकी सेवानिवृति में दो वर्ष की अवधि शेष हो अथवा जो कैन्सर तथा अन्य असाध्य रोग से पीड़ित हो। इसके अलावा एन.सी.सी. प्रशिक्षित अध्यापकों को एन.सी.सी. गतिविधि वाले विद्यालयों में ही स्थानान्तरित करने का प्रावधान किया गया था। संबंधित आदेश की प्रति परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(3) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत समानीकरण की आड में अन्तर जिला स्थानान्तरण नहीं किये गये है वरन् समानीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत अधिशेष अध्यापकों का समायोजन उक्त जिले में अध्यापकों के पद भर जाने के बाद अन्य जिलों में अवश्य किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत तीन अध्यापिकाओं का अन्तर जिला स्थानान्तरण रिक्त पदों पर किया गया है, जिसकी सूची परिशिष्ट-"ग" पर संलग्न है।

(4) समानीकरण की प्रक्रिया दिसम्बर, 1999 से मार्च, 2000 के बीच सम्पन्न की गई।

(पंचायती राज मंत्री)

(5) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत 302 व्याख्याताओं, 1270 वरिष्ठ अध्यापकों तथा 2740 अध्यापकों को समानीकरण के अन्तर्गत अन्यत्र समायोजित किया गया तथा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत 475 वरिष्ठ अध्यापकों तथा 11370 अध्यापकों को अन्यत्र समायोजित किया गया।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला अजमेर में समानीकरण प्रक्रिया में नियम विरुद्ध समायोजन

987. **श्री ललित भाटी** (अजमेर-पूर्व) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समानीकरण प्रक्रिया के तहत जिला अजमेर में उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को हटाया गया? यदि हां, तो क्या ऐसे स्थानान्तरण में किसी प्रकार की शिकायतें जिला शिक्षा अधिकारियों को मिली? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला कलेक्टर अजमेर को समानीकरण प्रक्रिया में नीति विरुद्ध समायोजन की शिकायतें मिली हैं? यदि हां, तो क्या जिला कलेक्टर द्वारा कोई जांच अधिकारी नियुक्त किया गया? यदि हां, तो किस स्तर के किस अधिकारी को?

(3) क्या उक्त जांच पूर्ण कर ली गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) जांच अधिकारी ने क्या किसी शिक्षा अधिकारी के लिप्त पाए जाने की रिपोर्ट की है? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) जांच अधिकारी द्वारा कितने समायोजन नीति/नियम विरुद्ध पाए? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। समानीकरण प्रक्रिया के तहत अजमेर जिले में अधिशेष हुए अध्यापकों का समायोजन किया गया है। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुई। परन्तु परिवेदनाएं अवश्य प्राप्त हुई थी, जिनका निस्तारण कर दिया गया है।

(2) जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) अजमेर द्वारा कथित रूप से अनियमित एवं नीति विरुद्ध किये गये स्थानान्तरणों की शिकायत जिला कलेक्टर अजमेर को प्राप्त हुई थी। जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा श्री बी.डी. मिश्रा, अतिरिक्त कलक्टर (भूमि रूपान्तरण) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ठ-"क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी हां। जांच अधिकारी ने जाचं रिपोर्ट में जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि. प्रथम) द्वारा की गई अनियमतताओं का उल्लेख किया है और विभागीय परीक्षण के उपरान्त संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशा-सनिक कार्रवाई की सिफारिश की है। जांच रिपोर्ट का विभागीय परीक्षण प्रक्रियाधीन है, जिसके उपरान्त दोषी पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

(5) जाचं अधिकारी की जांच रिपोर्ट में नियम विरुद्ध प्रकरणों का उल्लेख है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद

988. **डा. रघुवीर सिंह गौड़** (कोटपूतली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय कहां-कहां कब खोले गए हैं?

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं और रिक्त पद कब तक भर दिए जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त क्षेत्र के कितने विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल नहीं है? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में 52 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। विद्यालयों के नाम एवं क्रमोन्नति की तिथि का विवरण संलग्न है। परिशिष्ट-'क'

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के 49 पद रिक्त हैं। नियुक्तियों पर से प्रतिबंध हटने तथा विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया से अध्यापक उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

(3) उक्त क्षेत्र के 24 विद्यालयों में बाउंड्रीवाल नहीं है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों पर गुणावगुण एवं आवश्यकता के आधार पर समग्र विचार कर निर्माण कार्य करवाया, जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

पंचायत विभाग द्वारा संविदा पर कार्यरत/अभ्यर्थियों को उच्चतम आयु सीमा में छूट

989. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —,

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के पंचायत राज विभाग के पत्र क्रमांक एफ/39(14) पं. रावि/शिक्षा/नियुक्ति/49/4148 दिनांक 25-11-99 के अनुसार पूर्व में संविदा पर कार्यरत या व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण आशार्थियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नियुक्ति देने का निर्देश अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने समस्त जिला परिषद् को दिया था?

(2) उक्त आदेश के अन्तर्गत राज्य की किस-किस जिला परिषद् द्वारा कितने-कितने अध्यापकों को नियुक्ति दी गई?

(3) क्या संविदा के अस्थाई अध्यापकों को पुनः नियुक्ति में आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया गया है? क्या उक्त संबंध में अब तक पंचायती राज विभाग को आयु सीमा में छूट देने संबंधी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त परिपत्र समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पालनार्थ जारी किया गया था।

(2) उक्त आदेश के अन्तर्गत कुल 823 संविदा/व्यावसायिक अभ्यार्थियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी गई। जिला परिषदवार सूची परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(3) जी हां। 'आयु सीमा में छूट हेतु पुनः परिपत्र संख्या-357 दिनांक 3.4.2000 द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

पंचायत समिति पीपलखूंट (घाटोल) के अध्यापकों की बीमा प्रीमियम राशि की कटौती

990. **श्री नानालाल नीनामा** (घाटोल) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति पीपलखूंट (घाटोल) के अन्तर्गत शिक्षा कर्मी योजना के कितने स्कूल हैं एवं उनमें कितने अध्यापक हैं?

(2) वर्ष 1997-98 में शिक्षाकर्मी अध्यापकों के मानदेय में से कितने अध्यापकों की बीमा प्रीमियम राशि काटी जा रही थी और बिना शिक्षाकर्मी अध्यापकों के एतराज किये ही एक साथ सभी के बीमा प्रीमियम की कटौती क्यों बंद कर दी गई?

(3) उक्त अध्यापकों के मानदेय से कितनी अवधि तक बीमा प्रीमियम की राशि काटी गई?

(श्री नानालाल नीनामा)

(4) क्या उक्त पालीसियां तीन वर्ष तक चालू रही है? यदि नहीं, तो इन अध्यापकों को होने वाले आर्थिक नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के विचार रखती है?

उत्तर

(1) पंचायत समिति पीपलखूंट एवं घाटोल के अन्तर्गत शिक्षाकर्मी विद्यालय एवं उनमें कार्यरत शिक्षाकर्मी इस प्रकार है :—

पंचायत समिति	पीपलखूंट	घाटोल
विद्यालयों की संख्या	35	29
कार्यरत शिक्षाकर्मी	84	113

(2) शिक्षाकर्मियों के मानदेय में से बीमा प्रीमियम राशि की कटौती का कोई प्रावधान नहीं है। व्यक्तिगत रूप से लिखकर देने पर ही बीमा राशि की कटौती की जाती है। वर्ष 1997-98 में पंचायत समिति पीपलखूंट में 83 शिक्षाकर्मियों की बीमा कटौती की गई थी बाद में जिसे बंद कर दिया गया। पंचायत समिति घाटोल में किसी शिक्षाकर्मी की बीमा प्रीमियम की राशि 97-98 में नहीं काटी गई।

(3) उक्त अध्यापकों के मानदेय से औसतन लगभग एक वर्ष की अवधि तक बीमा राशि की कटौती की गई।

(4) जी नहीं। इस प्रकरण में तत्कालीन विकास अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

ग्राम पंचायत डाल (सलूम्बर) द्वारा भू-खण्डों का आवंटन

991. **श्री रूपलाल मीणा** (सलूम्बर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचातय समिति सलूम्बर की पंचायत डाल में कितनी चरागाह/कृषि भूमि गत पांच वर्षों में आबादी में परिवर्तित कर पंचायत द्वारा रिहायशी भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं?

(2) गत पांच वर्षों में ग्राम पंचायत डाल द्वारा किन-किन व्यक्तियों को कितनी भूमि के रिहायशी भू-खण्ड आवंटित किये गये है? सूची सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या बिना नीलामी के नियमों के विपरीत भी किन्हीं व्यक्तियों को बड़े भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरणों में जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, सलूम्बर की ग्राम पंचायत, डाल द्वारा गत पांच वर्षों में राजस्व ग्राम करगेटा की चारागाह आराजी नम्बर-368 में से 0.06 हैक्टेयर तथा आराजी नम्बर-369 में से 0.09 हैक्टेयर कुल 2 रकबा 0.15 हैक्टर भूमि आबादी में परिवर्तन कर भू-खण्ड आवंटित किये गये।

(2) गत पांच वर्षों में ग्राम पंचायत, डाल द्वारा 16 व्यक्तियों को रिहायशी भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं। भू-खण्ड की साइज एवं आवंटियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। पंचायत द्वारा नियमान्तर्गत प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, बल्कि ग्राम सभा में दिनांक 18.3.1996 को पारित प्रस्ताव संख्या 12 के तहत एवं पंचायत समिति बैठक में सर्व सम्मति से तय कर भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं।

(4) प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

इंटीट्यूट आफ ट्यूरिज्म एण्ड ट्रेवल मेनेजमेंट के तहत मेनेजमेंट कोर्स

992. श्री प्रताप सिंह सिंग्वी (छबड़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पर्यटन विभाग द्वारा इंस्टीट्यूट आफ ट्यूरिज्म एण्ड ट्रेवल मेनेजमेंट के तहत वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में कितने बेरोजगार स्नातकों को पर्यटन एवं यात्रा का मेनेजमेंट कोर्स करवाया? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि किसी स्नातक को ऐसा कोर्स नहीं करवाया गया तो क्यों?

(2) पर्यटन प्रोत्साहन हेतु इस संस्था द्वारा और क्या-क्या कार्य किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस संस्था द्वारा किसी विदेशी भाषा का पाठ्यक्रम भी संचालित किया गया है? यदि हां, तो किस-किस भाषा में कहां-कहां के स्नातकों/गाइडों को प्रशिक्षण दिया गया?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा इंस्टीट्यूट आफ ट्यूरिज्म एण्ड ट्रेवल मेनेजमेंट के तहत वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में किसी भी बेरोजगार स्नातक को पर्यटन एवं यात्रा का मेनेजमेंट कोर्स नहीं करवाया गया क्योंकि यह संस्था वर्तमान में इस तरह के कोर्स आयोजित नहीं कर रही है।

(2) पर्यटन प्रोत्साहन हेतु इस संस्थान द्वारा पर्यटक गाइडों हेतु चार रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों, अधिकारियों व कर्मचारियों हेतु दो आफिस प्रोसिजर कार्यक्रम तथा एक कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

(3) जी हां। इस संस्था द्वारा फ्रेंच भाषा के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं। इनमें राज्य के पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं ट्रेवल एजेंसियों में कार्यरत व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

ग्राम गणेशपुर (बारां) का पर्यटन हेतु विकास

993. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) :** क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम गणेशपुरा (काकोनी) (बारां) में कौनसी शताब्दी की मूर्तियां हैं?

(2) क्या उक्त स्थान पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो सकता है? यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या इस बाबत राज्य सरकार ने प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भी भेजे हैं?

उत्तर

(1) ग्राम गणेशपुर (काकोनी) जिला बारां में 10-12वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं।

(2) जी हां। वर्तमान में विभागीय आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण इसके विकास की कोई कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की जा रही है। अपितु कोटा के सम्बन्ध में प्रकाशित विभागीय प्रचार सामग्री में इस स्थल को जोड़ा जाकर विभाग इसका प्रचार-प्रसार कर रहा है।

(3) जी नहीं।

महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) राजस्थान राज्य होटल्स निगम को कार की सुविधा

994. **श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) :** क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य होटल्स निगम में महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) को आवागमन हेतु कोई वाहन सुविधा दी हुई है? यदि हां, तो कब से?

(2) उक्त महाप्रबन्धक ने दिनांक 19 मई, 1999 से मार्च, 2000 तक कितने-कितने किलोमीटर कार कहां-कहां के लिये किस-किस तिथि को किन-किन कार्यों हेतु उपयोग किया?

(3) उक्त महाप्रबन्धक ने निवास से कार्यालय तक आने-जाने हेतु कार का कितना-कितना उपयोग किया तथा कहां-कहां निजी कार्य में किस-किस तिथि को कितने किलोमीटर कार का उपयोग किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा अधिकारियों को निवास से कार्यालय आने व जाने हेतु उपलब्ध कराई गई गाड़ियों पर पाबन्दी लगा रखी है? यदि हां, तो क्या निगम के उक्त महाप्रबन्धक को उक्त पाबन्दी में छूट दी

(श्री रतन लाल ताम्बी)

हुई है? यदि नहीं, तो इनके द्वारा नियमों की पालना क्यों नहीं की जा रही है?

(5) उक्त महाप्रबन्धक ने राज्य सरकार द्वारा सरकारी वाहन के उपयोग पर पाबन्दी लगाने के बाद गाड़ी/टैक्सी कार का उपयोग किस-किस तिथि को किस-किस कार्य हेतु किया है और किस नियम के अन्तर्गत? क्या सरकार ऐसे दोषी अधिकारी को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या होटल्स निगम में (स्टाफ को ड्यूटी मील (खाना) की सुविधा उपलब्ध है? यदि हां, तो उसके नियम क्या है? नियम के अनुसार उक्त महाप्रबन्धक द्वारा दिनांक 19मई, 1999 से मार्च, 2000 तक कितनी बार ड्यूटी मील का उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या निगम द्वारा उक्त महाप्रबन्धक को निवास/कार्यालय में टेलीफोन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है? यदि हां, तो उनके द्वारा उक्त अवधि में निवास/कार्यालय के टेलीफोन पर कितना-कितना व्यय/भुगतान निगम द्वारा किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या उक्त सुविधा पर काल्स सम्बन्धी पाबन्दी है? यदि हां,तो क्या उसका महाप्रबन्धक ने पालन किया है?

(9) क्या राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अधिकारियों के निवास पर लगे टेलीफोन बिलों के व्यय पर काल्स सीमा के आधार पर सीमा से अधिक काल्स का भुगतान स्वयं द्वारा वहन् करना तय किया है? यदि हां, तो निगम के उक्त महाप्रबन्धक द्वारा उक्त अवधि में निवास के बिलों से व्यय सम्बन्धी सूचना सदन की मेज पर रखें।

(10) क्या उक्त महाप्रबन्धक को निगम द्वारा वित्तीय/प्रशासनिक अधिकार दिये हुए है? यदि हां, तो क्या-क्या और क्या उक्त महाप्रबन्धक उक्त अधिकारों के दायरे से बाहर कार्य कर रहा है? क्या सरकार इस पर रोक लगाने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? अधिकारों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य होटल्स निगम लि. के महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) को आवागमन हेतु कार की सुविधा दिनांक 1.8.95 से दी हुई है।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(3) उक्त महाप्रबन्धक ने निवास से कार्यालय तक आने जाने हेतु दिनांक 19.5.99 से 30.10.99 तक एक दिवस में दो बार वाहन का उपयोग किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त अधिकारी द्वारा निजी कार्य

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

हेतु वाहन का उपयोग किया जाना नहीं पाया जाता है।

(4) जी हां। निगम द्वारा उक्त महाप्रबन्धक को नियमों में छूट नहीं दी गई है।

(5) वांछित सूचना परिशिष्ट-"अ" में उपलब्ध है। चूंकि उक्त अधिकारी ने वाहन का उपयोग निगम कार्य हेतु ही किया है। अतः उन्हें दण्डित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(6) जी हां। निगम के स्टाफ को ड्यूटी मील की सुविधा उपलब्ध है। नियमानुसार निगम कर्मचारियों को ड्यूटी समय में रुपये 8/- प्रति खाने की रियायती दर पर ड्यूटी मील की सुविधा देय है। उक्त अवधि में उक्त महाप्रबन्धक ने 33 बार 'ड्यूटी मील' का उपयोग किया है, जिसका वांछित भुगतान किया गया है।

(7) जी हां। वांछित सूचना परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

(8) जी हां। उक्त महाप्रबन्धक द्वारा काल्स सम्बन्धी आदेशों की पूर्ण पालना की जा रही है।

(9) जी हां। वांछित सूचना परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

(10) जी हां। महाप्रबन्धक (वित्त व लेखा) को प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों की प्रति परिशिष्ट-"स" पर उपलब्ध है। उक्त अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य नहीं कर रहे हैं अतः उन पर रोक लगाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला चित्तौड़गढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत महिला कार्य कर्त्ताओं के चयन में अनियमितताएं

995. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में कहां-कहां पर कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद हेतु स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को वरियता देने का प्रावधान है? यदि हां, तो ऐसी कितनी महिलाओं को जिला चित्तौडगढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लगाया गया है? क्या उक्त महिलाएं उस गांव की रहने वाली नहीं है?

(3) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्थानीय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

महिलाओं के होने के बावजूद भी बाहरी क्षेत्र की महिलाओं को नियुक्तियाँ दी गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार ने ऐसे प्रकरणों की जांच कराकर इस कार्यवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में 6 बाल विकास परियोजनाओं के अधीन कुल 866 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है, जिनकी सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां, तत्समय स्थानीय पात्र महिलायें नहीं मिलने पर बाहरी क्षेत्र की 271 महिलाओं को लगाया गया हैं।

(3) जी, नहीं। जिस समय आंगनबाड़ी कार्यकताओं को लगाया गया था, ग्राम में निर्धारित योग्यता की स्थानीय महिलाएं उपलब्ध नहीं थी। अतः जांच करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति देवगढ़ (राजसमन्द) के आंगनबाड़ी केन्द्र

996. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम)** : क्या महिला व बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति देवगढ़ (राजसमन्द) में कितने व किस-किस स्थान पर आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं?

(2) उक्त केन्द्रों में से कौन-कौन से केन्द्र बन्द हो गये हैं? उक्त बन्द केन्द्रों को कब तक पुनः चालू करा दिया जावेगा?

(3) तहसील देवगढ़ में गत तीन वर्षों में उक्त केन्द्रों हेतु कितनी राशि आवंटित की गई?

(4) आंगनबाड़ी केन्द्र में महिला सहायिकाओं की नियुक्ति किसके द्वारा किस प्रकार की जाती है?

(5) उक्त तहसील में सहायिकाओं के कितने पद रिक्त है और उन्हें कब तक भर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) पंचातय समिति देवगढ़ (राजसमंद) में 75 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है ग्रामवार सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। कोई केन्द्र बंद नहीं है।

(3) पंचायत समिति क्षेत्र देवगढ़ में संचालित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन हेतु गत 3 वर्षों में आवंटित राशि का विवरण निम्नानुसार है : —

(महिला व बाल विकास मंत्री)

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	मद	वर्ष		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	12.748	13.234	11.570
2.	राज्य आयोजना	1.887	1.610	1.698

(4) आंगनबाड़ी केन्द्र पर महिला सहायिकाओं का चयन बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाता है। इस चयन का अनुमोदन क्षेत्रीय उपनिदेशक (बाल विकास) द्वारा किया जाता है।

(5) देवगढ़ क्षेत्र में सहायिका का कोई पद रिक्त नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

पूर्व परियोजना निदेशक (महिला एवं बाल विकास), अजमेर के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

997. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि परियोजना निदेशक श्रीमती विमला जैन के अजमेर में कार्यकाल के दौरान आर्थिक अनियमितताओं से सम्बन्धित अनेक आरोप लगाये गये? क्या जिला कलक्टर द्वारा प्रारम्भिक जांच कर आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये?

(2) क्या तत्कालीन निदेशक महिला एवं बाल विकास द्वारा उक्त आरोपों पर जांच समिति से जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) महिला एवं बाल विकास विभाग में यूनिसेफ के जेन्डर सेल में नियुक्ति हेतु (समन्वयक पद पर) कितने परियोजना निदेशकों के नामों पर विचार किया गया? क्या परियोजना निदेशक श्रीमती विमला जैन को आरोपों के बावजूद नियुक्ति दी गई? क्या यूनिसेफ को लिखा गया कि उनके विरुद्ध कोई जांच प्रस्तावित नहीं है?

(4) महिला एवं बाल विकास विभाग के जेन्डर सेल को महिला आयोग में भेजने का फैसला किस स्तर पर किया गया? क्या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की इसमें सहमति थी?

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

(5) क्या महिला एवं बाल विकास विभाग में जो कर्मचारी अन्य विभागों से आते हैं उन्हें सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व अपने मूल विभाग में वापस भेज दिया जाता है? यदि हां, तो श्रीमती विमला जैन को उनके मूल विभाग के स्थान पर महिला आयोग में कैसे भेजा गया?

उत्तर

(1) जी, हां यह सही है कि परियोजना निदेशक श्रीमती विमला जैन के अजमेर कार्यकाल के दौरान आर्थिक अनियमितताओं से सम्बन्धित अनेक आरोप लगाए गए। जिला कलक्टर द्वारा प्रारम्भिक जांच कर आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए।

(2) जी, नहीं। विभागीय स्तर पर तत्कालीन निदेशक के निर्देशानुसार अतिरिक्त निदेशक (महिला कार्यक्रम) से जांच करवाई गई, जिसमें मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने एवं आरोपों की पुष्टि हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण प्रकरण प्रथम दृष्ट्या समाप्त कर दिया गया था।

(3) महिला एवं बाल विकास विभाग में यूनिसेफ के जैण्डर सेल में समन्वयक पद पर नियुक्ति हेतु श्रीमती विमला जैन के अलावा अन्य किसी नाम पर विचार नहीं किया गया। जी हां। जी नहीं।

(4) महिला एवं बाल विकास विभाग के जैण्डर सेल को महिला आयोग में भेजने का फैसला राज्य सरकार के स्तर द्वारा किया गया।

(5) जी, हां। उस समय श्रीमती विमला जैन की सेवा निवृत्ति में 2 वर्ष से अधिक का समय शेष होने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक प.19( ) मविका/जैसे/98/51183 दिनांक 7-9-99 के द्वारा महिला आयोग में भेजा गया।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत सामग्री का वितरण

998. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में पोषाहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है? यदि हां, तो अप्रेल, 1999 से मार्च, 2000 तक किस-किस केन्द्र पर कितनी-कितनी सामग्री किस-किस दिनांक को पहुंची?

(2) क्या केन्द्रों पर पहुंची हुई सभी सामग्री का वितरण हो चुका है? यदि हां, तो कितनी का?

उत्तर

(1) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति क्षेत्र छबड़ा में संचालित बाल विकास परियोजना के अधीन कार्यरत 86 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 1-4-99

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

से मार्च, 2000 तक केयर से प्राप्त 889.50 क्वि. सी. एस. बी., 95.275 क्वि. सोट, तेल, 60 क्वि. गुड एवं 19.85 क्वि. नमक भिजवाया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रवार एवं दिनांकवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	पोषाहार सामग्री	वितरित मात्रा (क्वि. में)
1.	सी. एस. बी.	841.20
2.	सोया तेल	99.87
3.	गुड़	59.09
4.	नमक	10.18

नोट : —वितरित सामग्री में 1-4-99 को आंगनबाड़ी केन्द्रों का प्रारम्भिक शेष शामिल है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति

999. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विभाग में प्रतिनियुक्ति प्रथा के आधार पर बाल विकास परियोजना अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों और विभाग के सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों को पदोन्नति क्यों नहीं दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विभाग में प्रतिनियुक्ति प्रथा समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षकों के कुल 1493 पद स्वीकृत हैं। उनमें से 1141 पद भरे हुए है तथा 352 पद रिक्त है। जिलेवार सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। विभाग द्वारा महिला पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी, नहीं। विभाग में राजस्थान सिविल सेवा (बाल विकास परियोजना अधिकारियों का विशेष चयन तथा उनकी

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

सेवा शर्तें) नियम 1983 के अन्तर्गत चयन समिति द्वारा चयन करने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाते हैं। राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियम 1998 में प्रावधानुसार 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद से पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। विभागीय सेवा नियम, 1988 के नियम 6 के उप नियम 3 के परन्तुक-II के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने के प्रावधान के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभाग से लिए गये हैं। वर्तमान में पात्रताधारी नियमित पदोन्नत सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति दिया जाना संभव नहीं है।

(4) जी, नहीं। सीधी भर्ती के पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद हेतु चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध कराये जाने तक प्रतिनियुक्ति प्रथा जारी रहेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-23 देखें)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के आंगनबाड़ी केन्द्र

1000. **डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में इस वर्ष कहां-कहां आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में बाल पोषाहार किस रूप में, किस मात्रा में, कब-कब दिया जाता है और बाल पोषाहार के रखरखाव की क्या व्यवस्था है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जनसंख्या के आधार पर प्रदान की जाती है। वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर 1981 से बढ़ी जनसंख्या के सापेक्ष अतिरिक्त केन्द्र भारत सरकार द्वारा 1994-95 में ही स्वीकृत कर दिये थे। अब वर्ष 2001 की जनगणना में बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा मांगे जाने पर ही भिजवाये जाएंगे।

(2) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में पूरक पोषाहार मुरमुरे एवं पंजीरी पूर्व में (रेडी टू ईट) सीधा ही खाने योग्य रूप में भिजवाया जाता था। इंडिया मिक्स पोषाहार आंगनबाड़ी केन्द्र पर ही पकाकर खिलाया जाता है। पोषाहार का वितरण रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिवस बांटा जाता है। वितरण की मात्रा निम्नानुसार है :—

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

क्र.सं.	पोषाहार सामग्री	लाभान्वित का विवरण	मात्रा
1	2	3	4
1.	मुरमुरे	2 वर्ष से 6 वर्ष के कुपोषित बच्चे	70 ग्राम प्रति दिन प्रति लाभान्वित
2.	मुरमुरे	2 वर्ष से 6 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चे	120 " "
3.	पंजीरी	6 माह से 2 वर्ष के कुपोषित बच्चे	60 " "
4.	इंडिया मिक्स	6 माह से 6 वर्ष आयु के कुपोषित बच्चे	80 " "
5.	इंडिया मिक्स	6 माह से 6 वर्ष आयु के अतिकुपोषित बच्चे	160 " "

इन्डिया मिक्स की आपूर्ति मात्र एक ही बार अस्थाई रूप से की गई थी।

यह पोषाहार बाल विकास परियोजना के कार्यालय के गोदाम में रखा जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार भण्डारण हेतु लोहे के 2-2 कन्टेनर उपलब्ध करवाये गये हैं।

जिला बांसवाड़ा के आश्रम छात्रावासों का रख-रखाव

1001. **श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) :** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला बांसवाड़ा के आश्रम छात्रावासों के रख-रखाव के लिए प्रति वर्ष कितनी राशि आवंटित की जाती है?

(2) उक्त जिले के छात्रावासों के रख-रखाव के लिए वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में प्रति आश्रम छात्रावास कितनी राशि दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले के छात्रावासों की मरम्मत आदि कार्य किस एजेन्सी के माध्यम से कराये जाते रहे हैं? क्या उनके लिए निविदा मांगी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आश्रम छात्रावासों के रख-रखाव हेतु सामान्यतया प्रतिवर्ष राशि स्वीकृत नहीं होती है परन्तु आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक राशि स्वीकृत की जा सकती है।

(2) बांसवाड़ा जिले के 31 आश्रम छात्रावासों के रख-रखाव हेतु वर्ष 1997-98 में कोई राशि स्वीकृत नहीं की गयी। वर्ष 1998-99 में आवश्यकता महसूस होने पर प्रति छात्रावास रुपये 50,000/- की दर से रुपये 15.50 लाख की राशि व्यवर्तन से स्वीकृत की गयी है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(3) आश्रम छात्रावासों की मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा आवास विकास संस्थान के माध्यम से करायें जाते रहे हैं। सामान्यतया मरम्मत हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है परन्तु वर्ष 1998-99 में स्वीकृत कार्य विभागीय कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा करवाये गये हैं। निविदाएं मांगे बिना कार्य कराये जाने के आडिट आक्षेप के कारण सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र अटरू में सांसद/विधायक कोष से स्वीकृत अपूर्ण कार्य

1002. **श्री मदन दिलावर (अटरू) :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू में वर्ष 1993 से फरवरी, 2000 तक सांसद (राज्य सभा व लोकसभा) व विधायक क्षेत्रीय विकास कोष से क्या-क्या निर्माण कार्य कब-कब स्वीकृत हुए तथा उनकी आज स्थिति क्या है?

(2) क्या कई कार्य ऐसे भी हैं जो एक वर्ष पूर्व से भी ज्यादा समय से स्वीकृत हैं तथा अभी तक आरम्भ नहीं हुए? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त कार्य अब कब तक पूरे हो जावेंगे?

(4) क्या कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिनकी सांसद महोदय ने सहमति दे दी और उनकी स्वीकृति जारी नहीं हुई? यदि हों तो कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत के हैं तथा सहमति देने वाले माननीय सांसद कौन हैं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू में 1993 से फरवरी, 2000 तक सांसद (राज्य सभा व लोक सभा) एवं विधायक क्षेत्रीय विकास कोष से स्वीकृत निर्माण कार्य एवं उनकी आज की स्थिति का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर प्रस्तुत है।

(2) जी, हां। एक कार्य ऐसा है,जो एक वर्ष पूर्व स्वीकृत किया गया था और अभी भी प्रारम्भ नहीं करवाया जा सका। कार्य प्रारम्भ नहीं होने का कारण कार्य की स्वीकृति 1.00 लाख रु. की जारी की गई थी। कार्यकारी एजेन्सी द्वारा लागत अनुमान 6.6 लाख रु. का प्रस्तुत किया गया, बढ़ी हुई राशि की स्वीकृति माननीय सांसद महोदय की अनुमति प्राप्त होने पर जारी की जा सकेगी। इस सम्बनध में सांसद महोदय से निवेदन भी कर दिया गया है।

(3) उक्त कार्य परिशिष्ट-"अ" के कालम संख्या-8 में दर्शायी तिथि तक पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी, नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के सीमान्त कृषकों की सहायतार्थ मैसिव कार्यक्रम

1003. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्यां यह सही है कि राज्य में लघु एवं सीमान्त कृषकों की सहायतार्थ मैसिव कार्यक्रम चलाया जा रहा है? यदि हां, तो कब से और इसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यक्रम विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में भी चलाया जा रहा है? यदि हां, तो कितने-कितने गांवों में? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के तहत किसानों के नलकूप निर्माण, कूप गहरा कराने, पम्पसेट लगाने, पक्की नाली का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो इस क्षेत्र में उक्त लाभ कितनी-कितनी राशि का दिया जाता है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। राज्य में मैसिव कार्यक्रम 1 अप्रेल, 1997 से समाप्त कर दिया गया है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

जनजाति आश्रम स्कूल बांसवाड़ा में कार्यरत कर्मचारियों की बीमा राशि की कटौती का भुगतान

1004. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या जन-जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बांसवाड़ा के अन्तर्गत कोई "जनजाति विकास परियोजना" विभाग है? यदि हां, तो उक्त विभाग के अन्तर्गत कितने जनजाति आश्रम स्कूल हैं।

(2) उक्त आश्रम स्कूल के कर्मचारियों में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा करा रखा है?

(3) क्या उक्त कर्मचारियों के वेतन से प्रति माह नियमित बीमा प्रीमियम की कटौती की जा रही है? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारियों की प्रति माह काटी जाने वाली बीमा प्रीमियम की राशि नियमित रूप से प्रतिमाह भारतीय जीवन बीमा निगम को भिजवाई जा रही है? यदि हां, तो किस माह तक के प्रीमियम को भिजवा दिया गया है और नहीं, तो कब से राशि बीमा विभाग को क्यों नहीं भेजी गई है?

(4) अब कब तक प्रीमियम की राशि भारतीय बीमा निगम को भेजकर उक्त दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। बांसवाड़ा में परियोजना अधिकारी (जनजाति) का कार्यालय आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन कार्यरत हैं, विभाग द्वारा आश्रम स्कूल संचालित नहीं किये जा रहे हैं बल्कि आश्रम छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। विभाग के अधीन बांसवाड़ा जिले में 31 आश्रम छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं।

(2) उक्त आश्रम छात्रावासों में कार्यरत 127 कर्मचारियों ने भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा करवा रखा है।

(3) जी, हां फरवरी, 2000 तक के वेतन बिलों से कटौती की गयी प्रीमियम की राशि जमा करवा दी गयी है। मार्च, 2000 की कटौती की राशि शीघ्र जमा करवायी जावेगी। माह 3/97 से 5/97 तक की कटौतियां समय पर जमा नहीं हुई थी। अब जमा करा दी गयी है।

(4) मार्च, 2000 माह की प्रीमियम की राशि मई 2000 में जमा करवा दी जावेगी, पूर्व में राशि देरी से जमा कराने के कारण सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

राज्य के विश्वविद्यालयों में अनियमितताओं पर रोक के उपाय

1005. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) एवं **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विश्वविद्यालयों में होने वाली वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

(2) विश्वविद्यालय के कुलपतियों तथा राज्य सरकार के मध्य लिखित समझौता पत्र (एम.ओ.यू.) के बिन्दुओं पर अमल नहीं करने वाले विश्वविद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सरकार का क्या विचार है?

(3) एक निश्चित अवधि में समझौता-पत्र पर अमल कराने की सरकार की क्या योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर यह प्रहार क्यों किया गया है? क्या इस बहाने विश्वविद्यालयों का सरकारीकरण किए जाने की कोशिश की जा रही है? क्या इससे उच्च शिक्षा का स्तर नहीं गिरेगा?

(5) क्या विश्वविद्यालय कर्मचारियों में बढ़ रही अनुशासनहीनता को रोकने के लिए कर्मचारियों का अन्तर्विश्वविद्यालय स्थानान्तरण करने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या प्रस्तावित उच्च शिक्षा चयन मंडल से ही राज्य सरकार विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा अधिकारियों के चयन का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विश्वविद्यालय स्वायत्तशाषी संस्थायें है। उनको किसी प्रकार का आदेश देना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संसाधन विश्वविद्यालय को प्रदान किये जाते हैं। अत: वित्तीय सहायता के नियमानुसार उपयोग व विश्वविद्यालयों के वित्तीय प्रबन्धन को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों से समझौता पत्र (एम.ओ.यू.) प्राप्त किया है।

(2) विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौता पत्र (एम.ओ.यू.) के बिन्दुओं पर अमल नहीं करने वाले विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा देय वित्तीय सहायता पर पुर्नविचार किया जा सकता है।

(3) उत्तर बिन्दु संख्या-2 के उत्तर में निहित है।

(4) जी, नहीं। विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता पर कोई प्रहार नहीं किया गया है।

(5) जी, नहीं।

(6) उच्च शिक्षा चयन मण्डल के गठन का विचार अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। इस पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद ही इसे कोई अन्तिम स्वरूप प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

जिला जैसलमेर का बालिका महाविद्यालय भवन निर्माण

1006. **श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) :** क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जैसलमेर नगर के बालिका महाविद्यालय में महिला प्रिंसीपल को कभी भी नहीं लगाया गया है?

(2) क्या यह सही है कि महिला महाविद्यालय का स्वयं का भवन नहीं है और वह एक छात्रावास भवन में संचालित है?

(3) क्या यह भी सही है कि महिला महाविद्यालय भवन हेतु जो 46 बीघा भूमि आवंटित हुई है उस पर सुरक्षा विभाग ने कब्जा करके कोर्ट में दावा किया है?

(4) क्या यह सही है कि भूमि के विवाद तथा दानदाता की असमर्थता के कारण उक्त महाविद्यालय भवन का निर्माण विवाद में पड़ गया है?

(5) क्या सरकार उक्त महिला महाविद्यालय में महिला स्टाफ की नियुक्ति तथा भवन की व्यवस्था सुचारू करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) यह सही है कि महिला महाविद्यालय का स्वयं का भवन नहीं है और वह स्थानीय

(उच्च शिक्षा मंत्री)

राजकीय कन्या हायर सैकण्डरी स्कूल के छात्रावास भवन में संचालित है।

(3) जी, हां। महिला महाविद्यालय हेतु 46 बीघा भूमि आवंटित हुई है। सुरक्षा विभाग ने इस भूमि पर अपना पुराना कब्जा बताकर सिविल कोर्ट में दावा किया है।

(4) जी, हां।

(5) जी, हां।

जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा हिण्डौन (करौली) में कराये गये कार्य

1007. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति हिण्डौन (करौली) की ग्राम पंचायत फुलवाड़ा क्षेत्र में वर्ष 1995 से मार्च, 2000 तक जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग ने कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य कब-कब कराए हैं? सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों से उक्त अवधि में कितने-कितने क्षेत्र को लाभान्वित किया गया तथा प्रत्येक कार्य पर कितने श्रमिक नियोजित किए गए?

(3) जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण के कार्य किस एजेन्सी के माध्यम से कराए गए? क्या उक्त कार्य में अनियमितताओं के सम्बन्ध में की गई शिकायतों की जांच करवाई गई? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) गत वर्ष में कितनी राशि उक्त कार्य हेतु आवंटित की गयी, कितनी राशि किस-किस मद पर व्यय हुई एवं लेबर, मेटेरियल पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई तथा अब कितनी राशि शेष है?

उत्तर

(1) पंचायत समिति हिण्डौन (करौली) की ग्राम पंचायत फुलवाड़ा क्षेत्र में वर्ष 1995 से मार्च, 2000 तक निम्नलिखित कार्य करवाये गये :—

क्र.सं.	कार्य का नाम	व्यय राशि (लाखों में)
1.	कांचरौली-II	8.16
2.	कांचरौली-III	8.11
3.	कांचरौली-IV	8.26
4.	दोघाटी	6.72

कार्यों पर वर्षवार/गतिविधिवार व्यय परिशिष्ट सं-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त कार्यों से लाभान्वित हुए क्षेत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :—

(कृषि मंत्री)

क्र.सं.	जल ग्रहण क्षेत्र	कृषि भूमि उपचार	अकृषि भूमि उपचार	नियोजित श्रमिक संख्या
1.	कांचरौली-II	105 है.	171 है.	298
2.	कांचरौली-III	159 है.	186 है.	367
3.	कांचरौली-IV	97 है.	191 है.	400
4.	दोघाटी	300 है.	127 है.	404

(3) जल ग्रहण क्षेत्रों में कार्यों का क्रियान्वयन जलग्रहण कमेटियों/यूजर्स कमेटियों के द्वारा कराया गया है। उक्त कार्यों की अनियमितताओं के संबंध में दो शिकायतें प्राप्त हुई जिसकी जांच उप निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, सवाई माधोपुर द्वारा की गई है। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है।

(4) गत वर्ष कार्यवार लेबर-मेटेरियल एवं शेष राशि का विवरण निम्नानुसार है : —

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	आवंटित राशि (गत वर्ष)	व्यय राशि		शेष राशि
			लेबर	मेटेरियल	
1.	कांचरौली-II	शून्य	2.73	1.01	0.02
2.	कांचरौली-III	शून्य	2.60	0.63	0.02
3.	कांचरौली-IV	2.01	2.01	0.29	0.02
4.	दोघाटी	2.65	1.63	1.02	0.00

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र भिनाय में भू-संरक्षण विभाग द्वारा कराये जा रहे विकास कार्य

1008. **श्री सांवर लाल (भिनाय) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय में जनवरी, 2000 के बाद क्या कोई भू-संरक्षण के कार्य चल रहे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां किस-किस के माध्यम से क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी लागत के किस-किस योजना में?

(2) क्या कुछ कार्यों को बंद किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां यूजर्स कमेटियां कब-कब से बनी हुई हैं? क्या कार्य रोकने व यूजर्स कमेटियों के

(श्री सांवर लाल)

परिवर्तन के लिए कोई दबाव अधिकारियों पर है? क्या कहीं पर अनियमितता भी हुई है? यदि नहीं, तो कब-कब, किस-किस कार्य का किस-किस ने निरीक्षण किया?

उत्तर

(1) हां, विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र भिनाय में 1 जनवरी, 2000 के बाद 5 जल ग्रहण क्षेत्रों में 12 कार्य यूजर्स कमेटियों के माध्यम से चल रहे हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। इनमें से एक कार्य बन्द है जिसका विवरण प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में है।

(2) सुनिश्चित रोजगार योजना का एक कार्य, बिडला जल ग्रहण क्षेत्र को राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण दिनांक 9.3.2000 से कार्य बन्द है व जिला ग्रामीण विकास अभीकरण, अजमेर को राशि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल 13 यूजर्स कमेटियों का गठन किया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

कार्य रोकने व यूजर्स कमेटियों के परिवर्तन के लिए विभाग के अधिकारियों पर कोई दबाव नहीं है।

विभाग को उक्त यूजर्स कमेटियों की अनियमितता बाबत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यूजर्स कमेटी द्वारा कार्यों का सम्पादन साइट प्रभारी के तकनीकी मार्ग दर्शन में कराया गया है। जिसका निरीक्षण समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-24 देखें)

स्थगित प्रश्न

दिनांक 21 अप्रेल, 2000

जिला दौसा में निजी शिक्षण संस्थाओं को देय राशि में अनियमितताएं

605. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है? यदि हां, तो किस-किस कक्षा के छात्रों को कितनी-कितनी? उक्त छात्रवृत्ति निजी शिक्षण संस्थाओं को किन-किन मानदण्डों के आधार पर दी जाती है? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी दौसा को उक्त छात्रवृत्ति हेतु वर्ष 1991 से 1994 तक सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि कब-कब आवंटित की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी दौसा द्वारा वर्ष 1990 से 1995 तक किस-किस निजी

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरे को अनुमति देंगे ?

श्री अध्यक्ष : पहले स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) डा. किरोड़ी लाल मीणा, सदस्य की ओर से सहायक निदेशक (कृषि) गंगापुर सिटी, द्वारा किसानों को दिलवाये गये फव्वारा सैट में सब्सिडी का भुगतान समय पर नहीं करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, उदयपुर में दिनांक 29.2.2000 को स्टाम्प चोरी का प्रकरण उजागर होने के उपरान्त भी मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करने के सम्बन्ध में।

(3) डा. रामप्रताप, सदस्य की ओर से संगरिया पुलिस स्टेशन (हनुमानगढ़) में दर्ज प्रकरण संख्या 514/99 के मुख्य अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, घोलीपाल (हनुमानगढ़) में परीक्षा उड़नदस्ते द्वारा दो अध्यापकों को निलम्बित करने के सम्बन्ध में।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है (व्यवधान) मेरा यह प्रिविलेज ब्रीच (व्यवधान) आप पधार गये उसके बाद में सम्भव नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय (व्यवधान) यह मेरा विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। रूल 160 में लिखा हुआ है...

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : बाड़मेर-जैसलमेर के सांसद का स्टेटमेंट है कि 10 लाख लोगों का पलायन और 15 लाख अकाल की भेंट।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट, साहब। रूल 160 में यह लिखा हुआ है कि इमीजिएटली आफ्टर क्वेश्चन एण्ड प्रापर...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका विशेषाधिकार का प्रश्न आसन के विचाराधीन है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आज अन्तिम दिन है। आज अन्तिम दिन है, इसको विचाराधीन रख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आज ही निर्णय ले लेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आज निर्णय लेना पड़ेगा आपको इस पर। यह आपके सामने हाउस के अन्दर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कमिट किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने।

(समय 2:00 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न बात।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : अब उपाध्यक्ष क्या करेगा?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये, बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आज ही निर्णय ले लिया जाएगा, इस निर्णय की सूचना हाउस में आएगी क्या?

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां, हाउस में दे दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : सदन के भूतपूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व विधि मंत्री श्री अहमद बख्श सिन्धी का निधन हो गया है, आज सदन का आखिरी दिन है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था फरमाई है कि माननीय सदस्य का विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव–

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कुछ भी व्यवस्था नहीं फरमाई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, इसकी व्यवस्था दे दी, है क्या चीज, यह बताओ ना?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कोई व्यवस्था नहीं फरमाई है, अध्यक्ष महोदय ने फरमाई है व्यवस्था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में चर्चा होगी तो यह सदन की सम्पत्ति है। हमें मालूम तो पड़े कि क्या है, टापिक क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कोई व्यवस्था नहीं फरमाई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, एक सैकिण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। नहीं कोई बात हो, बोलने ही नहीं दूंगा मैं। बिराजिये, बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक विनम्र निवेदन है, प्रश्न यह नहीं है। हाउस के अन्दर ब्रीच आफ प्रिविलेज कमिट किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, असत्य वाचन किया आपके सामने और अध्यक्ष महोदय ने कह दिया आज निर्णय ले लिया जाएगा। निर्णय में कोई दिक्कत नहीं है। रुल्स में प्रोवाइड है, रुल्स 160 क्लीयर कहता है कि The Speaker, if he gives consent under rule 157 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the question and before the list

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

of business is entered upon, call the member concerned, who shall rise in his place and, while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant, thereto.

उपाध्यक्ष महोदय, सवा करोड़ रुपये की डिमाण्ड इन्होंने कम की, 1,42,95,257 रुपये, यह जो कोटपूतली का ठेका था.(व्यवधान) नहीं, उसको तो जाने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये, इस पर व्यवस्था हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अभी सदन उठने से पहले आपको व्यवस्था दी जाएगी। इसलिये मेहरबानी करके आप बिराजिये। (व्यवधान) नहीं, I will not allow you.

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, 28 तारीख को.(व्यवधान) नहीं, आप क्या अलाउ नहीं करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं कुछ भी अलाउ नहीं करूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या अलाउ नहीं करेंगे

श्री उपाध्यक्ष : इस सब्जैक्ट पर कुछ भी अलाउ नहीं करूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आप क्या अलाउ नहीं करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : आप जो यह बोल रहे हैं यह अलाउ नहीं करूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मुझे तो आप अलाउ मत कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : बस तो, आपको नहीं करेंगे तो विराज जाओ, फिर बात क्या है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : लेकिन आप रुल्स को.(व्यवधान) रुल्स को सस्पैंड कर दिया क्या आपने? रुल्स सस्पैंड कर दिये क्या?

श्री उपाध्यक्ष : वह सब सस्पैंड कर दिया अध्यक्ष महोदय ने और आपको कह दिया कि व्यवस्था देंगे इस हाउस में, तो आप विराज जाओ। अभी विपक्ष के नेता महोदय ने कह दिया, विपक्ष के नेता महोदय सैटिस्फाइड हो गये। हां, इस हाउस में अभी दे देंगे, बात खतम हो गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय का तो मोशन नहीं है, मोशन तो मेरा है। रुल एप्लाई करता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका है तो आपकी व्यवस्था दे दी ना अध्यक्ष महोदय ने। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी उसके ऊपर मैं दे सकता हूं क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा हूं। रुल्स आफ बिजनस एप्लीकेबल हैं, वे आसन पर भी हैं। (व्यवधान) नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

विनम्र निवेदन सुनें कि रुल्स आफ बिजनस एप्लीकेबल...

श्री उपाध्यक्ष : आप कितना ही निवेदन करो, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फिर मुझे नहीं बोलने देंगे, इसका क्या मतलब हुआ, साहब?

श्री उपाध्यक्ष : जब अध्यक्ष महोदय एक व्यवस्था दे चुके हैं और यह व्यवस्था दे चुके हैं आपको व्यवस्था दी हाउस में...

श्री सुरेन्द्र व्यास : सवा करोड़ का...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, साहब, मैंने रेलेवेंट फाइल स्पीकर साहब को दे दी, ही विल सी। यहां पर जो आरोप लगा रहे हैं, बिलकुल मिथ्या, असत्य, मनगढ़न्त, It is nothing but sort of blackmailing.

श्री उपाध्यक्ष : कोई आरोप लगाया ही नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं?

एक माननीय सदस्य : आरोप लगाया ही नहीं इन्होंने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इन्होंने यह कहा, इन्होंने यह कहा (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आरोप क्या है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने इस सदन के अन्दर...

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बांध वालों का और उसमें पागल कुत्तों वाला मामला कई दिन से उठाते चले आ रहे हैं, फिर भी इस बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है। न कोई इंजेक्शन वगैरह...(व्यवधान) इतना महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। यहां भी कई लोग पागल हो गये हैं, उनको भी इंजेक्शन लगवाइये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने इस सदन में गलत-बयानी की है, यह कहा है, अभी कहा है। अभी कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : I did not allow him.

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने यह फाइल स्पीकर साहब को दे दी है। The controversy and matter will set at rest. You can see that file which is with the Speaker now.

श्री रामस्वरूप : मेरा विनम्र निवेदन है, इस बारे में भी आप विचार करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं है, साहब, सवाल। ये कह रहे हैं कि आरोप लगाया है, वह हमारे समझ में नहीं आता, आरोप है क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह : लगा दिया न?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां बोला?

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या बात कर रहे हैं, साहब, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप इतने भोले नहीं है कि आप...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भोला ही हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब यूं नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, आप भी विराजो। काहे को आप इस इश्यू को रेज कर रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतना-सा मालूम कर देना, आरोप क्या है।

एक माननीय सदस्य : आ गया हाउस में।

श्री उपाध्यक्ष : कहां से आ गया हाउस में? कहां से आ गया हाउस में? बिराजिये प्लीज। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती यासमीन अबरार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में सीमेन्ट फैक्ट्री आबादी क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य की ओर से जहाजपुर में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(3) श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धोद के खूड़ में 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन का निर्माण करने के संबंध में।

(4) श्री हेमन्त कुमार, सदस्य की ओर से कोटा-झालावाड़ के बीच ग्राम दरा में उच्च जलाशय पेयजल योजना की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री शिवनारायण नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बारां की पंचायत समिति अन्ता के ग्राम नियाना की ग्रेवल सड़क का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत, सदस्य की ओर से झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील के भीमसागर बांध की मुख्य नहर एवं वितरिकाओं की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य की ओर से जिला नागौर के ग्राम रीयाबन्डी में दिनांक 19.6.99 को सांय 7.30 बजे एक व्यक्ति की निर्मम हत्या के आरोपियों को पुलिस द्वारा बचाने के सम्बन्ध में। इस पर आप बोल चुके हैं ना?

(8) श्री नन्दलाल पूनिया, सदस्य की ओर से पुलिस थाना राजगढ़ (चूरू) में बिजली अव्यवस्था के संबंध में मांग कर रहे कृषकों पर झूठा मुकदमा दर्ज करने के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(9) श्री रघुवीर सिंह मीणा, सदस्य की ओर से मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत सहायक आचार्यों को पद ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता दिलवाने के संबंध में।

(10) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खारची में क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण करने के संबंध में।

(11) श्री शैलेन्द्र जोशी, सदस्य की ओर से स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री पी. के. चौधरी की याद में स्मारक का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से राज्य सरकार की औषधि क्रय नीति में कथित परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

(13) श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन करने के संबंध में।

(14) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायपुर में बिना जन प्रतिनिधि-गण की राय के राहत कार्य खोलने के संबंध में।

(15) डा. रघुवीर सिंह गौड़, सदस्य की ओर से कोटपूतली क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों के तहत ग्रेवल सड़कों का निर्माण करने के संबंध में।

(16) श्री महादेव सिंह, सदस्य की ओर से खण्डेला की उप तहसील को तहसील में क्रामेन्नत करने के संबंध में।

(17) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से प्रतापगढ़ के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध राष्ट्रीय ध्वज का कथित अपमान करने एवं अन्य शिकायतों के संबंध में।

(18) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर के रामसगड़ा में थाना व सीमलवाड़ा में पुलिस चौकी स्थापित करने के संबंध में।

(19) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से रामगंजमण्डी उप कारागृह में कुछ कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने के संबंध में।

(20) डा. किरोड़ी लाल मीणा, सदस्य की ओर से राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के विभागों में एक साथ कथित नौकरी कर रहे एक अधिकारी के संबंध में।

(विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-26 देखें)

माननीय सदस्यों को निवेदन है कि आज सदन का आखिरी दिन है और करीब ग्यारह पर्चियां यहां आई हैं, सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि आज हमको– (व्यवधान) आर्डर, आर्डर, सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि ग्यारह पर्चियों पर बोलने दिया जाए। तो मैं ग्यारह पर्चियों पर बोलने की इजाजत दे रहा हूं लेकिन मेहरबानी करके समय

(श्री उपाध्यक्ष)

का ध्यान रखें..(व्यवधान)..आर्डर, आर्डर, बिराजिये। बिराजिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : हमारे को पता होता तो हम भी दे देते पर्ची। आज आप ग्यारह पर्चियां कर रहे हो, हमेशा चार पर्चियां लेते हो तो आज हमारे को पता होता हो हम भी देते। क्या मतलब हुआ इसका..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? बिराजो, बिराजो। आप उत्तेजित..(व्यवधान) आप बिराजो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारी पर्ची..

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर, बाड़मेर की बीस लाख जनसंख्या में से दस लाख जनसंख्या पलायन कर चुकी है, यह अगर स्टेटमैंट सही है तो सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। (व्यवधान) और गलत है तो (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, दस लाख लोगों के पलायन से जुड़ा हुआ है यह..(व्यवधान) हाहाकार मचा हुआ है..(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : यह और कोई नहीं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह और कोई नहीं सत्तारूढ़ दल का सांसद कह रहा है, उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान) आज सत्र का अन्तिम दिन है..(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है, इस पर विचार किया जाए (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, दस लाख लोगों का पलायन, यह सत्ताधारी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिजनस करना चाहते हैं कि नहीं चाहते?

डा. किरोड़ी लाल : इस बात को कह रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते हो बिजनस कि नहीं चाहते हो?

डा. किरोड़ी लाल : हां, हम चाहते हैं..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेहरबानी करके..(व्यवधान) बिराजो न आप। इसमें सबमें है न यह इश्यू? (व्यवधान) बंद कर दें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र में तीस लाख पशुओं को छोड़ दिया (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बंद कर दें, छोड़ों फिर।

डा. किरोड़ी लाल : बाड़मेर, संसदीय क्षेत्र में सांसद कर्नल सोनाराम ने बताया।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : (व्यवधान) दस लाख माइग्रेशन सही नहीं है—

डा. किरोड़ी लाल : तीस लाख पशु छोड़ दिये—(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर किरोड़ीलाल जी, आप बिराजें प्लीज। बिराजें, बिराजें।—(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने यह कहा है उनके खिलाफ कार्यवाही करो। (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : (व्यवधान) यह बिलकुल गलत है—(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगतसिंह दायमा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की विभीषिका है—(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की भीषणता को देखिये—(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर करण सिंह यादव। (व्यवधान) बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान) हो गयी बहुत, अकाल तो बहुत हो गया। हो गया न, बिराजो। (व्यवधान) माननीय जगतसिंह जी, बिराजें। इनके बाद आप बोलें।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में स्थित शराब की फैक्ट्री से होने वाले जल-वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खेद के साथ मुझे सदन में इस मामले को इस सत्र में दुबारा उठाना पड़ रहा है।

गत वर्ष भी मैंने सदन में 295 के माध्यम से, पर्यावरण विभाग की मांगों के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था कि मेरी तहसील बहरोड़ के ग्राम शिमला श्यामपुर में शराब स्पिरिट बनाने वाली एक फैक्ट्री ग्लोबस एग्रोनिक्स द्वारा जबर्दस्त प्रदूषण से वहां के लोग भारी कठिनाइयों के बीच में जी रहे हैं। मैंने बताया था कि वहां पर जबर्दस्त बदबू आती है, जबर्दस्त सड़ांध आती है और 24 घंटे ग्रामवासियों को उसमें जीना पड़ता है। यह भी कहा था कि इन गांवों के अन्दर लोगों ने अपनी बेटियों का रिश्ता तक करने से इन्कार कर दिया। मेरे बार-बार परस्युएशन्स के बाद, काफी मेहनत के बाद में माननीय पर्यावरण मंत्री जी की पहल पर इस फैक्ट्री का पूरा एग्जामिनेशन हुआ और इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। बंद करने के पांच दिन बाद में ही फैक्ट्री का मालिक कोर्ट से स्टे आर्डर लेकर आ गया और पिछले छह महीने से यह फैक्ट्री कोर्ट के आदेश आने के बाद में सब नियमों को तोड़कर दिन-रात काम कर रही है। स्थिति यह है कि आज पर्यावरण की स्थिति वहां और ज्यादा भयंकर हो गयी। मीलों के अन्दर प्रदूषित जल फैला हुआ है, झील के अन्दर बहुत पानी फैला हुआ है।

(डा. करण सिंह यादव)

अब जो मैं कहना चाह रहा हूं वह यह है कि पानी वहां से निकलकर वहां के एक नाले के अन्दर बहना चालू हो गया और सबसे दुःखद घटना पांच दिन पहले हुई जब इस नाले में बहते हुए पानी को श्यामपुर गांव के पशुओं ने पीया जिनमें एक भैंस, दो गायें, पांच बकरी और कुछ भेड़ें थीं। ग्रामवासियों के आक्रोश की सीमा का आप अन्दाजा लगाइये जब उस छोटे से गांव के लगभग एक दर्जन से ज्यादा पशु उस सोते के पास में मरे हुए पाए गये। सारे गांव ने आक्रोशित होकर वहां पर प्रदर्शन किया है, धरना दिया है। मैं सदन का ध्यान और माननीय पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वहां आदमी सांस ले नहीं सकता, पानी नहीं पी सकता। मक्खियां वहां भिनभिनाती हैं, मौसमी बीमारियों की वहां बहार है। आजकल हर आदमी उस पानी के रिसाव की वजह से किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है और अब अकाल की छाया में उसका पशुधन इस पानी को पीकर के मरने लगे तो उसके पास में क्या चारा है? सरकार यह कहकर बात को टाल देगी कि इसमें हाई कोर्ट का स्टे है। हम अपनी तरफ से प्रदूषण मंडल के लोगों की शिथिलता की वजह से, मिली भगत की वजह से, उस फैक्ट्री के मालिक के दबाव की वजह से उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करें तो मुझे बताइये कि वहां के पशु कब तक मरते रहेंगे? वहां के किसान कब तक शांति से इस बात को सहते रहेंगे?

मैं, उपाध्यक्ष जी, ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां छह दिन से लगातार धरना हो रहा है। सारी तहसील के अन्दर बड़ा जबर्दस्त आक्रोश है। लोग एक बड़े आन्दोलन की तैयारी कर रहे हैं, यह शांति व्यवस्था का प्रश्न बन सकता है। इसलिए सदन के माध्यम से उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय वन और पर्यावरण मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस मामले में फौरी कार्यवाही करें, तुरन्त कार्यवाही करें वर्ना वहां का जन-जीवन आने वाले समय में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका आ रहा है। बिराजें, आ रहा है।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा इनके साथ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो न वह क्रम से आ रहा है।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा इनके साथ है। हम दोनों राजी है, मैं पहले बोल लूं वे बाद में बोल लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले बोल लें।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, एक ही बात है।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बहरोड़ से आने वाले सदस्य डाक्टर करण सिंह जी ने जो मामला उठाया वह उनके क्षेत्र के साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र का भी मामला है। उनका क्षेत्र बहरोड़ तहसील मेरे विधान सभा क्षेत्र बानसूर, के नजदीक है। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग यहां पर बैठे हैं मानव हित के लिए, उसके विकास के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके भरण-पोषण के लिए और उन्हीं के बारे में यहां पर चर्चाएं होती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ चार पांच जिले ऐसे बचे हैं जिनमें अकाल नहीं है। बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान में तो पशु पीने के पानी की कमी के कारण मर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख और शर्म की बात है, हमारे यहां पर अकाल तो नहीं है परन्तु उतने ही पशु यहां पर प्रदूषित पानी को पीकर मेरे क्षेत्र में मर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, वहां पर अगर कोई बच्चा, अगर कोई व्यक्ति नंगे पैर निकल जाता है तो उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बार बार निवेदन करना चाहता हूं कि एक फैक्ट्री लगी है शिमला श्यामपुर में एक गूती में, एक कारोड़ा और नीमराना में। इस 15-20 किलोमीटर में कम से कम पचास गांव ऐसे हैं जिन गांवों का रहना दूभर हो गया है। मक्खियां भिनभिनाती हैं, अगर आपको खाना खाना है, उपाध्यक्ष महोदय, आपको बड़ा ध्यान देना चाहिए इस बात की तरफ कि वहां ब्याह-शादी हो रही है, वहां पर मिठाइयां बनती हैं और भोजन बनता है, अगर आपको भोजन करना है तो आपको मच्छरदानी ताननी पड़ेगी। मैं सच कह रहा हूं, मैं बाई ओथ कह सकता हूं इस बात को। वहां पर मक्खियां ऐसे पकड़ते हैं जैसे चींटों को पकड़-पकड़ कर फैंकते हैं। कम से कम पचास गांव इसकी चपेट में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सब कुछ होते हुए आज दस दिन से धरना चल रहा है, वहां फैक्ट्रियों पर धरना चल रहा है और भूख हड़ताल चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सात तारीख तक हम नोटिस देते हैं सरकार को, सात तारीख तक किसी भी तरीके से या तो ये फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, नहीं तो नेशनल हाई-वे-8 वहां की पब्लिक बंद करेगी।

मैं आज कहना चाहता हूं आपके बीच में, अपने सदन के बीच में, उपाध्यक्ष महोदय, हाल यह हो रहा है कि इधर पश्चिमी राजस्थान की सारी जनता त्राहि-त्राहि करती हुई यूं घूम रही है और हमारे 50-60 गांव यूं घूम रहे हैं कि किस तरीके से प्रदूषित फैक्ट्री बंद हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर इससे बड़ी पंचायत राजस्थान की क्या होगी। क्या हम रो-रो कर दिखाए आपके सामने ? वहां पर एक मिनट भी व्यक्ति ठहर नहीं सकता, हालत यह हो रही है। वहां पर

(श्री जगत सिंह दायमा)

लोग धरने दे रहे हैं, वहां पर भूख हड़ताल हो रही है। 7 तारीख तक अगर ये फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई, उपाध्यक्ष महोदय, हाल खराब हो जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना यह तो। कह दिया ना आपने।

श्री जगत सिंह दायमा : नेशनल हाई-वे बंद हो जाएगा और हम शरीक रहेंगे। इससे पहले सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि किसी भी तरीके से ऐसी फैक्ट्रियों को, अगर आप जांच करवाना चाहते हैं तो 15 दिन के लिए बंद करके देख लें और उसके बाद आप परमानेंट काम इसका कर दें। तुरन्त अगर उस आन्दोलन को बंद करवाना चाहते हैं कि कोई इस तरह की घटना नहीं हो, उपाध्यक्ष महोदय, तो 7 तारीख से पहले-पहले ये फैक्ट्रियां बंद हो जानी चाहिए। (व्यवधान) धन्यवाद।

शिक्षण संस्थाओं व अस्पतालों को गृह-कर के नोटिस

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन का, माननीय शिक्षा मंत्रीजी और स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में करीब दस हजार गैर सरकारी विद्यालय कार्यरत हैं जिनमें से सरकार 483 विद्यालयों को अनुदान देती है। इस प्रकार 9,500 विद्यालय सरकार से एक भी पैसा लिये बिना शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाए प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान भारतवर्ष का शिक्षा की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ दूसरा प्रान्त है। आज उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह हो गई कि इन्होंने हाउस टैक्स के लाखों रुपये के नोटिस इन प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को दे दिये। मैं आपको उदाहरण दूं, वैदिक बालिका विद्यालय जिसको सरकार पांच लाख रुपये साल का अनुदान देती है, उसको एक साल के हाउस टैक्स का छह लाख अस्सी हजार का नोटिस दे दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद सोचें कि ये छह लाख अस्सी हजार रुपये आखिर कहां से चुकाएंगे। आज आप सारे प्राइवेट स्कूलों को हाउस टैक्स के नोटिस दे रहे हैं, आज आप सारे अस्पतालों को जो जयपुर में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, रिहायशी क्षेत्र में हैं, उनको हाउस टैक्स के नोटिस दे रहे हैं। क्या राज्य सरकार का इरादा है? स्कूल में जो बच्चे चार घंटे-पांच घंटे पढ़ने आते हैं और चले जाते हैं, उनको हाउस टैक्स के बोझ से लाद रहे हैं? आखिर वह शिक्षण संस्था हाउस टैक्स चुकाएगी तो भार तो जाकर उस विद्यार्थी के ऊपर ही पड़ेगा। तेल तो तिलों से ही निकलेगा। जो मरीज अस्पतालों में इलाज

(मोहम्मद माहिर आजाद)

करवाने आते हैं आप उन पर लाखों रुपये का हाउस टैक्स लाद रहे हैं। आखिर उन मरीजों के ऊपर भी उसका भार पड़ेगा। क्या राज्य सरकार का इरादा इन शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों के साथ साथ श्मशानों और कब्रिस्तानों में जो मुर्दे आराम कर रहे हैं, उनसे भी हाउस टैक्स लेने का है क्या? आखिर सरकार चाहती क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के पदाधिकारी माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मिले, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिले, जयपुर विकास प्राधिकरण के लोगों से मिले, और उसके बाद उन्होंने स्वायत्त शासन मंत्रीजी को ज्ञाप भी दिया है। इन्होंने सारे राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को भी ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उन्होंने अपनी मांग रखी है। आवासीय भूखण्डों पर संचालित संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए यह अखबार में एक सूचना निकली है और यह नोटिस दिया है जिसकी प्रति मेरे पास है, कि 15 दिन के अन्दर-अन्दर जितने भी बड़े-बड़े जयपुर के स्कूल हैं, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, आदर्श विद्या मंदिर, टैगोर पब्लिक स्कूल, सैन्ट जेवियर स्कूल, सीडलिंग पब्लिक स्कूल, सेन्ट एंजिला, सोफिया स्कूल, इण्डिया इन्टरनेशनल स्कूल, एम.जी.डी. गर्ल्स स्कूल, महाराजा सवाई मान सिंह स्कूल–

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य माहिर आजाद जी।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसके अलावा संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल, सोनी अस्पताल, रूंगटा अस्पताल। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बोर्ड से सम्बद्धता शुल्क एक हजार से बढ़ा कर आपने 10 हजार कर दिया, बोर्ड से सम्बद्धता के लिए निरीक्षण शुल्क पांच हजार रुपये कर दिया, प्रत्येक अस्थाई और स्थाई मान्यता प्राप्त संस्था के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को प्रति वर्ष एक हजार रुपये देने अनिवार्य कर दिये। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर की मान्यता के लिए एक लाख रुपये की आपने फिक्स डिपाजिट का प्रावधान कर दिया। इतना सब करने के बाद भी अपना सर्वस्व लुटा कर ये स्वयंसेवी संस्थाए, दानदाता लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। इससे सरकार को सन्तुष्टि नहीं हुई और लाखों रुपये के हाउस टैक्स के नोटिस देकर–

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये। हो गया, यह तो बात हो गई न।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं समाप्त कर रहा हूं। इतना अहम मुद्दा है, इन्होंने नोटिस में यह कहा है कि 15 दिन के अन्दर-अन्दर हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया तो इन संस्थाओं के भवनों की कुर्की कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, लाखों छात्रों के जीवन के अस्तित्व का सवाल है। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी और इस सदन का ध्यान आकर्षित

(मोहम्मद माहिर आजाद)

करना चाहता हूं कि अगर आपको हाउस टैक्स लेना भी है तो उसकी मात्रा थोड़ी कम कीजिये या किश्तें कीजिये। आप क्यों छात्रों के साथ और शिक्षण संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावरजी। बिराजो, माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : सारे विद्यालय रिहायशी क्षेत्रों में हैं, जंगल में जाकर तो स्कूल चल नहीं सकते हैं। इसलिए आपको वह नोटिस वापस लेना चाहिए। उनके खिलाफ जो कार्यवाही कर रहे हैं इसको स्टाप कर देना चाहिए।

नैनवां तहसील के देई थानान्तर्गत नाहरगंज गांव में शिमला नाम की लड़की की हत्या के दोषियों को सजा

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल प्रातः आठ बजे नाहरगंज गांव में तहसील नैनवां देई थानान्तर्गत एक गांव पड़ता है, शिमला नामक एक लड़की जिसके पिता का नाम बृजमोहन धाकड़ है, अपने बाड़े में गोबर वगैरह इकट्ठा कर रही थी। चार बदमाश हाथ में तलवार लेकर के उसकी मां की उपस्थिति में उस लड़की को घसीट कर ले जाना चाहते थे। उसकी मां ने विरोध किया, उस लड़की ने प्रतिरोध किया तो चारों बदमाशों ने तलवारों से उस लड़की के एक-एक करके छह टुकड़े कर दिये। उपाध्यक्ष महोदय, छह टुकड़े करने के बाद जब गांव वालों को पता चला, गांव वाले लोग दौड़े। बदमाश जब भागने लगे तो एक बदमाश को जिसका नाम कमलेश धाकड़ है, उसको गांव वालों ने पकड़ लिया। दो अज्ञात के नाम नहीं जानते हैं और एक लड़का गांव वालों की दहशत के मारे भागते-भागते कुए में जा गिरा। यह सब इसलिए हुआ होगा जहां तक मैं समझता हूं कि इस लड़की का कुछ महीने पहले एक लड़के ने अपहरण कर लिया था। दूसरे दिन इसकी बरामदगी हो गई थी और अपने मां बाप के साथ यह लड़की रह रही थी। 154 के बयान भी अदालत में इस लड़की के हो गये थे। परन्तु तीन तारीख को, आने वाले कल में अदालत में पेशी थी। पेशी में जाकर गवाह के रूप में अदालत में लड़की कुछ कह नहीं दे इसलिए वे एक दिन पहले ही उस लड़की को इस प्रकार से उठाकर या तो मारना चाहते थे या गायब करना चाहते थे। आश्चर्य इस बात का है कि एक दिन पहले ये चारों बदमाश थाने में उपस्थित होकर वहां के एस.एच.ओ.. से राय कर रहे थे। शायद यह राय कर रहे होंगे कि हम कैसे बच सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है। क्या राय थानेदार ने दी, क्या नहीं दी, क्या वहां के पुलिस अधिकारियों ने राय दी लेकिन दूसरे दिन

(श्री मदन दिलावर)

ही उन्होंने इस प्रकार की कारस्तानी की। इससे साफ जाहिर है कि पुलिस की मिलीभगत थी। पुलिस ने शायद यह कहा होगा कि या तो लड़की इस धरती पर न रहे या लड़की आपके कब्जे में आ जाये तो वह आपके खिलाफ बयान नहीं दे सके, इसलिए उसका आप इन्तजाम करो। उस केस में बचने के लिए कि उनको सजा ना हो जाए, वह उनके विपक्ष में बयान न दे दे, यही समझकर उसकी इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी। छह टुकड़े कर दिये उसकी मां के सामने। उसकी आत्मा क्या कह रही होगी, श्रीमान्? इसलिए मेरी मांग है कि जो ये बदमाश हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और जो पुलिस अधिकारी षड्यंत्र में हैं उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नाम भी लो न।

श्री मदन दिलावर : माननीय विधायक जो नैनवां से आते हैं प्रभुलालजी करसोल्या, उनकी बेटी की बेटी है वह।

श्री उपाध्यक्ष : लिखा हुआ है इसमें।

श्री मदन दिलावर : मैं मांग करता हूं कि एस. पी. स्तर से कम अधिकारी इसकी जांच न करें अन्यथा तथ्य को तोड़ा-मरोड़ा जाएगा। माननीय विधायक यहीं हैं, वे अपनी बात को स्वयं बताएंगे (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय गृह मंत्रीजी से...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, वे बोल रहे हैं।

श्री प्रभुलाल करसोल्या (नैनवां) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी दोहिती है। डेढ़ साल पहले उसका अपहरण हुआ था, उसकी पेशी कल 3.5.2000 को सुबह 8 बजे है। चार जने मय तलवारों के नाहरगढ़ी में आये। बाड़ा था, बाड़े के अंदर वह बच्ची थी। इसके दो कारण निहित हैं—एक तो तारीख पेशी में बयान उनके खिलाफ देने की बात और एक वे ऐसे ग्रुप से है जो बेचा-खोची भी करते हैं। चारों लोगों ने तलवार से उसके ऊपर हमला बोलकर टुकड़ा कर दिया। हाथ काट दिये दोनों, पैर काट दिये। तलवार से सिर के दो टुकड़े हो गये। वह वहां 5 मिनट में ही समाप्त हो गयी। उसके बाद में पूरा गांव उलटा। गांव उलटने के बाद में एक आदमी तो वहां पकड़ लिया गया कमलेश धाकड़, कमलेश गुर्जर गांव में जाकर गांव के डर से पड़ गया और दो आदमी फरार हैं। निवेदन मेरा यह है कि चारों आदमी एक दिन पहले मतलब परसों के रोज थाने में थे। अब यह क्या नीयत से उन्होंने किया, नहीं किया, बाकी उसके 6 टुकड़े करके उन्होंने फैंक दिया। जला भी दी और टुकड़े भी हो गये।

फरार आदमी को कैसे आप गिरफ्तार करेंगे, या क्या उनको सजा देंगे सदन से हम न्याय चाहते हैं। किसी भी तरह से दोषी आदमी को हम दण्डित कराना चाहते

(श्री प्रभुलाल करसोल्या)

हैं। यह मेरा निवेदन है और मैं आशा करता हूं...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : बहुत ही जघन्य कांड इस राजस्थान में हुआ है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान) आप बिराजो। बिराजो न आप। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं न बिराजो।

श्री जगत सिंह दायमा : सरकार के राज का कोई अर्थ नहीं रहता। अगर इस तरह से अपराधी सरे आम कत्ल कर देते हैं, कोई अर्थ नहीं रहता सरकार का...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न आप बिराजो तो सही। ...(व्यवधान) बिराजो न, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। मैं कर रहा हूं न व्यवस्था। (व्यवधान) आप बिराजो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं का मामला है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो तो। मेरी बात तो सुन लो। (व्यवधान) आप सैटिसफाई नहीं हों तो फिर बोल लेना। इस सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी से चर्चा करके इसके क्या किया जा सकता है, इस हाउस के उठने से पहले आपको जानकारी दे देंगे। (व्यवधान) स्टेटमैंट, वही, जानकारी...(व्यवधान) स्टेटमैंट कुछ भी कहो न आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कार्यवाही तो वे करेंगे, मैं थोड़े ही करूंगा? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जघन्य कांड इस राजस्थान के अंदर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कार्यवाही तो मैं नहीं करूंगा, कार्यवाही तो वे करेंगे। (व्यवधान) वे क्या कार्यवाही करेंगे आप इंतजार कीजिये न। (व्यवधान) जैसे ही स्टेटमैंट...(व्यवधान) आप स्टेटमैंट आने दीजिये, उसके बाद नहीं आ रही है तो फिर बोल लेना। (व्यवधान) अभी इस वक्त इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। श्री अमरारामजी...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह राजनीतिक तरीके से उठाना नहीं चाहते, व्यक्तिगत मामला है। एक विधायक की नातिन है, उस पर कार्यवाही हो, यह चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कार्यवाही तो वह सरकार करेगी, मैं थोड़े ही करूंगा। श्री अमरारामजी।

सीकर जिले की सड़कों की दयनीय हालत

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, सीकर जिले की सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है। आज सीकर की कोई ऐसी सड़क नहीं बची जिस पर गाड़ी चल सकती हो, ऊंटगाड़ी चल सकती हो या कोई पैदल चल सकता हो।

(श्री अमराराम)

उपाध्यक्ष महोदय, जहां 20 किलोमीटर चलना हो वहां आधे घंटे की बजाय सवा घंटा लगेगा। आज सड़कों पर चलने के बजाय सीकर का व्यक्ति कच्चे रास्ते से जाना ज्यादा मुनासिब समझता है। तीन साल से मैं समझता हूं, किसी भी सड़क की मरम्मत करने का काम सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नहीं उठाया और न आगे आने वाले समय में कोई इस तरह की योजना सरकार के पास है। चुनाव था तो बड़े भाषण थे कि भा.ज.पा. के राज में डेढ़-डेढ़ फुट के खड्डे हो गये, इन खड्डों में भा.ज.पा. रह जाएगी। लेकिन सवा डेढ़ साल का कांग्रेस का शासन आने के बाद वे खड्डे भी नहीं भरे गये। यही हालत रही तो चार साल के बाद में जब चुनाव होगा, आपकी पार्टी और सरकार की भी वही हालत होगी जो डेढ़ साल पहले भा.ज.पा. शासन की हुई थी।

आज, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बुरी हालत मरम्मत की है। नेशनल हाईवे नम्बर 11 को छोड़कर पूरे सीकर जिले की एक-एक सड़क चाहे वह स्टेट हाईवे हो, चाहे वह डिस्ट्रिक्टस रोड्स हों, चाहे गांव की लिंक रोड्स हों। जो ग्रामीण लिंक रोड हैं उनकी तो और भी बुरी हालत है, वहां सड़क पर आपको डामर नाम की चीज नहीं मिलेगी। सीकर से धोद आप जाएं, सीकर से फागलवा होते हुए जो सड़क है उसकी हालत देखें। मेरे विधान सभा क्षेत्र धोद में पिछले चार साल से सड़कें स्वीकृत हैं जिस पर लाखों रुपया विभाग के माध्यम से राजस्थान की जनता का लग चुका, लेकिन डामर नहीं होने के कारण, लाखों-करोड़ों रुपया अकेले सीकर जिले में डब्ल्यू. बी. एम. बनने के बाद दो-दो बरसात हो गयीं, वह करोड़ों रुपया राजस्थान की जनता का व्यर्थ में आ रहा है। चार सड़कें जो सीकर जिले की स्वीकृत थीं, पिछले साल उन पर एक पर भी कार्य नहीं हुआ, जिससे राजस्थान की जनता का इस विभाग के माध्यम से करोड़ों रुपया व्यर्थ में आ रहा है इसलिये मेरा आपसे निवेदन यही है कि जितनी भी क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उनकी मरम्मत करवायी जाए और जितनी भी स्वीकृत सड़कें हैं उनका तुरन्त निर्माण करवाकर सीकर की जनता की जो तकलीफ है, उसका समाधान करने की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

बजरी के ठेके में धोखाधड़ी के आरोपी को सजा

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल मोदी।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत खनिज मंत्री तो हैं नहीं, यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक करोड़ सत्यासी लाख रुपये में बजरी का ठेका हुआ था जिसकी यहां तीन चार बार बहस भी हुई है। एक करोड़ सत्यासी लाख रुपये में से एक किश्त सरकार

(श्री मोहन लाल मोदी)

के पास आयी है, बाकी सारा रुपया डूब गया। फर्जी दस्तावेजों से उन्होंने अपनी हैसियत तस्दीक करा दी। मैं आपको बताऊं, अभी 45 लाख रुपये का एक वारंट-कुर्की उस आदमी के नाम, यह बाबूलाल गुप्ता है उसके नाम वारंट-कुर्की भेजी माइनिंग डिपार्टमेंट ने। उसके ऊपर उन्होंने यह लिख दिया कि इसके जो दो प्लाट बताये गये थे, वे दो प्लाट नहीं हैं, इसका कोई मकान बताया गया था, वह मकान नहीं है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि इस तरह की धोखाधड़ी करने वाले लोगों को दंड देना चाहिये और इन लोगों को गिरफ्तार करके सरकार का एक करोड़ सत्यासी लाख रुपया वसूल करना चाहिये।

राज में हमारे एएमई. बैठे हैं, एमई. बैठे हैं, उनके रहते इस तरह की धोखाधड़ी हो। खनिज मंत्रीजी ने उस दिन कहा कि सत्ताईस लाख रुपया बाकी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 12/9/99 को ठेका हुआ, तीन महीने तक उसका एग्रीमैंट नहीं हुआ। खाली एक किश्त आयी है और बाकी वह छोड़ गये। एक तरफ तो यह है कि हम आर्थिक नुकसान की स्थिति में हैं और दूसरी तरफ हमारे अधिकारी मिल कर इस सारे रुपये को बरबाद करा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके यह रुपया वसूल किया जाए। यह शपथ पत्र दिया है, एक दफा मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मंत्रीजी को दे देना।

श्री मोहन लाल मोदी : मंत्रीजी तो हैं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आ जाएंगे। कल दे देना, वे तो यहीं हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : शपथ पत्र थोड़ा आपकी जानकारी में आ जाएगा। आखिर एक दो दिन कोशिश करके...

श्री उपाध्यक्ष : आपने मूल बात कह दी ना।

श्री मोहन लाल मोदी : पर्ची के माध्यम से मेरे को मौका मिला है तो मैं एक मिनट में कह देता हूं। शपथ पत्र है : मैं बाबूलाल गुप्ता...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, किसको सुना रहे हो आप? मंत्रीजी नहीं हैं, शपथ पत्र किसको सुना रहे हो आप?

श्री मोहन लाल मोदी : तो यह इसमें आ जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिये कह रहा हूं कि आप मंत्रीजी को दे देना न।

श्री मोहन लाल मोदी : हाउस की प्रोसीडिंग में आ जाएगा, अखबारों में आ जाऐगा, रिकार्ड में आ जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपने रैफर कर दिया शपथ पत्र।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं बाबूलाल गुप्ता, उम्र 45 साल, पुत्र रामप्रसाद, जाति महाजन, निवासी वार्ड नं. 15 नीमकाथाना का रहने वाला हूं। यह कि मेरे दो भूखण्ड एक हजार वर्ग गज के तथा एक भूखण्ड 231 वर्ग गज का मय मकानात वार्ड नं. 15 में स्थित हैं जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपये है। ये भूखण्ड व मकानात मेरे स्वामित्व के हैं तथा कहीं भी रहन में नहीं हैं। यह शपथ पत्र मद नं. एक मेरे जाति इल्म से सही है। ईश्वर मेरी मदद करे, बाबूलाल। यह अटैस्टेड हो करके शपथ पत्र दिया है। अब जो अटैचमैंट करने के लिये गया है। सरकारी अधिकारी, वह यह रिपोर्ट कर रहा है, पूरा तो नहीं बताऊंगा, बीच में जो अंश पढ़ने लायक है वह मैं आपको बताता हूं। बाबूलाल द्वारा पेश किये गये सभी कागजात जिनके पीछे पटवारी हलका व तहसीलदार की रिपोर्ट है, की फोटो प्रति पेश कर निवेदन है कि हलका पटवारी, गिरदावर आवश्यक समझें तो, नगर पालिका से उक्त संपत्ति की मौका जांच कर. सम्पत्ति कुर्क करवाएं।

अब वे यह कह रहे हैं कि वार्ड नम्बर 15 में पूछताछ करने पर किसी ने भी श्री बाबूलाल गुप्ता का भूखण्ड व मकान होना नहीं बताया। खसरा नम्बर 776/2 पटवारी रिकार्ड के मुताबिक मालसिंह पुत्र गुमान सिंह, हजारी सिंह पुत्र श्री मूल सिंह, व कानाराम पुत्र श्री गोमाराम यादव का है, जबकि बाबूलाल गुप्ता ने सत्यनारायण यादव से भूखण्ड खरीद किया है। सत्यनारायण यादव, वकील जो कि सिविल न्यायालय में बरामदे में बैठता है, को जानकारी करने पर उन्होने भी भूखण्ड मौके पर बताने से इंकार कर दिया। यह वकील जो मुखत्यार है, जिसने यह लिखकर दिया है कि मैंने यह प्लाट इनको बेचा है और यह मकान उनका है। यह मैंने आपके सामने उस आदमी का रिकार्ड पेश किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह रुपया वसूल कराया जाए और इन लोगों को सजा मिले ताकि आइंदा कोई इस तरह की चीटिंग नहीं करे।

बड़ी सादड़ी थाने में दर्ज रिपोर्ट के आरोपी मुंसिफ मजिस्ट्रेट के विरुद्ध कार्यवाही

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐसी घटना सदन में रखना चाहता हूं जिसको जानकर के मैं सोचता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को आज बहुत ही दुःख होगा। यह घटना मेरे स्वयं के विधान सभा क्षेत्र की है, बाघेलों का खेड़ा का एक छोटा-सा गांव है। चतर सिंह नाम के एक फरियादी ने एक रिपोर्ट बड़ी सादड़ी थाने में 28 तारीख को 11.50

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बजे रात्रि को दर्ज करायी। वहां का मुंसिफ मजिस्ट्रेट हमेशा शराब और कुछ खाने-पीने की दृष्टि से जिस व्यक्ति के यहां आता-जाता रहता है, उसके कारण से इस छोटे-से गांव में यह घटना घटित हुई है। मैं बहुत अधिक वर्णन नहीं करना चाहता हूं लेकिन उसने स्वयं ने जो एफ.आई.आर. लिखवायी, मैं उसे पढ़ रहा हूं। उससे इस बात की जानकारी मिलेगी कि जहां थोड़ी बहुत आस्था टिकी हुई है कि कम से कम न्यायालय से तो हमें कुछ न्याय मिलेगा। एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट स्वयं अगर अपराध में सम्मिलित हो जाए और उसके कहने से अपराध घटित हो जाए तो निश्चित रूप से बहुत ही चिन्ता का विषय है। जो उसने एफ.आई.आर. लिखवायी उसको मैं पढ़ देता हूं, बाकी बात तो मैं आप पर छोड़ता हूं।

"उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आज शाम को करीब 8 बजे मेरे गांव में राधाकिशन जी के मंदिर परिसर में एक चबूतरे पर बैठा हुआ था। भगवान की आरती हो रही थी कि श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री भोगपाल सिंह राजपूत के मकान पर श्री नारायण सिंह जी मजिस्ट्रेट साहब, बड़ी सादड़ी वाले आये हुए थे जो छत पर बैठकर शराब पी रहे थे। जो छत पर से नीचे आये और विक्रम सिंह से कहा कि डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब का मतलब आरती हो रही थी और आरती के बाद जो कैसेट लगायी गयी थी उससे उनको डिस्टर्ब हो रहा था। माइक बंद कराओ, मना करे तो जूते लगाओ। मैं मजिस्ट्रेट हूं, सब निपट लूंगा। इससे विक्रम सिंह आया और मंदिर के एम्प्लीफायर को निकालकर बंद कर दिया। विक्रम सिंह को मैंने कहा कि यह मंदिर आपका नहीं है। इस पर विक्रम सिंह तथा उसके भाई भंवर सिंह, मोहन सिंह, पप्पू सिंह, कैलाश सिंह, लालसिंह पिता भंवर सिंह राजपूत, निवासी बाघेलों का खेड़ा सभी ने पत्थरों से हमला किया। विक्रम सिंह ने एक पत्थर मेरे ऊपर मारा। इसी दौरान मेरे पिताजी उदयसिंह मेरे मकान के अंदर से निकलकर बाहर आये और विक्रम सिंह द्वारा मुझ पर मारा पत्थर मेरे पिताजी के सर पर लगा जिससे मेरे पिताजी नीचे गिर पड़े। मेरे पुत्र देवेन्द्र सिंह के भी कमर पर चोंटे आयीं। मेरे पिताजी विक्रम सिंह द्वारा मारे गये पत्थर की चोट लगने से मर गये। हमारी पारिवारिक अदावत पहले से ही थी।" यह जो घटना है, आपसी रंजिस के कारण से भी ऐसा हो सकता है, दो परिवारों में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन दुःख इस बात का है कि वहां का मुंसिफ मजिस्ट्रेट निरंतर उस जगह जाता है और शराब की पार्टी उसके घर सदा रहती थी। उस दिन कुछ योग अच्छा था कि बाकी अधिकारी उसके साथ नहीं थे। वे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भाग्यशाली थे अन्यथा यह क्रम चलता रहता। मुंसिफ मजिस्ट्रेट अगर अपने लोगों के साथ जाकर के शराब की पार्टी करे और उसके आधार पर कानून की धज्जियां उड़ाने का काम करे, स्वयं मजिस्ट्रेट ने यह बताया कि मैं मुंसिफ मजिस्ट्रेट हूं, तुम जो कुछ भी चाहो इनके साथ मारपीट कर डालो, मैं इनसे निपट लूंगा क्योंकि मुकदमा तो मेरे पास ही आएगा। इसके कारण से यह घटना घटित हुई।

वैसे वहां के थाने की पुलिस वाले उसने जैसा लिखाया वैसा का वैसा लिखकर उसकी इनक्वायरी व इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मुंसिफ मजिस्ट्रेट के कारण से इसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी न आए इसलिये सरकार इस बात का प्रयास करे कि जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के उनको इस बात की सूचना देकर इस मुंसिफ मजिस्ट्रेट को तुरन्त सस्पेंड किया जाए। चूंकि इस वारदात में तो मौत में उसका उकसाना शरीक है, इसके कारण से उसको भी मुलजिम बनाकर उसके साथ एक मुलजिम का व्यवहार किया जाए, यह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं।

अकाल राहत के तहत खर्च की जाने वाली राशि का अन्य कार्यों में उपयोग

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट के प्रथम आकलन में मैंने सदन में यह निवेदन किया था कि 1999-2000 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय चंदनमल जी बैद ने कहा था कि राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी समस्त बस्तियों एवं स्थानों में जहां 40 बच्चे पढ़ने वाले हों, वहां प्राथमिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रथम आंकलन के अनुसार लगभग 16 हजार ऐसी बस्तियां हैं जहां प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोले जाने हैं। उन समस्त स्थानों पर सार्वजनिक आधार पर जन सहयोग से भवन की व्यवस्था होते ही प्राथमिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। कहीं भी जन सहयोग नहीं मिला और सब जगह भवन बने हैं, मैंने वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि ये पैसे कहां से आये, कौनसी मद से आपने पैसे लगाये। इसी प्रकार से मैंने एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हुए यह बात कही थी, यह पढ़कर सुनाया था कि किस प्रकार से राशि अवशेष थी राजस्थान सरकार के पास। यह प्रगति प्रतिवेदन है अकाल सहायता विभाग का, इसके अंदर वर्ष 1999-2000 का अनुमानित शुद्ध शेष 133 करोड़ 6 लाख है जो फीगर्स इसमें बताये हैं उसको उन्होंने कन्फर्म नहीं किया। यह मनी डाइवर्ट हुई है—यह प्रतिवेदन है प्रारंभिक शिक्षा, साक्षरता, पंचायती राज विभाग का 7444 पाठशालाओं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी है जिनमें से अधिकतर भवन पूर्ण हो चुके हैं। 135 विभिन्न विवादों के कारण स्वीकृत नहीं हो पाये हैं। इन भवनों के निर्माण हेतु दसवें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं अकाल राहत की शेष रही राशि का उपयोग किया गया है। ये फैक्ट्स हाउस में आने के बावजूद मंत्री जी ने इसको एडमिट नहीं किया। इस सदन के अंदर मैं भी कहता रहा हूं और आरोप लगते रहे हैं कि सरकार के पास पैसा था लेकिन सरकार ने पैसा अकाल राहत के अंदर खर्च नहीं किया और मनी को डाइवर्ट किया है। यह फाइनेंशियल इररैगुलिरिटी नहीं है लेकिन यह टैक्निकली तो गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, आज भास्कर के अंदर खबर है। परसों के रोज परिवाद नहीं किया, माननीय सुमित्रा सिंह जी ने कहा था कि कर्नल सोनाराम से इनकी बात हुई है, आज कर्नल सोनाराम ने भास्कर को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि 10 लाख-लोगों का पलायन।

श्री उपाध्यक्ष : आप किस पर बोल रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अकाल का जो पैसा डाइवर्ट हुआ है, मिस मैनेज़ हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी पर्ची पर बोलें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक पर्ची ही है, अकाल का...।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें अकाल का नहीं, है, इसमें तो राजीव गांधी पाठशाला है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : राजीव गांधी पाठशाला के लिये, नो, नो, उपाध्यक्ष महोदय, वही है, मैं वही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सोनाराम जी कहां से आ गये बीच में?

श्री सुरेन्द्र व्यास : सोनाराम जी यहां आ गये कि अकाल का मिसमैनेजमैंट है, अकाल का पैसा डाइवर्ट किया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आप इस पर्ची पर बोलें, बोलना है तो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, हां, इस पर्ची पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं, सोनाराम जी तो कल आ गये, आज वापस कहां से आ गये? वे तो अखबार में रोज आएंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, मूल बात तो यह है कि फेमिन का जो मैनेजमैंट है सरकार का वह विफल रहा है। यह कहने का तात्पर्य है और उसी की परिधि में यह आता है। लेकिन आप इसकी अनुमति नहीं देते हैं तो मैं इस पर नहीं बोलता हूं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार के पास कुछ मिलाकर 500 करोड़ रुपया था और

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

जो खर्चा सरकार बताती है वह भी सरकार ने नहीं किया। सब्सटेंशल अमाउंट 133 करोड़ रुपये है, फेमिन रिलीफ हैड के अंदर फाइनेंस कमीशन के रिकमंडेशन से पैसा सरकार को मिला था उसको इन्होंने डाइवर्ट किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके दो कारण हैं। यह बिलकुल परमिसिबल नहीं था। फाइनेंशियल इररैगुलरिटी तो है ही, लेकिन इन्होंने जो अकाल का पैसा डाइवर्ट किया है प्रोवीजो है फाइनेंस कमीशन की रिकमण्डेशंस के अंदर कि जो शेष राशि रहेगी वह योजना के अंदर सपोर्ट में काम आएगी, वो भी काम नहीं आ सकती। यह क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ मनी है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आज भी सरकार पूर्णतया अकाल का प्रबंधन करने में विफल रही और 1999-2000 में भी इस सरकार ने कोई पैसा खर्च नहीं किया, अकाल की कोई व्यवस्था नहीं की।

मालवीय क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जयपुर के प्राचार्य पद पर नियुक्ति

श्री उपाध्यक्ष : डा. रतन लाल।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। टैक्निकल एजुकेशन के मामले में देश के जो 18 रीजनल कालेजेज हैं उनमें से यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण संस्था है। इस कालेज में पिछले लगभग एक साल से 5 मई, 1999 से प्राचार्य का पद रिक्त पड़ा हुआ है, वहां का एकेडेमिक एटमोस्फियर उसकी वजह से दूषित हो रहा है और किसी प्रकार के रिसर्च और दूसरे वर्क जो रैगुलर वे में होने चाहिए वे हो नहीं पा रहे हैं। इसके प्रिंसिपल के पद को भरने के लिए 5.11.99 को एक सलैक्शन कमेटी बिलकुल ड्यूली कांस्टीट्यूट थी और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति उसके सदस्य थे, जोधपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति उसके सदस्य थे, आई.आई.टी., दिल्ली के वरिष्ठ प्राचार्य और विभागाध्यक्ष उसके सदस्य थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि प्रो. आमले उसके सदस्य थे और ए.आई.सी.टी.ई. के सदस्य उसके सदस्य थे। इसके साथ ही साथ श्री राजेन्द्र चौधरी, जो पूर्व में टैक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे, इस सलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे। इस चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रो. डी.बी.एस. वर्मा जो कुरुक्षेत्र (हरियाणा) में पिछले 15 सालों से प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं और एकेडेमिक रूप से क़ाफी साउण्ड व्यक्ति हैं, जिन्होंने लगभग 50 रिसर्च पेपर लिखे हैं, 6-7 पीएच.डी. प्रोड्यूस की हैं—इस तरह के व्यक्ति का चयन किया

(डा. रतन लाल जाट)

गया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि प्रो. वर्मा, जिनका इस चयन समिति ने सलेक्शन किया था उनको अमरीकन बायोफिजिकल संस्था, 1997 के द्वारा मैन ऑफ दी ईयर का अवार्ड दिया गया है। प्रो. वर्मा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की कई समितियों के विशेषज्ञ के रूप में वहां पर सदस्य के नाते रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि एकेडेमिकली काफी साउण्ड व्यक्ति का इस पद के लिए ड्यूली कांस्टीट्यूटेड सलेक्शन कमेटी द्वारा मैंने जैसा निवेदन किया था, पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री स्वयं इसके चेयरमैन थे, सलेक्शन किया गया था।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में एस.सी. अग्रवाल, जो कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं और इस सलेक्शन कमेटी में एक सदस्य के रूप में, एक प्रार्थी के रूप में एपीयर हुए थे, ये प्रो. अग्रवाल किसी तरह से मेनिपुलेट करके यह चाहते थे कि इस पद को नहीं भरा जाए और वे कार्यवाहक प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते रहें। प्रो. अग्रवाल किस तरह के व्यक्ति हैं, मैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि वे कार्यवाहक प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हैं लेकिन पिछले 20 वर्षों से अपने एकेडेमिक कैरियर में उन्होंने एक भी शोध का कार्य नहीं किया। इसके साथ-साथ जब कभी भी इन्होंने विभागाध्यक्ष के पद पर काम किया है वहां के शैक्षणिक स्टाफ ने, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने तरह-तरह के आरोप प्रो. अग्रवाल पर समय-समय पर लगाये। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस चयन समिति में, एक सदस्य के नाते शिक्षा सचिव एन.आर. भसीन भी थे, जब अग्रवाल जी को उन्होंने कहा कि आपका सलेक्शन नहीं हुआ, प्रो. डी.बी.एस. वर्मा का सलेक्शन हो गया है तो उन्होंने मेनिपुलेट करके, कुछ साथियों से मिलकर नोन टीचिंग स्टाफ से एक प्रकार की शिकायत प्रो. डी.बी.एस. वर्मा के बारे में इस बात की करायी कि वे कुरुक्षेत्र में शिक्षण संघ के अध्यक्ष रहे। किसी व्यक्ति का शिक्षक संघ का अध्यक्ष रहना किसी को अयोग्य नहीं बना देता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, इस सलेक्शन कमेटी के द्वारा प्रो. वर्मा का सलेक्शन पूर्ण रूप से चयन प्रक्रिया को पूरा करते हुए था लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा सचिव महोदय ने हमारे स्टेट टैक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर को बाई पास करते हुए जो सलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, सीधा एक नोट माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात का भिजवाया कुछ लोगों से लिखित में शिकायत लेकर कि वे शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और शिक्षक संघ की गतिविधियों में भाग लेते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस फाइल को अपने पास मंगा लिया। साल भर से प्रिंसिपल का पद रिक्त पड़ा है, वहां का एकेडेमिक एटमोस्फियर

(डा. रतन लाल जाट)

सही ढंग से चल नहीं पा रहा है और तीन महीने से वह फाइल माननीय मुख्य मंत्रीजी के यहां पर विचाराधीन पड़ी हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य बात यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि मालवीय इंजीनियरिंग कालेज में 70 प्रतिशत बजट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवंटित किया जाता है। प्राचार्य के सलेक्शन का जो इसमें तरीका दिया गया है, उसके अनुसार प्राचार्य की नियुक्ति का अधिकार केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, ए.आई.सी.टी.ई. एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियमों के तहत गठित चयन समिति को है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसकी अंतिम स्वीकृति देती है। क्योंकि 70 प्रतिशत बजट मानव संसाधन विकास मंत्रालय का आता है इसलिए इस चयन की स्वीकृति अंतिम रूप से उस मंत्रालय के द्वारा दी जाती हैं। राज्य सरकार को इस चयन स्वीकृति के निर्णय पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय विराजमान हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, ड्यूली कांस्टीट्युटेड सलेक्शन कमेटी ने प्राचार्य डी.बी.एस. वर्मा का जो सलेक्शन किया है 70 प्रतिशत बजट जैसा कि मैंने निवेदन किया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से आता है, तकनीकी शिक्षा परिषद् व मानव संसाधन विकास मंत्रालय दोनों मिलकर जो चयन समिति गठित करते हैं उस आधार पर चयन समिति के निर्णय में राज्य सरकार को किसी प्रकार से इंटरफियरेंस करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले तीन महीने से जो पत्रावली माननीय मुख्य मंत्रीजी के विचाराधीन पड़ी हुई है, ऐसे एकेडेमिकली साउण्ड व्यक्ति प्रो. डी.बी.एस. वर्मा जिनका इस चयन समिति ने सलेक्शन किया है उनको शीघ्र नियुक्ति दी जाए। एम.आर.ई.सी. का भारतवर्ष में अपना अलग से एक पी.जी. महाविद्यालय है, टैक्निकल एजुकेशन कालेज अपना अलग से स्थान रखता है। इसके बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लगभग 3-4 चिट्ठियां हमारी राज्य सरकार को और तकनीकी शिक्षा विभाग को भेजी है कि आप शीघ्र प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति कीजिए। समय-समय पर रिसर्च वर्क के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और ए.आई.सी.टी.ई. के द्वारा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है उस फाइनेंशियल असिस्टेंस को भी रैगुलर प्राचार्य की नियुक्ति नहीं होने की वजह से रोक दिया गया है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि शीघ्र ही इस पर निर्णय करके प्राचार्य के पद पर प्रो. डी.बी.एस. वर्मा

(डा. रतन लाल जाट)

जिनका सलेक्शन हुआ है, उनको नियुक्ति दी जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, महत्त्वपूर्ण विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री सांवर लाल : छात्रों के भविष्य का सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री सांवर लाल : एक साल के क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज में प्राचार्य का पद रिक्त है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। हो गई न बात, कह दी इन्होंने। (व्यवधान) इन्होंने कह दी बात, अब क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्री महोदय बिराज रहे हैं, वे जवाब दें। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : ये ओ.बी.सी. के कैंडीडेट हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी ओ.बी.सी. की वकालत करते हैं...(व्यवधान) एक साल से पद रिक्त पड़ा हुआ है। (व्यवधान) जल्दी से जल्दी इनको नियुक्ति दें। प्रो. वर्मा की नियुक्ति करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री सांवर लाल : छात्रों के भविष्य का सवाल है। (व्यवधान) प्रो. वर्मा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कह दी न इन्होंने। आप क्या नयी बात कह रहे हो? (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री राम प्रताप : जो ओ.बी.सी. का संरक्षण कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री रामप्रताप : सरासर अन्याय कर रही है सरकार। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री सांवर लाल : काबलियत के आधार पर पिछड़ी जाति के व्यक्ति का प्रिंसिपल के पद पर चयन हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री सांवर लाल : हम सरकार से जानना चाहते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी आ जाएगी, बिराजें आप।

श्री सांवर लाल : सरकार विराजमान है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई जरूरी नहीं है जवाब दें। आप बिराजें। माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : एक साल से छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है, पूरा माहौल खराब हो रहा है मालवीय इंजीनियरिंग कालेज का। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। कह दी ना वो सब बात। आप नयी बात क्या कह रहे हो? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जवाब दिलवाओ, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दिलाना जरूरी नहीं है। आप नियम समझते हो, बिराजो प्लीज। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : एक साल से प्राचार्य नहीं है। माननीय मंत्री महोदय मंशा तो बताएं, सरकार क्या चाहती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। वो देना चाहें तो मैं रोक नहीं सकता। मैं उनको कह नहीं सकता। आप बिराजें।

श्री सांवर लाल : स्टेट्युटरी सलेक्शन कमेटी से जिसका सलेक्शन हुआ हो और पिछड़ी जाति का...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा। कह दिया इन्होंने। सब बात कह दी, आप नयी बात क्या कह रहे हो? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप नयी बात क्या कह रहे हो इसमें?

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार नहीं सुनना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार बैठी है, सुन रही है। सरकार बैठी है न।

श्री सांवर लाल : नयी बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : तो कह दिया न।

श्री सांवर लाल : पिछड़ी जाति का व्यक्ति...

श्री उपाध्यक्ष : आप नयी बात क्या कह रहे हो इसमें, वह बताओ। सारी बात माननीय सदस्य ने कह दी, व्हाट इज दी प्राब्लम? बिराजिए।

श्री सांवर लाल : पिछड़ी जाति के व्यक्ति का जिस पद पर चयन किया गया...

श्री उपाध्यक्ष : जरूरी नहीं जवाब दिलवाना। मंत्रीजी चाहेंगे, मैं कह नहीं सकता उनको, प्लीज। आप समझ रहे हो इस बात को। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय मंत्रीजी बिराजमान हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको बोलने देना चाहते हो या नहीं?

श्री सांवर लाल : ये कहते हैं सरकार पारदर्शी है...(व्यवधान)

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री रामप्रताप : ×××

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दिया न, अब नई बात क्या कह रहे हो? व्हाट इज न्यू इन दिस। बिराजिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : हो जाएगी सुनवाई, आप बिराजें। आर्डर, आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वे देंगे नहीं जवाब।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : देते तो दे देते, मैं रोक रहा हूं क्या? वे सुन रहे हैं, अगर जरूरी समझते तो जवाब दे देते। वे सुन रहे हैं। जरूरी नहीं पर्ची पर जवाब देना। आप इसको और किसी तरह से उठा लीजिये। नहीं, आई विल नॉट अलाउ।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैं नई प्रैक्टिस कोई अलाउ नहीं करूंगा। जो गंभीरता है उस पर कह दिया, आप बिराजिये। श्री ज्ञानदेव आहूजा। बिराजें, आप, नहीं होगा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा। बिराजिये प्लीज।

श्री राम प्रताप : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राम प्रताप जी, आप बिराजिये। हो गया न, आपने खूब कह दिया न। श्री ज्ञानदेवजी आहूजा।

जयपुर के सुखालपुरा गांव की सवाई चक भूमि के घोटाले की जांच

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मैं जिस घोटाले को उजागर कर रहा हूं, यह मैंने स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास आवास की मांग के दिन भी उठाया था। सांगानेर और मानसरोवर हाउसिंग बोर्ड कालोनी के पास सुखालपुरा गांव है, वहां सवाई चक की लगभग 44 बीघा और 11 बिस्वा जमीन है। इस जमीन पर जिन लोगों के नाम पर पिछले कब्जे चले आ रहे थे, वे लोग काश्त कर रहे थे। लेकिन वर्तमान सत्ता के प्रभाव से हीरालाल सैनी, एडवोकेट ने जो सांगानेर के हैं, जिन्होंने और भी भूमि घोटाले किये, जिनको दो बार सजा हो चुकी है, इन्होंने झूठी डिक्रियां के. एस. गहलोत

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

और सेठ कांतिलाल के नाम पर दिनांक 1.6.84 को माननीय सहायक जिलाधीश की एसीएम. कोर्ट में करवा लीं। एसडीएम. कोर्ट में उस पर मुहर लग गयी दिनांक 11.1.96 को उस जमीन को खुर्द-बुर्द करके के.एस. मोटर्स के श्री किशोर सिंह गहलोत और हीरालाल सैनी, के नाम पर जो कि काश्तकार नहीं है, सरकार की एक प्रमुख राजनीति शक्ति जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता लेकिन हमारे सब के ध्यान में है उनसे जुड़े होने के कारण उनके नाम खातेदारी करवा दी गयी। हाउसिंग बोर्ड के एक्सईएन. और वहां के कुछ कर्मचारियों की महालक्ष्मी प्रॉपर्टीज एम.आई. रोड पर है, इस सवाईचक जमीन को खुर्द-बुर्द करने के लिए हाउसिंग बोर्ड के साथ एक समझौता प्रपत्र तैयार हुआ। पूरे तथ्य पूरी तारीख सहित मेरे पास है। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर खातेदारी शपथ पत्र तैयार करवाये गये और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के साथ एक समझौता हुआ। जिनकी जमीन थी नहीं, झूठी डिक्रियां, झूठे हलफनामे, शपथ पत्र और झूठे स्टाम्प पर खातेदारों के नाम से मुख्त्यारनामा लेकर यह कार्यवाही हुई और हाउसिंग बोर्ड के साथ एक समझौता हुआ। तेजाजी रोड पर टैक्निकल पार्क के पास लगभग 20 हजार वर्ग गज बेशकीमती जमीन है, इस जमीन के 15 प्रतिशत एवज में उनको उपलब्ध हो गयी और उस जमीन को भी हाउसिंग बोर्ड से तय करके बेच रहे हैं। प्रार्थी जो चौधरी हैं, जिनके पहले से कब्जे चले आ रहे थे, उन्होंने राष्ट्रपति महोदय, प्रधान मंत्री महोदय सहित राजस्थान के मुख्य मंत्री, राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री को लिखा है, जो बहुत बढ़ चढ़कर यहां भाषण देते हैं तोड़फोड के, अतिक्रमण के। अतिक्रमण की बातों को बाद में रखिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हाउसिंग बोर्ड और सवाईचक की जमीन खुर्द-बुर्द की गयी है इसके सबूत मेरे पास में हैं, अखबारों ने भी इसको उछाला है। इसको जिस दिन स्वायत्त शासन की मांग थी उस दिन भी मैंने उठाया था। के.एस. मोटर्स, कांतिलाल सेठ, हीरालाल सैनी, एडवोकेट इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लगातार पत्र भेजे गये है। हाउसिंग बोर्ड के 6 कर्मचारी इसमें लिप्त हैं, महालक्ष्मी प्रोपर्टीज एम.आई. रोड के सम्बन्ध में किया गया। मामले को दबाने के लिए वहां के एक एक्सईएन. श्री ओ.पी. शर्मा का हनुमानगढ़ ट्रांसफर किया गया। बाकी कर्मचारियों को भी इधर-उधर ट्रांसफर करके मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है, इस घोटाले की जांच, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उचित माध्यम से करवाना चाहता हूं। अभी तो सरकार को बने हुए डेढ़ साल भी नहीं पूरा हुआ, लेकिन इस तरह राजनीतिक दबावों में और राजस्थान के एक मुख्य स्तम्भ या उनके परिवार जाति के नाम पर श्री

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हीरालाल सैनी और के.एस. मोटर्स, श्री किशोर सिंह गहलोत जैसे लोगों ने यह गबन किया है, घोटाले किये हैं। इस जमीन की पूरी जांच हो और जांच करके सदन के सामने तथ्य लाये जाएं। इन तथ्यों के लिए जो सहयोग, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार मेरा चाहती है, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने सारे तथ्यों को उजागर भी किया है, साथ भी दूंगा, सहयोग भी दूंगा लेकिन अपराधियों को घोटालेबाजों को, बेईमानों को, गड़बड़ करने वालों को, सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने वालों को, ए.सी.एम. कोर्ट के सामने, एस.डी.एम. कोर्ट के सामने झूठे हलफनामे पेश कर डिक्रियां लेने वालों को सजा होनी चाहिए। मैंने आज इस मुद्दे को उठाया, मानसरोवर के लोग और सांगानेर के लोग इस बारे में आन्दोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हो। सारे मंत्री महोदय सीनियर जितने भी हैं, बातों में मशगूल हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे ठीक से सुन भी नहीं रहे हैं, यह स्थिति है सदन की। माननीय खेत सिंह जी राठौड़ सी.पी.जोशी और स्वायत्त शासन मंत्री जिनके घोटाले सम्बन्धित मामले हैं, इनके विभाग के घोटाले हैं। इनके नहीं, इनके विभाग के हैं, घोटालों के सम्बन्ध में मामले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वे बातों में मशगूल हैं। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि 44 बीघा और 11 बिस्वा और 15 प्रतिशत हाउसिंग बोर्ड की जमीन के मामले की जांच हो। के. एस. मोटर्स, सेठ कांतिलाल, हीरालाल सैनी, एडवोकेट जो पहले सजायाफ्ता हैं, भू-माफिया गिरोह है इनके खिलाफ जांच हो, यह आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं।

करौली जिले में महामारी का प्रकोप

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप। धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में रोजाना अकाल की चर्चा हो रही है लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे यहां जिला करौली के अन्दर महामारी का प्रकोप फैल रहा है, इंसानों में भी और जानवरों में भी। दोनों में फैल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला करौली में अभी दो दिन तक मैं स्वयं गया था। वहां का जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं उनके दुःख-दर्द में उनके साथ लगूं और मैंने अपने फर्ज को निभाया। वहां पर कई गांवों में महामारी फैल रही है। लोगों को बुखार आता है और बुखार आने के बाद में शरीर में भयंकर पीड़ा होती है। कई लोग वहां पर मौत के घाट उतर गये। गांवों में टीके नहीं लग रहे हैं, न गांवों में दवाइयां उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में,

(श्री रामस्वरूप)

माननीय मंत्री जी जो यहां विराजमान हैं, शायद कहीं पधार गये, मैं तो आपके माध्यम से ही उनको सूचना देना चाहता हूं कि जिला करौली में जो महामारी फैल रही है बुरी तरह से, उस पर रोक लगवायी जाए।

इसके साथ ही, जानवरों में भी बीमारी फैल रही है। जानवरों में गलघोंट की बीमारी सबसे ज्यादा है। जानवरों के गले में एक गांठ हो जाती है और गांठ होने के बाद में वह अपना चारा नहीं खा सकता है। उसके कारण वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है, और दुबारा उठ नहीं सकता। हमारा किसानों का एक मात्र सहारा ये ही जानवर हैं। दुधारू पशु मर रहे हैं, भैंसे मर गयीं। कई गांवों के मैं आपको उदाहरण पेश कर रहा हूं, माननोज है, दादनपुर है, तहराकर है, पदमपुरा है, गेमरी है, कलावज है, गुढ़ाचन्द्र जी है, मोहनपुरा है। इन गांवों में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जानवर मर रहे हैं। यह हमारे अखबार में साफ आया हुआ है। 20 हजार रुपये की भैंस थी, मर गयी। यह माता जो रो रही है न, एकमात्र भैंस ही इसका सहारा थी। उस भैंस का दूध बेचकर वह अपना पालन-पोषण करती थी लेकिन 20 हजार रुपये की भैंस मर गयी जिसकी वजह से विलाप में यह देख लो, रो रही है। यहां बहनें बैठी हुई हैं, देखो। बहनें किस तरह रो रही हैं अपने जानवरों के मरने के कारण। तो मेरा विनम्र निवेदन है, गर्मी भयंकर पड़ रही है, पानी की समस्या हो रही है, जानवर बीमारी से मर रहे हैं। माननीय विद्युत मंत्रीजी यहां विराजमान है,

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जीतमल जी। विद्युत मंत्रीजी का अकाल से क्या है?

श्री रामस्वरूप : और कोई मंत्रीजी तो हैं नहीं, विद्युत मंत्रीजी बैठे हैं उनसे ही मेरा निवेदनहै कि मेरा 132 केवी. का वह बना दो ताकि मेरे यहां पर गर्मी जो पड़ रही है। कम से कम बिजली लोगों को मिल जाए। माननीय भण्डारीजी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, सब हैं, कोई नहीं सुनता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर गर्मी के मौसम में विद्युत की समस्या और पैदा हो गयी–

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। माननीय श्री जीतमल जी। हो गया, बिराजियें प्लीज।

श्री रामस्वरूप : उसके कारण से पानी भी नहीं आ रहा है, जानवर मर रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप टोडाभीम में तो कम से कम 132 केवी. का लगा दें।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : रामस्वरूप जी +++ लेकिन बिजली विभाग के पास पैसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : जानवरों के लिए भी आप वहां पर दवा भेजें।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये न अब आप। (व्यवधान) प्लीज बिराजिये। क्यों डिस्टर्ब करते हो आप इनको? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मानीय उपाध्यक्ष जी, इतनी दर्दनाक उन्होंने बात कही है, जानवर मर रहे हैं, पशु मर रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं चाहते क्या, माननीय सदस्य?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप इनकी वकालत मत करो।

श्री रामस्वरूप : घोषणा करो। यह आपकी + + + सरकार थी तब से रोज आ रहा है, यह आज कोई नयी बात नहीं है। + + + 9 साल तक तो मैं। अब मेरी संवेदनशील सरकार आ गयी है, मुझे भरोसा है, अब तो मेरे काम होंगे, माननीय राजेन्द्र सिंह जी। हमको भरोसा है हमारी सरकार का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भैंस कब मरी, यह बताओ। हमारे राज में मरी भैंस ?

श्री रामस्वरूप : यह देखो, यह मरी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : भरतपुर में मर गयी आयुध डिपो में।(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + + (व्यवधान) अब आपको दु:ख हो रहा है इस बात का। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी, बिराजिये। श्री जीतमल जी।

बांसवाड़ा जिले में पर्याप्त अकाल राहत कार्य खोला जाना

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, इसी पवित्र सदन में अकाल पर चर्चा हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में 1458 गांव अभाव ग्रस्त घोषित किये गये हैं, जिला जनजाति बहुल क्षेत्र हैं। अकाल की बार-बार चर्चा होती है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे मंत्रीगण और सरकार का जो मन है वह भी इस अकाल की पीड़ा से परे होकर मौन साधे हुए है। ऐसा महसूस होता है। मैं कहना चाहता हूं और मेरा यह आरोप है कि 1458 गांव अभाव ग्रस्त हैं लेकिन सरकार ने मात्र 30 हजार की मजदूर सीलिंग दे रखी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोग पड़ौसी राज्य गुजरात के अन्दर चले जाते हैं, वहां पर भी यही अकाल की हालत बनी हुई है, वहां पर भी मजदूरी नहीं मिल पाती है। आज गांवों के अन्दर कुए-बावंड़ी का काम सरकार ने दे रखा है, किसी गांव

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जीतमल खांट)

में एक छोटे-से तालाब की मरम्मत का काम दे रखा है, पर्याप्त मात्रा में मजदूरों की संख्या नहीं दे रखी है इसलिए हालात बड़े खराब हो रहे हैं। सरकार का बार-बार इस ओर ध्यानाकर्षित करने के बावजूद भी जिला प्रशासन से पूछा जाता है तो कहते हैं कि जब तक जयपुर का आदेश नहीं आएगा हम क्या कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां राजस्थान सरकार राज्य के 6 बड़े नगरों को सजाने के लिए डेढ़ हजार करोड़ रुपये लगा रही है वहां लोग रोजगार के अभाव में सूरत, भड़्च, गुजरात और जूनागढ़ की तरफ पलायन कर रहे हैं और वहां से भी अपनी पोटली बांधकर वापस अपने घरों की तरफ आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिला आदिवासी बहुल जिला है, यहां पर रोजगार के लिए पर्याप्त राहत खोलना बहुत आवश्यक है, वरना क्षेत्र के अन्दर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, हालत बड़ी खराब हो सकती है। 1458 गांव हैं, प्रत्येक गांव में कम से कम 50-50 मजदूर लगे, इतनी व्यवस्था तो कम से कम सरकार करा ही सकती हैं। वरना बड़े-बड़े नगरों को किसके लिए सजाएंगे? लोग मर जाएंगे और हालत बड़ी खराब हो जाएगी, चोरियां, डकैतियां होंगी। हालात उस इलाके के अन्दर खराब हैं, सरकार ने बड़े बड़े वायदे किये हैं तो कम से कम रोजी रोटी की जो इनकी व्यवस्था करें। आपके माध्यम से मैं इतनी ही बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

झुंझुनूं जिले के ग्राम बींजुसर में महाविद्यालय को चालू किया जाना

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी समझ में लोकतंत्र के इतिहास में यह एक अजीब ही तरह की घटना है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी। राज्य सरकार की इजाजत से झुन्झुनूं जिले में ग्राम बींजुसर में रामनारायण केडिया मिश्रीबाई केडिया ग्रामीण महाविद्यालय के नाम से एक 15 लाख रुपये खर्च करके इमारत बनायी गयी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी ने 10 जुलाई को इस महाविद्यालय का उद्घाटन किया और यह शर्त रखी दानदाता के सामने कि आप 20 लाख रुपये जमा कराइये, एक साल का खर्चा जमा कराइये तो हम इस कालेज को खोल देंगे। दानदाता ने 17 लाख रुपये जमा करा दिये और कहा कि तीन लाख रुपये मैं बाद में जमा करा दूंगा। 9 महीने तक सरकार वह 17 लाख रुपये अपने पास रखे रही। माननीय शिक्षा मंत्रीजी गये, 10 जुलाई को उन्होंने वहां पर उद्घाटन किया ये उसके निमंत्रण पत्र हैं जिसमें लिखा हुआ है कि राजकीय महाविद्यालय का शिक्षा मंत्रीजी उद्घाटन करेंगे। बाकायदा जिसकी फोटो आयी है कैसेट भी है। लेकिन कैसेट को

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मैं सुनाऊं कैसे? आप इजाजत दें तो वह भी सुना दूं, जिसमें बाकायदा उनके भाषण में उन्होंने कहा है कि इस ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर महाविद्यालय का प्रारम्भ किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा, क्योंकि आज दिन तक कालेज वहां पर संचालित नहीं हुआ है। लड़कियों ने इस उम्मीद के अन्दर कि उस कालेज का उद्घाटन हो गया है, कहीं और अपना एडमिशन लिया नहीं और साल भर लड़कियों का बर्बाद हो गया। सैकड़ों लड़कियों का एक साल बर्बाद कर दिया और अब जाकर के 15-20 दिन पहले सरकार ने 17 लाख रुपये का ड्राफ्ट उस सेठ को वापस भेज दिया। तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी हैं नहीं, मैंने जो प्रश्न पूछा वह वर्तमान शिक्षा मंत्रीज से पूछा कि क्या 10 जुलाई को तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी ने मिश्रीबाई केडिया ग्रामीण महिला महाविद्यालय बींजुसर का उद्घाटन किया था? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, जवाब सुनकर सदन को आश्चर्य होगा, उन्होंने कहा, हां, भवन का उद्घाटन किया था। क्या भेड़ों के लिए भवन का उद्घाटन किया था कि भेड़ें पलायन कर रही है तो इस 15 लाख रुपये के भवन के अन्दर इन भेड़ों का बाड़ा बना देंगे? क्या इसका उद्घाटन इसके लिए किया था? मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, 15-15 लाख रुपये के भवन का कोई पशुओं को रखने के लिए उद्घाटन किया जाता है। मुझे इस तरह का जवाब वर्तमान शिक्षा मंत्री जी ने दिया। उसकी अध्यक्षता उस समय न्यायाधिपति नवरंगलाल जी टिबरेवाल ने की थी जो भूतपर्वू राजयपाल भी रह चुके हैं। मैं यह पूछना चाहती हूं, शिक्षा मंत्रीजी हैं नहीं, शिक्षा मंत्रीजी चांदी की कैंची ले आये जिस कैंची से उन्होंने वहां पर उद्घाटन किया था, शॉल ओढ़ आये, यह शॉल ओढ़ते हुए की तस्वीर है। इसके अन्दर चांदी की कैंची से फीता काटते हुए तत्कालीन शिक्षा मंत्री डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी चांदी की कैंची ले आये। आपने भी बहुत लायी हैं वे कैंचियां। (व्यवधान) आप भी लाये हैं, बहुत कैंचियां लाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठे रहो न चुपचाप।

+ + +

श्री ख़ेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : चांदी की कैंचियां तो आप भी लायी थीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या फरमाया आपने?

श्री ख़ेतसिंह राठौड़ : वह तो आप मिनिस्टर थीं तब आप भी लायी थीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कब लायी मैं? मैं मेरी जिंदगी के अन्दर आज दिन तक कोई कैंची नहीं लायी। यदि मैंने उद्घाटन किया है तो, खेतसिंह जी, आपकी तरह से

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

घर नहीं लायी हूं। मैंने कहा है कि इसको स्मृति के रूप में यहां ही रख दीजिये। सुमित्रा सिंह का नाम भी अमर हो जाएगा आपकी स्कूल के साथ साथ। आपकी तरह से लायी नहीं मैं। घर में नहीं लायी हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमको तो उन्होंने बड़े अदब से दी है इसलिए हम लाये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कितने ही अदब से दी हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको एक बार ही दी है, वह मुझे याद है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बिराजिये। आपको याद है। आपकी आदत पड़ गई। सदन में मामला कितना ही गम्भीर मामला हो, आपकी आदत पड़ गई उसे हंसी में और मजाक में उड़ाने की। आपकी तो आदत पड़ी हुई है लेकिन आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप बात की गम्भीरता को थोड़ा समझिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेते हुए राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगी कि आपकी कलेक्टिव रेस्पासिबिलिटी है, यदि आपके मंत्री ने उद्घाटन किया है, यदि आपके मंत्री ने फीता काटा है, यदि आपके मंत्री शॉल ओढ़कर आये हैं, यदि आपके मंत्री ने चांदी की कैंची को ग्रहण किया है और लाये हैं तो आपका दायित्व है कि आप उस कालेज को खोलें। वरना उस इलाके में यह चर्चा होने लगी है कि अशोक गहलोत की सरकार यह कोई जनता की सरकार है, यह कोई लोकप्रिय सरकार है या + + + जो चाहे अब अपनी बात से मुकर जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। डाक्टर चन्द्रभान।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय , यह आज सुबह मैं आपको निवेदन कर रहा था कि 10 लाख लोगों के पलायन की बात है...

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो + + + सरकार के लिए कहा है, वह शब्द निकाला जाए। यह शब्द असंसदीय है। और अशोभनीय है, सरकार के लिए + + + कहा है। जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। इसको निकाला जाए, मेरा निवेदन है आपसे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह असंसदीय भाषा नहीं है, यह कोई असंसदीय शब्द नहीं है। सिर्फ असंसदीय शब्द ही एक्सपंच किये जाते हैं, यह कोई असंसदीय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या चीज है?

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह बहुत ही हल्की भाषा का प्रयोग किया है और यह असंसदीय और अमर्यादित भाषा है।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह असंसदीय शब्द नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको देखकर कर लेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : + + + कोई असंसदीय नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : Whatever you want to mention, mention it to the hon'ble Deputy Speaker. Not to me.

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि इस अकाल के अन्दर पशु पलायन कर रहे हैं, सरकार...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : नाट टू मी,. जो कुछ भी आप कहना चाहती हैं, आप उपाध्यक्ष महोदय को बोलिये, मुझे बीच में नहीं डालें।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, ये सब कह चुके हैं कि...

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रभान।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोई असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ! (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक्सपंज कर दिया, कर दिया। एक्सपंज कर दिया गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कैसे एक्सपंज कर देंगे? (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ... कि कोई पलायन नहीं कर रहा है और इन्हीं की पार्टी के सांसद महोदय इस प्रकार का स्टेटमैंट दे रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रभान।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ... कि पांच लाख गायें, 15 लाख पशु पलायन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ...(व्यवधान) माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बिराजिये। आप बिराजिये।

श्री सांवर लाल : इन्होंने कहा कि माननीय सोनिया गांधी ने कहा कि 10-15 लाख...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन का आखिरी दिन है और हम चाहते हैं कि सरकार स्पष्टीकरण दे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप चाहते क्या हो? (व्यवधान) समाप्त कर दूं? (व्यवधान) तो क्या करूं? या तो आप बिराजिये या सदन... (व्यवधान) आप बिराजिये। (व्यवधान) बिराजिये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) आप बिराजिये, बिराजिये।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : माननीय सदस्य का कहना ठीक नहीं है कि 10 लाख..

श्री अमीन खान : आप भी एक एम.एल.ए. हो, इन्होंने बयान क्यों नहीं दिया? आपके एक भी आदमी ने बयान नहीं दिया है कि पलायन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : आप सदन मे गलतबयानी करके सदन को गुमराह कर रहे हैं कि 10 लाख का पलायन हो गया। (व्यवधान) आप खुद वहां के एम.एल.ए. हो।

श्री अमीन खान : आप दूसरों के स्टेटमैंट का यहां हवाला दे रहे हैं, आप खुद वहां के एम.एल.ए. हो, आप क्यों नहीं बयान देते? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कांग्रेस का सांसद है। सोनाराम चौधरी कांग्रेस का सांसद है, बी. जे. पी. का नहीं है, मिस गाइड तो सांसद कर रहा है कांग्रेस का लोक सभा में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय। विपक्ष के नेता महोदय (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप अपने सांसद को समझाओ या उनको वापस बुलाओ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय, आप क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष के नेता महोदय, क्या कहना चाह रहे हैं आप? (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। आप क्या फरमा रहे हैं?

सूचना प्राप्ति प्रश्न

बाड़मेर-जैसलमेर से लाखों लोगों के पलायन सम्बन्धी बाड़मेर के सांसद का वक्तव्य

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : यह कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। सांसद जो बाड़मेर के हैं उनका स्टेटमैंट है और उस स्टेटमैंट में कितने जानवर मर गये, कितने लोगों का पलायन हुआ है और अकाल में किस प्रकार की अव्यवस्था चल रही है, उसका विस्तार से उल्लेख है। पिछले 10 दिनों में आपने देखा होगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान के समाचार पत्रों में इस अकाल की भयावह स्थिति का पूरा विस्तार से उल्लेख आ रहा है। कुछ समाचार पत्रों में यह भी संकेत है और यह संकेत ही नहीं है, यह बात सही है कि प्रारम्भ में राज्य सरकार की ओर से इस अकाल की जिस प्रकार से भयावह स्थिति बताई गयी थी, उस प्रकार की स्थिति आज सरकार नहीं मानती। तीन दिन पहले इसी सदन में चर्चा हुई थी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि राजस्थान से पलायन नहीं हुआ है। उसके बाद रिएक्शंस और लोगों के आये या नहीं आये, लेकिन एम. पीज. के रीएक्शंस आये हैं, यह बात सही है। ऐसी स्थिति में पलायन की बात आ गई, पशु मरने की बात आ गई और उनके साथ में अकाल में किस प्रकार से अव्यवस्था चल रही है, उस संबंध

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की बात आ गई। उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में शायद सरकार ने यह सोचा है कि जितना ही इसका प्रचार करेंगे, उस प्रचार के आधार पर भारत सरकार से हमें ज्यादा सहायता मिलेगी। यह सही है, बजट स्पीच में भी मैंने कहा था और आज भी मेरे पास लेटेस्ट इन्फोर्मेशन है कि भारत सरकार ने अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान को कितना अधिक पैसा दिया है। दुर्भाग्य की बात है कि इतना पैसा देने के उपरांत भी अकाल की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। चाहे सोनाराम जी बोलें या सोनाराम जी नहीं बोलें, पानी का संकट है और इस सदन में मैं कहना चाहूंगा, मई और जून के महीने, यह राजस्थान की सरकार की परीक्षा का समय है, यह हमारी परीक्षा का समय है। हम चारे के कारण से पशुओं को मरवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता महोदय, अब करना क्या चाह रहे हैं इसमें?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक मिनट में ही आ रहा हूं, एक मिनट में ही।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप तो अकाल पर भाषण देने लग गये। अकाल का विषय हाउस में है ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह भाषण देने नहीं लग गया, यह स्थिति पैदा क्यों हुई, सोनारामजी ने वक्तव्य क्यों नहीं दिया (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गई न चर्चा, बहुत हो गई चर्चा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह भाषण नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी सावधान करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो सावधान हूं ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी भीलवाड़ा जिले से आ रहे हैं, उस भीलवाड़ा में भी बड़ा संकट है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अगर ये भाषण देंगे तो हमें भी भाषण देना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : अभी यह हाउस के सामने इश्यू ही नहीं है, क्या इश्यू है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इश्यू कैसे नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है इश्यू? या तो आप कोई नोटिस दें...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज अकाल का इश्यू नहीं है तो क्या इश्यू है? अकाल का इश्यू नहीं है तो आज इश्यू क्या है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप किस नियम के तहत बात कर रहे हैं? किस पर चर्चा हो रही है? यह किस नियम में चर्चा हो रही है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काहे पर? आपने मुझे इजाजत दी है।

श्री उपाध्यक्ष : इजाजत मैंने यह नहीं दी कि आप अकाल पर चर्चा करो। आप कुछ बोलना चाहते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अकाल पर ही बोलना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष : अकाल पर तो बोलने का सवाल ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अकाल पर बोलने का सवाल नहीं है तो हाउस में बैठे काहे के लिए हैं?

श्री उपाध्यक्ष : हाउस में तो बैठे हैं, आप हाउस के नेता है, हाउस के एम.एल.ए. हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाउस के नेता है, राजस्थान की जनता के सामने जो समस्या है उसका समाधान हो।

श्री उपाध्यक्ष : समस्या तो समस्या है, समस्या को उठाने का तरीका है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह समस्या उठाने का तरीका है यहां पर। आपकी बिना इजाजत खड़ा नहीं हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप मेरी इजाजत से खड़े हुए हैं लेकिन मैंने यह समझकर खड़ा किया कि आप कुछ इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी इजाजत से ही खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई बात कहना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आज तक तो आपकी और मेरी समझ में फर्क नहीं आया, आज ऊपर बैठते ही फर्क आ गया, इसका मुझे दुःख है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो ऊपर एक साल से ही बैठ रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, इसलिए तो बैठे हो ना। तो यह फर्क होने के लिए नहीं बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें चर्चा का तो अभी कोई सवाल ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चर्चा का सवाल जबरदस्त हो गया। जबरदस्त इसलिए हो गया...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इस पर चर्चा कराने का कोई समय तय करें। इस पर चर्चा कराने के लिए तो अलग से समय तय होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आज समय ही नहीं है। (व्यवधान) अलग समय नहीं तो इससे ज्यादा गम्भीर मामला और कोई नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है तो क्या करूं?

श्री जीतमल खांट : यह राजस्थान का गम्भीर मसला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इससे ज्यादा अकाल की स्थिति_

श्री उपाध्यक्ष : अब आप चाहते क्या हो? अकाल पर बहस हो यहां?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं चाहता हूं कि इस मामले पर सरकार स्पष्टीकरण दे कि कर्नल सोनाराम जी ने जो स्टेटमैंट दिया है वह कहां तक सही है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार तो दे चुकी स्पष्टीकरण। सरकार अनेकों दफा दे चुकी स्पष्टीकरण। दे चुकी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या? सोनाराम जी के स्टेटमैंट पर सरकार स्पष्टीकरण दे।

श्री उपाध्यक्ष : सोनाराम जी के प्रश्न का जवाब आ चुका है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, जवाब नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आया है। जवाब आया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी तक सरकार ने जवाब नहीं दिया है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : 26 तारीख को सदन में डिस्कशन किया है, 26 तारीख के बाद में परिस्थितियां बदली नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आया है सोनाराम जी का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सोनाराम जी का जवाब आया है कि नहीं आया है, सवाल यह है कि आज जो पत्रिका में छपा है_

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, पेपर में कोई एक व्यक्ति, कोई सांसद, कोई विधायक; कोई भी स्पष्टीकरण दे दें, सरकार उसका कोई स्पष्टीकरण थोड़े ही देगी?

श्री उपाध्यक्ष : पत्रिका में छपा है तो अखबारों के आधार पर कोई सरकार स्पष्टीकरण दे, यह जरूरी नहीं है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जवाब देने का सवाल है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या समझ रखा है आप लोगों ने? बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, 26 तारीख को डिस्कशन हुआ था 26 तारीख को। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय सदस्य, जोर से बोलने से कोई नहीं डरता। सरकार डेली वक्तव्य नहीं देगी। (व्यवधान) सरकार डेली वक्तव्य नहीं देगी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सफाई देनी पड़ेगी।

श्री श्रवण कुमार : सरकार डेली वक्तव्य नहीं देगी। आपकी + + + नहीं है। आप

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री श्रवण कुमार)

सरकार को अकाल के नाम पर और वैल में आने से डराते हो क्या? (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा वैल में आकर नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : एक बात समझ लो, हाउस के सामने कोई बिजनस है नहीं। हाउस के सामने कोई बिजनस नहीं है। (व्यवधान) थोड़ी देर में मैं हाउस को एडजोर्न कर दूंगा। एडजोर्न कर दूंगा अगर आप नहीं चाहते हो बिजली पर बहस। (व्यवधान)

(नारेबाजी)

श्री श्रवण कुमार : माननीय सदस्य, कपड़े निकालने की जरूरत नहीं है। + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिजली पर बहस नहीं चाहते हो तो मैं हाउस एडजोर्न कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : सरकार से जवाब पर डेली अकाल के नाम पर अपनी राजनीति की रोटी सेंक रहे हैं। ये पूंजीपतियों के हितैषी लोग हैं जो आज किसान के नाम राजनीति की रोटी सेंकना चाहते हैं। (व्यवधान)

(नारेबाजी)

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधीजी (व्यवधान)

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : आप सुनिये। आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप तो + + + करना चाह रहे हैं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सिर्फ हंगामा करने के लिए खड़े हुए हैं, बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

(नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप चाहते हैं कि हाउस को स्थगित कर दूं? तो मैं कर दूंगा एक मिनट में + + + (व्यवधान)

श्रीमती कमला : जो माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते, वह क्या है? (व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं।

(नारेबाजी)

श्री रामस्वरूप : + + +

श्रीमती सुचित्रा आर्य : + + + (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

श्रीमती कमला : बैठिये आप। आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। आप बैठिये, सुनिये पहले। (व्यवधान) सुनिये, सुनिये।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति/नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री बनवारी लाल बैरवा (समाज कल्याण मंत्री) : आप बैठिये। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती कमला : अपनी सीटों पर जाकर बिराजिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित कर दूंगा हाउस अभी। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : भाजपा के शासन में... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : ये आ गये गुलाब सिंहजी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : भाजपा के शासन में, पानी बिक गया राशन में। यह सभी माननीय सदस्यों को नारा लगाना है। नौ साल में इन्होंने जो कुछ किया उसका परिणाम राजस्थान की जनता आज भोग रही है। आज ये नारे लगा रहे है, कल जब ये सरकार में थे तब क्यों नहीं नारे लगाये इन लोगों ने? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप मंत्री महोदय को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं और अपनी नारेबाजी में मगन हो रहे हैं आप। इसका मतलब आप सिर्फ कहने के लिए खड़े हैं...

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी को आप सुनना नहीं चाहते, इस सदन का अमूल्य समय आप नष्ट कर रहें हैं।

श्रीमती कमला : सिर्फ नारे लगाने के लिए खड़े हो, सुनना नहीं चाह रहे हो।

श्री रामस्वरूप : आज बिजली पर चर्चा हो रही है। आज बिजली जैसे महत्त्वूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है, माननीय विद्युत मंत्रीजी तैयार होकर बैठे हैं और आप लोग बिजली जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा नहीं करने देते हो। राजस्थान का कितना पैसा इस बिजली के ऊपर लगा है। सारे अफसर साहबान यहां बैठे हैं, माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, हम भी बिजली पर चर्चा करने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं लेकिन ये लोग सरकार की बात को सुनना नहीं चाहते। सरकार का अमूल्य समय नष्ट हुआ है, इस सदन का पैसा नष्ट हुआ है। आज इस सदन में बिजली के ऊपर चर्चा होनी है, माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप लोग बिजली के ऊपर चर्चा करने दें। इस पवित्र सदन में हमारे जो बिजली के महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं, हमारे यहां जगह-जगह कहीं ट्रांसफार्मर नहीं हैं, कहीं 132 के ट्रांसफार्मर लगने हैं, बिजली की लाइनें खराब हो रही हैं, कई प्रकार की बिजली की समस्याएं किसानों की पैदा हो रही हैं, इनके समय की जो लाइनें थीं लाइनें बिलकुल बेकार हो गई, ट्रांसफार्मर जल गये, उनके लिए हमको आज सदन में उठाना है ताकि सब को पता लगे कि बिजली की क्या समस्याएं किसानों के लिए चल रही हैं। बिजली की समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक कि वहां

(श्री रामस्वरूप)

की सारी व्यवस्थाओं को दोबारा से नहीं बदला जाएगा, जगह-जगह पुरानी लाइनों को हटाया नहीं जाएगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : स्टेटमैंट। दो मिनट।

श्री रामस्वरूप : जब तक बड़े ट्रांसफार्मर 132 के चालू नहीं किये जाएंगे तब तक बिजली की समस्या हल नहीं हो सकती। अब आप पधारिये, बिराजो और सुनो मंत्रीजी को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो हाउस अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल मानव जीवन की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ सवाल है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे यहां तो बिजली का अकाल पड़ रहा है। हमारे जिले करौली में तो बिजली का अकाल है, बिजली का अकाल। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पशु पलायन कर रहे हैं...

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामस्वरूप : इसलिए विनम्र निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, बिराजें। आप बिराजें। गवर्नमैंट स्टेटमैंट। आप बिराजिये प्लीज। अब आप बिराजिए।

श्री अमराराम (धोद) : इस बाड़मेर पर चर्चा हो रही है...

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले सुन लीजिए न।

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी कहना चाहते हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते मंत्रीजी को। क्या +++ बना दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, बाद में बोल लेना।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अकाल के कारण बाड़मेर जिले का हरचन्द पुत्र हुक्माराम जो 25 दिन पहले यहां से पलायन करके हरियाणा गया था, 29 तारीख को सीकर में उसने भूख के कारण दम तोड़ दिया चार बजे। उसको 25 दिन तक कोई काम हिसार में नहीं मिला, 25 दिन पहले यहां बाड़मेर के चाडी गांव से...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए पहले। इसकी डिबेट थोड़े ही हो रही है यहां?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : पलायन करके हिसार गया था और वापस आते वक्त 29 तारीख को पांच बजे उसका ब्लड प्रैशर डाउन होने के कारण वह सीकर के कल्याण अस्पताल में सर्जीकल वार्ड में भर्ती हुआ और चार बजे उसने दम तोड़ दिया..(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, कई पंचायतें ऐसी हैं जिनमें एक भी काम नहीं चलता। पूरी पंचायत में चार-चार गांव और एक-एक काम और बीस-बीस मजदूर, इस तरह से अकाल चलता है। अकाल में मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती।

श्री अमराराम (धोद) : रोडवेज के कर्मचारी, आटो रिक्शा के ड्राइवरों ने तीन हजार रुपये इकट्ठा करके जीप में उसकी लाश चाडी, बाड़मेर में भेजी है। यह 29 तारीख को शाम की बात है। कर्नल सोनारामजी बयान दे रहे हैं, यह शत-प्रतिशत सही है, हजारों लोग बाड़मेर से पलायन कर गये। हरियाणा और पंजाब में काम नहीं मिल रहा, वे मौत के घाट उतर रहे हैं, भूख से मौत के घाट उतर रहे हैं। अब मंत्रीजी बयान देंगे कि हम व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन कब व्यवस्था कर देंगे? यह हालत है। मैं एक व्यक्ति हरचन्द जो चाडी, बाड़मेर जिले का रहने वाला है जिसकी उम्र मात्र 35 वर्ष है, उसकी जेब में, उसके साथ वाले की जेब में दवाई तक का पैसा नहीं, खाना खाने का नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। हो गया, बिराजिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री अमराराम (धोद) : तीन हजार रुपये में डैड बॉडी को सीकर के लोगों ने भेजा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यों तो 26 तारीख को दिन भर हमने इस विषय पर काफी गम्भीरता से विचार किया और प्रति दिन इस संबंध में कोई न कोई पर्ची के जरिये, और किसी जरिये से मामला सदन में उठ जाता है..(व्यवधान) मैं भी गम्भीरता से ही ले रहा हूं, इसीलिए हाउस में आया हूं। अगर गम्भीर नहीं लेता तो मैं बैठा रहता। मै इसकी गम्भीरता को स्वीकार करता हूं लेकिन कर्नल सोनाराम के स्टेटमैंट को मैं स्वीकार नहीं करता। मैं माननीय..

श्री सुरेन्द्र व्यास : और शीशरामजी के? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरी बात सुनने की कोशिश करें।

श्री अमीन खान : यह अमराराम चौधरी विपक्ष का एम.एल.ए. है, इसने एक भी स्टेटमैंट नहीं दिया..

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह बिलकुल गलत है, बिलकुल फर्जी है, बयान झूठा है।

श्री अमीन खान : और यह अखबार वालों ने, भास्कर के जो..

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मेरे जिले से एक आदमी पलायन नहीं हुआ, जैसलमेर जिले से..(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + माननीय हमारे माननीय शक्तावत साहब, + + +

श्री गोवर्द्धन कल्ला : वह क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप तो बिराजो। आपके अलवर में कौनसा अकाल है? आप तो बिराजें, जैसलमेर, बाड़मेर से आते हैं, उनसे बात करने दीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मंत्रीजी को कहा है, यह बीच-बीच में क्यों आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी बोल रहे हैं, आप कौन से रुक रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वे कैसे बोल रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्री अमीन खान : यह अमरा राम विपक्ष का एम.एल.ए. है बाड़मेर का, उसने बयान क्यों नहीं दिया?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अमीन खान : सोनाराम का बयान भास्कर ने गलत छापा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप कह रहे हैं सोनाराम को हम मान नहीं रहे..

श्री उपाध्यक्ष : अमीन खानजी, बिराजिए। माननीय सदस्य।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप बैठिये तो सही। आपके कह लेने से नहीं मान लूंगा मैं।

श्री अमराराम (धोद) : जो बाड़मेर के चाडी गांव का नाम बता रहा हूं मैं, मंत्रीजी बोलें, आप बता दें। मैंने..

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें न। सुनो न उनको। आप सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : बाकायदा नाम हरचन्द पुत्र हुक्माराम चाडी का। आप कह रहे हैं कि नहीं मानते और लोग मर रहे हैं भूख से।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं?

श्री अमीन खान : आप क्या बताते हैं? बाड़मेर के आदमी बम्बई में रहते हैं, बाड़मेर के आदमी मद्रास में रहते है, आप क्या नाम बताते हैं? अमेरिका में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, क्या बाड़मेर का नाम बता रहे हैं? बम्बई में बाड़मेर के पांच सौ घर रहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राजस्थान सरकार ने 26... (व्यवधान)

श्री अमीन खान : सीकर के आदमी बाड़मेर में, कम से कम पांच सौ आदमी सीकर के बाड़मेर में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय अमरा रामजी।

श्री अमराराम (धोद) : अमीन खानजी, हम यह भेद नहीं करते। बाड़मेर के हरचन्द को तीन हजार रुपये इकट्ठा करके उसकी डैड बॉडी बाड़मेर के चाडी गांव में भेजकर वहां ससम्मान पहुंचाया गया है। आप कह रहे हैं, नहीं है। हम राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी तरह चौहटन और बाड़मेर में नहीं। राजस्थान की जनता भूख से मर रही है।

श्री अमीन खान : आपने बाड़मेर उम्र में देखा है क्या? बाड़मेर आपने उम्र में देखा नहीं...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप यह बताइये, आप और आपका दल कब गया वहां?

श्री अमराराम (धोद) : हमारा दल तो रोज ही वहां रहता है। आपके दल को भेजो और राहत पहुंचाओ। दलों की बात नहीं है, लोगों की जान जा रही है उनको राहत की बात करो। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अब आप सुनिये।

श्री अमीन खान : जिले की 13 लाख आबादी है, 13 लाख आबादी में से 10 लाख आदमी चले गये। यह कोई अखबार का स्कैण्डल है। अखबार के खिलाफ पुलिस में कार्यवाही हुई...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जो आपने कर रखा है वह इन्होंने कर रखा है। आप बोलने ही नहीं दे रहे हो उनको तो क्या करें?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाओ + + +

श्री उपाध्यक्ष : सब करे जाओ, पन्द्रह मिनट में मैं स्थगित करता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + बैठ जाओ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (नगरीय विकास मंत्री) : सही कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? 13 लाख की आबादी में से 10 लाख चले गये? (व्यवधान) अजीब बात है।

श्री रामस्वरूप : इतना बड़ा + + +

श्री वृद्धिचन्द जैन : बाड़मेर का कोई माननीय सदस्य बोले तो उसको कहें कि क्यों बोल रहे हैं, आपका क्या लेना देना है बाड़मेर से?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आप जानते ही नहीं बाड़मेर को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सांवर लालजी, माननीय राठौड़ साहब, आप सुनना नहीं चाहते मंत्रीजी को। आप उनको सुनना चाहते हो या नहीं? (व्यवधान) आप मंत्रीजी को सुनना चाहते हो या नहीं?

श्री शैलेन्द्र जोशी : बाड़मेर के जो पांच विधायक हैं, वे तो गलत हैं और आप सहीं हैं? क्या उन बाड़मेर में पांच कांग्रेस के विधायकों ने (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप बाड़मेर के +++ हो क्या? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय विधायक क्या कह रहे हैं, वह सुनिये आप। बाड़मेर के बारे में आपसे ज्यादा वे स्थिति जानते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...(व्यवधान) +++ आप बाड़मेर के? क्या हो आप बाड़मेर के? हम भी बोलेंगे। +++ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धमकी दी जा रही है सदन के अन्दर।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय विधायक जो बोल रहे हैं (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप :_(व्यवधान)_ इस पवित्र सदन में धमकियां दी जा रही है।_यह सदन है, इस तरह धमका रहे हैं माननीय सदस्य को।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : _(व्यवधान) बाड़मेर के +++

श्री रामस्वरूप : (व्यवधान)_पवित्र सदन में इस प्रकार की धमकियां दी जाएं, यह गलत है बिलकुल धमकी नहीं दे सकते इस प्रकार की।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमाओं से हटकर के जो बात कह रहे हैं (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो कंट्रोल करिये_(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बाड़मेर में 13 लाख लोग अकाल से प्रभावित हैं, 13 लाख की आबादी रिकार्ड पर है सरकार के और इसका असत्य वक्तव्य दे रहे हो कि 10 लाख लोग पलायन कर गये। कहां से पलायन कर दिया? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : _(व्यवधान) नहर पर जाते हैं और सीमा पर जाकर ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : _(व्यवधान)_ आपके साथ-साथ कांग्रेस के कर्नल सोनाराम चौधरी सच्चाई बोल रहे हैं। वे सच्ची बात बोल रहे हैं आपको कड़वी लग रही है। आपके

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

विधायक दल के लोगों ने भी कहा है कि अकाल है और पानी नहीं है। आपके विधायक दल में भी विधायकों ने विरोध किया है। कर्नल सोनाराम चौधरी सच्चाई बोल रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हां, सच बोल रहे हैं। सच-सच रहेगा, असत्य-असत्य रहेगा। मैं अभी आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यदि आप मंत्री जी का स्टेटमैंट सुनना चाहते हो...

एक माननीय सदस्य : हां, सुनना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कहां सुनना चाहते हो? आपके लोगों को बैठाइये न फिर। ऐसे थोड़े ही होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ...(व्यवधान)... आप हमको ही मत कहिये। ...(व्यवधान)... मेरी सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मंत्री महोदय का स्टेटमैंट अगर आप सुनना चाहते हैं, हाउस को आर्डर में लाइये तो स्टेटमैंट सुनाएं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं आपको बता दूं कि ज्यों ही मुझे सूचना मिली कि मंत्री महोदय स्टेटमैंट देना चाहते हैं हम सब आकर बैठ गये। अब बाद में डिस्टर्बेंस किसने किया?

श्री उपाध्यक्ष : दोनों तरफ से हो रहा है डिस्टर्बेंस।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों तरफ से क्यों हो रहा है? हम तो आकर बैठ गये।

श्री उपाध्यक्ष : इधर से तो बोल सकते हैं और ये नहीं बोल सकते हैं? यह क्या बात हुई?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, बोल नहीं सकते तो इसका मतलब तो...

श्री उपाध्यक्ष : ये बोलेंगे तो ये भी जवाब देंगे। ये नहीं बोलेंगे तो ये भी नहीं बोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री जी के स्टेटमैंट के बारे में वे सीरियसली ले रहे हैं कि हम नॉन सीरियसली ले रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी के स्टेटमैंट को दोनों पक्ष सीरियसली लीजिये मेहरबानी करके। (व्यवधान) ... उसमें भी आपको एतराज है? आपको क्या लेना-देना?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, किसी बात को टालें नहीं, आप थोड़ा सा इधर-उधर जवाब के बदले गम्भीर इश्यू पर गम्भीर रहने की कोशिश कीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने 26 जिलों के 23406 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। मैं माननीय सदस्यों की

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में 1889 गांव हैं, उनमें 50 से 74% खराबा है 69 विलेजेज में और 75 से 100% खराबा है। 1820 गांवों में ये टोटल 1889 गांव होते हैं।

एक माननीय सदस्य : जैसलमेर का भी बताएँ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक मिनट सुनिये तो सही। आपको जल्दी हो रही है क्या? सवाल बाड़मेर का है, जैसलमेर पर आकर उलट-सुलट करने से क्या फायदा?

इसकी टोटल इफैक्टैड पापुलेशन जो है सब तरह की वह 13 पाइण्ट समथिंग है। अब 10 लाख लोग चले गये, इस स्टेटमैंट पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? (व्यवधान) एक मिनट ठहरिये आप। बीच में बोलने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर सुनना है तो सुनें, नहीं तो बैठें। कर्नल सोनाराम जी ने कह दिया वह भगवान ने कह दिया।? अखबार की बात को लेकर यहां चिट सिस्टम और फलाना सिस्टम, टोटल इफैक्टेड पापुलेशन 13 लाख 20 हजार है और कह दिया कि 10 लाख लोग पलायन कर गये। 13 लाख 20 हजार इफैक्टैड पापुलेशन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टोटल पापुलेशन कितनी है? इफैक्टेड नहीं टोटल पापुलेशन की बात पूछ रहा हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : टोटल पापुलेशन 1820 गांव हमने फेमिन डिक्लेयर कर दिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले की टोटल पापुलेशन कितनी है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : शहर को छोड़ कर जो रेवेन्यू विलेजेज हैं वो पूरे के पूरे मैंने बता दिया है, 13 लाख 20 हजार है, शहर को छोड़ कर। एकाध शहर हैं उनकी पापुलेशन को अलग कर दीजिये। अब 13 लाख 20 हजार की संख्या को पांच से डिवाइड करें तो कितनी फैमिली होती हैं? तीन लाख मान लीजिये। और 10 लाख पलायन कर गये? मेहरबानी करके इस वातावरण को दूषित करने की कोशिश मत कीजिये। वतावरण को ज्यादा एग्रेवेट करने की कोशिश मत करिये। सत्य के आधार पर कोई बात रखने की कोशिश करियेगा। राजस्थान सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान बाड़मेर जिले में दिया है। पिछले महीने में हमने लगभग 60 हजार लोगों को रोजगार दिया है और चारा डिपो राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा कहीं प्रारम्भ किये गये हैं तो बाड़मेर में खोले गये हैं। मुझे जानकारी मिली है, 125 के करीब चारा डिपो वहां पर काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चारा वहां पहुंचाया गया है, पशु शिविर हमने खोले हैं। पंजाब से और हरियाणा से जो चारा वहां की सरकार ने हमको

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

ऑफर दी है कि हम अकाल के वक्त में मदद करना चाहते हैं, एक टन हरियाणा से आ गया है। कल हरियाणा के अधिकारियों के साथ मेरी सचिवालय में चर्चा है। आगे हम कार्यक्रम बनाएंगे कि पशु आहार और चारे को अलग-अलग जिलो में किस प्रकार वितरण कर सकें जो पंजाब से आ रहा है, जो हरियाणा से आ रहा है। सरकार ने सभी प्रयत्न किये हैं। मेहरबानी करके इस अखबार के समाचार के आधार पर, मैं प्रतिपक्ष के नेता से कम से कम यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इसको इतना एग्रेवेट मत करियेगा। सत्य तो सत्य है वह रहेगा। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि अकाल में राजनीति को इश्यू मत बनाइये। हम राजनीति का इश्यू नहीं बनाना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय दो बातों का जवाब दे दें। बाड़मेर जिले से पलायन हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है तो कितना हुआ है, नंबर-1? पशु कितने मरे हैं और कितने पशु दूसरे राज्यों में चले गये हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अभावग्रस्त घोषित नहीं होने पर भी पशुधन मध्य प्रदेश में जाता रहा है और यू.पी. में जाता रहा है। अभावग्रस्त घोषित नहीं किया, तब भी जाता रहा है। यू.पी. जाता है, पंजाब जाता है, हरियाणा में जाता है और इस बार थोड़ा-सा गुजरात में अकाल है लेकिन कुछ गुजरात में भी जाता है। यह टेंडेंसी रही है हमारे पशुपालकों की। इसलिए यह कहना सही नहीं कि अकाल की वजह से ही चले गये हों। वहां अच्छा पोष्टिक चारा मिलता है, और चीजें मिलती हैं इसलिए वे हमेशा चराई के लिए लेकर चले जाते हैं। जहां तक मरने का सवाल है, इसकी गणना तो मेरे पास है नहीं इसलिए मैं आपको गलत उत्तर नहीं देना चाहता लेकिन हमने पशुधन को बचाने के लिए प्रयत्न किये। डेढ़ रुपये और तीन रुपये पशु को अनुदान आपकी सरकार भी देती थी, हमारी सरकार भी देती है। उसको बढ़ाकर हमने कहा कि इससे पशुधन नहीं बचेगा तो पहले तीन रुपये और 6 रुपये किया और फिर उसको और बढ़ा कर हमने 5 रुपये और 10 रुपये कर दिया। हमने पशु आहार वितरण करने का भी फैसला किया है। हमने अभी हरियाणा से भी कुछ पशु आहार मंगाने की चेष्टा की है, कल की मीटिंग में हम फैसला करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं अभी बीकानेर जैसलमेर इलाकों का दौरा करके आये हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने हर मंत्री को अलग-अलग जिलों में भेज कर उनको जिम्मेदार ठहराया है और सचिवों को अलग भेजा है कि कोई कोआर्डिनेशन कमेटी हो। चाहे पानी की कोई बात हो, चाहे घास की बात हो और चाहे मजदूरी की बात

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

हो, सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेंगे और पशुधन को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पशुधन बचा कहां है अभी?

श्रीमती कमला : जाकर देख लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जाकर देखने में कोई छुपा हुआ है क्या? आप ही जाते हैं, हम नहीं जाते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कैसे बचाना चाहते हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप यह मत कहो कि आप 29 चले गये, और चले गये (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : पशु कोई अमृत लेकर पैदा हुआ है क्या? करने वाले मरेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (व्यवधान) नहीं, आपने यह कहा (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : (व्यवधान) पद्मेड़ा गोशाला में 20 हजार गायें है, आज भी मौजूद हैं। कैसे नहीं बची हैं? एक-एक गौशाला में 5-5, 10-10 हजार गायें हैं, किसानों के घर में गायें बंधी हुई हैं। कैसे नहीं बची हैं? आपने यह कहने को कह दिया कि कोई नहीं बची।

डा. किरोड़ी लाल : यह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पशु मर रहे हैं

श्री हीरालाल विश्नोई : (व्यवधान) कोई नहीं मर रहे हैं। एक भी नहीं मरी।

डा. किरोड़ी लाल : (व्यवधान) खोखले स्टेटमैंट विधान सभा में दे रहे हैं।

श्री सांवर लाल : (व्यवधान) इनकी जानकारी में नहीं है कितने मरे हैं। जगह-जगह हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं, गांवों में बीमारियां फैल रही है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको कुछ करना नहीं है, इनको तो केवल हल्ला करना है। अकाल राहत मंत्री जी ने ऐसा जवाब दिया है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। (व्यवधान)

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा विवरण, वर्ष 1998-99

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1998-99 सदन की मेज पर रखता हूं।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

श्री रामस्वरूप : बिजली जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू होने वाली है और आप लोग बिजली पर चर्चा नहीं करवाने देते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का स्टेटमैंट हुआ, स्टेटमैंट में हम स्पष्टीकरण नहीं मांगेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता महोदय, न तो आज मंत्री जी का स्टेटमैंट होना चाहिये, न आज चर्चा होनी चाहिये। आपके विशेष आग्रह पर मंत्री जी ने स्टेटमैंट दे दिया। अब आप प्रश्न पूछोगे, उधर से प्रश्न पूछेंगे, फिर डिबेट चालू हो जाएगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वे बोले न, उसमें आपत्ति क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : तो क्या आप डिबेट कराना चाहते हो इस पर?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, हो जाए डिबेट।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों हो जाए डिबेट?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप डिबेट की ही बात करना चाहते हो तो हो जाए डिबेट, कोई चिंता की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आज तो डिबेट ऊर्जा पर होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री महोदय ने स्टेटमैंट दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आज तो ड़िबेट होगी तो बिजली पर होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिबेट नहीं हो तो स्पष्टीकरण दे दो।

श्री उपाध्यक्ष : स्पष्टीकरण किस बात का?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो इन्होंने स्टेटमैंट दिया उसका स्पष्टीकरण।

श्री उपाध्यक्ष : स्पष्टीकरण का कोई एण्ड ही नहीं है।

श्री ललित भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, डिबेट तो बिजली पर होनी है और डिबेट अकाल पर करवायी जा रही है। आज बिजली पर डिबेट होनी है, इसमें रखा हुआ है।

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्रीजी, बांसवाड़ा जिले में आप कितने मजदूर लगाना चाहते हो? बांसवाड़ा जिले में सीलिंग आप बढ़ाओगे कि नही बढ़ाओगे?

श्री राजेन्द्र पारीक : पूरे सदन में अकाल पर एक बार डिबेट हो चुकी है। आपने एक भी यूनिट बिजली पैदा नहीं की और आज जब राजस्थान का मंत्री आपको सूचना देने वाला है कि राजस्थान में बिजली की उपलब्धता इतनी बढ़ गई है तब आपके पेट में ऐंठन हो रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा, पेट में दर्द सबके हो रहा है। मेरे अकेले के पेट में दर्द नहीं है, पेट में दर्द राजस्थान की जनता के हो रहा है। आप पेट में दर्द की बात करों तो दर्द तो दूसरी तरह से होता है, वह दर्द करना भी मैं जानता हूं, आप इस बात की चिंता मत कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता महोदय, आपने दो प्रश्न इनसे पूछे, उन्होंने जवाब दे दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको यह समझ में नहीं आ रहा है। इस मामले की गंभीरता को आप इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : लाइटली नहीं ले रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आखिर एक एमपी. है, दूसरा एमपी. झुन्झुनूं का है, और एमपी. लगातार बोलते जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : या तो आप यह कहिए कि आप बिजली पर चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। कोई बिज़नस तो होगा?

श्री बुलाकीदास कल्ला : 10 लाख आदमी कैसे चले गये, आप खुद जिम्मेदार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब बोलते रहो, इसकी चिंता नहीं है।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, झुन्झुनूं जिले के बारे में मैं जानता हूं, झुन्झुनूं से कितने लोग पलायन कर गये। (व्यवधान) मैं कहता हूं झुन्झुनूं जिले से कोई पलायन नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री रतनाराम चौधरी : XXX

श्री जीतमल खांट : XXX

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति, वर्ष 2000-2001 के 8 प्रतिवेदन

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, वर्ष 2000-2001 समिति के 8 प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं : —

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1984-85) से संबंधित समिति का 20वां प्रतिवेदन,

(2) राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन 1984-85 से संबंधित समिति का 21वां प्रतिवेदन)

(3) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1986-87, 1987-88 व 1988-89) से संबंधित समिति का 22वां प्रतिवेदन,

(4) राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92) से संबंधित समिति का 23वां प्रतिवेदन,

(5) राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 (वाणिज्यिक) से संबंधित समिति का 24वां प्रतिवेदन)

(6) राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 से संबंधित समिति का 25वां प्रतिवेदन)

(7) राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1995-96) से संबंधित समिति का 26वां प्रतिवेदन, एवं

(8) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (स्थापना के उद्देश्य एवं उपलब्धियां) विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 1976-77 के 37वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की क्रियान्वति विषयक समिति का 27वां प्रतिवेदन।

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान। डा. चन्द्रभान ऊर्जा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार किया जाए।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी।

श्री फतेह सिंह : XXX

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश में अकाल की स्थिति है, उसका सामना करने के लिये बिजली की जरूरत है। पीने के पानी के लिये बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक बिजली नहीं मिलेगी पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा। विपक्ष के लोग पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं चाहते, ये तो केवल हल्ला कर यह जताना चाहते हैं कि जनता के केवल हम ही हमदर्द हैं। उपाध्यक्ष महोदय,

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हेमाराम चौधरी)

में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में बिंजली की जो गंभीर समस्या है उसके समाधान के लिये कदम उठाये जाएं। पीने के पानी की जो गंभीर समस्या है उसका भी मुख्य कारण बिजली की कमी रहा है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिजली की समस्या पर विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : हेमाराम जी, एक मिनट।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने भी अपनी बात में बार-बार इस बात को स्वीकार किया है कि 26 तारीख को दिनभर चर्चा करने के बाद भी...

श्री राजेन्द्र पारीक : पहले अपने साथियों से कहें कि वे जाकर अपनी सीट पर बैठें, उससे पहले बिलकुल नहीं बोलने दिया जाएगा। माननीय सदस्य को तब बोलने दिया जाएगा जब इनके सारे सदस्य सीट पर जाकर बैठ जाएंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली पर चर्चा शुरू हो चुकी है और माननीय हेमाराम जी ने बोलना शुरू कर दिया है, वे बोल रहे है...(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : समस्या तो सरकार भी सुन रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : अब आप कृपापूर्वक बहिर्गमन कर दीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बार-बार इस बात का हम विरोध कर रहे हैं। अगर आप इस बात की हठधर्मी लिये हुए हैं कि बात को सुनना नहीं चाहते हैं, बात का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो मैं और मेरा दल वाकआउट करते हैं इस बात के विरोध में।

(14:00 बजे)

(भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहिर्गमन)

श्री रतनाराम चौधरी : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। श्री हेमाराम जी। आर्डर, आर्डर।

श्री हेमाराम चौधरी : बिजली के बारे में आज सदन में चर्चा होने जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का थोड़ा ध्यान रखिये।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया है।

श्री हेमाराम चौधरी : अभी अकाल के ऊपर बाड़मेर जिले को लेकर सदन में चर्चा हो रही है इसलिये बाड़मेर जिले के बारे में थोड़ी बात कहने के लिये तो मुझे समय देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की जो समस्या है यह आज की नहीं है, हमेशा दूसरे-तीसरे साल गम्भीर समस्या पैदा हो जाती है और इसके ऊपर अरबों रुपये सरकार खर्च करती है। पर जब तक इसका कोई स्थाई समाधान नहीं होता है तब तक सरकार का पैसा खर्च होता रहता है और जनता भी कष्ट पाती रहती है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, इस अकाल के स्थाई हल का एक ही जरिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा किसानों को कुओं पर बिजली दें। बाड़मेर जिला बिजली की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है, यूं तो हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है चाहे शिक्षा की दृष्टि से लें चाहे और किसी भी दृष्टि से लें पर बिजली की दृष्टि से बाड़मेर जिले में गुढ़ामलानी विधान सभा क्षेत्र में 1980 से पहले एक भी गांव विद्युतीकृत नहीं था।

(14:01 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह , सभापति, पदासीन)

1980 के बाद में धीरे-धीरे कुछ गांवों का विद्युतीकरण हुआ तो फिर काश्तकारों ने कुओं पर कनेक्शन के लिये अपनी फाइलें उसके बाद ही जमा कराई। दूसरे जिलों में पहले जो गांव विद्युतीकृत हो गये थे वहां तो काश्तकारों को बहुत ज्यादा कुओं के कनेक्शन मिल चुके हैं लेकिन हमारे बाड़मेर जिले में काश्तकारों को कुओं के कनेक्शन बहुत कम मिले हैं। 3-4 साल से जिन काश्तकारों ने डिमांड के पैसे जमा करा रखे थे उनको भी बड़ी मुश्किल से अब जाकर कनेक्शन मिले हैं। परन्तु, सभापति महोदय, इस साल आपने कुओं पर कनेक्शन देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य को आपने पूरा नहीं किया है। मैं बाड़मेर जिले में धोरीमन्ना सब डिवीजन के बारे में निवेदन कर रहा हूं कि डिवीजन धोरीमन्ना में कुओं पर कनेक्शन देने की जो कट आफ डेट है वह मार्च, 90 है और मार्च, 90 के अन्तर्गत आने वाले काश्तकार हैं 220। 220 काश्तकारों में से एक भी काश्तकार को अभी तक डिमाण्ड नोटिस नहीं दिया गया। उनके डिमाण्ड की राशि जमा नहीं की गई तो फिर उनके कनेक्शन होने का तो सवाल ही नहीं हुआ। बाड़मेर जिले में धोरीमन्ना सब डिवीजन की बात कर रहा हूं, मंत्री जी पूरे जिले का यहां पर हवाला देकर बता देंगे, उससे हमें क्या मिला? मेरी शादी हुई नहीं, मेरे भाई के दो औरतें आ गई, उससे हमको क्या मिला? मंत्री महोदय, इस बात को आप ध्यान रखें और आप जवाब दें उस समय अधिकारियों से इसकी जानकारी ले लें कि धोरीमन्ना सब डिवीजन में गत वर्ष के डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा हो रखे थे। उसको छोड़ें, इस फाइनेंशियल ईयर 2000-2001 में आपने कितने काश्तकारों के डिमांड के पैसे जमा करके कनेक्शन दिये।

(श्री हेमाराम चौधरी)

ऐसा धोरीमन्ना सब डिवीजन में एक भी नहीं है। 220 काश्तकार आपकी जो नीति है, कट आफ डेट है, उसके अनुसार एनटाइटल थे, लेकिन अभी तक उनको डिमांड नोटिस तक भी जारी नहीं किये गये हैं। मैं समझता हूं आप इसके ऊपर गौर करेंगे।

सभापति महोदय, मैं इस बात पर जोर इसलिये दे रहा हूं कि हम हमेशा अकाल की मार झेलते आ रहे हैं। जो काश्तकार जमीन के अंदर का पानी उपयोग में लाकर रबी की फसल पैदा कर सकते हैं आप कम से कम उनको तो सुविधा दें। जिन काश्तकारों के डेरे हैं, जिनके बिजली के कनेक्शन हैं, इस साल खरीफ की फसल के समय में भी एक-दो बरसात की कमी रही, उन्होंने अपने-अपने कुएं के पानी से, फव्वारों से उस बाजरी को पिलाया। उस फसल को भी लिया और पशुओं के लिये कुछ चारा भी पैदा हुआ। आज की तारीख में भी सभापति महोदय, जिन काश्तकारों के डेरे हैं और बिजली के कनेक्शन हैं, उन सबने अपने-अपने कुओं पर कम ज्यादा बाजरी की बुवाई की है जो पशुओं के चराने के काम आएगी-रिंजका बाजरी, हरा चारा। हरे चारे के लिये आप अलग से कनेक्शन देने जा रहे हैं, वे काश्तकार जिनके कुएं हैं वे ही चारा पैदा कर रहे हैं पर उनको चारा पैदा करने के लिये बिजली नहीं मिल रही है। सभापति महोदय, अभी मैं धोरीमन्ना जाकर आया हूं वहां पर बिजली की कमी की वजह से काश्तकारों ने बाजरी की कुछ बुवाई की है वह बाजरी जल रही है। मैंने पूछा, इस समय तो बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, लोड की दिक्कत नहीं होनी चाहिये, पीछे से बिजली बराबर आनी चाहिये क्योंकि अभी रबी की फसल तो है ही नहीं। तो काश्तकारों ने कहा कि हमने कुछ बाजरी की बुवाई की है और हमारे को पीछे से बिजली बहुत कम आती है। धोरीमन्ना 132 के.वी.ए. सब-स्टेशन है जिसके लिये मैंने एईएन. से जानकारी की। उन्होंने कहा कि 19 मेगावाट बिजली हमको चाहिये, 19 मेगावाट बिजली यदि मिलेगी तो हम जिन काश्तकारों ने बुवाई की उनको बिजली दे पाएंगे। सभापति महोदय, दिन के अंदर 6-7 घंटे मुश्किल से अभी इस समय बिजली मिल रही है। जिससे पीने के पानी की योजनाएं भी प्रभावित हो रही है। पीने के पानी की योजना इस अकाल के समय में ठीक से नहीं चले, उनको आप कम से कम 20 घंटे इस समय बिजली नहीं दे पाएंगे तो पीने के पानी का बहुत गम्भीर संकट पैदा हो जाएगा। संकट है और ज्यादा संकट आने वाले गर्मी के दिनों में बढ़ जाएगा इसलिये बाड़मेर जिले के लिये आप यह

(श्री हेमाराम चौधरी)

लिये आप यह सुनिश्चित कर दें कि गर्मी के दिनों में मई और जून में जब तक बरसात नहीं हो तब तक 20 घंटे से कम बिजली पीछे से नहीं देंगे। अगर आप 20 घंटे बिजली देंगे तो हमारे पीने के पानी की योजनाएं ठीक ढंग से, सुचारू रूप से चलेंगी और हमको पीने का पानी मिलेगा।

सभापति महोदय, धोरीमन्ना सब डिवीजन में 220 लोगों ने हरे चारे के लिये फाइल जमा कराई है, उनका अभी तक एक भी डिमांड नोटिस नहीं निकला, फाइल की स्वीकृति तक नहीं मिली है। मैं जानना चाहता हूं कि आप हरे चारे के लिये कनेक्शन देने जा रहे हो वह कब दोगे? मई और जून, उसके बाद बरसात होगी तो वैसे ही हरा चारा पैदा हो जाएगा, आप क्या हरा चारा पैदा करेंगे? जिन काश्तकारों ने हरा चारा बोया है, जिनके आलरेडी कनेक्शन हैं आप उनको ही पूरी बिजली दे दें तो भी काफी फायदा हो जाएगा। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को आप बेरों के कनेक्शन दें जिससे अकाल का स्थाई हल हो।

दूसरा, सभापति महोदय, ज्यादा से ज्यादा आप 33 के.वी.ए. के सब-स्टेशन बनाएं, 132 के.वी.ए. के सब-स्टेशन बनाएं। आप यह जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हमारे वहां पर विद्युत तंत्र ठीक नहीं होगा और विद्युत तंत्र जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हमें बिजली का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हमारे वहां 33 के.वी.ए. के सब-स्टेशन काफी स्वीकृत हो गये हैं लेकिन उन पर भी काम नहीं हो रहा है। जो स्वीकृत हैं उन सब पर इस साल काम पूरा हो जाए इस प्रकार की आप व्यवस्था करें, मैटीरियल उपलब्ध करवाए। खासकर मैटीरियल की कमी के कारण 33 के.वी.ए. के जितने भी सब-स्टेशन बनने हैं वे नहीं बन पा रहे हैं। आप बोर्ड को यह हिदायत दें कि बाड़मेर जिले के लिये सामान की अलग से व्यवस्था करें, जिससे हम अकाल का मुकाबला भी कर सकें।

सभापति महोदय, सिणधरी के अंदर 132 के.वी.ए. सब-स्टेशन की जरूरत है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, कृपया समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, थोड़ा और।

श्री सभापति : समय सीमा में रहें, कृपया समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : हमारे सिणधरी के अंदर 132 के.वी.ए. सब-स्टेशन की जरूरत है। वहां का लोड इतना बढ़ गया है कि अगर आप 132 के.वी.ए. सब-स्टेशन नहीं बनाओंगे तो इस साल आने वाली फसल में रबी की जो बुवाई होगी उसमें काश्तकार

(श्री हेमाराम चौधरी)

मारे जाएंगे। इसलिये यहां पहले से व्यवस्था करें। उसमें आपको ज्यादा लम्बी 132 की लाइन भी नहीं खींचनी है क्योंकि बालोतरा से बाड़मेर जो 132 की लाइन जा रही है, उसके ऊपर यह एन रुट ही है। इसलिये आप 132 का यह सब स्टेशन इस साल तुरन्त बनवाने की कृपा करें। जिससे कि आगे जो 33 के.वी.ए. के सब स्टेशन बनने जा रहे हैं। उन पर भी लोड ठीक ढंग से हो सके। अगर 132 के.वी.ए. का आप नहीं बनाएंगे तो हम मारे जाएंगे। हमारे बाड़मेर जिले में सिवाणा विधान सभा क्षेत्र है, सिणधरी मेरे क्षेत्र में नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लेकिन कुछ क्षेत्र मेरे से लगता है। इसके अलावा शिव में भी जरूरत है लेकिन वह शिव से आने वाले माननीय सदस्य बोलेंगे। मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप हमारे वहां ज्यादा से ज्यादा सामान उपलब्ध कराने की कृपा करें ज्यादा से ज्यादा कुओं को कनेक्शन दिलाएं और ज्यादा से ज्यादा 33 और 132 के.वी.ए. के सब स्टेशन बनाने की मेहरबानी करें जिससे अकाल में भी हमको कुछ सांस मिले। बिजली रबी के टाइम में 8 घंटे लेकिन अभी तो 20 घंटे दे, नहीं तो पीने के पानी की सब योजनाएं ठप्प पड़ी हैं। चार घण्टे दे रहे हैं आप।

श्री सभापति : यह सब आप कह चुके हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, 4 घण्टे अगर बिजली मिली तो पीने के पानी के अभाव में त्राहि-त्राहि मच जाएगी, लोग मरने लग जाएंगे। यह बाड़मेर से आने वाले सब माननीय सदस्य मान रहे हैं। पीने के पानी की योजना जो डिजाइन की है।

श्री सभापति : माननीय श्री हरजीरामजी बुरड़क। माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये, यह बात कह चुके आप।

श्री हेमाराम चौधरी : वह इसी हिसाब से बनवाई कि उनके ऊपर 20 घण्टे बिजली मिलेगी। जब 4 घण्टे बिजली मिलेगी तो यह 2-4 गांवों में पहुंचेगा।

श्री सभापति : आप कह चुके यह बात। माननीय श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हेमाराम चौधरी : आगे के गांवों में पानी कतई नहीं पहुंचेगा, लोग पीने के पानी की वजह से मर जाएंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : सभापति महोदय, आज की कार्यसूची में आपने देखा होगा कि विद्युत मण्डल के लेखे माननीय मंत्रीजी ने अब प्रस्तुत किये हैं, ये सदस्यों के पास कब पहुंचेगे? जबकि सी.ए.जी. की रिपोर्ट इस से पहले हाउस में पेश हो चुकी है और जिस समय की यह रिपोर्ट पेश हुई है उसी समय के लेखे मंत्री महोदय

(श्री हरजीराम बुरड़क)

अब प्रस्तुत कर रहे हैं जो सदस्यों के पास पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। मेरे कहने का मतलब यह है, मैं कई वर्षों से यह मामला उठा रहा हूं कि इलैक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 61 के तहत बजट पर यहां डिस्कशन होना चाहिए। यह पूर्व में होता आया है लेकिन पिछली सरकार ने इसको बंद कर दिया। पिछली बार मंत्री महोदय नये-नये आये थे तो जोश में कह दिया कि इस एक्ट का उल्लंघन नहीं होने देंगे, और मैं यह कर दूंगा, वह कर दूंगा। इनकी इच्छा थी, लेकिन यह तंत्र ऐसा है कि इनके बस की बात नहीं है कि इस बजट पर ये डिस्कशन करा लें। (व्यवधान) आपने देखा होगा। (व्यवधान) एक मिनट, मैं कह दूं, मेरी बात तो सुनें।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : सभापति महोदय, यह आपका नहीं, एक सैकण्ड। (व्यवधान) आप जो कह रहे हैं, बजट पर डिस्कशन कराने का अधिकार विभाग के पास नहीं है, वह सदन के पास है और आसन के पास है। हमने 2000-2001 का आय-व्ययक अनुमान, जो बजट है, विद्युत मण्डल का, रख दिया है, चाहे तो आसन उस पर अनुमति दे सकता है।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप बाद में कहना। वह सबने देख लिया, आपने प्रस्तुत कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह तंत्र आपके बस का नहीं है। इसका कारण यह है, सभापति महोदय, बजट प्रस्तुत कब किया? जब किया कि कार्य सलाहकार समिति की सारी बैठकें हो चुकीं। इसकी प्रोसीडिंग को विधान सभा ने मंजूरी दे दी। इनको लगा कि अब कोई बैठक होने वाली नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कार्य सलाहकार समिति का अन्तिम प्रतिवेदन आया तब तक बजट विधान सभा के पास नहीं था, और उसमें यह लिखा कि विद्युत उपलब्धि पर विचार। उसके बाद में मंत्री महोदय ने बजट प्रस्तुत कर दिया। इसके बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई नहीं और वह का वह शब्द उस कार्यवाही में आ गया।

अब आज की बहस, मैं कह रहा हूं कि बिलकुल ही निरर्थक बहस है मेरे हिसाब से। निरर्थक क्यों है? कि अगर इलैक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 61 में बहस होती तो सरकार को यह बहस विद्युत मण्डल के पास भेजनी पड़ती। और विद्युत मण्डल इसमें माने कि नहीं माने, लेकिन एक-एक पांइट पर उनको विचार करना पड़ता। उसमें ऐसे भी पांइट होते कि जिनको विद्युत मण्डल को मानना पड़ता। इस बात से बचने के लिये ही ऐसा यह तंत्र रचा है कि मंत्रीजी चाहते हुए भी इस पर बहस नहीं करा सकें। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, आडिटेड लेखे आपके पास थे, एजी. ने रिपोर्ट छपाकर हाउस में पेश कर दी और सब जगह वह डिस्ट्रीब्यूट

(श्री हरजीराम बुरड़क)

हो गयी, तो आपने यह कल प्रस्तुत क्यों नहीं किया? इसलिये नहीं किया कि इसमें जितने आब्जेक्शन हैं, माननीय सभापति महोदय, मैंने इसको अभी देखा नहीं है लेकिन पिछले अनुभव से मैं बता रहा हूं, ऐसे आब्जेक्शन आडिट में हैं कि कई सैकड़ों करोड़ों का इनके पास वर्षों से हिसाब नहीं है। इससे बचने के लिये ये लेखे आज प्रस्तुत किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब, मैं एक-दो बातों की ओर मंत्रीजी का और हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस बिजली बोर्ड में कई वर्षों से राजनीतिकरण हो रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि किस पक्ष का राज रहा, दोनों पक्षों ने इसका खुलकर राजनीतिकरण किया जिसके कारण से बोर्ड की हालत यह हो रही है। आपने देखा होगा, आप पुराने सदस्य रहे हुए हैं, पूर्व समय में बजट किस प्रकार का था और आज जो यह पेश किया है यह किस प्रकार का है। पुराने टाइम में यह होता था कि यहां से यहां तक 132 की लाइन होगी, यहां से यहां तक 220 की होगी, यहां से यहां तक 33 की होगी। पूरा विवरण उसमें आता। उसका मतलब यह होता कि टैक्निकली बोर्ड जो बजट बनाता उसमें बाद में हेरफेर नहीं होती। इसको टालने से जो बोर्ड की हालत हुई उसके मैं आपको 1-2 उदाहरण देना चाहता हूं। बोर्ड का जो प्रसारण तंत्र पर खर्चा हो रहा है—जिसमें लाइनें, ट्रांसफार्मर और सब-स्टेशन बनाये जा रहे हैं, इसमें महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसका लाभ तभी मिल सकता है जब बोर्ड के पास यह योजना हो कि कहां वी.आर. की दिक्कत है, कहां पर लम्बी लाइन है जिसके कारण से छीजत हो रही है। हिसाब से अगर इसका विस्तार किया जाए तो निश्चित रूप से उपभोक्ता को लाभ होगा, जिसको वी.आर. सही नहीं मिल रहा है उसको मिलेगा, और जो बोर्ड की छीजत हो रही है उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैंने यह बात पिछली बार भी कही थी और मैं ही नहीं कह रहा हूं, सी.ए.जी. की रिपोर्ट जो अभी पेश हुई है, उसमें भी इस बात की विस्तार से चर्चा की गयी है कि बोर्ड के वितरण तंत्र के विस्तार पर जो खर्चा किया गया है वह सही रूप से नहीं किया गया है। जिससे दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तो उपभोक्ता को सही वी.आर. नहीं मिलता और बोर्ड जो योजना बनाता है उसमें यह होता है कि अगर इस लाइन को हम लाएंगे या इस सब स्टेशन को बनाएंगे तब इतनी छीजत कम होगी जिससे बोर्ड को इतना लाभ होगा। इस ओर, माननीय सभापति महोदय, कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। मैंने कह दिया मेरे गांव में बनाओ, आपने कह दिया मेरे गांव में बनाओ, इस हिसाब से इसका राजनीतिकरण करके सारा सत्यानाश कर

(श्री हरजीराम बुरड़क)

दिया। इन्वेस्टमैंट से जो लाभ बोर्ड को होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है।

दूसरा, सभापति महोदय, लोड फैक्टर का जहां तक सवाल है, बोर्ड के पास आज तक कोई हिसाब नहीं है। कनेक्टिंग लोड से डिमांड निकाल ली। आज से 30-30, 40-40 वर्ष पहले जहां कहीं कनेक्शन हो गया उसको तो ये कनेक्टिंग लोड के हिसाब से निकाल लेते हैं कि हमारे पास इतनी डिमांड है कहीं यदि इसके पहले वाले कनेक्शन बंद हो गये और नये कनेक्शन कम हुए हैं, वहां पर इसका बहुत बड़ा अन्तर हो जाता है। इसके कारण भी डबल नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान तो यह हो रहा है कि जहां पर जितनी डिमांड है उतनी उनके पास सप्लाई नहीं है। ये उस कनेक्टिंग लोड को डिमांड मानकर जितनी उनके पास सप्लाई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पर जहां पर ज्यादा कनेक्शन बंद हो गये वहां पर जितनी सप्लाई दे रहे हैं, वह उनको अधिक मिल रही है और जहां पर कम बन गये या जहां पर नया एरिया है वहां पर उनको कम मिल रही है। यह परसेंटेज के हिसाब से कहो या किसी हिसाब से मान लो, जितनी मेगावाट की मांग है उतनी बिजली है नहीं, तो उसको वे अलग-अलग बांटेंगे। जब तक उनके पास यह हिसाब नहीं होगा तब तक सही बात नहीं होगी।

इसी प्रकार छीजत का पाइंट है। छीजत में चोरी शामिल है, लेकिन इसका कोई सही हिसाब नहीं है। इस बात को एजी. ने भी कहा है। छीजत ये जिस हिसाब से निकालते हैं, इतनी बिजली पैदा हुई इसकी रेट यह है, इतनी बिजली हमने परचेज की, उसकी रेट यह है और इतनी बिजली हमने बेची, उसकी इतनी इनकम हुई। इसके अलावा इनके पास कोई नाप नहीं है कि उसमें चोरी कितनी हुई है, छीजत कितनी हुई है। उदाहरण के तौर पर बिजली विक्रय से जो आय हो रही है, मीटर रीडिंग से, उसके अलावा भी इनके पास बहुत बड़ी आय होती है। उस आय को भी उसमें शामिल कर लेते हैं और बिजली चोरी से जो आय हो रही है उसको भी उसमें शामिल कर लिया, इस प्रकार से सही हिसाब आज तक इनके पास नहीं है कि छीजत और चोरी कुल मिलाकर कितनी है। मेरे हिसाब से यह चालीस परसेंट से कम नहीं है। लेकिन इन्होंने अभी पिछले साल 28 परसेंट बतायी है। इसलिए इस चोरी और छीजत को अलग-अलग करने की कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा सभापति महोदय, राज्य सकार की तरफ से भी जितना ध्यान बिजली बोर्ड पर दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। आपने अभी देखा कि छह शहरों के विकास के लिए 1500 करोड़

(श्री हरजीराम बुरड़क)

रुपये का ऋण लेकर राज्य सरकार उनके विकास के लिए व्यवस्था कर रही है, उनके सौन्दर्यीकरण के लिए व्यवस्था कर रही है। एक तरफ आप बिजली और दूसरी तरफ छह शहर लीजिए। उन शहरों से भी बिजली का सम्बन्ध है। चाहे उद्योगपति हो, चाहे कृषक हो, चाहे कोई भी हो, सबका सम्बन्ध इस बिजली से है। उन शहरों की बजाए ये 1500 करोड़ रुपये राज्य सरकार बिजली बोर्ड को देती तो उससे लाभ होता। उसकी तुलना में इन छह शहरों का सौन्दर्यीकरण कर ये क्या करना चाहते हैं, यह किसी के समझ में आने वाली बात बात नहीं है। राज्य सरकार द्वारा जो सब्सिडी शुरू में दी जानी चाहिए थी, ग्रामीण विद्युतीकरण के घाटे में सरकार ने अण्डरटेकिंग दे रखी थी, आज की सरकार से मतलब नहीं, मेरा शुरू से है, शुरू से लेकर आज तक अगर वह सब्सिडी समय-समय पर मिलती रहती है तो बिजली बोर्ड की यह हालत नहीं होती। क्योंकि उस राशि से कई गुना ज्यादा ब्याज उसके बदले चुकाना पड़ा बोर्ड को। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को इस मामले में ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, आपेन अभी देखा होगा कि राज्य में पैट्रोलियम, गैस और कोयले के भण्डार मिले हैं। अभी एक मेरे सवाल में चर्चा हुई थी और उस सवाल में यह जवाब दिया गया था कि लिग्नाइट और गैस का विशाल भण्डार मिला है। तो बोर्ड को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। विशाल भण्डार मिला है, उसको जल्दी निकालने का काम शुरू किया जाएगा, कई कम्पनियों से एग्रीमेंट हुए हैं। बोर्ड को अग्रिम रूप से राज्य में नये बिजली घर लगें, इसके लिए योजना बनानी चाहिए। आपने प्रगति रिपोर्ट में लिखा है कि इतने हमने प्राइवेट एग्रीमेंट कर लिये, इतने यह कर लिये, इतने यह कर लिए लेकिन हुआ आज तक कुछ भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, ये विद्युत नियामक आयोग की बात कर रहे हैं, मैंने पिछली बार इसका बहुत विरोध किया था और सारा सदन यह चाहता था कि इसमें और विचार करना चाहिए। दूसरे स्टेट में हो रहा है या जो हुआ, उसका अध्ययन करना चाहिए उसके बाद सरकार को पास करना चाहिए। लेकिन उस दिन तो माननीय मंत्रीजी बड़ी तेज़ गति से चल रहे थे कि नहीं, हमारा तो इसके बिना सारा काम ही अड़ जाएगा। वह विधेयक पास हो गया। जैसा माननीय मंत्रीजी चाहते थे, वैसा पास हो गया और वह लागू हो गया। अब ये उस तंत्र को क्यों नहीं सुधार रहे हैं? सुधारें कैसे? माननीय सभापति महोदय, यहां जो शंकाएं व्यक्त की गयी थीं, उस समय मंत्री महोदय के समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में इनके भी समझ में आ रहा है। वह एक्ट बन गया और लागू

(श्री हरजीराम बुरड़क)

हो गया, उसके बाद उसके अनुरूप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? वह इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि इनसे पहले जहां लागू हुआ वहां के परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं। इसीलिए ये भी लागू नहीं कर रहे हैं। फिर भी मेरा आपसे निवेदन है, मंत्री महोदय, इस बारे में भी दूसरी राज्य सरकारों के अनुभवों का आपको लाभ उठाना चाहिए, उसके बिना इसको लागू नहीं करना चाहिए।

इसके अलावा, माननीय मंत्री महोदय, आपने चारा के नाम से योजना चलायी, क्या हुआ उसका? पहले तो आपने नर्सरी योजना बंद की और नर्सरी से आगे यह नई योजना फिर चालू कर दी। आपने करोड़ों रुपये काश्तकारों के ले लिये, अब उन कनेक्शनों का क्या हुआ? अब अकाल का तो एक महीना भर और बचा है, आप कनेक्शन देंगे, कब वे चारा उगाएंगे? फिर आप उनसे एग्रीमैंट कराएंगे कि आपको इतने साल तक चारा उगाना पड़ेगा। यह क्या योजना है, इस बारे में थोड़ा-सा आप प्रकाश डालें ताकि लोगों का सन्देह दूर किया जा सके।

जहां तक टैरिफ का सवाल है, आपने कृषि कनेक्शनों पर दो पैसे बढ़ाया है। अब इन दो पैसों से कोई भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक नाम के रूप में आपने यह विरोध मोल लिया है कि टैरिफ की रेट बढ़ा दी। ऐसे छोटे-मोटे मामलों में आपको बड़ी गम्भीरता से सोचना चाहिए और जो भी कदम आप उठाएं, उससे पहले उसके परिणामों की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो वही विद्युत नियामक विधेयक की सी हालत दूसरे मामलों में होने वाली है। सरकार को चाहिए कि विद्युत मण्डल के जितने भी पैसे बकाया हैं सब्सिडी के, वह तुरन्त दे ताकि बोर्ड की हालत सुधर सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रतन लालजी ताम्बी। नहीं बोल रहे है न आप? नहीं बोल रहे हैं?

श्री रतन लाल ताम्बी : क्यों नहीं, बहुत बोलना पड़ेगा, साहब।

श्री सभापति : तो बोलो। आप अपनी कांस्टीट्यूएंसी की बात पहले कह दो ताकि बाकी नहीं रह जाए।

श्री रतन लाल ताम्बी : वहां से शुरू करूं, उल्टी तरफ से?

श्री सभापति : हां, वहां से शुरू करो आप।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : जैसा आपका आदेश।

माननीय सभापति महोदय, जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत वितरण के लिए 132 जी.एस.एस. केन्द्र मोरला गांव की राजस्व भूमि पर स्थित है। पड़ौस में देवली तहसील है जहां पर भूमि उपलब्ध नहीं थी। हमें

(श्री रतन लाल ताम्बी)

देवली, बूंदी, हिण्डौली और पारोली चार जगह से बिजली आपूर्ति लेनी पड़ती है।

चारों जगह के बीच में हम लोग बहुत परेशान थे, तो हमने पांच वर्ष पहले मोरला 132 जी.एस.एस. की स्थापना के बाद यह आशा और अपेक्षा की थी कि जहाजपुर तहसील जो अधिकांश पहाड़ी भाग है और जहां पर जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग और देश की सेना में काम करने वाले लोगों की बहुत बड़ी बहुलता है और बहुत ज्यादा खेतिहर किसान वहां रहते हैं, वहां समस्या का समाधान होगा। सभापति महोदय, समस्या का समाधान कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर हमें यह सौभाग्य मिला कि हमारे पड़ोस में टोडारायसिंह विधान सभा क्षेत्र है जिसके प्रतिनिधि के रूप में माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय आपके सामने विराजमान हैं। इनके आने के बाद हमने और भी उम्मीद जागी कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की विद्युत समस्या का समाधान होगा। मैं इन पर कोई आरोप नहीं लगाता हूं, मेरे सामने टेलीफोन भी करते हैं, कहते भी हैं, पर इस सबके बावजूद कोटा से बूंदी, बूंदी से हिण्डौली और देवली या मोरला के बीच में जो विद्युत मण्डल के अधिकारी हैं वे पहले अपना पेट भरते हैं। ज्यादा बिजली वहां ड्रा कर लेते हैं, एक समस्या तो यह है।

दूसरी समस्या बीसलपुर बांध जिससे अजमेर में पानी सप्लाई होती है, उसकी भी है। वहां पर निरन्तर बिजली देनी पड़ती है क्योंकि अजमेर, नसीराबाद, केकड़ी और ब्यावर सबका जीवन उस पानी पर आधारित होता है। तो वहां जो बिजली आती है सबसे पहली प्रायोरिटी उसको मिलती है। सभापति महोदय, मुझे जो जानकारी प्राप्त है उसके हिसाब से करीब 11 मेगावाट बिजली वहां चाहिए। ढाई मेगावाट चाहिए या पांच कह लें बीसलपुर पर, तीन जहाजपुर को, तीन देवली को, डेढ़ हिण्डौली को, यह बिजली वहां निरन्तर आवश्यक है। जहाजपुर नगर है, देवली नगर है और जहाजपुर और देवली में दूर से एक-दूसरे की बिजली नजर आती है। मेरी मुसीबत यह हो जाती है कि जब देवली में बिजली चमकती है, नजर आती है। बीसलपुर तो वहां होकर ही जाएगी तो जहाजपुर कई बार अंधेरे में रहता है, जब वहां बिजली जलती है तब मेरे इलाके की जनता यह महसूस करती है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, भेदभाव हो रहा है।

डा. चन्द्रभान : देवली आपके क्षेत्र में भी आता है।

श्री रतन लाल ताम्बी : कह तो रहा हूं, क्षेत्र में तो आपका और हमारा बहुत मिला हुआ है। आधी देवली जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की राजस्व भूमि में बसी हुई है। डाक बंगला, ग्रिड वगैरह सब जहाजपुर

(श्री रतन लाल ताम्बी)

में है, कालेज, पंचायत समिति, डाक बंगला सब जहाजपुर में है। हमने इतनी उदारता दिखायी उसके बावजूद, मंत्री महोदय, चाहे बुरा माने चाहे अच्छा मानें, आपके अधिकारी और मंडल के सभी लोग यहां मौजूद होंगे ही, इन सबसे लगातार परेशान हैं। जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र बिजली के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र हैं। मैं सबसे पहले तो आज विद्युत मंत्रीजी से यह घोषणा चाहूंगा कि जहाजपुर, बीसलपुर, देवली और हिण्डौली, इनमें 10 या 11 मेगावाट बिजली बहुत आवश्यक है, वह किसी तरह निश्चित रूप से मिले, इसकी व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है।

इन दिनों अकाल से स्थिति खराब है, पानी की स्थिति खराब है। अभी तीन दिन से जहाजपुर तहसील में विद्युत सप्लाई बंद होने से पानी की सप्लाई भी बंद हो गयी। बच्चे परीक्षा देने के लिए मजबूर होकर कई बार आ रहे हैं डैपुटेशन के रूप में कि हमको शाम को बिजली नहीं मिलती है। कई बार घण्टों बंद रहती है, कई बार पूरी रात्रि बंद हो जाती है। बिजली विभाग को नास्तिक कह सकता हूं, मैं नास्तिक इसलिए कहता हूं कि सुबह-शाम जब मंदिरों की आरती होती है और बिजली चाहिए, उस समय बिजली बंद। वह समस्या अलग। लोग आकर उस समय भी हमें बहुत कहते हैं। इसका स्थायी समाधान कैसे हो, इसके लिए माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे आज निश्चित आश्वासन चाहता हूं। आश्वासन भी ऐसा, जैसा आप से हमेशा चर्चा होती है। आप अधिकारियों को कहते हैं उस सबके बावजूद क्रियान्विति नहीं होती है। हमारी इस नई सरकार ने पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेही अवधारणा को घोषित किया है, उस घोषणा की बिजली में किस तरह क्रियान्विति हो, इसके लिए विद्युत मंत्री महोदय, पूरी तौर से आश्वस्त करें।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी हमको हिण्डौली से बिजली लेनी पड़ रही है। अलग से लाइन है हमारे कुछ गांवों की कुछ देवली से, कुछ पारोली से। इसलिए इस जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की एक अजीबोगरीब स्थिति है। सब जगह टेलीफोन की लाइनें मिलती नहीं। कई बार क्या गड़बड़ स्थिति हो जाती है कि हम समय पर इत्तिला नहीं दे पाते। जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में जहाजपुर नगर में 132 जी.एस.एस. की मांग मैं पिछले चार-पांच वर्षों से कर रहा हूं। पिछली सरकार के बिजली मंत्रीजी यहां विराजमान थे उन्होंने कहा कि अगले साल के कार्यक्रम में शामिल कर लिया है, आपको इसकी बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छा साहब, धन्यवाद, आपने कर लिया तो। कागजों में देखा, कुछ मिला ही नहीं। मेरी यह मांग है कि 132 जी.एस.एस. जहाजपुर में सृजित

(श्री रतन लाल ताम्बी)

करके उस क्षेत्र की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए।

इसी तरह का रोपा ग्राम है जो हमारी सबसे आखिरी कोटड़ी और शाहपुरा तहसील की सीमा पर है। बहुत बड़ा गांव है, वहां पर 33 के.वी.ए. का जी.एस.एस., बने इसके लिए भी मेरा खास तौर से निवेदन है।

मंत्री महोदय की कृपापूर्वक हमारे क्षेत्र में दो ग्रिड जो पिछले दो साल से बन रहे हैं उस समय ढिलाई थी, आमरवासी और सकरगढ़ के ग्रिड बन कर तैयार हो गये। मैं समझता हूं कि उनके जल्दी ही आरम्भ होने से इलाके का बहुत बड़ा हिस्सा जो प्रभावित रहता था, उसको लाभ मिलेगा।

इस मौके पर मैं अपनी एक मांग और करना चाहता हूं। यह पूरे राजस्थान की समस्या है पर मेरा इलाका उससे बहुत प्रभावित है। वह समस्या है जलोत्थान सिंचाई योजनाएं, जो किसान की कृषि के लिए काम आती हैं। यह योजना पहले कृषि के शिड्यूल में थी लेकिन अब इसका एक नया शिड्यूल कायम करके इसकी दरें काफी बढ़ा दी गयी हैं जबकि मूलतः वह कृषि के काम में आती है। हमारे काफी बड़ी तादाद में लिफ्टें बंद हो गयीं, काफी बड़ा भार किसानों पर चढ़ गया। सभापति महोदय, बनास नदी में अभी जाकर आप देखें; पिछले पांच महीनों से कोई लिफ्ट नहीं चल रही है। पानी बिलकुल साफ हो गया है, नदी सूखी पड़ी है। उसके बावजूद भी 75 रुपये प्रति माह प्रति हॉर्स पावर मिनिमम चार्जेज के वसूल किए जाएंगे। इतना बड़ा भार किसान दे नहीं पाएगा। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि किसान के कुएं की यूनिट के आधार पर आपकी व्यवस्था है वह की वह व्यवस्था लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम पर की जानी चाहिए। लिफ्ट इर्रिगेशन चल ही नहीं रही है, उस सब पर आप मिनिमम चार्जेज वसूल करके किसानों का जो शोषण कर रहे हैं यह एक अन्याय है। इस दिशा में भी मंत्री महोदय गंभीर चिन्तन करके आज घोषणा करे कि जिस प्रकार कुओं पर बिजली की रेट वसूल की जाती है वही रेट रहे और यूनिट के आधार पर पैसा वसूल किया जाए। मिनिमम चार्ज जो लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम पर है, उसको मैं समझता हूं स्थापित करने के लिए संशोधन किया जाएगा। राजस्थान में पांच हजार के आसपास लिफ्ट इर्रिगेशन होंगी, भीलवाड़ा में करीब 75 हैं और उनमें भी सबसे ज्यादा जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की जहाजपुर, कोटड़ी तहसील में 28-30 स्कीमें हैं। हमारे इलाके में कई तो कनेक्शन कटे पड़े हैं और दुनिया भर के बिल किसानों पर बकाया हैं, वे चुका नहीं पाएंगे। शुरू में अधिकारियों ने जैसा सजेशन किया, 50 हार्स पॉवर चाहिए, 100 हार्स पावर की मोटरें लगा दीं। काम 50 हार्स पॉवर ले रहे हैं, उसके बावजूद 100 हार्स पावर का मिनिमम चार्ज वसूल

(श्री रतनलाल ताम्बी)

किया जा रहा है। या तो उनका लोड कम करवाया जाए ताकि इस तरह उन किसानों से नाजायज तौर से जो पैसा वसूल किया जा रहा है वह नहीं हो।

सभापति महोदय, इस सदन में कई बार चर्चा होती है, रेवेन्यू विलेज हमेशा बढ़ते चले जाते हैं। ढाणी, मजरों से जो रेवेन्यू विलेज बने हैं, कहने को तो यह कहा जाता है कि उसी गांव का हिस्सा माना जाएगा पर वे इतने दूर हैं कि वहां की लाइनें, वहां के खम्भे और सारा हिसाब लगाएं तो लोखों रुपये की डिमाण्ड पहुंच जाती है इसलिए उन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो सकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 60-65 के आस-पास ऐसे गांव हैं जो आज विद्युतीकृत नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि उन गांवों का भी विद्युतीकरण हो। उनको अलग से विलेज मानते हुए उनकी स्कीम अलग से बना कर जो एक अनावश्यक डिमाण्ड उन लोगों को आप देते हैं वह व्यवस्था समाप्त करें। ये गांव अंधेरे में नहीं रहें, ये भी विद्युत से जगमगाएं, इस तरह की आप व्यवस्था करने की बात करें।

आपने गत वर्ष बहुत आशा और आकांक्षा के साथ विधान सभा के सभी सदस्यों को आश्वस्त किया था और विद्युत सुधार कार्यक्रम आपने नीति जारी की थी। मैं समझता हूं कि सोच अच्छा होगा, लेकिन अब इसका एक्जीक्यूशन कब, कैसे होगा? विश्व बैंक से आपकी सारी बातचीत हुई है और शायद पैसा भी मिलेगा। हमारी उत्पादन प्रसारण और वितरण की जो व्यवस्था है वह बहुत गड़बड़ायी हुई है, विद्युत तंत्र बहुत पुराना है, लाइनों में लीकेज है, कई लाइनें बिलकुल लटकी हुई रहती हैं। कल-परसों मैं इलाके में घूम रहा था तो तीन-चार गांवों में यह मामला सामने आया कि लाइनें टूटी हुई पड़ी थीं। मैंने आते ही कहा भी था, विद्युत विभाग के अधिकारियों को-ये समय पर इनको देखते नहीं हैं। इससे निश्चित रूप से ट्रांसमिशन लास भी बढ़ रहा है और कुछ घटनाएं भी हुई हैं। हमारे इलाके में दो-चार पहले मर गये और लाखों रुपये उनको कम्पनसेशन के आपने दिये हैं। इन लाइनों का कैसे सुधार हो, इसके बारे में भी आप निश्चित रूप से व्यवस्था करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले, निवेदन करना चाहता हूं कि जहाजपुर क्षेत्र की जनता में विद्युत विभाग के प्रति भयंकर असंतोष है। मंत्रीजी, शायद आपको अंदाजा है या नहीं है, आपके बारे में हमारे इलाके में एक अच्छा दृष्टिकोण था और आपकी अच्छी छवि मानी जाती थी, लेकिन आपके सारे प्रयत्नों के बाद भी अगर वहां व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो वहां की जनता में आक्रोश और अविश्वास बढ़ रहा है। इसको आप निश्चित

(श्री रतन लाल ताम्बी)

रूप से आप पूरा करने का प्रयत्न करें। इसके लिए जैसे मैंने सुझाव दिये, 132 जी.एस.एस. जहाजपुर में अलग, रोपा में एक 33 के.वी.ए. स्टेशन और जहाजपुर, देवली, बीसलपुर और हिण्डौली का जितना लोड आवश्यक है उतना लोड वहां पर सुनिश्चित करें। यही निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामनारायण विश्नोई।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : सभापति महोदय, ऊर्जा के विषय में आज जो चर्चा हो रही है उसमें मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज राजस्थान की जनता अकालग्रस्त होकर और समस्याओं से झूझ रही है उसी प्रकार से बिजली वितरण की समस्या भी राजस्थान की जनता के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है।

पिछले सालों के अन्दर विद्युत मण्डल द्वारा राजस्थान में सुधार करने की जो कोशिश की गयी थी उससे हिन्दुस्तान के दूसरे विद्युत मण्डलों द्वारा राजस्थान के विद्युत मण्डल का अनुकरण करने की सोचकर काम करने की स्थिति बन रही थी। जब कभी भी विद्युत मण्डल में सुधार करने की कोशिश की गयी, जन प्रतिनिधियों ने हमेशा यह आवाज उठायी कि बिजली दिनों-दिन बहुत महंगी की जा रही है, बिजली की नीति काश्तकारों और उद्योगपतियों के हित में नहीं है। बारबार जो विद्युत मण्डल घाटे की स्थिति में जा रहा था, उस घाटे की स्थिति को सुधारने की जब कभी भी कोशिश की गयी तो इस प्रकार का वातावरण पैदा किया गया। उस वातावरण पैदा करने का नतीजा आज हम यह देख रहे हैं। अगर हम थोड़े दिन पहले का उदाहरण लेवें तो राजस्थान में इस विधान सभा के चुनाव होने से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक घोषणा की गयी और बराबर इस सदन के अन्दर भी विरोध प्रकट किया जाता रहा था कि राजस्थान के अन्दर जो नर्सरी योजना चालू की गयी है वह काश्तकारों के लिए बड़ी दुःखदायी है और इससे रद्दी कोई योजना है नहीं। घोषणा पत्र के अन्दर यह घोषणा की गयी कि महंगी नर्सरी योजना को समाप्त कर दिया जाए। इस घोषणा का नतीजा यह निकला कि राजस्थान के काश्तकार ने यह सोचा कि नर्सरी योजना बड़ी भारी नुकसानदायक है काश्तकारों के लिए, शायद राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद में कोई ऐसी बिजली नीति होगी जिससे काश्तकार पहले से ज्यादा सस्ती बिजली पा सकेगा।

सभापति महोदय, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पहले 1990 के अन्दर एक योजना चलायी गयी थी ओ.वाई.टी. योजना, जिसके अन्दर जल्दी कनेक्शन दिये जाते थे। उस योजना से भी राजस्थान के

(श्री रामनारायण विश्नोई)

काश्तकारों को और विशेष रूप से मैं यह कह सकता हूं कि पश्चिमी राजस्थान के काश्तकारों को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ था। पश्चिमी राजस्थान के बहुत से जिले, बहुत-सी तहसीलें उन कनेक्शन की वजह से आज अकाल की विभीषिका का मुकाबला करने में बराबर सक्षम हैं। उस योजना का भी विरोध किया गया था कि पैसे लेकर के जो बिजली के कृषि कनेक्शंस दिये जा रहे हैं, यह योजना किसी भी तरह काश्तकारों के हित में नहीं है। यहां तक भी नौबत आयी थी कि इस प्रकार की योजना लागू करने वाले मण्डल के अधिकारियों को हटाया जाकर दूसरे अधिकारियों को वहां पर नियुक्त किया जाए। इस प्रकार के कई दबाव आने के बाद में सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के लोगों ने भी जब इस बात का विरोध किया तो मण्डल के अधिकारियों द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा मजबूरन उस योजना को भी एक बार ठंडे बस्ते में डाला गया। उस योजना को जब ठंडे बस्ते में डाला गया उस वक्त राजस्थान के काश्तकार जो कृषि में जरा मेहनत कर और आगे बढ़ना चाहते थे, उन्होंने इसका विरोध किया था कि यह बात अच्छी नहीं है और यह काश्तकारों के हित में नहीं है। जिस प्रकार से ओ.आई.टी. स्कीम को बंद कर काश्तकारों का नुकसान किया गया, उसी प्रकार से जो काश्तकार अच्छी खेती करके अच्छा उत्पादन देख आगे बढ़ना चाहते थे उन काश्तकारों के हित की वह नर्सरी योजना भी बंद की गयी।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नर्सरी योजना को बंद करके राजस्थान की सरकार ने आज हरा चारा योजना चालू की है, उसका और नर्सरी योजना का अगर मुकाबला करें तो समझ में नहीं आ रहा है 'हरा चारा' योजना के अन्दर ग्यारह हजार रुपये तो पर पोल के चार्ज किये जा रहे हैं और आपको यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि 1200 रुपये पर हार्स पावर के ट्रांसफार्मर के चार्जेज लिये जा रहे हैं। 120 रुपये मिनिमम चार्जेज पर हार्स पावर उसके अन्दर अलग लगाये गये, एक रुपया और बीस-पच्चीस पैसे चार्ज किये जाएंगे। इससे पहले जो नर्सरी योजना थी, आपको और हम को अच्छी तरह से मालूम है कि 1200 रुपये पर हार्स पावर के ट्रांसफार्मर चार्जेज जो लिये जाते थे वे पैसे पांच साल के अन्दर वापस दिये जाते थे काश्तकारों को बिलों के अन्दर इसका मतलब यह हुआ कि 1200 रुपये काश्तकार से एक तरह से एडवांस के तौर पर लिये जाते थे और उन पैसों की मदद से ट्रांसफार्मर उपलब्ध किये जाते थे, ट्रांसमिशन लाइनें ठीक की जाती थीं, जगह-जगह जी.एस.एस. नये खोले जाते थे और उस पैसे का उपयोग करके विद्युत उत्पादन और विद्युत प्रसारण

(श्री रामनारायण विश्नोई)

के अन्दर सुधार किया जाता था। उस योजना का विरोध करने से हुआ क्या कि जो एक सुधार करने की नीति बोर्ड के अन्दर चली थी, जगह-जगह नये जी.एस.एस. 33 के, 220, 132 के.वी.ए. के बनने की जो स्कीम शुरू हुई थी, उसमें सुधार हुआ था, उस सुधार के अन्दर रुकावट आयी।

उसके बाद में साधारण योजना के अन्दर जिस प्रकार से चार्जेज किए गये हैं, वह मेरी समझ में नहीं आता है। नर्सरी योजना को बन्द करने वाली सरकार साधारण योजना के अन्दर जिसके 5-5, 7-7 और 10-10 साल तक नम्बर आये हैं काश्तकारों के उनसे भी आज क्या चार्जेज लिये जा रहे हैं। उनको पोल के ऊपर जो कनेक्शन दिया जाता था वह कनेक्शन बन्द कर आज जिस प्रकार से पैसे चार्ज किये जा रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 600 रुपये पर हार्स पावर तो ट्रांसफार्मर चार्जेज के जमा करवाये जा रहे हैं और उसमें से एक पैसा भी वापस नहीं दिया जाएगा 1200 रुपये नर्सरी योजना के अन्दर लिये जा रहे थे वे पैसे पांच साल के अन्दर वापस दिये जाते थे, बिलों के अन्दर उनका समायोजन किया जाता था और आज 600 रुपये काश्तकार पर हार्स पावर देकर साधारण योजना के अन्दर कनेक्शन पा रहे हैं। तीन कनेक्शन लेने पर पहले पोल की कीमत एक हजार रुपया प्रति पोल ली जाती थी, चौथे से लेकर पांचवें पोल के 1500 रुपये प्रति पोल चार्ज लिये जाते थे और छठे से लेकर आठवें पर 2000 और वर्तमान में क्या रेट की है? तीन हजार प्रति पोल तीन पोल तक कर दिया गया है और उसके बाद प्रत्येक पोल 11000 रुपये 90 मीटर की दूरी पर। पहले वाली दूरी जो थीं...

डा. चन्द्रभान : ऐसा नहीं है। आप यह ठीक करेंगे कि तीन हजार रुपये लिये जाते हैं लेकिन आठ पोल तक तीन हजार ईच पोल लिये जाते हैं। आठ पोल तक तीन हजार ही हैं, आगे वह तीन के बाद...

श्री रामनारायण विश्नोई : वर्तमान में आठ पोल तक तीन हजार लिये जाते थे, डिस्टेंस बता दिया 90 मीटर का और उसके बाद में प्रत्येक पोल पर 11000 रुपये 90 मीटर के हिसाब से किये गये हैं। जो फ्री पोल पहले से पा रहे थे और एक रुपया भी पर हार्स पावर के नहीं दिया जा रहा था, उस नीति को हटाकर साधारण नीति के अन्दर यह योजना की गयी। सभापति महोदय, इस योजना के अन्दर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी नहीं बख्शा गया। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को साधारण योजना के अन्दर जो कनेक्शन दिये जाते थे उसमें एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता था, आज उनसे भी बराबर वह की वह पोल चार्जेज लिये जा रहे हैं, वह की वह 600 रुपये उनके भी बढ़ाये गये हैं। उनको तुरन्त कनेक्शन देने

(श्री रामनारायण विश्नोई)

की योजना पहले भी थी और आज भी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन करना है कि इस वर्तमान सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा किया है और इस धोखे के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

माननीय सभापति महोदय, लोगों को यह कहा गया कि हम सस्ती बिजली देंगे, हम बिजली में सुधार करेंगे और हम बराबर बिजली ज्यादा समय तक देंगे, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति पिछले साल से बनी हुई है, सत्तापक्ष के माननीय सदस्य जहाजपुर से आने वाले भी कह रहे थे और गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अपनी व्यथा जाहिर की है कि विद्युत सप्लाई के अन्दर, विद्युत कनेक्शन के अन्दर कोई सुधार नहीं हो रहा है और न आगे कोई सुधार होने की उम्मीद है। यह स्थिति तो है कृषि कनेक्शंस की। इससे पहले राजस्थान के काश्तकार को थोड़ा चार्जेज लेकर जल्दी कनेक्शन देने की जो प्रथा थी चाहे ओ.वाई.टी. की थी, चाहे नर्सरी योजना थी, उसको लागू करने से जिस प्रकार तंत्र में भी सुधार हो रहा था, मैं सुझाव दूंगा कि उसको नहीं रोककर कृपया वही सुधार लागू करें। ये दूसरी योजनाएं भ्रमित योजनाएं हैं, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, इन योजनाओं को बन्द कीजिए। नर्सरी योजना आप चालू रखते तो आपको इस हरा चारा योजना की क्या आवश्यकता थी? हरा चारा योजना के अन्दर क्या स्थिति है? घास चारा के अन्दर 11000 रुपया पर पोल चार्ज है, 600 रुपये शायद आप ले रहे हैं ट्रांसफार्मर चार्जेज के और रेट उसके अन्दर बराबर इतने लगे हुए हैं कि कम से कम संवा रुपये, डेढ़ रुपये पर यूनिट में चार्ज देने पड़ेंगे। जबकि नर्सरी योजना के अन्दर पूर्ववर्ती सरकार ने यह कर दिया था कि दो साल के बाद इसमें सामान्य चार्जेज लगने शुरू हो जाएंगे। इसमें कोई गारंटी नहीं है, दुनियाभर की इसके अन्दर शर्तें लगायी गयी हैं।

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि काश्तकारों के अन्दर की बताने वाले लोग काश्तकारों के लिए कहते हैं कि काश्तकारों को बिजली मंहगी मिल रही है। महंगी बिजली नहीं मिलनी चाहिए। काश्तकार नर्सरी योजना के अन्दर बराबर दरख्वास्त देकर नर्सरी योजना में कनेक्शन लेना चाहता था, हरे चारे की योजना के अन्दर भी, 15-16 हजार एकदम से दरख्वास्तें आ गयी। दो-दो हजार रुपये जमा करवा दिये और बराबर दौड़ लगी हुई है। एक-एक, दो-दो हजार रुपये जमा करवा दिये और बराबर दौड़ लगी हुई है। एक-एक, दो-दो और तीन-तीन लाख रुपये देकर भी कनेक्शन लेना चाहते हैं। सभापति महोदय, राजस्थान का काश्तकार मेहनत करता है, राजस्थान का काश्तकार यह चाहता है कि चाहे बिजली महंगी मिले बिजली बराबर समय पर दी जाए, मांगे

(श्री रामनारायण विश्नोई)

तब हमको कनेक्शन दिए जाएं। उसके अन्दर बिजली के रेट्स बगैरह ठीक ढंग से चलें तो राजस्थान का काश्तकार बराबर तरक्की करने के लिए प्रयासरत है। सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर नियामक आयोग की स्थापना हो चुकी है और विद्युत मण्डल तीन कम्पनियों के अन्दर विभाजित होने जा रहा है विद्युत उत्पादन, प्रसारण और वितरण। यह स्थिति क्यों पैदा हुई? यह स्थिति इस वजह से हुई, जैसा मैंने कहा कि अगर हम जन प्रतिनिधि इस बात की कोशिश करते कि राजस्थान के अन्दर बिजली चोरी नहीं होनी चाहिए, अगर हर विधायक अपने क्षेत्र के अन्दर यह गारंटी देता है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां विद्युत चोरी नहीं होगी या जितने मेगावाट बिजली की चोरी होगी उतने मेगावाट बिजली की वसूली हम हमारी जिम्मेदारी से करवाकर देंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर मण्डल के विभाजन की कभी आवश्यकता नहीं होगी। जिस प्रकार से आने वाले दिनों के अन्दर नियामक आयोग की तरफ से बिजली के चार्जेज काश्तकारों के ऊपर पड़ेंगे, माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन करना है कि आप बराबर कोशिश में लग जाएं। बिजली की जो छीजत हो रही है उसको मिटाने के लिए हमारा रात और दिन सहयोग रहना चाहिए। हमको उपभोक्ता को यह समझाना पड़ेगा कि अगर आप बिजली की सुविधा लेना चाहते हैं और बिजली से अपने आपको लाभान्वित होने देना चाहते हैं तो आपको कम से कम थोड़े चार्जेज देने पड़ेंगे। बिजली बोर्ड की जो स्थिति बिगड़ रही है और जिस प्रकार से निजी कम्पनियां इस क्षेत्र के अन्दर आ रही हैं, ये निजी कम्पनियां हमारे ऊपर इतना ज्यादा चार्जेज लगाने वाली हैं कि राजस्थान का उपभोक्ता वह चार्ज देने में असफल होगा। जहां-जहां भी निजी कम्पनियों ने कार्य करना शुरू किया है, जहां-जहां पावर सुधार एक्ट के मुताबिक कम्पनियां बनी हैं, हम लोग हरियाणा और उड़ीसा की स्थिति सुन रहे हैं, वहां पर आज स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। वहां पर राज्य सरकारें चिन्ता में लगी हैं। कि सारा विभाजन कर दिया, तीन अलग-अलग कम्पनियों को देने के बाद राजस्थान के काश्तकार के लिये राजस्थान के विद्युत मण्डल के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान के काश्तकार, खासकर सदन के माननीय सदस्यों को इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि हम जगह-जगह जाकर काश्तकारों को और दूसरे भी बिजली के उपभोक्ता जो हैं उनको समझावें कि हम अभी से कुछ ज्यादा भार सहन करने की आदत डालें। जो लोग बराबर बिजली चोरी में लगे हुए हैं, जो लोग छीजत

(श्री रामनारायण विश्नोई)

के अन्दर विश्वास रखते हैं और जो नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं बोर्ड की मार्फत, जैसा कि लाडनूं से आने वाले माननीय संदस्य ने भी कहा कि राजनीतिकरण के हिसाब से 20 लाख रुपये का मकान बनाकर 5-7-10-20 हजार रुपये बिजली बोर्ड को सूचना लगाकर बिजली मुफ्त में लेने की कोशिश कर रहे हैं। गांवों के अन्दर घरेलू कनेक्शन की नीति जो पहले बिजली बोर्ड द्वारा चली आ रही थी, तीन कनेक्शन पर एक पोल मुफ्त में दिया जा रहा था, आज स्थिति राजस्थान सरकार ने क्या बना दी है? गांवों में बसने वाले काश्तकार चार पीढ़ी भी घरेलू कनेक्शन नहीं ले पाएंगे क्या नीति बनायी? माननीय मंत्री महोदय, इसका क्या औचित्य है? यह बताने की कोशिश करेंगे कि जहां ग्राम की आबादी होगी उस आबादी से सौ मीटर की दूरी तक 1200 रुपये लेकर किसी का घर है या किसी की ढाणी है, उसको कनेक्शन दे दें। सभापति महोदय, आपसे और इस सदन में बैठे सभी सदस्यों से छिपी हुई हालत नहीं है, गांव का आदमी ढाणी के अन्दर रहता है और दो, तीन, चार, पांच और सात-सात किलोमीटर के नजदीक किसी का रहवास नहीं है। एक खेत से दूसरे खेत पर जाने के लिए चार-चार, पांच-पांच और छ:-छ: पोल, इतनी दूरी है। वहां पर इस हालत के अन्दर ग्रामीण व्यक्ति को कनेक्शन कैसे देगा बिजली बोर्ड? उनका क्या किया है कि एक पोल का दस हजार ग्यारह हजार रुपया? सौ मीटर के बाद कौनसा काश्तकार ऐसा है जो गावं में ढाणी में बैठा हुआ है।

(15.00 बजे)

जो आज अकाल से मर रहा है, जिसके पास कोई मजदूरी की व्यवस्था नहीं है, जिसकी हालत कमाने की है नहीं। और अकाल वहां बारम्बार पड़ रहे हैं। वह किस प्रकार से अपने घर के अन्दर विद्युत कनेक्शन ले सकेगा? मेरा, सभापति महोदय, आपके मार्फत यही निवेदन है कि पुरानी व्यवस्था थी जैसी भी जो ग्रुप स्कीम के अन्दर तीन कनेक्शन पर एक पोल फ्री दिया जाता था और धीरे-धीरे उस व्यवस्था के मुताबिक कनेक्शन दिये जा रहे थे वही व्यवस्था वापस लागू की जाए वर्ना राजस्थान के ग्रामीण तबके का किसान कभी इस बात को सहन नहीं करेगा और बहुत भारी मुसीबत पैदा हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन और करना चाहूंगा, राजस्थान के अन्दर विद्युत कनेक्शनों में गांवों के अन्दर हो चाहे शहरों के अन्दर, मीटर की जो व्यवस्था बनी हुई है, आज जैसा अभी बताया, तीन-चार लाख मीटर तो हमेशा खराब रहते हैं, मीटर रीडिंग के अन्दर लापरवाही बरती जा रही है। मीटर की रीडिंग की लापरवाही

(श्री रामनारायण विश्नोई)

की वजह से बिल बराबर समय पर नहीं आते हैं और उपभोक्ता को चोरी करने का मौका मिलता है। इस व्यवस्था के अन्दर सुधार की बड़ी भारी आवश्यकता है। चाहे इलैक्ट्रिक मीटर घर-घर लगाएं, चाहे कोई व्यवस्था करें, मीटर इस प्रकार से लगने चाहिए जिस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर चोरी में रुकावट पैदा की गयी है। गांवों के अन्दर भी घरेलू कनेक्शन के अन्दर मीटर चैंज करके मीटर रीडिंग बराबर आनी चाहिए। मीटर के अन्दर खराबी पैदा होती है तो उस मीटर की जल्दी से जल्दी चैकिंग करके मीटर तब्दील कर दिया जाना चाहिए। जैसा माननीय सदस्यों ने बताया और आज विद्युत मण्डल की तरफ से आंकड़े भी प्रस्तुत किये गये हैं कि 28-29-30 प्रतिशत छीजत के अन्दर हम जा रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो राजस्थान के उपभोक्ता कभी भी बिजली के फायदे नहीं उठा सकते हैं। पचीस-तीस प्रतिशत छीजत करके

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हम किस प्रकार से विद्युत बराबर सप्लाई कर सकेंगे?

दूसरा, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर हमारे पास हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन पानी नहीं है, न हमारे पास कोयला है। इसलिए हमको एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी. और केन्द्रीय योजनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। वहां से बिजली लेकर राजस्थान में सप्लाई करनी पड़ रही है। अभी जो हमारी अनुमानित मांग है उसके मुताबिक पीक टाइम के अन्दर करीब 4800 मेगावाट बिजली की आवश्यकता बताई जा रही है। आज की स्थिति के अन्दर जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उसमें 3700 मेगावाट तक बड़ी मुश्किल से हम बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर आज घोषणाएं तो बहुत हो रही हैं लेकिन राजस्थान के अन्दर कोई प्राइवेट कम्पनी भी हमारे साथ एग्रीमेंट करके काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण जो आप और हम हमेशा बताते आ रहे हैं वह यह है कि राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की तरफ से बार बार यह घोषणा की कि राजस्थान दीवालिया है, राजस्थान के पास पैसा नहीं है। इस स्थिति के अन्दर बोर्ड को भी मिला दिया गया कि बोर्ड बहुत घाटे में चल रहा है। बोर्ड घाटे के अन्दर चलने की बात प्रचारित करने के बाद में कोई भी हिन्दुस्तान की कम्पनी या कोई भी फोरेन कम्पनी विद्युत मण्डल के साथ एग्रीमेंट करके कोई नया काम लेने की स्थिति में नहीं है। बातचीत आपकी चल रही है, लेकिन बातचीत होने करने के बाद आगे आकर कोई भी निजी कम्पनी राजस्थान के अन्दर काम करने के लिए तैयार नहीं है। पिछले साल डेढ़ साल के अन्दर

(श्री यशवन्त सिंह)

जिन गांवों में फर्जीवाड़े में विद्युतीकरण दिखा रखा है—जैसे मेरे क्षेत्र में निगल बसाया है उसमें 1980 से विद्युतीकरण दिखा रखा है और आप वहां जाओ तो लाइट का नामोनिशान नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इन बातों की जानकारी करवाई जाए।

कई गांवों में मैन लाइन के तार चोरी हो गये। 5-5, 7-7 साल हो गये, तार नहीं, खम्भे नहीं और उनका रेवेन्यू बकाया हो गया 8-8 लाख, 9-9 लाख रुपये। आपके डिपार्टमैंट में आधे पैसे करवा कर 2-4 लाख रुपये जमा करवाएं तो कहते हैं पूरा पैसा जमा करवाओ। हमने कहा इसकी जांच करो। जिस पीरियड में तार-खम्भे और ट्रान्सफार्मर नहीं थे उसके अलावा पैसा जमा कराने को तैयार हैं लेकिन जो एक्सईएन. एईन. वहां लगा रखे हैं वे कहते हैं कि हम पर सरकार का दबाव है। ऐसा कैसा दबाव है? जिस चीज का यूज हीं नहीं किया उसका पैसा किसान क्यों भरेगा? माननीय सभापति महोदय, आज बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, गर्मी भीषण है, इसको देखते हुए तीन फेस नहीं दें तो एक फेज बिजली देने की व्यवस्था करें जिससे बच्चों की परीक्षाएं ठीक तरीके से हो सके।

(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि बिलकुल ही नहीं आ रही है क्या। राजस्थान गवर्नमैंट का एक्सईएन. असत्य बोलता है या पता नहीं एसई. असत्य बोलता है, वह कहता है कि राजस्थान गवर्नमैंट ने ये निर्देश दे रखे हैं कि सिटी में चार घंटे सप्लाई रोकी जाऐ और गांव में चार घंटे सप्लाई दी जाए। क्या गांव का किसान और गांव के लोग पैसे नहीं भरते? गांव की ओर शहर की रेट अलग-अलग है। माननीय सभापति महोदय, इण्डस्ट्री में पहले लाइट दी जाती है और ज्यादा दी जाती है और जो कृषि कनेक्शन हैं उनमें समय सीमा निर्धारित कर रखी है आपने। इण्डस्ट्री को देंगे 18 घंटे और काश्तकार को देंगे 8 घंटे, 8 घंटे पूरे नहीं वह भी 4 घंटे। जब से मंत्री बने हैं आज तक तो आई नहीं, घोषणा ही घोषणा होती रही सदन में। पिछली बार भी बोला था मैं, मेरे यहां तो आई नहीं, और कहीं आई हो तो कह नहीं सकता। पिछली बार बीजेपी. ने घोषणा की थी कि 8 घंटे बिजली देंगे। इन्होंने तो 2 घंटे नहीं दी, लेकिन आप चाचा हैं इसलिए थोड़ा नहीं कहना चाहूंगा। क्योंकि ये ध्यान तो रखते नहीं हैं। सारे चाचा बैठे हैं, मूछों वाले बैठे हैं, (व्यवधान) लेकिन बिजली के हालात बड़े ही दयनीय हैं। मेरा आपके मध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि कम से कम एईएन. और जेईएन. की जो नीति है कि जिले के बाहर रखा जाएगा इसको

(श्री यशवन्त सिंह)

कैन्सिल करें। जो कर्मचारी अच्छा काम करता है उसको तो यह कह कर बाहर भगा दिया जाता है कि जिले का है, ठीक तरह से काम नहीं करेगा लेकिन मेरे भरतपुर में बिजली के जो कर्मचारी हैं वे बिलकुल निकम्मे और नाकारा हैं। माननीय सभापति महोदय, पिछले डेढ़ साल से जब से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने कार्यभार सम्भाला है, मेरे गांव में या मेरे क्षेत्र में कभी तीन घंटे से ज्यादा लाइट नहीं आई। (व्यवधान) आप से ज्यादा जाता हूं मैं। आप तो यहीं रह कर मजे करते हो।

माननीय सभापति महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि + + + सुनने वाला कोई नहीं है। ऊर्जा मंत्रीजी गायब हैं सुनाएं किसको, व्यथा + + +? (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके_

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैं दो मिनट में अपनी बात खतम करता हूं। (व्यवधान) इतनी देर में मेरी बात ही खतम हो जाती। (व्यवधान)

श्री सभापति : नाम पुकार लिया है, इनके बाद आप बोलेंगे।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सभापति महोदय, बिजली जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर यहां चर्चा हो रही है। विद्युत मजदूर से लेकर उद्योगपति और गरीब से लेकर अमीर तक उसके जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है, किसी न किसी रूप में उसको आवश्यकता होती है। राजस्थान में बिजली की स्थिति गम्भीर है, भले ही कोई प्रतिपक्ष से बात करें, कोई पक्ष से बात करें। पर दुर्भाग्य यह है कि प्रतिपक्ष में जाते ही बिजली के सुधारों की समझ आ जाती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, और बदल-बदल करके स्कीम बदलते हैं। योजना बनाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि न तो ऊर्जा का भरपुर उत्पादन है राजस्थान में और पैसा है, संसाधन है। भण्डारीजी भले ही हैं लेकिन भण्डार खाली है। महसूस करते हैं सारे राजस्थान के लोग। अभी पूर्व ऊर्जा मंत्रीजी भाषण दे रहे थे, जब आप बैठे थे तो उधर वाले कुछ और बातें किया करते थे। आप इधर बैठ गये तो उधर की बातें करने लगे। आप कह रहे थे चोरी हो रही है, काश्तकार चोरी करता है। बिलकुल करता है। क्या उस चोरी करने में, उद्योगपतियों को छोड़ दीजिए काश्तकार की बात करता हूं मैं, चोरी को बढ़ाने में क्या सरकार सहयोग नहीं देती? यह भी स्कीम बदल-बदल कर कभी वन पोल, कभी टू पोल, कभी नर्सरी, कभी चारा, कभी तुरन्त योजना। 15 वर्ष

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

मैं माननीय मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि आर.एस.ई.बी. के अधिकारियों को लेकर, रेवेन्यू अधिकारियों को लेकर और जन-प्रतिनिधियों के साथ मैं जिस तरह से रेवेन्यू कैम्प लगाते हैं उसी तरह से आप भी कैम्प लगाइये हर तहसील में, चाहे दो दिन का लगातार लगा लीजिये। छोटी-छोटी बातें—तार ढीले होने वाली, खंभे टूटने वाली, टेढे होने वाली, मैप लाने वाली, एल.टी. लैस की स्कीम बनाने वाली, इन बातों को पूरा करने के लिये आप एक कैम्प लगाइये।

एक और दुर्भाग्य की बात है कि डिमांड नोटिस निकलने के बाद काश्तकार यह समझ लेता है कि मुझे बिजली मिलेगी। दस दिन, बीस दिन...माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा-सा जल्दी नहीं करें। घंटी बजते ही मैं बैठ जाऊंगा, मेरी हालत खराब है...

श्री सभापति : नहीं बजेगी, अभी दो मिनट है।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं निवेदन करना चाहता हूं, डिमांड नोटिस में काश्तकार जैसे तैसे पैसा भर भरा कर यह समझ लेता है मुझे बिजली मिलेगी। दस दिन, पन्द्रह दिन, बीस दिन चक्कर लगाता है दफ्तरों के। कहते हैं, हम आ रहे हैं। आपका डिमांड नोटिस निकल गया, अब आपका कनेक्शन कर देंगे। भूल से वह यदि कनेक्शन कर लेता है, उसके फिर आप बी.सी.आर. भरते हैं। उसका सारा सामान, अड़ंगा उठाकर ले जाते हैं और उसमें फिर अपना कानून बताने लग जाते हैं। ड्यूटी है आर.एस.ई.बी. की कि जब डिमांड नोटिस और पैसा उसका जमा हो गया तो आपको दूसरे दिन जाकर उसका कनेक्शन करना चाहिये। नहीं तो आपको डिमांड नोटिस नहीं निकालना चाहिये। काश्तकार की क्या गलती है? जब इधर-उधर से खर्चा करके, कर्जा करके आपके डिमांड नोटिस का पैसा जमा करा देता है, एल फार्म दे करके फिटिंग करा लेता है, यह जब कम्प्लीट करने के बाद यह उम्मीद करता है कि अधिकारी मेरे घर आएंगे और मुझे कहेंगे आपका कनेक्शन करवाइये। वे समझते हैं, वे इधर-उधर घूमते रहते हैं कि यह कब बिजली का कनेक्शन करे और कब इसको ट्रैप करें। कब इसका सामान पकड़ें और वह चक्कर लगाता रहे। मैं निवेदन करता हूं, सभापतिजी कि मगरे और ढाणी में बैठा हुआ काश्तकार, अनजान काश्तकार जो इनकी प्रक्रिया को पूरी नहीं समझता है, उस आदमी के साथ धोखेबाजी होती है। उसके मोटर और स्टार्टर लाकर ये अपने घरों में और दफ्तरों में रख लेते हैं और फिर कहते हैं कि सैटलमैंट में आ जाओ। सैटलमैंट को वे समझते नहीं है। आप बताएंगे जो सुनेंगे और दुःख पा कर चले जाएंगे।

दूसरा निवेदन करता हूं कि जी.एस.एस. पर। जी.एस.एस. की बहुत जरूरत है। जिस

(श्री रामचन्द्र सराधना)

तरह से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी इस मामले में गंभीरता से विचार कर रहे हैं, मैं जी.एस.एस. पर भी निवेदन करूंगा। मेरे क्षेत्र में एक खोरालाडाखाणी जी.एस.एस. बन रहा है। 33/11 का है, कई दिनों से बन रहा है। गांव वाले सारे इकट्ठे हुए, मैंने भी उनको प्रेरित किया। उन्होंने लाइन खड़ी करवा दी, खम्भे खड़े करवा दिये। अब शायद उसमें लाइन खींचने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि वह सर्दी के दिनों में काम होना चाहिये था, फसल के टाइम पर काम होना चाहिये था। इनसे आज तक नहीं हो पाया।

माननीय सभापतिजी, मेरा 132 के.वी.ए. का ग्रिड स्टेशन चंदबाजी में बनाने की बात की इन लोगों ने। मंत्रीजी ने भी कहा ठीक बात है। पहले टैक्निकल मैम्बर थे, उन्होंने भी कहा इसकी फिजिबिलिटी है। आज स्थिति यह है कि उसको बदलने की बात करने लग गये। उसको और आगे ले जाने की बात कर रहे हैं कि इसे चंदबाजी के बजाय मनोहरपुरा में ले जाएंगे। मनोहरपुरा से आगे 10 किलोमीटर पर 132 का ग्रिड स्टेशन दूसरा है। मेरे यहां पर कुंडा से जाती है, इंडस्ट्रियल एरिया है भानपुरा का और उसके नीचे तीन जी.एस.एस. 33/11 के हैं। वहां बनाना चाहिये जहां जमीन देने के लिये तैयार कर रहे हैं, काश्तकार लोग उम्मीद लगाये बैठे हैं। लेकिन यह बोर्ड से आधार बदलता है, किस तरह से अपने मानस को बदलता है, किस तरह से अपने मानदण्डों को बदलता है। मैं निवेदन करूंगा कि चंदबाजी में 132 के.वी.ए. ग्रिड स्टेशन बनाया जाना चाहिये जिससे काश्तकारों को, उद्योगपतियों को, वहां के लोगों को लाभ मिलेगा।

गठबाड़ी जमवारामगढ़ तहसील का गांव है, आस-पास में जी.एस.एस. कहीं है नहीं, वहां पर भी वही दिक्कत होती है। ताला एक जी.एस.एस. है जहां पर मैंने कहा था कि 3/1/5 का एक ट्रांसफार्मर रख करके एक लाइन बना दीजिये गठवाड़ी की, काश्तकार लोगों का भला हो जाएगा, 6 फसल पैदा कर लेंगे। नतीजा यह हुआ कि बीच में कई झगड़े हुए। बिजली बोर्ड के अधिकारियों से, कर्मचारियों से लड़ाई हुई और आज मुकदमे चल रहे हैं। अब जब मैंने उनसे कहा कि ऐसा क्यों हुआ? तो वे कहते हैं, हमारे खेत में चलकर देखो आप, क्या हाल हो रहा है। बच्चों को क्या खिलाएंगे? केवल मात्र व्यवस्था बनाने के लिये 3/1/5 का ट्रांसफार्मर रखने की कोई बहुत बड़ी सैंक्शन नहीं लेनी बिजली बोर्ड को। रख करके लाइन बनाने की कोई दिक्कत नहीं होती। मैं एक वर्ष से बराबर कह रहा हूं, गयी बार भी मैंने इसी हाउस मे कहा था कि ताला से गठबाड़ी तक यह लाइन बनाने के लिये 16 खम्भे खड़े करने हैं। 16 खम्भे खड़े नहीं कर पाये। अधिकारी वहीं के वहीं बैंठे हैं और अब नयी बात करने लग

(श्री रामचन्द्र सराधना)

गये हैं। मेरा निवेदन है कि यह एक संवेदनशील मामला है, गरीब किसान का, गरीब मजदूर का मामला है। बिजली बोर्ड के अधिकारियों, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी और सम्मानीय सभी विधायक साथियों से भी निवेदन करता हूं कि इस मसले से निपटने के लिये गंभीरता से चिंतन करना चाहिये। खुदा का शुक्र है कि हम लोगों को इस हाउस में आने का मौका मिला और खुदा का शुक्र है कि इस बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों को ऐसा संवेदनशील मौका मिला है कि इन गरीबों का भला कर सकते हैं। केवल एक मानस बनाने की जरूरत है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। इसके कारण इनका भला हो सकता है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेकर जो आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। जयहिंद।

श्री सभापति : माननीय प्रताप सिंह सिंघवी।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

दुपहिया वाहन चालकों के लिए आई.एस.आई. मार्का हैलमेट की अनिवार्यता

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन। राजस्थान पुलिस ने ट्रैफिक की दृष्टि से हैलमेट को आवश्यक कर दिया कि हैलमेट एक मई से आपको लगाना आवश्यक है। उस हैलमेट का भी एक डिजाइन है कि आई.एस.आई. मार्क हैलमेट आप लगाओगे। एक मई से नहीं लगाया जिन-जिन लोगों ने उनके एक जगह नहीं तीन, चार जगहों पर चालान किये। इस हैलमेट की कीमत...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पाइंट आफ इन्फार्मेशन क्या है, पाइंट आफ इन्फार्मेशन बताओ न आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक मिनट में आ रहे हैं...

डा. किरोड़ी लाल : मैं आ रहा हूं। सभापतिजी, जो रूटीन में हैलमेट 250-300 रुपये में मिलता था वह दुगुनी कीमत करीबन 300-400 रुपये में मिला। हैलमेट का डिजाइन ऐसा है कि इसे जरा आप लगा लें तो लगाने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं सुनायी देती, किसी प्रकार का पीछे का हार्न नहीं सुन सकते। इसको पहनने में टैम्प्रेचर इतना ऊंचा हो जाता है कि इन गर्मियों में लोग कोई भी इसको पहनकर चला नहीं सकते। अकेले जयपुर में साढ़े चार लाख दुपहिया वाहन हैं जिन्होंने 250-300 रुपये से ज्यादा के हैलमेट खरीद लिये...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसमें पाइंट आफ इन्फार्मेशन क्या हुआ तो?

डा. किरोड़ी लाल : और करीबन 10 करोड़ रुपये की...(व्यवधान) 10 करोड़ रुपये की हैलमेट की खरीद...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय सदस्य, बिराजिये।

डा. किरोड़ी लाल : करीबन 10 करोड़ रुपये...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : करोड़ों की लूट हुई है। करोड़ों की लूट हुई है इसमें। (व्यवधान) माननीय सभापतिजी, करोड़ों का कमीशन इसमें हुआ है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वह तो बर्फीले देशों का है...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : सभापति महोदय, यह अंदर कैसे लेकर आ गये? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह यूरोप की पद्धति का है, ठंडे देशों का है। (व्यवधान)

श्री सभापति : हो गया, हो गया, ठीक है। माननीय प्रताप सिंह सिंघवी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, आज तो ये हैलमेट लाये हैं, कल तलवार लेकर अंदर आ जाएंगे।

श्री सभापति : बिराजें, बिराजें, कोई नहीं लाएगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह आपने कानूनन अनिवार्य किया है। तलवार अनिवार्य नहीं है, यह हैलमेट अनिवार्य है। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रताप सिंह जी, आप बोल रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : और बर्फीले देशों में हैलमेट अनिवार्य है...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, करोड़ों की लूट हो रही है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जो मामला...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह जो व्यवस्था लागू की गयी है इसको 15 अगस्त तक स्थगित किया जाना चाहिये। इतनी भयंकर गर्मी के अंदर हैलमेट की अनिवार्यता करना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, हैलमेट की व्यवस्था सब जगह है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : गर्मी में जरूरी था क्या? (व्यवधान) इतने दिनों तक क्या हुआ था? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : गर्मियों में भी हैलमेट हैं (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : इतने महीनों क्या हुआ था? आप 15 अगस्त से कर दें। (व्यवधान) आप इसको 15 अगस्त तक क्यों नहीं रोकते? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह अंदर लाने का क्या (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह सही बात है (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आप एस.एम.एस. के आंकड़े ले लें कि कितने लोग ब्रेन हैमरेज से मरते हैं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसकी व्यवस्था की जा सकती है (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप एक रिजोल्यूशन मूव करें, यह ठीक नहीं है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, जिस आनन-फानन में यह व्यवस्था लागू की गयी है, यह कह दिया कि एक महीने के अंदर-अंदर हैलमेट सारे पहनो वरना चालान करेंगे। आज जयपुर की सड़कों पर जगह-जगह पुलिस खड़ी है और, सभापति महोदय, अगर इसी कम्पनी का हैलमेट नहीं पहना तो चालान हो जाता है।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : कोई बहाना नहीं है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अकेले जयपुर में (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तीन-तीन बार 100-100 रुपये (व्यवधान) एक बार में 100 रुपये (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : 250 रुपये तक वसूली (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लोगों में चर्चा है, कंपनी के लोग कह रहे हैं कि हमारे हैलमेट इसलिए बिक रहे हैं कि हमने एक करोड़ रुपये ऊपर पहुंचाये हैं (व्यवधान)

श्री सभापति : अब बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसकी जांच कराई जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कितने हैलमेट पुलिस के खर्चे से आये, पुलिस ने खर्चे या मुफ्त में कैसे दिये गये? यह हैलमेट किन-किनको दिये गये? (व्यवधान) पत्रकारों को दिये गये हैं या पुलिस के अधिकारियों को दिये गये?

श्री सभापति : स्थान ग्रहण कीजिये, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह हैलमेट की अनिवार्यता करोड़ों के कमीशन पर हुई है।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(व्यवधान) सभापति महोदय, यह करोड़ों रुपयों का मामला है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बंद करें इसको। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : किन आने वाले लोगों को फ्री दिये गये? तो क्या इसमें भ्रष्टाचार की बू नहीं आती? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप जो चाहते थे...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : और इनको पाबंद कर दिया जाए कि आई.एस.आई. मार्का लगाया जाएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, नहीं, यह नहीं चलेगा। यह नहीं चलेगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जनता के साथ धोखा हुआ, गरीबों के साथ धोखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह धोखा ठीक नहीं है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जनता के साथ धोखा हुआ है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मदन दिलावर साहब, स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) आप बिराजें, सब कुछ हो गया। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बी.जे.पी. के शासन के समय...(व्यवधान) और दिनेश शर्मा जी ने आन्दोलन करके हटवाया था। पहले हटवाया था और अब...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री प्रताप सिंह जी बोलना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : विदेशी कंपनियों का हैलमेट लागू हो गया...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आहूजा साहब, बैठ जाएं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, इसकी जांच कराइये इतने में हैलमेट कैसे बेचे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री जुगल काबरा। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं एक मिनट बोलना चाहूंगा। अगर आप जानकारी करना चाहो तो जयपुर शहर में जिसने भी हैलमेट लगा रखा है उससे आप इतनी-सी बात पूछ लीजिये कि आपने इसको कितने में खरीदा है और आज के एक महीने पहले इस हैलमेट के भाव क्या थे। दोनों में कितना अंतर है। आखिर कंपनी ने इस बात की व्यवस्था की है कि इतने हैलमेट बिकें और बिकने के लिये यह आर्डर इसी तरह से दिया। यह सही है कि आज लेंगे तो गर्मी में आगे भी लगाएंगे। लेकिन आज 42, 43, 44 डिग्री सेल्शियस गर्मी के समय इसको लगाकर मैंने देखा है,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

देखा है, इसमें नाइलोन के रिब्स लगे हुए हैं, नाइलोन के कारण पसीना आता है। इस कारण से परेशानी हो रही है। परेशानी भी हो और जनता की लूट भी हो जाए, इसलिए मैं, खेतसिंह जी, आपको कहना चाहूंगा कि यह मामला मामूली नहीं है, यह पब्लिक स्कैंडल है और इसकी जांच होनी चाहिये।

श्री सभापति : हां, बहुत गंभीर है, हो जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूं।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, एक सैकण्ड (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, आपने जो विचार व्यक्त किये हैं वह मैं मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी को निवेदन कर दूंगा और उस पर कार्यवाही हो जाएगी।

श्री सभापति : पहुंचा दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहुंचाने का काम तो मैं ही कर दूंगा। आप पहुंचाने के लिए मैसेंजर बनकर बैठे हैं?

श्री सभापति : और क्या कहें तो वे? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मैसेंजर हैं या मंत्री भी है?

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक सैकण्ड, उसके बाद बोल लेना। आपको खूब छूट है, आप तो मैसेंजर बनकर काम मत करिये, जैसे कल कोपरेटिव में आपने झटका दिखाया था उसी तरह का झटका इसमें दिखा दीजिये। यह मामूली मामला नहीं है।

श्री सभापति : अभी दिखा देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शिवनाथ सिंह जी, आपको भरोसा है क्या?

श्री सभापति : अभी दिखा देंगे, मुझे पूरा भरोसा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे बिलकुल भरोसा नहीं है। अभी यहां से चले जाएंगे।

श्री सभापति : आपकी बात ये टालते नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, टालते नहीं हैं लेकिन ये मैसेज ही दें तो इससे काम नहीं चलेगा। असेम्बली का आज आखिरी दिन है और जयपुर में एक महीने तक इसकी बाजार में लूट होती रही इस नाम से, आज छोटी-सी चीज की कीमत एक रुपये से सवा रुपये कर दें तो असेंशियल कमोडिटिज एक्ट में आप चालान कर देते हो और यहां पर कोई असेंशियल कमोडिटिज एक्ट नहीं है, कोई और नहीं है। लोगों को मजबूर किया कि हैलमेट खरीदो। खरीदने के ऊपर सबको पैसे दिये गये हैं। सभापति महोदय, कल जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो जगह-जगह पुलिस वाले चैक कर रहे थे, मैंने किसी से पूछा तो कहा कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पहले ही आदेश दे दिये गये हैं कि एक मई से अगर हैलमेट नहीं होगा तो 100 रुपये का जुर्माना होगा। हमने परसों के दिन 100 रुपये जुर्माना दिया और आज फिर देना पड़ रहा है। हैलमेट खरीदने गये तो यह देखते हैं कि सस्ता कहां से मिल जाए। मजबूरी में हमें महंगा हैलमेट खरीदना पड़ रहा है। यह मामला काफी सीरियस है इसलिए, मंत्री महोदय, आप इस मामले में चीफ मिनिस्टर साहब को कहें या गृह मंत्री जी को कहें, लेकिन एक पब्लिक स्कैंडल हुआ है, जनता को लूटा है, इसकी जांच होनी चाहिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : एक मिनट...

श्री सभापति : हां फरमाए। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं इस विषय पर तो नहीं जाना चाहता कि हैलमेट की आवश्यकता क्यों है, इसको तो पूरे सदन के माननीय सदस्य जानते हैं। जयपुर में शायद 500-700 मीटर पर एक होर्डिंग लगा हुआ है कि हैलमेट मोटर साइकिल और स्कूटर सवारों के लिये आवश्यक है। ये बोर्ड लंबे समय से लगे हुए हैं, जनता के हर आदमी ने उनको देखा है और लंबे समय से इनकी खरीद हो रही है। आज शिकायत यह मिली कि कुछ पुलिस वाले यह कह रहे हैं कि आई.एस.आई. मार्का हैलमेट ही होने चाहिए। मैंने भी गृह मंत्री जी से बात की, उन्होंने ये निर्देश दिये हैं कि आई.एस.आई. मार्का हैलमेट होना बाध्यता नहीं बनाए। जैसा जिसके पास उपलब्ध है उस ढंग को हैलमेट वह पहनकर आए। इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है।

श्री सभापति : हो गया, ठीक है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आज मेरे सामने गृह मंत्री जी ने ये निर्देश दे दिये हैं...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : वह 200 का माल 700 में बिक रहा है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, माननीय हरिसिंह जी, माननीय सचेतक जी से कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : जिसकी कीमत आज से एक महीने पहले 200 रुपये थी आज वह 700 रुपये का बिक रहा है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : यह मैंने भी शिकायत की है। मैं स्वयं यह गृह मंत्री जी की जानकारी में आज सुबह लाया हूं कि कई जगह पुलिस वाले आई.एस.आई. मार्का हैलमेट की बात कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, आज सुबह मैं...(व्यवधान) एक महीने बाद खरीद लेना, यह हैलमेट जो आज 700 रुपये देते हैं यह 200 रुपये का मिल जाएगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहली बार, जगमाल सिंह जी, आपने सही कहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय जगमाल सिंह जी। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : यह मैं स्वयं जानकारी में लाया था कि आई.एस.आई. मार्का...

श्री सभापति : माननीय सचेतक महोदय ने बहुत अच्छी तरह...

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आई.एस.आई. मार्का हैलमेट की जो यह बाध्यता की है, इससे अचानक बाजार में आई.एस.आई. मार्का हैलमेट की कीमत डेढ़ सौ से दो सौ रुपये बढ़ गयी है। मेरे सामने गृहमंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि आई.एस.आई. मार्का हैलमेट हो, ऐसी बाध्यता आप न लगाए।

श्री सभापति : आज ही दिये हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रात तो सारी निकल गयी।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आज सुबह दिये हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : लोग तो लुट गये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मई की तारीख थी। एक मई की तारीख थी कि सब एक मई तक हैलमेट खरीदें।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आज ही यह प्राब्लम पैदा हुई थी कि आई.एस.आई. मार्का हैलमेट की बाध्यत के लिये पुलिस वालों ने मांग की और आज ही यह शिकायत आयी। शिकायत तुरन्त गृह मंत्री जी के पास पहुंचायी गयी और उन्होंने निर्देश दिये हैं कि आई.एस.आई. मार्का हैलमेट की बाध्यता लागू नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी बात को तो मैं मंजूर करता हूं लेकिन एक तारीख के पहले-पहले लोगों को हैलमेट लगाने थे, आज अगर गृह मंत्रीजी ने आदेश दिया तो इसका मतलब क्या है? लोगों ने तो हैलमेट खरीद लिये, बहुत खरीदे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : हैलमेट के लिये कोई नहीं रोकेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या?

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : हां, यह पाबंदी नहीं है, यह कह दिया है। यह कह दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रोकने के लिये नहीं कहा है, आई.एस.आई. मार्का के नहीं खरीदें, पाबंदी नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : हां, यह पाबन्दी नहीं है, यह कह दिया। यह कह दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज दिया न?

श्री बनवारी लाल : सभापति महोदय, यह तो आज ही आप फरमा रहे हैं, आज ही बाध्यता बतायी गयी है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसका आप वापस (व्यवधान) माननीय हरिसिंह जी, माननीय सचेतक महोदय (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हरिसिंह जी के ही साथ था। हरिसिंह जी खुद इस बात को गंभीर कर रहे हैं कि आई.एस.आई. मार्का का डेफिनेशन लेने के बाद में इसकी कीमत बढ़ गयी है। जयपुर शहर में लगभग 4 लाख 43 हजार स्कूटर, मोपेड आदि हैं। अब यह भी मान लें कि 50 हजार के पास पहले से होंगे। तो भी कम से कम चार लाख लोगों ने ये खरीदे हैं। चार लाख लोगों ने 100-200 रुपए की कीमत जोड़ कर आप हिसाब लगा लें कि कितने क्रोड़ रुपए जनता से लिए हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : मैं तो कह रहा हूं कि आप मेरे प्रश्न को ट्विस्ट कर रहे हैं। लोगों ने हैलमेट खरीदे हैं, उस समय कोई जरूरी नहीं था कि किसी ने हैलमेट खरीदा हो, जैसा उपलब्ध हुआ वैसा लोगों ने खरीद लिया। आज कुछ शिकायतें सुनने को मिली कि ट्रैफिक पुलिस वाले लोगों को जगह-जगह पर रोक कर यह कह रहे हैं कि आपका हैलमेट आई.एस.आई. मार्का नहीं है इसलिए आप आई.एस.आई. मार्का हैलमेट खरीदें। यह शिकायत आज ही मिली और आज ही यह शिकायत गृह मंत्रीजी की जानकारी में ला दी गई। गृह मंत्रीजी ने मेरे खुद के सामने बैठकर पुलिस वालों को निर्देश दिये हैं कि आई.एस.आई. मार्का हैलमेट खरीदने के लिए कृपया लोगों को बाध्य नहीं करें।

(13.40 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हैलमेट की व्यवस्था के बारे में जिस दिन प्रेस कांफ्रेंस की गई उसमें कह दिया गया था कि आई.एस.आई. मार्का खरीदे जाएं। आप आज एक दिन की बात कह रहे हैं (व्यवधान) प्रोब्लम आई नहीं। प्रोब्लम नहीं आती तो हम नहीं कहते। प्राब्लम आई है, तो खरीद लिए वह वापस दें? कम से कम यह जो स्कैण्डल हुआ, इतनी कीमत के आधर पर चार लाख व्यक्तियों को खरीदने पड़े, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इसकी कोई आपत्ति नहीं थी। मेरी जानकारी है कि पहली प्रेस कांफ्रेंस में यह कहा था कि आई.एस.आई. मार्का के हैलमेट खरीदें जाएं। दोनों में विरोधाभास है। जनता लुट गई। लुट गई उसकी जांच होनी चाहिए। कम से कम जिन लोगों ने अचानक भाव बढ़ाएं हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कानून बना हुआ है, एक प्रतिशत की कीमत बढ़ती है जो आप एक्शन ले सकते हैं। कोई मिठाई वाला, पानी, वाला, सब्जी वाला या कोई और दुकानदार ज्यादा कीमत लेता है तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आप असेंशियल कमोडिटी एक्ट में चालान कर सकते हैं। यहां आप चुप क्यों है? मैं समझता हूं कि इन्क्वायरी होनी चाहिए और लोगों ने ठगाई की है जयपुर की जनता की, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। कह दिया न इन्होंने। आप बिराजिए। माननीय सदस्य, डिस्पुट यह है कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, डी.जी. के यहां से लिखित आदेश जारी हुए हैं कि आई.एस.आई. मार्का हैलमेट ही खरीदे जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य डिस्पूट यह है कि आई.एस.आई. मार्का या आर्डिनरी हैलमेट खरीदे जाएं। क्या फैसला हुआ, यही तो डिस्पूट है? (व्यवधान) आर्डर-आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अभी गर्मी है।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों का क्या क्लेरीफिकेशन है, जानकारी कर लेता हूं, मैं आपको बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जानकारी क्या करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : एक्चुअल में आर्डर क्या है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आर्डर मैं बता रहा हूं आपको।

श्री उपाध्यक्ष : आप ऐसा अंदाजे से कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आर्डर बता रहा हूं न। मैं अंदाजे से नहीं कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह मत समझिए कि मैं अंदाजे से कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं कि आर्डर लाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आर्डर लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं यही आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : वेरीफाई तो करना पड़ेगा न कि गवर्नमैंट का आर्डर सही है या नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : गृह मंत्रीजी को भी बुला लेंगे और वे स्टेटमैंट दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : यही तो कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन आप कह रहे हैं कि आर्डर की कॉपी लाइए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, नहीं, वे स्टेटमैंट दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो यही कह रहा हूं कि आपके पास आर्डर हो बता दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई आर्डर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है तो गृह मंत्रीजी को बुलाकर...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दुनिया वाले खरीद कर लाए हैं।

श्री बंशीलाल गहलोत (राजसमंद) : खरीद कर लाएं हैं इसका बिल है क्या? उपाध्यक्ष महोदय, इनका बिल पूछिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हरिसिंह जी ने खुद मंजूर किया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं कि आर्डर का वेरीफिकेशन तो करेंगे। आर्डर का वेरीफिकेशन तो हो जाए न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पब्लिक लुट गई।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, 10 करोड़ रुपए लूट लिए जनता से, इसकी जांच हो और सख्ती से रोका जाए।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : जगह-जगह पर रेहड़ी लग गई, दुकाने लग गई, कोई अधिकृत दुकान नहीं है आई.एस.आई. की। हर पचास फुट पर लोग हैलमेट लिए बैठे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह कोई व्यवस्था है? क्या कोई राज है? बताइए, यह कोई बात है? ऐसे राज चलेगा क्या? हर पचास कदम पर 10 हैलमेट की दुकानें हैं।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : ये आपके ही लोग हैं जो यह दुकानदारी कर रहे हैं, जो लूट रहे हैं जनता को।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : रामस्वरूप मीणा के रिश्तेदार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ने कह दिया कि गृह मंत्रीजी को बुलाकर जो कहा है, आर्डर है उसको वैरीफाई करवा देंगे हाउस में, बात खतम हो गई न? अब क्या है?

श्री मदन दिलावर (अटरू) : आर्डर नहीं चाहिए। लूट की जांच चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप लीडर आफ अपोजिशन को पूछिए कि इस तरह से हैलमेट, बूंकें और तलवारें लाए हैं, यह हाउस के अंदर ला सकते हैं? उसको सस्पैंड किया जा सकता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हैलमेट कानूनी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हैलमेट लाने की आपको आपत्ति है, यही है न? आप हैलमेट का मुकाबला तलवार और बंदूक से कर रहे हैं। उदाहरण भी देते हैं तो समझदारी से दें। कहां हैलमेट और कहां बंदूक और तलवार?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कितना-कितना यह काम देता है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई काम नहीं देता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इतना ही काम देता है तो हर आदमी क्यों ले रहा है? इसलिए ले रहा है ताकि सर पर पहने और गिर जाए तो उसके चोट न आए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खेतसिंह साहब को बताना चाहूंगा कि इसको आप लगा लें, लगाने के बाद बाहर जाकर मेरे कमरे में बैठ जाओ, टी.वी. लगा हुआ है, अगर कोई भाषण सुन सके तो मुझे बता दें कि अंदर मैं भाषण यह दे रहा हूं। आप अगर स्कूटर पर बैठ जाओ और पीछे से कोई हॉर्न बजा दे तो आपको हॉर्न नहीं सुनेगा। आप देख रहे हो, साहब ?

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : खतरा इस बात का है कि किरोड़ी लालजी को सिर पर लगाकर खेतसिंह जी को भाव न दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किरोड़ी लालजी का सवाल नहीं है, मुझे मालूम है।

श्री जनार्दन गहलोत : खतरा यह है कि सर से मार सर पर हो सकती है। हैलमेट की मार किरोड़ी लालजी...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी सदन में जब हैलमेट पिछली बार हमने लगवाया था तो यहां दो-तीन मैम्बर्स ने खड़े होकर इस हैलमेट के बारे में विरोध किया था। आज महेश जोशी नहीं हैं जो सबसे ज्यादा उसका विरोध कर रहे थे, बाहर जुलूस निकाल रहे थे। केवल इसलिए निकाला कि यह जल्दी टाइम दिया। इसके कारण से हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया। एक हैलमेट लाओ तो मैं मुफ्त में खेत सिंह जी को भेंट करता हूं, वह हैलमेट लगाकर बाहर पांच मिनट खड़े हो जाएं, अगर बेहोश नहीं हो जाएं तो मुझे कह दो। आइये-आइये, आओ चलो। (व्यवधान) आओ भेंट करता हूं।

श्री कृष्णमुरारी गंगावत (थानागाजी) : हैलमेट लगाकर चलते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ऐसी छोटी बात कह रहे हैं। हजारों लोग हैलमेट लगाकर चलते हैं, रात भर चलते हैं, यह जीवन की सेफ्टी के लिए है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि यह बात सभी मानते हैं कि गर्मी का मौसम है और इसके लगाने से तकलीफ भी होती है, इसकी रेट भी ज्यादा है लेकिन दूसरा पहलू यह भी सोचने का है कि हम यही सोचें कि खाने के लिए किया होगा। यह भी है कि स्टैण्डर्ड की चीज है। आज बाजार में सब तरह की मिलती है, आप और हम देखते हैं, टोपली टाइप हैलमेट बनाकर, ओढ़कर घूमते रहते हैं और ऐसी भी हैं जो यहां तक आती हैं, यहां से सारी खुली रहती हैं। इसलिए स्टैण्डर्ड की चीज बनाने की दृष्टि से उन्होंने अगर आई.एस.आई. मार्का कहा हो और उसको तय किया तो वह एक स्टैण्डर्ड की चीज के हिसाब से कहा होगा। मैं नहीं कहती क्या हुआ, लेकिन यह बात भी है कि जब हम इसको खुला करेंगे तो यह भी देखने की जरूरत है कि सचमुच में हैलमेट होना चाहिए, टोपी नहीं होनी

(श्रीमती कमला)

चाहिए, वह उसके सिर की रक्षा नहीं कर सकती। यह भी दूसरा आस्पैक्ट है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय ये हैलमेट खरीदें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसको जरूरी करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपने आई.एस.आई. मार्का की बात की है तो पहले आपकी यह जिम्मेदारी थी कि जो कम्पनी यह बनाती है उस कम्पनी से बात करते कि एक महीने में जब आपके हैलमेट खरीदेंगे तो किस भाव में देंगे ताकि जनता की लुटाई नहीं हो। आज कोई आदमी यह कह दे कि इस विधान सभा में जितनी भी महिलाएं हैं वे इस प्रकार की साड़ी पहन कर आएंगी और कल से अगर नहीं पहनी तो जुर्माना होगा। महंगी खरीदनी पड़ेगी न? यह स्थिति है। (व्यवधान) विचार आ रहा है या नहीं आ रहा है?

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : अभी तो कह रहे थे कि मीटर आई.एस.आई. मार्का होने चाहिए फिर यह भी आई.एस.आई. मार्का हो तो कहां दिक्कत आ रही है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मीटर का विवाद हमने खड़ा नहीं किया था, मीटर का विवाद आपने खड़ा किया था।

श्री सी. पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर। हम बिजली के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि डिबेट के बीच में आप हमको...

श्री उपाध्यक्ष : कौन माननीय सदस्य बोल रहे थे?

श्री रामस्वरूप : आप तो विधायकों को भी आई.एस.आई. मार्का कर देंगे।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : वे क्या करेंगे जो पगड़ी लगाकर आते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलजी काबरा। आप शुरू करिए। आप बिराजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : पहले क्यों कह दिया कि बिराजिए?

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आपने बोल दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, माननीय सदस्य कुछ बोल रहे थे?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बोल रहा था...

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : नाम तो पुकारा नहीं आसन से।

श्री उपाध्यक्ष : ये बोल रहे हैं क्या?

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली पर चर्चा हो रही है। माननीय मंत्री महोदय लगातार अखबारों में देते आ रहे हैं कि किसानों को आठ

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

घण्टे बिजली दी जाएगी, परंतु हमारे बारां जिले और विशेषकर छीपा-बड़ौद, छबड़ा और अटरू में किसानों को इस बार दो या तीन घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिली है। और तो और, राजनीतिक भेदभाव से इस क्षेत्र को जितनी बिजली मिलती थी उसमें भी कमी करके किसानों को, फसल का टाइम है, बिजली नहीं देकर दूसरे इलाकों को बिजली दे दी गई। यह राजनीतिक भेदभाव बहुत ही अन्यायपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था।

(15.50 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह सभापति, पदासीन)

मैं माननीय मंत्री महोदय को भी और आर.एस.ई.बी. के अधिकारियों को भी लगातार मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में निवेदन करता आया हूं, मैं उसी की तरफ माननीय मंत्रीजी का और ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैंने पिछले बजट सत्र में एक सवाल लगाया था उसके बाद मुझे माननीय मंत्रीजी ने आश्वस्त भी किया था कि यह काम इसी फाइनेंशियल ईयर में पूरा हो जाएगा। हमारे यहां तो 33 जी.एस.एस. सारथल और मूण्डला बनने की सन् 1995 की मंजूरी है, आज तक इनका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। पिछले बजट सत्र में जब मैंने सवाल लगाया तो वहां खंभे लगाकर जरूर डाल दिये थे, उसके बाद किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है। इस बाबत मैंने विभाग के अधिकारियों को चिट्ठी लिखी तो कुछ दिन बाद श्रीमान् तारासिंह जी का मुझे पत्र मिला है, उसमें कहा है कि इन दोनों जी.एस.एस. का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मैं कल ही मेरे क्षेत्र से लौटा हूं, मुझे जानकारी मिली है, मैं गया भी हूं कि वहां पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं चल रहा है।

इसी प्रकार वहां पर कुछ गांव जो इलेक्ट्रिफाइड पिछले वर्ष घोषित कर दिये गये थे उनका कहीं भी काम पूरा नहीं हुआ है, वे आज दिन तक विद्युतीकृत नहीं हुए हैं। गांवों का नाम मैं बताना चाहूंगा-सूरजपुरा खुर्द, मोहम्मदपुरा, डोवड़ा, फतेहपुर, कचनारिया खुर्द। बिजली बोर्ड के अधिकारियों से बात करने पर पता लगा है कि उन्होंने ये गांव विद्युतीकृत घोषित कर दिये हैं और बिजली लाइन खींच दी है, तार वगैरह सब खींच दिये हैं, लेकिन मैं मौके पर खुद जाकर आया हूं, मैं आरोप लगाता हूं कि अधिकारियों ने जो मुझे जानकारी दी है बिलकुल असत्य दी है। वहां पर मात्र पोल खड़े किये हैं, और किसी प्रकार की कोई लाइन नहीं खींची है, न तार हैं। उन्होंने जो मुझे जानकारी दी है उसमें बताया है कि हमारे पास सामान का अभाव है, पोल का अभाव है। कंडक्टर का अभाव बताया है, क्रॉस आर्म्स का अभाव

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

बताया है, 11 के.वी. पिन इंसुलेटर का अभाव बताया है, स्टेप सैट एवं स्टेक तार का अभाव बताया है, 11 के.वी. इंसुलेटर का अभाव बताया है।

इसी प्रकार छीपाबड़ौद कस्बे के लिए एक ओ.सी.बी. जो वहां लगी हुई थी, वर्तमान में ओ.सी.बी. वहां नहीं है। ओ.सी.बी. नहीं होने की वजह से प्रत्येक दिन 20 से 30 बार ट्रिपिंग आती है। यह आपके रिकार्ड से पता लग जाएगा।

इसी प्रकार मेरे क्षेत्र की ओर भी समस्याएं हैं, डोमेस्टिक कनेक्शन और एग्रीकल्चर कनेक्शन की समस्याएं हैं। पिछली बार मुझे एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में करीब छह हजार डोमेस्टिक कनेक्शन बाकी हैं। अभी भी डेढ़ से दो हजार बिजली के कनेक्शन बाकी हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस ओर भी ध्यान देकर वहां कनेक्शन कराएं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री जुगल काबरा।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में चल रही ऊर्जा की बहस पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रदेश के विकास में ऊर्जा का विशेष महत्त्व होता है। यही सोचकर हमारे देश के नीति-निर्धारकों तथा योजनाकारों ने यह प्रयास किया कि सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश के जरिये ऊर्जा के उत्पादन के लिए योजनाएं बनायी जाएं ताकि न केवल किसानों को इसका लाभ मिल सके बल्कि पिछड़ों, गरीबों, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और साथ ही साथ प्रदेशों का औद्योगिक विकास भी हो सके।

पं. जवाहरलाल नेहरू की योजना के आधार पर विकास की परिकल्पना ने राजस्थान में भी एक वातावरण पैदा किया जिससे यहां ऊर्जा उत्पादन के लिए कई परियोजनाएं प्रारंभ की गई। हमने हमारे प्रदेश में भी योजनाएं प्रारंभ की और अन्तराज्यीय समझौतों के आधार पर अन्य राज्यों की परियोजनाओं में भी अपना हिस्सा आवंटित कराया। किन्तु जिस गति से ऊर्जा की खपत बढ़ रही है, विद्युत आपूर्ति की मांग बढ़ रही है उस रफ्तार से विद्युत के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई जिसके कारण आज ऊर्जा का संकट चरम सीमा पर पहुंच गया है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा, पिछले 10 सालों से ऊर्जा के उत्पादन में बहुत प्रयास किये गये, निजी निवेशकों को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, किन्तु उसका परिणाम शून्य रहा। कोई भी निजी निवेशक ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी परियोजना को क्रियान्वित रूप देने में कामयाब नहीं रहा। पिछले 10 सालों

(श्री जुगल काबरा)

के अंदर जिस तरीके से हमने किसानों को खेती के कनेक्शन दिये, कच्ची बस्तियों के अंदर विद्युत आपूर्ति का प्रबंध किया, हरिजन बस्तियों में और अन्य उपभोक्ताओं को औद्योगीकरण के लिए कनेक्शन दिये इन सबसे बिजली की खपत तो बढ़ती गयीं किन्तु उत्पादन में कमी के कारण संकट अधिक गहरा हो गया। हमें खुशी है कि राजस्थान में कांग्रेस ने शासन संभालने के बाद में विद्युत के संकट की समस्या को समझा और यह प्रयास किया कि जो भी हमारी परियोजनाएं चल रही हैं उन परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए। मैं ऊर्जा मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यह प्रयास किया कि सूरतगढ़ की जो हमारी तापीय परियोजना है उसको शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराया जाए। पहले चरण की पहली इकाई पिछले साल चालू हो गई थी और पहले चरण की दूसरी इकाई भी इस साल चालू हो गई। यह ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से यह प्रयास किया जा रहा है कि सूरतगढ़ तापीय विद्युतगृह की दूसरे चरण की इकाइयां भी समय से पूर्व पूरी कर ली जाएं ताकि राजस्थान के लोगों को हम विद्युत आपूर्ति में मदद कर सकें, किसानों को राहत पहुंचा सकें।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर चल रही परियोजनाओं के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हमारा यह दायित्व बनता है कि अन्तरराज्यीय परियोजनाओं पर भी हम विशेष ध्यान दें। हिमाचल प्रदेश के साथ में जो साझेदारी योजनाएं चल रही हैं चाहे पार्वती पन बिजलीघर योजना हो, चाहे कोल बांध जल विद्युत परियोजना हो इनके अंदर हमें अपना हिस्सा मिले इसके लिए पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। जैसा कि बताया जा रहा है, पार्वती पन बिजलीगृह योजना का काम हिमाचल प्रदेश ने नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन को सौंप दिया है और जो तयशुदा हिस्सा था उससे अधिक 5 प्रतिशत की मांग कर रहा है। इसमें राजस्थान को 40 प्रतिशत हिस्सा मिलना था उसमें कमी करने की कोशिश की जा रही है।

(16.00 बजे)

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के झगड़ों से ये परियोजनाएं लम्बित होती चली गयीं तो राजस्थान को भारी नुकसान होगा। हमको केन्द्र सरकार के ऊपर भी दबाव डालना चाहिए कि राजस्थान के हितों की पूरी सुरक्षा की जाए। इसी तरह से कोल बांध जल विद्युत परियोजना में भी, मान्यवर, हिमाचल प्रदेश और हमारी लागत 25 : 75 थी। हमको 75 प्रतिशत लागत का भुगतान करना था और हिमाचल प्रदेश 25 प्रतिशत लागत का भुगतान करने वाला था, जबकि इसके उत्पादन का केवल दो तिहाई हिस्सा ही हमें मिलने वाला था

(श्री जुगल काबरा)

और हिमाचल प्रदेश एक तिहाई लेने वाला था। किन्तु इस परियोजना के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश हमें अपना पूरा हिस्सा नहीं देना चाहता। उसने भारत सरकार के साथ में अनुबंध करके हमें अपने हिस्से से अलग करने की साजिश की है। माननीय मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह परियोजना जो नाथवा झाकड़ी विद्युत निगम के माध्यम से पूरी की जा रही है, इसमें भी राजस्थान के हिस्से को सुनिश्चित करने के लिए हमें अपनी परियोजना तेज करनी चाहिए।

मान्यवर, नेफ्था आधारित कई परियोजनाएं पिछली सरकार ने स्वीकृत करवायी थीं भारत सरकार से किन्तु नेफ्था के अन्तरराष्ट्रीय मूल्य बढ़ जाने से वे सारी परियोजनाएं सफलीभूत नहीं हो सकी या आज के समय में वे बाएबल नहीं रहीं इसलिए निवेशक उनसे हाथ छुड़ाकर भागना चाहते हैं। यही कारण रहा कि पिछली सरकार ने जिन 24 लोगों के साथ में एम.ओ.यू. साइन किये थे, उनका पुनर्विचार करने के बाद में वर्तमान सरकार को यह लगा कि 19 आवेदनकर्ताओं ने इसके बारे में कोई गंभीरता नहीं दर्शायी है। राज्य सरकार द्वारा जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनायी गयी, उस मंत्रिमंडलीय उप समिति ने इन 19 आवेदनकर्ताओं के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया और अब केवल पांच आवेदक ही बचे हैं जो कि 166 मेगावाट या 150 मेगावाट के विद्युत गृह लगाने के लिए उत्सुक हैं। किन्तु इनकी तरफ भी कोई विशेष कार्य दिखायी नहीं दे रहा है। पिछले तीन सालों से ये निवेशक विद्युत उत्पादन के कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनमें से तीन ने आपको 75 लाख रुपये की बैंक गारंटी भी दे दी है किन्तु ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये उत्पादन के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य कर पाये हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निजी क्षेत्र के अन्दर जो निवेशक आये हैं उन लोगों को पाबंद किया जाए, कि वे समय के ऊपर अपनी परियोजना पूरी करें ताकि प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये जो आकलन किया जाता है ऊर्जा की उपलब्धता का, उसके आधार के ऊपर हम अपनी भावी योजना को क्रियान्वित कर सकें और यह तय कर सकें कि हम किसानों को, उद्योगों को, गरीबों को, अनुसूचित जाति-जनजाति के क्षेत्रों को, कच्ची बस्तियों को किस तरह से विद्युतीकृत कर पाएंगे।

मान्यवर, सौर ऊर्जा के ऊपर आधारित कुछ परियोजनाएं भी पिछले लम्बे समय से विचाराधीन हैं किन्तु उनकी भी क्रियान्विति अभी तक नहीं हो पायी है। सौर ऊर्जा तथा नेफ्था को मिलाकर जो मिश्रित योजनाएं बनायी जा रही हैं उनको सफलीभूत करना मुश्किल होगा। मैं जैसा कि पूर्व में निवेदन कर चुका हूं नेफ्था की अन्तरराष्ट्रीय कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, ये परियोजनाएं

(श्री जुगल काबरा)

किसी भी तरीके से क्रियान्वित नहीं हो सकेगी। इसलिए कोई नई तकनीक अगर लेकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कोई निवेशक आते हैं तो उन्हें भी समयबद्ध रूप से ऊर्जा उत्पादन के लिए पाबंद किया जाए और उसके आधार पर ही उन्हें सहूलियतें प्रदान की जाएं।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयास किये जा रहे है उसी तरह ऊर्जा के प्रसारण और वितरण के लिए आपने जो प्रयास किये हैं वे सराहनीय हैं। जो नये जी.एस.एस. बनाये जा रहे हैं, विद्युत तंत्र को मजबूत किया जा रहा है उससे हम यह अपेक्षा करते हैं कि विद्युत की छीजत में कमी आएगी। किन्तु साथ ही साथ, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आपको यह भी प्रयास करना होगा कि प्रदेश में ऊर्जा की चोरी को रोका जाए। आम उपभोक्ता ऊर्जा चोरों द्वारा चोरी गयी बिजली का भार सहन करने के लिए कतई तैयार नहीं है। यह सारा भार आम उपभोक्ता के ऊपर पड़ता है, इसलिए मैं यह चाहूंगा कि इस बात का प्रयास किया जाए कि इस तरह की चोरी रोकी जाए। जो कोई भी लोग इसके लिए जिम्मेदार है चाहे आपके विभाग के अधिकारी हों, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रदेश में हम कृषि उपज बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं उसी तरह से औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए भी विद्युत मण्डल को तथा ऊर्जा मंत्रालय को विशेष ध्यान देना चाहिए। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए पूर्व में जो रियायतें दी जाती थी विद्युत आपूर्ति में, उन रियायतों के ऊपर पुनर्विचार करके उन्हें पुनः चालू करना चाहिए ताकि हमारे यहां छोटे-छोटे उद्योग पनप सकें। मान्यवर, उद्योग के नाम से हम यह सोचते हैं कि किसी बड़े घराने का व्यक्ति ही उद्योग लगाने आता है। ऐसी बात नहीं है। जो टैक्नोक्रेट बड़ी मुश्किल से स्कालर शिप लेकर अपनी शिक्षा पूरी करते हैं और सरकार में उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तब वे राजस्थान फाइनेंशियल कारपोरेशन या रीको या बैंकों से ऋण प्राप्त करके किसी तरीके से उद्योग लगाने का प्रयास करते हैं। 10-15 20 लाख की पूंजी का किसी तरह से जुगाड़ करके वे उद्योग लगाते हैं इस आशा से कि हमें राज्य सरकार का भरपूर सहयोग मिलेगा, विद्युत विभाग का भरपूर सहयोग मिलेगा। किन्तु उनके उद्योगों के अन्दर भी उद्योग विभाग यह सोचे कि ये तो बड़े उद्योगपति हैं तो यह नजरिया ठीक नहीं होगा।

मान्यवर, जब भी विद्युत कटौती होती है उस समय सबसे पहले वे लोग इसका शिकार होते हैं इसलिए उन उद्योगों के प्रति

(श्री जुगल काबरा)

आपको उदारता का रूख रखना चाहिए। 15-20 लाख की लागत से उद्योग लगाने वाले जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनके उद्योगों के अन्दर कटौती के बारे में आपको सोचना होगा, कि उससे उनका उत्पादन घट जाएगा या रोजगार के लिए जो लोग आये हैं उनको परेशानी होगी। इस तरह के उद्योग अगर रूग्ण हो गये बार-बार विद्युत कटौती के कारण तो अकालग्रस्त क्षेत्रों से जो लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए इन उद्योगों में आते हैं उन्हें भारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।

दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। इसके अलावा, जो रुग्ण उद्योग हैं उनको पुनर्स्थापित करने के लिए भी विद्युत विभाग को आगे आना चाहिए। विद्युत विभाग के जो पुराने मामले हैं, सैटलमैंट कमेटीज के माध्यम से तय कर दिये जाने के बावजूद भी उनके अकाउंट सैक्शन के लोग उनके ऊपर पूरा ध्यान नहीं देते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, आरएसईबी. के अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाए कि सैटलमैंट कमेटी के द्वारा जो निर्णय किये जाते हैं उनको सख्ती से लागू किया जाए और बार-बार छोटे उद्यमियों को न्यायालय की शरण में जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। मैं यह चाहता हूं कि राज्य सरकार कोशिश करे और इन उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए जो कोई भी सहूलियत ऊर्जा विभाग द्वारा दी जा सके वह प्रदान की जाए।

अब मैं उपभोक्ता की बात करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, कई छोटी बस्तियों के अन्दर, कच्ची बस्तियों में, हरिजन बस्तियों में लोग बसे हुए हैं उनके मकानों के ऊपर विद्युत विभाग के तार गुजर रहे हैं और ये तार इतनी निचाई तक लटक रहे हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी शिकायत आती है, इन तारों को स्थानान्तरित करने की व्यवस्था करें ताकि कहीं कोई बड़ा हादसा नहीं हो। ऐसी कई बस्तियों के अन्दर आगजनी की घटनाओं की सूचना मिलती है, कई दफे कई झौंपड़े जल जाते हैं, कहीं मकान जल जाते हैं, कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, मैं चाहूंगा कि ऊर्जा मंत्री जी इसकी तरफ ध्यान दें।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, आपने उपभोक्ता सम्मेलन किये थे प्रदेश के कई क्षेत्रों में। उस समय कई शिकायतें आपको मिली थीं किन्तु उन शिकायतों के बारे में आज तक कोई निस्तारण नहीं हो पाया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जहां-जहां भी उपभोक्ता सम्मेलन किये हैं, जहां आम उपभोक्ताओं से आपने शिकायतें प्राप्त की हैं उन शिकायतों के निस्तारण के लिए आप एक समयबद्ध कार्यक्रम आरएसईबी. को दीजिये ताकि लोगों को महसूस हो कि राज्य

(श्री जुगल काबरा)

सरकार ने और आपने जिस मंशा के साथ में ये उपभोक्ता सम्मेलन किये थे उनकी पूर्ति हो रही है और लोगों को राहत मिल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ, धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, वैसे तो हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी का बहुत सुदर्शन व्यक्तित्व है, भाषण भी आप बहुत अच्छा देते हैं और अखबारों में आपके वक्तव्य भी बहुत बेहतरीन ढंग से साया होते हैं, लेकिन व्यवहार में हम इनके विभाग की उपलब्धि को देखें तो हमें बहुत गहरी निराशा झेलने को विवश होना पड़ता है। सभापति महोदय, लोगों को अगर यह पता चल जाता है कि ऊर्जा मंत्रीजी फलां रास्ते से जा रहे हैं तो लोग इनकी गाड़ी का घेराव कर लेते हैं। इनके विभाग की कारगुजारियों की वजह से तो दूसरे मंत्री को भी कल घेराव का सामना करना पड़ा, यह आज आपने अखबार में पढ़ा होगा। सभापति महोदय, पिछले डेढ़ साल के अनुभव में किसी भी विभाग के कामकाज से हमें उतने जनाक्रोश का सामना नहीं करना पड़ा जितना इस उर्जा विभाग के काम की वजह से हमें सामना करना पड़ा। किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, सबसे ज्यादा यदि हमे रोष का सामना करना पड़ता है तो मात्र इस ऊर्जा विभाग की वजह से करना पड़ता है। हालांकि मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की यह भावना रही कि प्रशासन के साथ बैठकर जनता और जन-प्रतिनिधियों की भावना के आधार पर लोकहित में काम किये जाएं। जोधपुर में पिछले साल माननीय मुख्य मंत्रीजी की मौजूदगी में सम्भाग के जिला कलक्टर, एस.पी. और सारे अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गयी थी। उस बैठक में विद्युत मण्डल के अधिकारियों की मौजूदगी में उनके बारे में कुछ मामले मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और ऊर्जा मंत्रीजी की जानकारी में लाया था परन्तु मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज दिन तक हमारे माननीय विद्युत मंत्रीजी उस मामले में कोई भी कार्यवाही करने में असफल रहे हैं। सभापति महोदय, पिछले साल भी सदन के सारे माननीय सदस्यों ने ऊर्जा मंत्रीजी से बहुत आग्रह किया था कि आप जिस दिशा में राजस्थान की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को ले जाना चाहते हो उस पर पुनर्विचार करें, लेकिन विश्व बैंक के दबाव में आकर सरकार ने फैसला किया और यह देखने का प्रयास नहीं किया कि जिन राज्यों में इस व्यवस्था को लागू किया उसके क्या परिणाम रहे। उड़ीसा में विद्युत नियामक आयोग बनाया

(श्री संयम लोढ़ा)

गया, उसकी क्या उपलब्धियां रही। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वहां न केवल उपभोक्ताओं की संख्या घटी बल्कि बिजली की दर भी बढ़ी। हरियाणा ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया था लेकिन उसकी प्रगति उसी स्तर तक रोक दी गयी। सभापति महोदय, मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसान के बेटे हैं और कांग्रेस की हुकूमत ने आपको यह महत्त्वपूर्ण विभाग सौंपा है, राजस्थान की जनता के भाग्य को विश्व बैंक के दबाव में आकर गिरवी रखने की दिशा में कदम मत बढ़ाइये। इस विद्युत मंडल को बनिये की दुकान कृपया आप नहीं बनाएं, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, विद्युत मंडल में कमियां हैं, छीजत है, चोरी है, अपनी कमजोरियों को दूर करने के बजाय जिस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, आने वाले भविष्य का चेहरा हमें बहुत भयावह दिख रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी को आगाह करना चाहता हूं कि आप जनता की निगाह में नायक बनें, +++ नहीं। सभापति महोदय, विद्युत आपूर्ति की जो व्यवस्था है, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, लगातार माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य हमें पढ़ने को मिलते रहे और उसके आधार पर जनता को हमारी +++ करने का मौका मिलता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, थोड़ा भाषा का संयम रखें। यह +++ और फलां शब्द अच्छे नहीं हैं। +++ शब्द को एक्सपंज किया जाता है।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, इनका नाम ही संयम लोढ़ा है, ये क्या भाषा का संयम रखेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, मैंने एक भी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मेरी +++ हो रही है तो मैं कह रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, फिर इसको रिपीट मत कीजिये, जो कुछ हो रहा है। वह हो रहा है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था का यह हाल है कि...

डा. किरोड़ी लाल : उन्होंने नायक बोला है, +++ बोला है, +++ नहीं बोला। यह बोला है कि नायक बनें।

श्री सभापति : +++ शब्द एक्सपंज कर दिया गया है, आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मुझे यों लगता है कि माननीय सदस्य

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जो कुछ कह रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा आपके मन में भी कुछ हो रहा है।

श्री सभापति : जो आपके मन में हो रहा है वही मेरे मन में हो रहा है।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं बिना किसी द्वेषभाव के पूरी तरह से सत्य बात इस सदन के सम्मुख रखने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप सत्य रखिये, साथ में संयम रखिये।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का यह हाल है कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर और ईवन जिला मुख्यालयों को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में माननीय मंत्री महोदय ने कई बार इस सदन में कहा है कि हम शाम को सात बजे से लेकर दस बजे तक बिजली देंगे लेकिन पूरे राजस्थान की जनता इस बात की गवाह है कि ये अपने उस फैसले पर अमल नहीं कर पाये और लगातार कई-कई दिनों तक बिजली की आपूर्ति नहीं की जा सकी। विद्युत मंडल के अधिकारियों का खुद का वक्तव्य इस बात का प्रमाण है कि बिजली की घरेलू आपूर्ति शाम को सात बजे से दस बजे तक नहीं की जा रही है।

सभापति महोदय, इसके अलावा विद्युत विलों का इतना बुरा हाल है, ये बता देते हैं कि मीटर बंद है और औसत अनुमान के आधार पर बिल भेज दिया गया। अगस्त महीने के अन्दर मीटर यूनिट बताता है बिल आता है जब 782, नवम्बर महीने में बिल आता है तब बताता है 983 और जनवरी में जब वापस बिल आता है तब बताता है 782। इस प्रकार के सैकड़ों मामले हुए हैं और हजारों, लाखों रुपये के लोगों को गलत बिल भेजे गये हैं। जब लोगों ने इनके विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क किया कि इस विषय में उनकी समस्या का समाधान किया जाए तो या तो कोई सुनवाई नहीं की गयी, उनको बिल भरने को विवश किया गया या फिर एक समझौता कमेटी, सैटलमैंट कमेटी नाम की इन्होंने बना रखी है उसमें 25 रुपये भरवाकर, बिल भरवाकर उसका केस उसमें रैफर किया गया। महीनों तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की गयी, आज तक उनकी समस्याओं का कोई निस्तारण नहीं हुआ।

सभापति महोदय, माननीय विद्युत मंत्रीजी, महीने में एक दिन शायद उपभोक्ताओं की शिकायतें भी सुनते हैं और जिलों में उपभोक्ता सम्मेलनों में जाते हैं, मुझे इस बात की जानकारी है कि उपभोक्ता सम्मेलनों में जो बात मंत्री महोदय के सामने रखी गयी उन लोगों की समस्याओं का भी कोई निस्तारण नहीं किया गया।

सभापति महोदय, चारा योजना के नाम से इन्होंने लगातार प्रचार किया कि हम चारा

(श्री संयम लोढ़ा)

योजना में यह कनेक्शन दे रहे हैं, वह कनेक्शन दे रहे हैं। कई महीनों तक तो भ्रम की स्थिति बनी रही कि इस योजना के तहत किस रूप में कनेक्शन देना चाहते हैं। पहले जिला कलक्टर का कोई हवाला दिया, फिर यह दिया कि उस कैटेगरी में तीन कनेक्शन पंचायत समिति में देंगे। लोग भटकने पर विवश हुए। अब जाकर इन्होंने यह खुलापन किया कि चारा के अन्दर नर्सरी टाइप की व्यवस्था लागू कर रहे हैं। तो लगातार एक भ्रम का वातावरण इस योजना के माध्यम से भी इन्होंने बनाये रखा।

सभापति महोदय, एक किसान ने कुएं में कनेक्शन लिया हुआ है। जिस कुएं में उसने लिया हुआ है उसमें पानी खतम हो गया। उसी परिसर के अन्दर, उसी खेत के अन्दर उसने दूसरा कुआं बनाया और उस कनेक्शन को वहां शिफ्ट कराना चाहता है, तब भी इनके विभाग के अधिकारियों ने उन किसानों के साथ पैसा वसूल किया जबकि आर.एस.ई.बी. के अधिकारियों ने अब यह परिपत्र जारी किया है कि पिछले महीने कि ऐसे कार्यों में किसी भी तरह का शिफ्टिंग चार्ज नहीं लिया जाए। सभापति महोदय, जिन हजारों काश्तकारों का पैसा विद्युत मण्डल ने ले लिया है गलत तरीके से और नाजायज तरीके से, उनकी वापस भरपाई ये कैसे करेंगे? मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप ऐसे प्रकरणों की पूरे राजस्थान में जानकारी लें कि इस अकाल की विपदा की घड़ी में कितने काश्तकारों से आपके विभाग के लोगों ने गलत तरीके से पैसे वसूल किये हैं।

सभापति महोदय, विद्युत मंडल आंकड़े जारी कर देता है कि अमुक जिला शत प्रतिशत विद्युतीकृत है। मैं पिछले साल भी माननीय मंत्रीजी की जानकारी में यह बात लाया था कि सिरोही जिले को आपने शत प्रतिशत विद्युतीकृत घोषित किया है, लेकिन आज भी 13 रेवेन्यू विलेज ऐसे हैं जो विद्युतीकृत नहीं हुए। पिछले साल भी मैंने यह बात कही और इस बार भी मुझे यह बात कहनी पड़ रही है। जब मैंने यहां पर विधान सभा में 295 का मामला रखा तो आपकी तरफ से यह जवाब मिला कि इन गांवों को विद्युतीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं। कि सिरोही जिले के अन्दर आदिवासी इलाका भी है। आदिवासी इलाके को रेवेन्यू विलेज मानकर आपने एक जगह बिजली का कनेक्शन कर दिया लेकिन आज आदिवासियों में अलग-अलग थलियां भी बनी हुई हैं और आज आदिवासियों की यह स्थिति नहीं है कि जहां आपने विद्युतीकरण किया है, वहां से अपनी थली तक अपने पैसों से वे विद्युत कनेक्शन ले सकें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारियों को इस बारे में निर्देश

(श्री संयम लोढ़ा)

दें। आप चाहें तो मैं गांव के नाम भी बता सकता हूं, भूला और बालोरिया, इनकी 16-16 थलियां हैं और सिवाय मुख्यालय के बाकी थलियों के अन्दर रहने वाले आदिवासी आज भी बिजली से वंचित हैं। आप इस दिशा में अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि उन आदिवासियों के घरों तक बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करें। वे गांव माडा योजना में लाभान्वत होते हैं, आपका इनके माध्यम से पैसा भी बचेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय विद्युत मंत्रीजी को एक और निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पिछले साल भी आपसे आग्रह किया था कि सिरोही में आप एस. ई. (ओ.एण्ड एम.) को कार्यालय स्वीकृत करने का कष्ट करें। जालौर और सिरोही दोनों जिलों को मिलाकर आप सिरोही में यह कार्य कर सकते हैं क्योंकि पी.एचईडी.एसई. का मुख्यालय जालौर में रखा हुआ है। आज आपके विभाग की स्थिति, मंत्री महोदय, कृपया नाराज नहीं हों, यह है कि विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए जो योजना भेजी जाती है—एक लाख रुपये के ऊपर की योजना एसई. लेवल पर जाती है और आपके विभाग के अधिकारी, जेईएन. उनको हिस्सा नहीं देता है, तब तक वह स्कीम वहां पड़ी रहती है। आप इस बात की जांच कराना कि मेरे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सुधार की कितनी योजनाएं 2-2, 3-3 साल से आपके एसई. के मुख्यालय पर लम्बित हैं।

सभापति महोदय, इसके अलावा सिरोही में 400 के.वी.एजी.एस.एस., कालिन्द्री में 132 के.वी.एजी.एस.एस., जोधापुरा में 33 के.वी.एजी.एस.एस. और कैलाश नगर में जेईएन. का कार्यालय खोलने का निवेदन आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, कैलाश नगर शिवगंज तहसील का एक ऐसा क्षेत्र है जो 65-70 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां के लोगों को पालड़ी जे. ईएन. के आफिस तक आना पड़ता है जो करीब 60-65 किलोमीटर है। अगर आप वहां के जेईएन. का कार्यालय खोल देंगे तो 20-22 गांवों के लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान की दिशा में काफी प्रभावी मदद मिल सकेगी। जोधापुरा में जो मैंने आपसे निवेदन किया, 33 के.वी.ए. का जी.एस.एस. बनाने के उस क्षेत्र के किसानों को बेहतर विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। कालिन्द्री में जो सिरोही से भीनमाल की ओर लाइन है, अगर आप वहां 132 के.वी.ए. जी.एस.एस. की स्थापना करेंगे तो हमारे क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय अमराराम जी (धोद)।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सभापति महोदय, दो इधर से, दो उधर से, अब तो

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

हमारा नम्बर होना चाहिए। एक निर्दलीय को बीच में बोलने देते।

श्री सभापति : अब आपका ही नम्बर है। अब आप ही का नम्बर है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ठीक है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपने व्हिप से पूछिये, कितने बोल चुके, कितने नहीं बोल चुके। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, आज बिजली की स्थिति पर चर्चा हो रही है। बिजली एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर राजस्थान का और देश का हर विकास आधारित है चाहे वह कृषि का विकास हो, चाहे वह उद्योग का विकास हो। हर व्यक्ति के विकास का मापदण्ड इससे तय होता है।

सभापति महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जिस तरह से माननीय सदस्यों ने यहां अपने विचार रखे हैं, लेकिन जो स्थिति आज हमारे राजस्थान की बनी हुई है, 53 साल की आजादी के बाद भी मांग और पूर्ति में अन्तर 40 प्रतिशत तक पहुंच गया है, और यह गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। 1991 में जब से आधारभूत उद्योगों के विकास के लिए इस क्षेत्र को प्राइवेट इन्वैस्टमैंट के लिए खोलने की और उसका सहयोग लेने की जो नीतियां बनाई गई हैं, उसके बाद राजस्थान की स्थिति और भी भयंकर होती गई। सभापति महोदय, इस बिजली बोर्ड के घाटे में भी बढ़ोतरी हुई है। 1991 से लेकर आज 2000 तक घाटे का सबसे बड़ा कारण रहा है, बिजली का आवश्यकता के अनुसार उत्पादन नहीं होना। सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन नहीं करके प्राइवेट उत्पादन पर निर्भरता बढ़ी, पिछले आठ सालों में उत्पादन नहीं होने से अन्य राज्यों से महंगी दरों पर बिजली खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा, उससे राजस्थान में बिजली बोर्ड का घाटा बढ़ता रहा है। इनकी गलत नीतियों से और राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण जहां आवश्यकता नहीं है वहां इसका निवेश करने के कारण राजस्थान के बिजली बोर्ड में घाटे को और बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, बिजली बोर्ड का सबसे पहला व्यक्ति हैल्पर है। वह राजस्थान में बिजली के खम्भे खड़े करने से लेकर चालू करने तक सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है। वह बिजली के विस्तार में, मेंटीनेंस में सबसे आगे मौत से खेलता है। उस हैल्पर के साथ आज तक भी हम न्याय नहीं कर पाये हैं। हर साल सैकड़ों कर्मचारी हैल्पर के रूप में बिजली मेंटीनेंस से बिजली चालू

(श्री अमराराम)

करने तक और बिजली की लाइन के विस्तार में अपने जीवन के हाथ धो बैठते हैं। आज राजस्थान में जितने भी हैल्पर हैं, एक के पास भी सुरक्षा के उपकरण नहीं है और उसका नतीजा यह होता है कि सैकड़ों हैल्पर अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। आज हालत यह है कि हम बिजली का विस्तार तो कर रहे हैं लेकिन 1997-98 में जहां बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या 60498 थी, आज 1998-99 के आपने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, बिजली तीन गुना बढ़ गई, कनेक्शन बढ़ गये-52 लाख कनेक्शन अभी विद्युत मंत्रीजी बता रहे थे, लेकिन तीन गुना और चार गुना बिजली का विस्तार होने के बाद भी बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या 1998-99 में 56855 हो गई, मतलब 3643 की कमी हुई है और अभी मंत्रीजी ने सुबह प्रश्नकाल में जवाब दिया था कि हमारी सरकार आने के बाद 4400 कर्मचारियों के पद समाप्त किये गये हैं। आज उस बोर्ड की जिस तरह की हालत हम बनाते जा रहे हैं वह बहुत ही भयंकर हो गई है। बिजली बोर्ड में घाटा राजनैतिक अदूरदर्शिता के कारण, राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण, गलत निर्णयों के कारण हुआ है। बिजली बोर्ड जो पहले शरीर के एक अंग के रूप में था, हम उसको तीन भाग में विभक्त करने जा रहे हैं। एक शरीर के अगर आप तीन भाग करेंगे तो निश्चित रूप से वह शरीर काम नहीं करेगा।

आपने पिछले सत्र में बिजली सुधार विधेयक के नाम से कानून बनाया है, बिजली बोर्ड लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़ने वाला था, लेकिन आज 53 साल की आजादी के बाद भी हम 64 प्रतिशत लोगों को बिजली की रोशनी नहीं पहुंचा पाये हैं। दो तिहाई मैजोरिटी के बावजूद राजस्थान की जनता 53 साल की आजादी के बाद बिजली की रोशनी नहीं प्राप्त कर पाई है। इसके विस्तार की आवश्यकता थी, लेकिन बजाय विस्तार के हम ऐसा विधेयक किसके पक्ष में ला रहे हैं? सभापति महोदय, बिजली सुधार विधेयक के नाम से विश्व बैंक के इशारों पर राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से घुटने टेके हैं, यह किसके पक्ष में होगा? यह बड़ी-बड़ी कम्पनियों के पक्ष में होगा आज से 53 साल पहले जिस तरह से बिजली कुछ रईस लोगों की थी, कुछ बड़े लोगों की थी, इस सुधार विधेयक के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद यह बिजली फिर से राजस्थान के बड़े-बड़े लोगों की होगी, रईसों की होगी। यह गरीब की झोंपड़ी से गायब होगी गरीब किसान के खेत से गायह होगी, जिसकी रेटें हाई होंगी। सभापति महोदय, बिजली सुधार विधेयक इस देश में सबसे पहले उड़ीसा में लाया गया। अभी शिवगंज से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, जो सबसे पहले उड़ीसा में लाया गया उसका नतीजा आज यह है कि वहां दुगनी रेटें हो गई, कंजूमर घट गये। यही

(श्री अमराराम)

नहीं, जो समुद्री तूफान से हजारों गांव तावह हुए थे उसको रेस्टोर करने के लिए अमेरिका की एक इलैक्ट्रिक कम्पनी है जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है, आज की तारीख तक उनको इस बात के लिए रेस्टोर नहीं किया कि जब तक उड़ीसा की सरकार 300 करोड़ रुपये उस कम्पनी को नहीं देगी तब तक उन गांवों की बिजली रेस्टोर नहीं होगी। बिजली बोर्ड ने इन 53 साल में जो कुछ विकास करके लोगों तक रोशनी और बिजली पहुंचाने का काम किया है, उसको अगर तोड़ कर व्यापार के आधार पर आप करेंगे तो यह राजस्थान के करोड़ों ग्रामीणों के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। सभापति महोदय, चाहे हरियाणा देख लें, चाहे उड़ीसा देख लें, जिन बातों को कहकर यह बिजली नियमन विधेयक बनाया गया है कि ट्रांसमिशन लोसेज कम होंगे, घाटा कम होगा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है, उनको हाईटेक मुख्य मंत्री कहते हैं, जहां आंध्र प्रदेश के बिजली बोर्ड में प्रति दिन पहले तीन से चार करोड़ रुपये था, यह विद्युत नियामक आयोग लागू करने के बाद आठ करोड़ रुपये प्रति दिन का घाटा आंध्र प्रदेश के बिजली बोर्ड में है। लाइन लोसेज बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से यह हमारा समाधान नहीं है। आज भी बिजली बोर्ड में बहुत एफिशिएंट लोग हैं। जहां भी उत्पादन है, कोई घाटा नहीं है। राजस्थान के बिजली बोर्ड के इंजीनियरों ने जितने भी राजस्थान के पावर प्लांट हैं उनमें शत-प्रतिशत से ज्यादा उत्पादन करके राजस्थान के बिजली बोर्ड को बहुत बड़ा श्रेय दिलाने का काम किया है। राजस्थान का बिजली बोर्ड हिन्दुस्तान के गिने-चुने बोर्ड्स में अपना स्थान रखता था लेकिन माहौल बनाया जा रहा है देश और प्रदेश में कि बिजली बोर्ड के घाटे का कारण किसान को सस्ती दर पर बिजली देना है।

सभापति महोदय, यह कारण नहीं है। आप देखेंगे, दिल्ली बिजली बोर्ड में जहां एग्रीकल्चर कंजम्पशन बहुत ही नेग्लिजिबल है, सबसे बड़ा घाटा किसी बिजली बोर्ड का है तो दिल्ली बिजली बोर्ड का है। सभापति महोदय, किसान को जो सबसिडी दे रहे हैं, तय बात है कि यह किसी की मेहरबानी नहीं है। अगर हम खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं, अगर हम देश और प्रदेश का विकास करना चाहते हैं तो किसान को निश्चित रूप से सब्सिडी देनी पड़ेगी। अभी मंत्रीजी जब बिल पास हो रहा था, कह रहे थे कि हम सब्सिडी देंगे। 53 सालों में बिजली बोर्ड को जितनी सब्सिडी के लिए सरकार ने निर्णय किये थे, वह सब्सिडी अगर बिजली बोर्ड को दी जाती तो आज राजस्थान का बिजली बोर्ड घाटे में नहीं होकर मुनाफे में होता। यह नियामक आयोग लागू होने के बाद इस बात की छूट होगी और केवल छूट नहीं होगी, दुगनी

(श्री अमराराम)

से तिगुनी उनकी रेटें होंगी और उसका नतीजा होगा कि गरीब व्यक्ति के पास जो कुछ भी आपने अब तक पहुंचाया है वह बिजली उनके पास नहीं रहेगी।

सभापति महोदय, जहां तक आप बिजली की बात करते हैं, राजस्थान में किसान की फसल पकने के वक्त, फरवरी और मार्च के वक्त तो हमेशा बिजली का संकट आया है, किसान परेशान हुआ है लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार और ऊर्जावान ऊर्जा मंत्रीजी आने के बाद यह पहला साल है जब नवम्बर में किसान को बिजाई के लिए सरकार और बिजली बोर्ड के अधिकारियों का घेराव करना पड़ा है। यह पहला वर्ष है शायद बिजली के इतिहास में कि इस भयंकर अकाल में जिसमें 24 हजार गांव के करीब अकाल में हैं, उस समय फसल बुवाने के लिए राजस्थान की सरकार किसानों के प्रति कतई संवेदनशील नहीं थी। केवल यही नहीं नवम्बर में घेराव हुआ, अभियंताओं को जलाने को मजबूर होकर, यह 21 नवम्बर की घटना है सभापति महोदय, आग लगाई।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : पहली बार राजस्थान के किसान जो भयंकर अकाल से जूझ रहे थे, उनको फसल बुवाई के लिए राजस्थान की सरकार और बिजली बोर्ड के अभियंता कार्यालयों का घेराव करना पड़ा। बिजली की कमी के लिए आज राजस्थान का बिजली का अभियंता जिम्मेदार नहीं है, बिजली बोर्ड जिम्मेदार नहीं है, राजस्थान की आज तक रही हुई सरकारें चाहे वह पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे आज की सरकार है, वे जिम्मेदार हैं। आवश्यकता के अनुसार बिजली पैदा नहीं करने के दोष की अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार है, राजस्थान की जनता नहीं है। सभापति महोदय, मैं दो ही मिनट में कहता हूं, सरकार ने घोषणाएं की थीं, लेकिन राजस्थान के किसान को इस भयंकर अकाल में तीन घंटे, चार घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दी गई। हमारे मंत्रीजी कहते हैं कि हमने यूनिट दे दी। अब वह यूनिट कहां गई, यह तो मंत्रीजी पता लगाए। मंत्रीजी का दो जनवरी को मेरे को उत्तर मिला है कि राजस्थान के ग्रामीण इलाके में आठ घंटे थ्री फेस और बाकी सोलह घंटे टू फेस मिली है। यह सदन इस बात का गवाह है कि गांव के लोगों को तो राजस्थान का नागरिक ही नहीं समझते। गांव में बिजली नहीं जाएगी, किसान के लिए बिजली नहीं होगी। यह हालत है और इसके लिए जिम्मेदार है तो राजस्थान की वर्तमान और भूतपूर्व सरकारें हैं जिन्होंने यह नहीं किया। राजस्थान में उसका खामियाजा राजस्थान के गांव में बैठे हुए बिजली बोर्ड के छोटे से कर्मचारी, अधिकारी को भोगना पड़ता है जबकि उसकी जिम्मेदारी नहीं है।

(श्री अमराराम)

सभापति महोदय, आपने कहा था कि राजस्थान को सस्ती बिजली देंगे, राजस्थान में अनट्रिप्ड बिजली देंगे, जो स्वरूप भाजपा के आठ साल के शासन में हुआ है उसको हम समाप्त करेंगे। लेकिन जब आपने बिजली की दरें बढ़ाई तो सबसे पहला कहर किस पर? उद्योगों के प्रति नरमी, कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं पर जबरदस्त बोझ। सवा साल के शासन में आपने घरेलू और किसानों पर पांच सौ करोड़ की बिजली की दरें बढ़ाने का काम किया है। केवल यही नहीं, आप जिस नर्सरी की बात करते हैं, यह लूट पहली बार इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान के किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर नर्सरी के नाम से की। 14 साल तक इंतजार करने के बाद जिस भी योजना के नाम, चाहे मुर्गीपालन में लें, चाहे नर्सरी में लें, चाहे विशेष योजना में लें। 14 साल के इंतजार के बाद जिसको भी आप देंगे, जिसके पास पैसा है, जो अपना खेत बेचकर, अपना टूम-छल्ला बेचकर लेना चाहते हैं, उस नर्सरी पर आपने जो पन्द्रह सौ रुपये प्रति एच.पी. लिए थे, सभापति महोदय, 15 फरवरी को आपने आदेश निकाल दिया...

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : नर्सरी के 15 से लेकर 30 हजार रुपये इस शर्त के साथ बिजली बोर्ड ने लिये थे कि पच्चीस रुपये प्रति एच.पी. पर मन्थ बिल में समायोजित किये जाएंगे। आपने 15 फरवरी को आदेश निकाल दिया कि नहीं, ये पांच साल के बाद में भरे जाएंगे। करोड़ों के रूप में जो पैसा किसान से लिया था, जो लूट भाजपा ने चलाई थी आपने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। भाजपा के शासन में किसानों के सात दिन के ऐतिहासिक पड़ाव के बाद राजस्थान की सरकार को घोषणा करनी पड़ी थी कि यह नर्सरी की रेट दो साल के बाद में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन आपने यह आदेश भी निकाल दिया कि अब वह दो साल के बाद में जनरल प्रायोरिटी में नहीं होगी। आपने केवल यही नहीं किया, जो आम उपभोक्ता गांव में हैं, जिनके पास 53 साल की आजादी के बाद भी कनेक्शन नहीं है, उस घरेलू कनेक्शन की आपने रेट बढ़ाई है। जो दो सौ रुपये में कनेक्शन होता था, तीन कनेक्शनों के बाद एक पोल फ्री मिलता था, उस दो सौ रुपये में होने वाले कनेक्शन को आपने बारह सौ रुपये में कर दिया। राजस्थान का किसान अस्सी प्रतिशत जो गांव से बाहर अपने खेत और ढाणी में बसता है, उसके लिए जो 4200 रुपये में पोल मिलता था उसको आपने 9000 रुपये में कर दिया।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये, बहुत कह चुके आप।

श्री अमराराम (धोद) : एक ही मिनट में करता हूं, सभापति महोदय।

(श्री अमराराम)

केवल यही नहीं किया है, जो बारह साल से मिनिमम चार्ज नहीं था, वह आपकी सरकार ने लागू किया है। आप मिनिमम बिजली नहीं दे सकते, पढ़ने के लिए बिजली नहीं दे सकते, खेत के लिए बिजली नहीं दे सकते लेकिन चार्ज आप मिनिमम जरूर वसूल करेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, केवल यह थोथी घोषणाएं करने से, केवल सम्मेलन करने से कुछ नहीं होगा। मंत्रीजी पहले सात दिन में मिलते थे, अभी एक महीने में महीने की आखिरी तारीख को मिलते हैं। मैं समझता हूं कि यही हालत बजली की रही है, यही दरें बढ़ती रही, बिजली की शार्टेज रही तो मंत्री तो महीने में एक दिन नहीं, किसी भी जिले में जाने के लायक नहीं रहेंगे। सीकर में आप दो तारीख को गये, बिजली की समस्या से किसान की फसल जल रही थी, मंत्रीजी के बात करने की बजाय, सरकार उनकी बिजली की मांग का लाठियों से मुकाबला करती है। यही हालत रही, बिजली की शार्टेज रही, दरें आप बढ़ाते रहे तो सम्मेलन की बात कर रहे थे कि हर जिले में करें, अब आप जब भी जिले में जाएंगे, किसान इस बात से मुकाबला करेंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री अमराराम (धोद) : मैं समझता हूं कि किसानों को और आम जनता को लूटने का भारतीय जनता पार्टी ने आठ साल में जो काम किया था, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है।

सभापति महोदय, यही अनुरोध करते हुए कि जो वायदा करके आप आये हैं, वोट लेकर आये हैं उसके साथ विश्वासघात करेंगे तो उसका वे जवाब देंगे, मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : एक निर्दलीय को ले लें, साहब, बीच में।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) दो बोले हैं, साहब, कांग्रेस की तरफ से 10 हैं तो दस बोल रहे हैं। 10 बोल गये। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सभापति महोदय, मेरा तो पहले से नाम था इसमें, आपने फरमाया था। एक निर्दलीय को बीच में ले, साहब।

श्री सभापति : नहीं है, आपका। निर्दलीय तो सभी बीच में आते हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : हां लें, साहब। सभापति महोदय, आप कहें तो मैं पहले बोल दूं। मैं 5-7 मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : आदरणीय सभापति महोदय, अभी आप सुनिये। मेरे बाद में बोलेंगे आप।

श्री सभापति : आपके बाद में।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आप बैठिये। सभापति जी कह रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मेरा नाम बुला लिया है। बुला लिया है नाम।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से।

श्री सभापति : माननीय रिछपाल जी आपके बाद में।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सभापति जी कहते हैं तो बैठ जाता हूं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आदरणीय सभापति महोदय, आज...

श्री शंकरलाल अहारी : मेरा नंबर कब आएगा, सभापति महोदय?

श्री सभापति : आ जाएगा, आज आ जाएगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, आज राजस्थान राज्य की विद्युत समस्या के बारे में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बाड़मेर जिले के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे प्रगति प्रतिवेदन 1999-2000 पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाड़मेर जिले के गांव 92.4% विद्युतीकृत हुए हैं। यह सूचना बिलकुल गलत है और मैं इसको चुनौती देता हूं। 92.4% गांव विद्युतीकृत हुए हैं तो यह बिलकुल गलत बात है, यह असत्य है और ऐसी सूचना प्रगति प्रतिवेदन में देना क़िसी रूप में उचित नहीं है। पहले भी मैं कह चुका हूं, जब इसके बारे में विचार हुआ था कि आपने 92.4% की सूचना दी थी वह गलत थी और अभी भी कह रहा हूं, चुनौती देता हूं। बाड़मेर जिले में 40% गांवों का विद्युतीकरण हुआ है, यह आपको और कह देता हूं। दूसरे गांवों में जो विद्युतीकरण बताते हो उनमें न तो पोल्स हैं और न किसी भी प्रकार की लाइंस हैं, न कोई ट्रांसफार्मर्स हैं। किसी भी प्रकार विद्युतीकरण नहीं हुआ है। ऐसी सूचना प्रगति प्रतिवेदन में देना उचित नहीं है। अगर आपने सूचना दी है तो मैं यह चाहूंगा कि अपनी भूल को ठीक करने के लिए आप हमारे जिले के जितने भी गांव हैं उनका सबसे पहले उच्च प्राथमिकता देकर विद्युतीकरण करें। एक वर्ष के अन्दर आप संकल्प करें, एक वर्ष का मैं समय देता हूं कि 94.2% विद्युतीकरण किया जाए।

दूसरी समस्या के बारे में कहना चाहता हूं बाड़मेर जिले की। मैं जब 1988 में लोक सभा का सदस्य था तो हमने फेमिन में एक हजार कुएं सिंचाई के लिए बाड़मेर जिले में बनाये थे। भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है, मैं यह चाहता हूं कि जहां ज्यादा अकाल की स्थिति है वहां पर विद्युत कनेक्शन के लिए आप प्राथमिकता दें। तो क्या होता है कि जहां-जहां भी सिंचाई कुएं बने हैं और वैल कनेक्शन हुए हैं, अकाल की स्थिति में भी उनकी स्थिति अच्छी है और वे पैरों पर खड़े हैं।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

उन्होंने अभी बाजरा बोया है और अभी आप बिजली अगर समय पर बराबर देते रहेंगे तो बाजरा भी इस मौसम में वे पैदा कर लेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्राथमिकता से हमारे जितने भी सिंचाई के कुएं हैं उनको विद्युत कनेक्शन दें।

तीसरा हमारा जो संकट होता है वह पीने के पानी का होता है। पीने के पानी के लिए हमारा पी.एचईडी. डिमाण्ड करता है ट्यूबवैल्स के विद्युत कनेक्शन के लिए, तो ट्यूबवैल्स में विद्युत कनेक्शन के लिए आपको उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। जितने भी हमारे ट्यूबवैल्स हैं, जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, जिनमें डिमाण्ड की है विद्युत कनेक्शन के लिए और पी.एचईडी. ने राशि जमा करायी है, आप उच्च प्राथमिकता देकर उनको कनेक्शन दें ताकि हमारी पीने के पानी की योजनाएं सुचारू रूप से चल सकें।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि मई व जून महीने में आप अगर वास्तव में पीने के पानी की समस्या में हमें मदद करना चाहते हैं तो 20 घंटे बिजली आपको देनी पड़ेगी, अन्यथा हमारी पीने के पानी की योजना सुचारू रूप से चल नहीं सकती और संकट हमारा बना रहेगा। पीने के पानी की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें आप कोई भी कृषि कनेक्शन नहीं दें। अभी जो ऊंडू की योजना थी उसमें कृषि के कनेक्शन देने पर हमें बड़े भारी संकट का सामना करना पड़ा। करीब 7-8 महीने तक उसके कारण पीने के पानी का संकट पैदा हुआ और सौ गांवों में और डेढ़ सौ ढाणियों में पानी नहीं पहुंचा। अभी हमने कोशिश की, हमारे मंत्री महोदय ने मदद की, चेयरमैन साहब ने मदद की और मुझे विश्वास है कि ऊंडू के अन्दर 33 के.वी. लाइन कम्प्लीट हो चुकी है, उसकी घोषणा वे करेंगे, उससे हमारा पीने के पानी का संकट काफी दूर हो जाएगा। इसलिए पीने के पानी की योजनाओं में आप कृषि कनेक्शन कतई न दें। कृषि कनेक्शन अलग रखें, पीने के पानी की योजना अलग रखें। यह व्यवस्था रखने के लिए आप पूरी तरह से ध्यान रखें।

साथ-साथ हमारे क्षेत्र में अभी आपने सिवाना में 132 के.वी. लाइन का उद्घाटन किया और भी आगे कदम आप उठा रहे हैं। वे वास्तव में सराहनीय हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार शिव में भी 132 के.वी. की आवश्यकता है, सिणधरी में भी आवश्यकता है, बायतू में भी आवश्यकता है। जहां-जहां 33 के.वी. लाइन की आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने की कोशिश करें ताकि उस संबंध में व्यवस्था हो सके और हमारे यहां भी विद्युत का सुदृढ़ीकरण हो, हम भी प्रगतिशील कार्य कर सकें। अभी स्थिति ऐसी कि आपके विभाग

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

में हमारे यहां 10 वर्ष पहले जो कर्मचारी थे, अभी तक वो के वो कर्मचारी हैं, एक भी कर्मचारी नहीं बढ़ा। बहुत ही कमी है। जब आंधियां आ जाती है तब एक बड़ा भारी संकट पैदा हो जाता है। आंधी आने से पोल्स गिर जाते हैं, लाइंस बिगड़ जाती हैं उनको ठीक करने के लिए 10-10, 15-15 दिन तक लग जाते हैं और फिर पीने के पानी का संकट पैदा हो जाता है। इस संबंध में मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्टाफ की कमी की पूर्ति करने के लिए कदम उठाएं मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वन विभाग में पद बहुत-से रिक्त हैं, वन विभाग से ही आप सर्विस वालों को, कर्मचारियों को प्राप्त करें। गर्मी में जब आंधी आती है, अब आंधियों का समय आने वाला है आयी भी हैं और आएंगी, तो इस संकट के वक्त में मेरा आपसे निवेदन है कि आप व्यवस्था करें ताकि (व्यवधान)

बाड़मेर शहर में 220 केवी. लाइन के लिए भी मेरा आपसे निवेदन है। बाड़मेर जिले में लिग्नाइट का भण्डार है, आपने योजनाएं भी बनायी हैं कपूरड़ी के लिए 2.300 मेगावाट, जालिपा के अंदर 2.300 एंड 600 मेगावाट वो यानी 12 सौ मेगावाट की योजना बनायी है। वह योजना करीब 20 वर्ष से बन रही है लेकिन उसकी कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। जब यह सैंक्शन होगी तब बनेगी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य, एक मिनट। सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया गया।

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

श्री वृद्धिचन्द जैन : ये 600 मेगावाट के हैं। जैसा आपने बरसिंहसर को महत्ता दी है और वह स्वीकृत हो चुकी है, वैसे ही कपूरड़ी और जालिपा की योजनाएं जो 1200 मेगावाट की हैं, उनको आप स्वीकृति देकर कार्य चालू करें। हमारे पहले के जो मुख्य मंत्री जी थे उन्होंने घोषणा की थी और शिलान्यास भी किया था। बाड़मेर जिले में, जैसलमेर जिले में और हमारे यहां शिव में सौर ऊर्जा का शिलान्यास किया था। उसके बारे में क्या प्रगति है? क्या वे थोथे नारे थे, थोथे शिलान्यास थे? पर्दाफाश हो कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य मंत्री हैं वे इस प्रकार की घोषणा करते हैं, शिलान्यास करते हैं। वे कहते थे कि मैं बाड़मेर, जैसलमेर जिले में इतनी सौर ऊर्जा पैदा कर दूंगा कि राजस्थान की विद्युत समस्या

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

हल हो जाएगी। इस संबंध में आप कोई कदम उठाने के लिये तैयार हैं या नहीं हैं?

बिजली चोरी के मामले में मैंने प्रश्न पूछा था और उसका जवाब आया था कि कुछ जिलों में चोरी विशेष तौर से होती है। उन जिलों के नाम भी बताये थे। मैं अभी उनका जिक्र नहीं करना चाहता। उसमें झुन्झुनूं और नागौर जिला भी है कि वहां पर बहुत ज्यादा चोरी होती है। मैं चाहता हूं जितने भी एम.एल.ए. हैं उनका कर्तव्य है...

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय सदस्य, नागौर में चोरी नहीं होती है। आप गलत आरोप लगा रहे हैं। पूरे राजस्थान में होती है, यह कहो आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : आप बाड़मेर का नाम लीजिए, आपको झुन्झुनूं का नाम लेने का क्या अधिकार है? कोई अधिकारी नहीं है आपको। वहां पर कोई चोरी नहीं होती।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मेरे को प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने जो सूचना दी थी उसके आधार पर मैं कह रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : झुन्झुनूं जिले को बदनाम कर रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : नागौर जिला प्रथम नम्बर पर है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस विवाद में न पड़े आप अपनी बात कहें।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : माननीय सदस्य, आप ज्यादा गलत नहीं कह रहे हैं, उन जिलों में टी.एनडी. लोसेज ज्यादा हैं। टी.एनडी. लोसेज में थैफ्ट भी एक एंगल है, और भी कई कारण हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैंने डाइरेक्टली थैफ्ट के बारे में प्रश्न पूछा था। जो उपभोक्ता सम्मेलन किये गये थे उनका असर हुआ है, लाभ हुआ है। यह बात नहीं है कि उपभोक्ता सम्मेलन का कोई लाभ नहीं हुआ है। आप उपभोक्ता सम्मेलन करें, इससे समस्या हल हुई है। बाड़मेर जिले की 50 प्रतिशत समस्या हल हुई है, उसके परिणाम निकले है। उपभोक्ता सम्मेलन के वास्तव में परिणाम निकले हैं और इसके लिये मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ऊर्जा मंत्री जी, आप वास्तव में ऊर्जावान हैं और जो आप कदम उठा रहे हैं वे प्रगतिशील कदम उठा रहे हैं। आप अपना कार्य करते जाइए और जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने का प्रयास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री सभापति : डा. करण सिंह यादव।

डा. करण सिंह यादव : पहले उनको बोल लेने दीजिए।

श्री सभापति : रिछपाल जी बहुत बड़े दिल के आदमी है, आपके बाद बोल लेंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : साहब, मेरे को जाना है, मेरे पास ड्राइवर भी नहीं है, अकेला जाऊंगा।

श्री सभापति : आप बिराजो।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो सदस्य बोलने के इच्छुक नहीं है उनके नाम आसन से क्यों पुकारे जा रहे हैं?

डा. करण सिंह यादव : नहीं, मैं हैजीटेट नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य हैजीटेट नहीं कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, उस साइड से 11 सदस्य बोल चुके हैं और हमारे मात्र दो ही बोले हैं, कुछ अनुपात तो होगा?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, 6 कांग्रेस से बोल रहे हैं, 4 अपोजिशन से बोल चुके, यह सिस्टम है। निर्दलीय भी इसमें आ गये। 4 अधर से आ गये और 6 उधर से आ गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो सूची हमारे उप नेता के हस्ताक्षर से आपके पास आई है वह सूची तो यह नहीं है।

श्री सभापति : अभी आपसे बात कर लेंगे। डा. करण सिंह यादव।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : माननीय सभापति महोदय, आज विद्युत आपूर्ति राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है। अगर बिजली ठीक है, बिजली की व्यवस्था ठीक है तो मैं समझता हूं कि हमारा किसान खुशहाल है, हमारी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेगी, हमारा आम उपभोक्ता खुश होगा। यह सही बात है कि हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी को जो विद्युत तंत्र मिला वह बहुत जीर्ण-शीर्ण हालत में मिला। बहुत घाटे की व्यवस्था में आर.एस.ई.बी. मिली। पिछले सवा साल में जिस मुस्तैदी से आपने जगह-जगह सम्मेलन किये, कोई शनिवार या रविवार ऐसा नहीं जाता जब डाक्टर चन्द्रभान का नाम अखबार में नहीं हो कि आज यहां पर 132 के.वी. का स्टेशन लगाया, आज वहां 33 के.वी. के स्टेशन का उद्घाटन किया। जिलों में, कस्बों में जगह-जगह जा रहे हैं, बहुत सारे प्रयास आपने किये हैं, लेकिन तथ्य यह है कि आज हम बिजली के मामले में बहुत ज्यादा पीछे हैं। खास तौर से मेरा जैसा आदमी जो अलवर जिले से आता है, जहां की सारी खेती कृषि आधारित है, वहां पर किसी तरह के रोजगार के साधन नहीं है। गत वर्ष रबी की फसल के दौरान जब हमारी सरकार नई-नई बनी थी, आपने प्रतिदिन एक करोड़ रुपये की बिजली अतिरिक्त खरीद कर किसानों को दी थी तो लोग कांग्रेस सरकार का गुणगान गाते थे। लोग डाक्टर-

(डा. करण सिंह यादव)

चन्द्रभान के नाम के नारे लगाते थे कि यह अच्छी सरकार आई और बिजली दी। अभी जैसे संयम लोढ़ा जी कह रहे थे, वह बात अक्षरशः सत्य है कि जनाक्रोश का सामना हम लोगों को अपने इलाके में करना पड़ा। बिजली का कोई समय नहीं, आठ घंटे की घोषणा के बाद तीन घंटे, कभी चार घंटे और कभी ज्यादा हुआ तो पांच घंटे। सबसे बड़ी बात, लोग रात को बैठे इंतजार करते हैं। बिजली की रोशनी देखते ही खेतों में भागते हैं और खेत में पहुंचते ही बिजली बंद हो जाती है। सर्दी के मौसम में रातभर जागे हुए किसान को अगर सामने एम.एल.ए. मिल जाए या सफेद कुर्ते-पजामे वाला कोई नेता मिल जाए तो वह अपना सारा आक्रोश आप पर उडेल देता था कि आपकी सरकार बिजली क्यों नहीं दे रही। मैं समझता हूं इस बार आपको बिजली कई राजनीतिक कारणों से नहीं मिली। आपको अन्ता का शेयर गवर्नमेंट ने नहीं दिया, सैंट्रल गवर्नमेंट में जो राजस्थान का शेयर था उसमें कटौती कर दी गई। राजनीतिक कारण थे, हरियाणा में चुनाव थे, आपका हिस्सा काटकर हरियाणा में दे दिया गया। हमारी सीमा के ऊपर 24 घंटे बिजली आ रही है और राजस्थान में 6 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही। इस बात से लोगों को समझाया नहीं जा सकता। किसान बिजली चाहता है, किसी भी कीमत पर चाहता है। वह इस बात को नहीं मानता कि उत्तरप्रदेश में पावर इंजीनियर्स की स्ट्राइक चल रही है इसलिए हमको बिजली नहीं मिल रही। या कुमार मंगलम जी नाराज हैं इसलिए नहीं मिल रही। या केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं उनको देखते हुए राजस्थान में बिजली नहीं देना चाहती। इस बात को आम किसान नहीं मानता। वह चाहता है कि उसको बिजली मिले।

इसलिए, मंत्री महोदय, आपने जिस संकल्प को लेकर इस विभाग को पिछले साल ग्रहण किया है, आपकी प्राथमिकता होनी चाहिये कि किसी भी तरीके से राजस्थान में उत्पादन को बढ़ाया जाए। यह सही है कि गत सरकार उत्पादन के मामले में बहुत कमजोर रही। अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि बहुत सारे एम.ओ.यू. तो साइन किये गये लेकिन उनकी क्रियान्वति नहीं हो पाई। अपनी सरकार का भी करीब सवा साल पूरा हो चुका, मुझे खुशी है और मैं बधाई देना चाहूंगा कि सूरतगढ़ की योजना का जो फर्स्ट फेज है उसका सैकण्ड पार्ट भी आपने चालू कर दिया और सैकण्ड फेज भी आप सन् 2002-2003 में कम्प्लीट करने का मानस रखते हैं। बरसिंहसर लिग्नाइट कारपोरेशन और जो दूसरी प्राइवेट योजनाएं है, उनको अमली जामा पहनाने के लिये आप प्रयासरत हैं। मेरा निवेदन है कि आप जिस हिसाब

(डा. करण सिंह यादव)

से काम कर रहे हैं, आने वाले साढ़े तीन चार साल में अगर राजस्थान को बिजली के हिसाब से आत्म निर्भर बना कर जाए तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी।

गत वर्ष आप रैगुलेटरी कमीशन का बिल लेकर आये थे, मैं उस बिल का विरोध करने वाले लोगों में से था। लेकिन आपने इस भावना के साथ बिल को रखा था कि पावर सैक्टर में सुधार लाने के लिये आपको वर्ल्ड बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से संसाधनों की जरूरत होगी और वे संसाधन आपको तब तक नहीं मिल सकते जब तक कि आप पावर सुधार नहीं करें। आपने विद्युत नियामक आयोग बनाया। राजस्थान में नियामक आयोग बन चुका, आपने उसके चैयरमैन लगा दिये।

(17.00 बजे)

मुझे नहीं मालूम कि नियामक आयोग बनने के बाद में आपके प्रशासन में, आपके विद्युत विभाग में कितना सुधार हुआ। अभी कहीं सामने तो नजर नहीं आता। लेकिन यह बहुत चिंता का विषय है, पिछली बार आप बराबर कर रहे थे कि हम इसको तीन कम्पनियों में बांट देंगे, थोड़े दिनों के अंदर इसका रिजल्ट आने लग जाएगा लेकिन अखबारों में पढ़ने से लगा कि यह भी डिबेट का विषय है। जरूरी नहीं कि जो उड़ीसा के अंदर बात सफल रही हो जहां पर मात्र 5 प्रतिशत किसान ही उपभोक्ता हैं, या बाम्बे के अंदर या सूरत, अहमदाबाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम प्राइवेटाइज किया गया है जहां पर अच्छे नतीजे मिले हैं, वे नतीजे आपके राजस्थान में मिलें। इसलिये बहुत जरूरी है कि इस मामले में निर्णय लेते हुए हर पक्ष को ध्यान में रखें दूसरी स्टेट्स के क्या रिजल्ट हैं, एक्सपर्टस की क्या ओपीनियन है। मैं समझता हूं कि इस देश में आज वर्ल्ड बैंक के नाम पर और फोरेन फंडिंग के नाम पर कुछ ऐसी एजेंसीज बन गई हैं जो उस आइडिया को इस तरह से सेल करती हैं कि लगता है यही सारी बीमारियों का इलाज है। ऐसा मैं नहीं समझता। मेरा सुझाव है कि जनरेशन के अंदर जब हमारे यहां पर जितने पावर प्लान्टस हैं वें अपनी कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, अच्छे प्लान कर रहे हैं उनको अपने पास रखिये, आपके विद्युत मंडल के पास रखिये और जो प्राइवेट संस्थाएं आ रही हैं उनको उसके अलावा आगे काम्पीटीशन में जनरेट करने के लिये दीजिये। अपने खुद के जो पावर प्लान्ट्स हैं उनको बेचकर या उनको किसी दूसरी कम्पनी को देकर या उनमें किसी दूसरे आदमी का शेयर डालने से मैं नहीं समझता कि कोई फायदा होगा।

ट्रांसमिशन का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि यह ऐसा फील्ड है जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन को आपको इनवाइट करना चाहिये। आपने इस बार के बजट में 132 के.वी.ए. स्टेशन मात्र 17 प्रपोज किये हैं, लेकिन मेरे अकेले अलवर जिले के अंदर

(डा. करण सिंह यादव)

ही। आपसे हम कम से कम 5-7 स्टेशनों की मांग करते हैं और आपके टैक्नीकल एक्सपर्टस यह मानते हैं कि मेरे क्षेत्र मांडन में 132 होना चाहिये। हर बार जब आप अलवर आते हैं तो मेरे साथी थानागाजी में सीमा पर स्वागत करके 132 की मांग करते हैं। मुण्डावर क्षेत्र के अंदर आप पधारे हैं वहां तो किसानों ने आपके लिये पलक पांवड़े बिछाये हैं, आपसे 132 की मांग करते हैं। आज 132 के स्टेशन लगाने के अंदर प्राइवेट कम्पनीज आती हैं, ट्रांसमीशन के क्षेत्र में जहां आपका पैसा खर्च नहीं हो, इनको आप दीजिये। मेरा अपना सोच है कि ड्रिस्ट्रीब्यूशन के मामले में हमको काफी सोच करके चलना पड़ेगा क्योंकि किसान यहां का उपभोक्ता है। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर यह तो ठीक है कि आप ट्रांसमीशन लॉसेज को कम कर देंगे थैफ्ट को आप कुछ कम कर देंगे लेकिन आपको रोज कोर्ट-कचहरियों के कैसेज करने पड़ेंगे, आपको किसानों को बिजली देनी पड़ेगी। अगर आप किसानों को बिजली नहीं देंगे तो मजबूरी में उसको चोरी भी करनी पड़ती है अपनी रोटी-रोजी के लिये। उसको आपको सब्सिडी भी देनी पड़ेगी। कामर्शियल आर्गेनाइजेशन आकर जिस रेट से विद्युत का उत्पादन किया जाता है अगर वो रेट किसान से चार्ज करने लग जाएं तो फिर आपको किसान की फसल की रेट भी तय करनी पड़ेगी और उसी हिसाब से जो कम्पोनेंट्स लगते हैं उनकी भी इसलिये अगर डिस्ट्रीब्यूशन कहीं देना है तो आप शहरों का डिस्ट्रीब्यूशन देकर देखिये। आज शहरों में मैं समझता हूं कि थैफ्ट की क्या कमी है। लोगों को घरों के अंदर अपने मीटर उलटे चलाने का तरीका मालूम है, बिजली के छोटे कर्मचारियों के साथ मिलकर मीटर बंद पड़ा हुआ है, कम से कम खर्चे के अंदर अपना काम चला लेते हैं। आपको एक्सपैरीमैंट कहीं करना है तो शहर की आबादी में करके देखिये, इंडस्ट्रीज सैक्टर में करके देखिये। किसान का तो नाम बदनाम है, पर मैं समझता हूं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले जो लोग-बाग हैं वे आज की तारीख में कोई कसर नहीं छोड़ते बिजली चोरी करने की। आज जब हमारे पास संसाधन हैं, ऐसे उपकरण हैं जो रास्ते में चलते हुए आपकी मीटर रीडिंग बता सकते हैं, यह बता सकते हैं कि कहीं आप चोरी तो नहीं कर रहे हैं, तो ये जो इम्पोरटेंट साधन हैं उनको हमें लाना होगा।

माननीय मंत्री महोदय, आप जब आज डिवीजन की बात करते हैं, तीन कम्पनियों की बात करते हैं तो मेरा सुझाव है, मैं समझता हूं कि आज वह समय है जब लोग समन्वय कर रहे हैं। एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी जुड़ रही है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोग जुड़ रहे हैं, पावर सैक्टर के साथ में गैस सैक्टर के लोग जुड़ रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन के साथ में टेलीफोन

(डा. करण सिंह यादव)

इण्डस्ट्रीज के लोग जुड़ रहे हैं। बड़ी-बड़ी कम्पनियां एक-दूसरे के साथ समन्वित होकर काम कर रही हैं तो मुझे कहीं नजर नहीं आता कि हम डिवीजन कर-करके कोई बहुत अच्छे नतीजे ले पाएंगे। पिछले दिनों अखबारों के माध्यम से पढ़ा कि इस विषय में बड़ी डिबेट है और आपके यहां दोनों आइडियाज हैं। एक पक्ष चाहता है कि पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया जाए, एक लॉबी चाहती है कि धीमी गति से देखा जाए। मंत्री महोदय, आपके विवेक पर, आपकी क्षमता पर हम सबको भरोसा है और मैं समझता हूं आप अच्छा निर्णय लेंगे राजस्थान के किसानों के हित में।

दो मिनिट में वही पुरानी घिसी-पिटी बातें, मंत्री महोदय, आपके सामने फिर दोहराना चाहूंगा। आपने पिछले साल एक अभियान यहां चलाने की घोषणा की थी। ट्रांसफार्मर जमीनों पर पड़े हुए हैं, पशु उनके नजदीक आकर मर जाते हैं। आदमियों की भी डैथ हो जाती है। आपने उसका अभियान चलाया था लेकिन थोड़े दिनों बाद परमात्मा न करे, अगर बरसात होगी तो फिर उस तरह की समस्या आएगी। मेरा निवेदन है कि आप वापस ऐसा अभियान चलाए। आपके विद्युत तंत्र के तार नीचे लटके पड़े हैं, बहुत सारे एरिया हैं। मेरे एरिया में इस तरह की डैथ हुई है कि किसान अपना पाइप लेकर आ रहा था, तार इतना नीचा था कि उसने टच किया और उसी समय इलैक्ट्रोक्यूट होकर डैथ हो गई इस तरह की घरों के ऊपर से लाइनें निकल रही हैं, हरिजन बस्ती के ऊपर से लाइनें निकल रही हैं, शिक्षण संस्थाओं के ऊपर से लाइनें निकल रही हैं। आपके यहां जाकर हम इसकी दरख्वास्त देते हैं तो निश्चित रूप से एक बात कही जाती है कि हम इसका एस्टीमेट बनाकर दे देते हैं। अब उस हरिजन बस्ती या संस्था के ऊपर से लाइन बदलवाने के लिये कौन लोग पैसा जुटाएंगे? इस मामले में बिजली बोर्ड को निर्णय लेना होगा।

माननीय सभापति जी मेरी तरफ देख रहे हैं, समाप्त करने से पहले एक बात की ओर आपका ध्यान और दिलाना चाहूंगा। पोस्टिंग के मामले में बोर्ड ने एक निर्णय ले रखा है कि गृह जिले के आदमी को उसके जिले में पोस्ट नहीं किया जाएं। मेरे यहां जोधपुर के आदमी को भेजते हैं जिसके जोधपुर की भाषा में मिठास हो, आओ साहब, पधारो साहब, बैठो साहब जब यह आदमी अलवर और भरतपुर की खड़ी बोली वाले इलाके में आता है, जहां किसान आकर उस एक्सईएन. और एईएन. से तू. तुकारे से बात करता है। और जिस दिन बिजली नहीं आती उस दिन उसकी आंखों में खून टपकता है, वह आदमी वहां नहीं रह सकता। मेरी अपनी व्यथा है कि बहरोड के अंदर पिछले साल-डेढ़ साल में 5-6 इंजीनियर बदले गये। जब आप जानते हैं कि उस इलाके के रहने

(डा. करण सिंह यादव)

वाले तो वहां के टैम्परामैंट को समझते हैं, लोगों की जरूरत को समझते हैं वहां उनकी रिश्तेदारी, नातेदारी है, वे वहां के मानस को समझते हैं। ऐसे लोगों को क्यों नहीं लेते? आपकी भावना को मैं समझ सकता हूं कि लोकल आदमी शायद वहां पर थैफ्ट में मशगूल होगा, दूसरे लोग वहां...

श्री जगत सिंह दायमा : ऐसा है, इसका कारण भ्रष्टाचार है इससे बदले गये हैं, वैसे नहीं बदले गये। उनको भी आप उजागर करना चाह रहे हैं।

डा. करण सिंह यादव : सुनिये, भ्रष्टाचारी अगर कोई आदमी है तो उसको जरूर बदला जाए। मेरे पास में, अभी मैं कहना चाहूंगा, जोधपुर से एक इंजीनियर को लाकर भेजा गया। नाम चौहान था, एक महीने के अंदर इलाके में इतना बड़ा नाम पैदा कर दिया, हर बात में खुले पैसे मांगता था, किसी भी बात के लिये पैसे मांगता था। उसने पहले सारे पुराने इंजीनियरों का पाप धो दिया। मैं मंत्री जी के पास गया, चेयरमैन के पास गया, मैंने कहा इस शख्स का रिकार्ड आप देखिये, क्या रिकार्ड के अंदर आपको नजर आता है कि पहले भी इसने गड़बड़ की होगी। तो पता लगा कि उसका तो पूरा का पूरा रिकार्ड ही खराब है। आपने उसको सजा दी, जोधपुर से भेजा बहरोड़ में और बहरोड़ में आकर वह सिवाय रिश्वत लेने के कोई काम नहीं करे। जब मैं या आपके विभाग का इंजीनियर यह कहता है कि एक्स इंजीनियर अच्छा है, उसके रिजल्ट अच्छे हैं, वह फाइनेंशल रिजल्ट देने में सक्षम है तो आप इस बात को एक दम पत्थर की लकीर की तरह कहेंगे कि नहीं, यह तो अलवर जिले का है इसलिये अलवर जिले में रहने ही नहीं देंगे। अगर उसके रिजल्ट अच्छे हैं, उसका रिकार्ड ठीक बोल रहा है और अगर वह आपको काम दे सकता है तो मेरा आपसे सुझाव है कि इस नीति को बोर्ड में बदलिये। जब बोर्ड में चेयरमेन साहब से जाकर कहते हैं तो वे कहते हैं, साहब मंत्री जी का निर्णय है। मंत्री महोदय से जाकर कहते हैं तो, साहब, हमारे बोर्ड का निर्णय है। आप दोनों के बीच में बैठ करके कुछ ऐसा करें, कल प्राइवेट कम्पनी आएगी वह कभी इस बात के लिये नहीं अड़ेगी। वह देखेगी कि कौन आदमी हमको बढ़िया रिजल्ट दे सकता है, कौन रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर सकता कौन लॉसेज रोक सकता है। तो मेरा निवेदन है कि इस ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर आप विचार करिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : माननीय रमजान खान।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, मैं हाउस में नहीं था, हैलमेट के बारे में बड़ी चर्चा हुई थी। थोड़ा-सा इस बारे में...

श्री सभापति : हां, फरमाइये, फरमाइये आप।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं जाऊं क्या?

श्री सभापति : नहीं, आप बोलेंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति : बोलना पड़ेगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं दो मिनट में बात खतम कर रहा हूं, आप बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, यह पार्लियामैंटरी एटिकेट के खिलाफ है कि माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं कि जाना चाहते हैं। दैट इज नॉट परमीसिबल। अगर ये पार्टिसिपेट करें तो रिप्लाई सुनना पड़ेगा।

श्री सभापति : ये दोनों ही काम करना चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, ये रिप्लाई नहीं सुनना चाहते।

श्री सभापति : ये जाना ही चाहते हैं, बोलना भी चाहते हैं, माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय।

शासकीय वक्तव्य

दुपहिया वाहन चालकों के लिए आई.एस.आई. मार्का हैलमेट की अनिवार्यता

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सभापति महोदय, हैलमेट के बारे में आज हाउस में चर्चा हुई और यह कहा गया कि इसमें काफी बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। किसी कम्पनी को फेयर करने के लिये, किसी के हैलमेट बिकवाने के लिये पुलिस यह काम कर रही है। विपक्ष के नेता महोदय को मैं याद दिलाना चाहता हूं, यह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट की विज्ञप्ति थी जो 1987 में निकली थी और इसके स्पेसिफिकेशन का काम भी उस रूल के तहत तय किया था, पुलिस डिपार्टमैंट ने उसका स्पेसिफिकेशन निर्धारित नहीं किया। मैं उसको थोड़ा-सा पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

"Transport Department Notification. Jaipur, dated November 6, 1987.

250 A. Use of protective head gear. Every person driving or riding a two wheeler motor vehicle i.e. motor cycle, scooter, moped, etc. shall, while in public place, wear a protective head gear of the specification prescribed by the Bureau of Indian Standards."

ये रुल्स 87 में निकले थे। बीच में आपकी सरकार ने इसको लागू करने की कोशिश की थी, अन्य सरकारों ने भी लागू करने की कोशिश की थी लेकिन कुछ दिन चला, कुछ दिन नहीं चल पाया। अब आवश्यकता इस तरह की हो गयी ट्रैफिक को बढ़ते देखते हुए जनसंख्या को बढ़ते

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

देखते हुए कि इसको लागू करना अनिवार्य हो गया।

लेकिन जैसे यह कहा गया कि किसी कम्पनी को फेवर करने के लिये पुलिस ऐसा काम कर रही है, यह मेरे हिसाब से सही नहीं है। किसी कम्पनी को फेवर नहीं करते हैं। आप भी सड़क पर निकलते होंगे, देखा होगा, कई लोग सड़क पर अपने-अपने ढेर लगाकर बेच रहे थे। कम्पनी की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। एक महीने पहले वातावरण पैदा किया, जगह-जगह हमने बोर्ड लगाये, पैट्रोल पम्प पर बोर्ड लगाये। हमने नोटिसेज दिये कि आपको एक महीने बाद हैलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इसलिये यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि इसकी जानकारी नहीं दी गयी। जगह-जगह बड़ी वाइड पब्लिसिटी की गयी कि एक मई से आपको हैलमेट पहनना अनिवार्य होगा। अब किसी तरह की इसमें आप बेइमानी मानते हैं, अगर कोई तथ्य मेरे सामने आएंगे तो मैं निश्चित रूप से उसकी जांच करा लूंगा। हमें बेइमानी रोकनी है, हमें बेइमानी को बढ़ावा नहीं देना है। यह हमारी मंशा नहीं है। इसमें जो छूट दी गयी है, माननीय, इसी अधिसूचना में, वह 2 तरह से है, एक तो पीछे बैठने वाली सवारियों को हैलमेट से छूट दी गयी है। दूसरे, पगड़ी पहने हुए सिख चालकों के मामले में शिथिलता कर दी है। यह राज्य सरकार ने शिथिलता प्रदान की है। पगड़ी से मतलब, इसमें सिख शब्द का प्रयोग किया गया है। जो छूट दी है, मुझे क्षमा करेंगे, उसमें सिख का समावेश किया गया है। लेकिन अगर आप यह महसूस करते हैं कि साफा बांधने वाले व्यक्ति जैसे हमारे माननीय विधायक बैठे हैं और लोग बैठे हैं, इनको भी इस श्रेणी में डाला जाना चाहिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं इस बात के इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा कि माथे पर अगर पगड़ी बांधकर के आदमी चल रहा है तो उसको पहले आगाह किया जाना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : पगड़ी का चलन बढ़ेगा, अच्छा रहेगा, साहब।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पगड़ी भी उस तरह की, नहीं, कुछ समय के लिये। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। महिलाएं भी स्कूटर चलाती हैं, अगर उनको कहीं जबरदस्ती की जाती है, ज्यादती की जाती है तो हम पुलिस वालों से यह कहेंगे कि उनसे आग्रह करें, तत्काल कोई जुर्माना वसूल नहीं करें और उनको भी इस फोल्ड में लाए कि वे भी इसको पहनकर चलें। इसलिये मैंने स्पष्टीकरण किया है, यह इतनी ही जानकारी देना चाहता हूं।

डा. चन्द्रभान : ये लागू नहीं कर पाये, आपने लागू कर दिया, बस यही दिक्कत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, दिक्कत यह नहीं है। मैं तो केवल एक ही जानकारी करना चाहता हूं कि जिस समय आपने इस आर्डर को लागू करने के लिये प्रेस विज्ञप्ति निकाली या प्रेस वालों को कहा, उस दिन से लेकर आज तक, एक मई तक इन हैलमेट्स की कीमत में कितनी वृद्धि हुई? उसकी आप जांच कर लें, उसका लाभ किसने उठाया?

श्री सभापति : यह तो करवा लेंगे, करवा लेंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कीमतों की जांच करवाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जगह-जगह कम्पनी की नहीं, बल्कि फुटपाथ पर लोगों ने जगह-जगह इसकी बिक्री शुरू की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह ठीक है। (व्यवधान) यह जो आप कह रहे हैं, बिलकुल सही है कि जगह-जगह लोग ढेर लगाकर बैठे हैं। वे ढेर एक महीने में ही लगे हैं, पहले नहीं थे ये ढेर।

श्री रामनारायण चौधरी : डिमाण्ड बढ़ गयी, डिमाण्ड और सप्लाई का मामला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही तो मैं कह रहा हूं। (व्यवधान) मेरी सुन लीजिये, रामनारायणजी। डिमाण्ड और सप्लाई के बीच में ही गवर्नमैंट आती है। डिमाण्ड अगर बढ़ी हुई हो और सप्लाई कम हो तो उस समय ही गवर्नमैंट पिक्चर में आती है, बाकी गवर्नमैंट पिक्चर में नहीं आती है।

श्री सभापति : वह तो बात हो गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 5 रुपये की चीज अगर आप 12 रुपये में बेचें तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने वाला कौन होगा? गवर्नमैंट ही प्रोटेक्ट करेगी। इसलिये इस आधार पर जांच करवा लें, आपको अपने आप ही सारी बातें आ जाएंगी।

श्री सभापति : यह करवा लेंगे।

(17.15 बजे)

(श्री देवेन्द्रसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये आ गये, बिना हैलमेट के ही आ गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यातायात पुलिस, जयपुर ने एक विज्ञप्ति निकाली है कि आज से हैलमेट अनिवार्य है। इसमें लिखा है कि एक मई से सभी दुपहिया वाहनों के लिये हैलमेट अनिवार्य होगा और जो नहीं पहनेगा उसको मोटर व्हीकल एक्ट 129/177 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। एक फोटो दे दिया हैलमेट का कि विशेष तौर पर इस डिजाइन का हैलमेट ही लागू होगा। यह क्या इंगित करता है? इस स्पेस्फिकेशन, इस फोटो जैसा हैलमेट एक ही कम्पनी बना रही है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि जिस दिन डी.जी. साहब पहली बार प्रेस कांफ्रेंस करते हैं उस वक्त जिस हैलमेट को वे कहते हैं कि इस तरह का हैलमेट होना चाहिए, आपका सारा पुलिस विभाग उसी हैलमेट को हैलमेट मान रहा है। दूसरा हैलमेट कोई मानता ही नहीं है। एक ही कम्पनी का पक्ष लेने का काम आप कर ही रहे हैं और इसलिये रेट बढ़े हुए हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने रुल्स में स्पष्ट किया है कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निहित निर्देशों के अनुरूप सुरक्षात्मक टोप पहनेगा। यह हमने तय नहीं किया, यह रुल्स में प्रोविजन तय किया है। पुलिस वालों ने इसको नहीं किया है। फिर भी आपको, किसी को आपत्ति है तो कुछ समय के लिये मैं इस बात को रिलैक्स करता हूं कि वह किसी भी प्रकार का, अगर पहनकर आएगा। यह नहीं कि वह एक टोपी, धूप-छावं की टोपी लगाकर चल देगा हैलमेट पहनकर के आएगा तो उसका चालान नहीं किया जाएगा, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खान। (व्यवधान) बिराजिये प्लीज, बिराजिये, आपके साफा है, हैलमेट के कहां चक्कर में पड़ रहे हैं? बिराजिये, बिराजिये।

श्री रामलाल जाट : उपाध्यक्ष महोदय, साफे वाला ही मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं साफे वाली ही बात कर रहा हूं, एक मिनट। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि सिक्ख समुदाय वाले ही साफा लगा सकते हैं और उनके हैलमेट जरूरी नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तो फिर जो भी साफे वाले हैं उनको भी यह छूट दी जाए क्योंकि साफे के ऊपर हैलमेट नहीं लगता है। साफे को अलग रखकर फिर हैलमेट लगाकर हम जाएं कहीं तो फिर वहां जाकर हैलमेट खोलने पर सिर ओपन हो जाता है। इसलिये साफे की छूट दी जाए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपके सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खानजी।

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

श्री रमजान खान (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज विद्युत के ऊपर चर्चा चल रही है, मैं भी अपने आपको इसमें सम्मिलित करते हुए मेरे विचार आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहूंगा। नियामक आयोग का गठन पिछले वर्ष हो गया था और उस पावर बिल के अन्दर मंत्री महोदय ने यहां पर विधान सभा में कहा था कि

(श्री रमजान खान)

3 श्रेणियां बनेंगी। उसके हिसाब से 3 श्रेणियां भी बनाई। मैं इसलिये इसको थोड़ा वापस दोहराना चाहता हूं, हमारे विद्युत मंत्री जी ने अभी बिजली का जो एक नंगा तार था, एक हाथ से पकड़ा उसको। उस नंगे तार को एक हाथ से पकड़ने के बाद कहीं अर्थ हो गया तो उसका क्या अंजाम होता है, वह आप सभी माननीय सदस्यगण जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक वितरण का सवाल है, वितरण में तो कई कम्पनियां आगे आयी हैं। वितरण वे लेने के लिये तैयार हैं और आप वितरण निजी कम्पनियों को दे रहे हैं। जब निजी कम्पनियों को वितरण दे देंगे तो यह निश्चित तौर पर मान लीजिये कि हमारी विद्युत दरें विद्युत निजी कम्पनियां बढ़ाएंगी। आज एक साल 5 महीने के अन्दर 3 बार आपने विद्युत दरें बढ़ा दी और अब निजी कम्पनियां इस वितरण सैक्शन में आएंगी तो निश्चित रूप से और भी दरें बढ़ाएंगी। तो मेरा ऐसा विचार है कि गांव में कृषि कनेक्शन लेना तो लोग-बाग भू ही जाएंगे, फिर कृषि कनेक्शन लेने की कोई सम्भावना नहीं होगी।

जहां तक उत्पादन का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, उत्पादन देने के लिये भी आपने निजी कम्पनियों को इन्वाइट किया है, परन्तु उत्पादन लेने के लिये अभी तक कोई निजी कम्पनी तैयार नहीं हुई। मेरा ऐसा विचार है कि कोई निजी कम्पनी तैयार भी नहीं होगी। निजी कम्पनी तैयार नहीं होगी तो उत्पादन सरकार को अपने हाथ में रखना पड़ेगा। उत्पादन को हाथ में रखने के बाद में वितरण, जिस निजी कम्पनी को आप देंगे, उसके साथ किस तरह चलेगा, मेरी समझ से बाहर है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उड़ीसा में 13 साल हो गये, उपाध्यक्ष महोदय, इस आयोग को लागू किये हुए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एक भी कृषि कनेक्शन उड़ीसा राज्य के अन्दर अभी तक 13 साल में नहीं लिया है। आपको विश्वास नहीं हो तो आप पता लगा लें।

डा. चन्द्रभान : 13 साल नहीं हुए हैं, अभी करीब चार साल या तीन साल ही हुए हैं। 13 साल नहीं हुए।

श्री रमजान खान : 13 साल हो गये, साहब, उड़ीसा में इस अयोग को लागू हुए। शायद मैं गलती पर हूं तो क्षमा दीजिए। मगर कृषि कनेक्शन वहां पर लेना बंद है, लोगों ने बंद कर दिया। रेट्स इतनी हाई हो गयीं कि कृषि कनेक्शन लेना वहां पर बंद हो गया। आज जैसे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यह एक आत्मघाती कदम आपने उठाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस आत्मघाती कदम के चलते काश्तकारों के ऊपर तीन बार तो आपने चार्ज बढ़ा दिया और जैसे ही यह वितरण

(श्री रमजान खान)

आप किसी निजी कम्पनी को देंगे, यह और बढ़ेगा। आपके साढ़े तीन साल बाकी रहे हैं और इन साढ़े तीन साल के अन्दर आपका धुजते-धुजते हाथ कहीं अर्थ से लग गया तो अर्थ में लगते ही क्या नतीजा निकलेगा, आप खुद सोच लो। यह आप भी सोच लो और आपके माननीय सदस्य जो यहां पर विराजमान हैं, वे भी सोच लें। यह राजस्थान की जनता के साथ अहित हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आठ साल में इतने काम कराये, माननीय मंत्री महोदय, जिनकी कोई तुलना नहीं परन्तु एक प्याज और आलू के कारण वह करंट ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार धराशायी हो गयी। सिर्फ प्याज और आलू पर। यह बिजली का करंट आपकी सरकार को ऐसा लगेगा, आज कहकर जा रहा हूं, 2000 है, आज 2000 को इस बिजली की बहस पर बोल रहा हूं, मेरी बात को आप याद रखना, यह रिकार्ड हो रहा है, ऐसा करंट लगेगा, माननीय मंत्री महोदय, वह की वह दशा हो जाएगी जैसे बी.जे.पी. की दशा प्याज के कारण हो गयी थी। (व्यवधान) यह आप मानो या नहीं मानो, पिछले डेढ़ साल में जब से माननीय मंत्री महोदय आये हैं, जबकि आप गांव के रहने वाले हैं, गांव के अन्दर तो सात बजे से लेकर दस बजे तक हमेशा लाइट बंद रहती है। सुबह छह बजे से लेकर नौ बजे तक लाइट बंद रहती है। शाम को बच्चे पढ़ते हैं, उनके पढ़ाई का समय है, वह इनको टाइम पर मौका मिलता नहीं है और लालटेन की रोशनी में जैसे पहले पुराने जमाने में पढ़ा करते थे, वैसे पढ़ना पड़ता है। सुबह-सुबह हमारी औरतें काम पर चली जाती हैं, सुबह छह बजे से नौ बजे तक पानी भरना चाहती हैं लेकिन बिजली आती नहीं है इसकी वजह से बहुत तकलीफ होती है। और कृषि के लिए जो आप आठ घंटे की बात कह रहे हैं, वह बिलकुल ही गलत है। कहीं तीन घंटे, कही चार घंटे, कहीं पांच घंटे, कहीं छह घंटे से ज्यादा बिजली किसी भी कीमत में, मंत्री महोदय, मिली नहीं है। आप मानें तो आपकी मर्जी है, नहीं मानें तो आपकी मर्जी है, मैं तो जो वास्तविक बात है वह आपके माध्यम से कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अपनी मीटिंग के अन्दर जब अजमेर आये थे तो हमने कहा था कि डोमेस्टिक कनेक्शन में बहुत टाइम लगता है। तो आपने नियम बना दिये कि जो भी रूरल एरिया में रहेगा वह 1200 रुपये के हिसाब से फीस भरेगा और उसको डिमांड नोटिस दे दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 1200 रुपये आपने कर दिया वह तो ठीक है, हम मानते

(श्री रमजान खान)

हैं परन्तु आपने साथ-साथ यह शर्त लगा दी कि जब तक पटवारी का प्रमाण-पत्र नहीं होगा आबादी भूमि का, आबादी का पट्टा तब तक आपको कनेक्शन उस हिसाब से नहीं मिलेगा। अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पटवारी को ढूंढना और उस जमीन का पट्टा ले जाकर बिजली विभाग को देना यह कितनी बड़ी मुश्किल बात है, यह आप खुद सोच सकते हैं। बहुत से गांव तो ऐसे हैं, आप खुद स्वयं जानते हैं कि जिनमें 100-100, 150-150 साल से लोग रह रहे हैं, उनके पास आबादी के पट्टे बिलकुल ही नहीं है। वे आबादी के पट्टे कहां से लेकर देंगे, यह आपके विचार करने की बात है। सबसे मोटी बात तो अजमेर के चारों तरफ के क्षेत्र जो पेरिफेरी नियम में आ गये हैं, मंत्री महोदय, पेरिफेरी नियम के लिए तीस वर्ष पहले यह बंदिश लग गयी कि कोई आबादी के पट्टे इन ग्राम पंचायतों को नहीं मिलेंगे, जिलाधीश इनको आबादी के लिए कोई जमीन नहीं देगा। वे आबादी के पट्टे कहां से लाकर दें और अपना डामेस्टिक कनेक्शन लें, इस सम्बन्ध में भी आपको विचार करना है। इन ग्राम पंचायतों के लिए बहुत ही मुश्किल की बात आती है। मेरा तो आपसे निवेदन है और सुझाव है कि इसका प्रमाण-पत्र जैसे पूर्व में ग्राम पंचायत का सरपंच देता था, उसी तरह से ग्राम पंचायत का सरपंच प्रमाण-पत्र यदि दे दे तो मैं समझता हूं कि इससे काश्तकारों को बहुत सहुलियत होगी। पटवारी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नक्शा पूरा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरपंच को जितना मालूम है उतना पटवारी को मालूम नहीं है इसलिए पटवारी की शर्त को इसमें से हटाने के लिए भी आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मीटर और मीटर बॉक्स नहीं हो तो भी आपने इसमें यह शर्त रखी है कि आप डिमांड नोटिस दे देंगे और पैसे भर देंगे और चार-महीने के अन्दर-अन्दर मीटर आपको लगाना अनिवार्य होगा। उसमें आपने शर्त रख दी पचास यूनिट देने की। बहुत अच्छी आपने यह पालिसी रखी है। उसके बाद में भी अगर मीटर नहीं मिले तो फिर आप 75 यूनिट दे दो, पांच-छह महीने और निकल सकते हैं। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, हम जब भी कनेक्शन लेने के लिए जाते हैं तो इनके बिजली विभाग वाले कहते हैं कि हमारे पास मीटर नहीं है इसलिए आपको डिमांड नोटिस नहीं दिया जाएगा। हम आपके उस सर्कुलर का हवाला भी देते हैं परन्तु आपके अधिकारी इस बात को सुनते नहीं हैं और कहते हैं कि स्टोर में मीटर नहीं हैं इसकी वजह से हम आपको कनेक्शन नहीं देंगे। जो आपने रियायत गांवों के अन्दर काश्तकारों को दी है उस रियायत को गांव वाले मानते नहीं हैं। मैं आपका ध्यान माननीय उपाध्यक्ष माहोदय के माध्यम

(श्री रमजान खान)

से दिलाना चाहता हूं, मंत्री महोदय, कि भिनाय के क्षेत्र में हमारे एम.पी. और एम.एल.ए. फण्ड से एक साल पहले हमने डी.पी. रखने के लिए, गांव में बिजली पहुंचाने के लिए पैसे जमा करा दिये। एक साल पहले वे पैसे आपके विभाग के पास पहुंच गये परन्तु फिर भी मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि भिनाय क्षेत्र में पांडोलाई, ढाणी, एकलसिंगा, बालाजी, सियालभाटा, खरणाखेड़ा, शिव मंदिर, मदनपुरा, गोवाड़ी की ढाणी इस तरह के कई गांव हैं जहां पर आपके विभाग वाले बिजली के कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। पहले तो यह बात थी कि हमारे पास डी.पी. के पैसे नहीं हैं। जब डी.पी. के पैसे एम.पी. और एम.एल.ए. फण्ड से उनको दिला दिये और पैसे इनके पास पहुंच गये फिर भी वे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में आप कुछ कार्यवाही करें।

अब दूसरी बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय कि अजमेर शहर के पास ग्राम बंध्या, घुनाबाई और रसूलपुरा ये एक तरह से शहर से मिले हुए हैं। इन तीनों ही गांवों में, मंत्री महोदय, आधे गांव में तो बिजली शहर की मिलती है और आधे गांव में बिजली बाहर के ग्रामीण फीडर से देते हैं। सामने जो मकान हैं वहां पर तो लाइट जलती रहती है और उसके दूसरे वाले मकान के अन्दर लाइट बुझी हुई रहती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन तीनों ही गांवों रसूलपुरा, घुनाबाई और मदारपुरा में आधी बिजली जो बाकी रह गयी है उसको शहर से जोड़ दिया जाए तो यह जो आपस में भेदभाव है यह खत्म हो जाएगा। इसी तरह से मोहमी और गोवानी में आधे गांव में तो आप किशनगढ़ से बिजली दे रहे हैं और आधे गांव को श्रीनगर फीडर से दे रहे हैं जबकि श्रीनगर फीडर बहुत दूर है और किशनगढ़ फीडर नजदीक ही है। पहले मोहमी और गोबानी गांव को पूरी की पूरी बिजली किशनगढ़ फीडर से मिलती थी। अब पता नहीं क्यों आधे गांव को आपने नसीराबाद में डाल दिया है। मेरी समझ में बात नहीं आती है। किशनपुरा नाम के गांव का भी यही हाल आपने किया। पहले पूरी की पूरी बिजली गनायड़ा से मिलती थी, अब आप आधे गांव को तो गनायड़ा से दे रहे हो और आधे गांव को सराधना से दे रहे हो जबकि बिजली का लोड गनायड़ा फीडर के ऊपर है ही नहीं। इसको आधा-आधा क्यों चेंज कर दिया, इसका मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। इसी तरह से अराई को पहले किशनगढ़ से सप्लाई होती थी, किशनगढ़ से अराई बिलकुल पास में है और अब आपने अराई को ठेठ पाटन से ले जाकर जोड़ दिया। पाटन से जोड़ने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। पाटन दूसरे जिले का गांव है और किशनगढ़ बिलकुल

(श्री रमजान खान)

अराई के पास में है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में भी आप विचार करें।

दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने गत बजट सैशन में यह घोषणा की थी कि जिन्होंने भी नर्सरी योजना के तहत डिमांड नोटिस जमा करा दिये हैं उनको तीन महीने के अन्दर-अन्दर बिजली मिलेगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में होगरा के अन्दर काश्तकारों ने अपनी जमीनों को बेच-बेचकर, ईमानदारी से कह रहा हूं, मंत्री महोदय 15 लाख रुपये एक ही गांव के चार-पांच काश्तकारों ने नर्सरी योजना में जमा कराये। बारंबार कहने के बाद भी आज तक सुनवाई नहीं हुई और आज एक साल और तीन महीने बीत गये डिमांड नोटिस को जमा कराये हुए, फिर भी कनेक्शन नहीं दिया गया। मंत्री महोदय, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है?

इसके साथ-साथ, मंत्री महोदय, आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं कि 23.3.1999 को गांव अजयसर का खम्भे और ट्रांसफार्मर लगाने का ठेका हो चुका था और डिमांड नोटिस एक साल पहले ही जमा हो गये थे। डिमांड नोटिस एक साल पहले जमा होने के बावजूद भी वह ठेकेदार न तो उस गांव में आया और न उस गांव वालों को कनेक्शन मिला। खम्भे और ट्रांसफार्मर सब काश्तकारों ने अपने खर्चे से ले जाकर उस गांव में डाल दिये हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस तरह की अनियमितताएं आपके विभाग में जो हो रही हैं, उनको आप देखें।

इसके साथ-साथ आप जिला हैडक्वार्टर पर चीफ इंजीनियर बैठाते हैं, हमारे अजमेर जिले में उनके माध्यम से जो मीटिंग आप आयोजित कर रहे हैं उसका नतीजा काफी अच्छा निकला है। उसकी वजह से विधायक अपनी काफी समस्याएं चीफ इंजीनियर को बताते हैं और उससे कुछ फायदा भी हुआ है। मैं यह चाहता हूं कि यह व्यवस्था लागू रहे। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगत सिंह दायमा।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है जिसके बिना आज कुछ भी सम्भव नहीं है। लोग सच ही कहते हैं कि जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की जरूरत होती है और आज के युग में तीनों ही चीजें काफी हद तक बिजली पर आधारित हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, सच बात है कि यही है। भूख और भूख से जुड़ी हुई दुनिया की सारी समस्याएं, प्यार, मोहब्बत सब इस पापी पेट के कारण है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम विकसित देशों की तरफ देखते

(श्री जगत सिंह दायमा)

हैं, आज हमारे मन में भी तमन्ना होती है कि जैसे विकसित देश चन्द्रमा पर जाने की बात करते हैं, मंगल ग्रह पर जाने की बात करते हैं और जहां जाकर कहते हैं.(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी भूमिका बांध रहे हैं फिर तो ये घण्टे भर तक बोलते ही रहेंगे। इस भूमिका की जरूरत नहीं है, हुजूर, सीधे बिजली पर आइये।

श्री जगत सिंह दायमा : आ रहा हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : ये नहीं आएंगे तो मैं रोक दूंगा। बन्द कर दूंगा।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज दुःख इस बात का है कि जिस बिजली की बात मैं कह रहा हूं, वह रोटी से जुड़ा हुआ सवाल है। हमारे देश में जहां हम रहते हैं, हम कह रहे हैं इस बात को। विकसित देशों को देखते हैं तो कोई चन्द्रमा पर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। परन्तु चन्द्रमा पर वे इसलिए जा रहे हैं कि उनके माइंड है, दिमाग है। आज हमारा व्यक्ति सबसे पहले यह सोचता है कि कल जो सुबह होगी अगर मुझे काम नहीं मिला या अच्छी खेती नहीं हुई तो हमें भोजन कहा से मिलेगा। जो व्यक्ति इस सोच में डूबा हुआ है कि हमारा पेट कहां से भरेगा, वह चांद पर जाने की बात क्या सोच सकता है? मैं इस तरह से इसको जोड़ना चाहता हूं, माननीय राठौड़ साहब।

(17.32 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, इस कृषि प्रधान देश में विशेषकर के किसानों को अगर सस्ती बिजली दी जाए तो यह सब कुछ सम्भव हो सकता है। परन्तु, माननीय सभापति महोदय, आज जो कुछ भी हो रहा है वह इस तरीके से सोचा जा रहा है कि जैसे कोई दुकान लगा रहे हैं और दुकान लगाकर हम देख रहे हैं कि हमें प्रोफिट है या नहीं। सभापति महोदय, मैं विशेष कर इस बात की तरफ ध्यान देना चाहता हूं कि इसको दुकान की तरह से न आंका जाए, लाभ और हानि की तरह नहीं आंका जाए। इसको अगर आंका जाना है तो इस रूप में देखा जाना चाहिए कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भूखा नहीं सोये। इस तरह से आंका जाना चाहिए। पहले इस तरह की व्यवस्था थी। वन पोल स्कीम थी, खतम। "पहले आओ-पहले पाओ" खतम, कुछ नहीं। आज वे सारी स्कीमें नहीं हैं। हम पांच हॉर्स पावर का अगर कनेक्शन लगाते हैं, मोटर लगाते हैं तो पहले पांच पोल हमको फ्री दिये जाते थे, आज उलटा है। आज पांच पोल में प्रत्येक के लिए तीन हजार रुपये, 15 हजार रुपये तो ये हो गये और मान लीजिए चार पोल की अगर जरूरत है तो उनकी रेट होगी 11

(श्री जगत सिंह दायमा)

हजार रुपये। ग्यारह चौक चवालीस और पांच तिया पन्द्रह बराबर उनहतर और 600 रुपये प्रति पोल कितना हुआ, माननीय मंत्री महोदय? 65-65 हजार के कनेक्शन आप बिजली विभाग में रहकर किसानों को देना चाहते हैं और फिर कहते हैं यह देश समृद्धशाली हो। इसमें नौजवान हों...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : एक लाख एक-लाख, सत्तर हजार आपने पैसे नहीं...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह आपके समझ की बात नहीं है। मैं किसान हूं आप मनुवादी हो, बैठे रहो।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : आपको समझता हूं कौनसे वाद हो, यहां मत खुलवाओ मेरे से।

श्री जगत सिंह दायमा : आप प्रसाद से अपना पेट भरते हो, हम कमाकर भरते हैं इसलिए कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : मैं जानता हूं क्या कहते हो आप। मेरे से मत खुलवाओ यहां पर।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापतिजी, आज उस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि कितना महंगा यह सब कुछ हो गया है। सभापति महोदय, मैं एक दिन माननीय मंत्री महोदय के घर गया वहां पर एसई. साहब बैठे थे। उनसे मैंने डिस्कस किया। इन्होंने कहा कि आप मेरे एसई. साहब से डिस्कस कर लो। सभापति महोदय, एक किसान को पहले 100 मीटर पर एक खम्भा लगता था अब इन्होंने 90 मीटर कर दिया। चलो समझ में आ गयी कि तार ढीले हो जाते हैं इसलिए 90 मीटर कर दिया। मान लीजिए एक किसान है और उस किसान को जहां पर कनेक्शन देना है उसके बीच में रोड आ जाती है, सड़क आ जाती है, अब वह किसान क्या करे? स्टोन बीच में है, सभापति महोदय, दो पोल और उसके ठुक गये। अगर इस बात का जवाब माननीय मंत्री महोदय...(व्यवधान) माननीय राठौड़ साहब, ये हमारी सुन नहीं रहे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, मैं इनको यही कह रहा हूं आपको सुन लें।

श्री जगत सिंह दायमा : रोड बीच में आ गयी। उसमें रोड से पहले यह खम्भा, फिर रोड के कुछ मीटर पर फिर एक खम्भा, फिर जाकर कनेक्शन। उस किसान की क्या गलती है? उसके जब एक पोल सीधा आ रहा है, बीच में रोड आए, यह आए, इसका आप कुछ करें। उस किसान के ऊपर जब वह दूरी तय कर रहा है, 90 मीटर से कम दूरी है तो उसको तो एक खम्भा चाहिए। बीच में आपने रोड ला दी और कुछ ला दिया, कभी-कभी दो रोड भी आ जाती हैं, बीच में तो वह किसान कभी कनेक्शन ले ही नहीं सकता। सभापति महोदय, अब

(श्री जगत सिंह दायमा)

आगे तो और क्या करें? आप इलैक्ट्रिफाइड विलेज किसको मानते हो? गांव की सीमा में कहीं एग्रीकल्चर कनेक्शन हैं तो वह भी इलैक्ट्रिफाइड गांव हो गया। वह दूरी कितनी है उससे? डेढ़ किलोमीटर दूर है, उसमें 15 खम्भे लग गये। रोज-रोज गांव के लोग हमारे पास आते हैं। माननीय मंत्री महोदय, इसकी तरफ आप ध्यान दें। वहां 15 खम्भे लगे जब गांव में बिजली पहुंची। एक खम्भे की कीमत 11 हजार रुपये, तो कहां से गांव डेढ़-डेढ़, दो-दो लाख रुपये देकर बिजली लगाएगा? ये प्रैक्टिकल बातें हैं। मेरे मित्र जो चौधरी चरण सिंह के चेले हैं, मैं भी उन्हीं का चेला हूं, किसान से जुड़े हुए मुद्दे हैं, गांव से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अगर उसकी तरफ भी माननीय...

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : चौधरी चरण सिंह के चेले हो, काशीराम को छोड़ दिया क्या?

श्री जगत सिंह दायमा : देखिए, साहब, हमारा प्राइमरी स्कूल वही है और आज भी हम उसकी इज्जत करते हैं, इस बात को भूला नहीं जा सकता। प्राइमरी स्कूल का आज भी टीचर मिलता है तो मैं उसके पैर छूता हूं और आप मुंह दूसरी तरफ करके चले जाते हैं। There is difference between me and congressmen.

सभापति महोदय, पहले एक व्यवस्था थी तीन कनेक्शन पर एक पोल दिया जाता था और उसके बाद में 4,200 रुपये की रेट थी। अब वह बढ़ाकर 9 हजार रुपये कर दी। (व्यवधान) सभापति महोदय, अब आप पैसा तो खूब वसूल करना चाहते हो और लाभ भी कमाना चाहते हो। लाभ नहीं हो तो फिर ठीक है। परन्तु, सभापति महोदय, इस तरीके से गांव में जो आस लगाये हुए बैठे हैं पचास साल से कि हमारे गांव में भी बिजली आएगी, वह सपना तो पुरा होगा नहीं। आज यहां पर दोहरे मापदण्ड हैं। यहां स्कूल में जो लड़के पढ़ते हैं उनको शहरों में खूब बिजली मिलती है, गांव में बिजली मिलती नहीं। हम मंत्री महोदय से यह चाहते हैं कि गांव में जो बच्चे पढ़ें और कुछ भी नहीं तो सिंगल फेस की बिजली तो आप वहां उपलब्ध करा सकते हैं। आपको करानी चाहिए।

सभापति महोदय, आपने जो विद्युत नियामक आयोग लगाया है इसका हम शुरू से ही विरोध कर रहे हैं और इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इस नियामक आयोग में कोई जन प्रतिनिधि नहीं है। कौन इसमें जनरेशन कर रहा है? कौन ट्रांसमिशन कर रहा है? कौन डिस्ट्रिब्यूशन कर रहा है? उसकी रेट क्या होगी? क्या नहीं होगी? इसमें कहीं कोई न किसान का प्रतिनिधि है न जनता का प्रतिनिधि है न सरकार का प्रतिनिधि है इसलिए मैं निवेदन करता

(श्री जगत सिंह दायमा)

हूं कि अगर इसको छोड़ा जाए तो एक बार पुनः इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, यही नहीं, छोटी-छोटी ढाणियां अब बड़ी-बड़ी ढाणियां हो गयीं, गांव जैसे हो गये। अगर इसमें हम बिजली लेना चाहते हैं तो वह भी एक सपना ही हो गया है। बिजली कहां से उन ढाणियों में जाएगी जब आपने पोल्स की और सारी उसकी रेट इतनी महंगी कर रखी है? सभापति महोदय, इसलिए मैं इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसको दुकान नहीं समझें कि हमें लाभ-लाभ मिलेगा। अगर सरकार इस बात को सोचती है तो सबसे बड़ा दुःख है। अगर लाभ ही कमाना है तो बहुत-से ऐसे काम हैं जिनमें 100 प्रतिशत, 99 प्रतिशत आपको लाभ मिलेगा। परन्तु लाभ के लिए सारे काम नहीं किये जा सकते, दूसरी चीजें भी हैं जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। सभापति माहदेय, मैं चाहूंगा कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दे।

हमारे जो दूर-दराज के गांव हैं, जैसा मैंने निवेदन किया, गुवाड़ा है, चैनुपरा है, एक लालपुरा है, और भी कई छोटे-छोटे गांव जुड़े हुए हैं, सभापति महोदय, अब यहां बिजली पहुंच ही नहीं सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती? क्योंकि गरीब लोग हैं, भेड़-बकरी पालते हैं, खेती के लिए जमीन भी नहीं है। सभापति महोदय, ऐसे हालात में वो पैसा इकट्ठा कर नहीं सकते और वहां तक बिजली मिल नहीं सकती। इसके लिए कोई न कोई उपाय आपको सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में अभी ऐसे कनेक्शंस बाकी हैं जो बहुत पहले दे दिये जाने चाहिए थे। मैंने पिछली बार भी मंत्री महोदय से कहा था कि वे कनेक्शंस अभी तक नहीं दिये गये। नर्सरी के कनेक्शंस जिसमें लोग जमा करा चुके हैं, डिमांड नोटिस वगैरह सब आ गये, वो कनेक्शंस भी आज तक आपने नहीं दिये हैं। इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरे मित्र आजादजी मुझको जाते-जाते कह कर गये थे कि मेरे क्षेत्र की बात भी दो मिनट बोलना, तो मैं उसके बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, हम दो ही हैं एक पार्टी में और हम एक-दूसरे को देख लेते हैं कि या तो आप बोल लें या मैं बोल लूं। आपकी तरह 20-20, 15-15 बोलें और फिर भी हाथ खड़े करोगे कि मैं बोलूं। क्या बोलूं? अब थोड़े दिन पहले तो आप गये हो यहां से, क्या कर लिया आपने? मुझको बोलने ही नहीं देते हो आप बिलकुल इस तरह से।

सभापति महोदय, एक इन्होंने लिखा है कि विश्वविख्यात नीलखेड़ा के शिक्षण संस्थान में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की जाएगी। गुलपाड़ा

(श्री जगत सिंह दायमा)

नगर में, गुलपाड़ा, ककराला, खोरी, जगलपुर और पापड़ा में तार चोरी हो गये, वहां सात-आठ साल हो गये, शीघ्र नयी लाइन डाली जाए। ठेकरी में शीघ्र कनेक्शन दिये जाएं और झीतरेड़ी की दलित बस्ती में भी नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अगर आप लिखकर दे दोगे तो मंत्रीजी को याद रह जाएगा।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मैंने इस तरफ मंत्री महोदय का और सरकार का ध्यान इसलिए दिलाया है (व्यवधान) बस, एक मिनट और।

सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि हमारे साथी डा. चन्द्रभान और हम साथ निकले, किसान की लड़ाई लड़ी हमने और आज किसानों को इतनी महंगी बिजली मिल रही है। सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुःख होता है कि अन्य मंत्रीजी जाते हैं तो उनकी तो जय-जय बुलती है और मेरा भाई जाता है तो उसको सब काले झंडे दिखाते हैं। जबकि बड़े डाइनैमिक, बड़े होशियार सब तरह से वे हैं। जानबूझकर आपके साथ में यह साजिश की जा रही है। सभापति महोदय, मैं कह सकता हूं कि अगर सबसे ज्यादा काले झंडे राजस्थान में जनता ने दिखाये तो हमारे मित्र डा. चन्द्रभानजी को दिखाये, इसलिए कि यहां पर बिजली नहीं मिल रही, सस्ती बिजली नहीं मिल रही। इसलिए गांव की जो प्राब्लम है, किसान की जो प्राब्लम है, जो घरेलू बिजल की प्राब्लम है उसके ऊपर ध्यान दें। इसको दुकान नहीं समझें और बिना कहे ही संभल जाएं। अगर लाभ ही कमाना है तो बहुत-से ऐसे काम हैं जिनमें 100 प्रतिशत लाभ है। क्या वे काम करने के लिए आप तैयार हो? मेरे खयाल से मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ऐसे-ऐसे कर्म भी हो रहे हैं इस दुनिया के अन्दर। थाइलैंड है, ब्राजील है, दूसरे देश हैं, सभापति महोदय, जहां के लोगों ने इतना कर्ज ले लिया कि आज वहां के लोग अपनी माताओं और बहनों से वेश्यावर्ती करा रहे हैं रोटी के लिए, भूख के मारे यह काम तो जरूर एक ऐसा है कि जिसमें 100 प्रतिशत आपको लाभ मिल सकता है। इसलिए इसको लाभ और हानि से नहीं जोड़ा जाए, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान हथ-सफाईकर्मी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) विधेयक, 2000

श्री सभापति : माननीय स्वायत्त शासन मंत्री राजस्थान हथ-सफाईकर्मी नियोजन और

(श्री सभापति)

शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान हथ-सफाईकर्मी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। विधेयक को जिस रूप में हमें वितरित किया गया है उसका एक छोटा-सा अंश मात्र मंत्रीजी ने पढ़ा है। यह वैधानिक दायित्व हैं मंत्रीजी का, पूरा पढ़कर बताएं आप। यह आपने हमें वितरित किया है, आप मुलाहिजा फरमा लें।

श्री सभापति : यह पूरा विधेयक जब वितरित कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : "हथ-सफाईकर्मियों के नियोजन और साथ ही शुष्क शौचालयों के सन्निर्माण या उन्हें चालू रखने के प्रतिषेध और वाटरसील..."

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप विराज जाओ।

"हथ-सफाईकर्मियों के नियोजन और साथ ही शुष्क शौचालयों के सन्निर्माण या उन्हें चालू रखने के प्रतिषेध और वाटरसील शौचालयों के सन्निर्माण और रख-रखाव के विनियमन और उससे संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक।"

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब तो आपके समझ में आ गया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान हथ-सफाईकर्मी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आधा ही पढ़ा है, सभापति महोदय, देख लें आप।

श्री सभापति : माननीय सदस्य पहले पूरू पढ़ दिया।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्रीजी विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नो क्यों कहा आपने? आप चाहते हो क्या कि यह नहीं आए?

सभापति महोदय, मैं राजस्थान हथ-सफाईकर्मी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर आधा ही पढ़ा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब तो पूरा ही पढ़ा है। अब इससे ज्यादा पढूंगा भी नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। व्यवस्था का मेरा सवाल यह है कि विधेयक जो इन्होंने पुरःस्थापित किया वह तो कुछ और था और अब यह आज्ञा मांग रहे हैं कुछ और की। (व्यवधान) नहीं, आप देख लो। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट पढ़ना नहीं चाहते। मंत्री महोदय, हाथ से जो सफाई करते हैं उनसे इतनी घृणा है क्या, पूरा नाम क्यों नहीं लेते हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने अगर नहीं पढ़ा है और आपके पास लिखा हुआ है तो आप पढ़ दो जरा क्या लिखा हुआ है। नहीं, आप पढ़ दो जरा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जरा मेरी तरफ इधर आ जाओ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : काहे के लिए आ जाऊं? हमें जनता ने भेजा है, कोई आपकी वजह से नहीं आया हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जनता ने भेजा है तो जनता की जिम्मेदारी भी पूरी करनी पड़ेगी आपको। सभापति महोदय, आप देख लें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको जनता ने यों उड़ाया है फूंक से और हमें यहां भेजा है।

श्री सभापति : जो पुरः स्थापित किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो फिर जिम्मेदारी पूरी करो, मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जिम्मेदारी शाम को।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो पुरः स्थापित किया है बिलकुल सही है। (व्यवधान) यह राजस्थान हथ-सफाईकर्मी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) विधेयक, 2000....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, अब मेरे को कुछ नहीं कहना, उधर से मेरे को इशारा हो गया है, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री रामस्वरूप : यह शाम का इशारा हुआ है आपको, शाम को आने का। पधारना आप शाम को उनके यहां। वैसे ही नहीं है, हाजरी देनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री समरजीत सिंह। श्री रतनारामजी चौधरी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सभापति महोदय, चार सदस्यों के पहले मेरा नाम लिया जा रहा था, अब आप नहीं बोलने दें तो मैं जाऊं। सभापति महोदय, आपकी व्यवस्था के खिलाफ वाक आउट करके जाता हूं।

श्री सभापति : जो व्यवस्था है उसके हिसाब से बुलवा रहा हूं मैं। आप फिर भी अगर विरोध स्वरूप पधारना चाहें तो इच्छा है आपकी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जाओ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : क्यों? आपके कहने से नहीं जाऊंगा।

श्री सभापति : मैं व्यवस्था के हिसाब से बुला रहा हूं, फिर भी आप विरोध करके पधारना चाहें तो इच्छा है आपकी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : चार सदस्यों के पहले नाम पुकारा गया था, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : समय, समय।

श्री सभापति : श्री रतनारामजी चौधरी। श्री मांगीलालजी डांगा। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, इसके साथ ही मेरा आसन से विनम्र अनुरोध है कि सदन में संख्या बल के आधार पर कांग्रेस के तीन माननीय सदस्यों की जब चर्चा में भागीदारी हो जाए, वे भागीदारी निभाएं उसके बाद में प्रतिपक्ष के एक माननीय सदस्य का नम्बर आता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस क्रम से कांग्रेस वालों को आप चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम 155 हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : आज जितने माननीय सदस्य बोलने वाले हों कांग्रेस के उसी अनुपात में जितने हमारे भी बोलने वाले हों, अनुपात के आधार पर चलो तो ठीक रहेगा। संख्या तो है पर बोलने वाले ही नहीं है तो कहां से बुलाएंगे आप? हमारे साथ जो सूची दी है उसको ही देखो आप। कितने लोग थे उस वक्त? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : श्रीमान्, हम बहुत है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बोलने वाले क्यों नहीं हैं? हमारे कमी है क्या बोलने वालों की? (व्यवधान) हम तैयार बैठे हैं। तैयार हैं बोलने वाले।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : संख्या बल के आधार पर तय कर लें। (व्यवधान)

(डा. समरजीत सिंह)

जले हुए ट्रांसफार्मर्स को लेकर जोधपुर भी नहीं पहुंच पाता, वहां पर आने की बात तो दूर की है। इसी तरह स्टोर्स की व्यवस्था जिले लेवल पर कर दी जाए और उनकी मेन्टीनेंस के लिए भी व्यवस्था जिले लेवल पर की जाए तो इससे काफी फायदा होगा और समय की भी बचत होगी।

इसी तरह से अभी मैंने आपको बताया कि भीनमाल 220 के.वी. से बाड़मेर-धोरीमन्ना तक बिजली सप्लाई होती है। अगर एईएन. आफिस भीनमाल सिटी के लिए अलग कर दिया जाए और ग्रामीण इलाके में अलग कर दिया जाए तो इससे व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकेगी।

श्री सभापति : मंत्रीजी, आप जरा ध्यान दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनके लिए ही हम कह रहे हैं कि ज्यादा सब स्टेशंस बनाए जाएं।

श्री सभापति : नहीं, आप तो बहुत ज्यादा बिजिलेन्ट हो।

डा. समरजीत सिंह : एईएन. आफिस आप ग्रामीण एरिये में भी खोलें ताकि भीनमाल शहर और रूरल एरिये को अलग-अलग मेन्टेन किया जा सके।

इसके अलावा अकाल वर्ष में पानी की समस्या होगी, और है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा आपको कि जी.एल.आर. सूखे पड़े रहते हैं, पेयजल विभाग के पास जाते हैं तो एक ही शिकायत होती है कि बहुत विभाग कोआपरेट नहीं करता। इसके लिए आर्डिनेशन बिटवीन पी.एच.ई.डी. और आर.एस.ई.बी. सही किया जाए। टालने वाली बात होगी तो यह भी एक पेयजल की समस्या होगी और गम्भीर रूप लेगी। अभी भी गंभीर है। वहां पर अगर ट्रांसफार्मर छोटे हैं, वोल्टेज कम आ रहा है तो इसे प्राथमिकता से सुचारू किया जाए, हमें इस संकट से सामना करने में काफी मदद मिलेगी।

इसी तरह से रैगुलर कनेक्शन की बात है, भीनमाल और उस एरिए में अभी 87-88 तक के हो गये हैं। इसके आगे भी लोगों को काफी उम्मीद है, आप आगे जारी करावें तो सही रहेगा।

इसे अलावा अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह अकाल वर्ष है, किसानों को इस बार रबी में भारी नुकसान हो चुका है। जो फसल किसान बोता था उसका आधा भी इस बार उसने नहीं बोया है क्योंकि बिजली की कमी थी और डीजल की सेवा इन लोगों ने केन्द्र में बैठे हुए कर दी थी। अगर आप इस गर्मी में सही व्यवस्थित बिजली दें तो शायद ये खरीफ की अच्छी फसल ले सकें। अभी बाजरी वगैरह भी उगाई जाती है हमारे उस तरफ। अगर सही व्यवस्था हो तो किसान की कमर कहीं सीधी

(डा. समरजीत सिंह)

करने का इलाज हो सके। इतना ही कहना चाहूंगा, धन्यवाद।

(18.00 बजे)

श्री सभापति : श्री रतनाराम चौधरी।

श्री मांगीलाल डांगा : सभापति महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा था। माननीय सदस्य खड़े हो गये थे इसलिए मैंने शुरू करके सिर्फ आपको संबोधन करके वापस बैठ गया था।

श्री सभापति : तो अब आप इन्तजार कर लो, इनके बाद में दे देंगे।

श्री मांगीलाल डांगा : मैं सुबह से इन्तजार कर रहा हूं।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आज बिजली पर चर्चा हो रही है, मेरे जालौर जिले में विशेषकर हमारे रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में जो कुछ समस्या ज्यादा थी उसको थोड़ा हल करने के लिए हमारे विद्युत मंत्रीजी ने 19 तारीख को वहां का दौरा किया जिससे थोड़ी बहुत अधिकारी लोगों में फुर्ती आई और उस फुर्ती के कारण से लोगों को थोड़ी राहत मिली। रोजाना एक करोड़ रुपया खर्च करके हमारी सरकार ने किसानों को आठ घंटे बिजली दी थी उससे किसानों में बहुत बड़ी उम्मीद और आशा बंधी थी। गत वर्ष की उस उम्मीद से इस वर्ष भी लोगों ने फसल इस हिसाब से बो ली। गत वर्ष भी हमारे जिले में अकाल रहा था इस वर्ष भी भंयकर अकाल है, लेकिन फसल बो ली। बोने के बाद हमको बिजली का बहुत भारी संकट झेलना पड़ा है। जिससे किसान इस उम्मीद के साथ हमारे कपड़े नहीं फाड़ें कि बिजली मंत्री किसान का बेटा है। गत वर्ष उन्होंने जो अच्छी बिजली दी वह भी एक कारण बना होगा। कोई कारण से वे लोग जैसे-तैसे दो-तीन महीने चला पाये। परन्तु यह बिजली किसानों का एक मैन आधार है। क्योंकि, जैसा हमारे पूर्व भीनमाल से आने वाले एम.एल.ए. समरजीत सिंहजी ने भी कहा कि डीजल से कुछ छोटी-मोटी मशीनें लगाकर हम पानी निकालें वह बात भी नहीं रही। पहले जल स्तर ऊपर था, अब बरसात नहीं होने से काफी जल स्तर नीचे चला गया कुओं का और दिनों-दिन नीचे जाता जा रहा है। पांच-साढ़े सात या दस की हमारे वहां बिजली की मोटरें चलती थीं वहां अब लोगों ने ट्यूबवैल कराना शुरू कर दिया है और उसमें बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस, तीस-तीस हार्स पावर की मोटर लगानी शुरू हो गयी। इसलिए अचानक हमारे ग्रिडों पर लोड बढ़ गया। हमारे रानीवाड़ा में 132 के.वी.ए. का स्टेशन है उस पर भी इतना लोड है कि किसानों को पूरे वोल्टेज नहीं मिल पा रहे हैं। मन्त्रीजी पधारे थे उन्होंने आश्वासन दिया था। विभाग में मैंने भी मंत्रीजी के मार्फत चिट्ठी लिखी

(श्री रतनाराम चौधरी)

जमाना था कि 2 पैसे की रेट बढ़ी थी तो लोगों में वड़ा भारी हंगामा हुआ था और बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था। अब इसमें रेट बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं रही। आप प्राइवेट सैक्टर को देने जा रहे हैं, वह तो व्यापारी है। व्यापारी नो प्रोफिट नो लॉस में धंधा करते हैं? प्रोफिट में धंधा करते हैं। किसान का जो बिजली का आधार है उसमें सरकार को घाटा भी उठाना पड़े और उठा रहे हैं और उठाना चाहिए, परन्तु रेट बढ़ाने की रत्तीभर गुंजाइश नहीं रही है इसलिए किसी प्रकार की रेट बढ़ाने का मानस नहीं बनाएं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रतनाराम चौधरी : हमारे वहां जिस तरह से रबी की फसल बोई जाती है इसी तरह से अकाल की स्थिति को देखते हुए लोगों ने जबरदस्त बाजरी बोई हुई है। हमारे वहां जमीन भी है। काश्तकारों के पास में, हर जाति चाहे मेघवाल हो, भील हो, राजपूत हो, मुसलमान हो 36 जाति के लोगों के पास में जमीन है। और जमीन में पानी भी है इसलिए बम्पर बाजरी बोई हुई है। जबरदस्त बाजरी की बुवाई की हुई है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, मांग है कि कम से कम 8-10 घंटे बिजली रैगुलर देनी चाहिए। अभी तो कई एरियाज में लोड कम हो गया, वह लोड हमको दीजिए, हमारे जिले को दीजिए ताकि किसानों को पिछली रबी की फसल में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वे कर सकें और पशुधन बचा सकें। भयंकर अकाल की स्थिति है इसलिए आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल डांगा।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सकार ने सत्ता सम्भाली और माननीय चन्द्रभानजी ने ऊर्जा विभाग सम्भाला पिछले लम्बे समय से बिजली के उत्पादन में बिल्कुल ध्यान नहीं देना, दयनीय आर्थिक स्थिति सरकार को मिली उसके बावजूद भी हमारे मंत्री माननीय चन्द्रभानजी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र के मुताबिक किसानों को 8 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई। माननीय सभापति महोदय, किसानों में यह विश्वास जागा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, यह किसान की हिमायती है, किसान की पार्टी है और अब किसान की सरकार है इसलिए हमें पूरी बिजली मिलेगी। मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मंत्रीजी जब भी हमारे साथ नागौर जिले में दौरा करते थे, उनकी भावना थी कि अगले वर्ष किसानों को 10 घंटे बिजली दी जाएगी। इससे मुझे पूरा विश्वास है। हमारे मंत्रीजी की भावना

(श्री मांगीलाल डांगा)

किसानों को 8 घंटे से ज्यादा बिजली उपलब्ध कराने की थी। परन्तु गत सीजन में, मेड़ता क्षेत्र में जिस प्रकार से बिजली मिली माननीय मंत्रीजी अच्छी तरह से परिचित हैं। पिछली फसल में किसानों को 4 घंटे से 6 घंटे बिजली मिली। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे भारत सरकार द्वारा सहयोग न करने की समस्या रही हो, चाहे अन्ता से बिजली का हिस्सा भारत सरकार के मंत्रीजी ने आपको उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं दिया और राजस्थान की मांग के बराबर आपूर्ति नहीं की, परन्तु राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र और कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त की है और बी.जे.पी. सरकार द्वारा की गयी विद्युत अव्यवस्था के प्रतिफल स्वरूप इस सदन में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से सत्ता में बैठाया है। इसलिए हमारी सरकार का दायित्व हो जाता है कि हमारे सामने भारत सरकार के सहयोग की समस्या हो और चाहे वित्तीय संकट हो, हम जनता को यह कह करके दिलासा नहीं दे सकते, किसानों को यह कह कर हम सांत्वना नहीं दे सकते कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं इसलिए बिजली हम नहीं दे सकते। हमें इसके लिए भरसक प्रयत्न करने पड़ेंगे। किसान को जो हमारे घोषणा-पत्र के मुताबिक हमने वायदा किया है 8 घंटे बिजली देने का, चाहे हम इसके लिए कितने ही प्रयत्न करें, चाहे हम निजीकरण को बढ़ावा देकर संसाधन जुटाए, चाहे हम वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय संसाधन लेकर हमारे बिजली तंत्र को मजबूत करें पर किसान को 8 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सदन में माननीय मंत्रीजी नहीं हैं फिर भी आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज सदन में राजस्थान की ऊर्जा की स्थिति पर विचार-विमर्श हो रहा है। राजस्थान की जनता और राजस्थान के किसान की नजर विद्युत मंत्रीजी की ओर है, सारे किसानों की नजर उन पर टिकी हुई है कि हमारे विद्युत मंत्रीजी ने सत्ता में आते ही हमें बिजली दी थी, एक सीजन में बिजली नहीं दे सके परन्तु आने वाले समय में 6 घंटे बिजली दी उसकी पूर्ति करने के लिए 10 और 12 घंटे बिजली देने की व्यवस्था करेंगे। आज यह किसानों की आकांक्षा है, पूरा भरोसा और विश्वास है।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जब सत्ता सम्भाली, हमारी पार्टी के घोषणा-पत्र को मुख्य सचिव महोदय को सौंप करके यह कहा कि घोषणा-पत्र में हमने राजस्थान की जनता, राजस्थान के किसानों

(श्री मांगीलाल डांगा)

और राजस्थान के मजदूरों के साथ जो वायदे किये हैं उनको हमें पूरा करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब मंत्री महोदय इस बहस का उत्तर देंगे तब आज राजस्थान की जनता को जरूर भरोसा दिलाएंगे और विद्युत व्यवस्था चाहे उत्पादन की हो, चाहे वितरण की हो, चाहे कृषि कनेक्शन देने की हो घोषणा-पत्र में हमने जो वायदा किया है उस वायदे को विद्युत मंडल में अमल कराएंगे, शीघ्र ही इसको लागू कराएंगे। मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि माननीय मंत्रीजी अपने उत्तर में राजस्थान की जनता को आज यह विश्वास दिलाएंगे।

सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नर्सरी योजना को बंद करने और नर्सरी योजना के लिये जो कनेक्शन दिये गये हैं उनको दो साल की अवधि पूर्ण हो जाने पर सामान्य कृषक की श्रेणी में परिवर्तन करने के लिये इसी सदन में माननीय मंत्रीजी ने घोषणा की थी। परन्तु जिन कनेक्शनों को दो साल पूरे हो गये हैं, विद्युत मंडल के सामान्य श्रेणी में परिवर्तन करने के आदेश अभी तक प्रसारित नहीं हुए हैं। किसान यह शंका कर रहे हैं कि बोर्ड ने ऐसा कोई निर्णय लिया है कि इनको परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसलिए शीघ्र ही आप इसके सम्बन्ध में वांछित आदेश घोषणा के मुताबिक जारी करवाएं।

सभापति महोदय, नर्सरी योजना को तो बंद कर दिया है, परन्तु जब अकाल की स्थिति देखी गयी, अकाल के समय में चारा योजना के नाम पर नयी योजना लागू की गयी और इस योजना में भी किसान से खर्चा लिया जा रहा है। लाइन का खर्चा, ट्रांसफार्मर का खर्चा सब पैसा किसान से जमा कराया जा रहा है और किसान से सामान्य दर से दुगुनी दर वसूल की जा रही है। यह भी व्यवस्था है कि किसान का जो आवेदन-पत्र है उसकी प्राथमिकता जिस दिन उसको कनेक्शन देने की आएगी उस दिन इसको सामान्य श्रेणी में बदल दिया जाएगा। इस प्रावधान के सम्बन्ध में अभी से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आदेश प्रसारित कराए। कहीं ऐसा नहीं हो कि जब समय आए ये सामान्य श्रेणी में नहीं बदले जाए। लोगों में यह शंका है, किसान ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बोर्ड यह चाहता है कि इसको सामान्य श्रेणी में नहीं बदला जाए। इस शंका को जल्दी दूर करना चाहिये। अकाल की स्थिति में आपने चारा योजना लागू की। होना तो यह चाहिये था कि जब अकाल में चारा उगाने के लिये हम कनेक्शन दे रहे हैं तो उसकी दर सामान्य दर से भी कम रखी जाती। इसलिये निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करके किसानों को राहत दिलाएं और इस पूरी योजना को

(श्री मांगीलाल डांगा)

आप कब तक जारी रखेंगे, इसके सम्बन्ध में भी आप जानकारी दें।

माननीय सभापति महोदय, चारा योजना के तहत हमारे क्षेत्र के किसानों ने डिमांड नोटिस जमा करा दिये हैं परन्तु उनको लम्बे समय से कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। जब अकाल समाप्त हो जाएगा तो मैं समझता हूं इस योजना का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिये शीघ्र ही कनेक्शन दिलाये जाएं।

इसके साथ ही माननीय मंत्रीजी ने हमारे क्षेत्र में गांव-गांव में हमारे साथ दौरा करके हमारी समस्याओं को सुना, उसके लिये मैं उनका बहुत आभारी हूं। फिर भी आज सदन के मार्फत मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ब्लाक बनाकर बिजली का वितरण किया जाता है तो मेड़ता में जो 132 के.वी.ए. का सब स्टेशन है। उसमें ट्रांसफार्मर की क्षमता इतनी नहीं है कि ब्लाक के अनुसार बिजली का समुचित वितरण हो इसलिये वहां पर 25 मेगावाट का ट्रांसफार्मर, 132 के.वी.ए. सब स्टेशन, यह शीघ्र ही लगाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमारे यहां 132 के.वी.ए. का पादुकलां सब स्टेशन, जसनगर का 132 के.वी.ए. का सब स्टेशन और मेड़ता रोड का 132 के.वी.ए. सब स्टेशन इनको शीघ्र ही चालू कराया जाए।

हमारे यहां मंत्रीजी की कृपा रही कि इन्होंने हमारे यहां 33/11 के सब स्टेशनों और 11 के.वी. लाइनो की स्वीकृति दी। परन्तु आज सामान के अभाव में यह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, इसलिये वहां पर शीघ्र ही मैटीरियल सप्लाई कराने की व्यवस्था करवायी जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक विशेष मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विद्युत मंडल के पास नर्सरी योजना में जमा डिमांड नोटिस लगभग तीन हजार हैं जिनमें कनेक्शन देना है। गत वर्ष की सामान्य श्रेणी जमा के जमा डिमांड नोटिस की संख्या जिनमें किसान को कनेक्शन देना है, वह आठ हजार है, गत चारा योजना में जमा डिमांड नोटिस जिनमें कनेक्शन देना है, वह संख्या दो हजार और चारा योजना में जो जमा आवेदन-पत्र हैं उन कृषकों की संख्या करीब साढ़े ग्यारह हजार है। यह मिलाकर कुल संख्या 25,000 हो जाती है। मंत्री महोदय ने बजट में 25,000 कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की थी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं पूर्ववर्ती भा.ज.पा. सरकार की तरह यह घोषणा सिर्फ स्पेशल योजना में कनेक्शन देने के लक्ष्य से टारगेट पूरे करने की घोषणा ही नहीं रह जाए, इसलिये इसमें आप सावधानीपूर्वक ध्यान रखें। आपने बजट में सामान्य कनेक्शन 25,000 देने के लिए घोषणा की है, उन कनेक्शनों को मिलाकर राजस्थान के कृषकों

(श्री मांगीलाल डांगा)

को 50,000 कनेक्शन मिलने चाहिये, इसकी पूर्ण व समुचित व्यवस्था की जाए।

मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा कि हरिदेव जोशीजी मुख्य मंत्री थे, उनके कार्यकाल में जिन कुओं पर कनेक्शन दिया गया उन पर एक-एक हार्सपावर पर एक खंभा फ्री दिया जाता था। उस टाइम किसानों ने 25 हार्स पावर, 10 हार्स पावर के आवेदन-पत्र भरकर कनेक्शन लिये थे, लेकिन बाद में कुछ कुओं में पानी कम हो गया तो निर्णय लिया गया कि जिन किसानों के यहां मीटर लगे हुए हैं उनसे मीटर के अनुपात में ही वसूली की जाए। न्यूनतम चार्जेज की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, वर्तमान में इस न्यूनतम चार्जेज की व्यवस्था को वापस लागू किया गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज हमारे क्षेत्र में ऐसे कुए हैं जिनमें दो घंटे का पानी एक घंटे का पानी है, किसी में चार घंटे का पानी है। वह किसान आज मिनिमम चार्जेज की राशि जमा नहीं करा सकता है और मजबूर हो करके उसको अपना कनेक्शन कटाना पड़ेगा। जो दो बीघा में, एक बीघा में खेती कर रहा है उसे महरूम होना पड़ेगा, इसलिये ऐसी योजना को शीघ्र ही बंद किया जाए।

सभापति महोदय, आज विद्युत मंडल में भारी घाटे की चर्चा हुई है, मैं कुछ बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय का कि विद्युत मण्डल में इन बातों पर आप समीक्षा करें। आज बिजली का जो लागत मूल्य है चाहे बाहर से खरीदते हैं चाहे हमारा उत्पादन है, वह आंकते हैं 23 रुपये, 24 रुपये, अर्थात् तीन रुपये चौबीस पैसे प्रति यूनिट की लागत आंकी जा रही है। राजस्थान में जब बिजली पहुंचती है उसका लागत मूल्य विद्युत मंडल के रिकार्ड के अनुसार एक रुपये 81 पैसा है एक रुपया 81 पैसा लागत मूल्य होने के बावजूद भी उसकी कीमत 3 रुपये 24 पैसे आती है, इतना ज्यादा खर्च किस मद में कहा हो रहा है, इसकी समीक्षा की जाए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसको रोकने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। विद्युत मण्डल ने कितनी बिजली उत्पादित की, कितनी बाहर खरीदी और कितनी बिजली किसानों को, उद्योगों को राजस्थान में सप्लाई की, आप इसका लेखा-जोखा और समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि विद्युत मंडल की बिक्री औसतन 48 परसेंट होती है, उसका बिलिंग होता है 52 परसेंट बिजली कहां जा रही है लीकेज में है, चोरी में है? मैं नहीं मानता कि इतनी भारी चोरी राजस्थान में होती है। यह जो किसानों पर आरोप लगाया जाता है चोरी का, मैं कभी उससे सहमत नहीं हूं। माननीय सभापति महोदय, इस व्यवस्था

(श्री मांगीलाल डांगा)

में यदि आप ध्यान देंगे, मैं भी इस बात को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज जो बिजली की छीजत है वह 40 परसेंट के लगभग है, चाहे रिकार्ड में विद्युत मंडल कुछ भी बताए। इस अव्यवस्था को आप रोकेंगे तो आपकी बिजली का जो लागत मूल्य है, मान्यता है मेरी की यह ढाई रुपये के लगभग आना चाहिये। तब न तो आपको बिजली का टैरिफ बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी और विद्युत मंडल का जो घाटा है उसकी भी पूर्ति होगी।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जयपुर शहर में वर्तमान में बिजली की छीजत 40 प्रतिशत है, जबकि जयपुर शहर की व्यवस्था को देखते हुए यह छीजत 7 और 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह छीजत को आज जयपुर में है वह सौ गांवों के बराबर है इसलिये इस बिन्दु पर समीक्षा की जानी चाहिये यह जो लीकेज है इसको रोक दीजिये। वास्तविकता में आप छीजत को पूरे राजस्थान में यदि 25 परसेंट पर ले आएंगे तो विद्युत मण्डल घाटे से भी उबर जाएगा और किसान को आठ घंटे बिजली देने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आज मैं इस बात का विरोध नहीं करता कि बिजली की चोरी रोकने के लिये विजिलेन्स की व्यवस्था होनी चाहिये। विजिलेन्स में आपने व्यवस्था यह कर रखी है, माननीय मंत्री महोदय, कि जो विजिलेन्स का केस आपका अधिकारी पकड़ेगा उसको प्रोत्साहन राशि देंगे। प्रोत्साहन राशि आप दीजिये, परन्तु प्रोत्साहन राशि कहां देनी चाहिये? यदि आपका उपभोक्ता नहीं है और बिजली की चोरी करके वह बिजली ले रहा है, ऐसा केस यदि आपका विजिलेन्स का अधिकारी पकड़ता है और आप प्रोत्साहन राशि देते हैं तो मैं उसको न्यायसंगत समझता हूं। परन्तु आपका अधिकारी उस उपभोक्ता के पास पहुंचता है जिसे आपने कृषि का कनेक्शन दिया, उससे एल फार्म लिया, मोटर जो कुए की है उसको इंजीनियर ने टैस्ट किया, 25 हार्स पावर की पायी और जब आपका विजिलेन्स का इंजीनियर वहां पहुंचता है वह मोटर कुए में पड़ी-पड़ी 40 हार्स पावर, 60 हार्स पावर की हो जाती है। इस बात की सत्यता को कैसे प्रमाणित करेंगे? मैंने माननीय मंत्री महोदय से आदेश करवाये, पुनः जांच की और उस जांच में पाया गया कि वास्तव में जो किसान ने मोटर लगायी थी वही मोटर थी। इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए जो उपभोक्ता के यहां आप किसी तरह की प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं चोरी रोकने के लिए, उसको तुरन्त बंद कीजिये।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय सभापति महोदय, जितनी देरी से मुझे मौका दिया

(श्री मांगीलाल डांगा)

गया उतना समय देकर कुछ रियायत मेरे साथ करो।

मैं ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा मंत्रीजी कि आज जो बोर्ड में खरीद की जा रही है सामान की, उसमें यह ध्यान नहीं रखा जाता कि हमारी एक योजना को पूरी करने के लिए कितने इंडेक्टर चाहिए कितने इंसुलेटर चाहिये, कितने ट्रांसफार्मर चाहिये। यदि ट्रांसफार्मर खरीदने हैं तो ट्रांसफार्मर का लॉट का लॉट खरीद लेंगे, इंडेक्टर खरीदने हैं तो इंडेक्टर का लॉट का लॉट खरीद लेंगे, खम्भे खरीदने हैं तो खम्भों के लॉट का लॉट खरीदेंगे। इस व्यवस्था से होता क्या है कि जिस सामान की आवश्यकता एक लाइन को पूरा करने के लिये अलग-अलग चाहिये वह नहीं होकर एक इंसुलेटर जो छोटा-सा आइटम है, उसके कारण से कई महीनों तक लाइन बंद पड़ी रहती है। इस व्यवस्था को भी आप सुनिश्चित करें और इसका सुधार आप अपने स्तर पर करें।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री मांगीलाल डांगा : सिर्फ पांच मिनट। सभापति महोदय, हमारे मंत्रीजी ने प्रयत्न किया और इनका हमेशा प्रयत्न रहा है कि राजस्थान में बिजली व्यवस्था अच्छी हो, भरपूर हो, सुव्यवस्थित हो। इसके लिये विद्युत सुधार विधेयक भी पारित हुआ। आज, माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप चाहे इस बोर्ड को बोर्ड के रूप में रखें, चाहे विद्युत सुधार के अनुसार जैसी कि आपने घोषणा की थी तीन कंपनियों में परिवर्तन करने की वैसा करें। आप अपने स्तर पर कार्यवाही करके जैसा राजस्थान के हित में उचित समझें वैसा निर्णय लें, परन्तु निर्णय शीर्घ ही लें। आज असमंजस की स्थिति बनी हुई है उससे बोर्ड को घाटा होगा और राजस्थान के उपभोक्ता को बिजली आपूर्ति में परेशानी होगी। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि यदि आप उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण के लिये अलग-अलग कंपनियां बनाना चाहते हैं, उन कंपनियों में जब आप बोर्ड आफ डायरेक्टर बनाएं तो अध्यक्ष हमेशा नॉन आफिशियल को बनाने की व्यवस्था करें ताकि उसमें जनता की सीधी भागीदारी हो। उस कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक तकनीकी अधिकारी जो कि प्रोफेशनल हो, उसको नियुक्त करें। इसी तरह से तकनीकी अधिकारी के निदेशक, तकनीकी निदेशक प्रोफेशनल और उस विषय के जानकार हों तो उसका हमें लाभ मिलेगा।

श्री सभापति : अब आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री मांगीलाल डांगा : एक मिनट, उदाहरण के तौर पर...

श्री सभापति : श्री किरोड़ी लालजी। अब आप विराजें।

श्री मांगीलाल डांगा : सभापति महोदय, एक छोटा-सा सुझाव...

श्री सभापति : आपने बहुत महत्त्वपूर्ण सुझाव दे दिये हैं।

श्री मांगीलाल डांगा : मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे जयपुर शहर में...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, किरोड़ी लालजी को पुकार लिया है। श्री किरोड़ी लालजी, बोलो न।

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय सभापति महोदय, सिर्फ एक सुझाव जो गांवों से जुड़ा हुआ है। आज जयपुर शहर में एक हजार अधिकारी और कर्मचारी आवश्यकता से अधिक पदस्थापित हैं और गांवों में न तो लाइनमैन है, न जेईएन. है। इसी तरह से जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर इन शहरों में आवश्यकता से अधिक अधिकारी नियुक्त हैं। उन अधिकारियों को आप गांवों में भेजकर ग्रामीण जनता को राहत दिलावें और उनकी बिजली की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करें। इसी आशा के साथ, साथ की कमी को ध्यान में रखते हुए, सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री किरोड़ी लाल।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : सभापति महोदय, विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने बिजली को बड़ा अच्छा मुद्दा बनाया था, मुख्य मुद्दा बनाया था। अभी बड़े प्यारे निराले सदस्य बोल रहे थे कि हमने घोषणा-पत्र तैयार किया और घोषणा-पत्र हमने चीफ सैक्रेटरी को थमा दिया, चेयरमैन को थमा दिया, सब विभागों के अधिकारियों को थमा दिया। सभापति महोदय, इनका जो सुनहरा घोषणा-पत्र है, उसमें इन्होंने लिखा है कि कांग्रेस राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास करेगी। नवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य में 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। सभापति महोदय, इन्होंने कहा है कृषकों के बारे में कि कृषि कार्यों के लिये किसानों को आठ घंटे प्रतिदिन के हिसाब से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि कार्यों के लिये बिजली निरंतर एवं नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी तथा वोल्टेज का पूरा ध्यान रखा जाएगा जिससे किसानों की मोटरों को जलने से बचाया जा सके।

श्री अमराराम (धोद) : पांच साल में करेंगे।

डा. किरोड़ी लाल : सारी मोटरें फुंकने के बाद करेंगे। सभापति महोदय, इन्होंने कहा है कि कृषि कार्यों के लिये बिजली कनेक्शन हेतु सन् 1998 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को आगामी पांच वर्षों में बिजली दे दी जायगी। इसमें बड़े लुभावने नारे लगाये और राजस्थान की जनता को बहकाया, उसको फुसलाया और बहकावे में लेकर, छलावे में लेकर प्रचण्ड बहुमत लेकर विधान सभा में आ गये। सभापति महोदय,

(डा. किरोड़ी लाल)

मैं आज सुबह से चर्चा सुन रहा हूं। 90 परसेंन्ट कांग्रेस के सदस्य जो बिजली पर चर्चा कर रहे हैं, वे सारे के सारे इस सरकार के प्रति असंतोष जाहिर कर रहे हैं। एक सदस्य तो यह कह रहे थे कि मैं तो मेरे इलाके में जाता हूं तो जनता ऐसी तैसी करने के लिये तैयार है। सभापति महोदय, यहां तक स्थिति हो गयी तो जो यह बाइबिल बनायी है, ऊर्जावान मुख्य मंत्री हैं, ऊर्जावान मंत्री हैं, यह बाइबिल में जो उन्होंने घोषणा की है उसकी पालना हो नहीं रही है। खुद कांग्रेस उन पदचिन्हों पर नहीं चल रही है। इन्होंने विद्युत उत्पादन बढ़ाने की जो बात कही है उस दृष्टि से इन्होंने कुछ काम नहीं किया। पंचवर्षीय योजना के अंत तक जो इन्होंने पांच हजार मेगावाट बिजली यूनिट बढ़ाये जाने की घोषणा की है, इनको सवा साल, डेढ़ साल का समय निकल गया, इन्होंने इस दृष्टि से कोई काम नहीं किया। कई बार ये सूरतगढ़ थर्मल पावर की बात करते हैं, सभापति महोदय, सूरतगढ़ थर्मल पावर की फर्स्ट स्टेज की जो फर्स्ट यूनिट थी उसको तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हमने ही चालू कर दिया था और जो उसकी सैकण्ड स्टेज थी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम हमारे राज में ही प्रारम्भ कर दिया गया था। उसमें पैसा हमने खर्च किया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया और सरकार के ऊर्जावान मंत्री बड़ी वाहवाही ले रहे हैं कि हमने सूरतगढ़ की सैकण्ड स्टेज तैयार कर दी और हमने उत्पादन बढ़ा दिया। यह असत्य है।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : सैकण्ड यूनिट फर्स्ट स्टेज की...

डा. किरोड़ी लाल : सैकण्ड यूनिट फर्स्ट स्टेज की...

डा. चन्द्रभान : उसका कोई काम आपने नहीं किया। कोई पैसा खर्च नहीं किया था। शुरूआत भी नहीं हुई थी। 20 महीने में से 17 महीनों में हमारी सरकार ने सब इंतजाम किये हैं।

डा. किरोड़ी लाल : फर्स्ट स्टेज की जो सैकण्ड लाइन है उसमें नहरों का निर्माण किया। ट्रांसपोर्टेशन का, रेल का किया सभापति महोदय, इन्होंने अपनी वाहवाही ली है, हमने बिजली उत्पादन में जो कीर्तिमान स्थापित किया मैं उसकी ओर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, 1990 से 1998 तक कुल क्षमता में वृद्धि जो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई वह 510.5 मेगावाट की हुई। किस तरह से हुई? ऊर्जा मंत्रीजी, कोटा की पांचवी यूनिट मार्च, 1994 में 210 मेगावाट...

डा. चन्द्रभान : यह पांचवी यूनिट कब चालू हुई?

डा. किरोड़ी लाल : 210 मेगावाट हमारे राज में हुई। 1994 में हुई।

डा. चन्द्रभान : सुमित्रा सिंहजी मंत्री थीं बटन दबाया था। उसका सब काम कांग्रेस के राज में 1989 में हो गया था। यह इनसे पूछिये जिस तरह से आप सूरतगढ़ की पहली यूनिट का क्रेडिट ले रहे हो न, वैसे के वैसे कोटा की पांचवी यूनिट की स्थिति थी।

डा. किरोड़ी लाल : इसी प्रकार से रामगढ़ की नवम्बर, 1994 में 3 मेगावाट, रामगढ़ की जनवरी, 1996 में 35.50 मेगावाट। सूरतगढ़, फर्स्ट यूनिट मई, 1998 में चालू की 250 मेगावाट। पन विद्युत 12 मेगावाट। इस प्रकार से हमने 510.5 मेगावाट हमारे राज्य में बिजली का उत्पादन बढ़ाया। 1990 से 1998 तक 5282 करोड़ का योजनागत खर्च हमने बिजली के उत्पादन में किया। सभापति महोदय, यह जो चर्चा कर रहे हैं, आपके इस मैनिफेस्टो में लिखा कि हम इतने गांवों को विद्युतीकृत करेंगे, इतने गांवों को लाभान्वित करेंगे। कांग्रेस के 40 साल के राज में 347565 कुओं को बिजली दी, इनका प्रति वर्ष का औसत बैठता है 9 हजार। 1990 से 1998 के आठ वर्ष के हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज में 27203 कुओं को विद्युत कनेक्शन दिया गया है और हमारा औसत बैठता है प्रतिवर्ष 26 हजार। हमारा औसत 26 हजार और आपका 9 हजार। सभापति महोदय, कांग्रेस के राज में वर्ष 1989-90 तक इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता थी 2711 मेगावाट 1997-98 तक हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता 3791 मेगावाट की हो गई विशेष आवंटन से इसमें 40 प्रतिशत राज्य के स्वयं के विद्युत गृहों से है। 1012, राजकीय भागीदारी के विद्युत गृहों से 940, केन्द्र द्वारा आंवटित क्षमता 1104, अतिरिक्त आवंटन 491, ऐसे आवंटन में विद्युत में जो हिस्सा है 204, इस हिसाब से 3791 मेगावाट विद्युत उत्पादित हुई।

सभापति महोदय, कांग्रेस के राज में विद्युत आपूर्ति 1982-83 से 1989-90 तक कुल 4189 करोड़ और हमारे राज में 1997-98 तक 9252 करोड़ यूनिट की हुई। हमने हमारे राज में 120 प्रतिशत वृद्धि रिकार्ड की है।

सभापति महोदय, कृषि क्षेत्र की ओर मैं ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कृषि क्षेत्र में वर्ष 1982-83 से 1989-90 तक सात वर्षों के कांग्रेस के शासन में विद्युत आपूर्ति हुई 1274 करोड़ यूनिट। वर्ष 1990-91 और 1997-98 के दौरान कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हमारे राज में 3017 करोड़ यूनिट। हमने हमारे राज में 137 प्रतिशत की बढ़ोतरी की।

सभापति महोदय, विद्युत प्रसारण तंत्र में भी हमने उल्लेखनीय कार्य किया। उल्लेखनीय कार्य क्या किया? कि भाजपा के शासन में 220 के.वी. की 2774 किलोमीटर लाइनों का निर्माण किया, 220 के.वी.ए. के 22 सब स्टेशनों का निर्माण किया, 132

(डा. किरोड़ी लाल)

मानूंगा कि वह चोर योजना तो बंद कर दी लेकिन महंगी चारा योजना चालू है। सभापति महोदय, बिजली की दरों में बेतहाशा बढ़त करके राजस्थान के किसानों पर पहला कुठाराघात किया है, यह राजस्थान की इस कांग्रेस और अशोक गहलोत सरकार ने किया। यह ऊर्जावान मंत्रीजी का परिणाम है कि किसान का बेटा होने के बाद भी बेशकीमती बिजली की दर बढ़ाकर किसानों के साथ भारी अत्याचार किया है।

सभापति महोदय, ये ढीले तारों के विषय में बहुत बोले थे। माननीय सदस्यों ने ढीले तारों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था जिसके कारण रोज जन-धन की हानि हो रही है। सभापति महोदय, आपने पढ़ा होगा, यह सदन में भी उठा होगा कि टी.बी. तहसील के पीर खेड़ा एवं राठी खेड़ा गांव में बिजली के तार ढीले पड़े थे, उसकी शिकायत विभाग को की। जिला परिषद् के सदस्य ने मामला जिला परिषद् में उठाया, यह प्रोसीडिंग में है, प्रोसीडिंग मंगवाकर देख सकते हैं। उसके तार सही नहीं किए तो डेढ़ सौ बीघा की खड़ी फसल जल गई, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए होती है। सभापति महोदय, मैं आपके थ्रू मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप किसान के बेटे हैं, तार ढीले पड़े हैं और इस कारण से 150 बीघा की फसल किसान की जल जाए, उसके लिए आपने क्या उपाय किया? मेरी समझ में आपने कोई उपाय नहीं किया। कम से कम आप इतना उपाय तो करते कि जो ढीले पड़े तार हैं इनको तो टाइट कर दें। आप ऊर्जावान हो, आप टाइट हो। मुख्य मंत्रीजी के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि मुख्य मंत्री तो बहुत टाइट है, बड़ा सख्त है, इतना जबर्दस्त कोई आज तक मुख्य मंत्री नहीं हुआ जो अब का मुख्य मंत्री अशोक गहलोत है। सारे मुख्य मंत्रियों को + + + बड़ा सख्त है। तो मैं सख्त मुख्य मंत्री और ऊर्जावान मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा आज रोज जो किसान के पशु मर रहे हैं, रोज जो किसान की फसल जल रही है, इन ढीले तारों से जल-जलकर किसान मर रहे हैं, आप इसमें निश्चित रूप से कोई न कोई सुधार करेंगे। विद्युत तारों के रख-रखाव के लिए अलग से कोई निगरानी प्रकोष्ठ का निर्माण किया जाए, ऊर्जा मंत्रीजी, मैं आपसे मांग करता हूं, जिससे विशेषकर आबादी क्षेत्र में जो तार ढीले पड़े हैं उनमें तुरन्त कार्यवाही की जा सके। इसके लिए बोर्ड अतिरिक्त धन और साधन मुहैया कराए।

सभापति महोदय, यहां बिजली की छीजत की बात चली। बोर्ड का रिकार्ड हम देखते

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

हैं, यहां मंत्रीजी कई बार स्टेटमैंट पढ़ते हैं तो उससे लगता है कि 35 परसेंट बिजली की छीजत अपने राजस्थान में है। सारे देश में यह छीजत है 23 परसेंट। राष्ट्रीय औसत से 12 परसेंट ज्यादा छीजत राजस्थान में हो रही है और कृषि क्षेत्र में छीजत इससे भी ज्यादा है। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं चोरी है, कनेक्शनों की भरमार है, कुएं की सतह नीचे जा रही है जिससे बार-बार किसानों को मोटर बदलनी पड़ती है। सभापति महोदय, लाखों मामले ऐसे हैं जिनमें तारों पर जम्पर डालकर बिजली के कनेक्शन ले रखे हैं। इनके कारण से छीजत हो रही है। लाखों की संख्या में मीटर बंद पड़े हैं और सर्विस लाइन लीक हो रही है। मीटर व सविस लाइन चैक नहीं होने के कारण मण्डल को भारी नुकसान हो रहा है।

सभापति महोदय, ऊर्जा का कोई हिसाब-किताब नहीं है कि किसने कितनी बिजली ली, कितनी खर्च की और हर महीने में कितनी छीजत हुई। आज से 10 साल पहले बोर्ड में ऊर्जा का आडिट किया जाता था, लेकिन ऊर्जा मंत्रीजी, उस आडिट को बंद कर दिया गया। अब हम इसके कारण ऑडिट को दुबारा चालू कर दें जिसके कारण छीजत बंद हो सके और अपने को कोई नया डाइरेक्शन चोरी को पकड़ने के मामले में या और किसी मामले में नयी दिशा मिल सके तो मैं चाहूंगा कि आप इस प्रणाली को दुबारा चालू करें। आडिट के द्वारा सभापति महोदय, अगर हम 10 पर्सेंट छीजत को भी रोकने में सफल हो गये तो 60 लाख यूनिट बिजली बचत होगी। 300 मेगावाट के पावर हाउस के द्वारा जितनी बिजली पैदा होती है उतनी बिजली की हमको बचत होगी। सभापति महोदय, इससे मण्डल को 500-600 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होगी। सभापति महोदय, इस छीजत के बारे में ऊर्जा मंत्रीजी को सारी जानकारी है, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जितना कांग्रेस के सदस्यों में असंतोष फैल रहा है खुद कांग्रेस में छीजत चालू हो गई है। मुझे तो विश्वास नहीं है, ऊर्जावान मंत्रीजी, कि कांग्रेस में छीजत चालू हो गई, विधायकों का असंतोष आ रहा है, आप इस छीजत को रोक सकेंगे। मैं ऊर्जा मंत्रीजी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपने मैनीफेस्टों में जो घोषणा की है आप मैनीफेस्टो का पालन नहीं करते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव

(श्री महेश जोशी)

करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टे बढ़ाया गया।

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं राजस्थान के ऊर्जावान मुख्य मंत्री और उनकी कैबिनेट के ऊर्जावान मंत्रीजी से इस मौके पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बाइबिल में बड़े लुभावने नारे लगा दिये, आपने यह लिख तो डाला और इसके आधार पर आपने जो बहुमत प्राप्त कर लिया उसकी भी आपको कोई चिन्ता नहीं है, लेकिन आप किसान की भी चिन्ता नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप किसानों को मार रहे हैं, आप किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। आपने बिजली की रेट बढ़ा डाली, आप छीजत को रोक नहीं पा रहे हैं। आपने तबाही कर डाली राजस्थान के किसानों की। उस तबाही को रोकने के लिए मैं ऊर्जावान मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतें।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के भाषण के बीच में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन माननीय सदस्य ने बार-बार कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र को बाइबिल-बाइबिल कहा व्यंग्यात्मक दृष्टि से। बाइबिल पूरी दुनिया में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूरे पांच साल बोलेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : सुनिए बात, आपको बहुत बोलना आता है मुझे मालूम है।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, सोनियाजी बाइबिल पढ़ती हैं, सोनियाजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर सोनियाजी का विरोध करेंगे तो हमारा विराधे क्यों नहीं करेंगे?

श्री रामनारायण चौधरी : बैठिए, बैठिए आप।

श्री मदन दिलावर : आप सरकार को और टाइट करें।

श्री सभापति : माननीय दिलावरजी, आप बात तो सुन लो।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, बाइबिल, कुरान, गीता, रामायण, गुरु ग्रन्थ साहब ये हर धर्म के ग्रंथ है। बाइबिल क्रिश्चियंस का है और कुरान इस्लाम का है। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के घोषणा-पत्र को बाइबिल कहा जाना उचित शब्द नहीं है। कांग्रेस के घोषणा-पत्र को कांग्रेस का घोषणा-पत्र कहने में उनको क्या

(श्री रामनारायण चौधरी)

शर्म आती है? मुझे यह बताएं, बाइबिल कैसे हो जाएगा कांग्रेस का घोषणा-पत्र? बाइबिल हो जाएगा क्या? आप बाइबिल कहना पसंद करेंगे?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : पांच साल का कार्यक्रम है, एक दिन का थोड़े ही है।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, बाइबिल तो बाइबिल है, कुरान कुरान है, गीता गीता है, गुरु ग्रंथ साहब गुरु ग्रंथ साहब है। ये व्यंग्यात्मक दृष्टि से बाइबिल को बार-बार कांग्रेस का घोषणा-पत्र संबोधित कर रहे हैं, इनका यह संबोधन, यह शब्द उचित नहीं है, अनुचित शब्द है, इसलिए इसको हटा दिया जाए।

श्री हीरासिंह चौहान : 1885 में कांग्रेस की स्थापना लार्ड ह्यूम ने की थी, वो भी अंग्रेज था और सोनिया गांधी भी ईसाई हैं। यह कहना कहां दोषपूर्ण है?

श्री सभापति : माननीय संदस्य, आपने जो कहा कांग्रेस का घोषणा-पत्र कहा, कांग्रेस का घोषणा-पत्र घोषणा-पत्र रहेगा, बाइबिल तो केवल एक संज्ञा के रूप में कहा गया है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह अपमान है, बाइबिल बाइबिल है।

श्री सभापति : मैं कह रहा हूं, मैं बिलकुल सहमत हूं-

श्री रामनारायण चौधरी : रामायण रामायण है, गीता गीता है, गुरु ग्रंथ साहब गुरु ग्रंथ साहब है, किसी का अनादर करें, यह अच्छा नहीं है।

श्री सभापति : इन्होंने कांग्रेस के घोषणा-पत्र का उल्लेख किया है और उसकी बाइबिल से तुलना दी है, कांग्रेस के लिए इसमें ऐसी बात नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : बाइबिल-बाइबिल कह रहे हैं, यह अनादर है धर्म ग्रन्थ का।

श्री सभापति : आपका कहना ठीक है, मैंने खुद ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा-पत्र को बाइबिल की तुलना दी है सिर्फ।

श्री महेश जोशी : धर्म ग्रंथ का अपमान है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, ये तो खुद व्यंग्य कर रहे हैं। ये भी व्यंग्य कर रहे हैं। सबसे पहले इस घोषणा-पत्र को बाइबिल मुख्य मंत्रीजी ने बताया था, इसलिए व्यंग्य कर रहे हैं ये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपने समाप्त कर दिया अब?

श्री महेश जोशी : आप इस बात से सहमति नहीं रखते क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री रिछपाल जी मिर्धा। (व्यवधान)

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : सभापति जी, इधर तो देखो आप। नम्बर कब आएगा? (व्यवधान)

श्री सभापति : नम्बर समय के अनुसार आ जाएगा।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप तो इनके ईसा मसीह हो। आप तो किरोड़ी लालजी के, राजेन्द्र जी के ईसा मसीह हो, इसलिए समझेंगे ये तो। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : सम्मानीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज सदन में बिजली पर चर्चा हो रही है, प्रदेश के विकास के लिए बिजली और पानी की सबसे पहले जरूरत होती है और इन दोनों ही चीजों का इस प्रदेश में टोटा है—बिजली का टोटा, पानी का टोटा। माननीय मंत्री जी, पावर सैक्टर सुधार कानून बनाने के लिए जिस दिन विधान सभा में बिल पेश किया उसका सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी विरोध किया था। अभी उसकी असमंजस की स्थिति बनी हुई हे। यह जिस दिन पूर्ण रूप से काम करने लगेगा उस दिन राजस्थान के किसानों के लिए और राजस्थान की जनता के लिए यह प्रश्न खड़ा होगा कि वे बिजली ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे।

मैं आरोप-प्रत्यारोप के विषय में नहीं जाना चाहता, पर मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नवीं विधान सभा से आप भी देख रहे हैं—आप उस विधान सभा में मंत्री थे, और हम भी देख रहे हैं वो के वो घिसे-पिटे भाषण, वो की वो घोषणाएं, मुझे न तो इस बिजली में कहीं सुधार लगा, न पानी में सुधार लगा और न कोई बिजली का उत्पादन बढ़ा और न कोई और बढ़ने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, आज बात कर रहे हैं बिजली में सुधार करेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कई अधिकारी इस बोर्ड में ऐसे बैठे हैं, उच्च अधिकारी हैं, चेयरमैन लेवल पर फैसले अच्छे होते हैं, माननीय मंत्रीजी के यहां फैसले अच्छे होते हैं, काम करने की तमन्ना है, पर, सभापतिजी, जो नीचे के अधिकारी हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे उदाही होती है, मारवाड़ी में कहते हैं उदाही और हिन्दी में कहते हैं दीमक, उस तरह इस बोर्ड को चाट रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस तरह के अधिकारियों को क्या सजा मिली है आज तक? करोड़ों रुपये का चूना बोर्ड को लगा गये और आज आराम से बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वो की वो बाबा आदम के जमाने की लाइनें लिए बैठे हैं आप। वो के वो यंत्र बिजली के वो की वो चोरी, वो की वो छीजत, कहां

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

सुधार हुआ? सभापति महोदय, अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि नागौर में चोरी ज्यादा होती है। क्यों, चोर सारे नागौर में ही बस गये क्या? झुंझुनूं का भी नाम लिया था। बाड़मेर में भी चोरी होती है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ज्यादा चोरी करते हैं इण्डस्ट्रीज वाले और ये भेदभाव करते हैं शहरों और गांवों में बिजली देने के मामले पर। ये भेदभाव क्यों करते हैं? गांवों को भी दो बराबर दो, शहर में भी दो बराबर दो। यह जो लम्बी लाइन है 46 परसेंट उसमें छीजत होती है। काश्तकारों को तो आप मार रहे हैं, विजिलेंस आ गयी। इनके थर्मामीटर देखो आप नापने के। एक कुए में मोटर लगी हुई है 20 हार्स पावर की और उनका थर्मामीटर बता रहा है कि 30 की है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मंत्री जी से कि कई ऐसे केस पकड़े गये, हमने खुद ने मोटरें निकलवा कर दिखायीं और मोटर निकली 20 की। शीट काट दी, साहब हमने तो। क्यों काट दी अपने? 20 हार्सपावर की मोटर है और आप 30 की पैनल्टी लगाकर उसके हाथ में थमा रहे हैं बिल। यह अन्याय राजस्थान के किसानों के साथ क्यों किया जा रहा है? इण्डस्ट्रीज में आपके करोड़ों रुपये बकाया पड़े हैं, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। करो आप वसूल। आधे से ज्यादा आपके बोर्ड का दिवाला निकल जाएगा, कर लो आप वसूल उससे। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह भी कहना चाहूंगा कि जो भेदभाव इण्डस्ट्रीज और काश्तकारों के साथ हो रहा है उसको आप खतम करो।

अब, माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से नागौर जिले की बात निवेदन करना चाहूंगा। नागौर जिले में बिजली की खपत जयादा है, मांग ज्यादा है, वहां 400 के.वी.ए. का स्टेशन बनाना चाहिए। इन्होंने 200 के.वी.ए. का स्टेशन वहां स्वीकृत किया है।

श्री परसादी लाल : धन्यवाद तो दो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : धन्यवाद तो दूंगा। 400 के.वी.ए. का स्टेशन नागौर में हो तो नागौर के किसानों के लिए बिजली की आपूर्ति पूरी हो सकती है, वोल्टेज में सुधार हो सकता है और काश्तकारों को सरकार की घोषणा के अनुरूप बिजली मिल सकती है। पिछले साल बिजली 8 घंटे दी, जिन्होंने काम किया और बिजली दी है उसके लिए तो धन्यवाद भी दूंगा। पिछले साल 8 घंटे बराबर दी है पर अब की साल तो क्यारे से क्यारा पा दिया। अब की बार धरने भी लगे। अभी मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, बिजली के लिए धरने लगे। मेरे क्षेत्र में भैरूंदा में धरने लगे, लाठी चार्ज हुआ। पुलिस

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

वाले जिप्सी के नीचे घुस गये, काश्तकारों और उनके बीच में जंग चली। ऐसे हालात हुए अब के सीजन के समय। 10 साल से हम इस सदन में मांग कर रहे हैं, एईएन. का आफिस नहीं खुला। क्या ये सुधार करेंगे। बिजली के लिए? भैरूंदा में एक एईएन. आफिस खोलने के लिए 10 साल से सदन में मांग कर रहे हैं। भैरूंदा के काश्तकार को वहां से 40 किलोमीटर दूर आलनियावास जाना पड़ता है। एक एईएन. आफिस नहीं खुला। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि भैरूंदा में एक एईएन. आफिस खोल दें, वहां के काश्तकारों का जो रोज खर्चा लगे, उससे तो बचाओ। पैनल्टी लगे हुए बिल तो वे भर रहे हैं, लेकिन यह तो करो आप सभापति महोदय, आपके माध्यम...

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : बहुत हो गया अब।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : थोड़ी बात और कह दूं, आपको तकलीफ है तो नहीं कहूं?

132 का मेरे क्षेत्र में सांजू में एक जी.एस.एस. स्वीकृत किया गया। अगर उसकी उपयोगिता सांजू में ज्यादा है तो सांजू में बनाया जाए, अन्यथा सांजू की जगह उसको डेगाना में बनाया जाए। सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो राजनीतिक भेदभाव बिजली के मामले में सरकार की तरफ से किया जाता है वह कतई नहीं किया जाना चाहिए। जितने 33 के जी.एस.एस. इन्होंने नागौर में स्वीकृत किये, उनमें से एक टहला गांव में भी है। टहला गांव में जी.एस.एस. स्वीकृत हो गया, काम शुरू हो गया, बन रहा है। ट्रांसफार्मर आ गया, खम्भे लग गये, आधे से ज्यादा काम हो गया। अब उसको, सभापति महोदय, रोक दिया गया। मैं नहीं जानता किन कारणों से उसको रोका गया। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, चाहे वह किसी का भी गांव हो, उस गांव में वह जी.एस.एस. प्रस्तावित है, बनना शुरू हो गया उसको बनाना चाहिए और इस कार्य में राजनीतिक भेदभाव नहीं रखा जाना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सभापति महोदय, आपके माध्यम से पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य यहां अपने अमूल्य सुझाव रखते हैं, उन पर कितनी कार्यवाही होती है, कितना अमल होता है, यह तो सरकार के सोचने का विषय है। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती सुचित्रा आर्य।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि हमारी पार्टी का राज आया, हम बहुत खुश हुए। हमने बड़ा लम्बा सारा घोषणा पत्र बनाया और उसमें

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

हमने वायदा किया कि हम 8 घंटे बिजली देंगे, लेकिन 8 घंटे छोड़कर 4 घंटे भी नहीं मिल रही है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि आप जवान हो, आपमें जोश होना चाहिए। नये पीढ़ी के आदमी हो और किसान नेता कुम्भाराम जी के आप शिष्य रहे हो राजनीति में, उसके बावजूद भी आपकी करनी और कथनी में जो फर्क देखा उसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं आपको निवेदन करना चाहती हूं कि किसान होने के नाते आपको किसानों की तरफ थोड़ा देखना चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि भयंकर तो अकाल है और उस अकाल के साथ-साथ पानी की किल्लत है। पानी का हमेशा बिजली के सामंजस्य बना रहता है, अगर बिजली नहीं रहती तो पानी भी नहीं आता। इसलिए इस अकाल के अन्दर आपको पूरी बिजली देनी चाहिए। आपने कहा कि पैसे नहीं है, हम बिजली को प्राइवेट सैक्टर में दे रहे हैं। प्राइवेट सैक्टर में क्यों दे रहे हैं, बिजली को? आपको बिजली विभाग को सुदृढ़ करना चाहिए क्योंकि जो दूसरे हैं वे तो व्यापार के हिसाब से किसानों को बिजली बेचेंगे और किसान महंगे भाव में बिजली कभी नहीं खरीद सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इसके ऊपर आप दुबारा से विचार करें।

माननीय मंत्रीजी, आपने मेरे यहां एक 132 के.वी.ए. सब स्टेशन का उद्घाटन कर दिया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद भी देना चाहती हूं और साथ ही एक बात याद दिलाना चाहती हूं कि आपने एक घोषणा की थी कि मैं जाते ही ट्यूबवैल का कनेक्शन करवा दूंगा। आपके साथ मैं ताराचन्द जी माननीय सदस्य थे। आपके कहने के बावजूद आज तक भी उस गरीब का कनेक्शन नहीं हुआ। मुझे बड़ी पीड़ा होती है इस बात को सुनकर कि इतने बड़े आदमी भी अपनी बात के ऊपर स्टैंड नहीं कर पाये। कहा तो आपको करना चाहिए था।

मैं कुछ आपको बताना चाहती हूं मेरे नोहर क्षेत्र के बारे में। नोहर अत्यन्त पिछड़ा है और बहुत ज्यादा आबादी वाला गांव है। वहां विद्युतीकरण नहीं हुआ। 1990, 1991 और 1992 में उन्होंने कागजों में तो विद्युतीकरण कर दिया लेकिन वास्तव में विद्युतीकरण हुआ नहीं। देखिये, ये कर्मचारी कितना भ्रम में रखते हैं कि गांव लम्बे समय से कागजों में विद्युतीकृत हैं लेकिन वास्तव में विद्युतीकृत नहीं हैं। ये गांव हैं मालिया, डूमासर, चक 18-12 के.एन.एन. ग्राम पंचायत रतनपुरा चक दो जे.एस.एन., ग्राम पंचायत फेफाना, ढाणी मायला, पंचायत मायला, ढाणी मेरावाली पल्लू, ढाणी रायकान पल्लू, 14 डी.पी.एम., पंचायत रामगढ़, 18 जे.एस.एन. पंचायत भुसाणा, 21 जे.एस.एन., 22 जे.एस.एन.। ये गांव कागजों के अन्दर तो

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

कर दिये वास्तव में यह हैं नहीं। इनको आप विद्युतीकृत कराने का कष्ट करें।

मैं आपको कहना चाहती हूं कि हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो काश्तकार हैं वे ज्यादातर ढाणियों में रहते हैं। ढाणियों के अन्दर तो आपने बिजली कनेक्शन के 7500 रुपये प्रति खम्भे कर दिये और गांवों में जो आबादी वाले गांव हैं उनके अन्दर 1200 कर दिये। आपने ढाणियों के अन्दर इतने महंगे कर दिये। ढाणियों के अन्दर गरीब आदमी रहते हैं, इनका पैसा कम किया जाए जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके।

आपने चारा योजना चालू की। चारा योजना नर्सरी योजना बन्द करके इसलिए चालू की कि अकाल है, अकाल के अन्दर लोग कनेक्शन ले लें तो वे थोड़े बच सकें। इस योजना के तहत कोई गरीब किसान तो कनेक्शन ले नहीं सकता, इसलिए आपको इस योजना के बारे में जरूर कोई विचार करना चाहिए।

मेरे नोहर के अन्दर केवल 5 मेगावाट बिजली मिलती है, मैंने आपको बार-बार निवेदन किया कि कम से कम 14 मेगावाट तो बिजली कर दीजिये जब तक कि 132 के.वी.ए. का सब-स्टेशन नहीं बन जाए। लेकिन उसके बावजूद भी पांच से छठा मेगावाट नहीं हुआ, पांच से कम भले ही हो गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप अभी इस अकाल के अन्दर कम से कम 14 मेगावाट बिजली हमें दीजिए जब तक वह नहीं बन जाए तब तक, जिससे कि नोहर में राहत मिल सके। यही कहने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल जी चौहान।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : माननीय सभापति महोदय, आज विद्युत समस्या पर सदन में चर्चा हो रही है, मैं सबसे पहले माननीय ऊर्जा मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इसी सत्र में मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर में बागोद गांव में 132 के.बी.ए. ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण कराने की उन्होंने घोषणा की है और इसी साल निर्माण कराएंगे। माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्रीजी काफी प्रयत्नशील हैं, लगनशील हैं, मेहनत भी करते हैं और विद्युत तंत्र में सुधार पर जोर काफी रखते हैं, किन्तु जैसी कि बात की जा रही है। विद्युत तंत्र में अभी सुधार की काफी आवश्यकता है।

सभापति महोदय, किसान अन्नदाता है और गत 40 वर्षों में कांग्रेस के राज में किसान की माली हालत में सुधार काफी हुआ है। हालत काफी सुधरी है, किसान सुदृढ़ हुए हैं। किन्तु गत 8 सालों में बिजली की दरें बढ़ी और बिजली के पोल के नौ हजार रुपये करने से किसान को कर्जा लेकर

(श्री मोहन लाल चौहान)

कनेक्शन लेने पड़े। नर्सरी योजना में भी किसानों ने काफी पैसे जमा कराये हैं। मेरा यह निवेदन है कि किसान की अनदेखी की गयी जबकि किसान देश का अन्नदाता है। हमारे पूर्वज अमरीका से भीगे हुए गेहूं, भीगी हुई मकई लाकर खाये हुए हैं। तब भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह योजना बनाई और देश में अन्न का उत्पादन करना शुरू किया तो आज हमारा देश अनाज के अन्दर आत्मनिर्भर हुआ है और किसानों की हालत सुधरी है। परन्तु अभी किसानों के ऊपर भारत सरकार ने डीजल के पैसे बढ़ा दिये, केरोसिन के पैसे बढ़ा दिये, इससे किसान पर ही भार पड़ता है। किसान को ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, किसान को कुओं को केरोसिन से चलाना पड़ता है, जहां कनेक्शन नहीं हैं वहां डीजल से चलाना पड़ता है। तो यह भार किसान पर ही पड़ता है। गत वर्ष हमारी पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार 8 घंटे बिजली दी गयी। इस वर्ष आठ घंटे से कम बिजली मिली, 5-6 घंटे ही बिजली मिली जिसका कारण यह था कि भारत सरकार ने अन्ता परियोजना से जो राजस्थान को 200 मेगावाट बिजली मिलती थी उसको काट लिया। उस बिजली को काटने से राजस्थान में किसानों पर असर पड़ा और किसान को परेशानी झेलनी पड़ी। गत वर्ष के बजाय इस साल किसानों ने आधे अनाज का उत्पादन किया है। अनाज का कम उत्पादन हुआ है इसका कारण विद्युत सप्लाई में गड़बड़ी रही है। मैं ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आठ घंटे बिजली की सप्लाई कायम रखी जाए। हमारी यह मांग है कि 8 घंटे से कम बिजली नहीं मिलनी चाहिए जिससे किसान अधिक अनाज उपजाएंगे और अधिक अनाज-उपजाऊ नीति फलीफूत होगी।

माननीय सभापति महोदय, विद्युत सप्लाई के बारे में निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में 132 ग्रिड सब स्टेशन मकराना है और मकराना में फुलेरा और हीरापुरा से सप्लाई होती है। 132 मकराना के अन्तर्गत कुचामन और नावां ग्रिड सब स्टेशन हैं और औद्योगिक क्षेत्र की बीगोद और बोरावड़ इसमें शामिल हैं। गत वर्ष हमारे क्षेत्र में मकराना में 132 का लोड फिक्स नहीं होने से विद्युत सप्लाई में भारी गड़बड़ी हुई है। बार-बार मैंने ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन भी किया है, बार-बार दूरभाष पर भी बात करते रहे हैं लेकिन इस बार हमारे औद्योगिक क्षेत्र बीगोद, मकराना और बोरावड़ होने से किसानों को चार घंटे, तीन घंटे बिजली मिली है जिससे किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। गांवों में आज भी शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक विद्युत सप्लाई नहीं मिलती है, वही हालत चल रही है। गांवों में शाम के टाइम टू फेस या वन फेस बिजली मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिलती है और यह समस्या

(श्री मोहन लाल चौहान)

भारी है। 132 मकराना का आप लोड फिक्स करा दीजिये। लोड फिक्स नहीं होने से बार-बार हीरापुरा से या फुलेरा से काट लेते हैं और इस कारण से हमारे यहां प्राब्लम है। मैं ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जनरल कैटेगरी में जो कनेक्शन किये जा रहे हैं, आठ पोल के बाद में आप 11 हजार रुपये लेते हैं वह कतई उचित नहीं है, किसानों के लिए हानिकारक है। पहले कांग्रेस के शासन में अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषक प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराते थे। आप समाज कल्याण मंत्रीजी भी यहां बिराजे हुए है, अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषकों को जो कनेक्शन दिये जा रहे हैं उसकी प्रतिभूति राशि डी. आर. डी. ए. से एस. सी. कार्पोरेशन से जमा कराने का प्रावधान है लेकिन न तो एस. सी. कार्पोरेशन को कृषकों का ध्यान है और न ही बिजली बोर्ड को। पहले सीधी सिक्योरिटी जमा नहीं कराते थे इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाज कल्याण विभाग से या एस.सी. कार्पोरेशन से जो अनुसूचित जाति के कृषकों को कनेक्शन दिये जाते हैं उनकी प्रतिभूति की राशि सीधे जमा करायी जाए। उनको एस.सी. कार्पोरेशन का पता नहीं रहता है कि एस.सी. कार्पोरेशन से पैसे लाए। समाज कल्याण मंत्रीजी, आप बिजली बोर्ड में ही वह पैसा जमा कराएं ताकि अनुसूचित जाति के कृषकों को सिक्योरिटी की राशि जमा नहीं करानी पड़े। यह आपको प्रावधान करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, कुओं में एक घंटे, दो घंटे का पानी है। कुए दो घंटे ही नहीं चलते हैं।

डा. चन्द्रभान : फिर आठ घंटे क्यों मांग रहे हो?

श्री मोहन लाल चौहान : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, दो घंटे, एक घंटे पानी चलता है उसका भी मिनिमम चार्ज वसूल करते हैं। वह मिनिमम चार्ज वसूल नहीं होना चाहिए, यह आपको हटाना चाहिए। किसान पानी पीने के लिए एक घंटा, डेढ़ घंटा कुआ काम में लेता है, उससे मिनिमम चार्ज वसूल करते हैं। इसके अलावा जनरल कैटेगरी में कुओं में जो मीटर खराब हो जाते हैं तो उन पर बिल आप फ्लैट रेट से वसूल करते हैं। यह भी गलत है। यह कुओं पर आप वसूल करते हैं जबकि कुओं में पानी नहीं है। फ्लैट रेट बहुत भारी पड़ती है, इस वास्ते आपको मीटर बदलने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चारा योजना आपने चला रखी है और शायद दिसम्बर में आपने कई कनेक्शनों की फाइल की डिमांड नोट की रकम जमा करवा ली, लेकिन आज तक उन कृषकों को सामान नहीं मिला है और न ही कनेक्शन

(श्री मोहन लाल चौहान)

हुए हैं। चारा योजना में न तो आपकी। समयावधि निश्चित है, न ही कोई आपका लक्ष्य है कितने कनेक्शन करने है, यह आप पहले तय तो कर लो। चारा योजना में आपका उद्देश्य था कि चारा उगाएंगे, अकाल में चारा पशुओं को मिलेगा। आज कनेक्शन ही नहीं हुए हैं तो इस अकाल में कब तो कनेक्शन होंगे और कब चारा उगाएंगे। ऊर्जा मंत्रीजी, आप इस पर ध्यान दें। चारा योजना में जो कनेक्शन करने हैं, आप समयावधि निश्चित करिये कि कब देंगे और कब नहीं देंगे आप। चारा योजना में जो कनेक्शन के डिमांड नोट आये हैं, उसको तुरन्त सामान दिलवाइये तब ही तो अकाल में कुछ चारा उगाऐंगे, रिजंका उगाएंगे। बाजरा को नीला करते हैं, वह भी आप ध्यान दीजिये और उसके कनेक्शन तुरन्त करवाइये। चारा योजना में डिमांड नोटिस की रकम जमा है लेकिन दिसम्बर से अभी तक कोई कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, सामान नहीं मिल रहा है तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप चारा योजना में...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मोहन लाल चौहान : सभापति महोदय, आज घरों में कनेक्शन 1200 रुपये की रेट में कर रहे हैं, आपके बिजली विभाग के एईएन. आफिस से लिस्ट मंगा लीजिये, सामूहिक रूप से जो फाइलें जमा है चार-चार हजार और साढ़े तीन-तीन हजार के डिमांड नोटिस निकले हैं लोगों के हर जगह आप एईएन. आफिस से रिपोर्ट मंगा लीजिये, 1200-1400 रुपये में कोई कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। आपका विभाग आपको गलत रिपोर्ट देता है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की समस्या है। मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर में गच्छीपुरा-बांकापट्टी योजना है जो 80 गांवों की पेयजल योजना है, 80 गांवों को पानी जाता है। 132 के.वी.ए.जी.एस.एस. की जनता की मांग है। वहां मंडी भी है और गांव में कृषकों के कुए भी हैं, 132 के.वी.ए. का जी.एस.एस. गच्छीपुरा में निर्माण कराने के लिए हमारी जनता की मांग है, इस पर आप ध्यान दें। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में चिताय गांव में 33 के.वी.ए.जी.एस.एस., पुराड़ा में 33 के.वी.ए.जी.एस.एस., बुरुंड में 33 के.वी.ए.जी.एस.एस. और धिंगाणा गांव में सब स्टेशन की आवश्यकता है। वोल्टेज की गम्भीर समस्या है, इस समस्या के लिए मेरे क्षेत्र में चार 33 के.वी.ए.जी.एस.एस. की मांग है। इसको पूरा कराए तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। आप हाथ मत करो, आप समाप्त करो।

श्री मोहन लाल चौहान : सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 33 के.वी.ए.जी.एस.एस. तीह और पीलवा है। जो बिजली गेरूंडा से आती है, थावंला में जी.ओ. लगा रहता है और जी.ओ. पर ताला लगा देते हैं तो वह लम्बी लाइन है। पीलवा और तीह लाइट आती है और धरूंडा से तीह सीधी 13 किलोमीटर लाइन है, लाइन का खर्चा भी आपका नहीं होगा इसलिए मेरे क्षेत्र में 33 के.वी.ए.जी.एस.एस. से पीह से गेरुंडा 13 किलोमीटर लाइन, 33000 की जोड़ी जाए। माननीय सभापति महोदय, विद्युत विभाग को स्थापित हुए 30-40 साल हो गये हैं और आपक विद्युत विस्तार गांवों में भी काफी हो गया है। जगह-जगह लाइन या जगह-जगह कनेक्शन बहुत ज्यादा हो ग्ये हैं लेकिन आपका लाइन स्टाफ वही का वही है। 30 साल में भर्ती नहीं की गई है इससे गांवों में बहुत बड़ी समस्या रहती है। लाइन मैन में नफरी बढ़ाइये। गांवों में कृषकों के सामने समस्या आ रही है, लाइनमैन के बिना आजकल गांवों में काम नहीं चलता है इसलिए लाइनमैन की संख्या बढ़ाई जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जेईएन. को जिलों में नहीं लगाने का आदेश दिया है या निर्णय किया है, यह भी गलत है क्योंकि जिलों में जेईएन. इंट्रेस्ट से काम करेगा। बाहर के जिलों से आकर वह भागने में रहता है। इस वास्ते मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जेईएन. को होम डिस्ट्रिक्ट में रखने का निर्णय लिया जाए तो अच्छा रहेगा और विद्युत विभाग में काम होगा। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप मीणा। आप समय का ध्यान रखना।

श्री रामस्वरूप : अभी तो शुरू ही नहीं हुआ हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : या तो आप धन्यवाद देना मत और दिया तो वापस मत लेना।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय पर इस सदन के अन्दर चर्चा हो रही है क्योंकि जितने भी माननीय सदस्य यहां विराजमान हैं सब गांवों के और किसान के बेटे हैं। अगर सबसे बड़ी कोई समस्या राजस्थान के अन्दर है तो विद्युत की समस्या है। सभापति महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि आज विद्युत ही जान है, सरकार को चलाने वाली विद्युत है और सरकार को अगर कोई फेल करती है तो वह विद्युत ही है जो फेल करती है। हमारी दायीं तरफ जो माननीय सदस्य विराजमान हैं, आज इनकी संख्या 30 पर क्यों रह गई? इनके विद्युत मंत्रीजी माननीय कौशल जी थे, श्रीमान् कौशल जी भी नहीं जीते और उनकी पार्टी का भी भट्टा बैठा दिया इन्होंने (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : घनश्याम जी भी हैं, 44,000 वोटों से हार गये थे।

श्री रामस्वरूप : तिवाड़ी जी भी है। मात्र कारण कवेल यही था, सभापति महोदय, क्योंकि इससे हमारा सारा जीवन जुड़ा हुआ है। विद्युत से ही हमारा पानी मिलता है। खाली सिंचाई में ही काम नहीं आती है विद्युत, विद्युत हमारे पानी के काम में भी आती है। आज गांवों में भी नल योजनाएं हो गई हैं, गांवों में बोरिंग सिस्टम हो गया है। गांवों में ओपन वैल कहीं पर भी नहीं हैं जिनके अंदर पानी भरा हो। सारा बोरिंग द्वारा पानी निकाला जाता है और वह बिजली के द्वारा ही निकाला जाता है। इसलिए आज बिजली हमारी जान है। गांवों की जान है, पार्टी की जान है। सभापति महोदय, इस सदन में कई माननीय सदस्य जो गम्भीर नहीं हैं वे मेरी बात को मजाक में ले रहे हैं। आप अकाल की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि आपके यहां तो अकाल पड़ा हुआ है लेकिन हमारे यहां पर विद्युत नहीं आती है तो भयंकर अकाल पड़ता है। पूर्वी राजस्थान में तो पूरा सिस्टम ही बिजली से है। माननीय मंत्रीजी भी इस बात को मानते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इतना बढ़िया विभाग मिला है, इसके अन्दर धर्म और कर्म दोनों हैं आपके। आप इसमें जनता की सेवा भी कर सकते हैं और अपना परलोक भी सुधार सकते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : टाबरी छोटी हैं इनके। (व्यवधान) ये परलोक सिधारने की बात कर रहे हैं, अभी तो बच्चे छोटे हैं।

श्री रामस्वरूप : क्योंकि यह पुण्य का कार्य है। आपको तो विद्युत मंत्री बनना ही था क्योंकि आपका नाम ही ऐसा है, आपके संस्कार ही इस प्रकार के दिये हैं आपके मां-बापों ने। आपका नाम चन्द्र भी रखा है और आप भान भी हो, आप दोनों ही हो और चन्द्र भान दोनों ही विद्युत देते हैं, दोनों से ही उजाला होता है। इस प्रकार से आपको जो विद्युत विभाग मिला है वह आपके नाम के अनुसार मिला है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आपको विद्युत विभाग दिया है, वास्तव में माननीय मुख्य मंत्रीजी का इस बात के लिए बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने सही जगह पर विद्युत विभाग दिया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : अब आप टोडाभीम पर आ जाओ।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, लेकिन मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं और मंत्रीजी, आप इस बात का गम्भीरता से विचार करें कि जिस समय हमारी सरकार आई थी, घोषणा पत्र के अनुसार आपने बिजली दी थी। उसके लिए तो हमारी पार्टी और हम सब आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत-बहुत आभारी हैं कि पिछले साल आपने इतनी बढ़िया बिजली हमको

(श्री रामस्वरूप)

दी। किसानों ने आपकी वाहवाही की सारे राजस्थान के किसानों ने आपकी जय-जयकार बोली। लोगों को पता लगा कि एक + + + हो गया है और अब कांग्रेस का बढ़िया शासन आ गया है। यह आपके बिजली विभाग के द्वारा ही लोगों ने जय-जयकार बोली थी। माननीय विद्युत मंत्रीजी, उस साल आपने बहुत बढ़िया बिजली दी लेकिन बड़े दुःख की बात है, अब की बार पता नहीं क्या हो गया आपको, आपके खुद के ही वोल्टेज डाउन हो गये। जाने क्यों हो गये? आप इतने बढ़िया मंत्री और आपके विभाग में वही भण्डारीजी विराजमान हैं, पता नहीं यह बिजली अब कहां गायब हो गई? कहां आपने पहुंचाई, पाताल में पहुंच गई या कहां चली गई वह बिजली? अब की बार क्यों नहीं आपने इतनी बिजली किसानों को दी? यह सत्य है बिलकुल, आप इसमें बुरा मत मानना, जो भी माननीय सदस्यो ने कहा है। चाहे पक्ष के कहें, चाहे विपक्ष के कहें, अब की बार अपकी बिजली हमको बहुत कम मिल पाई है। बिजली मिली जरूर है लेकिन कैसे मिली है? एक घंटा बिजली आ गई और गायब। दो घंटे बिजली आ गई, फिर गायब। वोल्टेज आये तो ऐसे आये कि बिजली मोटर चली, चलते चलते मोटर एकदम बंद हो जाए और फिर जल जाए। माननीय सभापति महोदय, किसानों की इतनी बुरी हालत अब की बार हुई कि बिजली की मोटरें उनकी जल गई। किसान बरबाद हो गये। लेकिन आपकी वोल्टेज व्यवस्था नहीं सुधरी। माननीय विद्युत मंत्रीजी, मैं आपसे कई बार मिला हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अंदर बिजली मण्डावर से मिलती थी हमको। मण्डार हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, हमारे माननीय मुख्य सचेतक महोदय भी जानते हैं। वह तो अब उनकी मर्यादा हो गई, वे तो सचेतक बन गये इसलिए बोल नहीं सकते। आपका क्षेत्र भी मेरे क्षेत्र में आता है, आपकी भी ग्यारह पंचायतें बिजली टोडाभीम से प्राप्त करती हैं और आपका महुवा भी मण्डावर से बिजली प्राप्त करता है। हम दोनों की लाइनें मण्डावर से लगी हुई हैं इसलिए आज जो मैं मांग कर रहा हूं, माननीय मुख्य सचेतक महोदय की मांग भी साथ में जुड़ी हुई है। माननीय मंत्रीजी, हमारा 132 केवी.ए. का ट्रांसफार्मर जो टोडाभीम में स्वीकृत हुआ है, आज तक उसका आपने शिलान्यास नहीं किया। उसके कारण क्या है? आप बहुत अच्छे मंत्री हैं, आपने हर जिले का दौरा किया था। करौली दौरे में आप जब पधारे तो मुझे बगल में कुर्सी लगवाई थी, आपने मुझे वहीं बैठाया था, दुनिया भर की मेरी तारीफ आपने वहां कुर्सी पर बैठकर की थी लेकिन जब मैंने

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप)

132 का ट्रांसफार्मर का कहा तो आपने कहा चिंता मत करो, अब की बार टोडाभीम में बहुत जल्दी, दो महीने के अंदर इसका शिलान्यास हो जाएगा। माननीय विद्युत मंत्रीजी, आप तो हनुमानजी की तरह बलभूल हो, आपको तो याद दिलानी पड़ती है अपने बल की। मैं आपको फिर याद दिला दूं। हनुमानजी में भी वही था करंट, वह भी इस करंट की तरह था, वे भी विद्युत मंत्री थे। ऐसे आप भी हनुमान हो, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, करौली की घोषणा का क्या हुआ? आपने उसके अनुसार विभाग को तो निर्देश दे दिये, मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि वास्तव में आपने मेरे काम चालू करवाया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने नहीं किया है।

डा. चन्द्रभान : अब की बार 2000-2001 में है आपका।

श्री रामस्वरूप : अभी आपने मुझे आश्वासन दिया है, जैसे करौली में भी आपने आश्वासन दिया था। आज तो आप इस पवित्र सदन के अंदर बोल रहे हैं, माननीय सभापति महोदय के ऊपर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। माननीय विद्युत मंत्रीजी, आज इस पवित्र सदन में जो आपने कहा है कि 2001 में बनकर तैयार हो जाएगा, आज इस पवित्र सदन में इस बात के लिए मैं सब के सामने आपको धन्यवाद दूंगा कि आप एक सच्चे मंत्री हैं और मुझे आशा है कि आपकी घोषणा वास्तव में सच्ची घोषणा होगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : और नहीं हो तो आत्महत्या कर लूंगा, यह भी बोल दो साथ में ताकि डरते रहें।

श्री रामस्वरूप : नहीं, मुझे आशा है। आत्मदाह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमेशा सच बोलती है और अपने घोषणा पत्र में जो कुछ लिखा वही करती है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह तो बाइबिल है, मैं कहता हूं हमारे घोषणा पत्र को आपने बाइबिल तो माना, आपके घोषणा पत्र का तो पता ही नहीं। उसका तो आपको पता ही नहीं कि कहां है वह घोषणा पत्र। भाजपा के लोगों के थैले में आपको घोषणा पत्र मिल जाएगा कांग्रेस का, कितना हमारा महान घोषणा पत्र है जिसकी आप रोजाना पूजा करते हैं अपने थैले में रखकर। अपनी अटैची में रखे हुए हैं। माननीय विपक्ष के नेता महोदय विराजमान हैं, उनकी फाइल के अंदर भी बंधा हुआ है हमारा घोषणा पत्र।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने आदेश दिया कि तुरंत वहां पर जमीन की उपलब्धि करवाई जाए, आपको जमीन भी मिल गई है। जमीन आपके नाम भी हो गई है टोडाभीम के अंदर और उस

(श्री रामस्वरूप)

जमीन के ऊपर आपने एक बाउण्ड्री भी बनवाई है। लेकिन वह बाउण्ड्री कुछ बनकर काम बंद हो गया है उसका। ऐसी बात नहीं है। आपने कार्यवाही शुरू करवाई है लेकिन किसान को तो बिजली चाहिए। क्या दीवार बनने से बिजली मिल जाएगी? क्या घोषणा करने से बिजली मिल जाएगी? ऐसे ही मैंने पिछली बार भी सदन में यह प्रश्न रखा था, चार बार मैं प्रश्न रख चुका हूं इसी सदन के अंदर इसी सत्र में रख चुका हूं तीन बार मैं पहले, लेकिन आज मुझे भरोसा है। सारे अधिकारी साहबान यहां विराजमान हैं, माननीय मंत्रीजी भी यहां विराजमान हैं, हमारे टोडाभीम के 132 केवी.ए. के सब स्टेशन की जो मांग है, वह इस साल में जरूर पूरी होगी, मुझे भरोसा है इस बात का हमारी यह मांग वास्तव में सत्य मांग है। इसके साथ दूसरी मेरी मांग है।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक तो पूरी होने दो।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र दो मिनट आपके और लूंगा।

मेरा विनम्र निवेदन है कि जितनी भी लाइनें हमारे यहां डली हुई हैं वे बहुत पुरानी लाइनें हैं, चालीस-पचास साल पुरानी लाइनें हो गई। माननीय विद्युत मंत्रीजी, पिछली बार मैंने निवेदन किया था कि हमारे बालाजी के अंदर लाइन टूटी और बस के ऊपर गिरी। बस पूरी जल गई, भाग्य की बात थी कि सवारी उसमें सब खाली हो चुकी थी। इस प्रकार आये दिन घटनाएं होती रहती हैं। आपके कर्मचारी कई बार उसमें जल कर मर गये बेचारे और शहीद हो गये इस बिजली के लिए तो कम से कम इन लाइनों को तो आप मेहरबानी करके बदल दें। जब सरकार हमारी बदल गई, जब पार्टी भाजपा चली गई तो इन लाइनों को भी साथ भेज दें आप। आप नई लाइनें अब की बार डलवाएं। आये दिन यही घटनाएं होती रहीं तो हमारी सरकार की भी इसमें बदनामी होती है। मैंने कई घटनाओं का जिक्र किया है। मरने वालो को आप क्या देते हो, मेहरबानी करके यह भी आप सदन में बताए। जो लोग आपकी बिजली से मरते हैं, जो किसान आपकी बिजली के कारण मर जाते हैं, जो जानवर किसानों की बिजली के कारण चिपक कर मर जाते हैं, आपके ट्रांसफार्मर खुले में रखे हुए हैं, आपके ट्रांसफार्मर के तार नीचे गिर जाते हैं उससे जानवर कई बार मर जाते हैं, क्या उनको आप कोई मुआवजा देते हैं? क्या ऐसी कोई व्यवस्था आपके यहां है? कोई कर्मचारी आपका मर जाता है बिजली के द्वारा उसके लिए कोई व्यवस्था आपके यहां पर की गई है, तो इस बात से भी आप अवगत कराए।

तीसरा माननीय मंत्रीजी, आपने पिछली बार यह कहा था कि पानी के लिए आप अलग बिजली की लाइन डलवाएंगे। मेरा

(श्री रामस्वरूप)

विनम्र निवेदन है कि नल योजनाओं के लिए मेन लाइन जो आती है उस लाइन के अंदर इतने कनेक्शन हो चुके हैं कि पानी की योजनाओं के लिए आपके वोल्टेज नहीं पहुंच पाते हैं। तो जितनी भी पानी की योजनाएं हैं उनके लिए अलग से लाइन आप डलवाए मेहरबानी करके। उनकी लाइन अलग से होगी तो उनको वोल्टेज अच्छे मिलेंगे और अच्छे वोल्टेज मिलेंगे तो टंकी के अन्दर पानी पहुंच पाएगा। चालीस-चालीस, तीस-तीस, बीस-बीस किलोमीटर तक पानी फेंकती हैं आपकी मोटर नादौती के अंदर। पूरे नादौती में 64 योजनाएं हैं, पूरी बिजली के ऊपर आधारित हैं। इसलिए आप उनकी अलग से लाइन डलवा दें मेहरबानी करके ताकि उनके लिए अच्छा वोल्टेज मिल सके और उनको विद्युत मिल सके। इसके साथ ही...

श्री राजेन्द्र पारीक : इससे क्या-क्या फायदा होगा ?

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी ने आपकी सब बात बहुत ध्यान से सुनी है, अब आप बिराज जाओ।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मेरी एक इतनी महत्तवपूर्ण मांग मैंने इस पवित्र सदन में रखीं उसके लिए आपने समय दिया, टोडाभीम की जनता और मैं हमेशा आपके ऋणी रहेंगे क्योंकि मेरा खानदान एक किसान खानदान है। मेरे पिताजी भी किसान हैं, वे भी इस पवित्र सदन के मेम्बर रहे थे 57 से 62 तक। आप भी जानते हैं उनको अच्छी तरह। उसी किसान का बेटा मैं हूं। मैंने आज अपने कर्तव्य को निभाया है, किसान की एक पवित्र मांग को पवित्र सदन में रखा है और पवित्र पार्टी कांग्रेस के सामने रखा है, मंत्रीजी के सामने रखा है, मुझे विश्वास है मेरी मांग जरूर पूरी होगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री जगमाल सिंह यादव।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : सभापति महोदय, बिजली की समस्या को लेकर पिछले पन्द्रह साल से तो मैं देख रहा हूं कि इस सदन में आये साल बजट के समय पर और बरसात का जब सत्र बुलाते हैं तो कई बार उसमें भी बिजली के संकट पर चर्चा होती है। सभापति महोदय, यह संकट पैदा किसने किया? मंत्रीजी, जो भी राजस्थान में सरकार आई, जिस पार्टी की भी सरकार बनी, उस सरकार ने इस संकट को कंट्रोल करने के बजाय बल्कि बढ़ाने का काम किया। बिजली का उत्पादन आपका बढ़ा नहीं और जब भी जो बजट आया अपने इलेक्शन मैनीफेस्टो में आपने घोषणा कर दी कि पच्चीस हजार कनेक्शन इस बार हम देंगे, पांच

(19.40 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

(श्री जगमाल सिंह यादव)

सौ गांवों का विद्युतीकरण करेंगे। यह बिजली आएगी कहां से? प्रत्येक सरकार को यह भान था, यह ज्ञात था कि हमारी बिजली की उत्पादन क्षमता कितनी है इसके बावजूद भी हर सरकार चाहे वह कांग्रेस की आपकी सरकार 40 साल रही हो चाहे बी.जे.पी. की सरकार रही हो, उन्होंने थोथी वाहवाही लूटने के लिए हर गांव का हर बजट में विद्युतीकरण किया। गांव में जैसे इस बार आपने 25 हजार कनेक्शन दिये, कई बार 50-50 हजार कनेक्शन आपने रिलीज किए। तो बिजली आएगी कहां से? एक रोटी के जितने हिस्सेदार बनेंगे उतना ही छोटा टुकड़ा आपके हिस्से में आएगा। आज तो हम यह कह रहे हैं कि हमको 8 घंटे बिजली नहीं मिली, 16 घंटे बिजली नहीं मिली, 4 घंटे बिजली मिली अगर इसी तरह से हर बजट में आप 25 अजार गांवों का इलैक्ट्रिफिकेशन करते गये तो चाहे यह सरकार रहे चाहे आपकी सरकार आये, निश्चित रूप से आज से 10 साल बाद आपको एक घंटा भी बिजली उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि आपकी बिजली जनरेट तो हो नहीं रही है। एक कहावत है, सभापति महोदय, उतने पैर पसारिये जितने लम्बी सौर। आपके पास सामान तो है नहीं और थोथी घोषणाएं करके इलेक्ट्रिफिकेशन किये जा रहे हैं। इसलिए तो आज यह बिजली का संकट पैदा हो गया।

सभापति महोदय, बिजली बोर्ड साढ़े पांच हजार करोड़ के घाटे में हैं। किसी भी बोर्ड के घाटे में 2-3 अहम कारण होते हैं या तो थैफ्ट के केसेज, चोरी ज्यादा हो रही है, लाइन लॉसेज हों और सब्सिडाइज ज्यादा कर रहे हों यानी उत्पादन लागत आपकी ज्यादा आ रही है और आप दे सस्ती रहे हों। ये मुख्य कारण हैं। लेकिन मैं यह भी पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, अक्सर किसानों पर यह दोष दिया जाता है कि किसानों को जो बिजली हम दे रहे हैं उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। आप भी किसान हैं और सदन में ज्यादातर किसानों के प्रतिनिधि बैठे हैं; यह बात सरासर गलत है कि किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, कि किसानों को सस्ती बिजली दी जा रही है। मिसाल के तौर पर अगर किसी किसान के यहां 15 पोल लगेंगे तो आप 8 पोल देंगे 3 हजार के हिसाब से और 7 पोल देंगे 11 हजार के हिसाब से। यह कीमत बैठी एक लाख एक हजार। अब बिजली की फिटिंग इत्यादि लगाकर अगर एक लाख बीस हजार मान लें तो एक लाख इक्कीस हजार उसका खर्चा हुआ। फिर आप 6 सौ रुपये प्रति हार्स पॉवर अलग से लेते हैं। अगर जनरल लिस्ट में है तो और जनरल लिस्ट को तोड़

(श्री जगमाल सिंह यादव)

कर आते हैं तो बिना प्रायोरिटी के दो हजार प्रति हार्स पॉवर आप अलग से चार्ज करते हैं। इस तरह से, सभापति महोदय, यह खर्चा बैठ जाता है एक लाख सत्ताईस हजार रुपये। इसका इन्ट्रैस्ट फलाएं। आपने 60 रुपये प्रति हार्स पॉवर प्रति माह बिजली की रेट तय कर दी, इस तरह से यह आपका बिल 7200 रुपये 12 महीने का। किसान का अगर दो रुपये सैकड़े के हिसाब से ब्याज फलाएं मैं यह कहता हूं कि अगर आर.एस.ई.बी. उसकी एफ.डी. भी कर दे तो 12% के हिसाब से यह ब्याज और जो बिल देता है वह सालाना यह बैठ जाता है 22440 रुपये। अगर आप 8 घंटे बिजली दें तो एक हार्स पावर की मोटर एक घंटे में एक यूनिट निकालती है, पांच हार्स पावर की मोटर एक घंटे में पांच यूनिट निकालेगी और 8 घंटे अगर आप बिजली दें किसान को तो वो 40 यूनिट 8 घंटे में बिजली निकालेगी। अगर 30 दिन तक दें...

डा. चन्द्रभान : यह सही नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप मुझे सही कर दें।

डा. चन्द्रभान : ऐसा है कि एक किलोवाट एक घंटे तक जले उसी में एक यूनिट हो जाती है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं उसी हिसाब से फला रहा हूं।

डा. चन्द्रभान : एक हार्स पावर में और एक किलोवाट में बहुत अन्दर है।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक किलोवाट कह देता हूं। इस हिसाब से आपकी किसानों को जो बिजली पड़ती है वह 4.80 रुपये के हिसाब से पड़ती है। फिर किसान को देते क्या हैं? आप लेबर चार्जेज किसान पर लगाते हो। सभापति महोदय, आप भी जानते हैं सारा राजस्थान जानता है जो भी पोल है जो भी तार है, इन्सुलेटर है, जो क्रास-आर्म है, सब किसान अपने खर्च से ले जाता है। विचारणीय मुद्दा होगा कि कितनी बिजली सप्लाई होगी और कितनी किसान को मिलेगी। आज तो यह अहम मुद्दा खड़ा होगा कि एक लाख, सवा लाख जो किसान का डिमाण्ड नोटिस का बिल आ रहा है, वह राजस्थान का किसान बिजली का उपभोग कर भी सकेगा या नहीं कर सकेगा। मेरा अभी एक कनेक्शन आया, सभापति महोदय, 1986 का कनेक्शन था। अभी जब मैं गया 3-4 महीने पहले, मेरे पास डिमाण्ड नोटिस आया। उसमें 1 लाख 29 हजार रुपये डिमाण्ड राशि थी और उसमें लिखा है अगर आप लेना चाहते हैं तो यह 15 दिन में डिमाण्ड नोटिस जमा करा दें। मैंने लैटर लिख दिया कि मेरी कैपेसिटी से बाहर है इसलिए मैं यह कनेक्शन छोड़ता हूं।

डा. चन्द्रभान : लाइन की दूरी एक-डेढ़ किलोमीटर थी क्या?

श्री जगमाल सिंह यादव : एक लाख उन्तीस हजार का डिमाण्ड नोटिस।

डा. चन्द्रभान : पोल कितने लगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने तो नापा नहीं, आपके विभाग ने नापा होगा। आपके विभाग से पूछिये।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी, बाद में बता दीजिये। जगमाल सिंह जी, आप चालू रखिये। यह हर बात का एक्सप्लेनेशन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो किसान पर एहसान रखा जा रहा है कि किसान को सस्ती बिजली दी जा रही है, बिलकुल सस्ती बिजली नहीं दी जा रही है। फिर देते कितनी हैं। यह 4.80 रुपये प्रति यूनिट जो चार्ज आ रहा है किसान पर, 8 घंटे अगर कंटीन्यू हो तो यह 4.80 रुपये पड़ता है। आप देते हैं दो घंटे और तीन घंटे, तो उस हिसाब से चार घंटे भी देते हो यह 9 रुपये प्रति यूनिट पड़ जाता है किसान पर।

मैं तो यह और कहता हूं आपसे कि आपने नियामक आयोग बनाया, अगर इतनी महंगी बिजली हमको आर.एस.ई.बी. दे रही है तो प्राइवेट सैक्टर में भले ही दे दें, अगर ये चार रुपये पांच रुपये भी लेंगे तो भी कम से कम जो प्राइवेट सैक्टर वाला है वह बिजली की नियमित आपूर्ति तो रखेगा। आपका तो क्या पकड़ लें? आपने पैसे तो ले लिये सारे और बिजली देंगे, कभी एक घंटे, कभी दो घंटे और कभी तीन घंटे। सभापति महोदय, यह नहीं होता है। मैं तो आपको एक सलाह और देता हूं, आप बिजली जनरेट नहीं कर सकते और किस खूबे से चाहे सेन्ट्रल पूल से चाहे मध्य प्रदेश और चाहे पंजाब से बिजली लें, मंत्री महोदय, लेकिन आप अब गेहूं की फसल आएं तो किसानों में एक अनाउंस करा दें कि कोई भी किसान 4 घंटे का हिसाब लगाकर अपनी फसल बोयें। वरना हालत यह होती है किसान बिजली के सहारे बो लेते हैं और उनकी फसल नष्ट हो जाती है। आप जो बिजली आपूर्ति के मामले में 8 घंटे की बात करते हो, वह दो घंटे और चार घंटे मिलती है। उसका तो कच्चा सौदा है, बायोलोजिकल प्रोडक्ट है, वो 10 दिन का, 20 दिन का इंतजार नहीं कर पाता है कि 20 दिन बाद बिजली आ जाएगी तो मैं पलेवा ले लूंगा। आप यह कर दें तो भी मैं आपका एहसानमंद रहूंगा राजस्थान के किसानों की तरफ से कि आप कह दो कि दो घंटे बिजली देंगे या चार घंटे देंगे। लेकिन वह चार घंटे बिजली आपको देनी होगी ताकि किसान बच सके।

सभापति महोदय, अभी बिजली बोर्ड ने घोषणा की कि जो चक्रवर्ती ब्याज लगाते हैं यानी जो बिल पेमेन्ट नहीं हुआ उसका 32% ब्याज लगाते हैं। वह ब्याज पर ब्याज हर दो महीने बाद हर बिल के साथ जुड़ता

(श्री जगमाल सिंह यादव)

जाता है, इस तरह से यह ब्याज सालाना पड़ता है 32%। इसकी आपने छूट की है 50% छूट हम किसानों को देंगे। और उद्योगों को कितनी देते हैं, सभापति महोदय? सौ फीसदी। किसान को दी 50 फीसदी और उद्योग को शत-प्रतिशत।

डा. चन्द्रभान : कब दी है उद्योगों को? केवल घरेलू कनेक्शन, अघरेलू कनेक्शन और एग्रीकल्चर के लिए दी है, इंडस्ट्री के लिए कोई छूट नहीं दी।

श्री जगमाल सिंह यादव : चलो, डोमेस्टिक पर तो दी शत-प्रतिशत किसानों को क्यों नहीं? एग्रीकल्चर पर क्यों नहीं?

डा. चन्द्रभान : रूरल एरिया में दी है वह छूट भी 100%...

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, एग्रीकल्चर पर क्यों नहीं दी?

डा. चन्द्रभान : एग्रीकल्चर पर दी है। आप एक तो क्या है कि हर चीज पर मेरी बात सुनिये। 18% लगता है इन्ट्रेस्ट पैनल्टी का, उसको 9% कर दिया है एग्रीकल्चर में और रूरल एरिया में डोमेस्टिक जो कनेक्शन हैं, 100% पैनल्टी इंटरेस्ट इनकी सब माफ कर दी है यदि एक साथ जमा करा देंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, 1976 से बिजली बोर्ड में कोई भर्ती नहीं हुई। जैसा आप भी जानते हैं, हर बजट में गांवों का इलैक्ट्रिफिकेशन आपने बढ़ाया है। बिजली का जो नेटवर्क है वह पिछले 24-25 साल में 10 गुना, 20 गुना बढ़ गया और 1976 के बाद भर्ती बंद कर दी। कई कर्मचारी रिटायर हो गये। आज हालत यह हो रही है कि सब ग्रिड स्टेशन पर अगर 8-8 घंटे की ड्यूटी दो आदमी भी दें तो एईएन. आफिस में इतने कर्मचारी भी नहीं हैं जो पूरी ड्यूटी दे दें। कोई लाइन का फाल्ट आ गया तो उसको कौन निकालेगा? सभापति महोदय, 1976 के बाद भर्ती नहीं हुई, यह बात सही है लेकिन अब जो कर्मचारी शेष रह गये उनकी हालत यह है कि वे खंभे पर नहीं चढ़ सकते। जो आधे कर्मचारी है वे लाइन को ठीक करने की बात तो दूर खंभे पर चढ़ ही नहीं सकते। इसलिए मैं आपके मार्फत आग्रह करूंगा कि बिजली बोर्ड में नई भर्ती चालू करें ताकि किसानों के जो लाइन के फाल्ट है इनको निकालने के लिये नौजवान और सक्षम कर्मचारी मिल सकें।

श्री सभापति : थोड़ा टाइम बढ़ा रहे हैं आप ओवर कर दें।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं तो एक मिनट में ही खत्म कर रहा हूं। सभापति महोदय, मेरे यहां भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, मंत्री जी जो बिजली की आपूर्ति की बात कर रहे हैं, आज 1100 में से 721 इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है। यह कृषि पर ही इफैक्ट नहीं हुआ है, अलवर जिला जो पूरा

(श्री जगमाल सिंह यादव)

इंडस्ट्रीयल एरिया है—भिवाड़ी, शाहजहांपुर, नीमकाथाना, बहरोड़, खैरथल और एम.आई.ए. अलवर, आज हालत यह हो गई कि वह इंडस्ट्रियल एरिया नजर ही नहीं आता। इसलिए नजर नहीं आता कि जो इंडस्ट्रीज लगी थीं, बिजली के अभाव में वे बंद कर चले गये। आप रोज कहते हैं कि राजस्थान में निवेश नहीं हो रहा, नया उद्योग नहीं आ रहा। सभापति महोदय, नया उद्योग आएगा भी नहीं क्योंकि राजस्थान की विद्युत व्यवस्था उत्तरी भारत में सबसे खराब विद्युत व्यवस्था मानी जाती है। सभापति महोदय, किसी घर में अगर टोटा-नफा हो जाए तो उसको दबाते हैं। हालत यह हो गई कि आपने राजनीतिक तरीके से चुनाव जीतने के बाद ही स्टेटमेंट देने चालू कर दिये, जैसा बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम तो कंगाल हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो नाममात्र की सरकार हैं, साढ़े 23 हजार करोड़ का हम पर कर्जा है। कौन आता आपके पास? कौन उद्योगपति आपके पास आकर उद्योग लगाता? आपकी हालत तो यह हो गई कि सीमेंट फैक्ट्री से आप 20 करोड़ रुपये उधार मांग रहे हो, गिड़गिड़ा कर मांग रहे हो और उस उद्योगपति से यह कह रहे हो कि 20 करोड़ रुपये दे दो हम मध्य प्रदेश से बिजली खरीदेंगे। मध्य प्रदेश ने आपको बिजली देने से मना कर दिया। आपने सेठों से पैसा वसूल किया है और उनको लिख कर दिया है कि आपकी शर्त पर हम बिजली देंगे, आपूर्ति पूरी करेंगे। आपने अपनी स्थिति खुद खराब की है। जो चतुर इंसान होता है, घर का मालिक होता है, सरकार का मालिक होता है, चाहे सरकार में टोटा हो लेकिन वह टोटे की बात नहीं करता है। सभापति महोदय, घर में, गांव में और शहर में भी आपने देखा होगा कि अगर टोटा होता है तो भी बनिये के पास जाकर हम यह कहते हैं कि इस बार 200 क्विंटल सरसों पैदा होगी हमारे यहां, ताकि अगला उधार मिल जाए। आपने तो पल्ला झाड़ कर खड़ा कर दिया। आपने तो यह कह दिया कि हमको कोई एक पैसा मत देना, चाहे विद्युत का हो, चाहे दूसरे का हो। इसलिए आपको कौन बिजली उधार देता? मध्य प्रदेश ने आपको देने से मना कर दिया, पंजाब ने आपको देने से मना कर दिया। सेंट्रल पूल का पैसा आपने चुकता नहीं किया, वे क्यों देते?

श्री सभापति : जगमाल सिंह जी, ओवर करो।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, कांग्रेस गवर्नमेंट को यह भी करना था तो जब आपने तीन साल राज कर लिया होता तभी यह ढिंढोरा पीटते कि हम इसलिए विकास नहीं कर सके कि हम पर साढ़े 23 हजार करोड़ का कर्जा बीजेपी. की गवर्नमैंट ने छोड़ा है। भैरोंसिंह जी चतुर शख्स थे, मैं चाहे उनके खिलाफत में हूं लेकिन आज यह कहता हूं उन्होंने कभी यह आभास नहीं होने दिया कि हम पर साढ़े 23 हजार करोड़ का कर्जा है। ये बात साहूकारी की करते रहे। जितना कर्जा आपको विरासत में छोड़ कर गये यही कर्जा इनके पास था लेकिन इन्होंने कभी आपकी तरह से यह ढिंढोरा नहीं पीटा कि हमारा घर कंगाल है, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। हम दे भी नहीं सकेंगे, चुकारा नहीं कर सकेंगे। ऐसे आदमी को जो गांव में चौपाल में खड़ा होकर यह कह दे कि मैंने तो पीली पंसेरी कर दी है, यानी दिवालिया घोषित कर दिया है, उसको कौन टका देगा? सभापति महोदय, ये मुख्य कारण रहे हैं।

मंत्री जी, मेरे भिवाड़ी से फरनेस की तो सारी कम्पनियां भाग गई जिनमें बिजली खपत होती थी। सबसे ज्यादा कंजम्पशन था भिवाड़ी में। अब हालत यह है कि जैसे खजुरीवास है, निलकपुर गुर्जर है, आलूपुर है, शहदपुर है, ये गांव तो भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में हो गये और बिजली आप औद्योगिक एरिया से दे रहे हो लेकिन उनका सब डिवीजन लगा रखा है टपूकड़ा में। क्यों? उनका बिल भी वहीं भरवा लो। उनको बिजली पूरी आ रही है, इंडस्ट्रियल एरिया से दे रहे हो लेकिन बिल भरने जाते हैं टपूकड़ा में। बिल भी वहीं जमा करवा लो। मैं ज्यादा और कम की बात नहीं कर रहा हूं, बिजल तो उतनी ही मिल रही है।

सभापति महोदय, मैं यही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि अलवर जिला औद्योगीकरण में कोटा से आगे निकल गया था, भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया हिन्दुस्तान का चौथा इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां 700 यूनिट बंद हो गई। मैंने आपसे अब आप बिजली मंत्री भी थे और उद्योग मंत्री भी हैं, मैं कई बार आपसे मिला भी हूं। अलवर जिले के समस्त औद्योगिक क्षेत्र में जो धड़ाधड़ यूनिट बंद हो रही हैं, इनको चालू करने का कोई न कोई रास्ता आप निकालेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

श्री सभापति : माननीय श्री भगवान सहाय जी सैनी। (अनुपस्थित)

श्री अशोक जी बैरवा। (अनुपस्थित)
माननीय श्री मंगलाराम जी गोदारा

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आज ऐसा युग है जिसमें ऊर्जातंत्र और प्रजातंत्र दोनों ही जुड़े हुए हैं। अगर आप ऊर्जातंत्र को सही रखोगे तो प्रजातंत्र भी सही रहेगा। मैं ज्यादा नहीं कहकर मेरे क्षेत्र की बात आपको सभापति महोदय के द्वारा कहना चाहूंगा। मेरे जिले में रतनगढ़ में 400 के.वी.ए. के.जी.एस.एस. की आपने घोषणा कर रखी है, स्वीकृत भी है। इसको आप जल्दी से जल्दी शिलान्यास करके चालू करवाए। चूरू जिला एक ऐसा जिला है जो बाड़मेर से जुड़ता हुआ है। बाड़मेर और चूरू में कोई फर्क नहीं था। विद्युतीकरण की वजह से, ट्यूब वैल होने की वजह से चूरू जिले में मेरा डूंगरगढ़ क्षेत्र जो कि आज अकाल की चपेट में है, वहां पशुधन के लिये चारा बाहर से नहीं लाना पड़ता। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछली बार आपने बहुत बढ़िया बिजली देकर हमारे क्षेत्र का विकास किया। विद्युतीकरण किया, इसके लिये मैं आपका मेरी जनता की ओर से आभारी हूं। इस साल बिजली मिली, कुछ कम मिली। मेरे क्षेत्र में 7-8 घंटे बिजली मिलती तो रहती है, अगर 7-8 घंटे बिजली नहीं मिलती है तो रेतीला इलाका है वहां मूंगफली की फसल होती है। मूंगफली की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है और रेतीला इलाका होने की वजह से वहां पानी जल्दी सूखता है, तो आपने जिस तरीके से पिछले साल बिजली दी थी उसी तरह से आगे भी किसानों को बिजली देने की कृपा करें।

(20.00 बजे)

दूसरा मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपकी घोषणा के अनुरूप 13 मार्च तक के सामान्य श्रेणी के कनेक्शन लिये थे, 183 कनेक्शन में से एक भी कनेक्शन आज तक नहीं हुआ। 20-22 डिमाण्ड नोटिस भरने के बाद भी आज तक कोई सामान किसानों को उपलब्ध नहीं करवाया गया। एस.सी.एस.टी. के 15 कनेक्शन थे उनमें से एक भी डिमाण्ड नोटिस जमा नहीं कराया गया, न ही कोई कनेक्शन दिया गया।

तीसरा, हरे चारे के माध्यम से आपने अकाल के अंदर बहुत बढ़िया किया। मेरे वहां के क़िसान को चाहे आप बिजली कितनी ही महंगी दो, बिजली मिलनी चाहिये, कनेक्शन मिलना चाहिये। वहां पानी बहुत गहरा है, पानी बहुत ज्यादा है, 104 फाइलें हरे चारे की लगी थीं उनमें से आज तक एक भी डिमाण्ड नोटिस नहीं निकाला गया। मैं सभापति जी के माध्यम से आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि आप हरे चारे

(श्री मंगलाराम गोदारा)

वाले कनेक्शन कब तक दोगे, इसकी घोषणा करो। बंद का मैं नहीं कहता। मेरे यहां आप कितना भी महंगा कनेक्शन दो लेकिन कनेक्शन दो। मेरे वहां बहुत ज्यादा कुए बने हुए हैं, किसान कुओं पर आधारित हैं आज आप अगर किसानों को जल्दी से जल्दी कनेक्शन दे सको तो उससे वहां के गांव, कस्बा और वह एरिया पनप सकता है, पानी की किल्लत मिट सकती है।

मेरे यहां आपने काफी जी.एस.एस. बनाये लेकिन मैं और भी आपसे आशा करता हूं, जैसे रतनगढ़ 400 के.वी.ए. का जी.एस.एस. आप जल्दी से जल्दी चालू करवाए। मेरे यहां डूंगरगढ़ में बहुत कुएं हैं वहां 132 के.वी.ए. का जी.एस.एस. बना हुआ है, वहां कम से कम 220 के.वी.ए. का जी.एस.एस. अगर आप बनाएंगे तब ही आगे के लिये हमको वोल्टेज मिलेंगे और आगे कनेक्शन देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 132 के.वी.ए. का जी.एस.एस. आपने स्वीकृत कर रखा है तेनदेसर, दूसरा मेरे 33 के.वी.ए. के जी.एस.एस. उपणी, बाना, रिडी, बरदानसर, लिखवीसर स्वीकृत हैं इन जी.एस.एस. के बीच में लंबा एरिया है, एक जी.एस.एस. 132 के.वी.ए. की अगर आप स्वीकृति दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं यही कहकर सभापति जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री भगवान सहाय सैनी : सभापति महोदय, मैं मौजूद नहीं था मुझे अवसर दिया जाए।

श्री सभापति : माननीय भगवान सहाय जी सैनी।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : माननीय सभापति महोदय आज सदन में ऊर्जा की चर्चा हो रही है, इस अवसर पर मैं भी मेरे विधान सभा क्षेत्र चौमूं की ऊर्जा संबंधी समस्याओं व अन्य बातों का जिक्र करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं इनका आभारी हूं कि इन्होंने चौमूं विधान सभा क्षेत्र में पिछले तीन महीनों में 33 के.वी.ए. के तीन जी.एस.एस. सम्पूर्ण करवाकर उनका उद्घाटन किया। तीनों जी.एस.एस. पिछले 10 साल से स्वीकृत थे लेकिन पिछली गवर्नमैंट ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वित्तीय व्यवस्था नहीं करवाई। अभी तीन महीने पहले वे तीनों जी. एस. एस. सिंगोदखुर्द कालाडेरा, गिलोई चालू हुए, मैं उसके लिये आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान चौमूं की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि चौमूं विधान सभा क्षेत्र, तहसील और पंचायत समिति एक ही एरिया पड़ता है जहां पर राजस्थान के सबसे अधिक कृषि कनेक्शन हैं। राजस्थान में जो छह लाख कृषि कनेक्शन हैं उनमें

(श्री भगवान सहाय सैनी)

से जयपुर जिले में 85,000 हैं और केवल चौमूं में साढ़े सोलह हजार कृषि कनेक्शन हैं जो जयपुर जिले के 18 प्रतिशत कनेक्शन हैं। लेकिन जो विद्युत सप्लाई दी जाती है उसमें बहुत भेदभाव किया जाता है। चौमूं में ही नहीं पूरे जयपुर जिले में सब्जियों का उत्पादन होता है। ऊर्जा मंत्री जी, आप रबी की फसल एक जनवरी से 31 मार्च तक मानकर 7-8 घंटे बिजली देने की घोषणा करतें हैं लेकिन चौमूं और चौमूं के आस पास आमेर सब्जी उत्पादन का क्षेत्र है, यहां से जयपुर को दूध सप्लाई भी होती है, मुख्य धन्धा कृषि है इसलिये चौमूं में हमेशा बिजली 7-8 घंटे देने की व्यवस्था करवाएं। पिछले साल बिजली आठ घंटे पूर्ण रूप से मिली लेकिन इस बार पिछले दो-तीन महीनों में बिजली तो 6-7 घंटे मिली लेकिन 12 घंटे में मिली, कभी एक घंटा कभी दो घंटा। ट्रिपिंग बहुत रही। अब भी 4-5 घंटे बिजली दे रहे हैं लेकिन सब्जियों के उत्पादन को देखते हुए 8 घंटे बिजली दिलवाने की कृपा करें।

चौमूं में किसानों को कुओं में वोल्टेज बराबर नहीं मिलते हैं। अनेक किसान तो ऐसे हैं। जिनके कुएं वोल्टेज नहीं मिलने के कारण बंद पड़े हैं। एल.टी. लैस का चौमूं विधान सभा क्षेत्र में काफी काम है लेकिन विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एल.टी. लैस व्यवस्था करवाई जाए। वितरण व्यवस्था मांग के अनुरूप नहीं की जा रही है। चौमूं विधान सभा क्षेत्र में लगभग डेढ़ लाख हार्स पावर क्षमता के कनेक्शन कार्यरत हैं लेकिन चौमूं विधान सभा क्षेत्र को सप्लाई का विद्युत कोटा बहुत कम दिया जाता है जिससे बिजली 7 घंटे की बजाय 3-4 घंटे ही चल पाती है।

माननीय ऊर्जा मंत्री जी, विधान सभा क्षेत्र चौमूं से शत प्रतिशत राजस्व आपको मिलता है, समय पर मिलता है उसके बावजूद सप्लाई में बड़ी गड़बड़ी रहती है। मेरे पड़ौस में ही अनेक ऐसी जगह हैं जहां पर बिजली की चोरी भी होती है, बिल भी नहीं दिये जाते हैं लेकिन वहां आप 24 घंटे बिजली देते हैं और हम पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं जहां से राजस्व पूरा मिलता है, पैसा समय पर देते हैं वहां पर बिजली समय पर नहीं देते। पिछले वर्ष चौमूं विधान सभा क्षेत्र में लगभग 12 करोड़ रुपये का राजस्व विभाग को मिला जो इस वर्ष लगभग 14 करोड़ मिलने की आशा है। इतना अधिक राजस्व मिलने के बावजूद भी चौमूं विधान सभा क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान नहीं है। गांवों में दिन के समय जो आपने सिंगल फेस बंद कर दिया है इससे ग्रामीण कुटीर उद्योग सब बंद हो चुके हैं। हालत यह

(श्री भगवान सहाय सैनी)

है कि आटे की चक्की चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। सुबह 3 बजे से 8 बजे और रात को 10 बजे से 3 बजे तक देते हैं दिन में आप बिजली नहीं देते हैं, न तो वेल्डिंग के कारखाने न कुटीर उद्योग किसी तरह से चल सकते हैं। इसलिये गांव में भी दिन में सिंगल फेस देने की व्यवस्था करें जिससे छोटे-मोटे धन्धे चालू रहें। जो सिंगल फेस आपने सांयकाल 7 से 11 देने की घोषणा कर रखी है, चौमूं क्षेत्र में इसमें बड़ा व्यवधान है। 2-3 घण्टे मुश्किल से सिंगल फेस आता है और वह भी ट्रिपिंग के साथ, इसलिये आपसे निवेदन है कि सिंगल फेस की व्यवस्था करवाएं।

कुओं पर मोटर की वोल्टेज वास्तविक से ज्यादा बतायी जाती है। कुए गहरे हैं, वोल्टेज कम मिलता है, मोटरें एम.पी.आर. ज्यादा बताती हैं। अब आपका सतर्कता विभाग जांच करने जाता है और वे उसको नापने का थर्मामीटर लगाते हैं तो 10 हार्स पावर की मोटर साढ़े 12, या 13 की बताता है और वे झट उसके 10 हजार का, 8 हजार का डिमाण्ड नोट पकड़ा देते हैं।

(20.10 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, मोटर कम्पनियां भी यह कहती हैं कि हमारी मोटरें एम.पी.आर. ज्यादा बताती हैं लेकिन इस बात को अधिकारी नहीं मानते हैं। इसमें गम्भीरता से विचार किया जाए। जो 10 की मोटर है उसका एम.पी.आर. 13 हार्स पावर भी बताए तब भी उसके चोरी का केस नहीं लगाना चाहिए। आज यह हो रहा है कि सही व्यक्ति को भी आपका विभाग चोर साबित करने लग रहा है। 10 हार्स पावर की मोटर को 13 हार्स पावर बताकर 3 हार्स पावर का उसके चार्ज वसूल किया जा रहा है। इस ओर ध्यान दिया जाए।

मेरा विधान सभा क्षेत्र राजस्थान का सबसे अधिक ऊर्जा खपत का इलाका है। बिजली का वितरण सही रूप से संचालित हो इसके लिये 33 के.वी.ए. जी.एस.एस. नासा खाड़ला, नांगल गोविन्द, सांदड़सर, निवाणा, मोरीजा में स्थापित किये जाएं व काला डेरा औद्योगिक क्षेत्र में 132 के.वी.ए. का जी.एस.एस. स्थापित किया जाए। मंत्री महोदय, सांदड़सर और निवाणा में पिछले 2 साल से प्रशासनिक स्वीकृति दे रखी है लेकिन वित्तीय स्वीकृति के कारण अधूरे पड़े हैं। इसलिये ये पांचों 33 के.वी.ए. जी.एस.एस. के जल्दी चालू करवाने की कृपा करें। इसी तरह के 11 के.वी. के हाथलुधा और खादी बाग में ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं, यहां की काफी लम्बी लाइनें हैं इसलिये ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ायी जाकर यहां उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाये जाएं।

मंत्री महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में कई पंचायतें 20-20 हजार की पंचायतें हैं, वहां भी निकली

(श्री भगवान सहाय सैनी)

4-5 घण्टे मिलती है। वाटर वर्क्स की एक-एक गांव में 3-3 टंकियां हैं पानी की, नहीं भरती हैं। जो भी जलदाय योजनाएं हैं उनको सीधे 33 के.वी.ए. जी.एस.एस. या 11 के.वी.ए. जी.एस.एस. से जोड़ा जाए जिससे वहां पर पावर बराबर मिले और पानी की समस्या नहीं आए।

इसी तरह पूर्व माननीय सदस्यों ने भी यह बात कही कि जो जेईएन. या एईएन. की पाबन्दी आपने गृह जिले की लगाई है उसके बाद कार्य संचालन में काफी बाधा आयी है। जो लोकल आदमी रहेगा, दबाव में काम करेगा और जो बाहर का रहेगा उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिये इस पाबन्दी को हटाया जाए।

ऊर्जा मंत्री महोदय से पुनः निवेदन है कि मेरे द्वारा जो बातें कहीं उन पर ध्यान दें और उनको जल्दी करवाएं। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री आदरामजी।

श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी) : माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र टीवी में 4 गांव राथी खेड़ा, रता खेड़ा, पीर कामड़िया, पनियावाड़ी, वहां खेतों में ट्रांसफार्मर से 2 जगह आग लग गयी। कणकखड़ी में, सूखी फसल, 450-500 बीघा कणक बिलकुल राख हो गयी। कणक और तूड़ी जल गयी बिलकुल ही, कुछ नहीं बचा। उन जमींदारों को कोई सहायता मिलनी चाहिए, वह मिली नहीं है। हरियाणा, पंजाब में कोई फसल नष्ट हो जाती है तो वे मुआवजा देते हैं फसल का। कई गरीब लोग ऐसे हैं, जो आगे बुवाई नहीं कर सकते हैं। उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा आपसे कहना है कि फसल बिलकुल नष्ट हो गयी, आगे वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप उनको मुआवजा दिलवाएं।

मेरा बिजली मंत्री जी से निवेदन है कि वहां राथी खेड़ा और रता खेड़ा में जो तार हैं वे बिलकुल ही ढीले हैं। ट्रेक्टर पर जमींदार तूड़ी लाया, ऊपर एक गरीब मजदूर बैठा। उसके गले में तार लगा, बिजली से वह ठण्डा पड़ गया, मर गया। तो मेरा कहना है कि जैसे भी हो, उन तारों को कर्मचारियों को कहकर खिंचवाएं, ठीक करवाएं और उनका हो भी जो मुआवजा देने की कृपा करें। जयहिन्द।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, प्रातःकाल से ही जब से इस विद्युत पर चर्चा शुरू हुई, कई विद्वान साथियों ने अपने कई प्रकार के सुझाव और कई प्रकार के विचार दिये। पिछले 15 वर्ष से हम इस सदन में आ रहे हैं, हर साल कोई एक दिन इसके लिये निश्चित किया जाता है और बहुत गम्भीरता से चर्चा की

(श्री हीरासिंह चौहान)

जाती है। लेकिन उस सबके बावजूद भी जिस प्रकार का सुधार इस विद्युत विभाग में किसानों को बिजली देने में, गांवों में बिजली पहुंचाने में होना चाहिए, अभी तक पर्याप्त सुधार नहीं हो पाया।

मैं, माननीय विद्युत मंत्री जी, आपको याद दिलाऊं, पिछले दिनों विधान सभा में एक सवाल लगा था कि What is the definition of a village? आप किसी गांव को इलैक्ट्रिफाई करते हैं तो इलैक्ट्रिफाई करते समय केवल एक विलेज जो एक सराउंडिंग में बसा हुआ है, जो भी आपकी राशि होती है, वहां तक कनेक्शन दिये हैं। लेकिन उस गांव का आधा हिस्सा जो गांव के आस-पास ही बसा हुआ है, कुओं पर बसा हुआ है, ढाणियों पर बसा हुआ है उनके लिये अलग से कनेक्शन देने के लिये सारी प्रक्रिया अलग रख रखी है। आप भी गांव के हैं और किसान के पुत्र हैं, वे किसान वर्षों के बाद तक भी बिजली प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि गांव के साथ ढाणियों को बिजली देने वाली अलग-अलग व्यवस्था बना रखी है उस व्यवस्था में बदलाव लाना बहुत आवश्यक है। बदलाव लाकर उसके लिये अलग से आप कोई राशि तय कीजिये। डोमेस्टिक कनेक्शन लेने की जो परम्परा चल रही है, अभी तो आपने बहुत ज्यादा इसको महंगा कर रखा है उसके लिये आधी रेट कीजिये, 1/4 कीजिये। इतने भारी डिमाण्ड नोट आते हैं कि किसान उस बिजली को ले ही नहीं सकता। उन ढाणियों में, मंजरों में कहीं सौ घर हैं, कहीं डेढ़ सौ घर हैं, कहीं दो सौ घर हैं, इसलिये सबसे पहले तो मेरा निवेदन है, अगर आप चाहे तो कि गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग इस विद्युत व्यवस्था के साथ जुड़ें तो पहला सुधार करना यह आवश्यक है।

सभापति महोदय, दूसरा ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मीटर की रीडिंग करने के लिये कोई नहीं जाता है। हमने सैकड़ों बार शिकायतें कर दीं कि मीटर में बहुत ज्यादा बिल आ रहा है, ज्यादा चार्ज आ रहा है, मीटर फास्ट चलता है। वर्षों पहले जितने कर्मचारी लगे हुए थे उतने के उतने कर्मचारी आज लगे हुए हैं, वे अंदाज से कर देते हैं कि उस महीने में यह आया था, इस महीने में यह आएगा। हमने तो उनको यहां तक सुझाव दिया कि एक बार आप सैम्पल चेकिंग कर लीजिये कि 2 महीने सर्दी के हैं उस समय हमारा कितना कंजम्पशन आया, उसके बाद गर्मी में कितना कंजम्पशन आया। उसके बाद सही नतीजा या उसका मीटर में बिजली का कितना कंजम्पशन हुआ, उस तरह निकालें। लेकिन वे क्या कहते हैं? उनका सीधा उत्तर है कि आजकल कम्प्यूटर से इसकी रिडिंग आती है। अब पता नहीं किस प्रकार कम्प्यूटर से रीडिंग आती है और किस प्रकार के

(श्री हीरासिंह चौहान)

बिल देते हैं। अगर उसकी शिकायत की जाती है तो उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। सबसे पहले तो बिल में जो राशि है उसको जमा करवाओ, उसके बाद इसकी सुनवाई होगी। ऊर्जा मंत्री जी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, उस किसान की, उस कंज़ूमर की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है।

जितना बिल आता है वह भरता है, उसके बाद भी विद्युत विभाग का कोई अधिकारी किसी प्रकार सुनवाई करने वाला नहीं है। मेरा निवेदन है कि गांव के लोग इस मीटर सिस्टम से बड़े दुःखी हैं। उनके बिल बहुत ज्यादा आते हैं। बिजली तो कब आती है, कितनी आती है गांव में यह आपको सब मालूम है। सभी हमारे माननीय सदस्य इस बात को बता चुके हैं कि शहरी क्षेत्र में ज्यादा आती है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम आती है। इसलिए सिस्टम को आप इम्प्रूव कीजिए ताकि उपभोक्ता कम से कम यह तो नहीं कह सके कि सीधी ठगी है। it is clearly cheating यह तो लोगों के साथ ठगी करना है, डिसओनेस्टी है उन लोगों के साथ। एक गवर्नमैंट का विभाग होने के कारण से हमारा यह उत्तरदायित्व बन जाता है कि उन किसानों से जिनके डोमेस्टिक कनेक्शन हैं, उचित चार्ज लिया जाए, उनके साथ लूट खसोट नहीं की जाए।

माननीय ऊर्जा मंत्री जी, काफी बातें यहां पर कहीं गयी, आप कितना कर पाएंगे और कितना नहीं कर पाएंगे मैं विस्तृत में उस विवेचन में नहीं जाना चाहता। अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र रायपुर की तरफ आपका थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज से चार साल पहले पाली जिले की हाई पावर कमेटी ने एक प्रस्ताव बनाकर भेजा। पीपल्या कलां जो हमारा 132 का स्टेशन है उससे 30 किलोमीटर दूरी पर तीन पंचायत पड़ती हैं—कलारिया, बगड़ी और कोट किराना। जवाजा का फीडर बहुत नजदीक है, 133 का, पहले नहीं था लेकिन तीन साल पहले बन गया। वहां उन लोगों का आना-जाना चलता रहता है। विधान सभा में तीन बार सवाल पूछा, गत सैशन में भी पूछा तो कहा कि हम जोड़ देंगे। इस बार भी वही उत्तर आया कि हम जोड़ देंगे। अब हम किसके सामने क्या कहें? व्यवस्था को सुधारने के लिए और कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो किलोमीटर लाइन जोड़नी है जो अजमेर जिले से पाली जिले को जोड़ती है। बाकी तो सिस्टम आलरेडी है वहां पर। उसके साथ ही आपकी कम से कम 32 किलोमीटर लाइन जो रायपुर से कोटकिराना तक आती है, वह कम होती है। लेकिन कोई तो काग्निज़ेंस लेने वाला हो। इस काम को करेगा कौन? हम आपको लिखित में दे चुके, विभाग में तीन-चार सवाल

(श्री हीरासिंह चौहान)

पूछ लिये लेकिन आज भी स्थिति वही है। वहां आपके लाइनमैन है नहीं, कभी भी लाइन फाल्ट हो जाती है तो दो-दो, तीन-तीन दिन बाद में उस लाइन को ठीक किया जाता है। मेरा निवेदन है कि कम से कम इसको तो बहुत जल्दी कर लीजिए।

इसी प्रकार से बगड़ी नगर से पांच गांवों को हमने चयन करने के लिए कहा था पीपल्या कलां से जोड़ने का जो पीपल्या कलां से हार्डली दो-तीन किलोमीटर दूर पड़ते हैं सिंगपुरा, रायराकला, खोड़िया, खरनीखेड़ा और बीजागुडा। बगड़ी वहां से लम्बी बहुत लम्बी लाइन पड़ती है, जिससे उनको बराबर पावर मिलता नहीं है। जब भी उसमें फाल्ट हो जाता है, किसानों और लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। दो जगह जो मैंने दी हैं आपको पीपल्या से जवाजा जोड़ने का और बगड़ी नगर से इन गांवों का जोड़ने का, अगर ये जुड़ जाते हैं तो उसमें खर्चा भी कुछ नहीं है। लाइनें सारी खिंची हुई हैं, केवल इस फीडर से उस फीडर तक उन गांवों को जोड़ना है। इससे उपभोक्ताओं को टाइम पर बिजली मिले। कहीं फाल्ट होगा तो बहुत जल्दी ही इस फाल्ट को सुधारा जा सकता है।

माननीय ऊर्जा मंत्री जी पिछले दिनों मैंने विधान सभा में एक सवाल पूछा था, एक कुआ ड्राई हो गया, उसी से पचास गज की दूरी पर दूसरा कुआ खोद दिया और उसमें पानी आ गया। यह एक शिफ्टिंग का मामला है लेकिन आप 1700 रुपये पर हार्स पावर उसका चार्ज करते हो। क्या गुनाह कर दिया काश्तकार ने? कौनसी इसके लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, अतिरिक्त काम करना पड़ता है? सब कुछ वहां पर है। लेकिन आपका उत्तर मिला कि पचास गज की दूरी पर दूसरा कुआ खोदा और पहला कुआ सूख गया तो हम तो 1700 रुपया हार्स पावर के हिसाब से चार्ज करेंगे। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आप किसान के पुत्र हैं, क्या किसानों की माली हालत इतनी अच्छी है क्या? यह कौनसा अजीबोगरीब कानून है? इस सिस्टम को आप ठीक नहीं कर सकते क्या? आपने उत्तर दिया है विधान सभा में, इसमें मेरा निवेदन है कि किसानों की ओर से कि इसको आप देखिये और इसको ठीक कीजिए। आलरेडी कनेक्टेड कुआ है, वह ड्राई हो गया और पचास गज की दूरी पर दूसरा कुआ कर लिया, उसमें आपने उत्तर दिया कि 1700 रुपये पर हार्स पावर से हम शिफ्टिंग का चार्ज लेंगे। यह एक ठीक कानून नहीं कहा जा सकता, जस्टिफिकेशन नहीं है। There must be some justifications. मेरा आपसे निवेदन है, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, कि इस प्रकार के जो गलत कानून बने हुए हैं उन गलत

(श्री हीरासिंह चौहान)

कानूनों को आप चेंज करने की कोशिश कीजिए ताकि किसान इस व्यवस्था से थोड़ा आराम पा सकें, किसान को थोड़ी रिलीफ मिल सके।

माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आपने रेवेन्यू कलेक्शन का एक स्थान दे रखा है। गांवों के जोन बने हुए हैं, कोई मुख्य गांव जहां पर रेवेन्यू कलेक्शन होता है, दस किलोमीटर दूर है, कोई पन्द्रह किलोमीटर दूर है, कोई पच्चीस किलोमीटर दूर है, आप कम से कम यह व्यवस्था तो कीजिए कि कलेक्शन के लिए तीन-चार पंचायतों के बीच में एक बाबू चला जाए और बाबू जाकर सारा कलेक्शन करके ले आये। किसानों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए यह व्यवस्था बहुत कठोर है, बहुत दुखदायक है क्योंकि उनको जाना पड़ता है, आना पड़ता है केवल बिजली के पैसे जमा कराने के लिए। इसीलिए मेरा निवेदन है कि चार-पांच गांवों का एक समूह बना दीजिए और एक तारीख दे दीजिए। यह मेरे यहां एकाध जगह तो किया है लेकिन बहुत सारी जगह आप कर नहीं सके। तो ये बहुत सारे प्रैक्टिकल काम हैं इन प्रैक्टिकल कामों को आप कीजिए।

बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भी कहा और मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके लाइनमैनों की संख्या उतनी की उतनी है। आपने विद्युत का तो बहुत लम्बा-चौड़ा जाल बिछा दिया लेकिन बिछाने के बाद में आज लाइनमैन हैं नहीं। लाइनमैन की कमी से लाइन में जब कभी कोई डिफैक्ट आता हैं तो उसको ठीक करने के लिए कोई भी आपका कर्मचारी वहां पर उपलब्ध नहीं मिलता है जिससे लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लाइनमैनों की संख्या बढ़ाइये और इस बिजली व्यवस्था में जो-जो मैंने आपसे निवेदन किया है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, आज यहां सदन में विद्युत पर चर्चा हो रही है। यह मानव जीवन के लिए कितनी आवश्यक है, इसके बारे में मैं ध्यान लेनिन के शब्दों को उद्‌दृत करूंगा, लेनिन ने कहा रूस में कि मुझे पावर दीजिए I will revolutionize the nation, मैं क्रांति लाकर दूंगा। यह विद्युत क्रांति का द्योतक है। इसका किस तरह से उत्पादन हो विस्तार हो और डिस्ट्रिब्यूशन हो, इस दृष्टि से सुधार के लिए जो नियामक आयोग बनाया है उस पर अधिक चर्चा नहीं करके मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आपको

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

अधिकारी वर्ग भी कंफ्यूजन में पड़े हैं कि किस तरह से इस व्यवस्था को चलाया जाए। तो कृपया स्थिति स्पष्ट करें। अधिकारियों के साथ बैठकर कि भविष्य क्या है उस नियामक आयोग का, उत्पादन कैसे करने वाले हैं, डिस्ट्रिब्यूशन कैसे होगा, ट्रांसमिशन कैसे होगा और मेहरबानी करके एक स्पष्ट नीति राज्य को दें।

मान्यवर, हमारी नीति है कि पिछड़े से पहले हम काम करें। मैं सीमावर्ती जैसलमेर जिले से आता हूं, यदि आंकड़े आप देखें तो अन्य जिलों के जहां 80 परसेंट से अधिक आंकड़ें हैं विद्युतीकरण के, मेरा जिला 40 और 43 परसेंट में है, सबसे कम। किसी भी जिले का 75 से नीचे नहीं है, केवल जैसलमेर जिला ही ऐसा है कि जहां 43 परसेंट आपने बताया है। मेरी दृष्टि से तो वह 35 और 40 परसेंट ही है। कृपया इस ओर आप विशेष ध्यान दें।

अब मैं उत्पादन की ओर आपका ध्यान खींचूंगा। मैं कई बार इस सदन में ध्यान आकर्षित कर चुका हूं कि गैस रामगढ़ के अन्दर है, सीमावर्ती क्षेत्र में गैस है। अभी आपने प्रेस रिपोर्टस पढ़ी होगी कि बहुत बड़ा गैस का भण्डार इस इलाके में है। सीमा के दूसरी पार गैस के भण्डार हैं और वहां बहुत बड़े गैस पावर प्लांट्स चल रहे हैं। हमारे इलाके में गैस प्लांट क्यों नहीं चलते? गैस उपलब्ध क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं आपके विभाग की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें कहा कि दो इकाइयां हम लगाएंगे रामगढ़ में। 35.5 मेगावाट की दो इकाइयां लगेंगी। एक इकाई लगाने से दूसरी इकाई का उत्पादन बाई एग्जास्ट होगा, केन्द्रीय प्राधिकरण को नवम्बर, 1999 में ही आपने यह रिपोर्ट भेजी है। स्वीकृति क्यों नहीं आ रही है? कृपया केन्द्र सरकार से मिलकर स्वीकृति प्राप्त करें। गत बजट में आपने 44.91 करोड़ का प्रावधान किया था, एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। यह आपकी रिपोर्ट कहती है। इस वर्ष पुनः आपने 36.27 करोड़ का प्रावधान रखा है, मेरा निवेदन है कि 36.27 करोड़ से तो टरबाइन लगने वाली है नहीं। किसी भी आयोजन से राशि उपलब्ध करवाकर इस वित्तीय वर्ष में एक टरबाइन लगाते हैं, दूसरी टरबाइन से बाई एग्जास्ट उत्पादन होता है तो टोटल 105 मेगावाट का उत्पादन उस क्षेत्र में होगा। इसलिए मैं आपको विशेष आग्रह करूंगा।

मैं धन्यवाद दूंगा आपको, ऊर्जा मंत्री जी, कि आपने वहां दो मेगावाट की विंड मिल लगाकर एक उदाहरण पेश किया। उसके लिए वस्तुतः आप धन्यवाद के पात्र हैं। बाड़मेर, जैसेलमेर सीमा क्षेत्र में लिग्नाइट के बहुत बड़े भण्डार हैं, इस ओर मेरे बाड़मेर

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

के पूर्ववर्ती मित्रों ने आपका ध्यान आकर्षित किया है।

चौथा सौर ऊर्जा का क्षेत्र है। मुझे कहते हुए शंका नहीं है, हमारे सामने जो मित्र बैठे हुए हैं, आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी ने एक शिलान्यास किया था जिसमें कहा था कि एक किलोमीटर लम्बी चिमनी चलेगी और बहुत बड़ा ऊर्जा का वहां उत्पादन होगा। शिलान्यास का वह पत्थर आज भी कायम है, परन्तु कोई योजना नहीं है। यदि सौर ऊर्जा का उत्पादन प्रैक्टिकल है तो इस पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक सौर है। इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इस तरह से उत्पादन के चार-पांच प्रोजेक्ट्स पश्चिमी राजस्थान में, विशेषकर जैसलमेर जिले में है, इस ओर मैंने आपका ध्यान खींचा।

राजस्थान में नेफ्था का बहुत बड़ा भण्डार है, यदि गैस नहीं मिलती है तो नेफ्था को लेकर भी उस रामगढ़ पॉवर प्लांट को आप चला सकते हैं।

ट्रांसमिशन के बारे में मैं दो-तीन पाइंट्स आपसे निवेदन करूंगा कि जैसलमेर जिले को तीन तरफ से जोड़ा हुआ है। बाड़मेर इलाके से झिझिनयाली फतेहगढ़ तहसील और नाचना सैक्टर, बीकमपुर, बजूसर जोड़ा हुआ हैं। हमारा कण्ट्रोल में दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारा कंट्रोल हमारे जिले में है नहीं, कृपया इसकी व्यवस्था करें। यदि वहां कहीं भी उलझन आ जाती है तो हमें बीकमपुर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, हमको बाड़मेर जाना पड़ता है। इस ओर आपका ध्यान खींचूंगा। ट्रांसमिशन में हमारे जी.एस.एस. तीन वर्ष से पैंडिंग पड़े हैं रामदेवरा, राजमथाई, जैसलमेर झिनझिनयाली, फलसून, तीन और जी.एस.एस. करने हैं। कृपया इन ट्रांसमिशन जी.एस.एस. की भी व्यवस्था करावें।

डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मेरा निवेदन है कि 66.79 लाख रुपये पी.एचईडी. में जमा करा रखे हैं, कई वर्षों से वे पैंडिंग पड़े हुए हैं। इससे हमारे कई ट्यूबवैल्स एनर्जाइज नहीं हो रहे हैं, इससे पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। विभाग के अंदर पैसा जमा है तो उस को कनैक्ट करना हमारी प्रथम वरीयता में होना चाहिये। हमें कहा जाता है कि सामान उपलब्ध नहीं है। मान्यवर, हमें बड़ा खेद आता है कि दस हजार रुपये के पीछे हमारा लाखों रुपये का इन्वैस्ट हुआ पी.एचईडी. का ट्यूबवैल इनर्जाइज नहीं होता। दस हजार रुपये की व्यवस्था करके बाजार से सामान खरीदकर हमने एनर्जाइज किया है। ऐसी अव्यवस्था आपके विभगा की है तो कृपया उसमें सुधार करें।

मुझे यह सूची दी मंत्री महोदय ने कि इस वर्ष 87 गांव हम इलैक्ट्रिफाई करेंगे जैसलमेर जिले में। मैंने अधिकारियों से पूछा तो कहा संभव नहीं है। मुझे यह लिस्ट

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

क्यों दी गयी? क्यों हमने गांवों में प्रचार किया? चार-पांच गांवों को भी हम वर्ष में नहीं कर पाए तो वस्तुतः लोगों में अच्छा सन्देश नहीं जाएगा। जहां लाइनें खिंच गयी हैं, पोल खड़े कर दिये गये हैं, केवल इंसुलेशन पिन नहीं है या स्टे वॉयर नहीं है, इस कारण से यदि काम रूका हुआ है तो बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है। यदि कम्पनी फेल हो चुकी है, उत्पादन नहीं कर रही है तो दूसरा कान्ट्रेक्ट करके बाजार से खरीदकर नई व्यवस्था करें हम कामर्शियल डिपार्टमेंट हैं। इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

हमारे सीमावर्ती क्षेत्र का बी.ए.डी.पी. का बजट आता है। गत वर्ष भी नौ गांवों के इलैक्ट्रिफिकेशन का पैसा आया। प्रति वर्ष पैसा लैप्स होता जा रहा है। उसके कारण से हमारे बजट में कमी हो रही है। बजट लैप्स नहीं होता, पर अगले बजट में उस पैसे में कमी हो रही है। जो शत-प्रतिशत केन्द्रीय योजनाएं हैं, पूरा पैसा केन्द्र सरकार से आता है उन योजनाओं को मेहरबानी करके पहले पूरा करें, यह मेरा निवेदन है।

मैंने विधान सभा में एक प्रश्न किया था कि मेरे क्षेत्र में आदिवासी लोगों को कृषि कनेक्शन में प्राथमिकता नहीं मिलती। जवाब मिला कि जो आदिवासी घोषित क्षेत्र है, वहां मिलती है। मेरे भील भी वैसे ही पिछड़े हुए हैं और वे आदिवासी हैं, कृपया उन आदिवासी भीलों को कृषि कनेक्शन में प्राथमिकता दिलावें।

मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ा पानी का स्रोत लाठी चानन सीरिज में आया है। हमने 700 कुए खुदवाए, एक नई क्रांति आयी है उसमें। कई बरसों से हमने कभी कृषि कनेक्शन लिए ही नहीं हमारे जिले में। उस लाठी चानन बैल्ट को कृपया इलैक्ट्रिफाई करवाएं हमारी मांग के अनुसार।

उद्योग क्षेत्र में कोकून में रीको का हमारा एरिया है, कई वर्षों में वह डवलप हुआ है। विद्युत मण्डल को रीको तक बिजली पहुंचानी है। हमने प्लाट्स लोगों को दे दिये, इन्टरनल इलैक्ट्रिफिकेशन रीको करेगी। कंडीशनल है कि आर.एस.ई.बी. वहां तक बिजली पहुंचाएगी। हम कई बार मांग कर चुके हैं और आप कई बार आश्वासन दे चुके हैं लेकिन वह काम आज तक नहीं हुआ। इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

हमारे ट्रांसफार्मर्स से जो भी थोड़े बहुत कनेक्शन हैं, विद्युत आपूर्ति में बड़ा विलम्ब होता है जिससे हमारे किसानों को कठिनाई है। इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

आपके गत जैसलमेर प्रवास में मैंने बताया था कि जैसलमेर स्टेट का पुराना पावर हाउस का बहुत बड़ा जंक पड़ा हुआ है और शहर के मध्य में है। एक तरफ

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

तो हमारे पास पैसे की कमी है, दूसरे इतनी बड़ी सम्पत्ति आपकी पड़ी है जो नाकारा है, जो आपके किसी काम की नहीं। यदि उस सम्पत्ति को बेचें तो वह करोड़ों रुपये की सम्पत्ति होगी। आपके विद्युत मण्डल को उससे बहुत धनराशि प्राप्त हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो सुझाव मेरे जिले के दिये हैं, कृपया उन पर ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री श्रवण कुमार जी।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं आपकी आज्ञा से माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अकाल का समय है, पानी की किल्लत है, तो कृपा करके जो जल स्रोत हैं वहां विद्युत क़टौती नहीं करें। ऐसा आदेश प्रदान कर दीजिए। धन्यवाद।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। यह एक मेरी लिस्टेड याचिका थी। वह अभी तक नहीं आयी है रिकार्ड पर, इसलिए मैं चाहता हूं इसको पुरःस्थापित करके...

श्री सभापति : नहीं, यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : यह तो व्यवस्था में है, कार्य सूची में है। कोई मेरी अलग थोड़े ही है, यह कार्य सूची में थी। It was listed.

श्री सभापति : आप उस समय वैल में थे...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मैंने आवाज नहीं सुनी थी। माननीय, आज की कार्य सूची में है। हाउस वापस मीट छह महीने बाद होगा, एक मिनट लगेगा।

श्री सभापति : आप उस समय वैल में थे और अपनी सीट के ऊपर मौजूद थे...(व्यवधान) इसलिए आपको अनुमति नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापतिजी, आपकी कार्य सूची में लिस्टेड है इसलिए मुझे अनुमति दें। मैं एक मिनट में इसको पढ़ लेता हूं।

श्री सभापति : नहीं नहीं।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति जी, यह लिस्टेड कार्य सूची की बात है।

श्री सभापति : श्री श्रवण कुमार। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अभी एक बिल लिस्टेड था जो पुरःस्थापित किया, जो लिस्टेड नहीं था उसको कर दिया आपने।

श्री सभापति : माननीय श्री श्रवण कुमार जी। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : उसको तो अलाउ किया, माननीय सभापति जी।

श्री सभापति : आप बैठिये, बैठिये।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापतिजी, मैं अदब से निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको। बैठिये आप।

श्री श्रवण कुमार : चौहान साहब, आप सीनियर सदस्य हो।

श्री हीरासिंह चौहान : सीनियर-जूनियर का मामला नहीं है।

श्री श्रवण कुमार : आप यह कैसे कह रहे हो? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये। माननीय श्री श्रवण कुमार। उस समय_(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय सभापति जी, आज बिजली के बिल पर चर्चा है, मैं सबसे पहले तो हमारे ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा_

श्री हीरासिंह चौहान : आवाज सुनी नहीं, वैल में थे। पढ़ी हुई मान ली जाए, यह कर दिया जाए।

श्री सभापति : तो गया अब तो। नहीं नहीं, आप अध्यक्ष महोदय से मिल लीजिए, उनको अधिकार है। उनको अलग अधिकार हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : झुन्झुनूं में 220 के.वी.ए. और 33 के.वी.ए. के काफी जी.एस.एस. बनाये हैं और उनको सुचारू रूप से चालू भी कर दिया गया है। दो-तीन जो बकाया हैं वे भी पूर्णतया तैयार हैं, उनका उद्घाटन करने के लिए आपने घोषणा कर दी थी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

राजस्थान में बिजली की जो कमी चल रही है, इसका मूलभूत कारण तो छीजत है। जब तक आप इस छीजत को नहीं रोक पाओगे तब तक बिजली की कमी को पूरा करना आपके लिए बड़ा दूभर है। मैं सबसे पहले एक ही बात कहूंगा कि 40 परसेंट से ज्यादा छीजत हो रही है। जब तक लम्बी लाइनें होंगी तब तक छीजत होगी। इसका आपको सुधार करना पड़ेगा। इसके लिए मेरा सुझाव है कि लम्बी लाइनों को छोटा किया जाए और छीजत को रोका जाए।

दूसरा, आप जो विद्युत मण्डल का निजीकरण कर रहे हैं, इसके लिए मेरा बहुत बड़ा विरोध है। उड़ीसा में यह निजीकरण हुआ था, पांच लाख किसानों में से तीन लाख किसानों ने अपने कनेक्शन कटवा लिये और वे मजदूरी की तरफ पलायन कर गये। अगर राजस्थान के किसानो की हालत यही करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के लिए बहुत दुः ख की बात है। उड़ीसा

(श्री श्रवण कुमार)

और हरियाणा जैसे स्टेट्स में जहां यह हुआ है, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, इसलिए राजस्थान को तो कम से कम उनके रिजल्ट्स देख कर बचाने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, आप यूनिट के पैसे बढ़ाते जा रहे हैं और किसानों के पास दस बीघा, पन्द्रह बीघा के छोटे खेत बच गये। इस तरह के छोटे किसानों के जो खेत हैं उनमें आपकी बिजली की व्यवस्था गड़बड़ाती जा रही है और किसान बिजली का बिल देने में असमर्थ होता जा रहा है। इसलिए इसमें किसान के लिए कोई बात सोची जाए।

मेरे जिले झुन्झुनूं में पवन ऊर्जा का अच्छा स्कोप है, सर्वे करा कर इसको भी आप चालू करवाएं तो मैं समझता हूं कि किसानों के लिए हितकर होगा।

राजस्थान के सबसे ज्यादा सैनिक झुन्झुनूं जिले में हैं और सैनिकों के लिए बिजली की बात सोचना आपके लिए उचित होगा। कारगिल में जो शहीद हुए हैं और देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहूति दी है उनके लिए आपने कभी सोचा ही नहीं है। किसान का बेटा अपने प्राणों की आहूति देता है और देश के लिए लड़ता है तो उसके लिए बिजली में कुछ तो आपको सुविधा देनी चाहिए। (व्यवधान) दे रहे हो क्या?

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये।

श्री श्रवण कुमार : राजस्थान के हर कौने में जल स्तर नीचे जा रहा है और मोटरों के हार्स पावर बढ़ते जा रहे हैं। मोटरों का हार्स पावर बढ़ रहा है और ट्रांसफार्मर्स बिजली बोर्ड ने दस हार्स पावर के हिसाब से लगा रखे हैं। 25 के ट्रांसफार्मर पर तीन कनेक्शन और 40 के ऊपर चार हैं। जब मोटरों के हार्स पावर बढ़ गये, 15 के हो गये तो 25 के ऊपर दो ही चलना मुश्किल हो जाता है। ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं क्योंकि लोड पड़ता है। लोड पड़ता है जो गरम होकर के जल जाते हैं और जलने के बाद में फसल के समय में 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते हैं। 20-20 दिन महीने तक का समय ले लेते हैं। इससे क्या होता है? अगर पांच दिन भी फसल में पानी नहीं जाता है तो किसान भले ही फसल बोये नहीं बोये, बराबर हो जाता है। इसलिए इस बात की महती आवश्यकता है कि किसान का ट्रांसफार्मर जलने के बाद में उसको तीन दिन के भीतर-भीतर दूसरा मिलना चाहिए। अगर ट्रांसफार्मर में देरी हो जाती है तो मैं समझता हूं कि किसानों को सब से ज्यादा नुकसान होता है।

तीसरी बात यह है कि आपकी लाइनें इतनी लम्बी और ढीली हैं कि ऊंटों के भी अड़ जाती हैं। जो ऊंट रास्ते पर जाते हैं उनके भी टच हो जाती हैं और कई

(श्री श्रवण कुमार)

पशु मर जाते हैं। गर्मियों में तो इतनी ढीली लाइन हो जाती है कि ऊंटों का निकलना मुश्किल हो जाता है। इसका कारण यह है कि आपने 1976 के बाद राजस्थान में बिजली बोर्ड की भर्ती ही बंद कर दी।

श्री सभापति : रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आराम से अपनी सीट पर जा सकते हैं। आराम से, नहीं तो गिर जाएंगे।

श्री श्रवण कुमार : कर्मचारियों की हालत यह है कि कर्मचारी आपने 1976 के बाद इन 24 सालों में भर्ती ही नहीं किये। उसके बाद में जितने कर्मचारी रिटायर हुए, उन सारी पोस्टों को आपने एवोलिश कर दिया। डा. चन्द्रभानजी ने बताया कि 100 जी.एस.एस. हमने बनाये हैं, मैं मानता हूं बनाये हैं पर आपके पास कर्मचारी कहां से आ गये? कर्मचारी तो हैं ही नहीं। अगर कोई लाइन कहीं फाल्ट हो गयी तो दो-दो, तीन-तीन दिन तक किसानों को पीछे घूमना पड़ता है। पर कर्मचारी मिलता ही नहीं है। आपने जो दुकान खोल रखी है, दुकान में पैसा ले लिया और किसान को एक बार सुविधा उपलब्ध करा दी लेकिन सुविधा को आपने बाद में दुविधा में परिवर्तित कर दिया। किसान के पास एक ही साधन है वह बिजली से अन्न पैदा करता है। नौकरियां बंद हो गयीं, अन्य कोई साधन है नहीं और बिजली की हालत यह है कि चार घंटे बिजली है और कभी लाइन टूट गयी तो उसमें तीन दिन तक मिलेगी नहीं।

एक बात यह भी है कि जो लाइनें लम्बी हैं उनके टूट जाने के बाद किसानों को फव्वारों की लाइन बदलनी पड़ती है। मैंने देखा है कि कई किसानों के लड़के तो फव्वारों की लाइन बदलते समय एक्सपायर हो गये हैं। तार भिड़ जाते हैं खम्भों के पाइप के और वहीं मर जाते हैं। उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता है। इसलिए आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी लाइनें लम्बी हैं। कई-कई खम्भों के बीच में तो दूरी भी ज्यादा है। जे. ईएन. ने लम्बी लाइनें लगा दी और वे तार ढीले हो गये। स्टे वायर लगा नहीं है तो खम्भे बांके होकर लाइनें नीचे हो गयी।

मंत्री महोदय, मैं सभापति महोदय के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके डिपार्टमैंट में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है और जब तक आप इस भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं पाओगे तब तक आप चाहे कितना भी प्रयत्न करो, आपकी व्यवस्था ठीक हो नहीं सकती। एक किसान कनेक्शन लेने के लिए जाता है, सिक्योरिटी जमा करा देता है, नम्बर भी उसी का होता है फिर भी उसको आपरेशन करते हैं तीन दिन, दस दिन, बीस दिन तक कि आपरेशन में कितनी सेवा मिल सकती है। जब उसको अच्छी सेवा मिल जाती है तो कहते हैं

(श्री श्रवण कुमार)

कि तेरा कल हो जाएगा। अब आपरेशन तो उसका पहले ही हो गया। एक-डेढ़ लाख रुपया तो उसका कनेक्शन में लग गया और आपरेशन के बाद छोटी-सी टिंचर आयोडीन के लिए और मामला बच जाता है। तो इस तरह की व्यवस्थाओं पर आप अंकुश लगाइये।

सभापति महोदय, पता नहीं किसने सलाह दी है, कौनसा अधिकारी ऐसा बैठा था, उसका दिमाग कहां काम किया कि आपने ए. ईएन., जे. ईएन. का जिला बदल दिया। आपने कहा कि चोरियां बहुत करते हैं, चोरी तो जयपुर में बैठे हैं वो भी करते हैं, उनको कहां भेजोगे? मुम्बई भेजोगे? चोरियां रुकवाना आपके बस की बात नहीं है किसान के बेटे हम हैं, हमें मालूम है। चोरी तब तक नहीं रुकेगी जब तक हर व्यक्ति के दिल में यह भावना नहीं आयेगी कि मैं हिन्दुस्तान का नागरिक हूं और मैं यह जो कर रहा हूं यह गलत कर रहा हूं। माननीय चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, भय होता था ए. ईएन. और जे. ईएन. के कि कहीं मेरा ट्रांसफर नहीं हो जाए, वह एक जो भय आपने निकाल दिया। अब वह काम क्यों करेगा? उसको काम में रूचि नहीं है। वह शनिवार का शाम के चार बजे तक का समय देखता रहता है कि कब चार बजें और कब मैं भाग कर जाऊं। इस तरह की व्यवस्था में आप दो बारा परिवर्तन करिये, इससे भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आपको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, यह जिले में से निकाल देने से ही भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। जो आदमी दूर भेजे हैं, क्या किसी आदमी को सीकर से झुन्झुनूं भेजने से ही उसके भ्रष्टाचार में परिवर्तन आ जाएगा? जो आदमी चोरी करेगा वह करेगा, चाहे उसको मुम्बई भेज दो।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : झुन्झुनूं में रहना चाहिए?

श्री श्रवण कुमार : झुन्झुनूं रहना चाहिए, सीकर रहना चाहिए महुवा रहना चाहिए पर रहना चाहिए। इसका दबाव भी रहेगा, उसको इस बात का टैरर रहेगा कि मेरा ट्रांसफर कहीं नहीं जाए और उसको काम करना ही पड़ेगा। आपने जो भय था वो तो निकाल दिया, अब वह काम क्यों करेगा?

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : हो तो रहे हैं?

श्री श्रवण कुमार : कहां हो रहे हैं? एक्सईएन. कैडर का रह सकता है, ए. ईएन., जे. ईएन. नहीं रह सकता। भ्रष्टाचार तो बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा है। (व्यवधान) जी.एस.एस. पर क्यों रहेंगे? जी.एस.एस. पर पैसा नहीं मिलता है न।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : स्वयं को सुधारो, अन्तर की तरफ देखो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : हमेशा स्टोर्स में हमने देखा है कि खम्भे और तार की कमी

(श्री श्रवण कुमार)

आ जाती है और महीनों तक सिक्योरिटी जमा कराने के उपरान्त भी सामान नहीं मिलता है। दुकानदार को हमने पैसा दे दिया फिर दुकानदार यह कहे कि सामान कल लेकर जाना, कोई ऐसा आदमी बैठा है जो सामान के लिए कल दूसरे दिन दुकान पर जाएगा? बिजली बोर्ड में मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि 30 दिन में हम कनेक्शन दे देंगे, 90 दिन भी पार हो गये, 120 दिन भी पार हो गये, 180 दिन भी। 240 दिन में नौकरी करने वाला आदमी परमानेंट हो जाता है लेकिन आपका कनेक्शन परमानेंट नहीं होता। आप इसमें सुधार करिए। पैसा आपने किसान से ले लिया। किन परिस्थितियों में किसान पैसा पैदा करता है, अपना खून बेचकर करता है उसकी परिस्थितियों को देखकर आप कनेक्शन दीजिए। आप एक लाख रुपये का डिमाण्ड नोटिस दे देते हैं, लाख रुपया वे जमा करवा देते हैं उसके बाद छः-छः महीने तक कनेक्शन नहीं होता। कभी इंसुलेटर नहीं है, कभी खम्भे नहीं हैं। आपके कर्मचारियों की हालत यह है कि 20-20 खम्भे चाहे जहां पड़े रहते हैं, उनकी कोई सम्भाल नहीं होती। सुविधा शुल्क मिलते ही पता नहीं रातोंरात खम्भे कहां से आ जाते हैं? इससे व्यवस्था कायम नहीं होती है। मैं नहीं कहता हूं कि यह सुविधा शुल्क बी.जे.पी. में नहीं लिया जाता बल्कि बी.जे.पी. में कुछ ज्यादा था अब कुछ कम हो गया है। कोई भी राज आ जाए, कोई भी मंत्री बन जाए, व्यवस्था को सुधारने की कोशिश नहीं है। कहना पड़ेगा कि आपने ट्रेड बदल दिया कि इसको इसके अन्दर लगा देंगे लेकिन फलां जे. ईएन. इधर हो जाए इस एक्सपेरिमेंट से काम नहीं चलेगा, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगा तब तक ऊपर के अधिकारी अपने आप में यह बात महसूस नहीं करेंगे कि हम जो कर रहे हैं हिन्दुस्तान के किसान के बेटे के लिए कर रहे हैं। किसान का बेटा चाहे एक्सईएन. बन जाए, चीफ इंजीनियर बन जाए या चैयरमैन बन जाए, बनते ही सारे किसानों को भूल जाता है। (व्यवधान) दूसरी ओर खड़ा हो जाता है। वह कहता है कि आपका नाम क्या है? मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं पर मंत्रीजी के आने के बाद मैं नहीं मानता कि काम नहीं हुए हैं। जहां भी इन्होंने कहा है, जी.एस.एस. बनाने के लिए कहा है, किया है और तत्काल सेवा दी है। परन्तु मैं यह जरूर मानता हूं कि आपकी जो व्यवस्था है इसमें थोड़ा सुधार करिए। ज्यादा कोई भाषण से काम नहीं चलेगा। इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगा तब तक काम चलेगा नहीं। आज आश्वासन दे दिया, आश्वासन ले लिया। छः महीने के बाद फिर विधान सभा आयी तब फिर हमने यही बात कही, फिर आश्वासन मिल गया। आश्वासन से न देश चलता

(श्री श्रवण कुमार)

है, न समाज चलता है और न राज चलता है। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा।

सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि एक जिले का जो बदलने का प्रावधान रखा है उसको चेंज करिए। गांवों में लाइनें लूज हैं जिससे चाहे जहां आदमी टच होकर मर जाते हैं और मरने वाले को कुछ नहीं मिलता है। पशुधन किसानों की महती आवश्यकता है और वही मर जाता है। उसकी भैंस मर जाती है बीस हजार रुपये की आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर्स नीचे पड़े रहते हैं, भैंस यह जानती नहीं है कि ट्रांसफार्मर है, वह जाकर सींग से टच करती है और मर जाती है। तो अपने कर्मचारियों को हिदायत दीजिए कि ट्रांसफार्मर्स को कम से कम नीचे नहीं रखें क्योंकि यह किसान से जुड़ी हुई व्यवस्था है। कोई आदमी शहर से आता है उसको तो मालूम नहीं है पर गांवों में तो हमने यह व्यवस्था देखी है।

मैं अधिक समय नहीं लूंगा, समय कम है। एक छोटी सी ढाणी के लिए बोर्ड में प्रावधान है कि 50 हजार खर्च कर सकते हैं इलैक्ट्रिफाई करने के लिए। बोर्ड को 50 हजार रुपये के पावर हैं। मैं कहता हूं कि महंगाई बढ़ गयी और ढाणियां भी बढ़ गयीं, इसलिए बोर्ड को कम से कम एक लाख रुपये का पावर दिया जाए ताकि ढाणियों को कनेक्शंस दिये जा सकें। आपने ढाणी को सैकिण्ड दर्जे का गांव मान लिया। ढाणियों में वे लोग बसते हैं जो गरीब होते हैं और बड़े गांवों में वे लोग रहते हैं जो बड़े लोग होते हैं। आपने ढाणियों में तो कर दिया नौ हजार रुपया और गांवों में कर दिया 1200 रुपये। तो यह जो व्यवस्था है इसमें चेंज करिये। ढाणियों में लोग मजबूरी में बसते हैं और ढाणियों को आप गांव घोषित करोगे नहीं, और उनके साढ़े सात हजार रुपये लगते रहेंगे। इसमें तो वे कनेक्शन नहीं ले पाएंगे। मैं यह कहूंगा कि यह सैकण्ड दर्जा नहीं बनाकर, एक ही स्थिति बनाएं और गांव और ढाणियों में समानता का व्यवहार रखते हुए आप इसमें सुधार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं और सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : टाइम बढ़ाओगे?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : हां जी। सभापति महोदय, आज राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर हुई चर्चा पर ऊर्जा

(श्री हरिसिंह)

मंत्रीजी के उत्तर देने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

माननीय श्री अब्दुल हादी। बोलिए, हादी साहब।

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : सभापति महोदय, आज हाउस के अन्दर बिजली पर बहस हो रही है, मैं भी अपने इलाके में बिजली के मुतल्लिक मुख्तसर में कुछ अपनी बात कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारे चौहटन में काफी इलाका ऐसा है जहां पर पानी बहुत ज्यादा है। लोगों ने कुछ वहां बेरे भी किए, बिजली कनेक्शन भी मिले तो उससे लोगों की माली हालत सुधर गयी। जो नम्बर वाले कनेक्शन हैं वे तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, एक नर्सरी योजना चली उसमें हमारे यहां काफी लोगों ने कनेक्शन लिए। करीब 1500 कनेक्शन लेकर लोगों ने खेती की। हमारे यहां खासकर जीरे की खेती लोग करते हैं, आप सच मानिए, अकाल के हालात के बावजूद हमारे यहां कोई भी बेरा ऐसा नहीं है जिसकी एक लाख की कमाई नहीं हुई हो। नर्सरी योजना बन्द हो गयी, उसके बाद अभी जो नयी योजना चली है हरा चारे वाली, यह कायम रहनी चाहिए। यह अगर चालू रहती है तो वहां के लोगों की माली हालत सुधर सकती है।

अभी यहां काफी माननीय सदस्य बोले, मैं तो एक छोटा आदमी हूं, बड़ी बात कहना मुनासिब नहीं कि बिजली बोर्ड घाटे का है। कई वर्षों से मुझे भी विधान सभा में मौका मिला है, हमेशा यही होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम यह मानते हैं कि किसान की तमाम खेती-बाड़ी और कारखाने वगैरह सब बिजली पर मुनस्सर हैं। आखिर सरकार इसके लिए सोचे कि बिजली बोर्ड को हम कैसे मजबूत करें। सब शिकायतें तो करते हैं कि यह करो, यह करो और पैसा है नहीं। बिजली बोर्ड वाले कहते हैं कि पैसा नहीं है। पैसे की सारी दिक्कत है तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि कहां से फण्ड मुनस्सर हो हमारे यहां भी अकाल है, अकाल के नाम पर लोग कई तरह की राजनीतिक बातें करते हैं कि लोग मर रहे हैं कर रहे हैं, ये बातें बहुत गलत हैं। मरने वाला जमाना बिलकुल चला गया। इस मुल्क ने इतनी तरक्की की है, इतना आवागमन है कि कोई आदमी कहीं भी भूख से नहीं मर सकता। यह बिलकुल गलत है, वाहियात बात है।

(श्री अब्दुल हादी)

अब रही सुधार की बात, मैं तो यह कहता हूं कि चारा योजना चाहे कितनी भी महंगी है अगर हमको आप कनेक्शन देंगे तो हमारे इलाके की हालत तो बिलकुल सुधर जाएगी, लोग भूखे नहीं मरेंगे। मेरी गुजारिशं यह थी कि मेरे इलाके का पैसा सब बिजली वालों को दे दो आप। हमारी बिजली की हालत सुधरनी चाहिए।

मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि काफी टाइम से हाउस चल रहा है, लोग भी परेशान हैं, ज्यादा उस बात को दोहराऊं तो मुनासिब नहीं होगा। मेरा तो यही कहना है कि बिजली की हालत सुधारी जाए और हमारी सरकार यह सोचे कि हम कहां से पैसा लाएं कैसे लाएं कोरी बातें करने से बिजली की हालत सुधरनी नहीं है। इस पर हमें तबज्जोह देनी चाहिए। अब मैं खास तौर से यह गुजारिश करना चाहूंगा कि हरे चारे की योजना जो चलायी है इसको आप बन्द मत कीजिए। आपको इससे कोई नुकसान नहीं है। पैसे लगते हैं तो किसान के लगते हैं। कम हैं या ज्यादा हैं, लोग अपने आप बर्दाश्त करेंगे। हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। मेरी यह राय है कि कम से कम हमारे इलाके में ये कनेक्शन बन्द मत कीजिए। इसको चालू रखिए, इससे लोगों की माली हालत सुधरेगी। अब रहा सवाल यह है तो अभी आपने काफी कनेक्शन भी दिए मगर सामान का नामोनिशान नहीं तो यह तो अपनी बड़ी बदनामी होगी। इसलिए मेहरबानी करके जो भी कनेक्शन दिए हैं इनका सामान बगैरह आप जल्दी मुहैया करवाइये। हमारे यहां धोरीमन्ना से सावां एक 132 के.वी. लाइन सैंक्शन हुई है, उसकी जमीन बगैरह भी लोगों ने दे दी मगर अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ।

(21.00)

मेहरबानी करके इसका काम जल्दी शुरू करवाया जाए। पांच-छह जगह जहां पर वोल्टेज की कमी है वहां पर मेहरबानी करके आप जी.एस.एस. करवाएं। सारडा है, बादा है, भोडिया है, सालारिया है, इनको आप जी.एस.एस. की व्यवस्था करवाएंगे तो लोगों को सही वोल्टेज मिलेंगे और मामला सब ठीक रहेगा।

अब मैं ज्यादा टाइम न लेकर यही गुजारिश करना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड को आप ताकत दीजिए। बिजली बोर्ड को जब तक आप पैसा मयस्सर नहीं कराएंगे तब तक इन भाषणों से कुछ हल होने वाला नहीं है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे वक्त दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, किसी भी देश और प्रदेश में मूलभूत सुविधाएं जिसे इन्फ्रास्ट्रक्चर कहते

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हैं, उसके बिना आगे प्रगति नहीं होती है। विद्युत भी हमारे लिए एक मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं में है जिसके जरिये कोई भी देश और प्रदेश आगे बढ़ सकता है, प्रगति कर सकता है। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मन्त्री जी यहां नहीं हैं लेकिन सदन को बताना चाहूंगी कि...

श्री सभापति : मंत्री जी के प्रतिनिधि बैठे हैं, फिक्र मत करो। आप जो कुछ कहेंगी वह नोट हो रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं बताना चाहूंगी कि झुन्झुनूं जिले में नर्सरी योजना के नाम पर पूर्व भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसानों का जितना शोषण और दोहन हुआ था उसकी भरपाई किसी हद तक इस सरकार ने, नये ऊर्जा मन्त्री जी ने की। उसके लिए तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगी कि 220 के.वी.ए. का एक सब-स्टेशन उन्होंने बना दिया झुन्झुनूं में और 132 का एक सब स्टेशन बना दिया बग्गड़ में 33 के.वी.ए. के भी कई सब स्टेशन बनाये हैं। वे इसीलिए बनाये कि सारे राजस्थान में नर्सरी योजना में पैंतालीस हजार कनेक्शन हुए हैं उनमें से सत्रह प्रतिशत कनेक्शन अकेले झुन्झुनूं जिले में हैं, सबसे अधिक 7,400 कनेक्शन वहां पर हुए हैं। इसलिए जब किसानों का शोषण किया गया था, हमारी ट्रांसमिशन लाइनें बहुत कमजोर थीं और उस भार को ढो नहीं पा रही थीं। इसलिए यह तो उन्होंने अच्छा किया लेकिन, माननीय सभापति महोदय...

एक माननीय सदस्य : लेकिन फिर क्या ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उसके लिए धन्यवाद दे दिया, लेकिन आगे बात तो बढ़ाऊंगी मैं अपनी।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे हमारे जिले का शोषण और दोहन किया हो फिर भी 1997-98 के अन्दर चाहे चुनावों के दृष्टिकोण से ही सही, भारतीय जनता पार्टी के शासन में 700 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया था। पच्चीस हजार कूप का जो लक्ष्य था उसके बजाय 25,306 कूपों का ऊर्जाकरण किया गया था और 700 गांवों के अगेन्स्ट 740 गांवों का ऊर्जीकरण किया गया था। अब 1999-2000 के अन्दर 450 का लक्ष्य रखा। यह बात ठीक है कि लक्ष्य से अधिक 540 गांवों का विद्युतीकरण किया लेकिन आपने लक्ष्य तो कम कर दिया न? सवाल लक्ष्य को कम करने का है। टारगेट तो नहीं बढ़ाया। इसी तरीके से 18,100 कुओं का आपको ऊर्जीकरण करना था उसकी जगह...

(21.05 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

22,942 तो किया, लेकिन 25306 से तो बहुत कम है न 22942 ? मेरा निवेदन करने का मतलब यह था कि अपने टारगेट को कम करने के बजाय आपको बढ़ाना चाहिए।

एक मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि कुटीर ज्योति योजना जो सबसे गरीब, सबसे दलित और सबसे पिछड़े लोगों की योजना है, उसके लक्ष्यों को आप प्राप्त नहीं कर पाये। पिछले साल आपके दस हजार के लक्ष्य थे, उसके मुकाबले में आप केवल 9940 कुटीर ज्योति योजना को ही क्रियान्वित कर पाये।

डा. चन्द्रभान : कितने परसेंट हो गया, यह तो देखो ना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : परसेण्ट का सवाल नहीं है, आपका जो टारगेट था उस टारगेट को आप प्राप्त नहीं कर पाये। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कम से कम जो टारगेट था उसे तो आपको पूरा करना चाहिए था।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि आज प्रदेश के अन्दर 3356 मेगावाट इंस्टाल्ड कैपेसिटी है और उसके मुकाबले में हमारा स्टेट का जो जनरेशन है वह है 1302। मतलब यह हुआ कि आपको 2054 मेगावाट बाहर से लाना पड़ेगा। उसकी खरीद में आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, यह आप जानते हैं। झुन्झुनूं के अन्दर करीब छत्तीस हजार कनेक्शन हैं एग्रीकल्चर के, वैसे तो पूरे स्टेट के अन्दर केवल 33 प्रतिशत भूमि ही इरिगेटैड है लेकिन उसमें भी खास तौर से ये पांच जिले ऐसे हैं जहां कुओं से सिंचाई होती है। कुओं से सिंचाई का मतलब जहां बिजली की आवश्यकता है, बिना बिजली के जहां सिंचाई हो नहीं सकती। ये है जयपुर, चित्तौड़, सीकर, अलवर और झुन्झुनूं। छह लाख आपके कृषि कनेक्शन दिये हुए हैं और दो लाख अभी पैंडिंग एप्लीकेशन्स हैं जो कुओं पर कनेक्शन लेना चाहते हैं। यह दो लाख कब पूरा कर पाओगे आप? पच्चीस हजार का आपने टारगेट रखा है, पच्चीस हजार के टारगेट का मतलब यह है कि अभी तो इसे ही पूरा करने में आपको लगेंगे आठ साल। आज दो लाख है और इस बार अकाल पड़ा है, अकाल के अन्दर नई स्कीम निकली है कि कोई भी पन्द्रह बीघा से कम भूमि वाला यदि कुआ बनाना चाहेगा तो उसको पच्चीस प्रतिशत सहायता मिलेगी, ग्रांट-इन-एड मिलेगी। और कुए खुद जाएंगे तो यह दो लाख आपकी आज की जो वेटिंग लिस्ट है यह तो कहीं की कहीं पहुंच जाएगी और अगले आने वाले दस सालों तक भी आप इनको कनेक्शन नहीं दे पाओगे। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि आप जितना इस बिजली

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

में सुधार करना चाहते हो वह किस प्रकार से हो पाएगा, यह देखने की बात है। इस बात के लिए तो मैं तारीफ करना चाहूंगी कि इस सवा साल के अरसे के अन्दर सूरतगढ़ के आपके ताप बिजली घर का हालांकि इंस्टालेशन तो पहले ही हो गया था लेकिन कम्प्लीट आपके वक्त हुआ है। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगी। सैकिण्ड यूनिट जैसा कि आपने कहा है कि हम अक्टूबर 2000 में इसे पूरा कर देंगे, मैं आशा करती हूं कि आप इसे निश्चित अवधि के अन्दर जो आपने अक्टूबर 2000 का कहा है, पूरा करेंगे।

डा. चन्द्रभान : मई में हो जाएगा। ग्रिड से जुड़ गया वह तो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं इसके साथ ही साथ, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि आज अपने प्रदेश में जो कन्ज़म्पशन है टोटल इलैक्ट्रिसिटी का उसका 35 प्रतिशत कन्जम्पशन आज एग्रीकल्चर पर है लेकिन रेवेन्यू इससे होती है 6.3 प्रतिशत। हमारी एनुअल रेवेन्यू इस समय है 3421 करोड़ रुपये और 1900 करोड़ की पावर बाहर से खरीद कर ला रहे हैं। इस प्रकार से आपको हर बार इतना पैसा खर्च करना पड़ता है। एसईबी. की हालत यह है कि 1990-91 के अन्दर जहां 136 करोड़ रुपया हमारा उधार था, केवल 1998-99 हमारा उधार और यह सब मिला कर 1223 करोड़ हो गया। अब कुल मिलाकर हमारी देनदारियां हैं कर्जा वगैरह सब मिला कर 5499, मतलब पूरा 5500 करोड़ रुपया हो गया। दो हजार मेगावाट भी अगर हमें बिजली और चाहिए क्योंकि हमारी इंस्टाल्ड कैपेसिटी नहीं है, हम बाहर से लाते हैं तो उसके लिए हमें सौलह हजार करोड़ रुपया चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात का बड़ा ताज्जुब हो रहा है। बड़ी मिसगाइडिंग फिगर्स हमें अलग-अलग आपके प्रतिवेदनों में मिलती है। जो वर्ल्ड बैंक को आपने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें कुछ और फिगर्स, जो ऊर्जा मंत्रियों की कांफ्रेंस में आप बोले हैं उसमें आपकी कुछ और फिगर्स हैं और हमको जो प्रतिवेदन सौंपा गया है उसमें और ही फिगर्स हैं। यहां लाइन लॉसेज आपने बताये केवल 22.50, ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में आपने बताये 43 परसेन्ट कि हमारे लाइन लॉसेज 43 परसेन्ट हैं क्योंकि बिजली हम खरीद कर लाते हैं कहीं से। (व्यवधान) ठीक है। सभी इन्क्लूडिंग है सब बातें ही तो होंगी न। मैं निवेदन कर रही थी कि ये बड़ी मिसगाइडिंग आपकी फिगर्स हैं। आप जब बोलें, स्पष्ट कीजियेगा इस बात को। वर्ल्ड बैंक को कुछ और फिगर्स आप दे रहे हैं, ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में आप कुछ और बता रहे हैं और हमको जो प्रतिवेदन सौंपते हैं उसमें लाइन लॉसेज बता रहे हैं 22.50। 28 दशमलव से अब

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

22.50 ही रह गया। मंत्रियों के सम्मेलन में आप बोले हैं कि 43 परसेन्ट हमारे लाइन लॉसेज हैं क्योंकि हम ओरैया से और रिहंद से, कहां-कहां से लाते हैं और बाड़मेर तक पहुंचाते हैं। इतनी लम्बी लाइनों में हमारा बहुत लास होता है, बड़ा पिल्फरेज है। यह सब बात है तो कौनसे फिगर्स को सही मानें, बात मेरी समझ में नहीं आ रही।

श्री हरजीराम बुरड़क : अलग-अलग जगह पर सब सही है। अलग-अलग प्रयोजन के लिए सही है, इसलिए सही है सब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ठीक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम एक बात तो तय होनी चाहिए, आज राजस्थान के अन्दर हमारा पर कैपीटा कन्जम्पशन जो है वह बहुत कम है। हमारा पर कैपीट कन्जम्पशन है 296.86 जबकि हमारे पड़ौसी स्टेट हरियाणा का पर कैपीट कन्जम्पशन है 502, पंजाब का है 759.50 गुजरात का है 671 महाराष्ट्र का है 545 और तमिलनाडु का है 419 मतलब हम इस क्षेत्र के अन्दर अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। आल इण्डिया एवरेज जो है पर कैपीटा कन्जम्पशन का वह है 336.41 अभी पीक लोड जब हमारा होता है उस समय 4850 मेगावाट की हमें आवश्यकता होती है और हमारे पास है अवेलेबल 2911.40 परसेंट शॉर्टेज है, इस शॉर्टेज को कैसे पूरा करेंगे? जिस रफ्तार से आपकी जनरेशन की स्थिति चल रही है उस रफ्तार से तो यह गैप बढ़ेगा। क्योंकि प्राइवेट पार्टीज के साथ आपने जो एम.ओ.यू. किये हैं, आज दिन तक कोई कम्प्लीट नहीं हुए हैं, वहीं के वहीं पड़े हैं। क्योंकि उनकी भी कुछ शर्तें हैं उन शर्तों के आधार के ऊपर एम.ओ.यू. यूं ही पड़े हैं। धौलपुर यूं ही पड़ा है, चित्तौड़ का 1984 का एम.ओ.यू. आज दिन तक एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ एक बात और निवेदन करना चाहूंगी, सभी बोलने वाले माननीय सदस्यों ने आपको, ऊर्जा मंत्रीजी, बड़े-बड़े काम्प्लीमेंट्स पास किये हैं। किसान का बेटा बताया है, ऊर्जावान बताया है, जवान बताया है और यह भी बताया है कि चन्द्रमा की तरह से आपका उदय हुआ है। इसी तरह से आप शक्ति भी दोगे और शीतलता भी प्रदान करोगे। बड़ी आशाएं हैं, बहुत कुछ आपके बारे में कहा गया है। मैं निवेदन करना चाहती हूं, किसान के बेटे होने के नाते क्या आपने देखा कि आपने कृषि उपभोक्ताओं की दर को कहां से कहां बढ़ा दिया? 1990 में कृषि उपभोक्ताओं का टैरिफ था 32 पैसे और आज 70 पैसे। लेकिन उसमें भी मिसगाइड किया है। 70 पैसे की बजाय जो प्रगति प्रतिवेदन दिया है उसमें 52 पैसा ही बताया है जबकि एक्चुअल में 70 पैसा। 70 का 72 पैसा हो सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करना

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

चाहती हूं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी। आज आसाम, कर्नाटक, वैस्ट बंगाल, महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान का एग्रीकल्चर टैरिफ सबसे ज्यादा है। आपका 70-72 पैसा है, बिहार में 38 पैसा है, पंजाब में बिल्कुल फ्री है काश्तकार को एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ नहीं देना पड़ता बिलकुल फ्री है। तमिलनाडु में फ्री है और मध्य प्रदेश में भी 5 हार्स पावर तक फ्री है उसके बाद टैरिफ है। गुजरात में 50 पैसा है, आन्ध्र में 50 पैसा है। राजस्थान जैसे गरीब प्रदेश में अकाल की भीषण परिस्थिति के अन्दर आप काश्तकार को क्या मारना चाहते हैं? नर्सरी के नाम पर लूटा सो लूटा लेकिन नर्सरी में एक बात तो थी कि दो साल के बाद टेरिफ बराबर हो जाता था। आप तो चारा योजना के नाम पर काश्तकार की कमर को बिलकुल तोड़ रहे हैं। बारह हजार रूपया तो एप्लीकेशन फीस और ग्यारह हजार एक खंभे के ऊपर और उसकी टैरिफ है एक रुपया चालीस पैसा जो कभी परिवर्तित नहीं होगी, उतनी की उतनी रहेगी। क्या यही अकाल से लड़ने का तरीका है? मैं तो आपसे कहती हूं कि संवेदनशील बनिये। केवल कहने से संवेदनशील सरकार है, इस तरह आप संवेदनशील नहीं कहलवा सकते हो। जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, जिस जनता ने आपको इतना प्रचंड बहुमत देकर यहां भेजा है। कह देने मात्र से कि हम बड़े संवेदनशील हैं, जवाबदेह हैं, क्या यही जवाबदेही है जनता के प्रति आपकी? एक तरफ तो भीषण अकाल पड़ा हुआ है, पलायन कर रहे हैं यहां से पशु और मनुष्य और दूसरी तरफ आप चारा योजना के नाम पर किसान को लूट रहे हैं, उसकी कमर तोड़ रहे हैं, क्या यही आपकी संवेदनशील और जवाबदेह सरकार है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कहां से लाएं यह बताओ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : देगा कौन? + + + कौन देता है। जिनका दिवाला निकल गया उनको कौन देता है? जिनका खजाना खाली हो उनको कौन देता है? कोई नहीं देता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असली बात पर तो आ जाने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : इतनी देर क्या नकली कर रहे थे?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : असली पर अब आ रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि यह तो कुछ हुआ सो हुआ, स्टेट प्लान था 5022 और इसमें पिछली बार रुपया मिला है आर.एफ.सी. को 890 करोड़

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

रुपये। आज विद्युत बोर्ड के ऊपर 5499 करोड़ का कर्जा और उधार सब है, कर दिया आपने विद्युत सुधार कार्यक्रम और विश्व बैंक ऋण सहायता के लिए पावर सैक्टर नियामक आयोग भी बना दिया लेकिन 5500 करोड़ का जो कर्जा है वे क्या इस लाइबिलिटी को लेंगे जिन तीन कम्पनियों में आप इसे बांटोगे? एक कम्पनी जनरेशन की, जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन की और ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन की यह जो तीन कम्पनी बनाने जा रहे हैं इस नियामक आयोग के द्वारा, क्या ये 5500 करोड़ रुपया लाइबिलिटी का आपसे लेंगी?

डा. चन्द्रभान : यह तो 7 हजार करोड़ हो गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और ज्यादा हो गया, चलिये अच्छी बात है। लेकिन वह क्या लाइबिलिटी लेंगी? परिसम्पत्तियां आपकी जितनी हैं वे सब आप उन्हें दे ही दोगे। तो फिर मेरे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि यह घाटे का सौदा करने के पीछे नीयत आपकी क्या है। (व्यवधान) यही होगा, और क्या होगा? मुझे बताइये, क्या वे लेंगे? कौन लेगा? कोई लाइबिलिटी लेने वाला तैयार नहीं मिलेगा। किस बात के लिए साढ़े पांच हजार करोड़ का सारा घाटा, सारा उधार और जो कुछ आपका है, उसके बदले क्या लोगे आप? 600 मिलियन डालर। वर्ल्ड बैंक आपको देगा इसके लिये 600 मिलियन डालर, 600 मिलियन डालर का मतलब होता है 2700 करोड़ रुपये। 2700 करोड़ रुपयों के लिये आप इस पावर सैक्टर आयोग को तीन हिस्सों में बांटकर काश्तकार के गले के ऊपर छुरी चला रहे हो। यही काम करोगे। कोई घाटे का सौदा करने वाला नहीं है। आज तो...(व्यवधान) आपको जवाब देने का मौका मिलेगा तब अपनी सब बात कहियेगा। हमारी कोई गलत फहमियां हैं तो उनको दूर कर दीजियेगा। हमको जो आशंकाएं हैं, वे आशंकाएं हम बता रहे हैं, आप अपनी बात बताइयेगा, दूर कीजियेगा उन्हें।

मै आपसे निवेदन कर रही थी कि आज तो तीनों एक साथ हैं इसलिये फिर भी काम आपका चल पाया। फिर जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह क्यों किसान को एक रुपये बहत्तर पैसे के ऊपर बिजली देगा? कोई नहीं देने वाला है। जब उसकी लागत आएगी चार रुपया और तीन रुपया तो वह घाटा खा करके क्यों देगा? इसका मतलब यह हुआ कि जब उसको नहीं मिलेगा तो राजस्थान प्रदेश जो बड़ी मुश्किल से आज अन्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है, इसका क्या होगा।

इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आपने यह जो नियामक आयोग बनाया है इस पर पुनर्विचार करिये। आप जानते

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हैं संयुक्त परिवार होता है, उस संयुक्त परिवार के अंदर एक भाई बहुत अच्छा कमाता है, दूसरा भाई थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन सब-मिल-जुल कर काम करते हैं तो घर का काम चल जाता है। आज तो इस तरह से चल रहा है काम। लेकिन जिस दिन आप उनको तीन कम्पनीज में बांट देंगे उस दिन यह डिस्ट्रिब्यूशन वाला जो है यह घाटे का सौदा होगा। यह जब होगा तो आप सोचिये कि क्या होगा। क्या तो आम उपभोक्ताओं का होगा और खास तौर से क्या काश्तकार का होगा। इसलिये इस पर पुनर्विचार करिये। यह घाटे का सौदा जो आप करने जा रहे हो, यह घाटे का सौदा न करें तो मैं समझती हूं, ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हर साल लगातार आर.एस.ई.बी. को सरकार को कुछ न कुछ देना पड़ता है। जैसा कि मैं निवेदन कर चुकी हूं, 5200 करोड़ के एनुअल प्लान के अंदर 890 करोड़ का आर.एस.ई.बी. को एलोकेशन हुआ था। तो मेरा यही निवेदन है कि इस पर आप पुनर्विचार करें। यह जो आपने विद्युत नियामक आयोग बनाया है, इसके बजाय आर.एस.ई.बी. जिस तरीके से चल रहा है उसे उसी तरीके से चलने दें तो राजस्थान का आम विद्युत उपभोक्ता और खास तौर से कृषि उपभोक्ता उसमें कुछ राहत महसूस करेगा, वरना यह गरीब मारा जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तब राजस्थान के अंदर 13.27 मेगावाट बिजली थी। तब से कांग्रेस शासन के नेतृत्व के अन्दर आज तक 1302 मेगावाट बिजली का जिस प्रकार से संचारण हुआ और अब अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, आदणीय चन्द्रभानजी के नेतृत्व में ऊर्जा तंत्र के अंदर जिस प्रकार से मेगावाट की बढ़ोतरी होती जा रही है उसके लिये राजस्थान की सरकार के प्रति राजस्थान की जनता और मैं तहे दिल से आभारी हूं। साधुवाद के पात्र हैं आदरणीय अशोक जी गहलोत। जिनके नेतृत्व में इस लोकतंत्र के अंदर ऊर्जा तंत्र को विकसित किया जा रहा है। इस ऊर्जा तंत्र के माध्यम से पिछले साल 8 घंटे लगातार किसानों को बिजली दे करके किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा की गयी थी। और वर्तमान समय के अंदर भी 6 घंटे बिजली आ रही है। चाहे दूसरे वक्ताओं ने कहा हो कि क्षेत्र में नहीं आ रही है, लेकिन मैं मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि वर्तमान में 6 घंटे घरेलू बिजली आ रही है और ग्रामीण क्षेत्र में भी लगातार आ रही है। जिस प्रकार से राजस्थान की कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में आदरणीय चन्द्रभानजी ने संभाग स्तर पर उपभोक्ता सम्मेलन आयोजित करके मौके के ऊपर ही उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया है, इसके लिये भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार धन्यवाद की पात्र है।

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

जिस प्रकार से वर्तमान के अंदर कटौती चल रही है, आदरणीय चन्द्रभानजी से निवेदन और सुझाव है कि उसकी एक समय सारणी अखबारों के माध्यम से प्रकाशित कर दी जाए तो दिनचर्या निर्वहन करने वाले चाहे फैक्टरी से संबंधित व्यक्ति हों, चाहे गृहस्थ जीवन से सम्बन्धित डोमेस्टिक कनेक्शन वाले हों उन लोगो को इस चीज का पता पड़ जाएगा कि दिन भर के अंदर इस समय से इस समय तक लाइट जाएगी और वे अपनी दिनचर्या उस प्रकार से ढाल सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्र के अंदर छात्र और छात्राओं की पढ़ाई के लिये मेरा निवेदन है कि शाम के समय 6 से लेकर 10 बजे तक बिजली अनिवार्य रूप से चालू रखी जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अभी पढ़ाई का और एग्जाम का समय है।

दूसरा निवेदन और था, जैसें मेरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बिजली के बिल जमा कराने की जो अंतिम तिथि होती है, अक्सर कैशियर अंतिम तारीख को ही आता है। वह अंतिम तारीख को न आकर महीने के अंदर कभी दो बार मौके पर आए तो मैं समझता हूं कि किसान भाई आराम से अपने बिजली के बिल जमा करा सकेंगे और इससे अपने को राजस्व भी हासिल होगा। वरना कई बार क्या होता है कि आखिरी दिन तक उनके बिल जमा नहीं होने के कारण से उनके कनेक्शन काट दिये जाते हैं और री-कनेक्शन के लिये काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको महीने के अंदर दो बार किया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा।

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंदर पिछली बार आप पधारे थे उस समय भी हमने निवेदन किया था कि जर्जर अवस्था के अंदर जो खम्भे पड़े हुए हैं, बरसात के दिनों के अंदर उनमें पानी घुस जाता है और विद्युत का प्रवाह होकर करंट आ जाता है। केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंदर बगेरा बहुत बड़ा कस्बा है, दुनिया बहुत बडा कस्बा है, सरवाड़ जैसे शहर में अनुसूचित जाति की बस्ती के अंदर जर्जर अवस्था में पोल खड़े हुए हैं, उन पोलों को अभी तक बदला नहीं गया। मेरा निवेदन है कि आप अपने डिपार्टमैंट को कहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा कि जर्जर अवस्था के खम्भे बरसात आने से पहले ठीक हो जाएं। ग्रामीण क्षेत्र में जो तार ढीले पड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि उनको भी टाइट कर दिया जाएगा क्योंकि चारे के ट्रैक्टर गुजरते हैं तो कई बार आग लगने की संभावना रहती है। इलाके में आग भी लग चुकी है और हमने दो, चार बार कहा भी है। मैं चाह रहा हूं कि विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के अंदर समस्त तारों को टाइट कर दिया जाएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा।

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

काबेड़ा एक हमारी बहुत बड़ी मिर्च मंडी है और मिर्च मंडी होने के कारण से वहां एक जेईएन. आफिस की बड़ी आवश्यकता है। पिछली बार आप पधारे थे तो मैंने निवेदन किया था। मैं समझता हूं अगर जेईएन. आफिस वर्तमान में नहीं खोल सको तो जो सांवर के अंदर जेईएन. है उसको 15-15 दिन के हिसाब से लगा दिया जाए, उपभोक्ताओं का हाथों हाथ मौके के ऊपर ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

अनुसूचित जाति और जनजातियों की बस्तियों में समाज कल्याण की सन् 1988 में जो योजनाएं थीं, अगर उनको आप वर्तमान में लागू करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में जो जितनी भी जमा फाइलें हैं, उनके डिमांड नोटिस अभी तक निकले नहीं है। आपकी 1200 रुपये की ग्रामीण क्षेत्र में और 1400 रुपये की शहरी क्षेत्र में जो योजना है। इसका अभी तक प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया है। मैं चाहता हूं कि उसका प्रचार प्रसार हो जाए। तो उपभोक्ताओं को भी पता पड़ जाए, क्योंकि जितनी पैंडिंग फाइलें हैं 60 दिन के बाद में वे फाइलें बंद, हो जाती हैं। उपभोक्ता को पता पड़ जाए तो वह दुबारा अपनी नयी फाइल लगा कर 1200 रुपये की जो आपकी योजना है, उसका पूरा लाभ ले सके। इसलिये इसका थोड़ा प्रचार-प्रसार कराए तो ज्यादा ठीक रहेगा।

कुछ डी.पी. रोड पर ही पड़ी हुई हैं या जमीन से तीन-चार फुट की हाइट पर लगी हुई हैं। उनके बदलने में हो सकता है कि राज्य सरकार को पैसा लगाना पड़े। लेकिन डी.पी. के आस-पास में फेंसिंग ही हो जाए ताकि कोई भी आवारा पशु वगैरह पास में से गुजरे तो उसका देहांत होने की संभावना कम रहे। इसलिये मैं चाह रहा हूं कि उनके आस-पास फैंसिंग कर दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की मैंने समस्याएं रखीं, मैं चाहूंगा कि आदरणीय मंत्रीजी जिस प्रकार से राजस्थान की जनता के लिए बिजली तंत्र को जोर-शोर से आगे बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र को भी समस्याओं से निजात दिलाएंगे। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में पिछले साढ़े सात घंटों से राजस्थान में विद्युत की क्या हालत है, इस पर चर्चा चल रही है। इस लम्बे समय में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला मौका होगा जब दोनों पक्षों ने एक चीज को सदन के समक्ष रखा है कि बिजली आंदोलन से जिन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्री जी ने अपना राजनैतिक कैरियर प्रारम्भ किया था वर्तमान में उनके नेतृत्व में विद्युत विभाग के हाल बेहाल हैं। जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर पिछले डेढ़ साल में, माननीय मंत्री महोदय, आपके कार्यकाल में बने हैं उनसे एक व्यक्ति, एक सदस्य संतुष्ट हुआ हो तो मुझे बता दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो यह बताएं कि बिजली कैसे पैदा करें? बाकी यह तो ठीक है, बिजली की कमी है तो डाक्टर के शरीर से तो पैदा होगी नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अभी बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने जब कांग्रेस के घोषणा-पत्र को बाइबिल का नाम दे दिया तो मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य नाराज हो गये। लेकिन इसी सदन में जब पहली बार प्रचण्ड बहुमत पर सत्तारूढ़ होकर, मंत्री महोदय, आप पधारे थे उस वक्त आपके मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि यह हमारे लिये बाइबिल भी है, हमारे लिये गीता भी है, हमारे लिये कुरान भी है, हमारे लिये रामायण भी है।

श्री उपाध्यक्ष : बिजली की बात करो न, बिजली की बात करो, बाइबिल, गीता से क्या हो रहा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रामायण में यह क्या लिखते हैं बिजली उत्पादन की बात–

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : मुख्य मंत्रीजी ने नहीं कहा। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब मैं बोल रहा था तब मैंने कहा था कि जो हमारा घोषणा-पत्र है यह हमारे लिये पवित्र है। वह इतना ही पवित्र है जितना गीता, रामायण और बाइबिल हैं। यह मैंने कहा था, मुख्य मंत्रीजी ने नहीं कहा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने भी कहा था तो आप भी कोई कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : यह क्रेडिट आप मुख्य मंत्रीजी को नहीं देना चाहते हैं?

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : नहीं, कोई बहुत बड़ा कोई अपराध कर दिया हो, इस ढंग से आप नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपराध नहीं कर दिया, क्रेडिट उनको नहीं देना चाहते हैं।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : मैंने इसकी इम्पोर्टेंस को रखा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो मैं समझ गया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : इसकी इम्पोर्टेंस को रखा था। उसकी इम्पोर्टेंस

(श्री हरिसिंह)

को आज भी महसूस कर रहे हैं और उसकी बाकायदा अनुपालना कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो ठीक है, हम भी तो यही कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतक जी जिस धर्म ग्रन्थ को गीता कहते हैं_

श्री उपाध्यक्ष : आप बिजली की बात करें इसको बंद करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसमें ये कहते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में तीन हजार मेगावाट बिजली के उत्पादन की व्यवस्था की गयी थी और भाजपा सरकार ने आठ वर्ष में एक मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं किया तथा कांग्रेस सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी योजनाओं को अपनी उपलब्धि बताते रहे। निजी क्षेत्र में 6 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन के लिये विद्युत परियोजनाओं की मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रीगण घोषणाएं करते रहे। उपाध्यक्ष महोदय, अब क्या कहते हैं कि कांग्रेस के शासन में कुओं पर पांच हार्स पावर कनेक्शन के लिये पांच खम्भे निःशुल्क उपलब्ध होते थे तथा 37 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती थी। आज किसानों से 9 हजार, 12 हजार रुपये के हिसाब से प्रति खम्भा वसूले जाते हैं। नर्सरी योजना के नाम पर किसान को लूटा जाता है। आपने यह कह दिया कि शासन आपके हाथ में आ जाएगा तब 37 पैसे में तो किसान को बिजली दे देंगे और पांच हार्स पावर तक के कनेक्शन फ्री कर देंगे। तीन वर्षों में सारे गांवों को विद्युतीकृत कर देंगे। तीन वर्षों में राजस्थान की धरती पर कोई अनुसूचित जाति-जनजाति का मौहल्ला नहीं छोड़ेंगे जिसका आप विद्युतीकृत नहीं कर देंगे। अब आपने किया क्या है? मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, कि राजस्थान में कुछ विद्युत दरों की घोषणा तो आपने शुरू में कर दी और कुछ पीछे के दरवाजे से कर दी। आपने जितनी दरें बढ़ाई हैं, राजस्थान के इतिहास में आज तक नहीं बढ़ी हैं। मैं पीछे नहीं जाना चाहता। आपने जो प्रगति प्रतिवेदन हमें दिया है इसमें नवम्बर, 1999 से पहले क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है उसका उल्लेख आपने खुद ने किया है।

इसके अलावा आपने इस बजट भाषण के अंदर दो नये पैसे और पांच नये पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से कृषि श्रेणी की मीटर सप्लाई में और बढ़ा दिये हैं, हालांकि फ्लैट रेट में तो नहीं बढ़ाये हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, घरेलू प्रथम 50 यूनिट तक प्रति माह नवम्बर, 1999 से पहले लेते थे 112 पैसे प्रति यूनिट, अब ले रहे हैं 153 पैसे। अगर घर में आपके दो कमरे हैं और दो कमरों में दो बल्ब और एक पंखा चलाओ तो भी 50 यूनिट से ज्यादा खपत उसमें होती है, आम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

व्यक्ति के होती है। उसमें ये लेते थे नवम्बर से पहले 133 पैसे और अब ले रहे हैं 220 पैसे, यानि 87 पैसे अधिक। अघरेलू के अंदर प्रथम 100 यूनिट में प्रति माह लेते थे। 185 पैसे प्रति यूनिट, अब लेते हैं 264 प्रति यूनिट, 79 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया। 100 यूनिट से अधिक प्रति माह में 215 से बढ़ाकर 304 कर दिया। लघु उद्योग में 164 जो इनका प्रति यूनिट था वह बढ़ाकर 203 कर दिया। इसी तरह मध्यम, वृहत् उद्योग और इसके अलावा जो नगर पालिका को प्रकाश देते हैं उसमें भी 100 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 154 कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह किसानों की बात कहते हैं। मैं तो मंत्री महोदय के साथ उस किसान उपभोक्ता संघर्ष समिति के आंदोलन में भी गया था जो इन्होंने चलाया था, जिसमें बालूराम जी शहीद हुए थे। अब किसानों के लिए इन्होंने क्या किया है? सामान्य कृषि श्रेणी में नवम्बर से पहले 50 पैसे प्रति यूनिट था, अब मंत्री महोदय, आपने कर दिया 70 पैसे और इसके अंदर भी 2 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने की घोषणा और कर दी। इन्होंने यही नहीं किया, ईंधन भार के नाम पर जो बिलिंग माह मई, 1999 तक 102 प्रति यूनिट था अब उसको कर दिया आपने 116 पैसे। विद्युत कर और यह सारा आप जोड़ेंगे तो कहां लेकर गये हैं, किस तरह से कितनी दरें बढ़ी हैं? किसान की कमर तोड़ दी है। विद्युत कर अप्रैल, 1999 के पहले था 10 पैसे, अब आपने बढ़ाकर कर दिया 20 पैसे। कृषि श्रेणी के मीटर्ड में आपका एक पैसे था उसको बढ़ाकर कर दिया दो पैसे। आपने यही नहीं किया, आपने कोई जगह छोड़ी नहीं। आपने न मीटर बख्शा। पहले 30 रुपये का आता था अब आप उसका शुल्क लेते हैं 50 रुपये। मीटर टर्मिनल कवर के नाम से पहले आप 60 रुपये लिया करते थे, अब लेते हैं 100 रुपये। मीटर जिसके पहले 35 रुपये चार्ज करते थे अब करते हैं 70 रुपये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सेवा प्रभार के नाम पर 50 यूनिट प्रति माह प्रति कनेक्शन के लिये 12 रुपये लिया करते थे, अब बढ़ाकर इन्होंने कर दिया 15 रुपये। अब मैं क्या-क्या गिनाऊं? इन्होंने घोषणा की थी कि 37 पैसे प्रति यूनिट पर देंगे लेकिन इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, यह साफ सामने नजर आता है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, मैं आपका मित्र भी हूं, यह डेढ़ महीना तो आपका विधान सभा में निकल गया, अब आपको राजस्थान में दौरे नहीं करने हैं, वर्ना राजस्थान में आप दौरे करेंगे तो आपका स्वागत राजस्थान का किसान उसी तरह करेगा जिस तरह उनियारा में किया। यह हमें अच्छा नहीं लगेगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसलिए राजस्थान के बाहर के दौरे बनाएं। अब मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री जी...

श्री राजेन्द्र पारीक : जिस तरह के षड्यंत्र आपने उनियारा में करवाये। उस तरह के आप कहां-कहां कराएंगे, कम से कम जानकारी तो दें, बराबर के आपके साथी हैं।

श्री रामस्वरूप : माननीय पूर्व मंत्री जी, आपने क्या किया था, कम से कम यह तो कहें। इसी सदन में हम बिजली मांग रहे थे, आपने हमारी टांग को तोड़ा था। यह क्यों नहीं कहते हो? आप किसानों के दुश्मन हो। मैं एक किसान का बेटा था, बिजली मांग रहा था तो आपने मेरी टांग तोड़ दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हास्पिटल कौन लेकर गया था?

श्री रामस्वरूप : आप ही लेकर गये थे। आपनें इलाज भी मेरा करवाया था। इसलिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : उसमें भी आपकी तरफ से + + + हुई, किसी और का एक्स-रे रामस्वरूप जी के नाम पर आपने रखकर इनको फ्रैक्चर दिखा दिया जबकि वास्तव में इनके फ्रैक्चर था ही नहीं। आपने बहुत इस तरह की + + + की हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री जी अपना उत्तर देना प्रारम्भ करेंगे और उत्तर इस बात से देना प्रारम्भ करेंगे कि हमने किसानों को आठ घंटे बिजली दे दी और एक करोड़ रुपया प्रति दिन हमने किसानों को बिजली देने के लिये खर्च किया है। उपाध्यक्ष महोदय, 20 सालों से चाहे हमारी सरकार रही हो या आपकी सरकार रही हो, बिजली मंत्री कोई भी हो उसका एक एजेंडा तो पक्का ही रहता है। हर बिजली मंत्री आकर कहता है कि आठ घंटे हम बिजली देंगे। दूसरा एजेंडा यह रहता है कि 25 हजार से लेकर 30 हजार कुओं को हम एक साल में कनेक्शन देंगे, 500 से 700 गांवों को विद्युतीकृत करेंगे और 200 से 300 हरिजन बस्तियों को हम विद्युतीकृत करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि विद्युत उपयोग 10 परसेंट से लेकर 13 परसेंट तक प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। मंत्री महोदय, प्रति व्यक्ति उपभोग जो 1990 में 184 यूनिट था, 2000 में 320 यूनिट हो गया। आपने कहा है कि हमने 25 हजार ट्यूबवैल्स विद्युतीकृत कर दिये हैं। बड़े जोर से आपने अपनी पीठ थपथपा ली। इसके लिये आपको बिजली चाहिये 150 मेगावाट अतिरिक्त। आपने गांवों का विद्युतीकरण करने की बात की और आप कुछ उद्योगों को भी बिजली देंगे। आपने

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत करने की बात की और आपने स्वयं स्वीकारा है कि आपके डोमेस्टिक कनेक्शन हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। एक लाख से लेकर दो-ढाई लाख प्रति वर्ष बढ़ते रहते हैं। इन सबमें आपको 250 मेगावाट बिजली चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह रफ्तार रही तो प्रति वर्ष 300 से 400 मेगावाट बिजली चाहिये। डिमाण्ड और सप्लाई में गैप कहां है? अब हमें थोथी वाहवाही की बात छोड़नी पड़ेगी। ऊर्जा मंत्रीजी, आज आपके पास विद्युत उपलब्धता कितनी है? 3356 मेगावाट है। इसमें 1302 अपना स्वयं का जनरेशन है, अन्य साझीदारी परियोजनाओं में 949 मेगावाट और विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाओं में आबंटन 1105 मेगावाट, यानी कुल मिलाकर 3356 मेगावाट आपके पास विद्युत उपलब्ध है। आपने अपने वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 17 पर लिखा है कि वर्ष 1999-2000 में गत वर्ष की तुलना में 3.16 प्रतिशत अधिक बिजली उपलब्ध रही। लोड फैक्टर आप 11 प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, बिजली की अतिरिक्त उपलब्धि बढ़ाई है 3.16 प्रतिशत यानि डिमाण्ड और सप्लाई में इसी वर्ष 7.82 का गैप रह गया। यह तो एक वर्ष की बात है। मैंने माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का एक जगह वक्तव्य पढ़ा था जिसमें आपने कहा था कि साढ़े सात सौ-आठ सौ लाख यूनिट बिजली की मांग है। हमारा स्वयं का उत्पादन, हमारा विभिन्न परियोजनाओं में हिस्सा, दूसरे राज्यों और केन्द्र से हम महंगी दरों पर बिजली खरीदते हैं, उसके पश्चात् भी आप उपलब्ध कितनी करवाते हैं? पांच सौ से लेकर साढ़े छह सौ मेगावाट। पीक टाइम में थोड़ी ज्यादा करवा देते हैं। यानि दो सौ लाख से लेकर ढाई सौ लाख यूनिट का हमेशा डिमाण्ड और सप्लाई में गैप रहता है। छह सौ से ज्यादा हो तो आप बता देना। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब से बैठे हैं इस कुर्सी पर, कभी भी डिमाण्ड और सप्लाई में दो सौ से लेकर ढाई सौ लाख यूनिट से कम गैप नहीं रहा है। इतना गैप होते हुए भी आप बात करते हैं कि हमने आठ घण्टे बिजली दे दी। मंत्री महोदय, आप हमें समझाओ तो सही कि आपने आठ घण्टे बिजली दी तो दी कैसे? आपको मालूम है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारण के सर्वेक्षण के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्षों में हमारी आज की जो रफ्तार है, उसी पर चलते रहे तो 7916 मेगावाट बिजली की आवश्यकता रहेगी। क्षमता है 3356, यानि पांच हजार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन आप करें या खरीदें। इसके लिए अगर आप जनरेशन करें तो आपको चाहिए 20 हजार करोड़ रुपए और इतने ही चाहिए आपको ट्रांसमिशन पर। अब आपने किया क्या है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जो प्रगति प्रतिवेदन इन्होंने प्रस्तुत किया, पिछली बार तो आप विद्युत नियामक आयोग लेकर आए। आज विद्युत नियामक आयोग के पूर्व मुख्य सचिव अरुण कुमार चेयरमैन बने बैठे हैं, पूरा आपने गठन कर रखा है। प्रति महा लाखों रुपए सैलेरी और दूसरे संस्थापन कार्यों पर आप खर्च करते हैं। परन्तु वे कर क्या रहे हैं? आपने इस तरह न तो इसे मण्डल के रूप में छोड़ा है और न ही आप कम्पनी बना सके हैं। बीच अधरझूल में छोड़कर आप लोग बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारा काम आपने किया क्यों? आप जिस विद्युत सुधार के नाम पर नियामक आयोग लेकर आये हैं, जब हम लोगों ने इस पर चर्चा प्रारम्भ की थी, उपाध्यक्ष महोदय, आप उस समय सदन में नहीं थे; आप ही के माननीय सदस्यों ने सारे उसके कागज फाड़-फाड़ कर उछाले, काला कानून, काला कानून। इस काले कानून को आप वापस लेकर आये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बात सिर्फ इतनी है कि हमारी आलोचना कर दी कि कर्जा हमने ज्यादा ले लिया, 23 हजार करोड़ के कर्जे में राजस्थान को डुबो दिया। आप छह हजार मिलियन डालर का कर्जा लेना चाहते थे विश्व बैंक से, सारी योजना इससे बनी। साढ़े बारह प्रतिशत पर आप 24 हजार करोड़ का कर्जा लेना चाहते थे इसीलिए विद्युत सुधार कार्यक्रम पर आपने नीति पत्र लिखा और उसमें सारी चीजों का उल्लेख किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत नियामक आयोग बना, लिया जिन शर्तों पर आप विश्व बैंक से कर्जा ले रहे हैं उन शर्तों का लब्बे-लुबाब यह है कि अब बिजली पर सब्सिडी देना बंद करो, चाहे किसान हो चाहे उपभोक्ता हो। बिजली के अंदर जितनी लागत है उतनी लागत उपभोक्ता से वसूल करो, यानि पहले की तरह नहीं है। यह कल्याणकारी राज की सोच नहीं है। अब तो बिजली कमर्शिलाइज हो गई है, दुकानदार जिस तरह कोई चीज देता है, पूरा दाम लेता है, उस तरह की दाम वसूली का काम आप चालू करो। पिछली बार विद्युत नियामक आयोग के नाम पर आपने 50 वर्ष पुराने आर.एस.ई.बी. के तीन टुकड़े करने का फैसला कर लिया। जनरेशन कम्पनी, ट्रांसमिशन कम्पनी और डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी, लेकिन हालत क्या बनी है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लीगल सैंक्टिटी क्या है आज इस बोर्ड की? आज विद्युत नियामक आयोग और विद्युत बोर्ड दोनों के बीच में झूल गया है। आपको इन सारी चीजों के बारे में सोचना चाहिए।

अभी यहां सभी माननीय सदस्यों ने चारा योजना की बात की। झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी कुछ कहा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आप इस चारा योजना को इसलिए लेकर आए हैं कि जहां सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, वहां किसान इस चारा योजना से कनेक्शन लेकर मरते पशु धन को बचा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पाए। लेकिन आपने इसमें इतनी राशि का प्रावधान रखा है कि 12 हजार रुपए तो डिपोज़िट राशि होनी चाहिए प्रार्थना पत्र के साथ, 11 हजार रुपये प्रति पोल के चार्जेज है और 12 हजार रुपए प्रति हार्स पावर शुल्क लगा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह मान लें कि किसी ने 12 हजार रुपए राशि डिपोजिट करवाई और किसी के दो या तीन पोल लगेंगे तो 33 हजार रुपए वे और 12 हजार रुपए प्रति हार्स पावर के हिसाब से कम से कम कम 10 हार्स पावर की मशीन भी लगाए तो 12 हजार रुपए वो 55-60 हजार रुपए आपकी जेब में हो और उसके बाद 1 रुपया 42 पैसे टेरिफ देने की हिम्मत हो तब तो यह काम हो सकता है वर्ना यह काम नहीं हो सकता।

आपने अपने इस घोषणा पत्र में कहा है कि 8 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर एक मेगावाट बिजली उत्पादित नहीं हुई। अभी किरोड़ीलालजी ने बता दिया 540 मेगावाट, पर मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा ताप विद्युत गृह ने हमारे समय में सात बार श्रेष्ठ उत्पादन के लिए भारत सरकार से उत्पादकता पुरस्कार प्राप्त किया। 1997-98 में 82.15 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर अर्जित करते हुए 6117 मिलियन यूनिट का रिकार्ड कायम किया है। अब की बार भी किया है, हमारे समय में भी किया है। एक-दो बार नहीं, सात बार किया है। (व्यवधान) ऊर्जा मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई बार आपने आलोचना की कि निजी क्षेत्र के अंदर हमारी प्रगति थोथी थी। 4200 मेगावाट के जो एम.ओ.यू. दस्तखत हुए थे, वे एम.ओ.यू. ऐसे नहीं थे जिनसे वास्तव में कम्पनियां आकर विद्युत जनरेशन करें। अब आपको मालूम है..

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके साथ में इतने दस्तखत हुए, उनमें चालू कितने हुए?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दिसम्बर, 1998 में 2030 मेगावाट के एम.ओ.यू. रद्द कर दिए। परन्तु हम जहां छोड़कर गए थे, आप बता दें कि आपने निजी क्षेत्र में क्या तीर मार लिया? चाहे बरसिंहसर हो, चाहे कपूरड़ी और जालीया का मामला हो, पी.पी.ए. हो गया, चम्बल पावर लिमिटेड और डी.एल.एफ. पावर लिमिटेड, सेंटर पावर वेंचर का। डी.एल.एफ. का पी.पी.ए. भी आपको निरस्त करना पड़ा।

झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य जिस तरह से बता रहे थे, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारण से 12.3.98 को सारी फाइनेंशल स्वीकृति मिल चुकी, परन्तु उसके पश्चात् हुआ क्या? मंत्री महोदय, दूर बैठकर बात करना बड़ा आसान है, + + + करना बहुत आसान है। पहले आप हमें कहा करते थे। आपने क्या कर दिया, यह तो कृपया आप हमें बताएं।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी ट्रांसमिशन लासेज की काफी बात हुई। हमारे टी. एण्ड डी. लासेज 35 प्रतिशत हैं, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में जितना हमारा लास है, उतना किसी दूसरे का नहीं है। अगर हम एक प्रतिशत भी ट्रांसमिशन लास को कम करें तो 35 करोड़ रुपया बचता है। लेकिन इस दिशा में मात्र बातें होती रही हैं। आपने क्या कारगर कदम उठाए हैं, इस बारे में आप हमें बताएं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां बात चली कि राजस्थान में जहां पेयजल का भयंकर संकट है, रीजनल स्कीम जुड़ी हुई है बिजली के साथ, जहां पी.एचईडी. ने रीजनल स्कीम के लिए पैसा जमा करवा दिया, चाहे आपकी योजना, चूरू या दूसरी योजना हो, कम से कम आप उनमें तो युद्ध स्तर पर काम करवा दें, वहां तो विद्युत सप्लाई की अलग से व्यवस्था करें। एक बात और कहना चाहता हूं कि एक दिन आप जोधपुर पधारे। जोधपुर में आपने नया कनेक्शन देने का एक नया आदेश जारी कर दिया, नई नीति बना दी। वहां एक पांच सितारा होटल था, ताज हरि महल, उसका चालीस लाख रुपए का डिमाण्ड नोटिस निकला। आपने न जाने क्या कमाल किया, पूरे राजस्थान में पहला होगा, 33 के.वी. की रिंग मैन सप्लाई जाती है, 33 के.वी. से सीधा कनेक्शन दे दिया और 40 लाख के डिमाण्ड नोटिस को कम करके 10 लाख कर दिया। इस बारे में निश्चित रूप से आपको विचार करना चाहिए।

मैं एक और निवेदन करके समाप्त करूंगा।

सेंट्रल पूल से 250 मेगावाट बिजली आपको खरीदनी थी, पंजाब से 100 मेगावाट खरीदनी थी। आपने बार-बार यह कहा कि सारी बिजली इसलिए नहीं खरीद सके कि केन्द्रीय सरकार को इसमें जिस प्रकार का काम करना चाहिए था नहीं किया। परन्तु आपको कोई पूछे तो सही कि आप बिजली खरीदते हो तो उसके लिए आपको पेमेंट तो समय पर देना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिजली 250 मेगावाट सेंट्रल पूल से और 100 मेगावाट पंजाब से आप इसलिए नहीं ले सके कि आपने पैसों की अदायगी समय पर नहीं की। इन सारी स्थितियों को देखते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि जिस तरह के हालात के अंदर इस राजस्थान को पहुंचा दिया है, कम से कम अब तो आप मेहरबानी करो और यथार्थ पर आओ। मेरी आखिरी आपको नेक सलाह है कि आप दौरे में जयपुर से बाहर कहीं मत पधारना, नहीं तो आपका स्वागत जिस तरह से होगा उसके लिए और किसी को नहीं मेरे मन में जरूर तकलीफ होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली पर चर्चा हो रही है। (व्यवधान) बिजली हमारे जीवन की आवश्यकता हो गई है। बिना बिजली के चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे घरेलू जीवन हो, सभी अधूरे हैं। आज हमारे भौतिक साधन जितने भी हैं सारे बिजली से संचालित होते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिजली मंत्रीजी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मेरे क्षेत्र में 132 के.वी.ए. जी.एस.एस. का चांदगोठी में शिलान्यास किया जिससे हमारे क्षेत्र की काफी समस्याएं हल होंगी। इन्होंने बिजली के कैम्प लगाकर काफी उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने की और कोशिश की है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, मैं उनकी ओर माननीय विद्युत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे राजगढ़ क्षेत्र में 1994 से घरेलू कंनेक्शन के डिमाण्ड नोटिस जमा हैं। आज छह साल हो गये लोगों के कनेक्शन नहीं हुए। पैसे लोगों ने भर दिये, पावर हाउस में जाते हैं, एईएन. और जेईएन. से मिलते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास मैटीरियल नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा हो गये तो कंजूमर कहां से मैटीरियल लाये? मैटेरियल के पैसे उसने जमा करा दिये, यह तो विभाग की जिम्मेदारी है कि टेण्डर इन्वाइट करके मैटीरियल सप्लाई करे और कनेक्शन करे। आज छह साल पैसे भरे हो गये। यदि विभाग के पास मैटीरियल नहीं था तो डिमाण्ड नोटिस के पैसे क्यों लिये? उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ऐसी बात हो गई कि मैं आपको इन्वाइट करता हूं मेरे घर पर कि आप शाम को खाना खाने आइए। उपाध्यक्ष जी घर पर कह देते हैं मैं तो पूनिया जी के घर पर खाना खाऊंगा और आप मेरे घर पधारते हैं तो मैं कहता हूं, साहब, आज तो मेरे घर पर आटा भी नहीं है, तेल भी नहीं है, मिर्च भी नहीं है। फिर किस हैसियत से उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको इन्वाइट किया? यही स्थिति आज बिजली बोर्ड की है। यदि हमारे से पैसे ले लिये जाते हैं तो सामान मंगवाकर कनेक्शन करने चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाकर जितने भी कनेक्शन बकाया हैं वे सब कनेक्शन किये जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो पुरानी लाइनें हैं, नीचे आ गयीं, सभी माननीय सदस्यों ने उनका जिक्र किया है। आज काश्तकार अपने ऊंट पर चढ़कर जाते हैं, ऊंटगाड़ी पर चढ़कर जाते हैं तो उनसे टच हो जाते हैं, पशु भी मर जाते हैं। मेरे क्षेत्र में कम से कम 7 भैंसे मर गई। इसमें कोई ज्यादा खर्च नहीं आता। फेमिन हैड से मजदूरों को लगाकर लाइन को खींचा जा सकता है। इससे फेमिन में मजदूरों को काम भी मिलेगा और डिपार्टमैंट

(श्री नन्दलाल पूनिया)

का काम भी हो जाएगा। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आज आपके विभाग में पैसा नहीं है तो फेमिन हैड से पैसा लेकर मजदूरों से लाइन खिंचवाने का काम कराया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में वोल्टेज की बहुत कमी है। कम वोल्टेज के कारण लोगों की मोटरें जल जाती हैं। आपने 132 के.वी.ए. का शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन 33 के.वी.ए. के कम से कम 10 ऐसे जी.एस.एस. की भी जरूरत है आज राजगढ़ क्षेत्र में जिससे कि वोल्टेज की सप्लाई पूरी हो सके।

माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नौरंगपुरा गांव से जसवंतपुरा गांव जुड़ा हुआ है लेकिन 15 किलोमीटर दूर पड़ता है और 15 किलोमीटर में वोल्टेज बहुत डाउन हो जाते हैं। जबकि उसके पास में ही नीमा गांव पड़ता है जहां 33 के.वी.ए. का जी.एस.एस. बना हुआ है। सिर्फ छह पोल लगने से उस गांव की समस्या दूर हो सकती है तो उस गांव की समस्या दूर होनी चाहिए। इसी प्रकार बेवड़ गांव में चांदगोठी से लाइन जाती है जिसकी दूरी 16 किलोमीटर पड़ती है। उसके बीच में नावां गुढ़ान, अमरे का बास, भरिण, बांगड़वा आदि गांव पड़ते हैं जिससे आखिर बेवड़ में जाकर वोल्टेज की बहुत कमी पड़ जाती है। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि बेबड़ में एक 33 के.वी.ए. का जी.एस.एस. बनाया जाए। इसी प्रकार हमीरवास में, मेसल में, बींगली में, बास मामराज में और नावां में, आज कम-से-कम राजगढ़ क्षेत्र में 10 ऐसे पावर हाउस की जरूरत है जो 33 के.वी.ए. के हैं। जिससे कि लोगों को नियमित रूप से वोल्टेज मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है कि शाम को 6.00 बजे से 10.00 बजे तक सप्लाई मिलनी चाहिए। आज उपभोक्ता जो देहाती क्षेत्र में रहता है उसको 6.00 से 10.00 बजे तक लाइट नहीं मिलेगी तो उसके लिए बिजली का उपयोग क्या है, वह बिल क्यों भरेगा? आज बच्चे की पढ़ाई का सवाल देख लीजिए चाहे घर में शाम को, रात को जो दैनिक कार्य होते हैं, खाना पकाने आदि के उनको देख लीजिए, उस समय भी उनको लाइट नहीं मिलेगी तो मैं समझता हूं उन लाइट का उन लागों के लिए क्या उपयोग है। उस गांव में लाइट आयी या न आयी, बराबर है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है, सभी माननीय सदस्यों ने भी आपसे निवेदन किया है कि ऐसी व्यवस्था आप राजस्थान में जरूर कीजिए ताकि आम उपभोक्ताओं को शाम को लाइट उपलब्ध हो सके।

(श्री .नन्दलाल पूनिया)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, ट्रांसफार्मर जलने के बाद काश्तकार खुद उनको ट्रांसपोर्ट करके पावर हाउस तक लाते हैं। पावर हाउस में लाने के बाद फेल्योर रिपोर्ट बनती है, फेल्योर रिपोर्ट बनने के बाद जब 10-15 हो जाते हैं तब एक ट्रक में लोड होकर स्टोर तक जाते हैं और स्टोर में जाने के बाद उनको उसकी एवज में दूसरा ट्रांसफार्मर मिलता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रक्रिया में कम से कम 10-15 दिन लग जाते हैं, उन 10-15 दिनों में एक काश्तकार की क्या हालत होगी? रीजनल स्कीम में गांव में पीने के पानी की सप्लाई के लिए एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वह जल जाए तो उस गांव में पीने के पानी की समस्या का क्या होगा? मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की व्यवस्था आपने झुंझुनूं में कर रखी है कि तीन दिन में ट्रांसफार्मर बदला जाता है, उसी तरह की व्यवस्था आप दूसरे क्षेत्रों में भी कीजिए।

(22.00 बजे)

हमारा चूरू जिला भी आपके पड़ौस का क्षेत्र है, हमारे साथ दुभांत मत कीजिये, हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार कीजिये। एक समस्या लोगों के सामने और आ रही है कि जब ट्रांसफार्मर जल जाता है तो एसई. साहब कहते हैं कि गांव में इन सबके पैसे बढ़ा दो उसके बाद में ट्रांसफ़ार्मर रिप्लेस करेंगे। अगर ट्रांसफार्मर पर तीन कंज़्यूमर हैं तो तीनों के पैसे जमा होने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, दो आदमियों ने ट्रांसफार्मर के पैसे पूरे जमा करा दिये हैं और एक आदमी पर बकाया है तो उस आदमी को आप कनेक्शन मत दीजिए, उसका कनेक्शन डिसकनैक्ट कर दीजिए लेकिन जिन दो आदमियों ने पैसे भर दिये उन लोगों को उस सुविधा से वंचित मत रखिए। इसी प्रकार से घरेलू कनेक्शन हैं। गांव में सौ कनेक्शन हैं, 78 आदमियों ने पैसे भर दिये, आप 30 की एवज में सारे गांव को अंधेरे में रखते हो और सारे गांव को पीने के पानी की सुविधा से वंचित रखते हो। यह न्यायोचित बात नहीं है। आप उनका कनेक्शन काट दीजिए लेकिन जिन लोगों ने पैसे भरे हैं वे लोग इस सुविधा से वंचित नहीं रहने चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय, का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि लोग बिजली की समस्याओं को लेकर पावर हाउस में जाते हैं, एईएन. और जेईएन. से मिलते हैं तो उन पर झूठे मुकदमे कर दिये जाते हैं। मैं आपको पिछले साल का उदाहरण दूं, हमारी किसान यूनियन का अध्यक्ष सुल्तान सिंह क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एईएन. आफिस गया, एईएन. आफिस के सामने

(श्री नन्दलाल पूनिया)

समस्याएं रखीं। समस्याएं रखने के बाद में उनमें कहासुनी हो गयी तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस किसान यूनियन के अध्यक्ष पर 353 और 332 का मुकदमा लगा दिया। उस मुकदमे का रिजल्ट क्या हुआ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक साल की सजा हुई। इसी तरह 5 जनवरी को 15-20 गांवों के आदमी कम वोल्टेज मिलने की समस्या को लेकर और 2-2, 3-3 घंटे ही बिजली मिलने की समस्या को लेकर पावर हाउस गये। पावर हाउस जाने के बाद में उन लोगों ने अपनी मांग के सम्बन्ध में अधिकारियों से बात की और अधिकारियों को घेरकर धरने पर वहीं बैठ गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी समस्याओं को लेकर अहिंसक तरीके से मांग करना कोई बुरी बात नहीं है। वे लोग शाम को 5 बजे तक वहीं बैठे रहे। वे मांग कर रहे थे कि एक्सईएन. और एसई. आएं हमें आश्वासन दें तो हम हमारे घरों को रवाना हो जाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शाम को 5 बजे एसडीएम. और तहसीलदार ने ग्रामवासियों को समझा-बुझाकर अपने घरों को रवाना कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट और लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हा, लीजिए।

श्री नन्दलाल पूनिया : उनको घरों के लिए रवाना कर दिया। वे बेचारे काश्तकार अपने घरों को चले गये लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे दिन क्या होता है? 6 जनवरी को उन लोगों में से कुछ लोगों के खिलाफ नामजद एफ.आई.आर. दर्ज हो जाती है जबकि 6 तारीख की राजस्थान पत्रिका में स्पष्ट है कि एसडीएम. रामदेव चौधरी और नारायण लाल रेवाड़ ने ग्रामवासियों को समझा-बुझाकर अपने घर भेज दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस तरह के झूठे-मुकदमे यदि काश्तकारों पर अपनी मांगों को लेकर किये जाएंगे तो कौन ऐसा साहस करेगा कौन बिजली मांगने के लिए पावर हाउस में जाएगा?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा-सा निवेदन है कि हमारे एक धानोटी गांव है, धानोटी बड़ी से छोटी तक पांच किलोमीटर की लाइन पड़ती है। उसके तार कटे हुए चार-पांच साल हो गये। आज वे तार सिद्धमुख थाने में बरामद किये हुए पड़े हैं। लेकिन बिजली बोर्ड का कोई एईएन., जेईएन. या एक्सईएन. उसकी सुपुर्दगी लेने के लिए तैयार नहीं है। यदि वे वापस लाकर उस लाइन को खड़ा कर दें, चालू कर दें तो उस गांव को सुविधा मिल सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्ण मुरारी गंगावत।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी पक्ष और विपक्ष के सम्मानीय सदस्यों ने जो आज बिजली पर चर्चा हो रही है उसमें अपने विचार रखे, अपने सुझाव दिये। इस विषय में मैं भी आपसे मेरी तरफ से कुछ विचार रखना चाहता हूं। पूर्ववर्ती सरकार के समय बिजली की क्या स्थिति थी, यह कोई आपसे छुपी हुई नहीं है। हमारी कांग्रेस की सरकार 16 माह पूर्व जब प्रदेश में आई और हमारे युवा मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने अब सत्ता संभाली उस समय मैं समझा कि राजस्थान के अन्दर बिजली का बहुत महत्त्व है। अगर लोगों को बिजली की व्यवस्था नहीं हुई तो जैसे पूर्ववर्ती सरकार के अन्दर रोज आन्दोलन होते थे, रोज थानों में बन्द होते थे, ट्रांसफार्मर फुंकते थे, ऐसी स्थिति नहीं आए इसलिए किसी भी कीमत पर बिजली की व्यवस्था हो। एक करोड़ रुपये रोज के चाहे एक्स्ट्रा देने पड़े। लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि हमार मुख्य मंत्रीजी और हमारे बिजली मंत्रीजी माननीय चन्द्रभान जी ने इस बिजली की व्यवस्था को सुधारा और जो दशा पिछली सरकार की थी, कम से कम किसानों में असंतोष पैदा नहीं हुआ, चाहे कहीं से भी बिजली की व्यवस्था करनी पड़ी क्योंकि बिजली सीमित थी, पैसे का अभाव था। सीमित साधनों से किस तरह किसान को अधिक से अधिक सुविधा दी जाए, इस सोच के साथ किसानों को बिजली दी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली और इस बार की दोनों फसलें किसानों ने आराम से काटी। मैं मेरे पूर्व साथी बहरोड़ के डाक्टर करण सिंह यादव को कहा करता था, वहां बिजली के लिए हर साल आन्दोलन होते थे। हम लोग जब एम.एल.ए. बने तो हमने मुख्य मंत्रीजी से कहा, मुख्य मंत्रीजी, अगर बिजली की यही दशा रही तो हो सकता है हम गांवों में जाने लायक नहीं रहें। लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी और बिजली की व्यवस्था की। इस बात के लिए हम माननीय मुख्य मंत्रीजी के और भाई चन्द्रभान जी जो हमारे बिजली मंत्री हैं उनके हृदय से आभारी है।

माननीय मैं ज्यादा न कहकर क्योंकि बहुत से हमारे सम्मानित साथियों से सुझाव दिये है, दो-तीन बातों के लिए जरूर माननीय ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नई परियोजनाएं चाहे हम अभी चालू नहीं करें, लेकिन हम इनके लिए कार्यालय में बेकार पैसा भी खर्च नहीं करें क्योंकि पैसे की कमी है। अगर हम एक साल के लिए छीजत और चोरी को रोक दें, लाइनें जो ढीली पड़ी हैं उनको टाइट कर दें जो पुराने कई हजारों ट्रांसफार्मर जमीन पर रखे हुए हैं उनको ठीक करा दें और इस सब के अन्दर अगर हम युद्ध स्तर पर कार्य

(श्री कृष्ण मुरारी गंगावत)

करें एक साल के लिए तो मैं समझता हूं हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस ओर भी आवश्यक रूप से ध्यान दें। आज हमारे प्रदेश के अन्दर हो क्या रहा है? अफसर ज्यादा हैं और लेबर कम हैं। जब कोई ट्रांसफ़ार्मर फुंक जाता है, 20-20 ट्रांसफार्मर पर एक-एक लेबर होती है और दो-दो अफसर होते हैं। इसलिए यह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लेबर को आवश्यक रूप से भर्ती करें जिससे कि हमारी व्यवस्था हो सके। हम 8 घंटे किसान को बिजली देना चाहते हैं, लेकिन कई बार जब लाइनें खराब हो जाती है वो दो दिन तक ठीक नहीं हो पाती हैं क्योंकि हमारे यहां लेबर की कमी रहती है। लेबर की भर्ती हुए मैं समझता हूं कि करीब 10 साल हो गये, न तो बी.जे.पी. की सरकार ने भर्ती की और न आपने उसकी शुरूआत की। पुरानी जो लेबर थी वह कई तो मर गये, कई विकलांग हैं, काम करने की स्थिति में नहीं है। यह एक इम्पोर्टेण्ट कार्य है, माननीय मंत्रीजी अगर लेबर की भर्ती करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि जो सुविधा हम बिजली की किसानों को देना चाहते हैं वह ज्यादा सुविधा मिलेगी और हमारे जो टूट-फूट है, जो लाइनें फाल्ट होती हैं, जो लाइनें ढीली होती हैं, जो काश्तकारों को दिक्कत होती है उस दिक्कत का सामना काश्तकारों को नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि लेबर की भर्ती पर आप प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दें।

एक जो किसानों को कनेक्शन देने की प्रणाली है इसका हम सरलीकरण करें। आफिसेज के अन्दर उनको बड़ी भारी दिक्कत आती है, उनको कई कागजों की पूर्ति करनी पड़ती है। इसका सरलीकरण करें जिससे कि किसान को और आम आदमी को कनेक्शन लेने में फायदा हो।

माननीय मंत्रीजी, इसके अलावा, मैं अलवर जिले और मेरे क्षेत्र के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। मेरा जो अलवर जिला है, आप सब माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि इसके चारों तरफ इण्डस्ट्रियल एरिया है। थानागाजी में इण्डस्ट्रियल एरिया है, बहरोड़ में है, नीमराणा में है, तिजारा में है और भिवाड़ी, राजगढ़ में हैं, चारों तरफ इण्डस्ट्रियल एरिया है। हरियाणा नजदीक है, दिल्ली नजदीक है तो मैं समझता हूं कि यहां बिजली की बहुत ही आवश्यक है। आज हमारे यहां इण्डस्ट्रीज कम क्यों हो रही है? इसका एकमात्र कारण यह है कि बिजली हम उनको कम दे पा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर आप विशेष तौर से ध्यान दें।

मेरे क्षेत्र के बारे में एक बात मैं विशेष तौर से बताना चाहूंगा। जितनी बुरी दशा

(श्री कृष्ण मुरारी गंगावत)

बिजली की मेरे क्षेत्र में है, शायद किसी भी क्षेत्र में नहीं होगी। यह आज की नहीं है, मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि यह आपके समय से चली आ रही है। आपने 10 साल के अन्दर मेरे क्षेत्र में कभी ध्यान नहीं दिया। मेरे यहां आपको यह सुनकर बहुत अचम्भा होगा कि एक नारायणपुरा कस्बा है वहां बिजली आती है कोटपूतली से, एक थानागाजी कस्बा है वहां बिजली आती है अलवर से एक प्रतापगढ़ कस्बा है वहां बिजली आती है जमुवारामगढ़ से, एक गोला का बास है वहां बिजली आती है दौसा से और एक टहला क्षेत्र है जहां बिजली आती है राजगढ़ से। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी? पूर्ववर्ती सरकार ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि वहां बिजली की व्यवस्था ठीक हो। अगर कहीं खराब हो जाती है तो हम कहां सम्पर्क करें? ऐसी स्थिति आपने की। पिछली बार मुख्य मंत्रीजी वहां पधारे थे, उनको भी हमने निवेदन किया था। उन्होंने इस बात के ऊपर गौर फरमाया है कि इस साल आपके यहां कोई न कोई व्यवस्था करेंगे। माननीय मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया है कि इस साल हम आपके यहां 132 के.वी.ए. का सब-स्टेशन लगाएंगे। इस बात के लिए मैं माननीय मंत्रीजी और माननीय मंत्री जी का हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी समय से ऊर्जा पर चर्चा हो रही है। ऊर्जा हमारे देश की प्रगति के लिए और खास तौर से कृषि और उद्योग के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत-से माननीय सदस्यों ने बहुत ही महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि रेगुलेटरी कमीशन जो आपने बनाया है और जो तीन कम्पनियां बनाने के बारे में आपने यहां घोषणा की थी, उनकी अब क्या प्रगति है? क्या ये तीनों कम्पनियां-जनरेटिंग, ट्रांस्मिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बन चुकी? और नहीं बनी तो कब तक बन जाएगी? इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से कर्जा मिलेगा। सभी माननीय सदस्यों ने जब यह एक्ट पास हुआ था उस समय घोर विरोध किया था लेकिन उसके बावजूद भी देर रात आपने इसको पास कराया। लेकिन वर्ल्ड बैंक से आपका कोई एग्रीमैंट इस बारे में हुआ तो लोगों को इस बात की चिंता हो रही है कि भविष्य में क्या होने वाला है। अपना पुराना सिस्टम ही चलाएंगे या जो रैगुलेटरी कमीशन बना उस के आधार पर काम प्रारम्भ करेंगे?

माननीय मंत्री महोदय, मैं विशेष तौर से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आपकी जो लाइनें लगी हुई है, खास

(श्री अमराराम चौधरी)

तौर से जो लोहे के खम्भे लगे हुए हैं वे 30-40 साल पुराने हैं। इन लोहे के खम्भों से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि नीचे बहुत जंग लग गया है और मामूली ही उनमें जगह रही है जिसके कारण वे कभी भी गिर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : आठ साल में एक भी ख्याल नहीं आया।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक साल में ही जंग लग गया?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : यह बात आप कह रहे हो कि यह हो गया, यह हो गया, सवा साल में कोई जादू थोड़े ही था कि सारा काम हो गया, बिजली आ गयी? यह जितना भी एस्टेब्लिशमैंट हुआ है, बिजली का जाल फैला है उसमें वर्षों लगे हैं। खाली यह कहना कि सवा साल में ही यह हो गया, सब हो गया, गलत है। अभी आप कह रहे थे, पक्ष के सदस्यों ने विचार रखे कि इस साल बिजली पूरी नहीं आयी। पहले नवम्बर, दिसम्बर तक तो हम मौजूद थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बिराजें, बिराजें।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : नवम्बर, दिसम्बर तक और तीन महीने जो सीजन रहा उसमें 8 घंटे बिजली आयी तो यह पहले व्यवस्था बनी हुई थी इसलिए आयी। उसके बाद में इस साल सभी माननीय सदस्य कहते कि आठ घंटे आयी जब तो कोई बात होती। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि लाइनों का मेंटिनेंस आप करावें।

दूसरा, जो आपके ट्रांसफार्मस जल जाते हैं उनकी रिपेयरिंग मेरे क्षेत्र बालोतरा में होती है। उनकी रिपेयरिंग करके आप उनको कहां भेजते हैं? बाड़मेर में। हमें वापस बाड़मेर से मंगाना पड़ता है। आज बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा कनेक्शन बालोतरा सब डिवीजन में हैं। वहां पर एक चौथाई हैं और यहां तीन चौथाई हैं, इसलिए एक स्टोर यहीं होना चाहिए। यहां से रिपेयरिंग करके वापस वहां जाते हैं तो वहां आने-जाने का खर्चा आप पर कम पड़े इसलिए यह होना बहुत आवश्यक है।

माननीय मंत्री महोदय, आपने 150 कच्ची बस्तियों में, अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों में, हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण के लिए टार्गेट रखे। उन हरिजन बस्तियों में पिछले साल हमारे क्षेत्र में तो आपने किसी को भी बिजली नहीं दी। आप देख लीजिये। हमारे यहां ही नहीं, हर सब डिवीजन में 5-6 हजार की हरिजन बस्तियां हैं उनको आप इलेक्ट्रिफाईड करें ताकि यह आपका लक्ष्य जल्दी पूरा हो सके। वहां आप 25 हजार कनेक्शन भी देंगे, लेकिन पहले जो कनेक्शन दिये हैं, काश्तकार को स्वयं खम्भे खड़े करने पड़े हैं। कहीं खम्भा मिला है तो दूसरा सामान नहीं मिला है, उसने बाजार से एंगल्स खरीदे हैं। यहां तक कि साल

(श्री अमराराम चौधरी)

भर तक कनेक्शन स्वीकृत होने के बाद वह चक्कर काटता रहा है तब जाकर कहीं कनेक्शन मिला है।

हरे चारे के लिए बाड़मेर जिले में कनेक्शन देने के लिए आपने वादा किया है आपने बाड़मेर आकर सम्मेलन किया, जोधपुर में भी आपने मीटिंग बुलाई और हम लोगों को बुलाया। मैंने निवेदन किया था आपसे कि हमारे इलेक्ट्रिफाइड गांव हैं, पहले हो चुके हैं लेकिन अभी तक एक भी खम्भा वहां नहीं लगा है। तो आपने कहा कि यह डेढ़-दो महीने का टाइम दे रहे हैं, हालिया गांव इलेक्ट्रिफाइड हो जाए। लेकिन मैंने एईएन. से पूछा तो उन्होंने यह बताया कि चीफ इंजीनियर ने मुझे कोई सामान नहीं दिया है। जो आपकी कमी है, पहले ज्यादा थी। तब चेयरमैन साहब जो जोधपुर के हैं, भण्डारी साहब ने खूब सामान दिया था लेकिन अब साल-डेढ़ साल से खास तौर से हमारे सब-डिवीजन के अन्दर सामान नहीं आ रहा है। उसी के कारण से_

श्री उपाध्यक्ष : तो अभी चेयरमैन कौन है ?

श्री अमराराम चौधरी : अब आये हैं तो मंत्रीजी आदेश करेंगे तब देंगे। (व्यवधान) तो मेरा निवेदन है कि सामान नहीं होने की वजह से कनेक्शन नहीं हो रहे हैं और कनेक्शन नहीं होने की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। घरेलू कनेक्शन भी नहीं हो रहे हैं।

इसके अतिरिक्त मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पचपदरा क्षेत्र में एक 33 के.वी.ए. का जी.एस.एस. कीटनोद के अन्दर बनाओ। मैंने यहां प्रश्न भी रखा था लेकिन आपने जवाब में कीटनोदिया का कह दिया जोकि हेमाराम जी के क्षेत्र में है, गुढ़ामालानी क्षेत्र में है। उसकी वजह से आप समझ गये कि यह तो हो गया। मेरा निवेदन है कि कीटनोद के अन्दर एक 33 के.वी.ए. का जी.एस.एस. बनाओ।

इसके अलावा आपके विभाग में खास तौर से लाइनों की चोरी हो रही है। मैंने हर बार मीटिंग के अन्दर यह कहा है कि सणतरा से लगाकर उतरणी तक की लाइन पांच किलोमीटर थी पहले उसके अर्थिंग वायर को हटाया उसके बाद में एक वायर को हटाया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को हटाया और अभी 27 तारीख को गया तो लोहे के लगे हुए एंगल थे वे भी खम्भे से गायब हो गये हैं और अब खम्भे भी लोग ले जाने लगे हैं। इसके लिए कई बार कहने के बावजूद विद्युत विभाग ने उस चोरी करने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करवाई है। अगर विद्युत विभाग की मिलीभगत नहीं हो तो यह चोरी नहीं हो सकती। पहले एक तार, दूसरा तार, तीसरा

(श्री अमराराम चौधरी)

तार और अब एंगल्स वगैरह सब ले जा रहे हैं। इसी प्रकार खम्भों की कमी है। पहले 12000 रुपये ले रहे थे एक खम्भे के, तारों के और एंगल के। काश्तकार के लिए बड़ी परेशानी होती है। वहां इस प्रकार के चोरी होती है, उसके बारे में आप कार्यवाही कराए ताकि खम्भे, तार, एंगल्स वगैरह बरामद हों और ऐसे चोर भविष्य में दूसरी जगह भी चोरी नहीं करें। खट्टूका उस समय भी आपने कहा था कि इलैक्ट्रिफाई कर देंगे लेकिन सारी लाइन गायब कर दीं, वापस वह लाइन चोरी करके ले गये। आज तक भी इस गांव को जो 10 साल से इलेक्ट्रिफाइड है, वापस नहीं जोड़ा गया। इस प्रकार के जो कार्य हैं उन कार्यों को आप प्राथमिकता दें। इतनी बात कहकर मैं समाप्त करता हूं, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के पास कोई विभाग नहीं है। शुरू में उन्होंने कोई विभाग रखा भी नहीं और यह कहकर नहीं रखा कि मैं मानिटरिंग करूंगा और मानिटरिंग इतनी ज्यादा, इससे बढ़िया तो हो नहीं सकती। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने क्या मानिटरिंग की है, वह दृष्टांत, उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से सदन की जानकारी के लिए रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यह चर्चा एक उद्देश्य के लिए हो रही है। यह इस स्वरूप में होनी नहीं चाहिए थी। पिछले सत्र में राजस्थान पावर सैक्टर रिफार्म्स एक्ट, 1999 पास हो चुका है, 28.12.99 को असेंट मिल चुकी है प्रेसीडेंट के It shall come into force on such date as the state Government may by notification appoint. वह अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है। इस बिल को जब डिबेट में लिया गया था, मैं यहां उपस्थित जरूर नहीं था, आपको याद होगा, लेकिन मैंने प्रोसीडिंग पढ़ी है। टू द नेल अपोज किया था कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने कैबिनेट के अन्दर विचार हुआ है, जैसा उस समय पंचायती राज मंत्रीजी कह रहे थे कि लॉ विभाग से बेटिंग हुआ है। कोई विधेयक राज्य सरकार यहां पारित कराती है उसके पीछे एक डेफिनिट कमिटमैंट होता है। जब यह पावर रिफॉर्म्स सैक्टर बिल आपने पास कराया और एक्ट बनाया कि आर.एस.ई.बी. को आप अनबण्डल करेंगे, रिफोर्म्स करेंगे, यह पूरे राजस्थान की जनता का मतलब था। उसकी क्रियान्विति के लिए माननीय चन्द्रभान जी को जिम्मा सौंपा। पहले से ही ऊर्जा मंत्री थे और चन्द्रभान जी विशेष विश्वास पात्र हैं मुख्य मंत्रीजी के, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। (व्यवधान) इन्हें पूरा राजस्थान जानता है, हरिसिंह जी।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आप मेरे साथ पढ़े हो, यह कहने की बात है क्या? आप उधर चीफ व्हिप हो लेकिन मेरे मित्र हो। ये तो आपके स्तर की बातें हैं लेकिन यह एक गम्भीर बात है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं तो...उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये, मुझे सुनिये। मैं समय ले रहा हूं तो आपका ध्यान बहुत गम्भीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां राजस्थान की क्या स्थिति बनी हुई है। 6 मई, 1999 को करोड़ों रुपये की बिजली के मीटरों की खरीद की उस तरह की जांच होगी, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता, पर सिर्फ यह याद दिलाना चाहता हूं, सदन को कि ऊर्जा मंत्रीजी ने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखकर, पिछले कार्यकाल के दौरान जब पी.एन. भण्डारी चेयरमैन होते थे, कोई मीटरों को खरीद के विषय पर चर्चा...

श्री रामस्वरूप : आज भी हैं।

अनेक माननीय सदस्य : आज भी हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सुनो, रामस्वरूप जी, यह पिछले कार्यकाल की बात है, उसका जवाब तब भण्डारी जी ने 12 मई, 1999 को दे दिया था। इस ओर, उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो...

डा. चन्द्रभान : यह पत्र ऊर्जा मंत्री ने लिखा है मुख्य मंत्री को? आपने अभी कहा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पत्र तो ऊर्जा मंत्रीजी ने लिखा है या नहीं लिखा है, आप बेहतर जानते हैं लेकिन तब आपने सिर्फ न्यूज के आधार पर कहा। मैंने कहा कि मैं न्यूज के आधार पर कह रहा हूं कि आपने मुख्य मंत्रीजी से चर्चा की और जांच की और तय किया और भण्डारी साहब ने अपनी सफाई सभी एम.एल.एज. को दी मुझे भी यह मिला था। यह एक सर्विस कडंक्ट की बात है यह मैं इस समय नहीं करता हूं, यह मेरा उद्देश्य भी नहीं है। मतलब यह है, जो समझने की बात है कि भण्डारी साहब हैं और चन्द्रभान जी हैं, वह डाइरेक्टिली अपोजिट, एक दूसरे के खिलाफ हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप समझने की चेष्टा कीजिये। आपका यह विधेयक जब पारित हुआ तो आपने विद्युत नियामक आयोग, रैगुलेटरी कमीशन बनाया। इधर आपको सी.एस. बदलना था। मुख्य मंत्रीजी को आर.एस.ई.बी. में क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। पी. एन. भण्डारी राजस्थान के अन्दर वरिष्ठतम और योग्यतम अधिकारियों में से है और अरुण कुमार जी जो सी.एस. थे, उनको एडजस्ट करने के लिए आपने रैगुलेटरी कमीशन में बैठा दिया। भण्डारी साहब को भी कहीं न कहीं एडजस्ट करना ही था। सी.एस. जब छह आदमियों से आज सुपरसीड करके बनाओगे, यह हर मुख्य मंत्री + + + करता है...(व्यवधान) चाहे सीनियरिटी को

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास),

सुपरसीड करके। देखिये, मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धान्त की बात कर रहा हूं- कि एक चीफ सैक्रेटरी पांच-पांच, छह-छह आदमियों के सुपरसीड कराकर अपने मनपसंद आदमी को बैठाते हैं और यह सलेक्शन पोस्ट है। ऐसा जरूरी क्यां है? फिर एक दुनियादारी के लिए भी रखते हैं कि चीफ सैक्रेटरी की स्केल देनी है। फिर अनावश्यक उस पद को अपग्रेड करते हैं, स्केल देते हैं, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल वर्डन डालते हैं। लेकिन वह छोड़िये आप, मुख्य मंत्रीजी का एजेन्डा समझिये। उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है, उनको इस बात का ध्यान भी नहीं है कि मैं किस अधिकारी को कहां लगा रहा हूं, उससे आगे जाकर क्या अवरोध पैदा होंगे। विद्युत नियामक आयोग के विषय में या रैगुलेटरी कमीशन के विषय में मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, हालांकि मेरी अपनी समझ के अंदर कोई टेक्नीकल एक्सपर्ट को बैठाना चाहिए। रैगुलेटरी कमीशन के अन्दर अरुण कुमारजी की ऐसी क्या एक्सपर्टाइज है, उपाध्यक्ष महोदय, आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत अच्छे प्रशासक हो सकते हैं। राजस्थान के अंदर रिटायर्ड चेयरमैन टैक्नीकल लोग मौजूद हैं, हिन्दुस्तान के अंदर मौजूद हैं। वह क्या टेरिफ में समझते हैं, क्या इलैक्ट्रिसिटी में समझते हैं, वह यह सदन ज्यादा अंदाजा लगा सकता है। लेकिन मैं जो आप से बात कह रहा हूं, जो दुविधा पैदा हुई है, यह जांच का और इस प्रकरण का मैंने क्यों उल्लेख किया है, इसको समझिये आप। यह वह कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। वह खत्म हो गया। वह तो बुलाकर मुख्य मंत्रीजी एडजस्ट करा भी देंगे और आज कौन से पावर मिनिस्टर कहेंगे तो भंडारी साहब ट्रांसफर नहीं करेंगे? मिनिस्टर का झगड़ा चेयरमैन से ट्रांसफर का होता है, वह आपका सिलसिला चल गया। लेकिन यह सवाल नहीं है। आज जो यह रिफोर्म्स हैं इसके प्रोटेगोनिस्ट कौन हैं? पावर मिनिस्टर। इनका कमिटमैंट है। मेरे को इससे कोई आपत्ति नहीं है। इन्होंने यह बिल पास कराया। इनका कमिटमैंट है,यह इसके प्रोटेगोनिस्ट हैं। भंडारी साहब जो हैं वह इसके स्टान्च अपोनेंट हैं। यह सर्वविदित है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात पर विचार करना इस सदन का प्रथम और सर्वोपरि कर्त्तव्य है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ईमानदारी से निवेदन करता हूं, आज जवाब कौन देगा? पावर मिनिस्टर। पी.एन. भंडारी बैठे हुए हैं आफिसर्स गैलरी में, वह जबाव नहीं दे सकते। राजस्थान का मुख्य मंत्री कभी आता नहीं सदन में, भारी बहुमत की वजह से उनको यह है कि अपने आप चल जाएगा। आज ऐसे नाजुक मसले के ऊपर, अन्य मामलों के अंदर वह मानिटरिंग करते हैं, पता नहीं असैम्बली का भी मानिटरिंग घर से करते हैं या चैम्बर से करते हैं।

श्री रामस्वरूप : मुख्य मंत्रीजी यहीं विराजमान हैं, यहीं सुबह से लगातार सुन रहे हैं आपकी और हमारी सारी बातें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बैठिये, बैठिये।

श्री रामस्वरूप : यह कैसे कह दिया आपने कि मुख्य मंत्रीजी आते नहीं है? मुख्य मंत्रीजी हमेशा आते हैं और यही बिराजते हैं। सारी बातें सुन रहे हैं। आपकी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बैठिये।

मैं इसका जवाब मुख्य मंत्रीजी से चाहता था। अब, उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल लागू नहीं हुआ और दो डाइमेट्रिकली अपोजिट व्यूज चल रहे हैं। भंडारी साहब इसको स्टाल कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी डिवाइडेड है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी डिवाइडेड है इसके अंदर। पावर सैक्रेटरी जो हैं वह बहुत बड़े प्रोटेगोनिस्ट हैं। अब जब दो व्यू चल रहे हैं, पावर मिनिस्टर प्रोटेगोनिस्ट हैं रिफोर्म्स के लिए, चेयरमैन अपोज करता है, मुख्य मंत्रीजी क्या करते हैं मुझे पता नहीं। आज इस स्थिति में मुख्य मंत्रीजी यहां जवाब देते तो ज्यादा अच्छा होता। अब, उपाध्यक्ष महोदय, जब यह स्थिति है तो हमको चर्चा करनी पड़ेगी और यह समझना पड़ेगा कि गोया आर.एस.ई.बी. को अनबन्डल करना आवश्यक है? क्योंकियह बिल तो निरर्थक हो गया, उपाध्यक्ष महोदय। आज चर्चा क्या हुई आठ घंटे? मेरे गांव में बिजली नहीं है, एईएन. नहीं करता है, वह नहीं करता है। इन सब बीमारियों का इलाज है कहां? मंत्रीजी जवाब देंगे अभी, धाराप्रवाह भाषण करेंगे, बिना इस बात को सोचे-समझे कि यदि आपके वचन पूरे हो गये और आपकी मंशा पूरी हो गई तो आपके हाथ में रहेगा क्या। आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। आप कौन-से इनकी कम्प्लेंट्स, ग्रिवेन्सेज को साल्व कर देंगे? आप इनकी कम्प्लेंट्स पर सब मर्ज की दवा एक मानते हैं कि आर.एस.ई.बी. को अनबन्डल कर दिया जाए, एट द बिहेस्ट आफ वर्ल्ड बैंक अब उपाध्यक्ष महोदय, उस काम्पलैक्सिटी को हमको समझना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक, डब्लू.टी.ओ., आई.एम.एफ. सिएटल के अंदर डब्लू.टी.ओ. की कान्फ्रेंस हुई, वर्ल्ड बैंक और आई.एम.एफ. की वाशिंगटन डी.सी. में हुई। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोगों ने, डवलपिंग कन्ट्रीज के लोगों ने, इण्डिया के लोगों ने भी जाकर उसको अपोज किया। आज वर्ल्ड बैंक हमारे क्यों इतना पीछे पड़ा हुआ है लोन देने के लिए कि लोन लो, अनबन्डल करो? मल्टीनेशनल कम्पनीज का इसके पीछे उद्देश्य है। उपाध्यक्ष महोदय, तो फिर हम अचीव क्या कर लेंगे, आप इस बात पर विचार करें। जनरेशन, ट्रांस्मिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यह, उपाध्यक्ष महोदय, ट्राइफरकेशन नहीं है, क्योंकि जनरेशन और ट्रांसमिशन अपनी जगह अलग हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के चार जोन तो उड़ीसा के अंदर बनाये हुए हैं, राजस्थान जैसे प्रांत में

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

निश्चित रूप से पांच जोन, छह जोन बनाएंगे। तो पता नहीं कोई सात-आठ कम्पनियां हो जाएंगी इनकी। जनरेशन में तो प्राइवेट सैक्टर आज भी परमिटेड है, आज भी हम वैलकम करते हैं। आपने प्राइवेट सैक्टर का को-आपरेशन लेकर क्या कर दिया, लिग्नाइट वेस्ट नेवेली कारपोरेशन में क्या हुआ, उन डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। सब क्लियरेंस भी हो गया, वह मंत्रीजी बेहतर समझते हैं। आर.पी.जी. का धौलपुर में क्या हुआ? जमीन दे दी। हां, उस कम्पनी के मालिक राज्य सभा में जरूर पहुंच गये, बाकी कम्पनी का तो उन्होंने कुछ किया नहीं। जनरेशन एक आपैक्ट है और डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा आस्पैक्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, नेवेली की बात मैं इसलिए करता हूं कि आपने वर्ल्ड बैंक को भी सही फिगर्स दिये हैं। जो आपकी आर.एस.ई.बी. की हालत है वह...

श्री परसादी लाल : पसन्द नहीं आया है भैरोंसिंहजी को भाषण आपका।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई बात नहीं है, आपको तो पसन्द आया? उपाध्यक्ष महोदय, आफिशियल पोजीशन क्या है? सबसे बड़ा लास का कारण है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। आफिसियल पोजीशन आर.एस.ई.बी. ने ली है 24.57 परसेंट और यह प्रतिवेदन के अंदर है। वर्ल्ड बैंक को जो इन्होंने इन्फार्मेशन दी है वह 25 परसेंट की दी है। 25 पर्सेन्ट के आगे कहते हैं In many areas the extent of unbilled energy is over 50 percent. Reduction in losses by 1 percent would result in an additional revenue of Rs. 35 crores.

एक परसेंट लास कम होता है तो 35 करोड़ रुपये की आमदनी आर.एस.ई.बी. को होती है। 24 नवम्बर को सैक्रेटरी के अन्दर में इकोनोमिक अफेयर्स की मीटिंग होती है, वहां राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से इन्फार्म किया जाता है कि transmission and distribution losses are estimated about 43 percent. उपाध्यक्ष महोदय, 43 परसेंट को 24 परसेंट बनाकर आप फिर वर्ल्ड बैंक को बुलाएंगे और वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे। फिर मल्टीनेशनल को बुलाएंगे, और वह आपके डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन करेगा। आप फिगर्स भी करैक्ट नहीं देते हैं, कंसिस्टैंट नहीं है। तो कोंट्राडिक्शंस को आप अगर रिकन्साइल नहीं करेंगे और डिफरेंट पोजीशन लेंगे, हमारे को तो आप दे देते हैं,कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप वर्ल्ड बैंक से डील करते हैं वहां आपको फिगर्स करेक्ट देने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, लाबी यहीं खतम नहीं होती, आगे भी आपको समझना होगा। ट्रांस्मिशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन लासेज, इन लासेज के अन्दर अधिकांश माननीय सदस्य

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

किसानों के वोट लेकर आते हैं, अब We have to educate them. उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं मैं, एक बात उठा कर कहते हैं किसानों के ऊपर कि किसान चोरी करते हैं। किसान कुछ नहीं, बनिये चोरी करते हैं, हैवी इण्डस्ट्रीज चोरी करती हैं। ब्यूरोक्रेट्स की लाबी है, वह लाबी यह बनी हुई है कि नहीं, इन्डस्ट्रीज कोई चोरी नहीं करती हैं, चोरी किसान करता है। ये दो लाबीज है पूरे आर.एस.ई.बी. के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, इसको भी आपको रिकन्साइल करना पड़ेगा। फैक्ट यह है, हैवी इन्डस्ट्रीज चोरी करती होंगी, निश्चित करती है, I don't hold brief for them. 1997 के अन्दर मुझे यह कहा गया है कि डबल मीटर लगाकर चैकिंग का फूलप्रूफ इंतजाम किया गया। फिर उपाध्यक्ष महोदय, एक आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि टैरिफ बढ़ाया है, Despite significant rise in tarrif in respect of industrial consumers, its share in revenue has still gone down from 70.5 percent in 1991 to 68.8 percent in 1997-98.

टेरिफ बढ़ाने के बाद आपकी रेवेन्यू कम हुई है। अब कैप्टिव पावर जनरेट करेंगे उपाध्यक्ष महोदय, पांच सौ हैवी इंडस्ट्रीज राजस्थान के अन्दर हैं आप इस बात को भी समझिये। खाली अपन अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को अटैक करेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट कोई आपसे बंधा हुआ नहीं है। यह देश प्रजातंत्र है, यहां पर स्वतंत्रता है इस बात की, वे अपना जनरेशन प्लाण्ट खुद लगाऐंगे, खुद पावर जनरेट करेंगे। कर रहे हैं लोग। फिर जब आप इसको अनबंडल करेंगे तो वह सैक्टर तो हाथ से वैसे निकल गया। मंत्री जी, आप किसान वर्ग से आते हैं, मैं तो न जन्म से किसान हूं न पेशे से किसान हूं लेकिन किसान की समस्या को समझने की चेष्टा करता हूं।

श्री परसादी लाल (राज्य मंत्री, सहकारिता) : जमीन तो है आपकी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : परसादी लाल जी, कभी तो गम्भीर रहा करिये जीवन में।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सबसे बड़ी समस्या है, गांव में हमारा इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, हम इतनी चेकिंग भी नहीं कर सकते। इंजीनियर्स को यह भी शिकायत है कि गांव में 13 कंजूमर्स होंगे तो 35 आदमी अनआथोराइज्ड टांका डालकर बिजली लेते हैं। केसेज हम बना नहीं सकते। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर या जो भी इंजीनियर्स जाए तो मार-पिटाई करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप उसको बर्दाश्त भी करते हो, आप चैक भी कर सकते हो, पुलिस और प्रशासन का भी सहयोग मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप प्राइवेटाइज करेंगे तो वो यहां पर चैरिटी करने नहीं आएगा, वो पैसा कमाने आएगा। अगर वह गांव

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

में आपरेट नहीं कर सकता तो वह उस गांव की बिजली काट देगा। थैफ्ट करने वालों की वजह से जेनुइन कंजूमर जो टाइम पर बिल जमा कराते हैं और पैसा देते हैं उनके कनेक्शन भी काट देगा। मंत्री जी, यह अस्वाभाविक, असम्भव है कि डिस्ट्रीब्यूशन इतना एफिशियेंटली काश्तकारों से मेनज हो जाए। यह बड़ी काम्प्लैक्स और डिफिकल्ट प्राब्लम है, इस पर आगे सोच-समझ कर काम कीजिये।

अब जो बाकी मार्जिनल किसान हैं, उपाध्यक्ष महोदय, किसान की प्राब्लम मामूली प्राब्लम नहीं है। मार्जिनल में भी स्माल फार्मर्स हैं ज्यादातर। 28% फार्मर्स हैं जो मार्केटेबल प्रोडक्शन देते हैं, मार्केटेबल प्रोड्यूस जो पैदा करते हैं वह 28% फार्मर्स हैं, बाकी सब मार्जिनल और स्माल फार्मर्स हैं। उनकी बिजली बंद होती है उसमें आप कितना टैरिफ बढ़ाऐंगे? उसको कैसे रेशनलाइज करेंगे? अनेक ऐसी प्राब्लम हैं। फिर आपके डोमिस्टिक का आएगा सवाल। मेरा निवेदन यह है कि आज़ की परिस्थिति के अन्दर सीधी-सीधी बात यह है कि खुले दिमाग से विचार तो करना पड़ेगा। समय का बहुत अभाव है, परसादी लाल जी फिर कहेंगे कि जल्दी करें इसलिए डिटेल में नहीं आज कहना चाहता। मोटे रूप में मैंने बताया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कहना चाहता हूं असली बात (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सब सुन रहे हैं सीरियसली।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सीरियसली सुन रहे हैं तो सीरियसली समझ लीजिये। आप इस बात को (व्यवधान) मैं अनावश्यक बात करूंगा भी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : सीरियसली सुन रहे हैं कि क्या सुन रहे हैं, यह तो उनको पूछो जो सुन रहे हैं। आपको क्या पता?

श्री राजेन्द्र पारीक : (व्यवधान) एक्ट बन गया अब तो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह आपको भ्रांति है। यह लागू क्यों नहीं हुआ? हम चुप क्यों बैठे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक्ट अगर लागू हो जाता। यह चल रहा है अभी तक। यह सब हो सकता है। यह इसके अन्दर लिखा है कि The Government of Rajasthan propose to unbundle the Board directly into 3 companies-generation, transmission and distribution on first April, 2000. माननीय राजेन्द्र पारीक सुनिये। The government of Rajasthan propose to unbundle the Board directly into 3 companies-generation transmi-ssion and distribution on first April, 2000.

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आज क्या है? आज तो दो मई है श्रीमान् जी। यह तो एक महीने पहले ही अनबंडल होकर तीन कम्पनीज बन जाती।

श्री उपाध्यक्ष : आज तो तीन तारीख होने वाली है। दो की तीन तारीख होने वाली है आज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, तीन तारीख होने वाली है। उपाध्यक्ष महोदय, I stand corrected. अब मुझे आप इस बात से चुप करना चाहते हैं कि यह तो एक्ट बन गया। उस एक्ट को लागू करने के अभी कोई आसार नजर नहीं आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन यह करता हूं, बात सीधी-सीधी साफ है, यह मेरा स्पष्ट आरोप है कि डा. चन्द्रभान ऊर्जा मंत्री इनका शार्ट टर्म एजेंडा है कि यह अनबंडल हो जाए तो भण्डारी से निजात पाएं, एक कम्पनी लेकर बैठ जाएगा। 5-6 कम्पनियां हमारे पास रह जाएगी। पी.एन. भण्डारी का शार्ट टर्म एजेंडा है कि किसी तरह धक्का लगाओ, साल-डेढ़ साल मेरी एम्पायर बनी रहे तब तक मेरा रिटायरमैंट हो जाएगा। बाद में सरकार जाने और ये जानें और मुख्य मंत्री का शार्ट टर्म एजेंडा है कि इन दोनों को लड़ाओ, दोनों को लड़ाओ। Play the minister against the chairman and chairman against the minister. तो उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति जहां होगी वहां पर ऊर्जा की चिन्ता कौन करेगा? राजस्थान गया भाड़ में।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपका कौन-सा एजेंडा है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा एजेंडा यह है कि जो वास्तविकता है वो आपके लाभार्थ यहां निवेदन करूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अब समाप्त कर रहा हूं। आपने आदेश दे दिया उसके बाद में ज्यादा करूंगा भी नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को मैंने स्पष्ट रूप से कहा है_

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने दोनों को सतर्क और कर दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, सतर्क किया या नहीं किया लेकिन मेरा सुझाव भी है अगर मुख्य मंत्री जी सुन रहे हों। और नहीं सुन रहे हों तो देखिये, ये तो कहेंगे नहीं, खेतसिंह जी आप कह देना सही-सही बात जाकर कि यदि राजस्थान के लिए आपके मन में तनिक भी चिन्ता है तो अब ऊर्जा मंत्री चन्द्रभान जी का रहना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि ये कमिटेड हैं इस एक्ट के लिए और पी.एन. भण्डारी का भी चेयरमैन रहना सर्वथा अनुचित है क्योंकि ये कमिटेड हैं स्टाल करने के लिए। अगर खुले दिमाग

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

से आप चाहते हैं तो चेयरमैन भी बदलो और मिनिस्टर भी बदलो। मिनिस्टर ड्राप करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, Give him better department. क्योंकि there is utter confusion and chaos in the state...(व्यवधान) नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं। पी.एन. भण्डारी भी योग्यतम अधिकारियों में से एक हैं, उनको बैटर जिम्मेदारी सौंपें। लेकिन ऐसे मिनिस्टर और ऐसे अधिकारी जिनका कोई कमिटमैंट नहीं हो, पावर सैकेट्री को बदलें, यह जो ब्यूरोक्रेसी की लाबी बनी हुई है इसको तोड़ें आप..(व्यवधान)..

श्री श्रवण कुमार : ..(व्यवधान)..श्री भीखाभाई जी को बनवा दें? ..(व्यवधान)..

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आप भीखाभाई जी को बनवा कर फिर तो चन्द्रभान जी से अनबण्डल करवा कर..(व्यवधान)..

श्री रामस्वरूप : इनसे बढ़िया तो कोई मंत्री है ही नहीं। विद्युत मंत्रीजी सबसे अच्छे हैं ये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बैठिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। आर्डर-आर्डर। समाप्त कीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : देखिये, मुख्य मंत्री जी का प्रैरोगेटिव है कि किसे मंत्री बनाएं, किसे विभाग दें I am nobody to suggest कि किसको मंत्री बनाएं। मैं सिर्फ यह सजेशन दे रहा हूं कि जो कमिटेड हैं, चूंकि अभी the chief minister of Rajasthan is highly confused. उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा आरोप है कि + + + कोई जानकारी नहीं है राजस्थान की + + + बिजली की कोई समझ नहीं है। (व्यवधान).. उनको कोई जानकारी नहीं है।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की बात सदन में कहना कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को कोई जानकारी नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी जब से मुख्य मंत्री बने हैं राजस्थान तरक्की की ओर जा रहा है, राजस्थान का प्रशासन अच्छा चल रहा है, भ्रष्टाचार मिटा है, बिजली का सुधार हुआ है। माननीय मुख्य मंत्रीजी जी को अयोग्य बता रहे हैं ये..(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ..(व्यवधान).. एकदम सही बात कही ..(व्यवधान)..

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के लांछन लगाना गलत है। ये हमेशा मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ बोलते रहते हैं इनको इसके अलावा और कुछ नहीं कहना..(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य : बिना वजह आरोप लगा रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : इस शब्द को हटाया जाए इसमें से। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप)

इस शब्द को हटाया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री बहुत योग्य हैं।

एक माननीय सदस्य : ..(व्यवधान).. उपाध्यक्ष महोदय, बिना वजह के आरोप लगा रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : राजस्थान को बहुत अच्छा चला रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : सारे राजस्थान की जनता उनकी तारीफ कर रही है आज। इन शब्दों को निकलवाइये आप इसमें से।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : यह शब्द निकलवाइये साहब कार्यवाही में से कि ये कहते हैं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री अयोग्य हैं। एक्सपंज करें साहब इस शब्द को।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत महान है, योग्य आदमी हैं। राजस्थान को बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। इन्होंने जो शब्द कहें हैं इनको वापस लो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर योग्यता है तो सामने आकर कह दें कि योग्य हैं। ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। आप बिराजिये प्लीज।

श्री रामस्वरूप : इन शब्दों को निकलवाइये इसमें से। क्या मतलब है हमेशा मुख्य मंत्रीजी की बुराई करते रहे हैं। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है इनका मुख्य मंत्रीजी के अलावा। ये जितने बुराई करते हैं उतने ही बढ़ते हुए चले जा रहें हैं वे। कर लो बुराई कहां तक करते हो आप।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बिराजिये। माननीय, समाप्त कीजिये।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, वो योग्य अशोक महान हैं कहां।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है कि मालपुरा के माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : (व्यवधान) पूरे राजस्थान की चिन्ता है उनको + + + मुख्य मंत्रीजी सारे राजस्थान को सम्भाल रहे हैं, उनके पास इतना समय नहीं है..(व्यवधान)..कहां हैं मुख्य मंत्रीजी ? मुख्य मंत्री कर रहे हैं जनता की सेवा।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य की टिकट कटने की जो कुंठा है इसलिए इसको बाहर निकालिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तो यह...(व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप : हमेशा ही मुख्य मंत्री जी।

एक माननीय सदस्य : यह कहने से कोई फायदा तो है नहीं।

श्री रतन लाल ताम्बी : ये बार-बार कुंठा बहुत प्रदर्शित करते हैं, इतनी आवश्यकता नहीं है कि हर बार कुंठाग्रसित हों। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता ने नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों में बता दिया कि मुख्य मंत्री योग्य हैं कि नहीं। वे तो सम्राट अशोक हैं, कहेंगे तो कहने से कोई फायदा क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात को समाप्त कीजिये।

श्री श्रवण कुमार : जनता ने बता दिया, पंचायतों में बहुमत आया है...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे तो यह भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या अनुचित बोल गया...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : आपकी समझ में कैसे आएगा, समझ में तो सुनने वालों को आएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं नहीं, सुनने वालों को कैसे आएगा?

श्री उपाध्यक्ष : आपकी समझ में कैसे आएगा?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि मुख्य मंत्रीजी अगर यह कहते कि मैंने यह एक्ट पास करवाया है, यह बिल पास करवाया है, Mr. Bhandari you have no business to obsturct the implementation of this Act. आपको दूसरी जगह पोस्ट करता हूं। इस बात में क्या गलत है? मुख्य मंत्रीजी सैकण्ड थॉट देते कि नहीं, What Bhandari says is correct, Mr. Chandrabhan you are my confidant but kindly go and look after another department.

मैं क्या गलत कहता हूं? राजस्थान के + + + राजस्थान के + + +

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर वही बात उन्होंने + + + कही है कि राजस्थान के + + + (व्यवधान) वे

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामस्वरूप)

पूर्ण योग्य हैं, उनको पूरा ज्ञान है। माननीय मुख्य मंत्री जी को पूरे डिपार्टमैंट का ज्ञान है।

श्री उपाध्यक्ष : यह एक्सपंज कर दो। श्री नाथूराम जी।

श्री रामस्वरूप : वे आप से ज्यादा योग्य हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार ऐसे शब्द आ रहे हैं, आप इन शब्दों को कार्यवाही से निकलवाइए। इनको आपने इतनी छूट दे रखी है। यह सिवाय मुख्य मंत्रीजी की बुराई के कुछ नहीं बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। आपको पता ही नहीं है, एक्सपंज कर दिया। माननीय नाथूराम जी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बिराजो आप। हो गया बहुत आप बिजली पर तो बोलना चाहते नहीं हो। (व्यवधान) श्री नाथूराम जी।

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : सदन का समय बरबाद किया जा रहा है।

श्री रामस्वरूप : मुख्य मंत्रीजी की बुराई के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको इस प्रकार की छूट नहीं दे सकते। यह हमेशा मुख्य मंत्रीजी की बुराई के अलावा कुछ नहीं करते। आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, बिना वजह सदन का समय बरबाद किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा जिस प्रकार के वर्ड को आप डिलीट कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। क्या फरमा रहे हैं आप?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने वर्डस एक्सपंज किये हैं, वे किसलिये किये हैं?

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए किये हैं कि वो अनपार्लियामैंट्री लगते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल अनपार्लियामैंट्री नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बार-बार यह कहो कि मुख्य मंत्रीजी इनकाम्पीटैंट हैं, आई कान्ट अलाउ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बार-बार यही कहेंगे जब स्थिति ऐसी है। कोई अनपार्लियामैंट्री नहीं है।

श्री रामस्वरूप : नेता महोदय कह रहे हैं कि अनपार्लियामैंट्री नहीं है, बिलकुल अनपार्लियामैंट्री है। आप मुख्य मंत्रीजी पर लांछन लगा रहे हैं (व्यवधान) मैं तो कहता हूं ऐसा कहने वाले को सजा देनी चाहिये। जिन्होंने ऐसे शब्द कहे उनको सजा मिलनी चाहिये।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सदन से बाहर निकालना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम जी।

श्री रतन लाल ताम्बी : विषयान्तर होकर इस तरह से व्यक्तिगत कीचड़ उछालना अच्छी बात है क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप बिराजिए। (व्यवधान) आप बिराजिए। I undersand what I am saying.

श्री रामस्वरूप : मुख्य मंत्री जी का नाम नहीं लोगे कतई। (व्यवधान) आप मुख्य मंत्रीजी का नाम लेकर बुराई नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : आप हर बार यह नहीं कह सकते हैं कि मुख्य मंत्री जी ऐसे हैं।

श्री रामस्वरूप : आप मुख्य मंत्रीजी का नाम लेकर बुराई नहीं कर सकते।

श्री रतन लाल ताम्बी : आज सदन का आखरी दिन है, सदन में इस प्रकार की बात कह कर आप राजस्थान की जनता का अपमान करना चाहते हो। जिस जनता ने विश्वास करके उनको मुख्य मंत्री बनाया है। उसको इस प्रकार की बात कहकर आप क्या कहना चाहते हो? यह राजस्थान की जनता की भावना के खिलाफ है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप उस पर संशोधन नहीं कर सकते। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी योग्य है ईमानदार है। इतने योग्य मुख्य मंत्री आज तक नहीं आये। कोई भी मुख्य मंत्री इतने योग्य नहीं आये अभी तक जितने वो योग्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। रामस्वरूप जी, बैठो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्वरूप जी अपनी चेयर से बोलते ही नहीं हैं और आपने उसको एक्सपंज करने का आदेश कैसे दे दिया?

श्री संजीव कुमार : अशोक गहलोत जी के लिये आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, व्यास जी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री नाथूराम : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नाथूराम जी, बिराजिए।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सिवाय भंडारी जी के, चन्द्रभान जी के, बिजली पर तो बोल नहीं रहे हो आप। आप बार-बार भंडारी जी, भंडारी जी, भण्डारी जी फोबिया

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

हो गया क्या ? इसका प्रश्न हाउस में नहीं है।

श्री संजीव कुमार : XXX

श्री उपाध्यक्ष : जो पर्सन हाउस में नहीं है, एक दफा कह दिया आपने, दो दफा कह दिया। यह क्या बात हुई ? (व्यवधान)..

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री नाथूराम : XXX

श्री उपाध्यक्ष : Number of times you have referred to Mr. Bhandari.

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री उपाध्यक्ष : Number of times you have referred to a person who is not in the House. Even then I have allowed you but there is no end to it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : He is in the chamber, let him come. Let him face the House. What is this? you cannot expunge like this.

श्री उपाध्यक्ष : No. I am not talking about him. I am talking about the Chairman.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Mr. Deputy Speaker Sir.....

श्री उपाध्यक्ष : आपने चेयरमैन का दस दफा नाम ले लिया।

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी घोषणाएं होने वाली है, ये क्यों एटमोस्टफिअर बिगाड़ रहे हैं? शांति से बैठिए, एम.एल.एज. के लिये कुछ घोषणाएं करेंगे।

श्री नाथूराम : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप जी, आप बिराजिए। आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्रवण कुमार जी, बिराजिए।

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री नाथूराम : XXX

श्री उपाध्यक्ष : नाथूराम जी, आप बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Deputy Speaker Sir, I am on a point of order.

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : What is your point of order ?

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी पाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : नाथूराम जी, बिराजिए। What is your point of order ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप किताब निकाल लें। Rule 298, Kindly read it. If the speaker is of the opinion, mind you, if the speaker....

श्री उपाध्यक्ष : Mind you. Don't mind me. Mind yourself.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Yes. If it has offended you I regret it and I apologize. So far as the chair is concerned, I have prepared to extend any apology.

श्री उपाध्यक्ष : What is your point of order?

श्री सुरेन्द्र व्यास : If the speaker is of the opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may, in his discretion order that.....(Interruption).

श्री उपाध्यक्ष : I have done it. What is wrong in it? What is the point of order? There is no point of order. If I feel that there is unparliamentary, I will reject them.

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी पाइंट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य बार-बार जो मुख्य मंत्रीजी की व्यक्तिगत बुराई करते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि इस तरह की बात..(व्यवधान)

श्री नाथूराम : ×××

श्री उपाध्यक्ष : What is your point of order?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है कि आपको ..(व्यवधान).. एक्सपंक्शन के पावर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : What is your point of order?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइंट आफ आर्डर यह है, आपने यह कहा कि अनपार्लियामैंट्री वर्ड है। हिन्दुस्तान में कहीं भी इस प्रकार के वर्ड को अनपार्लियामैंट्री वर्ड आज तक के स्पीकर ने कहा हो तो आप बता दो।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं कहा होगा, I feel it as an unparliamentary word.

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अनपार्लियामैंट्री नहीं है।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य 298 का जो हवाला दे रहे थे मैं इसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

(23.00 बजे)

(व्यवधान) वाद-विवाद से शब्दों का निकाला जाना, यदि अध्यक्ष की ऐसी राय है कि वाद-विवाद में ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये है जो मान हानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं तो वह स्वविवेक से आदेश दे सकेगा कि उन शब्दों को सदन की कार्यवाही में से निकाल दिया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अनपार्लियामैंट्री शब्दों का प्रयोग नहीं किया आपने अशोभनीय बात कही है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह रहे हैं कि वह बिलकुल सही है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय ने जो रूलिंग दी है उस रूलिंग में यह कहा कि अनपार्लियामैंट्री है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बिराजिये-बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : I would like to quite from the kaul and shakdhar....

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, सुना नहीं क्या कहा मुझे क्या पता? आप सुनने दो तब न।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कोई बात सुनते भी नहीं हो, देखते भी नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : देख लूंगा अनपार्लियामैंट्री होगा तो (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक कागज उठाकर बता दिया और उस कागज को देखकर आप कह रहे हैं कि इसमें यह लिखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा कागज?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बताया न अभी रामस्वरूप जी ने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो इनको अलाउ ही नहीं कर रहा हूं।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप किसको हटवाना चाह रहे हो? आर्डर, आर्डर। आप किसको हटवाना चाह रहे हो? अंकित ही नहीं हो रहा है, हटवा किसको रहे हो आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समझने की कोशिश कीजिये, प्रोसिडिंग अंकित ही नहीं हो रही किसको हटवाना चाह रहे हो, आप? समझ नहीं रहे हो। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो यहां से सबको निकाल दो।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों निकाल दूं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप प्रोसिडिंग में अंकित ही नहीं कर रहे, हमें भी निकाल दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसलिये नहीं कर रहे हैं कि वह ठीक नहीं बोल रहे हैं इसलिये अंकित नहीं कर रहे हैं, और क्या चाहिये आपको?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक नहीं बोल रहे तो आप उनको बिठाओ न।

श्री उपाध्यक्ष : तो, बैठा रहे है न और क्या कर रहे है? आपको भी बैठा रहे हैं, उनको भी बैठा रहे हैं। सबके हाथ जोड़ रहे हैं, कि बैठो, और तो क्या करूं? बिठाना ही पड़ेगा, और क्या करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी तो प्रोसीडिंग्स ही अंकित नहीं हो रही है। यह तो बिलकुल वो ही राज हो गया, सदन के अंदर स्पीकर का राज है, मैम्बर्स का कोई राइट ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, वही चल रहा है–

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं कोई नहीं है। एक स्पीकर है वह भी रैफरी की तरह से काम कर सकते हैं, वह + + +

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : स्पीकर अपने विवेक का उपयोग कर सकता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ऊर्जा मंत्री जी, जवाब दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्र पारीक जी, बिराजिये आप।

(श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य द्वारा बहिगर्मन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। आप बिराजों। आपको तो कहा ही नहीं कुछ कोई बात नहीं, आप बिराजिये आपका खयाल है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। राजेन्द्र जी, बिराजो प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री रामस्वरूप ; XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये तो सही। माननीय सदस्य नौ घंटे हो गये, आप सुनिये तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विधि मंत्रीजी कोई अनाउंसमेंट करना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजिये। बिराजिये प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका यह एटीट्यूड है उस एटीट्यूड को हम सहन नहीं कर सकते। हमको अगर कोई मिनिस्टर कह दे हम मिनिस्टर की बात को बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई मैम्बर कह दे उसकी बात को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन चेयर पर बैठकर इस प्रकार की रूलिंग देना यह तो विधान सभा में माननीय सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात है, हम इस बात का विरोध करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हमने तो आपकी जिद इतनी रखी है कि आपको (व्यवधान) क्या हुआ (व्यवधान) नहीं, फिर उनका भी यह अधिकार नहीं है कि आप बार-बार किसी के लिये कुछ कहते रहो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप जवाब दिलवा दीजिये, हमें कोई दिक्कत नहीं है। (भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहिगर्मन)

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : अब तो मालूम हो गया? आपने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, आपने कभी एम.एल.एज. के लिये कोई बात नहीं सोची। हमने यह

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

निर्णय लिया है कि आपको 40 लाख रुपये व पांच दिन जीप मिलेगी। हमने निर्णय लिया है कि आपको बाबू मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विधि मंत्री जी आपको अनाउसमैंट करना था (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एम.एल.एज. की सुविधा के लिये कुछ घोषणाएं करने के लिये मुझे अधिकृत किया है और मैं घोषणा कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आप इधर सुनो न कोई इम्पोर्टेंट बात हो रही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधायक कोष की राशि जो 25 लाख थी उसे बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधायकों को एक-एक कनिष्ठ लिपिक की व्यवस्था जिला कलेक्टर के मार्फत सरकारी कार्यों के लिये की जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधायकों को महीने में 5 दिन गाड़ी की व्यवस्था जो पहले पंचायत समितियों से हुआ करती थी, वह अब जिला पूल से की जाएगी। ये तीन घोषणाएं की गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ऊर्जा मंत्री जी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाभवेत्।

श्री जगमाल सिंह यादव : फाइनेंस कर रहे थे न, क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय जगमाल सिंह जी, बिराजिये, अब होने दो। बोलने दो न उनको, अब क्या है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो घोषणा करनी थी वह हो गई।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम दो बैठे हैं हम भी चले जाएं क्या?

श्री उपाध्यक्ष : क्यों?

श्री जगमाल सिंह यादव : पूछें नहीं कोई।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या पूछ रहे हो?

श्री जगमाल सिंह यादव : पूछ रहे हैं न।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लिया न, घोषणा कर दी और क्या चाहिये आपको?

श्री जगमाल सिंह यादव : सदन का समय जाया होगा, मैं पूछ रहा हूं आपके गाड़ी फाइनेंस करने का क्या हुआ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह पासिबल नहीं था, लेकिन आपके लिये काफी घोषणाएं की गई है। ऐसा नहीं है...

श्री जगमाल सिंह यादव : आप तो प्रचार करते घूम रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ऊर्जा मंत्री जी।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर लंबी चर्चा हुई है और सदन के तीन दर्जन माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया और निर्दलीय मालपुरा के सदस्य श्री सुरेन्द्र व्यास जी ने भी हिस्सा लिया। मैं सुन रहा था कि बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य जब जाने की जल्दी कर रहे थे तब सुरेन्द्र जी कह रहे थे कि आप यदि अपनी बात रखोगे तो आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा पर मुझे अफसोस है कि अब वे खुद ही जवाब सुनने के लिये यहां पर उपस्थित नहीं हैं और भाजपा के माननीय सदस्य भी यहां उपस्थित नहीं हैं। विपक्ष के तो माननीय सदस्य बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में वर्तमान में ऊर्जा की जो स्थिति है उससे ज्यादातर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है। इसके साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार जो सुधार के कार्यक्रम चलाना चाहती है उनके बारे में भी माननीय सदस्यों की राय भिन्न है, उनका समर्थन कम है। लेकिन इसके साथ में अच्छा होता कि चाहे वे विपक्ष के सदस्य हों या सत्तापक्ष के सदस्य हों, वे विद्युत की व्यवस्था में सुधार के लिये कोई वैकल्पिक सुझाव देते। यहां चर्चा लम्बी हुई और सब माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में विचार रखे। राज्य में जो विद्युत सम्बन्धी एक नहीं, अनेक समस्याएं हैं उन पर भी अपने विचार रखे और शासन से मांग की कि व्यवस्था में सुधार करें। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का यह कहना सही है कि जिस तरह की निरन्तर, नियमित और अच्छी गुणवत्ता की विद्युत की सप्लाई उपभोक्ता चाहता है वह आज की तारीख में राज्य का विद्युत मंडल उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। यह बात भी सही है कि विद्युत मंडल की कार्य प्रणाली में कुछ कमियां हैं जिनकी ओर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और अपने संकेत दिये। मैं इस बात को भी मानने के लिये तैयार हूं कि विद्युत की चोरी होती है, विद्युत की छीजत बढ़ रही है। हमारे टी. एण्ड डी. लासेज बढ़ रहे हैं। हमारे मीटर भी खराब हैं, कभी तेज चलते हैं, कभी कम चलते हैं। बिल भी गलत आ जाते हैं। जहां तक बिजली के कनेक्शन का सवाल है वे भी हम उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न कारणों के चलते हुए समय पर उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। यहां माननीय सदस्यों ने कहा कि किसानों को जो सरकार की घोषित नीति है, उसके

(डा. चन्द्रभान)

अनुरूप 8 घंटे बिजली नहीं मिलती है। यहां माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सुबह-शाम के वक्त घरेलू काम के लिये बिजली नहीं मिलती है। यहां कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि जब बिजली की कमी होती है तो सबसे पहले उद्योगों में कटौती की जाती है जिससे राज्य के औद्योगिक विकास पर और औद्योगिक उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। यहां माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि बिजली की वोल्टेज कम आती है जिससे किसानों की मोटरें जल जाती हैं और दूसरी तरह के नुकसान होते हैं। दूसरी बिजली के सम्बन्ध में सभी तरह की जो विभाग में कहिये या मंडल के स्तर पर कहिये या नीचे के स्तर पर कहिये, जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं, उनको यहां पर उजागर किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और सदन के सभी माननीय सदस्य भी जानते हैं कि राजस्थान प्रदेश पावर डेफिसिट वाला स्टेट हैं, बहुत बड़े भू-भाग वाला राज्य है और जिस तरह का विद्युत तंत्र यहां पर विकसित होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। डिमाण्ड और सप्लाई के बीच का अन्तर बहुत ज्यादा है, 35 प्रतिशत से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य तो खैर उठकर चले गये, उनका यह आचरण गैरजिम्मेदाराना है लेकिन उनका जो (व्यवधान) उनका जो 8 साल का शासन रहा, आज जो ये सब बाते मैंने गिनाई हैं उनमें सबसे ज्यादा उनका योगदान है। जब राज्य का निर्माण हुआ उस समय राजस्थान में 13 मेगावाट बिजली का उत्पादन था। कांग्रेस के शासनकाल में, वह लम्बा शासनकाल जरूर रहा, उस 13 मेगावाट को बढ़ाकर 3 हजार मेगावाट तक पहुंचा दिया गया। लेकिन इसके बाद में 8 साल तक जो लोग शासन में रहे उन्होंने विद्युत के कनेक्शन तो जरूर दिये, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन जिस तरह के विद्युत तंत्र को खड़ा करना चाहिए था, तंत्र में सुधार करना चाहिए था और जितनी बिजली आवश्यकता के मुकाबले पैदा करनी चाहिए थी, वह काम नहीं किया। (व्यवधान) मैं एक मेगावाट की बात तो नहीं कहता, मैं इस बात को मान लेता हूं कि कोटा और सूरतगढ़ में से जो 2 यूनिटें आयीं उनमें से एक यूनिट उनके अकाउंट में जा सकती है और 40-50 मेगावाट दूसरी जिसमें रामगढ़ का एक पावर प्लाण्ट भी है। लेकिन कहां 3 हजार मेगावाट कांग्रेस ने पैदा किये और कहां इन लोगों ने 8 साल में 3 सौ मेगावाट पैदा किये, जबकि एक साल में 3 सौ मेगावाट बिजली उनको पैदा करनी चाहिए थी। अब वे लोग (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : प्राइवेट सैक्टर, इन्वैस्टमैंट का किसकी सरकार ने यह किया था?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपा कीजिये। माननीय अमरारामजी, बिराजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला : आप भाजपा वालों के लिये क्यों गुस्सा कर रहे हो?

श्री अमराराम (धोद) : यह शुरू कांग्रेस ने किया था दिल्ली से नरसिंह रावजी ने, जिन्होंने साफ कर दिया।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं न कोई प्राइवेट सैक्टर के खिलाफ हूं न कोई बहुत पक्षधर हूं। आपकी जानकारी में भी है। (व्यवधान) हमारे मेनिफेस्टों में भी यह बात लिखी हुई है और व्यवहारिक रूप से हम आचरण भी कर रहे हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता ऊर्जा का क्षेत्र है। हमने कहा कि हम विद्युत के उत्पादन को बढ़ाएंगे और पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर दोनों को साथ-साथ बढ़ाएंगे। माननीय सदस्य, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, यह कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार है जिसने सूरतगढ़ की द्वितीय चरण की 2057 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है। 20 महीने के रिकार्ड टाइम में पूरे देश भर में यह पहली थर्मल पावर की यूनिट है जो ढाई सौ मेगावाट की यूनिट को हम लोग लेकर आये हैं। हम पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर दोनों के द्वारा विद्युत के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। प्राइवेट सैक्टर में मलाणा पावर प्रोजेक्ट तेज गति से चल रहा है, अगले वर्ष आ जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि 5 हजार करोड़ रुपये हम लोगों ने खर्च कर दिये। विपक्ष के नेता जब खड़े होते हैं तब कहते हैं कि हमने किसानों के लिये 4 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की बिजली खरीदी और उन्हें उपलब्ध कराई है। 4 हजार करोड़ रुपये की बिजली उन लोगों ने 8 साल में खरीदी राज्य के लिये, यहां तो इसी 1999-2000 में, एक साल में 2257 करोड़ रुपये की बिजली हमने बाहर से खरीदी है और किसानों को और राज्य की जनता को उपलब्ध कराने का काम किया है। 5 वर्ष के शासनकाल में हमारी जिम्मेदारी है कि हम 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करें और इसके लिये हमने परियोजनाओं को हाथ में ले लिया है। सूरतगढ़ में हम एक हजार मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लाण्ट सन् 2002 में बना देंगे। मथानिया जो विश्व की अपनी आप में अलग तरह की परियोजना है, सोलर बेस कम्बांइड साइकिल 140 मेगावाट की 11 साल से जो परियोजना अटकी हुई थी, इस सरकार ने 16 महीने के कार्यकाल में सब क्लीयरेंसेज करवा दिये हैं और जिनके ऊपर 11 सौ करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। उसकी सब व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं और इस साल के अन्त में या 2001 की शुरूआत में

(डा. चन्द्रभान)

मथानिया में जमीन के ऊपर काम शुरू हो जाएगा और सन् 2003 में पूरे देश भर की यह पहली परियोजना जोधपुर की भूमि के ऊपर आएगी। प्राइवेट सैक्टर से इन लोगों ने 22 पी.पी.ए. किये, कोई मैच्योर नहीं कर पाये। हमारी सब कमेटी बनी मंत्रिमण्डल की, एक-एक को हमने देखा, 17-18 में कोई दम नहीं था, रद्द किया। 3 लोग आये हैं जिन्होंने बैंक गारंटी जमा की है, वे थोड़े आगे बढ़ रहे हैं। हमने कैप्टिव पावर प्लांट की पालिसी को लागू किया और जरूरत पड़ने पर उसमें परिवर्तन भी किये। कैप्टिव पावर प्लांट पालिसी के अन्तर्गत मलाना पावर प्रोजेक्ट प्रगति पर है। हाइडल प्रोजेक्ट है अगले साल 86 मेगावाट विद्युत का जो उत्पादन होगा, उसका लाभ राजस्थान के भीलवाड़ा और बांसवाड़ा क्षेत्र को मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जोइंट वेंचर में एक हजार मेगावाट के गैस बेस पावर प्रोजेक्ट्स की पूरी तैयारियों कर ली गयी हैं। जोइंट सैक्टर के पार्टनर को ढूंढने के लिए के.पी.सी.एल. को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है, जल्दी ही, इसी साल के सितम्बर में उनका चयन कर लिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही बरसिंहसर का जो हिन्दुस्तान विद्युत कारपोरेशन आर.पी. मोदी का प्रोजेक्ट है जो आई.सी.बी. के थ्रू हुआ था तथा तीन साल से जिसे केन्द्रीय सरकार ने लटकाये रखा। वह प्रोजेक्ट लिग्नाइट बेस है, सभी क्लियरेंसेज टी.ई.सी. वगैरह सब काम उसका हो गया। पांच सौ मेगावाट का प्रोजेक्ट है। आर.पी.जी. का है, दूसरे जो हैं, उनसे बातचीत चल रही है।

मेरा कहने का अर्थ यह है, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा हमने कहा है हम पांच हजार मेगावाट तक बिजली का उत्पादन करेंगे आज चार सौ मेगावाट की डिमांड राज्य में प्रतिवर्ष बढ़ रही है तो यह हमारी सरकार का धर्म है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम दो हजार मेगावाट विद्युत का उत्पादन करें। मैं आपको निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि हम दो हजार मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेंगे और दो हजार मेगावाट से ज्यादा के प्रोजेक्ट पाइप लाइन में डालेंगे, इस सरकार के पांच साल के कार्यका में। हम उनकी तरह से नहीं है जिन्होंने तीन हजार मेगावाट, जो कांग्रेस के समय की बिजली थी उसका आठ साल तक उपभोग किया और आज बातें कर रहे हैं कि चार घंटे बिजली नहीं आ रही है, छह घंटे बिजली नहीं आ रही है। इस सबके लिए यह सरकार दोषी नहीं है, वे लोग दोषी हैं। आज यदि हम लोग बिजली पैदा नहीं करेंगे, पांच साल बाद हो सकता है, जनतंत्र है, हमारी भी सरकार आ जाए, और किसी की भी सरकार आ जाए। उस सरकार को और राज्य की जनता को (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दिन को बहलाने के लिए ख्याली पुलाव अच्छा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो आ जाओ हमारे साथ।

डा. चन्द्रभान : उस सरकार को हमारी सरकार को या राज्य की जनता को विद्युत के संकट का सामना नहीं करना पड़े, इस सबके लिए योजनाएं बना रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का कनेक्शन हो चाहे किसानों को आठ घंटे बिजली देने की बात हो, चाहे वह उद्योगों में कटौती नहीं करने की बात हो, चाहे रैगुलर और रिलायबल पावर कंजूमर को उपलब्ध कराने की बात हो, इन सबके लिए जरूरत है संसाधनों की। आज राजस्थान का राज्य विद्युत मण्डल ही नहीं देशभर के विद्युत मण्डलों की जो आर्थिक स्थिति है, जर्जर अवस्था में वे हैं। विद्युत की जिस तरह से मांग बढ़ती जा रही है उसके चलते जिस तरह की विद्युत कंजूमर चाहते हैं, जिसकी अभी सभी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, वह उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

मैं आपको बहुत संक्षेप में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का कुल राजस्व और कुल खर्च इसी साल का बताना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमने तो अबकी बार राजस्व बढ़ाया है, 1998 के दिसम्बर तक आठ महीने में दो हजार करोड़ रुपये का राजस्व ये लोग छोड़कर गये थे। उसको हमने चार महीने में 1400 करोड़ रुपये का और करके 3400 करोड़ रुपये का राजस्व पिछले वर्ष अर्जित किया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : रेट बढ़ाकर।

डा. चन्द्रभान : 3406 करोड़ रुपये का। अबकी बार (व्यवधान) नहीं, मैं सब बताऊंगा आपको। उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष का जो 3406 करोड़ रुपये था उसको बढ़ाकर इस वर्ष हम 4013 करोड़ रुपये पर पहुंच गये हैं। 607 करोड़ रुपये का ए.आर.एम. किया गया है। आप जिस टैरिफ की बात करते हैं वह भी एक पार्ट है उसका लेकिन टैरिफ तो 480 करोड़ रुपये साल भर के लिए था और यह टैरिफ तो हमने नवम्बर से पांच महीने के लिए ही बढ़ाया था। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, खर्चे भी बढ़ गये और घाटा भी बढ़ गया। पिछले वर्ष जब 3400 करोड़ रुपये का राजस्व इकट्ठा किया तो हमारे कुल खर्चे 4450 करोड़ रुपये थे और अबकी बार जब 4000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व इकट्ठा किया तो खर्चे 5500 करोड़ हो गये।

अकेले बिजली खरीद के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 1850 करोड़ रुपये की बिजली बाहर से खरीदी और अबकी बार 2250 करोड़ रुपये की बिजली खरीदी। 400 करोड़ रुपये की बिजली ज्यादा खरीदी है। जो बिजली ज्यादा खरीदी उसका ज्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर को दिया गया,

(डा. चन्द्रभान)

उसका ज्यादा हस्सा घरेलू क्षेत्र में गया। इंडस्ट्री में तो आप खुद ही कह रहे हैं कि कटौती हुई। जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा कटौती हुई भी है, आप भी जानते हो.(व्यवधान)..

श्री अमराराम (धोद) : क्या कह रहे हैं? गांव में तो बिजली गयी नहीं। पिछले छह महीने में तो बिजली का बिल, बिलकुल ही आप कह रहे हो दी तो वह कहां गयी? हां चोरी हो गयी? उसको आप खोज निकालो जरा। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो हमारे छोटे भाई हो, यह ऐसे क्या कर रहे हो?

डा. चन्द्रभान : ऐसा है, माननीय सदस्य, आप कह रहे थे कि गयी नहीं, आप भी वहां रहते हो और मैं भी वहीं आता-जाता रहता हूं, ऐसी बात नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : क्यों घेराव होता है आपका? आप छह महीने तक पुलिस के घेरे में राजस्थान में घूमे हो।

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं, कहां घेराव होता है? आपने काल.(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : दो दिन पहले, मंत्री महोदय, अभी राजस्थान में जो प्याज की फसल है, वह फसल.(व्यवधान).. उनमें ही नहीं हो रहा है (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप बैठिये न। मैंने आपको बीस मिनट तक सुना है। आप सबको मैंने नौ घंटे तक सुना है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हम बिजली नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एक काल दिया था कि बिजली के बिल नहीं जमा कराएंगे। आपकी बात को माना किसी ने? 4013 करोड़ रुपये कैसे इकट्ठे हो गये? आपकी बात को किसी ने नहीं माना, सीकर तक में नहीं माना लोगों ने और लोग बिजली के बिल जमा करा गये।

श्री अमराराम (धोद) : आपने कहा था कि हम कनेक्शन काट देंगे और हमको तीन .(व्यवधान) बता रहा हूं, आपने कहा था। आपने इस हेकड़ी में कहा था .(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : हमने कनेक्शन भी नहीं काटे हैं, यह और बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अमरारामजी, आप बिराजिए।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस हेकड़ी में कहा कि राजस्थान का किसान अगर बिल नहीं देगा तो हम कनेक्शन काट देंगे। आपने क्यों कहा था कनेक्शन काट देंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। आप सुनना चाहते हैं या नहीं? आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : किसान को छह घंटे बिजली नहीं मिले, बिजली तो आप

(श्री अमराराम)

देंगे नहीं और ऊपर से उसका कनेक्शन काटने की (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : पहले आप रिप्लाई सुन लो। फिर बोलो। आपके प्रश्न का समाधान होगा तो मंत्रीजी कर देंगे। आप बीच में नहीं बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज।

श्री बुलाकी दास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, बीच में बोलने की परम्परा नहीं रही है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : छह घंटे बिजली नहीं मिले, बिजली तो आप देंगे नहीं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनने की क्षमता रखो। आप बीस मिनट तक बोले हो, उन्होंने सुना है, उनको सुनने की क्षमता रखो आप।

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आप जानते हो और मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया कि 35 परसेंट का अन्तर है। हमारा ओन जनरेशन तो है नहीं, हमें केन्द्र के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, हमें अन्य राज्यों के साथ जो भागीदारी है उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और यह भी आप जानते हो कि यह तकनीकी महकमा है। हमारा विद्युत तंत्र भी इतना मजबूत नहीं है। कभी बिजली में कोई कटौती हो जाती है, कभी कमी भी हो जाती है। लेकिन पूरा राजस्थान जानता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि पिछले साल हमने पूरे पूरे आठ घंटे बिजली दी और बाकी बार भी कमोवेश करके पूरे राजस्थान में छह से आठ घंटे बिजली हमने दी। केवल नवम्बर और दिसम्बर के महीने में दिक्कत आयी थी। यह फिगर भी मेरे पास है, अब वे तो चले गये, कि उन्होंने कभी सात सौ लाख से ऊपर दी नहीं। हमने जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में, उपाध्यक्ष महोदय, पौने सात सौ लाख से लेकर पौने आठ सौ लाख यूनिट तक बिजली दी है। जब कह रहे हैं कि इण्डस्ट्री तो नीचे बैठ रही हैं और इण्डस्ट्री का कजम्प्शन भी घट रहा है, तो फिर यह बिजली गयी कहां? यह आप कह सकते हैं कि लाइनें बिजली को खा गयीं या लोगों ने विद्युत की चोरी कर ली लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह हाउस क्या कह रहा है?

डा. चन्द्रभान : यह हाउस जो कह रहा है वह भी मैंने सुना है।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह हाउस कह रहा है कि मेरे क्षेत्र में आठ घंटे से ज्यादा मिली है, कम नहीं मिली है। पूरे कृषि कुओं को आठ घंटे से ज्यादा बिजली मिली है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष 13346 मिलियन यूनिट बिजली हमने

(डा. चन्द्रभान)

उपलब्ध कराई। तब तो कह रहे हैं सबको आठ घंटे मिली। और इस वर्ष 16,346 मिलियन यूनिट और अब की बार साढ़े 600 मिलियन ज्यादा 17,014 मिलियन यूनिट। कुल मिलाकर साढ़े चार प्रतिशत बिजली हमने ज्यादा उपलब्ध कराई। यह बात सही है कि कनेक्शन ज्यादा हो गये, कुओं में पानी नीचे चला गया। ज्यादा हार्स पावर की मोटरें लगानी पड़ी इसलिए कंजम्पशन बढ़ा। विद्युत तन्त्र कमजोर है इसके कारण कुछ तकनीकी नुकसान भी बढ़े होंगे। लेकिन यह कहना कि बिजली आयी नहीं कोई कह रहा है दो घंटे, कोई कह रहा है चार घंटे यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिन ज़िलों में आन्दोलन हुआ है उन जिलों में बिजली ज्यादा दी गयी है। आप कहना चाहेंगे कि बिजली कितनी दी गयी तो उस सब का अकाउंट है। मैं आपको अलग से बता दूंगा कितनी बिजली इस वर्ष दी गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह बात होती है कि कनेक्शन होने चाहिए, ग्रिड सब-स्टेशन बनने चाहिए, बिजली का उत्पादन बढ़ना चाहिए। यह सब कहां से होगा? मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा, कि चार हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यु किया, इसमें से 2257 करोड़ रुपये तो बिजली बाहर से खरीदी उसी में चले गये। ये जो कर्जा छोड़कर गये हैं उसका ब्याज दिया साढ़े 800 करोड़ रुपये, इंस्टालमैंट दी साढ़े 700 करोड़ और लीज रेंट दिया सवा 300 करोड़ इस तरह साढ़े 1900 करोड़ रुपये तो कर्जे के पेटे में चुकायें हैं। ये साढ़े 1900 करोड़ रुपये और 2200 करोड़, 4100 करोड़ रुपये हो गये। फिर पावर प्लांट चलाने के लिए कोयले का इन्तजाम करना पड़ता है। 56 हजार जिनको अभी कम बता रहे थे, इनको भी साढ़े 400 से 500 करोड़ देने पड़ते हैं। फिर सूरतगढ़ की इकाई लेकर आए हैं और ग्रिड सब स्टेशन बनाये हैं, इन सबके ऊपर भी खर्चा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, 13 अरब रुपये अब की बार विद्युत मंडल के द्वारा डवलपमैंट एक्टिविटीज के ऊपर खर्च किये गये हैं और वर्ष 2000-2001 में हमने इस 13 अरब को बढ़ाकर 17 अरब का टार्गेट रखा है? जिसमें 800 करोड़ रुपये जनरेशन के ऊपर, 800 करोड़ रुपये ट्रांसमिशन पर, सब ट्रांसमिशन पर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर और करीब 150 करोड़ रुपये रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के ऊपर हम लोग खर्च करेंगे।

आप कनेक्शन की बात कर रहे थे, अभी 23 हजार कनेक्शन 31 मार्च तक दे दिये। पिछले वर्ष टार्गेट था 25 हजार का। 1500 कनेक्शन की रिपोर्ट है कि 30 अप्रेल तक इन्हीं में और दे दिये, साढ़े 24 हजार कनेक्शन दे दिये। 7 हजार कनेक्शंस का कार्य प्रगति पर चल रहा है।

(डा. चन्द्रभान)

हमने कहा था इसी हाउस में कि हमारी कोशिश है कि घरेलू कनेक्शन में जो लोग हैं उनको दिक्कत नहीं हो, इसलिए एक अभियान चलाया। 1200 रुपये, 1500 रुपये उसमें...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : 2002 में सब हो जाएंगे?

डा. चन्द्रभान : हां, सब हो जाएंगे। अब आप सुनिए तो सही।

उपाध्यक्ष महोदय, 4 लाख कनेक्शन पैंडिंग थे, इन 4 लाख कनेक्शंस में से 31 मार्च तक 2 लाख 11 हजार को कनेक्शन दे दिये गये हैं। 97 हजार का कार्य प्रगति पर है और जो बचे हुए हैं उन 97 हजार को हर हालत में 30 जून तक कनेक्शन दे दिये जाएंगे। 4 लाख को भी नहीं तो 3 लाख को तो कनेक्शन दिया और बाकी के जो हैं उनको भी कनेक्शन देंगे। कनेक्शन के लिए तो रोज एप्लाई करते हैं, आप जानते हो, यह तो बैकलाग चलता रहता है। इनको कनेक्शन देंगे।

150 हरिजन बस्तियों में कनेक्शंस देने थे, 152 में दिये। 10 हजार कुटीर ज्योति के कनेक्शंस देने थे, 9,940 को कनेक्शन उसके अन्तर्गत दिये गये। गांवों का जो इलैक्ट्रिफिकेशन करना था वह 700 तो नहीं कर पाए, लेकिन 540 गांवों का इलैक्ट्रिफिकेशन किया। अभी आप 1200 रुपये और 1500 रुपये की स्कीम की बात कह रहे थे, इसकी तो सब प्रशंसा कर रहे हैं। ढाणी वाली बात आपकी सही हो सकती है कि ढाणियों में कुछ ज्यादा खर्चा आता है, उसको वहां के लोग वहन नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में कोई व्यावहारिक नीति बनाएंगे जिससे कि वहां पर खर्चा कम आए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिजली का इतना बड़ा सिस्टम हम लोग खड़ा करेंगे, बिजली के तो खम्मे भी मजबूत होते हैं, उसके तार भी थोड़े मजबूत होते हैं, उसमें ट्रांसफार्मर भी लगता है, इंसुलेटर, कंडेनसर सब चीजें लगती हैं। उसका तो 1200 रुपये और वह जो टेलीफोन वाला एक खम्भा लगता है और उसके तार नीचे झूलते रहते हैं, उसके तीन-तीन हजार रुपये लेते हैं गांवों में कनेक्शन के लिए और शहर में कनेक्शन के लिए।

श्री अमराराम (धोद) : खम्मे के पैसे नहीं, कनेक्शन के लिए हैं तीन हजार।

डा. चन्द्रभान : हम घरेलू कनेक्शन के लिए तो खम्भे...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : बीस खम्भे भी लगते हैं तो भी तीन हजार रुपये लेते हैं।

डा. चन्द्रभान : हां, यही तो मैं कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी, बहुत हो गया। आप प्लीज विराजिए।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान) आप क्यों दो-दो मिनट में खड़े हो रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : असत्य कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको लग रहा है असत्य बात है, सुनो और नहीं सुनना तो मत सुनो।

श्री अमराराम (धोद) : आप बता दें अब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें प्लीज। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप बता दें कि टेलीफोन में पोल का चार्ज है? आप बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : कोई जरूरी है कि आप इनसे सहमत हों, नहीं हों सहमत तो नहीं हों। आगे आपका खयाल है कि यह सही नहीं है।

डा. चन्द्रभान : नहीं, सही कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, गलत क्यों कहूंगा? गलत कहने वाले तो चले गये। मैं यह कह रहा था कि गांवों में जो बिजली का कनेक्शन लेगा उसके लिए खम्भे भी लगेंगे, तार भी लगेंगे, ट्रांसफार्मर भी लगेगा। उससे घरेलू कनेक्शन के लिए केवल 1200 रुपये लिए जाएंगे। और कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा न तार का, न खम्भे का, न ट्रांसफार्मर का।

श्री अमराराम (धोद) : पहले कितना लगता था?

डा. चन्द्रभान : पहले लगते थे 400 रुपये और 4000 भी लगते थे। आप जानते हो इस बात को। पांच-पांच हजार के डिमाण्ड नोट आए हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी एग्रीकल्चर कनेक्शन की बात हो रही थी। एग्रीकल्चर कनेक्शन में जो सामान्य श्रेणी के कनेक्शन हैं उनमें जितना खर्चा जाता है, उसका 25 प्रतिशत ही किसान से लिया जाता है और बाकी का जो खर्चा आता है वह बोर्ड वहन करता है। आठ खम्भों तक, एक खम्भे से दो खम्भे के बीच का पूरा खर्चा तीन हजार रुपये है, ग्यारह हजार रुपये नहीं। मैं मानता हूं कि कोई लाइन एक किलोमीटर, डेढ़ किलोमीटर की होगी तो उसके तो खर्चा लगेगा ही, बाकी अमूमन आठ खम्भों में किसानों के कनेक्शन हो जाते हैं। विद्युत तंत्र का इतना नैटवर्क फैल गया है, इतने नजदीक-नजदीक गांवों में कुएं हैं कि आठ और दस खम्भों के अंदर कनेक्शन हो जाता है। उसके लिए भी 25 करोड़ की सब्सिडी अब की बार दी गयी है।

इसके साथ में, आप जानते हो, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जब राजस्व की बात कही, यहां पर एक सवाल खड़ा हुआ कि टी. एण्ड डी. लोसेज हैं इनका झगड़ा पूरे देशभर में है और इनके कैलकुलेशन के फार्मूले

(डा. चन्द्रभान)

अलग-अलग हैं यह एक तरह से अंदाजा है। अन्दाजे से दिल्ली वाले कभी 24, कभी 27 प्रतिशत कर देते हैं। हमारे कभी 24, कभी 26 और कभी 29 प्रतिशत हो जाता है। जो प्राइस वाटर हाउस आया है, वह इसको कभी 40 औरं कभी 42 प्रतिशत करते हैं। लेकिन असली बात तो यह है कि जो बिजली हम लोग देते हैं वह या तो तारों में खतमं होती है या कहीं मीटर के कारण गड़बड़ी हो जाती है या कोई दूसरी तरह की कार्यवाही कर देता है। जितनी बिजली हम देते हैं उसके बिल नहीं कट रहे हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। यह केवल राजस्थान प्रदेश की स्थिति नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देशभर में यह स्थिति है। आज जितनी एनर्जी हम भेज रहे हैं उस एनर्जी में से वास्तव में मैं कहना चाहूंगा कि 35 से 40 प्रतिशत एनर्जी का कोई अकाउंट नहीं, कोई आडिट नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चोरी करते हैं।

डा. चन्द्रभान : नहीं, चोरी भी करते हैं, तकनीकी नुकसान भी है।

अब बताइये एग्रीकल्चर की बात। उपाध्यक्ष महोदय, अभी झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा एग्रीकल्चर में, आप भी किसान परिवार से हैं, मैं भी हूं, मुख्य मंत्रीजी भी हैं और ज्यादातर सभी यहां किसानों के हितैषी हैं। लेकिन इस फैक्ट को आपको स्वीकार करना चाहिए कि पैंतीस परसेंट एनर्जी हम उनको दे रहे हैं और रेवेन्यू में वे एड कर रहे हैं सात परसेंट। इंडस्ट्री को हम 32 और 35 परसेंट दे रहे हैं और रेवेन्यू में वे एड कर रहे हैं 65 और 67 परसेंट। मेरे समझ में आता है कि किसानों को छूट मिलनी चाहिए, वह उत्पादन करता है। इंडस्ट्री वालों को भी समय पर बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग कूलर चलाएं, पंखे चलाएं, एयर कंडीशनर चलाएं, हीटर चलाएं, गीजर चलाएं उनको भी सब्सिडी? अभी विपक्ष के नेता कह रहे थे और दूसरे लोग भी कह रहे थे कि आपने टैरिफ इतनी बार बढ़ा दी। हमने टैरिफ बढ़ाई है, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक निरन्तर प्रक्रिया है। विद्युत की दरें हमने उनकी तरह तो नहीं बढ़ाई? डीजल पांच रुपया लीटर और एक गैस के सिलेण्डर में 57 रुपये एक साथ। हमने दरें भी बढ़ाई हैं तो अभी दो पैसे बढ़ाऐ हैं, इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी के ऊपर। मैं जोधपुर गया तब भी यह सवाल उठा था। भाटी साहब मेरे साथ थे। आप हिसाब लगाइये, राजस्थान में 6 लाख एग्रीकल्चर कंजूमर हैं। जिनमें 2 लाख 73 हजार मीटर वाले और 3 लाख 22 या 23 हजार फ्लैट रेट वाले हैं। हमने केवल मीटर वालों पर बढ़ाया वह भी दो

(डा. चन्द्रभान)

पैसा। आप बताइये, ढाई लाख तीन लाख अदमियों पर दो पैसे। मैंने इसको कैलकुलेट किया, करीब दो करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। एक उपभोक्ता पर 6 रुपये एक साल का, आठ आना एक महीने का। मैंने किसानों से कहा कि तुम आठ आना नहीं देना चाहते हो बिजली बोर्ड को एक महीने का? उन्होंने कहा, कोई दिक्कत नहीं। पूरे राजस्थान में मुझे बता दो कि यह जो दो पैसे इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगी, कहीं इसका विरोध हुआ? स्टेटमैंट भी किसी का आया हो तो मुझे बता दो। लोग जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय। ये कह रहे हैं न कि आप गांवों में घूम नहीं सकोगे, दौरे नहीं कर सकोगे, आप को तो प्रशंसा करनी चाहिए कि मैं आपके साथ गया हूं। कई बार आपने मेरे रास्ते का घेराव किया फिर भी मैंने आपके क्षेत्र में 33 के.वी.ए. ग्रिड सब स्टेशन का आपके साथ उद्घाटन किया उसी दिन।

श्री रामस्वरूप : यही तो आप गलती करते हो कि इनके यहां करते हो। आप हमारे काम करते नहीं, इनके करते हो आप।

डा. चन्द्रभान : माननीय सदस्य, इस गलतफहमी को निकाल देना कि मेरे बचाव के लिए मुझे आपकी आवश्यकता पड़ेगी। आप जो अभी कह रहे थे और कई सदस्य कह रहे थे कि आप सोच-समझ कर निकलना, मैं कोई गलत काम करूंगा तो जनता मेरा विरोध करेगी लेकिन सही काम करूंगा तो हो सकता है उसका जनता आज नहीं समझे, दो-तीन साल बाद इस बात को समझेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यह कहना बहुत अच्छी बात है कि 11 साल तक हमने दरें बढ़ायीं। इन्होंने दरें नहीं बढ़ायीं तब तो यह कर्जे में डूबा है। यदि वे लोग दरें समय-समय पर बढ़ाते–

अनेक माननीय सदस्य : बढ़ायी हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : वो कहते रहते थे, अब और दूसरे लोग भी कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि किसानों की माली हालत अच्छी नहीं है। सरकार इस बात को अच्छी तरह से समझती है, आप से ज्यादा समझती है। नहीं तो 155 जीत कर नहीं आते यदि हम जनता को समझते नहीं तो। उपाध्यक्ष महोदय, दरें तो बढ़ेंगी, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज नहीं बढ़ेंगी, 6 महीने बाद बढ़ेंगी, सालभर बाद बढ़ेंगी। रैगुलेटरी कमीशन भी इसके लिए बना हुआ है। लेकिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि दरें कितनी हैं और किस तरह से बढ़ती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कह रहे थे कि आप सब्सिडी नहीं दे सकते। जो नया एक्ट पारित होकर आ गया है कि आप रिफार्म

(डा. चन्द्रभान)

करो, कौन कहता है कि हम सब्सिडी नहीं दे सकते? हम सब्सिडी दे सकते हैं। सरकार इस बात को जानती है कि किसान की पेइंग कैपेसिटी क्या है। जरूरत पड़ेगी तो सरकार उसको सब्सिडी देगी। लेकिन हम उन लोगों की मदद नहीं करेंगे जो साधन सम्पन्न लोग हैं। मैं यह नहीं कहता कि हम उनसे कोई मुनाफा कमाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज एवरेज सवा तीन रुपया एक यूनिट बिजली का पड़ता है, उकसो हम डेढ़ रुपये और दो रुपये में एसी. और कूलर चलाने के लिए उपलब्ध कराएं, यह मेरे हिसाब से कतई उचित नहीं है, यह गरीबों के साथ अन्याय होगा। यदि हम उन लोगों से सही पैसा वसूल नहीं करेंगे तो हम गरीब आदमी की और किसान की मदद नहीं कर पाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, 30 पैसे का अन्तर था एक यूनिट में राजस्व में और लागत में 1993 में, जो आज बढ़ कर 88 पैसा हो गया। यह अन्तर कहां से निकलेगा?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, आज तमाम् प्रयास करने के बावजूद न केवल राजस्थान के विद्युत मण्डल के बल्कि देशभर के जो विद्युत मण्डल हैं उनकी वित्तीय स्थिति खराब है। आज न केवल राजस्थान में किसान को कम बिजली मिल रही है या गांवों में बिजली की दिक्कत है, शहरों में भी जैसी बिजली चाहिए वैसी बिजली नहीं मिल रही है। जब चाहो तब कनेक्शन नहीं मिलेगा। और भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं—वोल्टेज की भी आती है, इन्ट्रप्शन की भी आती है। यह देशभर की समस्या है।

अभी ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन था, प्रधान मंत्रीजी भी चिंतित थे। 2012 तक का हिसाब लगाया गया कि सब को बिजली उपलब्ध करानी है तो देश को 11 लाख करोड़ रुपये जुटाने पड़ेंगे। 11 लाख करोड़ का इन्वैस्टमैंट कोई आसान इन्वैस्टमैंट नहीं है। वे कह रहे थे कि हमने पांच हजार करोड़ रुपया आठ साल में ऊर्जा के क्षेत्र में खर्च कर दिया। उन्होंने पांच हजार करोड़ रुपया खर्च किया है, हम 1300 और 1700, तीन हजार करोड़ तो दो साल में ही खर्च कर देंगे। लेकिन इससे भी काम नहीं चलने वाला है। असल में, उपाध्यक्ष महोदय, यदि मोटा-मोटा अनुमान लगाया जाए, मैं हमारी सरकार की बात करता हूं, तो पांच साल में हमें कम से कम बीस हजार करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी इस ऊर्जा के क्षेत्र के लिए। इतना रुपया जुटा पाना हमारी आरएसईबी. की आज की जो फाइनेंशल हैल्थ है उसमें बहुत मुश्किल है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमें साफ बातें करनी चाहिए। आज स्थिति क्या बनी हुई है हमारी? हमें कर्जे की किश्त चुकाने के लिए, उसकी ब्याज अदायगी के लिए और कर्जा लेना पड़ रहा है। एक तरह से देखा

(डा. चन्द्रभान)

जाए तो हम कर्जे के जाल में फंस चुके हैं। इससे निकलना है।

माननीय सदस्य यह बात कहते हैं कि एईएन. काम नहीं करता, जेईएन. काम नहीं करता, हैल्पर कुछ नहीं करता। कोई कहते हैं वह मौजूद नहीं मिलता है, बिल डिफैक्टिव आता है, मीटर नहीं हैं, आप जब चाहो तब बिजली की दरें बढ़ा देते हो और कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। ये सब बातें हैं इसीलिए तो ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार कार्यक्रमों की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज विद्युत मण्डल की मोनोपोली है। वही तो सुनवाई करता है और वही निर्णय करता है और वही सप्लाई करता है। आज उसकी मोनोपोली है। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के कार्यक्रमों की जो मूल भावना है वह यही है कि हम अकाउंटेबिलिटी और रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स करें। सरकार का काम नीति निर्धारण का होगा और रैगुलेटरी कमीशन जो बनेगा उसका काम रैगुलेशन का होगा। जो कम्पनीज बनेंगी, जिनकी चर्चा अभी कर रहे थे कि अनबंडलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, कई तरह की राजनीतिक बहस यहां माननीय सदस्य छेड़ रहे थे वह जो सक्सेसर एंटिविज होंगी, आर.एस.ई.बी. के एक्ट के तहत जो व्यवस्था बनेगी उनकी जिम्मेदारी एग्जीक्यूशन की होगी। सब का काम बंटा हुआ रहेगा, जिम्मेदारी उनकी तय होगी। यह बात ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, कि कोई भी नया काम करते हैं तो लोगों को कई तरह के संदेह भी होते हैं, कई तरह की शंकाएं भी होती हैं। अब लोग कह रहे थे कि यह बिल पास हो जाएगा तो बिजली चार रुपये यूनिट हो जाएगी। आप कह रहे थे। अच्छा, बिल पास नहीं हुआ बंगाल में, किसान को कितने रुपये यूनिट बिजली मिलती है? एक रुपया 32 पैसा, और यहां पर किसान को मिलती है 74 पैसा।

श्री अमराराम (धोद) : एक रुपया 43 पैसा भी मिलती है।

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं। एक रुपया 43 पैसे मिलती है, तीन से चार रुपया घरेलू बिजली और इंडस्ट्री पांच से छह रुपया। अभी, मैडम, आप कह रही थीं, यहां बिजली की.(व्यवधान).. नहीं, वह भी बता देता हूं मैं।

कह रही थीं कि यहां बिजली की दरें ज्यादा हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की दरें बढ़ने के बावजूद आज भी जो देश के 27 बड़े राज्य हैं उनके अन्दर डोमेस्टिक में हम चौदहवें स्थान पर हैं, 13 राज्य ऐसे हैं जहां हम से ज्यादा महंगी घरेलू बिजली है। हम नान-डोमेस्टिक में नोवें स्थान पर हैं, एग्रीकल्चर में छठे स्थान पर हैं और इंडस्ट्री में पांचवें स्थान पर हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप एग्रीकल्चर की बात तो गलत कह रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : यह तो मेरे सामने हैं मैं आपको अभी दे दूंगा। कोई गलत नहीं कह रहा हूं। आप तो 50 पैसे बोल रही थीं, मैं तो यह कह रहा हूं कि 74 पैसा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 50 नहीं मैंने 72 बताये थे।

डा. चन्द्रभान : हां, दो पैसा इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी अभी बढ़ी है। लेकिन फ्लैट रेट में नहीं है वो बात।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने ही जो प्रतिवेदन दिया है उसमें बताया है आपने। उसमें से ही पढ़ कर बता रही हूं मैं।

डा. चन्द्रभान : उसमें भी 50 और 70 दोनों लिखे हुए हैं, मैंने देख लिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उसमें केवल चार स्टेट आप से नीचे हैं, बाकी सब ऊंचे हैं।

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं। दो की 74-74 बराबर है, यह हो गया। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह निवेदन कर रहा था कि आज मांग बढ़ रही है, दो लाख किसानों को कनेक्शन देने हैं और दो से ढाई लाख घरेलू कनेक्शन सालाना मांगने के लिए आते हैं। एग्रीकल्चर के हमें कनेक्शन देने ही होंगे, इंडस्ट्री को भी हमें बढ़ावा देना ही होगा। कुल-मिलाकर 300 से 400 मेगावाट बिजली का हमें इंतजाम करना होगा और उसके लिए विद्युत तंत्र का विस्तार भी हमें करना होगा।

मैं बारह बजे से पहले-पहले कर दूंगा समाप्त।

श्री रामस्वरूप : नहीं, 12 बजे के बाद कल की तारीख में घोषणा करो आप। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनके 12 बजेंगे भाग गये जिनके।

श्री रामस्वरूप : हम सुनने को तैयार हैं।

एक माननीय सदस्य : उनके 12 बज गये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सवा बारह बजे तक कहो आप।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह विद्युत तंत्र के विस्तार और विकास का सवाल है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक 400 के.वी.ए. का जी.एस.एस. भी कांग्रेस के समय में बना था, इनके तो दिमाग में विचार ही नहीं आया था। अब हम उनकी जगह दो बना रहे हैं, एक का जोधपुर में काम चल रहा है और दूसरे को स्वीकृति दी है, काम शुरू कर देंगे रतनगढ़ में। हमने 220 के.वी.ए. क चार बना दिये, चार अब की बार और

(डा. चन्द्रभान)

बनाएंगे। हमने पिछली बार 132 के.वी.ए. के 8 बनाये, अब की बार 12 बनाएंगे।

श्री रामस्वरूप : मंत्री महोदय मेरे यहां बनाओगे या नहीं?

डा. चन्द्रभान : आपके यहां बनाएंगे।

हमने 100 टार्गेट रखा था 33 के.वी.ए. ग्रिड सब स्टेशन का, 115 बना दिये। अब की बार 100 का टार्गेट रखा है, हमारी कोशिश होगी कि हम 125 बनाएं। हम लाइनें भी डालेंगे, एल.टी.लैस सिस्टम भी लगाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हम सूरतगढ़ की दोनों यूनिट जो 2002 में आने वाली हैं, उनको समय पर लाएंगे। और यह जो दूसरी यूनिट है फर्स्ट स्टेज की, माननीय मुख्य मंत्रीजी जो भी तिथि देंगे इस महीने में, उसका बाकायदा लोकार्पण करवा देंगे। ढाई सौ मेगावाट की इकाई इस महीने में कामर्शियल बेस पर शुरू हो जाएगी। उससे 60 लाख यूनिट प्रति दिन राजस्थान को मिलेंगे और उसका लाभ राजस्थान की जनता को होगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, चाहे विद्युत तंत्र का विस्तार हो, चाहे सुदृढ़ीकरण हो और चाहे नयी विद्युत का उत्पादन हो इस सबके लिए हजारों करोड़ रुपये के जो इन्वेस्टमैंट की जरूरत है उसके लिए माहौल बनाना बहुत जरूरी है, उसके लिए विद्युत मण्डल की आर्थिक स्थिति में सुधार करना बहुत जरूरी है। हम यदि यह मान लेते हैं कि जो प्रजेन्ट सैट-अप है उसको ही चलने दो; जैसाकि कई माननीय सदस्य कह रहे थे, तो प्रजेन्ट सैट-अप की तो स्थिति यह है, मैं व्यक्तियों की बात नहीं करता, आज मैं ऊर्जा मंत्री हूं कल और कोई हो जाए या भण्डारीजी चेयरमैन हैं कल और कोई हो जाए। इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यह स्थिति कोई एक दिन में नहीं हुई है। यह स्थिति पिछले 40-45 साल में जो विद्युत मण्डल की उम्र है उसके अन्दर हुई है। इस बारे में सरकार ने तो खैर, फैसला कर ही लिया है। अभी ये कर रहे थे कि अनबंडलिंग अप्रेल में होनी चाहिए। अप्रेल मे केवल प्रोजेक्ट था, यह मई-जून में भी हो सकती है, जुलाई में भी हो सकती है इसकी डेट फिक्स थोड़े ही थी। विद्युत सुधार के कार्यक्रम में राजस्थान तो अपने टाइम शिड्यूल के द्वारा ही चल रहा है। एक और सबसे बड़ी दिक्कत है, जब हम विद्युत सुधार के कार्यक्रमों की बात करते हैं इसको डब्ल्यू.टी.ओ. से जोड़ देते हैं, इसको वर्ल्ड बैंक से जोड़ देते हैं, इसको आई.एम.एफ. से जोड़ देते हैं कि गिरवी रख रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : गनीमत है कि आई.एस.आई. से नहीं जोड़ रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : राजस्थान को गिरवी रख रहे हैं, पूरे देश को गिरवी रख रहे हैं। विरोध करते हैं और दिल्ली में जो

(डा. चन्द्रभान)

उनकी सरकार बैठी है वह सरकार कहती है कि उसको लागू करो। 16 राज्यों में रैगुलेटरी कमीशन बन गया है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। कोई एक राज्य की बात नहीं है, छह राज्य हमसे आगे निकल गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक को आपकी जरूरत नहीं है और वर्ल्ड बैंक कोई अछूत नहीं है, मैं कहना चाहूंगा। आज यदि वह 9 प्रतिशत इन्ट्रेस्ट रेट के ऊपर हमें हमारे ट्रांसमिशन एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई ऋण देता है, सोफ्ट लोन जिसकी 20 साल की किस्ते हैं तो उसे लेने में क्या दिक्कत है? ये यह कह रहे हैं कि हमारी कोई हैसियत नहीं है, तो हमें आठ सौ करोड़ रुपया पावर फाइनेंस कारपोरेशन से कैसे मिल गया? दस साल में जो एक यूनिट को नहीं ला पाये उस यूनिट को हम दस महीने में क़ैसे लेकर आ गये? हमने कैसे विण्ड एनर्जी का प्रोजेक्ट लगा दिया? एक को चालू कर दिया और दूसरे को मई मे चालू कर देंगे देवगढ़, चित्तौड़गढ़ में। हमने कैसे मथानिया को क्लियर करवा दिया? हमने कैसे बरसिंहसर को क्लियर करवाया? और हम किस तरह से साधन जुटा रहे हैं? लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अब एक सैचुरेशन पांइट है, अब विद्युत मण्डल का प्रजेन्ट सैट-अप है इसमें उसको चला पाना मुश्किल है। मैं मानता हूं कि आपके सामने मैंने रखा है। कोशिश करने के बावजूद 600 करोड़ रुपये बढ़ाए तो खर्चा एक हजार करोड़ रुपया बढ़ गया। अबकी बार एक हजार करोड़ रुपया यदि रेवेन्यू मान लीजिए और बढ़ाएंगे तो कितना लगाएंगे? एक साथ हम टैक्स नहीं लगा सकते, हम इस 600 करोड़ को बढ़ाकर एक हजार करोड़ करेंगे तो यह खर्च दो हजार करोड़ का बढ़ जाएगा।

अभी कह रहे थे कि कर्मचारी नहीं है। स्थिति यह है कि जो नेशनल एवरेज है वह 11 का है और हमारे कंज्यूमर के हिसाब से 12.4 है। पहले यह 15 था, फिर 14 किया, फिर 13 किया और फिर 12.4 किया। ये कहते हैं कि आपने किसी को नौकरी नहीं दी। पिछले 17 महीने में करीब 750 लोगों को नौकरी दी गयी है। यह बात भी आयी कि हमने पद खतम कर दिये। हमने चीफ इंजीनियर, जोनल इंजीनियर तथा और पद खतम किये हैं। रेडा में पौने दो सौ आदमी बैठा रखे थे। वहां 70 से ही अच्छा काम चल रहा है। जब 175 थे एक भी विण्ड मिल नहीं लगी और जब 74 हैं तो दो लग गयीं और तीसरी का काम भी शुरू होने वाला है। हमने विण्ड एनर्जी के लिए पालिसी बना ली और करीब सौ मेगावाट का और इन्वैस्टमैंट आने वाला है। तो कोई ज्यादा आदमी होने से थोड़े ही काम ज्यादा होता है। यह बात मैं मानता हूं कि तकनीकी कर्मचारियों की कुछ कमी हो सकती है लेकिन दूसरे जो लोग हैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ, इनको आप

(डा. चन्द्रभान)

कम होने दें। चपरासी और बाबू जो हैं इनकी ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। _(व्यवधान)_ नहीं, चपरासी के ही पद ज्यादा खतम हुए हैं। करीब एक हजार पद तो चपरासी के ही खत्म हुए हैं जिनकी सभी लोग चर्चा कर रहे थे।

श्री अमराराम (धोद) : बात हैल्पर की है, आप चपरासी पर ले जा रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि जिस तरह का हमारा एग्रीकल्चर सैक्टर में कंजम्प्शन बढ़ रहा है और इण्डस्ट्री में कंजम्पशन घट रहा है, निश्चित रूप से इसके चलते राजस्व में दिक्कत आती है। मीटर हैं, फ्लैट रेट प्रणाली है, अभी आप कह रहे थे कि फ्लैट रेट को 60 हार्स पावर के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। चार घंटे के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया आठ महीने का, 12 महीने का नहीं कर रखा है। एक्चुअल में यहां तो कोई सही बात भी कह दे तो कहते हैं आप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। हम कहते हैं कि इंडस्ट्री में गड़बड़ है तो वे कहेंगे कि उद्योग मंत्रीजी हमको खराब आदमी बता रहे हैं। हम किसानों को कहेंगे तो वे कहेंगे कि आप किसान परिवार से हो, किसान थोड़े ही बिजली की चोरी करता है। असल में, उपाध्यक्ष महोदय, चाहे वह गांव वाला हो, चाहे शहर वाला हो, चाहे वह बंगले वाला हो, चाहे झोंपड़ी वाला हो, चाहे कारखाने वाला हो, चाहे कुएं वाला हो जिसका मौका लगता है विद्युत के साथ छेड़खानी करता है। यह सही बात है। यह यहीं नहीं है, पूरे देशभर में है। ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में भी चर्चा हुई थी। इसे रोकना है तो रोकने के लिए हमें निश्चित रूप से कोई सिस्टम इवोल्व करना पड़ेगा और कुछ कठिन निर्णय भी लेने पड़ेगे। बहुत सारे निर्दोष लोग हैं, वे बिल भी समय पर देते हैं और उन्हें बिजली भी नहीं मिलती है और जो लोग गड़बड़ी करने वाले हैं वे बिल भी जमा नहीं कराते हैं और बिजली भी लेते हैं। यह धक्काशाही जो है यह नहीं होनी चाहिए, लोकशाही चलनी चाहिए देश में। तो इस बात को भी हमें मानना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, बारह बज गये हैं।

श्री रामस्वरूप : बीजेपी. के 12 बजे हैं।

डा. चन्द्रभान : मैं तो इस मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें किसानों के बारे में जरूर सोचना चाहिए, गरीब जनता के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। और उपाध्यक्ष महोदय, हमने सोचा है। यह पहली सरकार है जिसने इस बात को महसूस किया कि शहर के मुकाबले गांवों में घरेलू बिजली कम मिलती है। इसीलिए शहर की

(डा. चन्द्रभान)

घरेलू बिजली की दर अलग रखी गयी और गांव की दस प्रतिशत कम रखी गयी। यह पहली सरकार है जिसने किसानों की फसल को बचाने के लिए जरूरत पड़ने पर जयुपर सहित तमाम् बड़े शहरों में तीन-तीन घंटे पावर का कट भी लगाया। उपाध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि गांव में रहने वाले लोगों की स्थिति खराब है। इसलिए विद्युत मण्डल ने अभी फैसला किया है कि गांव के लोगों पर जो बकाया है, मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं, जैसे उन पर बकाया है दो हजार रुपया लेकिन पैनल्टी और इन्ट्रैस्ट मिलाकर हो गये पांच और छह हजार रुपये। अब हमने उनको एक पैकेज दिया है और उन्हें एक महीने का समय दिया है 31 मई तक का। यदि वह पुराना बकाया दो-तीन साल का जमा कराता है, प्रिंसिपल अमाउन्ट यदि उसका दो हजार है वह जमा करवा दे तो उसके ऊपर इन्ट्रेस्ट पैनल्टी तीन हजार रुपये की, उसको हम माफ कर देंगे। केवल घरेलू, अघरेलू और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही नहीं बल्कि हमने यह भी फैसला किया है कि किसान जो हैं, आप कह रहे हैं कि आपने_

श्री अमराराम (धोद) : आपने सब दे दिया तो जरूरत नहीं है पैकेज देने की?

डा. चन्द्रभान : नहीं-नहीं। आपने तो इस फैसले के समय काल दिया था और उसका दो-तीन जगह थोड़ा असर भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं कहूंगा लेकिन राज्य में कोई असर इसका नहीं हुआ, यह आपको भी पता है।

मैं आपको यह निवेदन कर रहा था कि यह बकाया कोई आज की नहीं है। किसी के दो साल की, किसी के पांच साल की और किसी के दस साल की है। उपाध्यक्ष महोदय, बकाया तो हर बोर्ड में चलती रहती है। उसका रेवेन्यू है उसके हिसाब से चलती रहती है। आज भी राजस्थान में 600 करोड़ रुपये की बकाया है जिसमें 350-400 करोड़ रुपया तो प्रिंसिपल अमाउन्ट होगा। मुझे किसानों ने कहा कि हमारे यह पैनल्टी और इन्ट्रैस्ट बहुत ज्यादा हो गया। हमारा प्रिंसिपल अमाउन्ट तो दस हजार था यह बढ़कर बीस हजार और बाईस हजार हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, हमने उनके लिए छूट दी है। पूरा माफ कर देंगे तो फिर कहेंगे, सब लोग आगे भी कहेंगे। ये लोग भी कह देंगे, जैसे मैं अमरा रामजी से कहूंगा कि मेहरबानी

(24.00 बजे)

रखना। फिर लोग भी समझते हैं कि यह तो क्या है, कुछ नहीं। मत जमा कराओ, बाद में करा देंगे जब यह गवर्नमैंट पैनल इन्ट्रैस्ट पूरा माफ कर देगी। एग्रीकल्चर में थोड़ा अमाउन्ट ज्यादा होता है, घरेलू में कम होता है। गांवों में उसके लिए हमने एक व्यवस्था की है कि 18 प्रतिशत का जो पैनल इन्ट्रैस्ट है उसको आधा कर दिया है, 9 प्रतिशत की उनको छूट दे दी है

(डा. चन्द्रभान)

यदि वे अपना बकाया जमा कराना चाहें। कनेक्शन हमने किसी का नहीं काटा, आप यह जानते हो। अब यह तो कहना पड़ेगा। आप मुझे बताएं, आप बिल नहीं जमा कराओ तो हम आपको यह कहेंगे कि हम आपको बिजली भी देंगे आप चाहे बिल नहीं जमा कराओ? लेकिन आप बता दीजिए मुझे कि किसान की फसल जब तक थी, 30 मार्च तक हमने किसी का भी कनेक्शन नहीं काटा। उसके बावजूद भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत जगह पर किसानों ने इस बात को समझा, मुख्य मंत्रीजी ने अपील की उसका असर भी हुआ और लोगों ने अपने बिल जमा करा दिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमें बिजली के सम्बन्ध में तीन-चार मोटी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो हमें बिजली की चोरी पर रोक लगानी पड़ेगी। एक हमें बिजली की छीजत को कम करना पड़ेगा। हमारे विद्युत तंत्र को मजबूत करके और जो अन्य कारण हैं जिससे हमारे लासेज होते हैं उनको कम करना पड़ेगा। हमें अपने सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा। एक हमें विद्युत की बचत की आदत डालनी पड़ेगी और एक हमें लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि वे विद्युत का बिल समय पर जमा कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी चर्चा हुई कि ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के प्रति सरकार की नीयत क्या है। सरकार ने पालिसी स्टेटमैंट क्लियर किया कैबिनेट में, सरकार ने यहां पर बिल पारित कराया। सरकार ने रैगुलेटरी कमीशन का गठन कर दिया। वे तो कह रहे थे इसमें तकनीकी सदस्य होता। हमने जो सबसे अच्छे हमारे इंजीनियर हैं, शांति प्रसाद जी को उसमें तकनीकी सदस्य बनाया। सबसे अच्छे हैं। अरूण कुमार जी हैं वे भी अच्छे ही हैं, उनकी अध्यक्षता में बनाया है। उसने काम करना भी प्रारम्भ कर दिया है।

अब उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ में यह था कि आर.एस.ई.बी. का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 56 हजार है। 53 लाख तो हमारे कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर सैटिस्फाइड नहीं है। आर.एस.ई.बी. का इतना लम्बा-चौड़ा काम है कि वह उससे संभल नहीं पाता है। तो हम यह चाहते थे कि जनरेशन का काम अलग कर दें, ट्रांसमिशन का काम अलग कर दें, डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनीज हम लोग अलग बना दें जिससे कि इनके बीच में एक हैल्दी काम्पीटिशन हो जाए, इनके काम का बंटवारा हो जाए और अकाउंटेबिलिटी, रेस्पांसिबिलिटी फिक्स हो जाए।

(डा. चन्द्रभान)

अब, उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में कह रहे थे कि तेरह साल हो गये हैं, उड़ीसा में तीन-साढ़े तीन साल हुआ है और उड़ीसा ही कोई सब कुछ नहीं है। मैं अभी सी.आई.आई. की मीटिंग में गया था, हरियाणा के मुख्य मंत्री से बात हुई थी। अब अखबारों में तो, उपाध्यक्ष महोदय, सब तरह की खबरें आती हैं। वहां मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि इसके अलावा रास्ता क्या है। आज कल सब लोग आंध्र प्रदेश की चर्चा करते हैं, वह हाई टेक चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं चन्द्रबाबू नायडू, उन्होंने कम्पनियां भी बना दीं और जो डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनियां हैं उनकी संख्या भी ज्यादा कर दी। अन्य राज्यों में भी चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई जरूरी है कि हम किसी राज्य को देखकर फैसला करें? यदि हम एक-दूसरे राज्यों को देखेंगे तो यह फैसला नहीं हो सकता। हमारी सरकार ने तो फैसला कर लिया। हमारा सब कुछ शिड्यूल चल रहा है। अप्रेल के अन्दर जो कम्पनियां बननी थीं यह मई, जून, जुलाई में बन सकती हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने खुद, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर इसी सीट पर खड़े होकर कहा है कि सरकार की मंशा साफ है, हम ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के कार्यक्रमों को लागू करेंगे। माननीय वित्त मंत्रीजी ने भी इस बात को कहा है और मैं भी आपके सामने इस बात को कह रहा हूं कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के कार्यक्रमों को लागू करेंगे और इसमें जो भी कदम उठाने होंगे उन कदमों को हम लोग उठाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्पित है, हम ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के कार्यक्रमों को लागू करेंगे। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह समय की आवश्यकता है, आज यदि हम ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के कार्यक्रमों को नहीं लागू करेंगे, तेज गति से नहीं लागू करेंगे तो हम इस काम्पिटीटिव जमाने में अन्य राज्यों के मुकाबले में पिछड़ जाएंगे। धन्यवाद।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछ लूं? आप मेरे दो प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, एक तो यह कि साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये की जो देनदारियों हैं बोर्ड की, आपकी अलग-अलग कम्पनियां जब बनेंगी तो...

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, बहुत हो गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो कौनसी कम्पनी को देंगे, कौनसी लेगी?

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : वह बनेगी तब देखेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप वहां बैठे-बैठे दे रहे हो जवाब, वित्त मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्री महोदय, अभी...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : साथ ही मैं दूसरा पूछ लूं। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि 300 करोड़ रुपया जो इंडस्ट्रियलिस्ट पर बकाया है, आप काश्तकार का तो दो हजार रुपया जब बकाया होता है तो कनेक्शन काटने की तैयारी कर लेते हो, लेकिन 300 करोड़ रुपया जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट में बकाया है उसकी वसूली के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो यही पूछना था, अभी जो आपने कुछ कहा उससे एक इम्प्रैशन ऐसा गया कि काश्तकारों के अन्दर बहुत बकाया है। मैं जो सुमित्रा जी के कही वही बात कहना चाहता हूं, आप कृपा करके इतना और बता दीजिए कि बिजली बोर्ड का उद्योगों में कितना रुपया बकाया है और उससे आपके बोर्ड की स्थिति सुधर जाएगी। इतना आप और बता दें क्योंकि इम्प्रैशन यह हो गया कि काश्तकारों में ही बकाया है।

श्री रतल लाल ताम्बी : एक साथ उत्तर दें। मेरा प्रश्न था।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैंने यह निवेदन किया था, अकाल का समय है, पानी की किल्लत है इसलिए जहां पर पेयजल स्रोत हों वहां बिजली की कटौती नहीं की जाए। इसका जवाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : ताम्बी साहब, आप क्या कह रहे थे?

श्री रतन लाल ताम्बी : मैंने एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखा था। पिछली सरकार ने लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीमें जितनी भी थीं राजस्थान में, उनको कृषि के बजाय औद्योगिक मानकर हाई रेट लगा दी और साथ में मिनिमम चार्जेज का रुपया प्रति हार्स पावर प्रति माह 75 रुपया रखा, जबकि लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीमें साल में दो-तीन महीने मुश्किल से चलती हैं। इससे बड़ी तादाद में राजस्थान में कृषि उत्पादन पर असर पड़ा और बहुत सारी लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीमें बंद हो गयी। बहुत बड़ी बकाया किसानों पर चढ़ गयी जिससे कई जगह उनकी भूमि नीलाम होने जैसी स्थिति बन रही है, नोटिसेज आ रहे हैं। यह तो कृषि का ही काम है कृषि क्षेत्र में ही मानना चाहिए, लिफ्ट इर्रिगेशन से खेती की पिलाई होती है। लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीमें राजस्थान में बड़ी अच्छी तादाद में चल रही थीं,

(श्री रतन लाल ताम्बी)

बड़ा उत्पादन हो रहा था, रेट बढ़ाने से उस पर कुप्रभाव पड़ा है, इस सम्बन्ध में मैंने आपसे कुछ निवेदन किया था।

एक मैंने आपसे यह भी निवेदन किया था, विद्युत मंत्री जी आप देवली, टोडारायसिंह क्षेत्र के एम.एल.ए. हैं, वहां से बिजली सप्लाई जहाजपुर, हिण्डौली, देवली और बीसलपुर में जो हो रही है वह बिजली वन फोर्थ भी नहीं आ रही है। वे सारे इलाके बड़े प्रभावित हो रहे हैं। केवल बीसलपुर और अजमेर में नसीराबाद पानी देने की दृष्टि से वहां बिजली देते हैं और हमारे इलाके बराबर अन्धेरे में रहते हैं। इस इलाके में दुर्दशा क्या हो रही है, इसका अन्दाजा आपको समय-समय पर लगता रहा है। मैंने भी बताया है। उसमें सुधार के लिए मैंने जो अनुरोध किया उस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री आदराम मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय मैं...

श्री उपाध्यक्ष : अब रुको न, हो गया बहुत।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली से जो जली है आपकी फसल उसके मुआवजे की कार्यवाही कराएंगे।

एक सवाल जो झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने और गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि सब तरह की इंडस्ट्रीज मीडियम, स्माल और लार्ज इनमें कुलमिलाकर करीब 200 करोड़ का बकाया है, 300 करोड़ का नहीं है। एग्रीकल्चर के ऊपर करीब 80 करोड़ का बकाया है, जो डोमेस्टिक है उस पर करीब 125 करोड़ का बकाया है और करीब 150 से 200 करोड़ जो दूसरी तरह के हैं नान डोमेस्टिक उन सब पर बकाया है। इसको वसूल करने के तो प्रयास करते ही हैं। नहीं, 500 से भी ज्यादा हैं और ये कई सालों से हैं, कोई एक दिन के नहीं हैं। हर इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का होता है। रेवेन्यू उसका यदि तीस दिन का बकाया है तो वह बोर्ड अच्छा काम कर रहा है और तीस दिन से ज्यादा का बकाया है तो मतलब वह ठीक काम नहीं कर रहा है। उस हिसाब से हमारा चार सौ करोड़ एक महीने का बनता है। उससे ज्यादा है, डेढ़ से दो महीने का ही बकाया है हमारे रेवन्यू का। इसके लिए जैसे मैंने कहा, योजना निकाली है एग्रीकल्चर के लिए। कुछ लोग उसमें आएंगे फिर प्रयास करेंगे। इसी तरह से इंडस्ट्री के लिए भी हम कोई योजना निकालने जा रहे हैं। लेकिन जो सिक हो जाता है और चला जाता है उससे वसूलना बहुत मुश्किल काम होता है। कानूनी

(डा. चन्द्रभान)

कार्यवाही भी करते हैं। डोमेस्टिक के लिए भी अभी योजना निकाली है, देखते हैं कितने लोग आएंगे, इसका लाभ उठायेंगे। नहीं तो जो कानूनी कार्यवाही है वह कार्यवाही करेंगे, अभियान चलाएंगे।

एक बात जो इम्पोर्टेंट कही, आपने पहले भी इस सवाल को खड़ा किया था कि परिसम्पत्तियां तो मुफ्त में दे देंगे और जो कर्जा है वह हमारी सरकार के हिस्से में आ जाएगा। ऐसा नहीं है। इसके लिए बाकायदा एस.आर.पी. बनी है, गवर्नमैंट के द्वारा जो अप्रूव होती है। अलग-अलग जो कम्पनी बनेंगी उनको वायबल बनाया जाएगा और किसके कितने असेट्स होंगे और कितनी लायबिलिटीज होंगे उसी हिसाब से उनके बीच में उनको बांटा जाएगा। उसमें जरूरत पड़ेगी, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत रहती है, तो उसमे गवर्नमैंट सपोर्ट भी करेगी।

एक अकाल के समय पी.एच.ई.डी. की बात हुई। पी.एच.ई.डी. के कनेक्शंस, उपाध्यक्ष महोदय, जो भी बकाया हैं उनको तेज गति से दे रहे हैं। इसी महीने में दे देंगे। मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा कि आर.एस.ई.बी. इस बात के लिए पूरी तरह से प्रयलशील और नीचे के स्तर पर सबको दिशा-निर्देश दिये हुए हैं कि अकाल के इन हालात में पानी की दिक्कत है इसलिए पी.एच.ई.डी. की जो सप्लाई है उसमें किसी भी तरह से कोई कटौती नहीं की जाएगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। बिराजो, बिराजो। हो गया, प्लीज। हो गया, बहुत हो गया। (व्यवधान) सभी सदस्य मेरे हैं, मेरे कौन दुश्मन हैं?

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपका एक ध्यान आकर्षित किया था कि भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में जो रेवेन्यू विलेज हैं उनको बिजली तो दे रहे हैं आप भिवाड़ी से और उनका एईएन. आफिस लगा रखा है आपने टपूकड़ा, क्या इसको भिवाड़ी लगाएंगे आप? भिवाड़ी से बिजली दे रहे हैं और उनका एईएन. आफिस है टपूकड़ा।

डा. चन्द्रभान : इस पर विचार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : हम लोग तीन तारीख में प्रवेश कर चुके हैं और संयोग से, सौभाग्य से 3 तारीख माननीय मुख्य मंत्रीजी का जन्म दिन है। हमारे सबकी ओर से आपको बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आप राजस्थान का नेतृत्व कुशलता से करें।

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान के विकास में तरक्की करें आने वाले साल में, यह हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं आपके प्रति।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। राष्ट्रगान के लिए कृपा कर खड़े जो जाएं।

राष्ट्रगान

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे जय हे जय हे
जय जय जय जय हे।

(तदनन्तर सदन की बैठक 0.14 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-719 का विवरण)

(परिशिष्ट-क)

कोटा जिले के व्याख्यताओं के स्वीकृत पद/रिक्त पदों की संकलित सूचना

क्र.सं.	विषय	स्वीकृत पद		रिक्त पद	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1	2	3	4	5	6
1.	अंग्रेजी	53	28	07	03
2.	गणित	15	02	–	–
3.	रसायन	19	06	–	–
4.	भौतिक	19	05	–	–
5.	जीव-विज्ञान	11	04	–	–
6.	हिन्दी	59	33	12	06
7.	संस्कृत	16	06	04	–
8.	अर्थशास्त्र	11	04	–	–
9.	राज. शास्त्र	29	21	08	07
10.	संगीत	–	03	–	01
11.	इतिहास	15	06	07	01
12.	चित्रकला	05	03	01	–
13.	वाणिज्य	26	06	02	01
14.	उर्दू	04	02	01	01
15.	भूगोल	09	–	03	–
16.	कृषि	03	–	–	–
17.	सिन्धी	–	02	–	–
18.	गृह विज्ञान	–	17	–	06
19.	समाजशास्त्र	–	01	–	01
	योग :	294	149	45	27

परिशिष्ट-ख

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	हिन्दी		अंग्रेजी		ना. शास्त्र		इतिहास		उर्दू		समाजशास्त्र		संगीत		गृह विज्ञान		वाणिज्य		योग
		रिक्त	ति.	रिक्त	ति.	रिक्त	ति.	रिक्त	ति.	रिक्त	ति.	रिक्त	ति.	रिक्त	ति.	रिक्त	ति.	रिक्त	ति.	
1.	इटावा	01	4/99	–	–	01	4/99	01	4/99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	03
2.	चेखट	01	1/2 के	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01	2/99	–	–	02
3.	सांगोद	01	7/99	01	10/99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	02
4.	कैथून	–	–	–	–	–	–	–	–	01	4/99	–	–	–	–	–	–	–	–	01
5.	रामगंज मंडी	01	7/99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01	4/99	02
6.	सुल्तानपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01	7/96	–	–	–	–	–	–	01
		04		01		01		01		01		01		–	–	01	–	01		11

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-720 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

विद्युत मंडल द्वारा ख़रीदे गये स्टैटिक (इलैक्ट्रोनिक) मीटरों का विवरण निम्नानुसार है

मीटर का प्रकार	फर्म का नाम	निविदा संख्या	वर्ष	आर्डर दिया संख्या में	मीटर सप्लाई संख्या में
1	2	3	4	5	6
सिंगल फेज	वि.एचई.एल.	1514	1995	2,00,000	1,84,132
"	जे.एमई.एल.	1514	1995	30,000	7,100
"	जीनस ओवरसीज	1605	1997	1,50,000	1,50,000
"	एच.पी.एल.	1605	1997	5,000	5,000
"	नैमटेक इलेक्ट्रानिक	1605	1997	20,000	20,000
"	सेमीकंडक्टर	1605	1998	5,000	5,000
"	रील	1605	1998	20,000	20,000
"	सन इलैक्ट्रो	1605	1999	5,000	–
"	कान्टीमीटर	1605	1999	5,000	–
"	इंडिया मीटर	1605	1998	5,000	–
"	जीनस	1650	1999	50,000	31,500
"	एच.पी.एल.	1650	1999	40,000	1,000
"	नैमटेक	1650	1999	10,000	–
"	एलीमर	1650	1999	20,000	–
				5,65,000	**4,23,732**

1	2	3	4		5	6
थ्री	फेज	जे.एम.ई.एल.	1516	1996	10,000	1,950
	"	इंडिया मीटर	1516	1996	100	–
	"	जीनस ओवरसीज	1560	1997	16,000	16,000
	"	रील	1560	1997	5,000	5,000
	"	बी.एच.ई.एल.	1560	1997	2,000	2,000
	"	एच.पी.एल.	1613	1998	1,000	1,000
	"	एच.पी.एल.	1613 (अति)	1998	15,000	10,500
	"	जी.सी.ई.एल.	1613	1998	1,000	–
	"	इनोवेटिव	1613	1998	1,000	–
	"	कान्टीमीटर	1613	1998	1,000	–
					52,100	36,450

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जिला पाली में क्षय रोग से मृत्यु

723. **श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :** क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्षय चिकित्सालय पाली में क्षय रोग के कितने मरीज कितने समय से पंजीकृत हैं? सूची मय अवधि के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से गत दो वर्षों में कितने मरीज क्षय रोग से मुक्त हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत दो वर्षों में समुचित चिकित्सा सुविधा ना मिलने से कितने मरीजों की मृत्यु हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) क्षय चिकित्सालय, पाली में पिछले दो वर्ष में निम्नानुसार क्षय रोगी पंजीकृत किये गये हैं :—

वर्ष	धनात्मक क्षय रोगी (बलगम)	ऋणात्मक योग क्षयरोगी (एक्सरे)	
1998-99	595	1662	2257
1999-2000	347	2146	2493

(2) उक्त दो वर्ष में पंजीकृत क्षय रोग से मुक्त हुए रोगियों का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	क्षय रोगी की संख्या	रोग मुक्त हुये व्यक्ति की संख्या
1998-99	2257	283
1999-2000	2493	384

(3) क्षय निवारण केन्द्र, पाली में गत दो वर्षों में समुचित चिकित्सा न मिलने से किसी क्षय रोगी की मृत्यु नहीं हुई।

जिला जैसलमेर में पेयजल हेतु सर्वे

724. **श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) :** क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में भू-जल सर्वेक्षण में बहुत बड़े भू-भाग के अन्दर मीठे पानी की नदी के संकेत मिले हैं?

(2) क्या उक्त श्रोत की विभाग द्वारा पुष्टि की गई है?

(3) क्या यह सही है कि भू-जल के सही प्रमाणिक ज्ञान न होने से पेयजल योजनाएं प्रभावित होती हैं?

(4) क्या भू-जल विभाग प्रमाणिक क्षेत्र घोषित करने की योजना बना रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में सीमावर्ती भाग के कुछ क्षेत्र में पुरा जल प्रवाह के संकेत मिले हैं जिसमें पीने योग्य मीठे जल के मिलने की सम्भावना है।

(2) पुरा जल प्रवाह क्षेत्र की खोज का परीक्षण कार्य अभी जारी है।

(3) जी, नहीं। भू-जल का सही प्रमाणिक ज्ञान उपलब्ध है, एवं तदनुसार ही पेयजल योजना तैयार की जाती है।

(4) भू जल विभाग द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण करने के उपरान्त प्रमाणिक (पोटेशियल जोन) क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं।

जिला बारां के महिला एवं बाल विकास अभिकरण में उपक्रमों की खरीद में अनियमितताएं

725. **श्री जगन्नाथ** (मनोहर थाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) महिला एवं बाल विकास अभिकरण बारां द्वारा वर्ष 1999 में इलेक्ट्रानिक के क्या कोई उपकरण खरीदे गये हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि के?

(2) क्या उक्त उपकरणों को खरीदने हेतु क्रय समिति ने प्रस्ताव/सहमति दी थी? यदि हां, तो प्रस्ताव/सहमति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें? उक्त समिति की बैठकों में कौन-कौन सदस्य मौजूद थे?

(3) क्या उक्त उपकरण खरीदने हेतु निविदायें आमंत्रित की गई थी? यदि हां, तो कब? उक्त निविदाओं में किस-किस सामान/उपकरण की क्या-क्या दरें थीं?

(4) उक्त निविदाओं में किन-किन ने भाग लिया? सूची मय नाम सदन की मेज पर रखें?

(5) उक्त उपकरणों का महिला अभिकरण में क्या उपयोग है तथा वर्तमान में इनको कौन काम में ले रहा है?

(6) क्या उक्त खरीद में सरकारी नियमों का पूर्णतया पालन किया गया है? यदि हां, तो खरीदने हेतु क्या नियम हैं? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी हैं तथा उसे क्या सजा दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला महिला विकास अभिकरण, बारां द्वारा दिनांक 3-5-99 को एक यू.पी.एस. का क्रय रुपये 29,254/- में किया गया।

(2) जी, हां। उक्त यू.पी.एस. उपकरण खरीदने हेतु क्रय समिति ने सिफारिश की थी। जिसकी प्रति संलग्न है। उक्त क्रय समिति में कोषाधिकारी, जिला रसद अधिकारी

(महिला एवं बाल विकास मंत्री) व जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी मौजूद थे।

(3) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अन्तर्गत यू.पी.एस. का मूल्य रुपये 30,000/- से कम होने के कारण सीमित निविदायें आमंत्रित की गई। उक्त निविदा में दी गई दरों का विवरण परिशिष्ट-"अ" में वर्णित है।

(5) उक्त यू.पी.एस. अध्यक्ष जिला महिला विकास अभिकरण, बारां के कार्यालय उपयोग हेतु क्रय किये गये तथा वर्तमान में उक्त यू.पी.एस. का उपयोग अध्यक्ष, जिला महिला विकास अभिकरण के कार्यालय में हो रहा है।

(6) जी, हां। उक्त खरीद में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का पूर्ण पालन किया गया है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत रुपये 30,000/- से कम का क्रय सीमित निविदाओं के माध्यम से किया जाता है। जिसकी पालना की गई है।

तुलनात्मक विवरण UPS क्रय

परिशिष्ट-"अ"

S.No. Make	Unique Computer 140FA	d.spsys Kota	Kay Kay Sott Kola	Computer Adia Jaipur Jipur	Anukampa Computer Jaipur	KLA Electric Delhi
Elnova 500 VA 30 min. pack up	12000/-	11650/-	7250/- 15 min pack			
Elnova 1000VA 30 min back up	Ele. 18000/-	18250/-	11250/- 30 min.			
500 VA UPS 15MIN SMF				UNLINE 5000/- OFFLONIC		
625 VA 15				UNILINE 6000/- OFFLINE		
1250 VA 30mn back up			17500/-			
TATA lebrt 700VA Smf. 150900/-				28000/- RST 6.72%	32500/- Rst 6.77%	31000/- UNLINE CST 4%

क्रय समिति की राय में TATA Leb. भी 700VA SMB को क्रय किया जानां उचित है यह आवश्यकता के अनुसार है तथा तकनीकी दृष्टि से उत्तम है।

जिला बारां की छबड़ा/छीपाबड़ौद पंचायत समितियों में स्वीकृत कार्य

726. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला बारां की पंचायत समिति छबड़ा एवं छीपाबड़ौद में कौन-कौन से निर्माण कार्यों को कब-कब स्वीकृत किया गया?

(2) क्या स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) जिला बारां की पंचायत समिति छबड़ा एवं छीपाबड़ौद में गत विभिन्न वर्षों में स्वीकृत निर्माण कार्य जो वर्ष 1999-2000 बजट में थे उनका विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) जिला बारां की उक्त पंचायत समितियों में कुल स्वीकृत 51 निर्माण कार्यों में से 8 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिनका विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

प्रपत्र-"अ"

क्र.सं.	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (राशि लाखों में)	योजना का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
पंचायत समिति छबड़ा सड़क कार्य (योजना मद)					
1.	1999	कोटा धरनावदा सड़क कि.मी. 124/0 से 126/0 में स्ट्रेंथिंग का कार्य	8.00	5054/एसएमएण्डआर	वित्तीय सीमितता के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।
2.	1999	छबड़ा कुम्भराज सड़क कि.मी. 8/0 से 10/0 में स्ट्रेंथिंग का कार्य	8.00	–"–	–"–
3.	1997	सम्पर्क सड़क मदना खेड़ी का निर्माण कार्य	24.15	5054/नाबार्ड	कार्य पूर्ण (अक्टूबर, 99)।
4.	1997	सम्पर्क सड़क तीतरखेड़ी का निर्माण कार्य	21.43		कार्य प्रगति पर। 900 मीटर डामर का कार्य, 2.10 कि.मी. डब्ल्यू. बी. एम. का कार्य मय पुलिया पूर्ण।
5.	1997	सम्पर्क सड़क कडैयाबन से कोटरी का निर्माण कार्य	26.12	–"–	2.60 किमी. डब्ल्यूबीएम कार्य मय पुलिया पूर्ण।
6.	1998	पार्वत नदी पर छबड़ा धरनावदा सड़क पर पुल का निर्माण कार्य	353.00	–"–	कार्य प्रगति पर।

1	2	3	4	5	6
7.	1998	छबड़ा कुम्भराज सड़क पर हिंगलोट नदी की काजवे की अप्रोचेज का निर्माण कार्य। सड़क कार्य (डिपोजिट मद)	4.00	5054/बीएमएसपी	कार्य प्रगति पर।
8.	1997	सम्पर्क सड़क दीलोद पर ग्रेवल सड़क का निर्माण	6.00	सु.रो.यो.	3 किमी. मिट्टी का कार्य एवं 2 किमी. ग्रेवल सड़क पूर्ण।
9.	1997	सम्पर्क सड़क भूलोन रूपारेल पर रपट निर्माण कार्य।	1.00	निर्बन्ध योजना	कार्य पूर्ण (दि. 31.12.99)
10.	1997	सम्पर्क सड़क बराई पर पुलिया मय ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य।	3.00		एक पुलिया कार्य एवं 142 मीटर खरंजा पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर।
11.	1997	निपालिया से धाटाखेड़ी ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य।	7.00	32 जिला 32 काम	3.50 किमी. मिट्टी कार्य व 2.50 किमी. ग्रेवल कलेक्शन पूर्ण।
12.	1998	सोनी ग्राम को अटरू से जोड़ने के लिये नाले पर रपट निर्माण कार्य।	5.0	सांसद क्षेत्रीय विकास योजना	जगह निश्चित नहीं होने से कार्य प्रारम्भ नहीं।
13.	2000	पुलिया निर्माण कार्य नबाबपुरा।	2.00	सांसद क्षेत्रीय विकास योजना	निविदाएं प्राप्त कर ली गई हैं।

1	2	3	4	5	6
14.	2000	कडियानोहर से कुंडी ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य।	2.00	सांसद क्षेत्रीय विकाय योजना	कार्य आदेश जारी।
15.	1999	कडियानोहर से गगचाना लिंक रोड पर ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य।	2.00	विधायक क्षेत्रीय विकास	पुलिया कार्य प्रगति पर।
16.	2000	कडियानोहर से कुंडी ग्रेवल सड़क मय पुलियाओं का निर्माण कार्य।	1.00	–"–	–"–
17.	1999	बमोरीघाटा से उदपुरिया सड़क पर ग्रेवल एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	2.00	योजना –"–	125 मीटर खरंजा पूर्ण। कार्य प्रगति पर।
18.	1996	भुवाखेड़ी से कोटरापार मेटल सड़क का निर्माण कार्य।	16.00	डांग योजना	3 किमी. डब्ल्यूबीएम एक लेयर पूर्ण एवं पुलिया कार्य प्रगति पर।
19.	1996	झरखेड़ी से मण्डखों मेटल सड़क का निर्माण कार्य। भवन कार्य (योजना मद)	15.00	–"–	3.50 किमी. ग्रेवल एवं 5 पुलिया पूर्ण। कार्य प्रगति पर।
20.	1997	छबड़ा में उपजिला कलेक्टर भवन का निर्माण कार्य।	7.00	4059-भू-राजस्व	कार्य पूर्ण (15.12.99)
21.	1995	छबड़ा उपजेल भवन में अतिरिक्त बैरक का निर्माण कार्य।	1.50	4059-जेल प्रशसन	कार्य आदेश जारी, वित्तीय सीमितता से कार्य प्रारंभ नहीं।
22.	1997	भवन में बैरक का निर्माण कार्य।	5.00	–"–	–"–
23.	1994	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैपला में आपरेशन थियेटर एवं आबजर्वेशन वार्ड	3.0	4211-परिवार कल्याण	भवन में फनिशिंग एवं बिजली कार्य का निर्माण कार्य।

1	2	3	4	5	6
24.	1995	प्रा. स्वा. केन्द्र भवन कोटड़ी का निर्माण कार्य।	20.00	4210-पीएचसी	प्रा. स्वा. केंन्द्र भवन कार्य पूर्ण, डाक्टर व नर्स आवासीय क्वार्टर अपूर्ण।
25.	1995	छबड़ा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण कार्य।	65.00	4250-रोजगार	कार्य पूर्ण (18.8.99)
भवन कार्य (डिपोजिट मद)					
26.	1996	कडियानोहर में स्कूल भवन में तीन कक्षा-कक्ष का निर्माण कार्य।	4.00	डांग योजना	दो कक्षा कक्ष का कार्य पूर्ण एवं शेष कार्य प्रगति पर।
27.	1997	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन फलिया का निर्माण कार्य।	3.00	सबसेन्टर (डिपोजिट)	लिंटल लेबल तक कार्य पूर्ण।
28.	1998	छबड़ा में सात पुलिस आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	22.54	पुलिस हाउसिंग (डिपोजिट)	5 आवासीय भवन में फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर। दो आवासीय भवन छत लेवल तक पूर्ण।
29.	1998	बाघचा में तीन पुलिस आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	10.57	—"—	एक अवासीय भवन लिंटल लेबल एवं दो आवासीय

1	2	3	4	5	6
30.	1999	बापचा में पुलिस थाना भवन का निर्माण कार्य।	38.99	पुलिस हाउसिंग	नींव खुदाई कार्य प्रगति पर।
31.	2000	बापचा में दो पुलिस आवासीय भवन का निर्माण कार्य।	5.98	(डिपोजिट) –"–	निविदा स्वीकृत।
32.	2000	छबड़ा में सी.ओ. क्वार्टर का निर्माण कार्य।	5.50	–"–	–"–
		कुल :	698.78		

पंचायत समिति छीपाबड़ौद सड़क कार्य (योजना मद)

1.	1999	छीपाबड़ौद हरनावदासाहजी सड़क पर कि.मी. 18/0 से 23/0 में स्ट्रेंथनिंग कार्य।	20.00	5054-एसएमएंडआर	वित्तीय सीमितता से कार्य प्रारंभ नहीं।
2.	1997	रांई से मोखमपुरा सड़क का निर्माण कार्य।	60.07	5054-नाबार्ड	कार्य पूर्ण (27.6.99)
3.	1997	रांई से खेड़ी सड़क का निर्माण कार्य।	41.13	5054-नाबार्ड	कार्य पूर्ण (27.6.99)
4.	1997	सम्पर्क सड़क झनझनी का निर्माण कार्य। सड़क कार्य (डिपोजिट मद)।	62.42	–"–	4. कि.मी. डामरीकरण पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर।
5.	1997	सम्पर्क सड़क ढोलम से समेलहनुमानजी ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य।	2.00	सु.रो.सो.	ग्रेवल कलेक्शन प्रगति पर।
6.	1998	छीपाबड़ौद में सालपुरा नाके पर सड़क के दोनों तरफ नाली निर्माण।	1.50	सांसद क्षेत्रीय विकास योजना	कार्य पूर्ण (2/2000).

1	2	3	4	5	6
7.	1999	सम्पर्क सड़क रतनपुरा से रावां का निर्माण कार्य।	2.25	–"–	निविदा दि. 20.4.2000 प्राप्त की गई।
8.	2000	सम्पर्क सड़क अजनावर से बड़ावड़ा ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य।	2.00	–"–	मिट्टी कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर।
9.	2000	छीपाबड़ौद कस्बे में नाली निर्माण कार्य।	10.00	–"–	निविदाएं 20.4.200 को प्राप्त की गई।
10.	1999	छीपाबड़ौद से गोविन्दपुरा ग्रेवल सड़क मय पुलिया निर्माण कार्य।	2.00	विधायक क्षेत्र विकास योजना	पुलिया कार्य प्रगति पर।
11.	1999	सम्पर्क सड़क पछाड़ से कोहनी पर पाइपकलवर्ट का निर्माण कार्य।	0.60	विधायक क्षेत्र विकास योजना	निविदा 20.4.2000 को प्राप्त की गई।
12.	1999	छीपाबड़ौद में बसस्टेण्ड से ढोलमतिराहे तक नाली निर्माण।	3.50	–"–	कार्य आदेश जारी।
13.	1999	पीथपुर से मंडोला घाटी कटिंग का कार्य।	2.50	–"–	कार्य प्रगति पर।
14.	2000	छीपाबड़ौद कस्बे में सुभाष पार्क से राजमंदिर चौक तक सीमेंट कंकरीट सड़क का निर्माण कार्य।	4.00	–"–	कार्य प्रगति पर।
15.	2000	छीपाबड़ौद कस्बे में पानी की टंकी से कोलियों के घाट तक 10 फुट चौड़ा खरंजा निर्माण कार्य।	0.70	विधायक क्षेत्र विकास योजना	निविदा आमंत्रित की गई।

1	2	3	4	5	6
भवन कार्य (योजना मद)					
16.	1998	छीपाबड़ौद तहसील भवन में रिकार्ड रूम का निर्माण कार्य। भवन कार्य (डिपोजिट मद)।	3.50	4059-भू-राजस्व	कार्य छत लेवल तक पूर्ण।
17.	1996	पुलिस चौकी भवन बिलेण्डी का निर्माण कार्य।	5.00	डांग योजना	कार्य पूर्ण (दि. 20.8.99)
18.	1997	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन ढोलम का निर्माण कार्य।	3.00	सबसेन्टर (डिपोजिट)	कार्य प्रगति पर
19.	1997	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन अमलावदाअली का निर्माण कार्य	3.00	–"–	कार्य प्रगति पर।
			योग 229.17		
कुल योग : 32+19=51 कार्य		कुल लागत: 698.78+229.17=927.95			8 कार्य पूर्ण। 43 कार्य प्रगति पर।

जयपुर जिले की प्रारम्भिक शिक्षा के तहत स्वीकृत रिक्त पद

727. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में प्रारम्भिक शिक्षा के तहत कितने उच्च प्राथमिक शालाएं संचालित हैं? सूची स्थान व नाम दर्शाते हुये सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कितने-कितने पद किस-किस वर्ग के स्वीकृत है? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने-कितने अध्यापक किस-किस विद्यालय में पदस्थापित हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त रिक्त पदों को कब तक किस प्रकार भर दिया जायेगा?

(5) क्या यह सही है कि कई विद्यालयों में अभी भी स्वीकृत पदों से ज्यादा अध्यापक पदस्थापन के इन्तजार में हैं? यदि हां, तो कहां-कहां और कितने अध्यापक? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में प्रारंभिक शिक्षा के तहत 680 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। स्थान व नाम सहित विवरण की सूची परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) उक्त विद्यालयों में द्वितीय श्रेणी के 644 एवं तृतीय श्रेणी के 4881 अध्यापक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 266 पद स्वीकृत है। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

(3) उक्त विद्यालयों में द्वितीय वेतन श्रृंखला के 541 एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के 4500 अध्यापक तथा 266 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं। द्वितीय वेतन श्रृंखला के 123 एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के 381 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। विवरण परिशिष्ट 'क' में अंकित कर दिया गया है।

(4) नई नियुक्तियों पर से प्रतिबंध हटने तथा विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया से अध्यापक उपलब्ध होने पर रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जायेगी।

(5) जी, हां। जयपुर जिले के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापक माननीय न्यायालय के निर्देशों के कारण अधिशेष हैं। अधिशेष अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की विद्युत लाइनों की मरम्मत

728. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में वर्ष 1980 से मार्च, 2000 तक एल.टी.लाइन, ग्यारह के.वी.लाइन, तैंतीस के.वी. लाइन का मेन्टीनेंस किया गया है? यदि हां, तो कब-कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त लाइनों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या उक्त क्षेत्र में 220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उसका कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में सभी वितरण लाइनों का साधारणतया प्रत्येक वर्ष, वर्षा ऋतु से पहले व बाद में आवश्यकतानुसार उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप मेंटीनेंस किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष क्रैश मेन्टीनेंस अभियान के रूप में भी लाइनों को चिन्हित करके उनकी खराबी/दोष दूर किये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	खराब/दोष का विवरण सं.	चिह्नित किये गये दोषों की	ठीक किये गये दोषों की संख्या	शेष रहे कार्यों की संख्या
1.	जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर जिनको डी.पी. पर ऊपर रखना था	51	26	25
2.	ढीले तार वाले स्थानों की संख्या	428	381	47
3.	रोड क्रासिंग पर गार्डिंग की गई व स्थान छोटे किये गये	198	61	137

(ऊर्जा मंत्री)

(2) क्रैश मेन्टीनेंस में शेष रहे कार्यों को उपलब्ध संसाधनों के अनुसार पूरा करने के प्रयास किये जा रहे रहें।

(3) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत नहीं है।

राज्य में अल्प संख्यकों को कल्याण वित्त निगम द्वारा ऋण

729. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांग/अल्पसंख्यक/ सफाई कर्मचारी कल्याण वित्त निगम के द्वारा जुलाई 1999 से फरवरी, 2000 तक कितने लोगों को ऋण किस-किस कार्य हेतु उपलब्ध कराया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में जिलेवार किस-किस वर्ग के कितने-कितने आवेदन लम्बित हैं? अब लम्बित आवेदनों पर कब तक ऋण दे दिया जायेगा?

(3) अब तक ऋण नहीं देने के क्या कारण रहे?

(4) उक्त कल्याण विकास वित्त निगम का प्रशासनिक खर्च कितने प्रतिशत है तथा निगम में इस वर्ष कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय हुई?

उत्तर

(1) राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांग/अल्पसंख्यक/सफाई कर्मचारी के व्यक्तियों हेतु राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा जुलाई, 1999 से फरवरी, 2000 तक विभिन्न वर्गों के कुल 265 लाभार्थियों को जिन व्यवसायों हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है उसकी सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) विभिन्न जिलों में वर्गवार लम्बित आवेदन पत्रों की सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। लम्बित आवेदन पत्रों पर राष्ट्रीय निगमों से राशि प्राप्त होने पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(3) राष्ट्रीय निगमों से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण ऋण नहीं दिया जा सका है।

(4) निगम का प्रशासनिक व्यय विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि का 1.8 प्रतिशत निर्धारित है। निगम मुख्यालय तथा जिला कार्यालयों पर फरवरी, 2000 तक निम्न मदों में निम्नानुसार व्यय हुआ :—

मद	व्यय राशि (लाखों में)
1	2
1. संवेतन	153.86
2. पेंशन/भविष्य निधि	10.79
3. यात्रा व्यय	5.26

(समाज कल्याण मंत्री)

1	2
4. चिकित्सा व्यय	3.33
5. डाकतार	7.81
6. वर्दी व्यय	0.19
7. पत्र/पत्रिकाएं	0.06
8. मुद्रण/लेखन सामग्री	1.44
9. प्रचार/प्रसार	0.89
10. वाहन संधारण/ किराया	9.54
11. भवन रखरखाव	3.00
12. कम्प्यूटर/वाटरकूलर	3.53
13. विविध व्यय	90.06
14. खेलकूद सामग्री	0.02
15. कार्या. किराया	0.50
योग	209.28

केन्द्र सरकार से इस वर्ष 1821.48 लाख की राशि प्राप्त हुई है। अतः खर्चा 11.49 प्रतिशत होता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर स्थित कुष्ठ रोग चिकित्सालय में अव्यवस्था

730. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आगरा रोड पुराना घाट जयपुर में स्थित कुष्ठ रोग चिकित्सालय की स्थापना कब की गई? क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में दिनांक 12 जनवरी, 2000 से मरीजों की भर्ती बन्द कर रखी है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इस चिकित्सालय को बन्द करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में मरीजों की भर्ती बन्द करने के कारण सिर्फ मरीजों को आउटडोर में ही देखा जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि जो मरीज गंभीर स्थिति में हो या उसके कोई अंग बदलना हो तो उसे सवाई मानसिंह चिकित्सालय भेजा जाता है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त कारणों को पूरा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में उक्त चिकित्सालय में कितने मरीज प्रतिदिन आते हैं एवं कितने मरीज वर्तमान में भर्ती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि अब उक्त चिकित्सालय में न तो मरीजों को चिकित्सालय से खाना दिया जा रहा है और ना ही इनके दवाई एवं पट्टियां दी जा रही है बल्कि पट्टीयां बंधवाने के लिये सामने स्थित गांधी

(श्री रामस्वरूप)

आश्रम में मरीजों को भेजा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इस सन्दर्भ में पूर्ण व्यवस्था पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय में दूर-दराज, देश एवं विदेश के लोग भी यहां पर आते हैं? यदि हां, तो कितने-कितने?

(7) क्या सरकार ने उक्त चिकित्सालय को बन्द करने के आदेश प्रसारित किये हैं? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार उक्त चिकित्सालय को अब आगे चालू रखने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) आगरा रोड, पुराना घाट, जयपुर में स्थित कुष्ठ रोग चिकित्सालय, राज. राज्य के गठन से पूर्व से ही कार्यरत है। जी नहीं, उक्त चिकित्सालय में दिनांक 12 जनवरी, 2000 से मरीजों की भर्ती बन्द नहीं कर रखी है, लेकिन कुष्ठ रोग से पीड़ित अथवा उक्त बिमारी का गंभीर अवस्था का कोई मरीज आऊट डोर में नहीं आया जिसे भर्ती किया जाता। चिकित्सालय को बन्द करने का कोई विचार नहीं है।

(2) जी, नहीं। उक्त चिकित्सालय में कुष्ठ रोग के ईलाज के लिये मरीजों की भर्ती बन्द नहीं की गई हैं।

(3) जी, हां। गंभीर अवस्था में कुष्ठ रोगियों अथवा कुष्ठ रोग के अलावा अन्य रोगों के ईलाज हेतु विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से सवाई मानसिंह चिकित्सालय में 20 शैय्याओं का कुष्ठ रोगियों के लिये अलग से वार्ड स्थापित हैं।

(4) वर्तमान में उक्त चिकित्सालय में कुष्ठ रोग के ईलाज के लिये औसतन 3 नये कुष्ठ रोगी प्रति माह जांच एवं उपचार हेतु आ रहे हैं, जो चिकित्सालय से निःशुल्क दवाएं प्राप्त कर अपने घर पर ही उपचार लेते हैं इसके अलावा चिकित्सालय में औसतन 40 मरीज प्रतिदिन अपने हाथ, पैरों की घावों की ड्रैसिंग करवाने व सामान्य बीमारियों के उपचार हेतु आ रहे हैं, इन 40 मरीजों में कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तियों के अलावा आसपास की बस्तियों में रहने वाले सामान्य बीमारियों के व्यक्ति भी शामिल हैं। 12 जनवरी, 2000 के बाद के रोगियों की सूची :—

माह का नाम	आउटडोर में आने वाले रोगी सामान्य रोगी मय कुष्ठ मुक्त ड्रेसिंग करवाने वाले रोगी	नये कुष्ठ रोगी
1	2	3
12 जनवरी से		

1	2	3
31 जनवरी	528	1 पीवी
फरवरी, 2000	956	2 एमवी
		2 पीवी
मार्च, 2000 से अप्रेल, 18 तक	969	6 एमवी

वर्तमान में इस चिकित्सालय में कोई भी कुष्ठ रोगी भर्ती नहीं है।

(5) जी, नहीं। उक्त चिकित्सलय में कोई भी कुष्ठ रोगी भर्ती नहीं है आस-पास के आश्रमों में कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुके व्यक्तियों के छालों व घाव आदि की नियमित ड्रेसिंग का कार्य चिकित्सालय में नियमित रूप से किया जा रहा है एवं दवाइयाँ भी चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। किसी भी रोगी को ड्रेसिंग व दवाइयों हेतु अन्यत्र नहीं भेजा जा रहा है। भर्ती मरीजों को खाना दिया जाता है।

(6) जी, नहीं। विदेश के रोगी नहीं आते हैं, लेकिन देश के दूर-दराज के प्रदेशों से कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति यहां पर घाव व छालों के ईलाज के लिये आते हैं और वापस अपने प्रदेशों में चले जाते हैं।

(7) जी, नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रतनगढ़-हनुमानगढ़ राज मार्ग का स्टेट हाइवे रोड प्रोजेक्ट की स्वीकृति

731. **डा. रामप्रताप (हनुमानगढ़)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रतनगढ़-हनुमानगढ़ राजमार्ग की दयनीय स्थिति को देखते हुए इसे स्टेट हाइवे रोड प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था और फिर निरस्त कर दिया गया? यदि हां, तो कब स्वीकृत किया गया और कब निरस्त कर दिया? तारीखवार एवं माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त राजमार्ग को अब पुनः स्टेट हाइवे रोड प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है यदि हां, तो पूर्व में स्वीकृत इस कार्य को निरस्त करने के क्या कारण थे और पूर्व में निरस्त करने के कारण थे तथा अब पुनः स्वीकृत करने के क्या कारण हैं? उक्त कार्य को शुरू करने का राज्य सरकार का कब तक विचार है?

उत्तर

(1) रतनगढ़-हनुमानगढ़ राजमार्ग संख्या-7 कि.मी. 0/0 से कि.मी. 189/0 तक को प्रस्तावित राजस्थान स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इस सड़क को निरस्त नहीं किया गया है।

(2) प्रस्तावित परियोजना से उक्त सड़क को अभी निरस्त ही नहीं किया गया है।

प्रश्न संख्या-732

(स्थगित)

जिला उद्योग केन्द्र जयपुर में कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध जांच

733. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जिला उद्योग केन्द्र जयपुर में पूर्व से कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है? यदि हां, तो क्या-क्या किन-किन के विरुद्ध कब-कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कभी कोई जांच भी हुई? यदि हां, तो कब तथा किन-किन के विरुद्ध? जो रिपोर्टों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यवाही कब तक पूर्ण होगी?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व से कार्यरत/वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार है : — पूर्व से कार्यरत वर्तमान अधिकारी श्री एस. के. गुप्ता, संयुक्त निदेशक, श्री के. सी. खण्डेलवाल जिला उद्योग अधिकारी एवं श्री जी. पी. गुप्ता, उद्योग प्रसार अधिकारी के द्वारा जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (शहर) में भ्रष्टाचार फैलाने के बाबत शिकायत वर्ष 1999 में प्राप्त हुई थी। तीनों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की प्रारम्भिक जांच करने हेतु जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है।

(2) जी हां। उक्त अधिकारियों के विरुद्ध जांच कार्यवाही की जा रही है।

(3) जांच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर वांछित निर्णय लिया जाएगा।

(शिकायत व जांच प्रतिवेदन की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आवासीय विद्यालय

734. **श्री प्रभूलाल करसोल्या** (नैनवां) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय खोलने का विचार भी किया है? यदि हां, तो कहां-कहां? क्या इस संबंध में अभी तक तय नहीं किया है? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार ने आवासीय विद्यालय हेतु कहां-कहां जमीन आवंटित की हैं तथा किस-किस आवासीय विद्यालय के लिए कितना-कितना बजट प्रावधान है? बजट प्रावधान की प्रति सदन की मेज पर रखे।

(श्री प्रभूलाल करसोल्या)

(2) सरकार द्वारा उक्त संबंध में अब तक अपेक्षित कार्यवाही क्या-क्या की गई?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा सभी संभाग मुख्यालयों पर आवासीय विद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को राशि स्वीकृति हेतु भिजवायें गये थे। भारत सरकार से प्राप्त प्रत्युत्तर अनुसार उक्त योजना चूंकि अभी तक केन्द्रीय स्तर पर अनुमोदित नहीं हुई है, अतः राशि स्वीकृति किया जाना संभव नहीं है का उल्लेख किया। तदनुसार आवासीय विद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि का आवंटन अभी तक कहीं पर भी नहीं किया गया है।

(2) राज्य सरकार द्वारा पुनः भारत सरकार को उक्त योजना के शीघ्र अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु आग्रह किया गया है।

राज्य में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य योजनान्तर्गत चयनित जिले

735. **श्री घासीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत अब तक कितने जिलों का चयन किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि इसमें बूंदी जिले को भी सम्मिलित किया गया है? यदि हां, तो बूंदी जिले में इस हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? उक्त योजना के अन्तर्गत जिले में कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है?

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र केशोरायपाटन की किन-किन संस्थाओं को कितनी-कितमी राशि आवंटित की गई है? उक्त संस्थाओं द्वारा क्या-क्या कार्य इस योजना के तहत किये गये हैं?

उत्तर

(1) प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य परियोजना वर्तमान में राज्य के सभी 32 जिलों में क्रियान्वित है।

(2) जी, हां। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य परियोजना के अन्तर्गत बूंदी जिले को 17.70 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। बून्दी जिला, परियोजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत लिया गया है जिसके फलस्वरूप निर्धारित गतिविधियां आरम्भ की जा रही है। आवंटित राशि में से 12,000/- रुपये शीत श्रृंखला के रखरखाव मद पर अब तक व्यय किये गये हैं। योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ हेतु रैफरल ट्रांसपोर्टेशन की गतिविधि निर्धारित है, इस हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर जिले को भिजवाई जायेगी।

(3) प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य परियोजना जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सोसायटी बून्दी के माध्यम से क्रियान्वित कराई जा

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

रही है। जिले में परियोजना के अन्तर्गत किसी भी संस्था को किसी भी प्रकार की कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की अपूर्ण सड़कों का निर्माण

736. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में पंचायतों को सड़कों से जोड़ने वाली योजना में कौनसी पंचायतें ऐसी है जहां सड़क का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि हैजामाल से यहूड़ी, हैजामाल से सागवा, कालेजरा से ईटाला, कड़ाईपाल से चतराखुण्टा, डूंगरा छोटा से बावड़ी पाड़ा की सड़कें अभी तक अपूर्ण है? उक्त अपूर्ण सड़कों पर पूर्व में कितनी-कितनी राशि व्यय हो चुकी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सड़कों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कुल 59 पंचायत मुख्यालय हैं जिसमें से 38 डामर सड़क से, 9 मेटल सड़क से एवं 12 पंचायत मुख्यालय ग्रेवल सड़क से जुड़ी हुई है। मेटल एवं ग्रेवल से जुड़े हुये पंचायत मुख्यालयों की सूची परिशिट-"अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी, हां। उक्त अपूर्ण सड़कों पर पूर्व में अकाल राहत एवं सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत मेटल एवं ग्रेवल स्तर तक को सड़क कार्य करने में कुल 21.91 लाख रु. की राशि व्यय की जा चुकी है। सड़क वार व्यय का विवरण परिशिट-"ब" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जी, हां। उक्त सड़कों को पूर्ण करना उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट-"अ"

कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में डामर से नहीं जुड़े पंचायत मुख्यालयों की सूची

क्र.सं.	नाम पंचायत मुख्यालय	पंचायत समिति का नाम	सड़क से जुड़े होने की स्थिति दिनांक 31.3.2000 (कि.मी. में)			विशेष विवरण
			मेटल	ग्रेवल	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1.	चरकनी	कुशलगढ़	3	–	3	कृषि उपज मंडी में स्वीकृत
2.	उकाला	कुशलगढ़	1	–	1	
3.	बावलीपाड़ा	सज्जनगढ़	2	–	2	
4.	गोदावाड़ा नारग	सज्जनगढ़	2	–	2	
5.	जालिमपुरा	सज्जनगढ़	7	–	7	
6.	खूंटा जीवा	सज्जनगढ़	1	–	1	एम. एन. पी. (टीएडी) में स्वीकृत (3.50 लाख)
7.	महुड़ी	सज्जनगढ़	8	–	8	
8.	मुनियाखुंटा	सज्जनगढ़	4	–	4	कृ.उ.मं. में स्वीकृत
9.	टाण्डी बड़ी	सज्जनगढ़	1	–	1	एम.एन.पी. (टीएडी) में स्वीकृत (3.50 लाख)
10.	बिजोरीबड़ी	कुशलगढ़	–	7	7	
11.	चौखवाड़ा	कुशलगढ़	–	6	6	
12.	कलिंजरा	कुशलगढ़	–	3	3	
13.	कुशलापुरा	कुशलगढ़	–	2	2	
14.	महुड़ा	कुशलगढ़	–	3	3	

1	2	3	4	5	6	7
15.	मुंदडी	कुशलगढ़	–	2	2	
16.	सब्बलपुरा	कुशलगढ़	–	7	7	
17.	सारन	कुशलगढ़	–	3	3	
18.	खुंटा चतरा	सज्जनगढ़	–	5	5	
19.	मछारा साथ	सज्जनगढ़	–	2	2	
20.	पाली बड़ी	सज्जनगढ़	–	2	2	
21.	सागवा	सज्जनगढ़	–	3	3	

पंचायत मुख्यालय मेटल से जुड़े 9

पंचायत मुख्यालय ग्रेवल से जुड़े 12

योग 21

परिशिष्ट-"ब"

क्र.सं.	अपूर्ण सड़क का नाम	स्वीकृति का संदर्भ	प्रशासनिक स्वीकृति राशि (लाखों में)	कार्य पर व्यय राशि (लाखों में)	व्यय का वर्ष	व्ययमद	विशेष विवरण (वर्तमान स्थिति एवं अनुमानित लागत)
1.	हैजामाल महुड़ी सड़क (वीआर-235)	कलेक्टर, बांसवाड़ा के प्रपत्र क्रं. 3900 3960 दि. 6.12.95	5.00	0.39	1996-97	अकालराहत	8 किमी. (एमआर) (40.00 लाख)
		8096/24.9.94	5.00	4.75	1995-96	सु.रो.यो.	
		258-64/8.1.96	4.61	4.53	1996-97	सु.रो.यो.	
		8096/24.9.94	–	0.25	1997-98	सु.रो.यो.	
2.	हैजामाल से सागवा	258-64/8.1.94	4.61	3.31	1996-97	सु.रो.यो.	जी.आर. 3 किमी. (22.50 लाख)
3.	कलिंजरा से इटाला	3900/6.12.95	5.00	0.39	1995-96	अकाल राहत	जी.आर.
			–	2.79	1996-97	सु.रो.यो.	5 किमी. (37.50 लाख)
4.	कढ़ाईमाल से चन्नाखुंटा	6979/7.10.95	3.50	2.58	1995-96	सु.रो.यो.	जी.आर.
				0.92	1996-97	सु.रो.यो.	4 किमी. (30.00 लाख)
5.	डूंगरा छोटा से बावली पाडा (बावली पाडा) (वी.आर. 267)	6979/7.10.95	1.00	1.00	1996-97	सु.रो.यो.	2 किमी. (एम.आर.) (10.00 लाख)
		योग	28.72	21.91			140.00 लाख

पंचायत राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों को देय मानदेय

737. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् सदस्यों को प्रतिमाह मानदेय देने का प्रावधान है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अभी भी इनको प्रतिमाह मानदेय देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी नहीं। सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु बैठक भत्ता दिया जाता है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक : एफ. 951(बी) लेखा नि.त्रा. 89/1368 जयपुर, दिनांक 14 जून, 1989

आदेश

राज्य सरकार के निर्णयानुसार समस्त सरपंचों को 200/- रु. प्रति माह की दर से मानदेय दिनांक 1.4.89 से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त समस्त पंचों को जो पंचायत की बैठक में भाग लेते हैं उन्हें बैठक भत्ता (सिटिंग फीस) 15/- रु. प्रति बैठक की दर से दिये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है। बैठक भत्ता इस आदेश के जारी होने की दिनांक से देय होगा।

उपरोक्त व्यय पंचायतों की निजी आय से वहन किया जाएगा। यह स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति आईडी. संख्या 1112 दिनांक 30.6.89 से दी जाती है।

आज्ञा से

(वी.आर. वर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव,

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक एफ 41(33)विग्र/89/3782 जयपुर, दिनांक 11.6.98

अधिसूचना

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 4(3) एल.एण्ड जे/आरडीपी/89/585 दिनांक 28.4.89, समसंख्यक क्रमांक 586 दिनांक 28.4.1989, एफ 4(9) एल.एण्ड जे/आरडीपी/89/751 दिनांक 5.5.1990, समसंख्यक क्रमांक 752 दिनांक 5.5.1990 एवं आदेश क्रमांक एफ 951 (बी) लेखा/नि.आ/89/1368 दिनांक 14.6.1989 में पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुये उक्त संस्थाओं के सदस्य को मानदेय एवं बैठक भत्ता की निम्न दरे संशोधित करती हैं :—

1. मानदेय

क्र. सं.	प.रा.स. के जनप्रतिनिधि का पद	देय मानदेय (प्रतिमाह) राशि रुपयों में
1.	जिला प्रमुख	3000/-
2.	प्रधान पंचायत समिति	2000/-
3.	सरपंच, ग्राम पंचायत	400/-

2. बैठक भत्ता

क्र. सं.	प.रा.स. के जनप्रतिनिधि का पद	प्रति बैठक देय बैठक भत्ता की दर राशि रुपयों में
1.	जिला प्रमुख	40/-
2.	सदस्य, जिला परिषद्	30/-
3.	प्रधान पंचायत समिति	30/-
4.	सदस्य, पंचायत समिति	20/-
5.	सरपंच	30/-
6.	सदस्य, ग्राम पंचायत	25/-

1. जून, 1998 में प्रभावी होंगे।

राज्यपाल के आदेश से

(एस.एल. बोथरा)

उप शासन सचिव

विधान सभा क्षेत्र नोहर के निमार्णाधीन ग्रिड सब स्टेशन

738. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर के कितने गांव अविद्युतीकृत हैं? क्या सरकार उक्त गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है?

(2) नोहर में निर्माणाधीन 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा और इससे कितने गांव लाभान्वित होंगे?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में विद्युत कटौती का कोई समाधान कर रही है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर के 65 गांव अविद्युतीकृत हैं। इनका विद्युतीकरण आवंटित लक्ष्यों व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार आगामी वर्षों में शनैः शनैः किया जा सकेगा।

(2) नोहर में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण कार्य वर्ष 2000-2001 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। इससे नोहर क्षेत्र के 237 गांव लाभान्वित होंगे।

(3) राज्य में विद्युत की उपलब्धता मांग की अपेक्षा कम होने के कारण विद्युत आपूर्ति में कटौती करनी पड़ती है। मांग के अनुसार विद्युत उपलब्ध होने पर ही विद्युत आपूर्ति में कटौती का समाधान हो सकेगा।

ग्राम पंचायत बूसी (पाली) में स्वीकृत छात्रावास निर्माण

739. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या ग्राम पंचायत बूसी (पाली) में समाज कल्याण छात्रावास भवन पूर्व से ही स्वीकृत है? क्या सरकार इस वर्ष उक्त छात्रावास का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या नगरपालिका रानी (पाली) में समाज कल्याण के छात्रावास निर्माण की स्वीकृति जारी हो गई? यदि हां, तो छात्रावास भवन का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है? उक्त कार्य में किस कारण विलम्ब हो रहा है और किन-किन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह कार्य चालू नहीं हो रहा है? क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में उक्त छात्रावास का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। बूसी छात्रावास का भवन निर्माण कार्य आवास विकास संस्थान द्वारा प्रारम्भ किया गया था, जो बंद हो गया है। राशि की उपलब्धता के आधार पर इस छात्रावास का निर्माण कार्य संभव हो पायेगा।

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) जी, हां। भवन निर्माण कार्य हेतु आवंटित भूमि देरी से सुपुर्द होने तथा निर्माण ऐजेन्सी बंद हो जाने के कारण रानी स्टेशन छात्रावास के भवन निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ है। इसमें किसी अधिकारी का दोष नहीं है। राजस्थान आवासर्न मण्डल को इस छात्रावास निर्माण हेतु 10.985 लाख रुपये 1999-2000 में दिया गया है। एवं यह राशि व्यय होने पर शेष राशि उपलब्ध करा दिया जाना संभव होगा। राजस्थान आवासन मण्डल को शीघ्र कार्य कर अवगत कराने के लिये लिखा गया है।

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

740. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला अलवर में वर्ष 1999-2000 में मेडिकल रिलीफ योजना वार्डों से कितने गरीबों को लाभान्वित किया गया तथा उक्त को कितनी राशि की दवाइयां वितरित की गई ?

(2) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में उप केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सालय रेफरल चिकित्सालय में कितने-कितने पद चिकित्सक, पैरामेडीकल स्टाफ के स्वीकृत है और उसमें कितने पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या मुण्डावर रेफरल चिकित्सालय में पूर्ण सुविधाएं नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला अलवर में वर्ष 1999-2000 में मेडिकेयर रिलीफ योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 73507 परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा हेतु मेडिकेयर रिलीफ कार्ड वितरित किए गये एवं 1874 उक्त कार्डधारी रोगियों को 28,337 रु. की दवाईयां वितरीत की गई।

(2) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के चिकित्सा संस्थानों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना मय रिक्ती तिथि के संलग्न है। कुल 14 पद चिकित्सकों के स्वीकृत है जिनमें 2 पद रिक्त है। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत 88 पद में से 2 पद रिक्त हैं। रिक्त कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) का पद विभागीय पदोन्नति समिति से अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर एवं चिकित्सा अधिकारी का पद लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा। पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों में स्वास्थ्य निरीक्षक व दाई, डाईंग केडर है जिन्हें भरा जाना संभव नहीं होगा।

(3) जी, नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुण्डावर में सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध है।

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के चिकित्सा संस्थान में स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की सूचना

पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	कब से
1	2	3	4	5
1. उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुण्डावर				
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	1	–	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	–	1	9/98 से
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
चिकित्सा अधिकारी	2	1	1	4/2000
नर्स श्रेणी प्रथम	1	1	–	
नर्स श्रेणी द्वितीय	6	6	–	
सहायक रेडियोग्राफर	1	1	–	
लेब टेक्नीशियन	2	2	–	
मलेरिया निरीक्षक	1	1	–	
ब्लाक हेल्थ सुपरवाइजर	2	2	–	
स्वास्थ्य निरीक्षक	1	–	1	1997 से (डाईंग केडर)
प्रसाविका	1	1	–	
सैक्टर सुपरवाइजर	1	1	–	
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिजवाड़ चौहान				
चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	–	
प्रसाविका	1	1	–	
लेब टेक्नीशियन	1	1	–	

1	2	3	4	5
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाट बहरोड				
चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	–	
प्रसाविका	1	1	–	
लेब टेक्नीशियन	1	1	–	
दाई	1	–	1	1989 से (डाईग केडर)
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुन्डनवाड़ा कलां				
चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	–	
प्रसाविका	1	1	–	
लेब टेक्नीशियन	1	1	–	
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिहालीकलां				
चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	–	
प्रसाविका	1	1	–	
स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	–	
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चांदपुर				
चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	–	
प्रसाविका	1	1	–	
लेब टेक्नीशियन	1	1	–	

1	2	3	4	5
एल.एच.वी.	1	1	–	
स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	–	
7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करनीकोट				
चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	–	
ए.एन.एम.	1	1	–	
लेब टेक्नीशियन	1	1	–	
8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिन्दोली				
चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	–	
ए.एन.एम.	1	1	–	
लेब टेक्नीशियन	1	1	–	
एल.एच.वी.	1	1	–	
9. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ततारपुर				
चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	–	
लेब टेक्नीशियन	1	1	–	
10. आर.एफ.डब्ल्यू.सी. ततारपुर				
चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	–	
एल.एच.वी.	1	1	–	
11. उच्चीकृत उपकेन्द्र/एडपोस्ट, मानका				
नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	–	

1	2	3	4	5
12. उच्चीकृत उपकेन्द्र/एडपोस्ट, भुनगड़ा अहीर				
नर्स श्रेणी प्रथम	1	1	–	
13. उच्चीकृत उपकेन्द्र/एडपोस्ट, खानपुर अहीर,				
नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	–	
14. उच्चीकृत उपकेन्द्र/एडपोस्ट, जसई				
नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	–	
15. उच्चीकृत उपकेन्द्र/एडपोस्ट, मातोर				
नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	–	
16. उच्चीकृत उपकेन्द्र/एडपोस्ट, सेहल				
नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	–	
1. उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसाविका पद	31	31	–	

उपकेन्द्रों के नाम	उपकेन्द्रों के नाम	उपकेन्द्रों के नाम
सामदा	बासनी	रसगन
पलावा	माजरा	नागल उदिया
दरबारपुर	सोरखकलां	बल्लूवास
अजरका	जालावास	मातोर
सोडावास	गेपीपुरा	पहेल
मैनपुर बास	जजारपुर	मानका
राजवाड़ा	मोम्मदपुर	जसई
बेरोज	शिलगांव	खानपुर अहिर
पदमाड़ा खुर्द	छापूर	रानोठ
गादुवास	पीपली	जोनाल
भुनगडा अहीर		

नीमकाथाना (सीकर) से हरियाणा सीमा तक सड़क निर्माण

741. **श्री मोहन लाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम दलपतपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर से हरियाणा सीमा की कितनी दूरी है? क्या उक्त गांव से हरियाणा सीमा तक डामर सड़क बनाने का सरकार ने कभी कोई सर्वेक्षण करवाया है? उक्त सड़क के निर्माण में कुल कितनी राशि व्यय संभावित है?

(2) क्या उक्त सड़क राजस्थान हरियाणा सीमा को जोड़ने के लिए महत्त्वपूर्ण/आवश्यक है? इसे अब तक प्रारम्भ कराने में सरकार को क्या कठिनाई है? अब सरकार उक्त सड़क निर्माण को कब तक पूर्ण करायेगी?

(3) क्या सरकार उक्त महत्त्वपूर्ण सड़क का निर्माण कराने हेतु राशि इस वर्ष में प्रदान करायेगी?

उत्तर

(1) ग्राम दलपतपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर से हरियाणा सीमा की दूरी 3 किमी. है। उक्त गांव से हरियाणा सीमा तक डामर सड़क बनाने का प्रस्ताव वर्ष 1988 में अन्तरराज्य लिंक रोड बनाने के लिये उक्त सड़क के निर्माण का तकमीना बनाया गया था। वर्तमान में इसके निर्माण में लगभग 27 लाख की लागत आयेगी।

(2) जी, हां। उक्त सड़क का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिक के आधार पर सम्भव होगा।

(3) राशि का आवंटन व कार्य की स्वीकृति उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

जिला करौली में ग्राम विकास में चयनित परिवार

742. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों की बैठक/आम सभा आयोजित किये जाने की तारीखें निश्चित हैं? यदि हां, तो किस-किस माह में कौन-कौनसी?

(2) ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम के विकास के लिये कौन-कौनसी योजनाओं के माध्यम से किस-किस विभाग द्वारा विकास किया जा रहा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1999-2000 में इंदिरा आवास योजना के द्वारा करौली जिले में किस-किस ग्राम पंचायत से ग्राम सभाओं द्वारा किन-किन व्यक्तियों को इंदिरा आवास योजना में चयनित किया है?

(4) क्या यह सही है कि जिला करौली में दिनांक 31 मार्च, 2000 तक जिन व्यक्तियों

(श्री भरोसी लाल)

को ग्राम सभा में चयनित किया उन्हीं को इंदिरा आवास आवंटित किये हैं? यदि नहीं, तो किन-किन ग्राम पंचायतों में किन-किन व्यक्तियों को आवंटित किये हैं?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा आयोजित किए जाने हेतु 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर की तिथियां निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने आगामी ग्राम सभा 1 मई के स्थान पर 15 मई को आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

(2) ग्राम के विकास के लिए निम्नानुसार योजनाएं एवं उनके सम्मुख दर्शाएं गए विभागों के माध्यम से संचालित की जा रही है :

2.1 उन्नत चूल्हा-ग्रा.पं./पं.स/पंचायत राज विभाग

2.2 ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम-ग्रा.पं/पं.स/पं.रा.विभाग

2.3 आवासीय भूखण्ड आवंटन-ग्रा.पं/पं.स/पं.रा.विभाग

2.4 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-ग्रा.पं/ग्रा.वि. विभाग

2.5 सुनिश्चित रोजगार योजना-ग्रा.पं/पं.स/सा.नि.वि/ सिंचाई विभाग/जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग/ग्रा. वि. विभाग

2.6 इंदिरा आवास योजना-ग्रा.पं/ग्रा.वि. विभाग

2.7 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-ग्रा.पं/पं.सं. बैंक/ग्रा.वि. विभाग

2.8 अपना गांव अपना काम योजना-ग्रा.पं/पं.स/ग्रा.वि. विभाग

(3) वर्ष 1999-2000 में इंदिरा आवास योजना में करौली जिले की ग्राम पंचायतों द्वारा इंदिरा आवास हेतु चयनित एवं स्वीकृत किए गए व्यक्तियों की सूची अलग-अलग ग्राम पंचायतवार परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) जी, हां। यह सही है कि जिला करौली में 31 मार्च, 2000 तक जिन व्यक्तियों को ग्राम पंचायत द्वारा इंदिरा आवास हेतु चयनित कर स्वीकृति आदेश जारी किए उनमें से ही इंदिरा आवास आवंटित किए गए हैं। जैसा कि संलग्न परिशिष्ट-1 से स्पष्ट है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम अजयसर (अजमेर) में ट्रांसफार्मर का अपूर्ण निर्माण कार्य

743. **श्री रमजान ख़ान (पुष्कर)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रमजान खां)

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 10 मई, 1996 को ग्राम अजयसर में ट्रांसफार्मर एवं खम्भों के सम्पूर्ण कार्य की स्वीकृति हुई थी ?

(2) क्या उक्त स्वीकृति के तहत दिनांक 23 मार्च, 1999 को विभाग ने निविदाएं आमंत्रित की थी ? यदि हां, तो निविदा किस ठेकेदार के नाम कितनी राशि की, कौनसी तारीख को स्वीकृत हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ठेकेदार ने स्वीकृत कार्य करना शुरू कर दिया है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

(4) अब सरकार उक्त कार्य को कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम अजयसर में सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट के तहत 2 किमी., 11 केवी. लाईन व एक 100 केवीए. ट्रांसफार्मर स्थापित करने का कार्य दिनांक 10.05.1996 को स्वीकृत किया गया था।

(2) जी, नहीं। उक्त कार्य के लिए निविदाएं दि. 28.12.1998 को आमंत्रित की गई थी। प्राप्त निविदाएं दि. 12.01.1999 को खोली गई थी जिसमें मैसर्स रामा इलेक्ट्रीकल वर्क्स, अजमेर की निविदाएं सबसे कम दर की थी। जिसकी स्वीकृति दि. 09.02.1999 को दी गई। स्वीकृति के अनुसार उक्त फर्म को दि. 23 मार्च, 1999 को कार्य आदेश दिया गया था जिसकी लागत 20,882.64 रुपये थी।

(3) जी, नहीं। कार्य शुरू करने के लिए ठेकेदार को बार-बार पत्र लिखे गये थे परन्तु फिर भी उसने कार्य शुरू नहीं किया। अतः उक्त कार्य आदेश दि. 24.04.2000 को निरस्त कर दिया गया।

(4) उक्त कार्य को इस वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधानों के तहत किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के संचालित छात्रावासों में अव्यवस्था

744. **श्री कन्हैया लाल (बस्सी)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों/छात्राओं के लिए चलाये जा रहे छात्रावासों की दयनीय स्थिति के सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(2) जिला जयपुर में कितने समाज कल्याण छात्रावास चलाये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री कन्हैया लाल)

(3) क्या यह सही है कि छात्रावासों में बाउण्डरी, सड़क, भवन की मरम्मत, खुले मैदान की सफाई नहीं होने से छात्रों में सोते समय कक्ष में विषैले जानवर सांप, चूहे, दम्बी आदि आ जाते हैं? यदि हां तो क्या सरकार उक्त छात्रावासों में उक्त कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सुधार के लए छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को भोजन, पोशाक, तेल, साबुन, जूते, मौजे, बाल कटिंग, बिजली-पानी, पत्र-पत्रिकाओं हेतु 450/- से बढ़ा 675/- रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 60/- रुपये प्रति छात्र प्रति सत्र एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40/- रुपये प्रति छात्र प्रति सत्र पुस्तकें एवं स्टेश्नरी के लिए एकमुश्त दिये जाने का प्रावधान है। तथा उन्हें आवास, बिस्तर, बर्तन आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। साथ ही समय-समय पर छात्रावास भवनों की मरम्मत/निर्माण का कार्य भी कराया जाता है। इसके अतिरिक्त छात्रावासों के सुव्यवस्थित संचालन व सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में पंचायत राज संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित कर उक्त छात्रावासों के छात्र/छात्राओं के लिए गठित प्रवेश एवं प्रबन्ध निर्देशन समिति का पुनर्गठन दिनांक 3.1.2000 के आदेश द्वारा किया गया है। जिसमें निम्नांकित सदस्य मनोनीत किये गये हैं :—

1. क्षेत्रीय विधायक	अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय पंचायत समिति का प्रधान	उपाध्यक्ष
3. क्षेत्रीय ग्राम पंचायत सरपंच	सदस्य
4. क्षेत्रीय पंचायत समिति का विकास अधिकारी	सदस्य
5. समाज कल्याण विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य
6. स्थानीय एवं प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता/अनुदानित छात्रावास सं. संबंधित स्वयं सेवी संस्था का प्रतिनिधि	सदस्य
7. छात्रावास अधीक्षक	संयोजक सदस्य

उक्त समिति त्रिमास में कम से कम एक बैठक आयोजित कर प्रवेश एवं प्रबन्ध संबंधी आवश्यक कार्यवाही गत बैठक के विवरण अनुसार अनुपालना सुनिश्चित करेगी

(समाज कल्याण मंत्री)

तथा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में कम से कम तीन बैठक आयोजित कर प्रवेश व प्रबन्ध संबंधी कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करेगी। समिति के सदस्यों को छात्रावास का रिकार्ड लेखा विवरण एवं भण्डार की वस्तुओं का अवलोकन, जांच, एवं उसमें आवश्यक सुधार व्यवस्था, सदस्यों के बहुमत से क्रियान्वित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(2) जिला जयपुर में संचालित समाज कल्याण छात्रावासों की मय प्रवेशित रहे छात्रों की सूचना निम्नप्रकार से है : —

क्र.सं.	नाम छात्रावास मय स्थान	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रवेशित छात्र संख्या	वि. वि.
1	2	3	4	5
1.	रा. छात्रा बजाज नगर, जयपुर	25	–	उपयुक्त भवन नहीं मिलने के कारण
2.	रा. छात्रा. बापू आश्रम, जयपुर	56	31	–
3.	रा. छात्रा. चाकसू चाकसू	25	25	–
4.	रा. छात्रा. दूदू, दूदू	23	19	–
5.	रा. छात्रा. मागरडू दूदू	25	25	–
6.	रा. छात्रा. जगतपुरा जयपुर	25	–	उपयुक्त भवन नहीं मिलने के कारण
7.	रा. छात्रा. कोटपूतली, कोटपूतली	60	60	–
8.	रा. छात्रा. लवाना, जमवारामगढ़	25	25	–

1	2	3	4	5
9.	रा. छात्रा. मनोहरपुर, शाहपुरा	40	40	–
10.	रा. छात्रा. मैढ़, विराटनगर	25	16	–
11.	रा. छात्रा. फागी, बस्सी जमवारामगढ़	25	25	–
12.	रा. छात्रा. पावटा	25	20	–
13.	रा. छात्रा. गोनेर, (प्रताप नगर) सांगानेर	25	24	–
14.	रा. छात्रा. राडावास, शाहपुरा	25	16	–
15.	रा. छात्रा. रामगंज, जयपुर	25	–	उपयुक्त भवन नहीं मिलने के कारण
16.	रा. छात्रा. सांभर, सांभर	50	50	–
17.	रा. छात्रा. शाहपुरा, शाहपुरा	25	17	–
18.	रा. छात्रा. शास्त्रीनगर, जयपुर	25	–	उपयुक्त भवन नहीं मिलने के कारण
19.	रा. छात्रा. गांधीनगर, (कन्या), जयपुर	25	22	–
20.	रा. छात्रा. बगरू, दूदू	25	25	–
21.	रा. छात्रा. बनेठी, कोटपुतली	25	–	आवास योग्य भवन नहीं है

1	2	3	4	5
22.	रा. छात्रा बांसखो, बस्सी	25	25	–
23.	रा. छात्रा. बस्सी, बस्सी	25	25	–
24.	रा. छात्रा. जमवारामगढ़, जमवारामगढ़	25	25	–
25.	रा. छात्रा. रामनगर, सोड़ाला, जयपुर	25	22	–
26.	रा. छात्रा. अमरसर, शाहपुरा	25	25	–
27.	रा. छात्रा. गांधीनगर, जयपुर (प्रथम)	25	25	–
28.	रा. छात्रा गांधीनगर जयपुर (द्वितीय)	25	25	–
29.	रा. छात्रा. मानसिंहपुरा जयपुर	25	25	–
30.	रा. छात्रा. फुलेरा, सांभर	25	22	–
31.	रा. छात्रा. रूण्डल, आमेर	25	16	–
32.	रा. छात्रा. तुगा, बस्सी	25	26	–
33.	रा. छात्रा. गांधीनगर, (कन्या), जयपुर	25	20	–
	अनुदानित छात्रावास			
1.	नेहरू छात्रावास, चौमूं, चौमूं।	25	25	–

(समाज कल्याण मंत्री)

(3) जी, नहीं। छात्रावासों की बाउण्डरी, भवन मरम्मत का कार्य समय-समय पर कराया जाता है तथा सफाई का कार्य मैस समिति द्वारा कराया जा रहा है। सड़क का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने का प्रावधान है। उक्त छात्रावासों में बाउण्डरी वाल, चारदीवारी आदि का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कराया जावेगा।

तहसील सिरोही व शिवगंज के अस्पतालों में रिक्त पद

745. **श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सिरोही व शिवगंज के चिकित्सा विभाग में 1 दिसम्बर, 1998 को कितने व कौन से पद रिक्त थे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील सिरोही व शिवगंज के चिकित्सा विभाग में 15 मार्च, 2000 को कितने व कौन से पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील सिरोही व शिवगंज में 1 दिसम्बर, 1998 में विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों की संस्थानवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) तहसील सिरोही व शिवगंज में 15 मार्च, 2000 को विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों की संस्थानवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति डीग (भरतपुर) की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

746. **श्री अरुण सिंह (डीग)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने वर्ष 1996 में पंचायत समिति डीग की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराई थी? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार ने वर्ष 1999-2000 के बजट में पंचायत समिति डीग क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की तथा उसमें से कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 में पंचायत समिति डीग क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत की है? यदि हां, तो कितनी? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1996 में पंचायत समिति डीग की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

की मरम्मत हेतु कुल 19 सड़कों पर रुपये 158.00 लाख की स्वीकृति बाढ़ राहत एवं प्राकृतिक आपदा मद में स्वीकृत किये गये थे, जिसके विरुद्ध मरम्मत कार्य करवा दिये गये हैं।

(2) वर्ष 1999-2000 में पंचायत समिति डीग क्षेत्र की सड़कों के लिये गैर योजना मद में मरम्मत हेतु रुपये 39.00 लाख स्वीकृत किये गये थे। इन कार्यों को भौतिक रूप से मार्च 2000 तक पूर्ण करा दिया गया है, लेकिन वित्तीय सीमितता के कारण केवल 0.08 लाख रुपये का ही व्यय भुगतान हो पाया है। सड़क कार्य का नाम, स्वीकृत लागत, व्यय/भुगतान राशि, किये गये कार्य का विवरण परिशिट-"अ" पर प्रस्तुत है।

(3) जी, नहीं। वर्ष 2000-2001 में पंचायत समिति डीग क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिये राशि की स्वीकृति उपलब्ध संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट-"अ"

वर्ष 1999-2000 के तहत सहायता विभाग के द्वारा डीग पंचायत समिति क्षेत्र की अन्य मदों में स्वीकृत सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृति	बजट मद	व्यय भुगतान राशि	प्रगति
1.	20 एमएम. पीएमसी. वाई पेवर इन किमी. 37, 38 नगर सीकरी पहाड़ी रोड	7.00 लाख	3054-गैर योजना	0.08	3 किमी. डामर पूर्ण
2.	20 एमएम. पीएमसी. वाई पेवर किमी. 3/500 से 4/0 सम्पर्क सड़क मालपुरा	1.00 लाख		–	0.050 किमी. पूर्ण
3.	20 एमएम. पीएमसी. इन किमी. 1, 2 सम्पर्क सड़क पान्होरी से योजना जनूथर	1.00 लाख	3054-गैर योजना	–	0.050 किमी. पूर्ण
4.	स्ट्रेंथनिंग व 20 एमएमपीएमसी. वाई पेवर इन किमी. 36, 37, 43, 44, 47 डीग कामां नंदगांव रोड	30.00 लाख मद	5054 योजना	–	5.00 किमी. पूर्ण
		39.00 लाख			

राजकीय महाविद्यालय राजसमन्द में विज्ञान विषय

747. **श्री बंशीलाल गहलोत (राजसमन्द) :** क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजकीय महाविद्यालय, राजसमंद में विज्ञान विषय खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त विषय हेतु लेब, स्टाफ एवं उपकरण उपलब्ध करवा दिये गये हैं? यदि हां, तो क़ब और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उक्त विषय हेतु लेब का निर्माण, स्टाफ की नियुक्ति एवं उपकरणों को जल्दी ही उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 1.6.99 को राजकीय महाविद्यालय राजसमन्द में विज्ञान संकाय प्रारंभ करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

(2) जी, नहीं। विज्ञान संकाय के विषयों में प्रवेश हेतु न्यूनतम छात्रों की संख्या उपलब्ध नहीं होने पर संकाय प्रारंभ नहीं हो सका।

(3) आगामी शैक्षणिक सत्र में विज्ञान संकाय में नियमानुसार विद्यार्थियों के प्रवेश हो जाते हैं तो प्रयोगशाला निर्माण को छोड़कर स्टाफ एवं उपकरण उपलब्ध करा दिये जायेंगे। राज्य सरकार की वित्तीय सीमितता के कारण प्रयोगशाला निर्माण व उपकरणों की स्थापना हेतु जन सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में विद्युत आपूर्ति में सुधार

748. **श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की पंचायत समिति इटावा क्षेत्र में विद्युत की परेशानी रहती है?

(2) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? इसके स्थाई समाधान के लिये क्या-क्या प्रयास किये गये? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं?

(3) क्या सरकार उक्त समस्या के स्थाई समाधान का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की पंचायत समिति, इटावा में सामान्यतः विद्युत की परेशानी नहीं रहती है परन्तु तकनीकी व प्राकृतिक कारणों से 33 के.वी. लाइन में खराबी होने पर, लाइन का रास्ता दुर्गम क्षेत्र, नदी नालों में होने के कारण खराबी दूर करने में समय अवश्य लगता है, उस दौरान कुछ समय के लिए परेशानी होना संभव है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) उपरोक्त समस्या के हल के लिए इटावा में एक 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत किया गया है, जिसके बन जाने पर समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। इसके लिए प्रथम दृष्ट्या कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है।

(3) जी, हां। इटावा में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण वर्ष 2000-2001 में बोर्ड की वार्षिक योजना में सम्मिलित है इसके लिए भूमि अवाप्ति का कार्य प्रगति पर है परन्तु अभी लाखेरी से इटावा की लाइन के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जानी है। उक्त ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण हो जाने पर इस क्षेत्र की विद्युत समस्या का समाधान हो सकेगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास

749. डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या गत वर्ष के बजट में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए 7 नये छात्रावास भवनों का निर्माण प्रस्तावित था? यदि हां, तो उनके लिए कितनी राशि आवंटित की गई?

(2) क्या उक्त निर्माण के लिए केन्द्र सरकार से कोई सहयोग मिला है?

(3) इस वर्ष में उक्त छात्रावासों के निर्माण के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है तथा किन-किन स्थानों पर ये छात्रावास निर्मित हो रहे हैं?

उत्तर

(1) जी, हां। जिसके लिये वर्ष 1999-2000 में राज्य आयोजना मद में मैचिंग अंश राशि रुपये 65.45 लाख का प्रावधान स्वीकृत किया गया, किन्तु राज्य आयोजना सीमा के कमी उपरान्त संशोधित सीमा में प्रावधान नहीं किया गया।

(2) उक्त 7 छात्रावासों के निर्माण हेतु वर्ष 1999-2000 के अन्त में केन्द्रीय अंश के रूप में 57.48 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई, जो राज्य खाते में जमा नहीं होने के कारण उक्त वर्ष में उपयोग में नहीं लाई जा सकी।

(3) वित्तीय वर्ष 2000-2001 में उक्त छात्रावासों के निर्माण हेतु प्रावधान स्वीकृत नहीं है। निम्न स्थानों पर छात्रावास निर्माण प्रस्तावित है :—

छात्रावास स्थान	जिला
1	2
1. बागौर	भीलवाड़ा
2. बून्दी	बून्दी
3. चौमहला	झालावाड़
4. जोधपुर	जोधपुर
5. पाली	बारां
6. देवली	टोंक
7. उदयपुर वाटी	झुन्झुनूं

"झंवर पिडियेट्रीक गैस्ट्रोलोजी" द्वारा किये गये इन्वेस्टीगेशन से प्राप्त राशि

750. **श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) :** क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा 20 लाख के उपकरण खरीद कर अथवा दान दाताओं द्वारा "झंवर पिडियेट्रीक-ग्रैस्ट्रोलोजी" सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को उपलब्ध कराये हैं ? उक्त उपकरणों द्वारा किये गये इन्वेस्टीगेशन की राशि मेडिकल रिलिफ सोसायटी को प्रति वर्ष कितनी जमा कराई गई ? गत पांच वर्षों का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा सर पद्मपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान के लिये उपकरण क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगस्त, 1998 में झंवर पिडियेट्रीक गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी संस्थान बनने के पश्चात् संस्थान में स्थानान्तरित किये गये।

उक्त उपकरणों द्वारा किए गए इन्वेस्टीगेशन की मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी को प्रति वर्ष जमा कराई गई राशि का विवरण निम्नप्रकार है :—

अगस्त, 98 से मार्च, 99 तक जमा कराई गई राशि	9300.00 रु.
अप्रेल, 99 से मार्च, 2000 तक जमा कराई गई राशि	25950.00 रु.
कुल जमा राशि	35250.00 रु.

राज्य में ठेकेदारों की बकाया राशि का भुगतान

751. **श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ठेकेदारों को उनके द्वारा किये गये कार्यों के लिए कितने समय से कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ठेकेदारों की बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में वित्तीय सीमितता के संदर्भ में ठेकेदारों को उनके द्वारा किये गये कार्यों के लिये माह दिसम्बर, 1999 से कुल राशि 2616.94 लाख रुपये का भुगतान किया जाना शेष है। जिलेवार ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यों की संख्या एवं उनको किये जाने वाले शेष भुगतान का विवरण परिशिष्ट-"अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी, हां। ठेकेदारों की बकाया राशि का भुगतान उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट-"अ"

क्र.सं.	जिला	कार्यों की संख्या	राशि (लाखों में)
1	2	3	4
(1)	संभाग-अजमेर		
1.	अजमेर	75	94.95
2.	नागौर	15	35.58
3.	भीलवाड़ा	96	118.81
		186	249.34
(2)	संभाग-बीकानेर		
4.	बीकानेर	17	27.17
5.	चूरू	—	—
6.	गंगानगर	13	22.00
7.	हनुमानगढ़	7	25.19
		37	74.36
(3)	संभाग-जयपुर, I		
8.	जयपुर	527	321.35
9.	अलवर	99	114.78
10.	सीकर	247	118.29
11.	झुंझुनूं	66	98.81
		939	653.23
(4)	संभाग-जयपुर II		
12.	दौसा	38	16.52
13.	भरतपुर	26	160.29
14.	धौलपुर	35	51.71

1	2	3	4
15.	टौंक	39	50.58
		138	279.10
(5)	संभाग-जोधपुर		
16.	जोधपुर	71	167.74
17.	जैसलमेर	11	13.59
18.	बाड़मेर	5	35.80
19.	पाली	31	34.45
20.	जालौर	75	126.24
21.	सिरोही	15	33.00
		208	410.82
(6)	संभाग-कोटा		
22.	कोटा	116	132.65
23.	बूंदी	—	—
24.	बारां	32	50.50
25.	झालावाड़	46	34.20
26.	सवाईमाधोपुर	31	27.39
27.	करौली	66	66.35
		291	311.09
(7)	संभाग-उदयपुर		
28.	उदयपुर	75	177.43
29.	राजसमंद	33	43.25
30.	चित्तौड़गढ़	77	155.76
31.	डूंगरपुर	30	176.24
32.	बासंवाड़ा	13	86.32
		228	639.00
	योग	2027	2616.94 लाख

विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (अलवर) में समायोजन के नाम पर की गई अनियमितता

752. **श्री जौहरी लाल (राजगढ़)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ के माध्यमिक विद्यालय डोरोली, किलपुर खेड़ा, रामपुरा, दुब्बी में प्रधानाध्यापक नहीं हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक व प्रधानाध्यापक अभी तक छात्र संख्या के आधार से नहीं हैं? क्या सरकार उक्त शालाओं में अध्यापक/प्रधानाध्यापकों की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में समायोजन के नाम पर अधिकारियों ने भारी अनियमितता की है? क्या सरकार उक्त अनियमितताओं की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डोरोली में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त नहीं हैं, जबकि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, किलपुर खेड़ा, रामपुरा एवं दुब्बी में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है। इसके अतिरिक्त नयागांव प्रतापुरा, बावड़ी फेरोजपुर, मकराना नाङ्, बृजपुरी एवं डगडगा के नवक्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक (द्वितीय वेतन श्रृंखला) के पद नहीं है। उक्त शालाओं में प्रधानाध्यापक/अध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति नियमानुसार पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण होने व सीधी भर्ती पर प्रतिबन्ध हटने के उपरान्त की जा सकेगी।

(2) समानीकरण प्रक्रिया के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक-प्रथम), अलवर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच के लिये दिनांक 10.4.2000 को उप निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा), जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अनिवासी भारतीय/विदेशी निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योग

753. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी निवेशक द्वारा गत पांच वर्षों में किस-किस प्रकार का उद्योग कहां-कहां पर लगाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए?

(2) उक्त प्रस्तावों में से कौन-कौन से उद्योग कब-कब, कहां-कहां स्थापित हुए?

(3) सरकार ने उक्त प्रकार के निवेशकों को आकर्षित करने हेतु अब तक क्या-क्या प्रयास किये हैं?

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

(4) अब सरकार इस दिशा में क्या-क्या ठोस कदम उठाने का विचार कर रही है?

उत्तर

(1) सूचना अनुसंलग्नक-अ के कॉलम संख्या (5) एवं (3) पर संलग्न कर दर्शाई गई है।

(2) सूचना अनुसंलग्नक-अ के कॉलम संख्या (7) पर संलग्न कर दर्शाई गई है।

(3) राज्य सरकार ने पूंजी निवेश से संबंधित नियमों, प्रक्रियाओं एवं नीतियों का सरलीकरण किया है। राज्य के विकास में निजी पूंजी निवेश की भागीदारी बढ़ाने के लिये सुझाव देने के लिये मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय आर्थिक विकास बोर्ड का गठन किया गया है। प्रतिष्ठित भारतीय उद्योगपति बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रतिनिधि, अप्रवासी भारतीय, अर्थशास्त्री, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री इस बोर्ड के सदस्य है निजी निवेश को प्रोत्साहन देने, निजी परियोजनाओं की स्थापना में लगने वाले समय को कम से कम करने, निवेशकों को सभी वांछित अनुमतियां एवं क्लियरेंसेस त्वरित गति से प्रदान करने तथा निवेशक की व्यावसायिक लागत को कम करने के उद्देश्य से वास्तविक सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिये राज्य सरकार ने अपने रूल्स आफ बिजनेस में भी परिवर्तन करने का भी साहसिक निर्णय लिया है। इस बारे में जानकारी/सूचनाएं, राज्य में उपलब्ध पूंजी निवेश के अवसरों, निवेश के वातावरण पर जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया है। इस प्रयास में भारत स्थित विदेशी दूतावासों का भी सहयोग लिया गया। इसके अतिरिक्त विदेशी और अप्रवासी भारतीय पूंजी निवेश के लिये राज्य की औद्योगिक नीति के तहत जो सुविधाएं दी जा रही है उनका विवरण "अनुसंलग्नक-य" पर संलग्न है।

(4) विदेशी एवं अनिवासी भारतीय निवेशकों के प्रस्तावों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से विभिन्न विभागों से समन्वय कर सभी वांछित अनुमतियां व स्वीकृतियां दिलवाई जाती है। विभिन्न विभागों से वांछित अनुमतियों एवं स्वीकृतियों के लिये हाल ही में एक सरल एकीकृत प्रार्थना-पत्र बनाया गया है जिसे वैबसाइट पर डाला जायेगा ताकि विदेशी एवं अनिवासी निवेशक दुनियां के किसी भी कोने से ये प्रार्थना-पत्र भरकर इंटरनेट के जरिये बी.आई.पी. को भेज सकेगा।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान आरक्षित वर्ग महासंघ द्वारा ज्ञापन

754. **श्री अशोक (खण्डार)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आरक्षित वर्ग महासंघ द्वारा दिनांक 25 जून, 1999 को जयपुर में धरना देकर माननीय मुख्य मंत्रीजी को ज्ञापन प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो क्या ज्ञापन पर कार्यवाही कराने के लिए मुख्य मंत्री सचिवालय की अ. शा. टीप संख्या-मुमं/अ.अ/99/2/जयपुर/एफ-818 दिनांक 25-10-99 द्वारा शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग और शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग को लिखा गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ज्ञापन में उल्लेखित कौन-कौनसी मांग सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ज्ञापन में उल्लिखित अन्य मांगों को भी स्वीकार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। प्राप्त ज्ञापन में उल्लेखित बिन्दुओं पर निम्नप्रकार कार्यवाही की गई :—

1. राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में जाट विश्नोई, मेव, कायमखानी, जाति/वर्गों को सम्मिलित किया जा चुका है।

2. राज्य में अनु. जाति जनजाति विकास आयोग के गठन के संबंध में निर्देशानुसार मंत्रीमंडल ज्ञापन तैयार कर राज्य सरकार के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया है। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अन्य राज्यों से इस संबंध में अपेक्षित सूचना का संकलन किया जा रहा है।

3. राजस्थान अनु. जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम के वैधानिक प्रावधानुसार निर्वाचित संचालक मण्डल द्वारा ही निगम की संचालन प्रक्रिया सम्पादित की जाती है। इसी क्रम में निगम के निर्वाचित संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 19.8.99 को समाप्त होने से पूर्व ही सहकारिता विभाग को नवीन संचालक मण्डल के गठन बाबत आग्रह कर दिया गया था। सहकारिता विभाग द्वारा नये चुनाव सम्पन्न कराये जाने तक दिनांक 27.9.99 को तदर्थ आधार पर ही सचिव समाज कल्याण विभाग को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

4. राज्य में सफाई कर्मचारियों को व्यक्तिगत लाभ योजनाओं हेतु ऋण वितरण का कार्य राजस्थान अनु. जाति/जनजाति वित्त

(समाज कल्याण मंत्री)

एवं विकास सहकारी निगम द्वारा भली प्रकार से सम्पादित किया जा रहा है।

5. वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु क्रमशः 16%, 12% एवं 21% आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है, जिसका कुल योग 49% होता है। "इन्द्रा साहनी बनाम भारत सरकार और अन्य" में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.11.92 में दी गई व्यवस्था कि किसी वर्ष विशेष में आरक्षण अवशेष सहित कुल आरक्षित रिक्तियों की संख्या 50% से अधिक नहीं हो सकती है के अन्तर्गत जबकि कुल रिक्तियों का 49% अंश वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के अनुसार आरक्षित होता है, आरक्षण अवशेष की स्थिति में अनु. जाति/जनजाति वर्ग के ऐसे आरक्षित पद जो प्रथम दृष्टया नहीं भरे जा सके हैं उन्हें उसी वर्ष में पुनः विज्ञापित कर भरे जाने के संबंध में सभी सेवा नियमों में संशोधन का प्रस्ताव राज्य सरकार के परीक्षणाधीन है।

6. सामान्य रूप से ठेके प्रथा को नहीं अपनाया जाता है। अपवाद स्वरूप मामलों में ही स्वायत्त शासी संस्थाओं में कर्मचारी ठेके पर रखे जाते हैं।

(2) बिन्दु संख्या एक में उल्लेखित विवरण अनुसार ज्ञापन में दर्शायी गई मांग संख्या एक पर राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में जाट, विश्नोई, मेव, कायमखानी जाति/वर्गों को सम्मिलित किया जा चुका है।

(3) बिन्दु संख्या-1 में उल्लेखित विवरण अनुसार ज्ञापन की मांग संख्या एक के अतिरिक्त शेष समस्त मांगों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विधान सभा क्षेत्र दीगोद की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

755. **श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र दीगोद की सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) सरकार कोटा-इटावा मार्ग पर उम्मेदपुरा से सुलतानपुरा/सुलतानपुर से भौरा, सुलतानपुर से मंडावरा लाख, सनीजा बड़ोद से कोटड़ा दीपसिंह तथा देवली मांजी कनवास, देवली मांजी से सांगोद, कैथून से देवली मांजी, कनवास से धूलेट, दरा से कनवास मार्गों को कब तक ठीक कराने का विचार रखती है?

(3) क्या उम्मेदपुरा से सुलतानपुर तक सड़क चौड़ी करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। दिगोद विधान सभा क्षेत्र में डामर सड़कों की लम्बाई 339 कि.मी. है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वर्ष 1999-2000 में 145 कि.मी. लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य कराया जा चुका है शेष सड़क लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर निर्भर करेगा।

(2) सड़कवार मरम्मत कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. उम्मेदपुरा से सुल्तानपुर

सड़क की लम्बाई 10 कि.मी. है एवं वर्ष 1999.2000 में पूर्ण लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य कराया जा चुका है।

2. सुल्तानपुर से भौरा

सड़क की कुल लम्बाई 15 कि.मी. है वर्ष 1999-2000 में योजना मद में इस सड़क के कि.मी. 5/0 से 9/0 में सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण का कार्य 12.00 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत किया जा चुका है। कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त शेष सड़क लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

3. सुल्तानपुर से मंडावरा लाख सनीजा

सड़क की कुल लम्बाई 25 कि.मी. है। वर्ष 1999-2000 में 5 कि.मी. सड़क लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। शेष सड़क लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर निर्भर करेगा।

4. बड़ोद से कोटडा दीपसिंह

सड़क की लम्बाई 7 कि.मी. है। जिसकी साधारण मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

5. देवली माझी से कनवास

सड़क की कुल लम्बाई 15 कि.मी. है वर्ष 1999-2000 में योजना मद में इस सड़क के कि.मी. 1, 2, 7 में सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण कार्य के लिये 15.00 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत किया गया था लेकिन वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण कार्य शुरू नहीं कराया जा सका। कार्य को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। तथा सड़क की सम्पूर्ण लंबाई में साधारण मरम्मत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

6. देवली मांझी से सांगोद

सड़क की लम्बाई 32 कि.मी. है जिसमें वर्ष 1999-2000 में साधारण मरम्मत का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

7. कैथून से देवली माझी

सड़क की लम्बाई 20 कि.मी. है। सम्पूर्ण सड़क की लम्बाई में वर्ष 1999-2000 में साधारण मरम्मत का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

8. कनवास से थूलेट

सड़क की कुल लम्बाई 14 कि.मी. है। वर्ष 1999-2000 में योजना मद में इस सड़क के कि.मी. एक में सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण कार्य के लिये 6.00 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत किया गया था लेकिन वित्तीय संसाधन की सीमितता के कारण कार्य शुरू नहीं कराया जा सका। कार्य को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा। सड़क के कि.मी. 1 से 4 तक साधारण मरम्मत का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

9. दरा से कनवास

सड़क की लम्बाई 13 कि.मी. है जिसमें से 4 कि.मी. सड़क लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य वर्ष 1999-2000 में पूर्ण करा दिया गया है। शेष लम्बाई की सड़क की साधारण मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(3) जी, हां। उम्मेदपुरा से सुल्तानपुर तक सड़क को चौड़ी करने का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-135 की सूची)

परिशिष्ट-"अ"

औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ जक्शन (प्रथम चरण) में सड़क मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण पर व्यय

क्र.सं.	वर्ष	सड़क मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण पर व्यय
1.	1986-87	0.68
2.	1989-90	0.31
3.	1990-91	3.04
4.	1992-93	1.40
5.	1993-94	9.44
6.	1994-95	0.27
7.	1995-96	2.85
8.	1996-97	4.70
9.	1998-99	2.98
	कुल व्यय रु.	25.67 लाख

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-940 की सूचना)

विधान सभा क्षेत्र चुरू के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की वर्ष 1999-2000 के आउटडोर व इन्डोर में आये मरीजों की सूचना

क्र.सं.	माह का नाम		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम एवं आउटडोर मरीजों की संख्या				
			सिरसला	लोहसनाखड़ा	बीनासर	दुधवाखारा	सहनाली
1.	जनवरी	1999	243	286	272	185	379
2.	फरवरी	1999	220	233	405	110	272
3.	मार्च	1999	203	275	315	105	241
4.	अप्रेल	1999	226	208	167	120	243
5.	मई	1999	260	298	190	130	222
6.	जून	1999	277	234	276	100	326
7.	जुलाई	1999	277	384	347	130	347
8.	अगस्त	1999	287	246	348	160	292
9.	सितम्बर	1999	360	206	249	190	251
10.	अक्टूबर	1999	261	177	299	130	255
11.	नवम्बर	1999	217	232	402	220	347
12.	दिसम्बर	1999	249	170	262	280	251
13.	जनवरी	2000	126	204	454	203	264
14.	फरवरी	2000	197	285	315	349	289
15.	मार्च	2000	195	295	395	708	249
16.	28 अप्रेल, 2000 तक		177	282	397	220	183

उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उक्त माहों में इण्डोर मरीजों की संख्या शून्य रही है।

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-941 का विवरण)

जिला राजसमंद की तहसील भीम व देवगढ़ के अन्तर्गत कार्यरत उप स्वास्थ्य केन्द्र/एडपोस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/रैफरल हास्पीटल में स्वीकृत व रिक्त पदों की रिक्त अवधि सहित सूची

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	तहसील	पदनाम	स्वीकृत पद की संख्या	रिक्त पद की संख्या मय रिक्ति अवधि के	
1	2	3	4	5	6	
1.	सामुदायिक स्वा. केन्द्र, भीम	भीम	कनिष्ठ विशेष	5	2	16.11.99 से
			वरिष्ठ चि. अधिकारी	3	1	3/98 से
			चिकित्सा अधिकारी	3	–	
			दंत चिकित्सक	1	–	
			नर्स प्रथम	4	2	31.12.95 से 1.7.95 से
			नर्स-द्वितीय	11	4	दो-1.7.95 से दो-1.9.95 से
			महिला स्वा. दर्शिका	1	1	10/94 से
			ए.एन.एम.	1	–	
			वरिष्ठ लैब टैक्निशियन	1	1	21.9.91
			दन्त टैक्निशियन	1	1	
			लैब टैक्निशियन	2	1	7.5.95

1	2	3	4	5	6	
			रेडियोग्राफर	2	1	21.9.91
			वरिष्ठ लिपिक	2	1	21.9.91
			कनिष्ठ लिपिक	1	–	
			एफ. डब्ल्यू. डब्ल्यू.	1	1	21.9.91
			वाहन चालक	1	1	9.3.99
			वार्ड बॉय/स्वीपर	1	1	31.3.99
2.	ब्लॉक प्रा. स्वा. केन्द्र, बरार		वरिष्ठ चिकित्सा अधि.	1	1	3/98
			चिकित्सा अधिकारी	2	–	
			नर्स द्वितीय	3	2	9/96
			स्वा. निरीक्षक	1	1	10.3.94
			लैब टैक्निशियन	1	1	वर्ष 97 से
			बी. एच. एस. (पु. व महिला)	2	1	2/96
			कम्प्यूटर	1	–	
			मले. निरीक्षक	1	1	1/98
			वरिष्ठ लिपिक	1	–	
			एस. एम. पी. डब्ल्यू.	2	–	
			सैक्टर सुपरवाइजर	4	4	21.9.91
			एम. पी. डब्ल्यू.	8	–	
			ए. एन. एम.	2	–	
			वाहन चालक	2	1	3/99
			वार्ड वॉय/स्वीपर	4	–	

1	2	3	4	5	6	
3.	प्रा. स्वा. केन्द्र दिवेर भीम		चिकित्सा अधिकारी	1	–	
			मैल नर्स-द्वितीय	1	–	
			प्रसाविका	1	–	
			लैब टैक्निशियन	1	–	
			वार्ड बॉय/स्वीपर	3	–	
4.	प्रा. स्वा. केन्द्र, छापली		चिकित्सा अधिकारी	1	–	
			नर्स-द्वितीय	2	1	21.9.99
			एल.एच.वी.	1	–	
			प्रसाविका	1	–	
			लैब टैक्निशियन	1	1	21.9.91
			वार्ड ब्वॉय/स्वीपर	2	–	
5.	प्रा. स्वा. के., बार		चिकित्सा अधिकारी	1	–	
			नर्स-द्वितीय	1	1	7/99
			वार्ड बॉय/स्वीपर	3	–	
	उच्चीकृत उपकेन्द्र, बगड़		नर्स-द्वितीय	1	–	
			प्रसाविका	1	–	
			वार्ड बॉय	2	–	
	उच्चीकरत उपकेन्द्र, अजीतगढ़		नर्स-द्वितीय	1	–	
			प्रसाविका	1	–	
	उच्चीकृत उपकेन्द्र, रेवावास		नर्स-द्वितीय	1	–	
			प्रसाविका	1	–	
	जस्साखेड़ा		नर्स-द्वितीय	1	–	

1	2	3	4	5	6	
			प्रसाविका	1	–	
	उपकेन्द्र, पिपली		प्रसाविका	1	–	
	उपकेन्द्र, लगेतखाड़ा		प्रसाविका	1	–	
	उपकेन्द्र, सारोठ		प्रसाविका	1	–	
	उपकेन्द्र, कालादेह		प्रसाविका	1	–	
	उपकेन्द्र, काच्छवाली		प्रसाविका	1	–	
	उपकेन्द्र, कूकडा		प्रसाविका	1	–	
	उपकेन्द्र, ठीकरवास		प्रसाविका	1	–	
	उपकेन्द्र, बोखा		प्रसाविका	1	1	1/99
	उपकेन्द्र, कूकखेडा		प्रसाविका	1	–	
	उपकेन्द्र, बायना		प्रसाविका	1	–	
	उपकेन्द्र, कालागुमान		प्रसाविका	1	–	
	उपकेन्द्र, डूंगरखेडा		प्रसाविका	1	–	
	उपकेन्द्र, बरजाल		प्रसाविका	1	–	
	उपकेन्द्र, लालपुरा		प्रसाविका	1	–	
	उपकेन्द्र, आमनेर		प्रसाविका	1	–	
	उपकेन्द्र, लाखागुडा		प्रसाविका	1	–	
	उपकेन्द्र, बेडी का खेडा		प्रसाविका	1	1	8/99
	उपकेन्द्र, हीरा का वाडिया		प्रसाविका	1	–	
	उपकेन्द्र, डासरिया		प्रसाविका	1	–	
	उपकेन्द्र, टोगी		प्रसाविका	1	–	
	उपकेन्द्र, कुशलपुरा		प्रसाविका	1	–	
	उपकेन्द्र, खीमाखेडा		प्रसाविका	1	–	

1	2	3	4	5	6	
		उपकेन्द्र, धानेटा	प्रसाविका	1	–	
		उपकेन्द्र, लसाडिया	प्रसाविका	1	–	
		उपकेन्द्र, भरतसिंह कागुढ़ा	प्रसाविका	1	1	
		उपकेन्द्र, भरतवा	प्रसाविका	1	1	
1.		सा. स्वा. केन्द्र, देवगढ़	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	1	3/99
			वरिष्ठ चिकित्सा अधि.	2	1	
			चिकित्सा अधिकारी	1	–	
			नर्स-प्रथम	1	–	
			नर्स-द्वितीय	5	1	3/99
			बी. एच. एस. फिमेल	1	–	
			प्रसाविका	2	–	
			स्वा. निरीक्षक	1	–	
			लैब टैक्निशियन	1	–	
			कनिष्ठ लेखाकार	1	–	
			वरिष्ठ लिपिक	2	1	1/98
			कनिष्ठ लिपिक	1	–	
			वाहन चालक	2	–	
			वार्ड बाय/स्वीपर	9	1	
			बी. एच. एस. मेल	1	1	10/97
			सैक्टर सुपरवाइजर	3	1	2.1.99
			कम्प्यूटर	1	–	
			मलेरिया निरीक्षक	1	–	
			एस. एम. पी. डब्ल्यू.	1	1	21.9.91

1	2	3	4	5	6	
			एम. पी. डब्ल्यू.	5	2	एक-1/98 एक-11/99
	प्रा. स्वा. केन्द्र, लसानी		चिकित्साधिकारी	1	–	
			नर्स-द्वितीय	2	1	
			एल.एच.वी.	1	–	
			प्रसाविका	1	–	
			लैब टैक्निशियन	1	–	
			वार्ड बॉय/स्वीपर	2	–	
	प्रा. स्वा. केन्द्र, ताल		चिकित्सा अधिकारी	1	–	
			नर्स-द्वितीय	1	–	
			एल.एच.वी.	1	–	
			लैब टैक्निशियन	1	1	21.1.91
			वार्ड बॉय	3	–	
	प्रा. स्वा. केन्द्र, कुंवाथल		चिकित्सा अधिकारी	2	–	
			नर्स-द्वितीय	3	2	21.9.91
			प्रसाविका	1	–	
			लैब टैक्निशियन	1	1	21.1.91
			वार्ड बॉय/स्वीपर	4	–	
	प्रा. स्वा. केन्द्र, कुन्दवा		चिकित्सा अधिकारी	1	–	
			नर्स-द्वितीय	2	1	21.9.91
			लैब टैक्निशियन	1	–	
			प्रसाविका	1	–	
			वार्ड बॉय/स्वीपर	2	–	

1	2	3	4	5	6
	उच्ची. उपकेन्द्र, मदारिया		नर्स-द्वितीय	1	–
			प्रसाविका	1	–
			वार्ड बॉय	2	–
	उच्ची. उपकेन्द्र, सांगावास		नर्स-द्वितीय	1	–
			प्रसाविका	1	–
			वार्ड बॉय	1	–
	उच्ची. उपकेन्द्र, ईसरमंड		नर्स-द्वितीय	1	–
			प्रसाविका	1	–
	उपकेन्द्र, पारड़ी		प्रसाविका	1	–
	उपकेन्द्र, कालसरिया		प्रसाविका	1	–
	उपकेन्द्र, परदास कागुढ़ा		प्रसाविका	1	–
	उपकेन्द्र, कामला		प्रसाविका	1	–
	उपकेन्द्र, टोकरा		प्रसाविका	1	–
	उपकेन्द्र, कोड़ी		प्रसाविका	1	–
	उपकेन्द्र, आंजना		प्रसाविका	1	–
	उपकेन्द्र, काकरोद		प्रसाविका	1	–
	उपकेन्द्र, नराणा		प्रसाविका	1	–
	उपकेन्द्र, मांद		प्रसाविका	1	–
	उपकेन्द्र, पुनियाना		प्रसाविका	1	–
	उपकेन्द्र, बस्ती		प्रसाविका	1	–
	उपकेन्द्र, माण्डावाड़ा		प्रसाविका	1	–
	उपकेन्द्र, सुवादड़ी		प्रसाविका	1	–
	उपकेन्द्र, दौलपुरा		प्रसाविका	1	–

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-946 की सूची)

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	रोगी शैय्या
1.	राजकीय चिकित्सालय, नागौर	150
2.	राजकीय चिकित्सालय, डीडवाना	100
3.	राजकीय चिकित्सालय, लाडनूं	75
4.	राजकीय चिकित्सालय, परबतसर	50
	रैफरल चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र	
1.	रैफरल चिकित्सालय, मेड़तासिटी	50
2.	रैफरल चिकित्सालय, कुचामनसिटी	50
3.	रैफरल अस्पताल, मकराना	30
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटी खाटू	30
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डेगाना	30
6.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुण्डवा	30
7.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निम्बीजोधा	30
8.	उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र, मोलासर	30
9.	उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र, रियांबड़ी	30
10.	उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र, कुचेरा	30
11.	उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र, जायल	30
12.	क्षय निवारण केन्द्र, नागौर	20

उपकेन्द्र (पंचायत समितिवार)

पंचायत समिति-नागौर

1.	सिणोद (उ.उ.के.)	2.	ताऊसर (उ.उ.के.)
3.	करणू (उ.उ.के.)	4.	बरणगांव
5.	रायधनू	6.	सुंखवासी
7.	जटेरा	8.	सथेरण
9.	भदाणा	10.	गंठीलासर
11.	चाऊ	12.	खडकाली
13.	छीला	14.	देऊ
15.	गोगलाव	16.	चेनार
17.	श्यामसर	18.	बुकरमसोता
20.	गगवाना	21.	मालगांव
22.	मकोड़ी	23.	भोजास
24.	खेतास	25.	नंदवानी
26.	चातरामांजरा	27.	भूण्डेल
28.	भेड	29.	कंवलीसर
30.	सेवड़ी	31.	जाखनिया
32.	गोधन	33.	अठियासन
34.	पीपासर	35.	दुकोसी
36.	कालड़ी	37.	इंदास
38.	अहमदपुरा	39.	भोमासर
40.	टांकला	41.	भदवासी
42.	साडोकण	43.	दोतीणा

44. सिंगड़
45. सरासनी
46. खारी
47. गोरेरा
48. अमरपुरा
49. बाराणी
50. सुरजनियावास
51. बालवा
52. पाबूसर
53. डेरवा
54. आखासर
55. ऊंटवालिया
56. चूंटिसरा
57. गोधन
58. झाडीसरा
59. बामणिवास
60. गोगानाड़ा

पंचायत समिति-डीडवाना

1. बेगसर (उ. उ. के.)
2. रसीदपुरा (उ. उ. के.)
3. डाबड़ा (उ. उ. के.)
4. कोलिया (उ. उ. के.)
5. जांगा (उ. उ. के.)
6. खोजास (उ. उ. के.)
7. मामड़ौदा (उ. उ. के.)
8. बरडवा (उ. उ. के.)
9. खरेश
10. ललासरी
11. सिंघाणा
12. पायली
13. निम्बीखुर्द
14. बालिया
15. शेरानीआबाद
16. प्यावा
17. सानिया
18. कुडली
19. ढीगाल
20. खरवालिया
21. थाणे
22. मावा
23. छापरीकलां
24. जुंवा
25. पीड़वा
26. दीनदारपुरा

27.	बरागंण	28.	बेरीखुर्द
29.	आजवा	30.	दाऊसर
31.	चुगनी	32.	खाखोली
33.	निम्बोद	34.	घेवडी
35.	कीचक	36.	मण्डबासनी
37.	सिंगरावटकलां	38.	सुद्रासन
39.	आगुन्ता	40.	बिचावा
41.	दौलतपुरा	42.	बडाबरा
43.	दुगोली	44.	अम्बापा
45.	सरदारपुरा	46.	रिक्शाबास
47.	फोगड़ी	48.	खुड़ी
49.	सेवा	50.	बावड़ी
51.	निम्बीकलां	52.	सुपका
53.	मन्डुकरा	54.	आकोदा
55.	पालोट	56.	रामसाबास
57.	खानड़ी	58.	कलवानी
59.	चौलूखां	60.	पीपलाकाबास
61.	निम्बीकांबास	62.	खुनखुना
63.	बेमोठ	64.	छापरीखुर्द
65.	जाडोद	66.	डीकावा
67.	डसानाखुर्द	68.	बदालिया
69.	अलखपुरा	70.	पावा
71.	गावड़ी	72.	मोडियावट

73. क्यामसर

पंचायत समिति-मेड़तासिटी

1. रियाश्यामदास (उ. उ. के.)
2. मोकाला (उ. उ. के.)
3. गगराना (उ. उ. के.)
4. टालनपुर
5. जैसास
6. सिरसला
7. ओलादन
8. पांचडोलिया
9. कलरू
10. कडवासरो की ढाणी
11. ढावा
12. छापरीखुर्द
13. नेतडया
14. टुकलिया
15. सरगासनी
16. सातलास
17. बायड
18. दधवाड़ा
19. खाखड़की
20. रोलचन्दावता
21. पून्दलू
22. बासनीसेजा
23. बेदावडी
24. भूरियासनी
25. सोगावास
26. घनापा
27. लाम्बाजाटान
28. जारोड़ा
29. खेड़ली
30. देशवाल
31. इन्द्रावड़
32. बडगांव
33. गंठिया
34. भाटियो की ढाणी
35. बीटन
36. कुरडाया
37. जावली
38. बीटन
39. हरसोलाव

पंचायत समिति-लाडनूं

1.	रताऊ (उ. उ. के.)	2.	घ्यावा (उ. उ. के.)
3.	भरनावां	4.	मालगांव
5.	कुसुंम्बीअलीपुर	6.	सीलनवाद
7.	मणु	8.	रोजा
9.	सुनारी	10.	मंगलपुरा
11.	खोखरी	12.	रोडू
13.	ढींगसरी	14.	डाबडी
15.	खामियाद	16.	उदरासर
17.	गेनाना	18.	सांवराद
19.	खींवज	20.	दुजार
21.	सींवा	22.	मिठाषिरिडोदा
23.	फिरवासी	24.	ओडिन्ट
25.	हुडास	26.	हुसैनपुरा
27.	तंवरा	28.	बेड़
29.	रायधना	30.	चन्द्राई
31.	सारन्डी	32.	रीगन
33.	बाकलिया	34.	लाछड़ी
35.	छपारा	36.	धोलिया
37.	सिकराली	38.	बिठुडा

पंचायत समिति—जायल

1.	रोटू (उ. उ. के.)	2.	फड़ोद (उ. उ. के.)
3.	खिंयाला (उ. उ. के.)	4.	छापड़ा (उ. उ. के.)

5. गढरिया
6. दुगसताऊ
7. राजोद
8. सोनेली
9. अडबड
10. छाजोली
11. रामसर
12. धारणा
13. गेलोली
14. ढांगला
15. बोडवा
16. पीडंया
17. गोराऊ
18. कसनाऊ
19. बुरडी
20. आंवलियासर
21. गुगरियाली
22. रूपाथल
23. ज्याणी
24. जोचीणा
25. जालनियासन
26. बुगरडा
27. सुरपालिया
28. डीडीयाकलां
29. इग्यार
30. ढेहरी
31. कमेडिया
32. भावला
33. सोमणा
34. रोहिणी
35. आकोदा
36. दातीणा
37. मेहरवास
38. मांगलोद
39. सांडिला
40. तंवरा
41. अडसिंगा
42. बोसेरी
43. रातंगा
44. सिलारिया
45. सुवादिया
46. खेराट

पंचायत समिति—डेगाना

1. चम्पाखेड़ी (उ. उ. के.)
2. पालड़ी (उ. उ. के.)

3. सांजू (उ. उ. के.)
4. मेवड़ा (उ. उ. के.)
5. जालसूखुर्द
6. बछवारी
7. खिवताना
8. निम्बीकोठारिया
9. डेगानागांव
10. बामणा
11. राजोद
12. चुआ
13. पालीयास
14. रेवत
15. निम्बीकलां
16. कुत्यासनी
17. लवासर
18. मांझी
19. बूटाटी
20. निम्बोलाकलां
21. निम्बीचंदावता
22. आंतरोलीकलां
23. रामसरी
24. राजापुरा
25. खेरवा
26. राजलोता
27. लंगोड
28. पूनास
29. बिखरनियाकलां
30. भादवासी
31. बरना
32. चोलीयास
33. मिठडिया
34. आंतरोलीखुर्द
35. हरनिया की ढाणी
36. देवलामादा
37. गोरडियाचा
38. तामडोली
39. गुणसली
40. नथावड़ा
41. ओकेली "बी"
42. कवाल
43. जालसूकलां
44. चुई
45. जालसूनानक
46. थाटा
47. सिरासना
48. माण्डजोधा

49. लुनियास

50. झगडवास

51. ढाढरियाकलां

52. चान्दारूण

53. तिलानेस

54. मोगास

55. कितलसर

पंचायत समिति—परबतसर

1. गांगवा (उ. उप.)

2. जंजिला (उ. उ. के.)

3. बस्सी (उ. उ. के.)

4. गुलर (उ. उ. के.)

5. भकरी

6. हरनावा

7. ढाढोता

8. राबडियाद

9. मोडीखुर्द

10. मेहगांव

11. वरूण

12. किनसरिया

13. अरहट

14. चिताई

15. मण्डोवरी

16. खानपुर

17. वरनेल

18. मंगलाना

19. निम्बोला

20. बरेव

21. रूणिया

22. पीह

23. भादवा

24. मायापुर

25. नैणिया

26. खोखर

27. पिलवा

28. हुलढाणी

29. श्यामपुरा

30. मेहरासी

31. रिढ़

32. रोहिण्डी

33. सिटावट

34. झालरा

35. बिदियाद

36. कुराडा

37. नैतियास
38. मूण्डोता
39. कुण्डरी
40. मालास गौसाईयां

पंचायत समिति—रिंयाबडी

1. लिलीया (उ. उ. के.)
2. लाडपुरा (उ. उ. के.)
3. जाटावास (उ. उ. के.)
4. भैरून्दा (उ. उ. के.)
5. लाम्पोलाई
6. कोड
7. अरनियाला
8. गेमलियास
9. डोडियाना
10. मूगदडप
11. जलवाना
12. आकेली
13. जैसासनी
14. जडाऊ
15. चुन्दिया
16. चावण्डीया
17. मोरियाना
18. धांधलास
19. लाडवा
20. कात्यासनी
21. घनेरिया
22. गुढाजगमालोत
23. सेसड़ा
24. सूरियास
25. रासलियास
26. बीजाथल
27. मोडीकलां
28. निम्बोलाबिस्वां
29. बडायली
30. झीटियां
31. मोर्रा
32. डोटोलाई
33. रोहिसा
34. किला
35. मेडास
36. ढाणीपुरा
37. बासनीलूणकरण
38. दासावास
39. जसवन्ताबाद
40. सूरजगढ़

41. सनेडिया
42. टेहला
43. कंवरियाट
44. सथाना
45. सूदवाड
46. सूदवाड
47. मूंगदड
48. बड़ायली

पंचायत समिति—मकराना

1. गिंगालिया (उ. उ. के.)
2. चण्डालिया (उ. उ. के.)
3. कालवा (उ. उ. के.)
4. बाजोली
5. बिचांवा
6. खारडिया
7. बांसड़ा
8. जूसरी
9. ईटावालाखा
10. सफेद
11. गैलासर
12. इटावाबामणिया
13. सरनावड़ा
14. लाडोली
15. मनानी
16. नान्दोलीमेडितिया
17. कुचिपला
18. कूकडोद
19. चावण्डीया
20. भींयाकला
21. अल्तवा
22. डोबडीकलां
23. सबलपुर
24. खेडीशिला
25. मौखमपुरा
26. गैढाकला
27. इन्दोखा
28. बरवाली
29. बरवाला
30. डोबडिया
31. चाण्डी
32. मनाना
33. नान्दोलीचन्दावता
34. जूसरिया
[illegible]. खारड़िया
36. [illegible]

37. निम्बडी
38. रतनपुरा
39. रामसिया
40. बांसड़ा
41. जाखली
42. घानणवा
43. भरनाई
44. देवरी
45. हुडिया
46. मोडीचारणा

पंचायत समिति—कुचामनसिटी

1. चितावा (उ. उ. के.)
2. खारिया (उ. उ. के.)
3. पांचौता (उ. उ. के.)
4. श्यामगढ़
5. गोगोर
6. टोडास
7. सिरसी
8. पालडी
9. हुडिल
10. हिराणी
11. रावां
12. दीपपुरा
13. दौलपुरा
14. भांवता
15. ठिकरियाखुर्द
16. नावां स्टेशन
17. रघुनाथपुरा
18. अडकसर
19. पुरोहितोकाबास
20. शिवदानपुरा
21. बीजापुर
22. नारायणपुरा
23. चौसला
24. करकेड़ी
25. रसाल
26. जाब्दीनगर
27. आसपुरा
28. लूणवा
29. राजलिया
30. कुणी
31. पलाडा
32. गोविन्दी
33. खाखडकी
34. भुआना

35. शिव
36. खारीया
37. सरगोठपदमपुरा
38. नालोट
39. इन्दोखा
40. महाराजपुरा
41. परेवडी
42. प्रेमपुरा
43. छापरी
44. भूणी
45. जीणवास
46. लाम्बा
47. मोतीपुरा
48. जिजोट
49. बवलिगुढ़ा
50. चारणवास
51. इन्डाली
52. आनन्दपुरा
53. श्रवणपुरा
54. बरजन
55. खोरण्डी
56. लिच्याणा
57. चावण्डियां
58. शिम्भूपुरा

पंचायत समिति—मूण्डवा

1. मावण्डा (उ. उ. के.)
2. बिरलोका (उ. उ. के.)
3. कडलू (उ. उ. के.)
4. रूण (उ. उ. के.)
5. दियावडी
6. गोवाकलां
7. माडपुरा
8. नागडी
9. डिबोडी
10. खरनाल
11. झझण्डा
12. इन्दोखली
13. धिरोद
14. मंदियाड
15. माणकपुरा
16. भडाणा
17. जनाणा
18. गांजू
19. बुनरावता
20. बेराथलकलां

21.	ईनाणा	22.	धारणवास
23.	कांटिया	24.	खोडवा
25.	खटोड़ा	26.	भटनोखा
27.	आचीणा	28.	पिपलिया
29.	डाहरू	30.	गवाल
31.	सैनणी	32.	सीलगांव
33.	आंकला	34.	नारवाकलां
35.	बलाया	36.	खुण्डाला
37.	कुडछी	38.	फिडोद
39.	दुजार	40.	पालडीजोधा
41.	ईशरनावड़ा	42.	पालड़ीव्यासा

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-951 की सूची)

प्रसाविका प्रशिक्षण केन्द्र करौली पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों की जातिवार, वर्गवार एवं मेरिटवार विवरण

अनुसूचित जाति के चयनित अभ्यर्थियों की सूची

क्र.सं.	नाम अभ्यर्थी एवं पता	जन्म तिथी	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	कु. मनभर महावर पुत्री स्व. श्री छगन लाल महावर, ग्रा. पो. शिवाड़, जिला, सवाईमाधोपुर	5.7.80	69.09
2.	श्रीमती इन्द्राकुमारी पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण, तुलसीराम, शाहगंज, हिण्डौन सिटी	12.7.78	62.50
3.	कविता कुमारी बैरवा पुत्री श्री छोटूलाल बैरवा, फलौदी क्वारीज मकान नं.-173/400, सवाईमाधोपुर	2.6.81	57.27
4.	श्रीमती माया देवी पत्नि श्री विशम्भर दयाल, ग्रा. पो. निसूरा, वाया, श्री महावीरजी जिला-करौली	3.5.73	51.85
5.	कु. ममता महावर पुत्री त्रिलोक चन्द्र महावर, महाराणा प्रताप कोलोनी, मानटाउन, सवाईमाधोपुर	22.1.80	50.36
6.	ऊषा देवी पुत्री वासुदेव, जैन मन्दिर के पीछे, इन्द्रा कोलोनी, किशनगढ़वास, जिला—अलवर	8.7.81	50.18
7.	कु. अनिता तिलकर पुत्री घासी लाल, रामदेव मंदिर के पास, फलौदी क्वारी, जिला—सवाईमाधोपुर	1.2.82	49.45
8.	सरीता कुमारी पुत्री मानचन्द, ग्रा. पो. मण्डाला, तहसील—बहरोड़, जिला—अलवर	1.5.76	48.91
9.	रेखा कुमारी पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार, रेगर मोहल्ला, शहर, सवाईमाधोपुर	15.7.77	48.18

1	2	3	4
10.	विमलेश कुमारी पुत्री श्री दयानन्द जाटव, अम्बेडकर मूर्ति के पास, जाटव बस्ती, हिण्डौनसिटी, जिला—करौली (विधवा)	18.1.71	44.18

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण चयन हेतु अनुसूचित जनजाति के चयनित अभ्यर्थियों की सूची

1.	मुनेशी बाई मीना, पत्नी श्री शिवसिंह मीना, ग्रा. पो.—बिजलपुर, तह.—करौली, जिला—करौली	8.1.81	55.45
2.	कु. सुनीता देवी मीना, पुत्री श्री प्रभाती लाल मीना, चूली गेट, 2 नं. स्कूल के पास, गंगापुरसिटी, जिला—सवाईमाधोपुर	21.8.81	54.91
3.	आशा देवी मीना, पुत्री श्री हजारी लाल मीना पत्नी श्री गुमान सिंह मीना, ग्रा. पो.-शहराकर, तह.- टोडाभीम, जिला—करौली	10.12.81	51.81
4.	कु. सफेदी बाई मीना, पुत्री श्री रामखिलारी मीना ग्रा.-सनेट का पुरा, पो.-सनेट, तह.-हिण्डौन, जिला—करौली	4.12.79	51.27
5.	शिव कुमारी मीना, पुत्री राम भरोसीलाल मीना, प्लाट नं.-2, सत्यवती बिहार कालोनी, जिला-करौली	29.8.79	45.81
6.	शशिकला मीना पत्नी श्री सुरेश चन्द मीना ग्रा. पो. शहराकर तह. टोडाभीम जिला—करौली	1.7.82	44.36
7.	कु. माया मीना, पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह मीना, ग्रा. पो.-श्यामपुर, मुण्डेरी, तह. हिण्डौन, जिला—करौली	15.6.69	44.26

अन्य पिछड़ी जाति के चयनित अभ्यर्थियों की सूची

1.	कु. मिथलेश तेली पुत्री श्री मोहन लाल तेली, बस्सी मोहल्ला, खारे कुएं के पास, तह.-खण्डार जिला—सवाईमाधोपुर	27.7.81	67.82

1	2	3	4
2.	श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री रामेश्वर माली, पुराने अस्पताल के पास, ग्रा. पो.-मासलपुर, तह.-करौली जिला-करौली	10.8.79	65.50
3.	श्रीमती निर्मला पुत्री साहब सिंह केयर आसफ नत्थी लाल शर्मा, अशोका टाकीज के पीछे, जिला-अलवर	13.6.72	61.11
4.	उर्मिला बाई पुत्री राम खिलाड़ी, ग्रा.-डफलपुर, तह.-करौली, जिला—करौली	10.11.80	60.91
5.	रेणु शर्मा पुत्री श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, टोंगड़ा भवन के पास, लादिया मोहल्ला, जिला-अलवर	24.10.82	60.00
6.	नीरजबाला पुत्री श्री रघुवीर सिंह, ग्रा. पो.-सादौरा, तह.-कुम्हेर, जिला-भरतपुर	25.10.80	60.00
7.	हेमलता पुत्री श्री सत्यवीर सिंह, ग्राम-रीतौड़ी, पो.-सिकरौरी, तह.-कुम्हेर, जिला—भरतपुर	18.6.79	59.28
8.	बबीता चौधरी पुत्री शिवदयाल सिंह, ग्रा. पो.-डूडवा, वाया, बीदासर, जिला—सीकर	5.7.82	59.27
9.	कु. अरनेश यादव पुत्री श्री धर्मसिंह यादव, स्कीम नं. 10 बी, प्लाट नं.-2/74 अलवर, जिला—अलवर	15.6.81	59.27
10.	कु. शकुन्तला बाई, पुत्री श्री ज्ञानसिंह गुर्जर, मु. पो. नि.-निसूरा, तह.-टोडाभीम, जिला—करौली	15.7.81	59.09
11.	कु. लक्ष्मी पुत्री राजेन्द्र सिंह, कन्नी गुर्जर का चौराहा, भरतपुर, जिला—भरतपुर	26.6.79	59.09
12.	कु. नीलम बेवा पत्नी श्री जतीराम गुर्जर, ग्रां. पो.-निसूरा, तह.-टोडाभीम, वाया-महावीरजी, जिला—करौली (विधवा)	30.7.82	48.36
	सामान्य जाति के चयनित अभ्यर्थियों की सूची		
1.	कु. सुनीता गुप्ता पुत्री श्री भगवती प्रसाद गुप्ता, शास्त्री बाजार, नई मण्डी, स्टेशन रोड, हिण्डौनसिटी, जिला—करौली	6.3.78	74.36

1	2	3	4
2.	चमेली गर्ग पुत्री श्री धूलचन्द गर्ग, ग्रा. पो.-पीपल्दा, तह.-बोली, जिला—सवाईमाधोपुर	24.1.79	73.45
3.	कु. अनिता जैन, पुत्री श्री माधोलाल सिंघल, मु. पो.-पीपल्दा, तह.-बोली जिला—सवाईमाधोपुर	1.7.80	71.09
4.	प्रियंका उपाध्याय पुत्री श्री ओमप्रकाश उपाध्याय, ग्रा. पो.-वजीरपुर, तह.-गंगापुरसिटी, जिला—सवाईमाधोपुर	1.7.80	69.81
5.	वन्दना कुमारी शर्मा, पुत्री श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, कृष्णा कालोनी, पार वाले कुण्ड के पास, हिण्डौन सिटी, जिला—करौली	1.7.81	68.36
6.	श्रीमती उर्मिला गर्ग, पत्नी श्री खेमचन्द गर्ग केयर आफ श्री सतीश चन्द, शिवदयाल गर्ग, अनाज मण्डी रोड, सवाईमाधोपुर	30.3.73	67.83
7.	कु. पिंकी गुप्ता, पुत्री श्री राधेश्याम गुप्ता केयर आफ किन्दुरी लाल, रामस्वरूप महाजन, घी वाली गली, गंगापुरसिटी, जिला—सवाईमाधोपुर	4.4.82	66.55
8.	मनीषा सिंह, पत्नि श्री सत्येन्द्र सिंह, प्लाट नं.-3, तिलक नगर, बस स्टेण्ड के पास, जिला-भरतपुर	5.12.73	66.00
9.	कु. कौशल्या बाई सिरोहिया पुत्री श्री छुट्टन सिंह, ग्रा.-गण्डाला, तह.-बामनवास, जिला—सवाईमाधोपुर	1.7.81	65.27
10.	इन्द्रा बंसल पत्नी श्री भगवान दास गर्ग, अरावली ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के पास, मासलपुर, जिला—करौली	1.7.72	65.16
11.	संतोष शर्मा पुत्री श्री दामोदर लाल शर्मा, पठानों की मस्जिद के पास, चटीकना, करौली, जिला—करौली	1.1.80	65.09
12.	सुधा गोदारा पुत्री श्री प्रेमा राम गोदारा, ग्रा.-गोदारा की ढाणी, पोस्ट-चैलाशी, वाया-नवलगढ़, जिला—झुन्झुनूं	5.3.76	64.18

1	2	3	4
13.	मीना कुमारी शर्मा पत्नी श्री कमलेश शर्मा वी-32 सोमनाथ नगर, आगरा रोड, दौसा, जिला—दौसा	26.1.77	64.00
14.	कु. मोहनी शर्मा पत्नी श्री गिरधारी लाल शर्मा, ग्रा. पो.-परीता, तह.-करौली, जिला—करौली	2.8.81	63.46
15.	उर्मिला देवी पत्नी श्री सुवरनसिंह, ग्रा.-अटौटी, तह.-नंदबई, जिला—भरतपुर	1.7.69	63.46
16.	रूपलता शर्मा पुत्री मोहन लाल शर्मा, केयर आफ प्रहलाद नारायण शर्मा, व. अ., प्लाट नं.-83-बी, बालमंदिर, जिला—सवाईमाधोपुर	15.7.82	62.91
17.	सोना कुमारी पुत्री मुरारी लाल, ग्रा.-सोगर, पो. सोगर, तह.-कुम्हेर, जिला—भरतपुर	16.3.78	62.54
18.	उमा गर्ग पुत्री श्री ब्रह्मानंद गर्ग, पी.एन.आई क्वांटर के पास, नसिया कालोनी, गंगापुरसिटी (स. माधोपुर)	10.8.81	61.63
19.	सीमा शर्मा पुत्री स्व. श्री भागीरथ लाल शर्मा (जलवाई वाले) चौबेवाड़ा, करौली, जिला—करौली	19.1.77	61.43
20.	मीरा कुमारी पत्नी श्री सुनील कुमार शर्मा, शास्त्री नगर, सेंट्रल स्कूल के पास, भरतपुर, जिला—भरतपुर	2.2.73	60.83
21.	अनिता गुप्ता, पत्नी दिनेश कुमार सिंघल, मण्डावरा रेल्वे फाटक के पास, हिण्डौनसिटी, जिला—करौली	21.7.72	60.28
22.	कु. श्रीलता शर्मा पुत्री श्री हजारी लाल शर्मा, कल्याण जी मंदिर मार्ग, गंगापुरसिटी, जिला—सवाईमाधोपुर	12.10.81	60.18
23.	सावित्री देवी पत्नी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, केयर आफ श्री शिव कुमार चौधरी, शिव प्रिन्टिंग प्रेस, गोलबाग रोड, भरतपुर, जिला—भरतपुर	5.3.73	60.00
24.	अंजू राजावत, पत्नी श्री मानसिंह शेखावत, केयर आफ भैरूसिंह शेखावत, ग्रा. पो.-नारायणपुर, तह.-थानागाजी, जिला—अलवर	21.11.77	59.60

1	2	3	4
25.	राखी शर्मा पुत्री श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, 2-डी-13, एस. टी. सी., हाउसिंग बोर्ड कालोनी, नये अस्पताल के पास, रीको रोड, भरतपुर, जिला—भरतपुर	22.4.82	59.45
26.	राजेश्वरी पत्नी श्री निरंजन सिंह, ग्रा. पो. गुनसारा, तह. सुमेर जिला—भरतपुर	1.7.72	59.16
27.	प्रिंसी गौड़, पुत्री श्री फूलचन्द गौड़, होली गेट, नदबई रोड, जिला—भरतपुर	19.11.81	58.54
28.	भारती सिंह, पुत्री श्री महेन्द्र सिंह, ग्रा. पो.-नादौली, तह.-नदबई, जिला—भरतपुर, केयर आफ श्री चरण सिंह, सरपंच, ग्रा. पो.-बाराखुर, जिला—भरतपुर	12.12.77	58.54
29.	कु. गायत्री देवी पुत्री श्री लेखराज गौड़, कृष्णा कालोनी, तार वाले कुएं के पास, हिण्डौनसिटी जिला—करौली	5.9.81	58.36
30.	उत्तरा देवी पत्नी श्री स्व. जितेन्द्र सिंह, गांव-नगला, तेजसिंह सिमको लेबर कालोनी के पास, भरतपुर (जिला—भरतपुर) (विधवा)	15.7.71	53.50
31.	श्रीमती सविता गुप्ता पत्नी श्री घनश्याम गुप्ता, निवासी—करौली, जिला—करौली	9.3.68	माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-954 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में सड़कों का निर्माण/रख-रखाव पर व्यय की सूची वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	कार्य का नाम	वर्ष 1999-2000 में व्यय की राशि
1	2	3
5054 स्टेट हाइवे		
1.	धौलपुर सेपऊ स्टेट हाइवे-23 के कि.मी. 17 में पार्वती पुल की सुरक्षा का कार्य	0.10
5054 एम.एन.पी.		
1.	जारोली से सरानी खेड़ा, वाया-भगपुरा सड़क निर्माण कार्य मय सी. डी कार्य	0.63
2.	मिसिंग लिंकविश्नोदा से सरानी खेड़ा निर्माण कार्य	0.80
3.	मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य कनासिल से हरनाम का नंगला	0.50
4.	मच्छकुण्ड से मौरोली सड़क को ऊंचा उठाने एवं डामरीकरण का कार्य	0.22
5.	धौलपुर शहर में जी.टी. रोड से पुराना पोस्ट आफिस, वाया-गडरपुरा शहरी सड़क ड्रेनेज कार्य	2.70
		4.85
5054 एस.एम. एण्ड आर.		
1.	स्ट्रेन्थनिंग एवं 20 एम. एम. पी. एम. सी. पचगांव सड़क	0.01
2.	रा. उ. मार्ग से घंटाघर सड़क कि.मी. 1, 2	0.03
3.	धौलपुर सरानी खेड़ा सड़क कि.मी. 3, 4	0.05

1	2	3
4.	जाटोली कुथियाना सड़क	0.02
		0.11
5054 नाबार्ड		
	निमार्ण कार्य सम्पर्क सड़क जारोली	0.91
3054 सड़क रख-रखाव कार्य		
1.	धौलपुर सैपऊ सड़क	7,58,924.00
2.	धौलपुर बाड़ी सड़क	87,806.00
3.	बाड़ी सैपऊ बसई नवाव सड़क	3,09,607.00
4.	मचकुंड रोड से एन.एच. 3	100.00
5.	जाटोली कुथियाना सड़क किमी. 8, 9	18,000.00
6.	ओडेला कोलारी सड़क	61,199.00
7.	मचकुंड मौरोली सड़क	92,077.00
8.	नीम बसई सड़क	16,527.00
9.	सिटी सड़क धौलपुर	1,17,914.00
10.	धौलपुर से सरानी खेड़ा सड़क	69,089.00
11.	विरोधा सम्पर्क सड़क	6,060.00
12.	नगर सेहरोन सड़क	12,286.00
13.	सम्पर्क सड़क आरी	15,173.00
		15,64,762.00
विशेष मरम्मत कार्य रिन्यूअल धौलपुर सेपऊ सड़क		2,96,748.00
		योग : 18,61,510.00
सड़क रख-रखाव पर कार्यभारित कर्मचारियों का वेतन भुगतान		19.29 लाख
कुल योग : 3054		37.91 लाख

परिशिष्ट-10

परिशिष्ट-"अ"

वार्षिक योजना 1999-2000

जिलेवार योजना मद में राशि का उपयोग

क्र.सं.	जिला	व्यय (लाखों में)
1	2	3
1.	अजमेर	190.88
2.	अलवर	475.78
3.	बांसवाड़ा	199.50
4.	बारां	319.05
5.	बाड़मेर	363.05
6.	भरतपुर	332.86
7.	भीलवाड़ा	252.88
8.	बीकानेर	258.92
9.	बूंदी	163.87
10.	चित्तौड़गढ़	286.88
11.	चूरू	454.27
12.	दौसा	114.90
13.	धौलपुर	83.80
14.	डूंगरपुर	231.02
15.	श्रीगंगानगर	238.75
16.	हनुमानगढ़	262.46
17.	जयपुर	741.04

1	2	3
18.	जैसलमेर	108.06
19.	जालोर	373.30
20.	झालावाड़	276.76
21.	झुन्झुनूं	263.47
22.	जोधपुर	377.83
23.	करौली	192.98
24.	कोटा	307.77
25.	नागौर	864.54
26.	पाली	331.78
27.	राजसमन्द	191.47
28.	सवाईमाधोपुर	323.70
29.	सीकर	369.16
30.	सिरोही	125.79
31.	टोंक	250.47
32.	उदयपुर	312.35
	योग	**9629.33**
	अन्य	**816.98**
	कुल योग	**10446.31**

परिशिष्ट-"ब"

सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव गैर योजना मद में 1.4.99 से 31.3.2000 तक व्यय (सामग्री मद)

क्र.सं.	जिला	व्यय (लाखों में)
1	2	3
1.	अजमेर	192.96
2.	अलवर	301.40
3.	बांसवाड़ा	173.79
4.	ब्रारां	157.41
5.	बाड़मेर	299.10
6.	भरतपुर	140.04
7.	भीलवाड़ा	221.54
8.	बीकानेर	233.05
9.	बूंदी	63.43
10.	चित्तौड़गढ़	142.75
11.	चूरू	213.77
12.	दौसा	89.31
13.	धौलपुर	92.57
14.	डूंगरपुर	128.02
15.	श्रीगंगानगर	223.65
16.	हनुमानगढ़	164.74

1	2	3
17.	जयपुर	607.66
18.	जैसलमेर	68.96
19.	जालोर	226.13
20.	झालावाड़	77.33
21.	झुन्झुनूं	155.18
22.	जोधपुर	397.42
23.	करौली	72.17
24.	कोटा	143.45
25.	नागौर	347.44
26.	पाली	238.32
27.	राजसमन्द	87.75
28.	सवाईमाधोपुर	89.45
29.	सीकर	168.71
30.	सिरोही	78.02
31.	टोंक	92.34
32.	उदयपुर	280.36
	योग	**5968.22**

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-957 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

वर्ष 1999-2000 में टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र.सं	सड़क का नाम	स्वीकृत राशि	डी. आर. डी. ए. की विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत		भौतिक स्थिति
			प्रसंग	व्यय	
1.	ग्राम सांकरवाडा में रत्ती चौराहे से भरत लाल मास्टर एवं मंदिर के पास तक की सड़क 1.0 कि.मी.	1.00	319-23/17-4-99	0.83	कार्य पूर्ण
2.	भरत लाल मास्टर के मकान से मेंहदीपुर वाले रास्ते में 1 कि.मी. गिट्टी रोड	2.00	319-23/17-4-99	1.46	कार्य पूर्ण (1 कि.मी. ग्रेवल)
3.	बाई पास निर्माण कार्य मेंहदीपुर बालाजी एप्रोच रोड टोडाभीम बालाजी रोड कि.मी. 0/0 से 4/775	7.50	1684-87/2-6-99	5.62	4.475 कि.मी. ग्रेवल सड़क का कार्य पूर्ण
4.	लिंक रोड मेंहदीपुर बालाजी बाई पास से सांकरवाड़ा तक कि.मी. 0/10 से 1/0	1.00	689-92/8-3-2000	—	
5.	ग्रेवल सड़क ग्राम सांकरवाड़ा से भनकपुरा टोडाभीम सड़क से जोड़ने का कार्य	2.40	750-52/25-3-2000	—	
6.	मिसिंग लिंक रोड निर्माण कार्य भरत लाल मास्टर के मकान से	3.80	750-52/25-3-2000	—	

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-962 की सूची)

परिशिष्ट-"क"

पंचायत मुख्यालय जो तहसील मुख्यालय श्रीडूंगरगढ़ सड़क से नहीं जुड़े की सूची

क्र.सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम	जनसंख्या (1991)	लम्बाई (कि.मी. में)
1.	बींझासर	1424	6.00
2.	दुसारणा पुण्डरीक जी	521	10.00
3.	गेवरसर	1422	7.00
4.	ढाणी कालेरा	935	4.00

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-963 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

बीदासर—श्रीडूंगरगढ़ एवं कालू सड़क पर किये गये व्यय राशि का विवरण वर्ष 1995-1996 से 1999-2000 तक

वर्ष	कुल व्यय राशि (रु. लाखों में)
1995-96	10.46
1996-97	9.26
1997-98	9.53
1998-99	13.68
1999-2000	6.05
कुल योग	48.98

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-968 की प्रति)

1 कार्यालय शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।

क्रमांक : परि/अधि/प/उप्रशा/90/119 दिनांक : 09/12/99

(1) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर

(2) समस्त उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक)

(3) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)

विषय : कक्षा-8 की बोर्ड पैटर्न पर आयोजित वार्षिक परीक्षा में कम परीक्षा परिणाम देने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के क्रम में।

प्रसंग : राज्य सरकार का पत्रांक प. 22(41) शिक्षा-1/98 दिनांक : 7.9.98 एवं 11.1.98 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक पत्र के आदेशानुसार वर्ष 1998 में बोर्ड पैटर्न पर आयोजित कक्षा-8 की वार्षिक परीक्षा में 0% से 80% एवं 80% से अधिक परीक्षा परिणाम वाले राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों एवं सम्बन्धित विषयाध्यापकों के विरुद्ध निम्न विवरणानुसार अनुशासनात्मक/प्रवेश-पत्र की कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जाकर की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक : 31.1.99 तक अनिवार्य रूप से सूचित करें एवं राज्य सरकार को भी सूचित करें—

क्र. सं.	परीक्षा परिणाम (प्रतिशत में)	कार्यवाही
1.	0%	स्थानान्तरण, गोपनीय प्रतिवेदन में प्रविष्टि एवं सी.सी.ए. 17 में नोटिस देकर नियमानुसार कार्यवाही
2.	0% से अधिक परन्तु 20% तक	सी.सी.ए. 17 में नोटिस देकर उचित दण्ड व गोपनीय प्रतिवेदन में प्रविष्टि
3.	20% से अधिक परन्तु 30% से कम	गोपनीय प्रतिवेदन में प्रविष्टि
4.	30% से अधिक परन्तु 50% से कम	लिखित चेतावनी
5.	80% से अधिक	प्रशंसा-पत्र

आगामी वर्षों में परीक्षा परिणाम में अपेक्षित सुधार लाने हेतु सक्षम अधिकारी अपने अपने कार्यालय स्तर पर मोनीटरिंग की माकूल व्यवस्था करने का श्रम करें।

(आर. वेंकिटेवरन)

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-971 की सूची)

परिशिष्ट-"क"

न्यून उपस्थिति के कारण परीक्षा में बैठने से वंचित छात्रों का विवरण

क्र.सं.	छात्र का नाम	जाति	छात्र की उपस्थिति	न्यून उपस्थिति
1.	जसवन्त सिंह	सामान्य राजपूत	163	53
2.	मुकेश चन्देल	अजा खटीक	226	31
3.	नन्द किशोर मीणा	अजजा मीणा	195	62
4.	नवीन कुमार	सामान्य कायस्थ	181	35
5.	रविन्द्र कुमार मीणा	अजजा मीणा	187	29
6.	धनपाल मेघवाल	अजा मेघवाल	190	26
7.	दिनेश कुमार शर्मा	सामान्य ब्राह्मण	163	53
8.	दीपक सेन	ओबीसी नाई	167	49
9.	गणेश कुमार नायक	अजा नायक	184	32

बोर्ड चेयरमैन/संस्था प्रधान को 25 मीटिंग की छूट का अधिकार है जो समान रूप से सभी छूट सीमा में आने वाले छात्रों को प्रदान की गई है।

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-974 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

(DEPARTMENT OF COMMERCIAL OPERATIONS)

TOTAL RATES INCLUDING FUEL SURCHARGE AND ELECTRICITY DUTY

w.e.f. FROM BILLING MONTH OF NOVEMBER, 1999

Rates in p/unit

S.No.	Category	Pre-revised Rates	Existing Rates
1	2	3	4
I.	DOMESTIC SERVICE		
(a)	Upto 50 Units/month	132	175*
(b)	Above 50 Units/month.	171 (AV)	240*
II.	NON-DOMESTIC SERVICE		
(i)	First 100 Units/month.	321	400
(ii)	Above 100 Units/month.	374 (AV)	440
III.	PUBLIC STREET LIGHTING		
(a)	In Panchayat/Municipal areas having population below one Lakh	236	270**
(b)	In Municipal areas having	266**	320**

1	2	3	4
	population one Lakh & above		
IV.	AGRICULTURE SERVICE		
(A)	METERED SUPPLY		
1.	Connections in Rural Areas		
(a)	Wells released under normal agriculture Tariff	52	72
(b)	Wells released under Nursery category till conversion	–	160*
2.	Connections in Urban Areas & Connections receiving supply from continuous/24 Hours Supply feeders :		
(a)	Wells released before 1-1-95	52	112
(b)	Wells released on and after 1-1-95.	52	142
(c)	Agriculture Connections in Farm Houses	175 (AV)	222

Notes :

* (a) In rural areas only, a rebate of 10% under Domestic Service in the above "Rate of Charges" shall be allowed.

* (b) In rural & Urban Areas, a rebate of 5-Paise per Unit under Domestic Service in the above "Rate of Charges" shall be allowed if the consumer uses "Solar Water Heating System" after approval by R.S.E.B.

** If the timer is provided on the real light circul. rebate of preased in the will be allowed.

* w.e.f. billing monthly December, 1999

Rates in P/unit

1	2	3	4
IV. AGRICULTURE SERVICE : (Contd.)			
(B) FLAT RATE SUPPLY			
(i)	Connections In rural Areas :		
(a)	Wells released under normal agriculture Tariff	Rs. 32 per HP/month to Rs. 43/HP/ month AV Rs. 38.25/HP/ month plus 5%ED	Rs. 60 per HP/month plus 5% ED
(b)	Connections released under special General Agricultural Connection Scheme of 96-97	-do-	Rs. 60* per HP/month plus 5% ED

1	2	3	4
	(ii) Connections in Urban Areas and connections receiving supply from continuous/24 Hours supply feeders :		
	(a) Wells released before 1-1-95	-do-	Rs. 95 per HP/month plus 5% ED
	(b) Wells released on and after 1-1-95	-do-	Rs. 120 per HP/month Plus 5% ED
	(c) MISCELLANEOUS SUPPLY (AGRICULTURE) (Poultring, Farming & Fisheries only)		
	(i) Connections in Urban Areas and connections receiving supply from continuous/24 Hours supply feeders : Metered Connections :	—	142
	(ii) Connections in Rural Areas : Metered Connections :	—	112
	V. SMALL INDUSTRIAL SERVICE (Upto 25 HP conn. load.)	305 (AV)	339

1	2	3	4
VI.	**MEDIUM INDUSTRIAL SERVICE** (Above 25 HP & upto 150 HP conn. load but not exceeding maximum demand of 125 KVA)	340	372
VII.	**BULK SUPPLY FOR MIXED LOAD**	351	372
VIII.	**LARGE INDUSTRIAL LOAD :** (Above 150 HP conn. load &/or maximum demand above 125 KVA)	361	395

NOTES :

* w.e.f. billing month of December, 1999.

This rate shell be applicable from the month in which other General category well connections having priority of the same month and year are released under general Agriculture category quota in that village.

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-979 की सूची)

परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा के अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3
1.	ढाणी	24/2/18
2.	कथेरिया	24/4/11
3.	कानेला	14
4.	कुपडी	228
5.	कुवा	7
6.	कुण्डला	239
7.	खूंटा पारगी	13
8.	खूंटा दलजी माना	247
9.	गड़ा	198
10.	विलाचला	259
11.	झरड़ा खुर्द	230
12.	झेरछोटी	245
13.	डमलरा	8
14.	तलावड़ी उर्फ रतनपुरा	18
15.	दाद	43
16.	धुलियागढ़	97
17.	नरानीया	16

1	2	3
18.	पाड़ोला	53
19.	पाटीया	19
20.	पुछियावाड़ा	21
21.	पिपलाई जोगदा	224
22.	बड़ा तालाब	75
23.	बरकोटा	9
24.	वीरभाटोड़	33
25.	बोडीया तलाई	215
26.	भूरा टिम्बा बड़ा	54
27.	भूरा टिम्बा छोटा	24/4/155
28.	महुडी खूंटा	44
29.	मेहन्दी खेड़ा	260
30.	रोहनिवा	17
31.	बागाखोड़ा	156
32.	शिवपुरा	241
33.	हडमातीयां	244
34	हालेड़ा	45
35.	हमीरपुरा छोटा	218
36.	पन्डेरा	219
37.	डूंगरी	220
38.	कुपड़ा	222

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-984 की प्रति)

परिशिष्ट-"अ"

भाग 1 (ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएं

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 25, 1998

संख्या एफ. 11 (136) आरएण्डपी/सकवि/11483—राजस्थान राज्य में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में कुछ जातियों जैसे : हरिजन, भंगी, मेहतर, वाल्मिकी, सांसी, बाजीगर, कंजर, बावरी, भील, साझोर, गरासिया, कालबेलिया, चण्डाल, डोम, मदारी, सपेरा, बावरिया, आदिधर्मी एवं सहरिया आदि को दी जाने वाली सुविधाओं का उचित लाभ दिये जाने हेतु विचार करने के लिए राज्य सरकार एतद्द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास आयोग का गठन करती है।

यह आयोग राजस्थान अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास आयोग के नाम से जाना जायेगा।

इस आयोग की सदस्यता एवं कार्य निम्नप्रकार होंगे :

सदस्यता

1. यह एक सदस्यीय अस्थाई आयोग होगा जिसका कार्यकाल एक वर्ष का होगा।
2. सदस्य का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।
3. इस आयोग के सदस्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त सचिव स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे।
4. सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा परन्तु सदस्य समयावधि से पूर्व अपना त्याग-पत्र राज्य सरकार को देकर आयोग की सदस्यता त्याग सकता है।

5. आयोग को आवश्यकतानुसार सचिव आवश्यक स्टाफ उपलब्ध कराया जायेगा।

6. राज्य सरकार इस आयोग के सदस्य को निम्न परिस्थितियों में पदमुक्त कर सकेगी—

अ. कानूनी रूप से दिवालिया घोषित होने पर

ब. किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक आचरण का दोषी पाये जाने पर

स. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल करार दिये जाने पर

द. कार्य करने से मना करने अथवा कार्य करने के अयोग्य होने पर

य. राज्य सरकार की राय में अपने पद का दुरुपयोग करने के फलस्वरूप, अनुसूचित जाति/जनजातियों अथवा जनहित में पद पर बने रहने के अनुपयुक्त होने पर, परन्तु सदस्य की सदस्यता बिना उसे सुनवाई का मौका दिये समाप्त नहीं की जा सकेगी।

र. आयोग के सदस्य का पद रिक्त होन पर राज्य सरकार द्वारा भरा जा सकेगा।

आयोग के कार्य एवं शक्तियां

1. यह आयोग इन चिन्हित वर्गों/समुदायों अथवा जातियों के ऐतिहासिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं में असमंजसता के फलस्वरूप पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाएगा तथा प्रत्येक वर्ग विशेष की क्षमताओं का चिन्हीकरण पृथक-पृथक से करेगा।

2. इन अति पिछड़ी जातियों के शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक दृष्टि से पिछड़ेपन के कारणों की व्याख्या कर उन्हें शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक विकास की मुख्यधारा से जोड़ने को संतुलित करेगा।

3. इन जातियों की क्षमताओं एवं कार्य कुशलता के परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से व्यवहारिक वैकल्पिक उद्यमों के प्रशिक्षणों का चिन्हीकरण करेगा तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को क्षमता के अनुरूप आवश्यक ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराने की सिफारिश करेगा।

4. यह आयोग यह भी पता लगाएगा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार समय-समय पर प्रसारित आरक्षण संबंधी आदेशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के विरुद्ध इन जातियों को किस सीमा तक आरक्षण का लाभ मिला है तथा कुल आरक्षित पदों में

अन्य अनुसूचित जाति/जनजाति की तुलना में इनका प्रतिनिधित्व कम क्यों है तथा इन जातियों की राजकीय सेवा में आरक्षण नीति के अन्तर्गत उपस्थिति को अनुसूचित जाति/जनजाति की अन्य जातियों के समकक्ष कैसे किया जावे।

5. अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बनाई गई विशेष योजनाओं का लाभ किन-किन जातियों को विशेष रूप से अधिक मिला है तथा इन अत्यधिक पिछड़ी जातियों के लिए किन विशेष योजनाओं का सृजन किया जाये ताकि इन योजनाओं का सीधा लाभ इनके शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सहायक सिद्ध हो सके।

6. यह आयोग उपर्युक्त वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु यदि आवश्यक समझे तो इन चिन्हित जातियों के स्थानीय मुखियाओं/प्रतिनिधियों एवं संगठनों के पदाधिकारियों से भी समय-समय पर अपने विवेकानुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है एवं उनकी भागीदारी को भी प्रोत्साहित कर सकेगा।

गुरुचरण सिंह संधु,

शासन सचिव

परिशिष्ट-"ब"

भाग 1 (ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएं

समाज कल्याण विभाग

संशोधित अधिसूचना

जयपुर, जुलाई, 9, 1998

संख्या प. 11(136)आरएण्डपी/सकवि 140281—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ. 11(136)आरएण्डपी/सकवि/11483, दिनांक 25-3-98 में अभिव्यक्ति "3-इस आयोग के सदस्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त सचिव स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे" के स्थान पर निम्नलिखित अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जाती है : —

"3. इस आयोग के सदस्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त सचिव स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अथवा सामाजिक कार्यकर्त्ता होंगे।"

गुरुचरण सिंह संधु
शासन सचिव

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-988 का विवरण)

परिशिष्ट-"क"

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं क्रमोन्नति का विवरण

क्र.सं.	नाम विद्यालय	विद्यालय क्रमोन्नति का वर्ष
1	2	3
1.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कल्याणपुरा कलां	1979
2.	राउप्रावि., कल्याणपुरा खुर्द	1997
3.	राउप्रावि., करवास	1972
4.	राउप्रावि., कालूहेडा	1973
5.	राउप्रावि., केशवानाराजपूत	1985
6.	राउप्रावि., कूजोता	1995
7.	राउप्रावि., खडब	1984
8.	राउप्रावि., गोपालपुरा	1971
9.	राउप्रावि., गोरधनपुरा	1976
10.	राउप्रावि., चतुर्भज	1998
11.	राउप्रावि., जयसिंहपुरा	1984
12.	राउप्रावि., जोधपुरा	1996
13.	राउप्रावि., टोरड़ा	1981
14.	राउप्रावि., ढाढा सुदुरपुरा	1998
15.	राउप्रावि., ढाणी केरोड़ी	1984
16.	राउप्रावि., ढाणी झीड़ा	1986
17.	राउप्रावि., द्वारिकापुरा	1984

1	2	3
18.	राउप्रावि., धालेड़ा	1978
19.	राउप्रावि., नांगल पण्डितपुरा	1977
20.	राउप्रावि., पनियाला	1989
21.	राउप्रावि., पाथरेड़ी	1984
22.	राउप्रावि., पूतली	1991
23.	राउप्रावि., फतेहपुरा कलां	1995
24.	राउप्रावि., फतेहपुरा खुर्द	1995
25.	राउप्रावि., बसई	1995
26.	राउप्रावि., बूचाहेड़ा	1978
27.	राउप्रावि., बड़ाबस	1973
28.	राउप्रावि., भूतेश्वर	1990
29.	राउप्रावि., फौजावाली	1981
30.	राउप्रावि., भूरीभड़ाज	1978
31.	राउप्रावि., बूचारा	1979
32.	राउप्रावि., मोरदा	1983
33.	राउप्रावि., मोहनपुरा	1995
34.	राउप्रावि., मलपुरा	1997
35.	राउप्रावि., मोलाहेड़ा	1996
36.	राउप्रावि., रामपुरा	1985
37.	राउप्रावि., रघुनाथपुरा	1966
38.	राउप्रावि., रामसिंहपुरा	1994
39.	राउप्रावि., रायकर्णपुरा	1973

1	2	3
40.	राउप्रावि., राहेड़ा	1990
41.	राउप्रावि., मांजूकोट	1973
42.	राउप्रावि., सरूण्ड	1984
43.	राउप्रावि., सुजातनगर	1981
44.	राउप्रावि., सुन्दरापुरा	1983
45.	राउप्रावि., नागडीवास	1999
46.	राउप्रावि., बेरी	2000
47.	राउप्रावि., बा. दातिल	1986
48.	राउप्रावि., सुन्दरपुरा	1977
49.	राउप्रावि., नारेहड़ा	1985
50.	राउप्रावि., गोनेड़ा	1977
51.	राउप्रावि., सांगटेड़ा	1988
52.	राउप्रावि., राजनोता	2000

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या-989 की सूची)

परिशिष्ट-"क"

जिला		तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्त किये गये अध्यापकों की संख्या	
		संविदा	व्यावसायिक
1	2	3	4
1.	अजमेर	0	3
2.	अलवर	0	2
3.	बारां	0	10
4.	बांसवाड़ा	10	0
5.	बाड़मेर	07	43
6.	भरतपुर	0	2
7.	भीलवाड़ा	43	26
8.	बीकानेर	0	0
9.	बून्दी	0	25
10.	चित्तौड़गढ़	131	0
11.	चूरू	0	0
12.	दौसा	0	2
13.	धौलपुर	0	0
14.	डुंगरपुर	56	17
15.	श्रीगंगानगर	0	17
16.	हनुमानगढ़	0	4

1	2	3	4
17.	जयपुर	0	0
18.	जैसलमेर	0	26
19.	जालोर	0	2
20.	झालावाड़	0	0
21.	झुंझुनूं	0	10
22.	जोधपुर	0	0
23.	कोटा	0	4
24.	करौली	0	0
25.	नागौर	82	61
26.	पाली	3	16
27.	राजसमंद	24	12
28.	सवाईमाधोपुर	0	0
29.	सीकर	0	24
30.	सिरोही	0	0
31.	टोंक	0	0
32.	उदयपुर	161	0
	योग	517	306

परिशिष्ट-21

(अतारांकित प्रश्न संख्या-991 की सूची)

1.	श्री फूलचन्द पिता जीवाजी मीणा, सलूम्बर	70×100 वर्ग फीट
2.	केशर सिंह/नाथूसिंहजी राजपूत, डांगीवाडा	15×19 वर्ग फीट
3.	प्रकाश चन्द पिता चौथमल जैन, डाल	15×19 वर्ग फीट
4.	कालूलाल पिता अमरजी सुथार, सलूम्बर	15×19 वर्ग फीट
5.	दिनेश कुमार पिता धुलचन्द जैन, डाल	15×19 वर्ग फीट
6.	मोतीदेवी/धुलचन्द जैन, करगेटा	25×45 वर्ग फीट
7.	मदन देवी/नाहर सिंह भण्डारी, सलूम्बर	30×40 वर्ग फीट
8.	कालूलाल/भैरूलाल मेघवाल, सलूम्बर	30×45 वर्ग फीट
9.	विनोद कुमार/भगवान लाल जैन, करगेटा	30×45 वर्ग फीट
10.	प्रतिभा न्याति/सुनील न्याति, सलूम्बर	30×45 वर्ग फीट
11.	नाथुलाल/सुन्दर लाल कचौरिया, सलूम्बर	30×45 वर्ग फीट
12.	गोवर्धन दास/हरिदास वैष्णव, सलूम्बर	30×45 वर्ग फीट
13.	लक्ष्मणदास/हरिदास वैष्णव, सलूम्बर	30×45 वर्ग फीट
14.	नजमुदीन/अब्दुल हुसैन बोहरा, सलूम्बर	30×45 वर्ग फीट
15.	प्रकाश चन्द्र/चौथमल जैन, डाल	25×38 वर्ग फीट
16.	धुलचन्द/भगवानजी जैन, डाल	25×38 वर्ग फीट

परिशिष्ट-22

(अतारांकित प्रश्न संख्या-996 की सूची)

परिशिष्ट-"अ"

बाल विकास परियोजना देवगढ़ के अन्तर्गत स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र की सूची

क्र. सं.	नाम आंगनबाड़ी केन्द्र	क्र. सं.	नाम आंगनबाड़ी केन्द्र
1	2	1	2
1.	अनौपुरा	2.	दौलपुरा
3.	आंजना	4.	मदारिया
5.	मालियों का बास	6.	वेणा का खेड़ा
7.	नीमझर	8.	कुंवारिया
9.	कालेसरिया	10.	खाबरड़ा
11.	सालियों का खेड़ा	12.	भारतसिंह का गुड़ा
13.	कोटड़ा	14.	कून्दवा
15.	वूझड़ा	16.	भवरड़ियां
17.	पारड़ी	18.	डागड़ी
19.	पितामपुरा	20.	भूण्डावास
21.	माण्डावाड़ा	22.	किशनपुरा
23.	विजयपुरा	24.	कीटों का बाडिया
25.	कामला	26.	मादा की बस्सी
27.	हदवों का बास	28.	हीराखेड़ा
29.	संग्रामपुरा	30.	ताल-1
31.	ताल-2 (भीलों का वालरा)	32.	ताल-3
33.	लसानी-1	34.	लसानी-2 (नाड़ का चौड़ा)

1	2	1	2
35.	लसानी-3 (तालाब का वाडिया)	36.	शक्करगढ़
37.	कलालों की आंती	38.	कालागुन
39.	सौपरी	40.	बटेरी
41.	राशमी	42.	पाता की आंती
43.	कुण्डेली	44.	मियाला
45.	ईशर मण्ड	46.	अर्जुनगढ़
47.	देवपुरा	48.	घाटी
49.	सोहनगढ़	50.	वाणिया हाटड़ी
51.	कांकरोदा	52.	सांगावास
53.	करछों का खेड़ा	54.	सूरतपुरा
55.	पानड़ी	56.	कुंवाथल
57.	नरदास का गुड़ा	58.	तपालों का खेड़ा
59.	रान	60.	स्वादड़ी "अ"
61.	स्वादड़ी "ब"	62.	दुदालिया
63.	वियाना	64.	टोंकरा
65.	गुणिया	66.	नाराणा
67.	टेगी	68.	माताजी का गांव
69.	माताडागा का खेड़ा	70.	माद
71.	कमेरी	72.	महासिंह का खेड़ा
73.	दांतड़ा	74.	खूमाखेड़ा
75.	रतनागुड़ा		

परिशिष्ट-23

(अतारांकित प्रश्न संख्या-999 की सूची)

परिशिष्ट-"अ"

क्र.सं.	जिले का नाम	महिला पर्यवेक्षक के स्वीकृत पद	महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पद	वि. विवरण
1	2	3	4	5
1.	अलवर	100	60	
2.	अजमेर	63	38	
3.	बाड़मेर	65	12	
4.	बांसवाड़ा	64	4	
5.	बूंदी	31	7	
6.	बीकानेर	40	7	
7.	बारां	35	15	
8.	भरतपुर	64	9	
9.	भीलवाड़ा	61	6	
10.	चित्तौड़गढ़	78	43	
11.	चूरू	58	11	
12.	धौलपुर	25	–	
13.	दौसा	42	3	
14.	डूंगरपुर	42	2	
15.	श्री गंगानगर	50	15	
16.	हनुमानगढ़	37	17	
17.	जयपुर	109	–	

1	2	3	4	5
18.	जैसलमेर	17	6	
19.	जालोर	49	25	
20.	झालावाड़	41	15	
21.	झुंझुनूं	13	–	
22.	जोधपुर	43	–	
23.	करौली	36	11	
24.	कोटा	27	–	
25.	नागौर	72	27	
26.	पाली	35	4	
27.	राजसमंद	13	–	
28.	सीकर	7	–	
29.	सवाईमाधोपुर	34	5	
30.	सिरोही	31	7	
31.	टोंक	40	3	
32.	उदयपुर	71	–	
	योग : –	1493	352	

परिशिष्ट-24

(अतारांकित प्रश्न संख्या-1008 का विवरण)

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र भिनाय में 1 जनवरी, 2000 के बाद विभिन्न यूजर्स कमेटियों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में करवाये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	जल ग्रहण का नाम	योजना	गांव का नाम	क्रियान्वयन संस्था का नाम	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल/ संख्या	लागत (लाख रुपयों में)	निरीक्षणकर्त्ता	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	धातोल	राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास योजना	धातोल	यूजर्स कमेटी	कृषि भूमि पर समोच्य रेखा बन्दी	22.5 है.	0.12	कृषि अधिकारी	3.2.2000
									11.2.2000
					अकृषि भूमि पर संरक्षण कार्य	42.0 है.	0.22		22.2.2000
									7.3.2000
					नाला उपचार कार्य	127 है.	1.14		15.3.2000
									16.3.2000
								उप निदेशक	22.2.2000
2.	धातोल	राष्ट्रीय जल ग्रहण	उदयगढ़	यूजर्स	कृषि भूमि पर समोच्य	13.94 है.	0.09	कृषि अधिकारी	3.2.2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		विकास परियोजना			रेखा बन्दी				11.2.2000
					अकृषि भूमि पर संरक्षण कार्य	15.7 है.	0.10		22.2.2000
									7.3.2000
					नाला उपचार कार्य	33 संख्या	0.60		15.3.2000
									16.3.2000
								उप निदेशक	22.2.2000
3.	धातोल	राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना	गूजर बाडा (भिनाय)	यूजर्स कमेटी	नाला उपचार कार्य	6 संख्या	0.09	कृषि अधिकारी	3.2.2000
									11.2.2000
									22.2.2000
									7.3.2000
									15.3.2000
									16.3.2000
									22.2.2000
4.	धातोल	राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना	रामलिया	यूजर्स कमेटी	कृषि भूमि पर समोच्य रेखा बन्दी	121 है.	0.73	कृषि अधिकारी	3.2.2000
									11.2.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					अकृषि भूमि पर डीसीबी कार्य	560 मी.	0.15		22.2.2000
									7.3.2000
					नाला उपचार कार्य	33 संख्या	1.60		15.3.2000
									16.3.2000
								उप निदेशक	22.2.2000
5.	श्रीरामपुरा	राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास योजना	श्रीरामपुरा	यूजर्स कमेटी	कृषि भूमि पर समोच्य रेखा बन्दी कार्य	165 है.	1.00	सहायक कृषि अभियंता	24.1.2000
									15.3.2000
					नाला उपचार कार्य (स्ट्रक्चर)				3.3.2000
									8.3.2000
									18.3.2000
									19.3.2000
								उप निदेशक	22.2.2000
6.	श्रीरामपुरा	राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास योजना	कासीर	यूजर्स कमेटी	कृषि भूमि पर समोच्य रेखा बन्दी कार्य	162 है.	1.11	सहायक कृषि अभियंता	24.1.2000
									15.3.2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									3.3.2000
									8.3.2000
									18.3.2000
									19.3.2000
								उप निदेशक	12.2.2000
7.	श्रीरामपुरा	राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना	बन्थली	यूजर्स कमेटी	कृषि भूमि पर समोच्य रेखा बन्दी कार्य	132 है.	0.81	सहायक कृषि अभियंता	24.1.2000
									15.3.2000
					नाला उपचार कार्य (स्ट्रक्चर)	3 संख्या	0.64		3.3.2000
									8.3.2000
									18.3.2000
									19.3.2000
								उप निदेशक	12.2.2000
8.	श्रीरामपुरा	श्रीरामपुरा	दोथली	यूजर्स कमेटी	कृषि भूमि पर समोच्य रेखा बन्दी कार्य	89 है.	0.55	सहायक कृषि अभियंता	24.1.2000
									15.3.2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									3.3.2000
									8.3.2000
									18.3.2000
									19.3.2000
								उप निदेशक	12.2.2000
9.	श्रीरामपुरा	राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोंजना	झीरोता	यूजर्स कमेटी	कृषि भूमि पर समोच्य रेखा बन्दी कार्य	159 है.	0.97	सहायक कृषि अभियंता	24.1.2000
									15.3.2000
					नाला उपचार कार्य (स्ट्रक्चर)	3 संख्या	0.64		3.3.2000
									8.3.2000
									18.3.2000
									19.3.2000
								उप निदेशक	12.2.2000
10.	बीडला	सुनिश्चित रोजगार योजना	झीरोता	यूजर्स कमेटी	कृषि भूमि पर समोच्य रेखा बन्दी कार्य	159 है.	0.97	सहायक कृषि अभियंता	17.1.2000
									14.2.2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									26.2.2000 27.3.2000
11.	चान्दोलाई	सुनिश्चित रोजगार योजना	चान्दोलाई	जल ग्रहण समिति	कृषि योग्य भूमि पर जल संग्रहण कार्य	2 संख्या	2.04	सहायक कृषि अभियंता	17.1.2000 14.2.2000 26.2.2000 27.3.2000
12.	सदापुर	सुनिश्चित रोजगार योजना	सदापुर	जल ग्रहण समिति	कृषि योग्य भूमि पर जल संग्रहण कार्य	1 संख्या	0.61	सहायक कृषि अभियंता	17.1.2000 14.2.2000 26.2.2000 27.3.2000

परिशिष्ट-2

विधान सभा क्षेत्र भिनाय में गठित यूजर्स कमेटियों का विवरण

क्र.सं.	यूजर्स कमेटी का नाम	गठन का विवरण
1.	छातोल	फरवरी, 98
2.	गूजरवाड़ा	मई, 98
3.	उदयगढ़खेड़ा	मई, 98
4.	रामलिया	नवम्बर, 99
5.	श्रीरामपुरा	मई, 99
6.	कासीर	फरवरी, 98
7.	बन्थली	मई, 99
8.	दोथली	मई, 99
9.	झीरोता	मई, 99
10.	विडला	मई, 99
11.	चान्दोलाई	मई, 99
12.	सदापुर	मई, 99
13.	रामसिंहपुरा	मई, 99

परिशिष्ट-25

(अतारांकित प्रश्न संख्या-624 की सूची)

कार्यालय, पंचायत समिति-कुचामनसिटी (नागौर)

पंचायत समिति की दुकानों का विवरण

क्र.सं.	किरायेदार का नाम	दुकान नं.	किराया (मासिक)
1	2	3	4
1.	श्री दिलीप सिंह/कर्ण सिंह	1	110/-
2.	श्री दिलीप सिंह/कर्ण सिंह	2	110
3.	श्री नगेन्द्र सिंह/दिलीप सिंह	3	110/-
4.	श्री अजय सिंह/कर्ण सिंह	4	110/-
5.	श्री धीरज शर्मा/चतुर्भुज शर्मा	5	200/-
6.	श्री नीरज शर्मा/चतुर्भुज शर्मा	6	200/-
7.	श्री मधुसूदन/श्रीनिवास	7	110/-
8.	नर्मदा/गुलाब चन्द	8	110/-
9.	श्री यासीन मौ/खान मौ.	9	200/-
10.	श्री युनुस खां/गुलाम मौ.	10	200/-
11.	श्री महबूत/अरदीन	11	200/-
12.	श्री इमदाद खां/गुलाम मौ.	12	200/-
13.	श्री कैलाश चन्द/रतन लाल	13	110/-
14.	श्री गिरधारी सिंह/इन्द्र सिंह	14	200/-
15.	श्री उमरदीन/अब्दुल सत्तार	15	200/-
16.	श्री अयूब खां/मेजर खां	16	170/-

1	2	3	4
17.	सज्जन कुमारी/भवानी सिंह	17	300/-
18.	श्री माणक लाल/धनराज सैन	18	300/-
19.	श्री गोपाल लाल/नन्दलाल	19	300/-
20.	श्री बनवारी लाल/पूसाराम	20	300/-
21.	श्री किशन लाल/हनुमानदास	21	300/-
22.	श्री रामधन/भोलूराम	22	300/-
23.	मो. फारूख/अलीम खां	23	300/-
24.	जरीना/युनुस खां	24	300/-
25.	श्री हरिप्रसाद/सीताराम	25	300/-
26.	कमला/बालकिशन	26	300/-
27.	हमीर सिंह/लादूसिंह	27	300/-
28.	रतनाराम/नेमाराम	GR 1	300/-
29.	भंवर लाल/मोहन लाल	GR 2	300/-
30.	गोरधनलाल/केसाराम	GR 3	300/-
31.	श्री कन्हैया लाल/सुवालाल	GR 4	300/-
32.	श्री दिलीप सिंह/कर्ण सिंह	GR 5	300/-
33.	श्री रामसिंह/हनुमान सिंह	GR 6	300/-
34.	श्री मनोज कुमार/घासीराम	GR 7	300/-
35.	गीता/तेजपाल पारीक	GR 8	300/-
36.	रतन कंवर/लादूसिंह	GR 9	300/-
37.	श्री गणेशराम/शिवराम	GR 10	300/-
38.	श्री सागरमल/रामकरण	GR 11	300/-
39.	श्री रामलाल/लादूराम	GR 12	300/-
40.	श्री हरिप्रसाद/सीताराम	GR 13	300/-

विकास अधिकारी

पं. सं.-कुचामनसिटी

परिशिष्ट-26

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव जो पढ़े हुए माने गये)

[श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर)]

सवाईमाधोपुर के सीमेन्ट फैक्ट्री आबादी क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना

महोदय,

आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में लगभग 10 हजार व्यक्तियों की आबादी वाला एक ऐसा क्षेत्र है, जो किसी पंचायत में आता है ना सवाईमाधोपुर के नगरपालिका क्षेत्र में आता है जिसके विकास का कोई धनीधोड़ी नहीं है और वह क्षेत्र है सवाईमाधोपुर शहर से बिलकुल लगा हुआ सीमेन्ट फैक्ट्री की बस्ती जो फैक्ट्री लगभग डेढ़ दशक से बंद है तथा जहां से मजदूर आज मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। वहां न पीने का पानी है ना हैण्ड पम्प है ना घरों में नलों के कनेक्शन है ना सड़कों पर वहां झाडू लगाने वाला है, ना कोई डिस्पेंसरी या अस्पताल है।

मैं आज आपसे कोई 295 के माध्यम से सीमेन्ट फैक्ट्री चलाने की बात नहीं कर रही हूं, मैं तो आज आपको उस 10 हजार आबादी वाले क्षेत्र को न्याय दिलाने में लिये यह आग्रह कर रही हूं कि या तो उसको नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किया जाय अथवा उसको पंचायत का दर्जा दिया जाय जिसके कम से कम नगरपालिका अथवा पंचायत द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं से तो वंचित ना हो तथा उन्हें भी नल, बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल आदि सुविधाएं मिल सकें।

वह लोग सांसद और विधायक को तो वोट डालते हैं लेकिन पंचायत अथवा नगरपालिका के चुनाव में उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। इसलिए यह उनका मौलिक अधिकार भी बहाल होना चाहिये तथा उन्हें मूलभूत सुविधाएं तत्काल मिलनी चाहिये, घरों में तत्काल नलों के कनेक्शन दिये जाएं वहां कम से कम 5 हैण्ड पम्प अविलम्ब लगाये जाये, एक अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी तत्काल खोली जाये तथा उस क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया जाये जिससे नगरपालिका द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं मिल सके। (सड़क पर झाडू, बिजली एवं नालियां साफ कराना आदि)

[श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)]

जहाजपुर में महाविद्यालय की स्वीकृति

महोदय,

भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र में महाविद्यालय के अभाव में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और भूतपूर्व सैनिकों के परिवार के लोग उच्च शिक्षा से वंचित है।

तीन चार वर्षों से जहाजपुर क्षेत्र के लगभग 600 से अधिक छात्र विभिन्न महाविद्यालयों में अभिभावक भारी खर्चा उठाकर छात्रों को पढ़ाते हैं मगर अनेक गरीब परिवार खर्चा वहन नहीं करने से वंचित रह जाते हैं और छात्राएं तो बाहर सामाजिक, आर्थिक कारणों से आगे शिक्षा से पूरी तरह वंचित रह जाती हैं। गत वर्ष राज्य सरकार ने बजटीय प्रावधान में 10 के स्थान पर 14 महाविद्यालय खोलकर एक सराहनीय कार्य और उच्च शिक्षा से वंचित क्षेत्रों को लाभान्वित किया।

मगर इस वर्ष में एक भी महाविद्यालय का प्रावधान वित्तीय संकट के कारण नहीं करना पिछड़े क्षेत्रों के साथ न्याय नहीं होगा। इस बार उम्मीद लगाये पिछड़े क्षेत्रों की आशाओं और आकांक्षाओं पर तुषारापात होगा। जबकि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो संकल्प और इच्छा शक्ति जाहिर कर अब तक क्रियान्विति की है उसको देखते हुए 5-10 महाविद्यालय तो प्रतिवर्ष खोलने का प्रावधान करना ही चाहिए।

मैं राज्य के मुख्य मंत्री महोदय तथा उच्च शिक्षा मंत्री का इस ओर विशेष उल्लेख के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वर्ष 2000-2001 में जहाजपुर में महाविद्यालय खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करवा दे और वित्तीय स्वीकृति और पदों की स्वीकृति 2001-2002 में करके इस वर्ष बिना किसी राज्य सरकार पर आर्थिक भार के महाविद्यालय स्वीकृत हो जाने से राजस्व विभाग द्वारा भूमि प्राप्त कर जन सहयोग से भवन निर्माण का कार्य तो आरंभ हो सकेगा।

अतः राज्य सरकार इस जहाजपुर क्षेत्र की जनता की मूलभूत आवश्यकताओं एवं मापदंड के अनुसार पात्रता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2000-2001 में जहाजपुर में महाविद्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कराकर क्षेत्रीय जनता की भावना को साकार कर पिछड़े क्षेत्र की जनता को शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति का अवसर देगी।

[श्री अमराराम (धोद)]

धोद विधान सभा क्षेत्र के खूड में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण

महोदय,

बिजली बोर्ड के नियमों के अनुसार 12 एम.वी.ए. लोड़ होने पर 132 के.वी.ए. सब स्टेशन का निर्माण होना चाहिए लेकिन खूड क्षेत्र में 132 ग्रेड पर जुड़ने वाले 33 के.वी.ए. ग्रेड जुड़ेंगे उनकी क्षमता निम्न अनुसार है। खूड 17 एम.वी.ए. लोड़ सागलाई (ब्राह्मणी तलाई) 3.5 एम.वी.ए. माण्डोत ग्रिड लोड़ 16 एम.वी.ए. लोड़ मूडवाडा सब स्टेशन का 17 एम.वी.ए. लोड़ इस प्रकार कुल लोड़ 43.5 एम.वी.ए. लोड़ है जो पिछले दो वर्ष से स्वीकृत होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। इन सभी 33 उप केन्द्रों पर बिजली की बड़ी छीजत हो रही है तथा 33 की लाइन हर रोज टुटती है एवं क्षेत्र में कम वोल्टेज एवं अप एवं डाउन के कारण केवंल रबी की फसल में हर किसान का पम्प सैट 2 से लेकर 10 बार तक पम्प जलने से समय पर सिंचाई नहीं होने से किसानों को भारी आर्थिक हानि हुई है और इस वर्ष अगर यह खूड 132 का उप केन्द्र नहीं बनता है तो आने वाली रबी की फसल किसी भी सूरत में नहीं होगी। जिससे क्षेत्र में भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी स्थिति को संभालना मुश्किल होगा।

अतः मेरा बिजली मंत्री महोदय से निवेदन है कि अतिशीघ्र खूड के 132 के ग्रेड के निर्माण का कार्य अतिशीघ्र शुरू करके पूर्ण करवाने का कष्ट करें जिससे क्षेत्र के 60 ग्रामों के किसानों को राहत मिल सके तथा बिजली बोर्ड को लाइन लोसेस को कम किया जा सके जिसकी बचत भारी होगी, अतः अतिशीघ्र कार्य शुरू करवाया जावे।

[श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)]

कोटा-झालावाड़ के बीच ग्राम-दरा में उच्च जलाशय पेयजल योजना की स्वीकृति

महोदय,

कोटा-झालावाड़ के मध्य दरा ग्राम मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। यह गांव राष्ट्रीय मार्ग-17 पर एक मुख्य बड़ा ग्राम है यहां से मुकन्दरा पर्वत श्रेणी के मध्य से मार्ग गुजरता है जो झालावाड़ जिले को जोड़ता है। पठारी भूमि होने के कारण यहां पेयजल समस्या भारी है। पेयजल समस्या से निजात पाने के लिए यहां पर उच्च जलाशय पेयजल योजना होना आवश्यक है, जिससे स्थानीय जनता एवं राष्ट्रीय मार्ग पर से गुजरने वाले यात्रियों को पेयजल सुलभ हो सके।

मेरा आपके माध्यम से आदरणीय जन स्वास्थ्य अभि. मंत्री महोदय से अनुरोध है कि योजना की स्वीकृति देकर क्षेत्रीय जनता को व यात्रियों को राहत प्रदान करने का श्रम करें। धन्यवाद।

[श्री शिवनारायण नागर (बारां)]

अन्ता पंचायत समिति के ग्राम-नियाना की ग्रेवल सड़क का डामरीकरण

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र बारां में पंचायत समिति-अन्ता की ग्राम पंचायत-नियाना की अन्ता सांगोद रोड से बनी ग्रेवल सड़क 4 कि.मी. लगभग 3 वर्ष से अधूरी बिना मिट्टी रोड एवं डामरीकरण किये बिना अधूरी पड़ी है जिससे पंचातयवासियों को आने-जाने में बड़ी परेशानी हो रही है जबकि पंचायत हैडक्वाटर को सड़क से जोड़ना राज्य सरकार एवं कृषि उपज मंडी समिति के प्रावधान में आता है।

अतः आप ग्राम पंचायत-नियाना, पं. सं.-अन्ता की ग्रेवल सड़क को जल्दी ही डामरीकरण कर जनता को लाभ पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

[सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर)]

शानपुर तहसील के भीमसागर बांध की मुख्य नहर व वितरिकाओं की मरम्मत

महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान झालावाड़ जिले की खानुपर तहसील के ग्राम-मोड़ी में स्थित भीमसागर बांध की मुख्य नहर एवं वितरिकाओं की मरम्मत के अभाव में जर्जर हो रही स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

महोदय, इस बांध की ऊंचाई 40.50 मीटर तथा लम्बाई 161.58 मीटर है इसकी कुल भराव क्षमता 2709 एम. सी. एफ. टी. है तथा पानी की भराव क्षमता 2565 एम. सी. एफ. टी. है इससे 9986 हैक्टेयर में सिंचाई होती है। परन्तु अध्यक्ष महोदय रखर-खाव के अभाव में वितरिकाएं क्षतिग्रस्त होती जा रही हैं और यह एरिया घटता जा रहा है।

विगत 10 वर्षों से लगातार काम आने व पर्याप्त मात्रा में बजट प्रावधान न होने के कारण बायीं मुख्य नहर जिसकी लम्बाई 29.26 किलोमीटर है तथा दायीं मुख्य नहर जिसकी लम्बाई 16.36 कि.मी. है और सैकड़ों किलोमीटर में वितरिकाओं की मरम्मत एवं रखरखाव नहीं हुआ है और उसका परिणाम यह है कि आज मुख्य नहर व वितरिकाएं व सम्पर्क सड़क लगातार जीर्णशीर्ण होती जा रही हैं और उसका कारण यह होता है कि प्रतिवर्ष सिंचाई एरिया में गिरावट आती जा रही है और पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है बायीं मुख्य नहर चेन 926 व 292 टूट भी गयी थी जिससे एक बार तो सिंचाई की समस्या पैदा हो गयी थी।

अभी जितनी चैन व सम्पर्क सड़कें टूटी हुई हैं या क्षतिग्रस्त हैं उसके लिए 41 लाख 50 हजार रुपयों की तुरन्त आवश्यकता है और अप्रेल से जून के मध्य में ही ये ठीक करायी जा सकती हैं उसके बाद वर्षा में यह कार्य बंद हो जावेगा। अतः निवेदन है कि इसके लिए तुरन्त बजट दिलाया जावे। धन्यवाद।

[श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)]

नागौर जिले के ग्राम रीयाबड़ी में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या

महोदय,

स्व. ओमसिंह राजपुरोहित, पुत्र स्वर्गीय श्री मांगू सिंह, जाति ब्राह्मण, रीयाबड़ी, जिला-नागौर का दिनांक 19.6.99 वार शनिवार समय सांयकाल 7.30 बजे मृतक ओमसिंह को बलपूर्वक जीप में डालकर ले गये जिसकी अपहरण की सूचना थाना पादुकलां में दी। वहां उपस्थित कांस्टेबलों द्वारा अपहरणकर्ताओं एवं हमलावरों में श्री सतपाल सिंह, भंवर सिंह, यशपाल सिंह, बलवीर सिंह, ताज मोहम्मद और दीनदयाल का पक्ष लेते हुए रिपोर्टकर्ता श्री कानसिंह शेखावत को वहां उपस्थित कांस्टेबलों द्वारा धारा-182 की कार्यवाही की धमकी दी। इसी दौरान पादुकलां गायत्री चौराहे से टेलीफोन के माध्यम से ओमसिंह के गंभीर हालत में पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। थाने के पुलिसकर्मी ओमसिंह को मौके से उठा कर स्थानीय चिकित्सालय में ले गये। वहां से दिनांक 20.6.99 रविवार को अजमेर चिकित्सालय में रैफर कर दिया गया। जहां दिनांक : 25.6.99 वार शुक्रवार को ओमसिंह राजपुरोहित की मृत्यु हो गई। इधर पादुकलां पुलिस थाने ने हमलावरों में से दीनदयाल, निवासी-बकवा, शाहजहांपुरा (यू.पी.) को जोधपुर से गिरफ्तार कर दो दिन के रिमाण्ड पर लिया गया। इस विषय पर पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ धारा 302-365, 307, 452, 365, 147, 148, 149, 323, 325 में मामला पंजीबद्ध किया गया। इस संबंध में कस्बेवासियों द्वारा आक्रोश में आकर अपने प्रतिष्ठान बंद रखे व हमलावरों को तुरन्त गिरफ्तार करने की मांग की गई। दिनांक : 21.6.99 को पुलिस अधीक्षक, नागौर से सम्पर्क करने से पता चला की स्थानीय थाने द्वारा उन्हें सिर्फ अपहरण की सूचना दी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि स्थानीय पुलिस की भूमिका संदिग्ध है।

तीन-चार माह गुजर जाने के बाद भी उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा लीपापोती कर उक्त प्रकरण को दबाने की कोशिश की गई। इस बीच में गृह मंत्री व डी.आई.जी. को लिखित शिकायत करने पर पुनः जांच सी. आई. डी. को देकर जांच प्रारम्भ की गई। इस बीच पुलिस प्रशासन पर 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप भी

लगाया गया तथा उक्त मामले में उप अधीक्षक, अजमेर द्वारा यह बयान दिया गया कि उक्त दो व्यक्ति जो इस प्रकरण में नामजद है वारदात के दिन मेरे घर मौजूद थे। तथा मामले को येनकेन प्रकारेण दबाने की कोशिश की गई है जिससे वहां कि स्थानीय जनता व समाज के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन द्वारा इस प्रकार की अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचार को खुले आम जग जाहिर कर आरोपियों व हमलावरों को बचाकर क्या प्रदर्शित करना चाहती है। क्या पुलिस प्रशासन ऐसे दोषी अधिकारियों/पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही कर उक्त प्रकरण में लिप्त पाये गये व्यक्तियों को दण्ड दिलाये जाने का श्रम करें।

[श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)]

बिजली व्यवस्था की मांग कर रहे कृषकों पर मुकदमा

महोदय,

श्रीमान् सचिव महोदय दिनांक : 5 जनवरी, 2000 को राजगढ़ (चूरू) क्षेत्र के करीब 200-250 कृषक 15-20 गांवों के, बिजली की अव्यवस्था को लेकर जी.एस.एस. कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कृषकों ने दिनेश शर्मा एवं बनेसिंह कस्वा, सहायक अभियन्ता को नियमित एवं कम वोल्टेज की बिजली देने के आरोप में अपनी मांग को लेकर, घेरकर वहीं धरने पर बैठ गये।

शाम को 5.30 बजे उपखण्ड अधिकारी, रामदेव सिंह चौधरी एवं तहसीलदार, नारायण लाल रेवाड को समझाया बुझाया एवं उनके घरों को रवाना किया।

उक्त किसान यह मांग कर रहे थे कि अधिशासी अभियन्ता या अधीक्षण अभियन्ता चूरू से राजगढ़ आकर हमारी मांग पर आश्वासन देवे। उनकी मांग थी कि 15 दिनों से उन्हें केवल 2-2 घंटे ही बिजली मिलती है। उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं। बिजली के अधिकारियों ने कृषकों के साथ अभद्र व्यवहार किया।

उक्त घटना राजस्थान पत्रिका में 6 जनवरी, 2000 को प्रकाशित भी हुई है। जैसा उल्लेख किया है वैसी ही प्रकाशित हुई थी।

अध्यक्ष महोदय, जब 5 जनवरी से कृषक अपने घरों को उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के समझाने पर चले गये तो अगले दिन 6 जनवरी को पुलिस थाना, राजगढ़ में एफ.आई.आर. नं. 5/2000 एक तीन आदमियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। जो धारा 353-332-174-149 में दर्ज किया गया था।

उक्त मुकदमा बिलकुल झूठा एवं मनगढन्त है यदि कुछ घटित होता तो 5 जनवरी को ही मुकदमा दर्ज करवाते। इस प्रकार विभाग के अधिकारियों ने मिलकर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे एवं निर्दोष लोगों के जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उनका चालान न किया जावे एवं उनको दोष मुक्त किया जावे।

मुझे आशा है कि गृह मंत्री मेरी मांग पर ध्यान देकर न्याय दिलाने की कृपा करेंगे।

[श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा)]

मेडिकल कालेजों में कार्यरत सहायक आचार्यों की वरिष्ठता का निर्धारण

महोदय,

राज्य सरकार ने एस.सी/एस.टी बैकलाग को पूरा करने हेतु राज्य के मेडिकल कालेजों में रिक्त पदों को भरने हेतु एडहॉक पर विभिन्न विषयों में वर्ष 1990-1991 में दौरान करीबन 103 एस.सी/एस.टी. के चिकित्सक शिक्षकों का चयन किया।

उक्त पदों की विज्ञप्ति राज. लोक सेवा आयोग को समय पर नहीं भेजने के कारण नियमित चयन प्रक्रिया माह दिसम्बर, 1995 में हुई। एक ओर विभाग ने पदों को समय पर राज. लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा व दूसरी तरफ वर्ष 1992-1993 के दौरान पुनः एडहॉक पर भर्ती करके नियमों की अनदेखी की।

दुः ख की बात यह है कि भेदभाव अपनाते हुए विभाग ने कुछ विषयों की रिक्तियों को राज. लोक सेवा आयोग को नियमित चयन हेतु भेजी व रिक्तियों को नियमानुसार वर्षवार विज्ञापित किया। जबकि जिन विषयों में बैकलाग पूरा किया जाना था उनकी रिक्तियां नहीं भेजी गई व रिक्तियों को दिसम्बर, 1995 में भेजा तो 10 वर्ष की रिक्तियों को वर्षवार विज्ञापित न करके एक साथ विज्ञापित किया। जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय व कार्मिक विभाग के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना है।

इन अनियमितता से राजस्थान लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया में वर्ष 1984 से 1995 तक की रिक्तियों पर ऐसे व्यक्तियों का चयन हुआ जो इस दौरान निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं करते थे (एम.बी.बी.एस/एम.एस/एम.डी. कर रहे थे)

ऐसे व्यक्ति जो पहले से एडहॉक पर कार्य कर रहे थे वे अपने द्वारा पढ़ाये गये विद्यार्थियों से कनिष्ठ हो गये। इसी दौरान पूर्व राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर कालेज व्याख्याताओं आदेश संख्या 1763 डी.ओ.पी/1/8 दिनांक : 5/4/95 व आयुर्वेद विद्यार्थियों को नियमित कर उन्हें वरिष्ठता का लाभ अस्थाई नियुक्ति पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दिया।

अतः आपसे निवेदन है कि समानता के आधार पर मेडिकल कालेजों में कार्यरत सहायक आचार्यों को भी पद ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता दिलवाने का श्रम करें। धन्यवाद।

[श्री केसाराम चौधरी (खारची)]

खारची में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र खारची में पूर्व में मेटल सड़क व डांमर सड़के ग्राम-सारण एवं धनला से जोजावर तक बनी हुई थी। लेकिन काफी वर्ष बीत जाने के बाद ये सड़के जीर्णशीर्ण हो गई हैं। जगह-जगह पर सड़कों में गड्ढे पड़ गये हैं और गिट्टी उखड़ जाने से पैदल चलना तो दूर है। वाहन चालकों के वाहन के टायर फटने की आये दिन दुर्घटना होती रहती है। आवागमन हेतु मार्ग पूरी तरह से खराब हो गया है। जिससे क्षेत्र की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिन सड़कों पर डामर एवं पेवर करना अति आवश्यक है, वे निम्नांकित सड़के हैं—

1. सम्पर्क सड़क सारण को पेवर करना
2. ग्राम-धनला से जोजावर तक पेवर करना
3. ईसाली की प्याऊ से ग्राम-ईसाली तक मेटल सड़क को डामर करना
4. ग्राम-खिवाडा से पनोता तक मेटल सड़क को डामर करना
5. ग्राम-पिलावनी से रूगडी तक मेटल सड़क को डामर करना
6. ग्राम-पाचेटिया से रायपुरया तक गिट्टी रोड को डामर करना
7. ग्राम-मौखम सिंह गुड़ा से गुड़ा चुतरा तक डामर सड़क

मै. माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस वक्त अगर अकाल राहत के तहत उक्त सड़कों के कार्य प्रारम्भ किये जाते हैं तो जनहित में एक अच्छा कार्य होगा। मेरा इस संबंध में विशेष सुझाव है कि सड़क नीति के अन्तर्गत इन निम्नांकित सड़कों को पूर्ण कराने के आदेश फरमावें।

[श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)]

स्वतन्त्रता सेनानी स्व. पी. के. चौधरी की याद में स्मारक का निर्माण

महोदय,

राजस्थान के फुलेरा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार दो बार विधायक रहे स्व. पी. के. चौधरी जो कि देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में अग्रणी क्रान्तिकारी लोगों में से रहे थे एवं स्वतन्त्रता सेनानी रहे। उनकी यादगार में एक स्मारक का निर्माण किया जावे। स्व. पी. के. चौधरी का राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में महत्त्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध धमाका करने के लिए बम बनाये तथा बम के विस्फोट के कारण ही गंभीर रूप से जख्मी हो गये और अपने दोनों हाथ भी चले गये थे। स्व. चौधरी ने लम्बे समय तक अंग्रेजो की जेल में यातनाएं सहीं। स्व. पी. के. चौधरी ने राजस्थान में अपना राजनैतिक जीवन बिताया, रेलवे कर्मचारी, मजदूर, किसान व पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किये एवं किसानों के हकों को दिलाने हेतु लड़ाई लड़ी।

स्व. पी. के. चौधरी की धर्म पत्नी रेवा चौधरी का भी गत दिनों निधन हो गया।

राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में श्री पी. के. चौधरी का 7 बीघा जमीन अजमेर रोड सोडाला, जमना डेयरी पर आवंटन की गई थी जिस पर स्व. पी. के. चौधरी द्वारा स्वयं के पैसे से भवन निर्माण हुआ व बाग आदि लगाया गया है। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि उक्त भूमि में से स्व. श्री पी. के. चौधरी की यादगार में व स्व. पी. के. चौधरी द्वारा निर्मित आवासीय मकान, कुआं (ट्यूब वैल) व उसके सामने की जमीन आवश्यकतानुसार स्मारक के लिए छोड़ी जाए तथा शेष भूमि राज्य सरकार शिक्षण संस्था मार्केट विकसित करें जिसका नाम पी. के. चौधरी के नाम पर रखा जाये एवं उनकी मूर्ति लगाई जावे।

[श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)]

राज्य सरकार की औषधि क्रय नीति

महोदय,

मैं आपका ध्यान राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर समाचार-पत्रों में दिनांक : 22.04.2000 को छपे समाचारों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन समाचारों में यह छपा है कि 'चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार नई दवा नीति पर विचार कर रही है।'

इसी सम्बन्ध में मैंने पहले भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से जानकारी चाही थी. जिसके जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्र संख्या प-14/185/एमपीएच/2/98 दिनांक : 9.3.99 के द्वारा यह कहा कि 'राज्य सरकार की औषधि क्रय नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पूर्व की औषधि क्रय नीति यथावत लागू है।'

राज्य सरकार की औषधि क्रय नीति की उच्चतम स्तर पर समीक्षा के बाद माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिनांक : 26.2.99 को यह निर्णय लिया कि वर्तमान नीति उचित है तथा व्यापक जनहित में उसे जारी रखा जाए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक : 26.3.1999 को अपने निर्णय में स्पष्ट तौर पर कहा है कि सार्वजनिक उपक्रमों से औषधि खरीद नीति संवैधानिक है तथा यह व्यापक जनहित में है।

सार्वजनिक उपक्रमों की औषधियां उच्च गुणवत्ता की होती है तथा उनकी गुणवत्ता की तुलना बहुराष्ट्रीय संस्थानों के उत्पाद से की जा सकती है। जबकि मूल्यों में बहुराष्ट्रीय संस्थानों की औषधियां काफी महंगी है।

यदि राज्य सरकार लघु उद्योगों से औषधि खरीदना प्रारम्भ करती है तो बहुत सम्भव है कि ये घटिया एवं निम्न स्तर व गुणवत्ता वाली औषधियां खरीदे, जैसा कि अन्य राज्य यथा उत्तर प्रदेश में हो रहा है जिसमें हर महीने वहां के औषधि नियन्त्रक लघु उद्योगों व उनके उन उत्पादों का नाम उजागर करते हैं जिन्हें मानव उपभोग के सर्वथा अनुपयुक्त माना जाता है।

यदि लघु उद्यमियों के पक्ष में इस नीति में परिवर्तन किया गया, तो इसका लाभ राज्य के लघु उद्योगों को नहीं मिल पाएगा क्योंकि दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के लघु उद्यमी बहुत कम दाम पर घटिया औषधियां आपूर्ति करेंगे तथा लाभ कमा ले जाएंगे। इससे वर्ष 1987 की ही पुनरावृत्ति होगी जब घटिया दवाओं तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा था।

यह ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार के पास इन सैंकड़ों लघु उद्योगों द्वारा आपूर्ति की गई औषधियों की गुणवत्ता जांचने के लिए सक्षम मूलभूत ढांचा ही नहीं है। इस स्थिति में भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा तथा षड्यन्त्रपूर्वक राजकीय कोष को लूटा जाएगा, इसके अलावा राज्य की गरीब जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, वह अलग से।

वर्तमान खरीद नीति के सन्दर्भ में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है :—

1. जिस नीति को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक जनहित में उचित ठहराया है।
2. राज्य के सर्वोच्च स्तर पर इसकी समीक्षा के बाद वर्तमान नीति को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
3. सार्वजनिक उपक्रम द्वारा उत्पादित औषधियां कभी भी घटिया नहीं पाई गई।
4. सार्वजनिक उपक्रमों से औषधि खरीद नीति में कभी किसी प्रकार का घोटाला सामने नहीं आया।
5. अन्य कई राज्य सरकारें लगभग इसी तरह की नीति का पालन कर रही हैं।
6. औषधि क्रय नीति के अन्तर्गत केवल वे उत्पाद जो सार्वजनिक उपक्रम बनाते हैं, उन्हें न्यूनतम दरों पर खरीदा जाता है तथा राज्य की खरीद में 55 प्रतिशत औषधियों को निजी क्षेत्रों से खरीदा जाता है।

ऐसी औषधि खरीद नीति को बदलने की राज्य सरकार की क्या मजबूरी है? क्या इसमें कुछ ऊंची पहुंच वाले लोग अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं? लघु उद्यमियों तथा निहित स्वार्थों वाले चन्द व्यक्तियों के स्वार्थों की पूर्ति के लिए कम मूल्य की घटिया औषधियों की खरीद को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उच्च गुणवत्ता वाली औषधियों पर वरीयता देकर क्या राज्य सरकार आम जनता को उत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के संवैधानिक दायित्व से बचना चाहती है? क्या गरीबों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट चाहती है सरकार?

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को सदन को विश्वास में लेते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

[श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं)]

ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन

महोदय,

वर्तमान में तीन-तीन ग्राम पंचायतों के बीच एक ग्राम सेवा सहकारी समिति कार्य कर रही है। ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्यालय भी एक ग्राम पंचायत से 10 से 15 किमी. दूरी तक स्थित है, ऐसी स्थिति में वहां के किसान ग्राम सेवा सहकारी समितियों से मिलने वाले लाभ का फायदा नहीं उठा पाते हैं, ग्राम सेवा सहकारी समितियों से किसानों का सीधा संबंध है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का होना आवश्यक है। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र चौमूं की ग्राम पंचायत, विजयसिंहपुरा, कुशलपुरा व फतेहपुरा के किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समिति, चीथवाड़ी व सामोद के अधीन रखा गया है, जबकि ये ग्राम पंचायतें पिछले दस वर्षों से गठित है, इसी तरह अनेक ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित नहीं है। ऐसी स्थिति में किसानों को खाद, बीज व अन्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है।

अतः मैं सहकारिता मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला राजस्थान के किसानों से संबंध रखता है। अतः किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति एक ग्राम पंचायत के लिए नहीं है, उन ग्राम पंचायतों में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करवाने की कृपा करें।

[श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)]

रायपुर विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत कार्य

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पाली जिला मुख्यालय पर गत 10 या 11 मार्च, 2000 को प्रभारी मंत्रीजी द्वारा केवल एक बार जन प्रतिनिधिगण की बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में राज्य सरकार की राहत कार्य संबंधी नीति तथा चारा व पेयजल व्यवस्था पर विचार किया गया। उस समय तक सिंचाई विभाग के नहर मरम्मत व पंचायत समिति एजेन्सी के नाडी कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया चल रही थी वास्तव में अप्रेल, 2000 से स्वीकृत कार्य प्रारम्भ किये गये।

मेरी ओर से लगातार प्रयास किया जाता रहा कि नाडी कार्यों के साथ महत्त्वपूर्ण सड़क कार्य तथा पूर्व वर्षों के अपूर्ण व क्षतिग्रस्त एनीकटों की मरम्मत करवाये जावे लेकिन प्रभारी मंत्रीजी केवल उनके चहेते व्यक्ति पी. सी. डी. देवल के कहे अनुसार कार्य स्वीकृत कर रहे हैं जिससे रायपुर तहसील के आम लोगों में तथा सरपंचगण में भारी रोष व्याप्त है।

जिला प्रशासन से जानकारी लेने पर बताया जा रहा है कि पाली जिले के अन्य क्षेत्रों में उन्हें कार्य खोलने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन रायपुर विधान सभा के राहत कार्य हम नहीं खोल सकते हैं। क्योंकि रायपुर तहसील की विशेष व्यवस्था प्रभारी मंत्रीजी ने कर रखी है।

इस प्रकार प्रभारी मंत्रीजी मन माने तरीके से कार्य खोलकर भेदभाव उत्पन्न कर रहे हैं जो पारदर्शी शासन तथा अकाल कार्यों में की जा रही धांधलीबाजी जनता में भयंकर परेशानी के साथ शासन पर प्रश्न-चिह्न लगाता है।

विधान सभा क्षेत्र रायपुर में जन प्रतिनिधिगण द्वारा प्रस्तावित कार्य जिले के अन्य क्षेत्रों में खोले जाने वाली व्यवस्था से खोले जावें। यदि भविष्य में राहत कार्य खोलने में भेदभाव किया गया तब ऐसी स्थिति में क्षेत्र की जनता संबंधित व्यक्तियों का घेराव करने को वाध्य होगी।

अतः निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र रायपुर में राहत कार्य बिना किसी भेदभाव जिला प्रशासन द्वारा जन प्रतिनिधिगण द्वारा प्रस्तावित कार्य खोलने की पारदर्शी व्यवस्था करावे। धन्यवाद।

[डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली)]

कोटपूतली क्षेत्र में अकाल राहत के तहत ग्रेवल सड़कों का निर्माण

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निवेदन है कि कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र के इलाके में ग्रेवल सड़कों का निर्माण आवश्यक है। बड़े खेद की बात है कि अकाल हेतु केवल चार जोहड़ में खुदाई कार्य स्वीकृत किए गए हैं। 136 गांव में अकाल पड़ा है उसे देखते हुए यह कार्य बहुत कम है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्र के पिछड़े इलाकों में ग्रेवल सड़कों का निर्माण कराया जावे।

निम्नांकित स्थानों पर शीघ्र अकाल राहत कार्यों के तहत ग्रेवल सड़कें हेतु आदेश दिलावें।

1. गोपालपुरा रोड से खरकड़ी ग्राम तक।
2. टोडा गूजरान से चांदोली दूधास तक।
3. पांछूडाला रोड से पंच पहाड़ी गांव तक।
4. द्वारिकापुरा से जीणगौर
5. श्यामनगर से धवाली तक।

धन्यवाद।

[श्री महादेव सिंह (खण्डेला)]

खण्डेला उप तहसील की क्रमोन्नयन

महोदय,

प्रक्रिया के नियम-295 के तहत मैं खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में उप तहसील को तहसील स्तर में क्रमोन्नत करने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, खण्डेला में 45 ग्राम पंचायतें हैं। खण्डेला पंचायत समिति का मुख्यालय है व नगरपालिका भी यहां पर है। सहायक अभियन्ता, जलदाय विभाग व सहायक अभियन्ता, विद्युत कार्यालय भी यहां पर है। रैफरल अस्पताल, सीनियर सैकण्डरी स्कूल बालक व बालिकाओं का आदि कई कार्यालय यहां पर है।

तहसील के अभाव में यहां के निवासियों को भारी तकलीफ उठानी पड़ती है क्योंकि खण्डेला की सीमा झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी से जुड़ती है एवं वहां रहने वाले किसान को वर्तमान तहसील जो श्रीमाधोपुर में है वह 70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है।

अतः मेरा अनुरोध है कि खण्डेला की उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत कर जनता को राहत पहुंचाने की कृपा करें।

इसी प्रकार ऊपर दिये गये आधारों पर खण्डेला में ए. सी. एम. कार्यालय का होना भी अत्यावश्यक है ताकि जनता को सस्ता न्याय सुलभ हो सके।

आशा है सरकार इन बातों की ओर ध्यान देकर शीघ्रातिशीघ्र इनके आदेश प्रसारित करेगी।

[श्री ज्ञानदेव आहूजा (प्रतापगढ़)]

प्रतापगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

महोदय,

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा 15 अगस्त, 1997 के दिन जिला चिकित्सालय परिसर में ध्वजारोहण के संबंध में संहिता के अनुसार जिस प्रकार से ध्वज को सलामी दी जानी थी। उस अनुरूप ध्वज को सलामी नहीं दी जाकर एक सफाईकर्मी को डरा-धमका कर उसके हाथों ध्वजारोहण करवाना ध्वज के प्रति अपमानजक एवं अवमाननाकारी व्यवहार का प्रदर्शन किया गया। इसी प्रकार चिकित्सालय के दोनों टेलीफोनों का मनमाना उपयोग एक टेलीफोन आपातकालीन सेवाओं के लिए है जिसे भी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने अपना आधिपत्य जमा रखा है। कार्यालय समय में पद की गरिमा का उल्लंघन तथा अपने पद का खुलकर दुरुपयोग इस प्रकार की कई अन्य शिकायतों के फलस्वरूप प्रतापगढ़ की जनता का सब्र का बांध टूट पड़ा और दिनांक : 14.1.2000 को कुछ लोगों द्वारा चिकित्सालय में प्रदर्शन और चिकित्सकों द्वारा प्रतिदिन दो घन्टे सेवाओं का बहिष्कार तथा प्रतापगढ़ बंद का आह्वान किया गया।

इस प्रकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ प्रतापगढ़ में एक आन्दोलन का उग्र रूप ले लिया। इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा न तो उक्त अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई और ना ही जनहित में उसका स्थानान्तरण किया गया। मेरा मानना है कि प्रशासन द्वारा अगर इस प्रकार के अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में लिप्त होने पर भी कोई कार्यवाही न किया जाना ऐसे अधिकारियों को बढ़ावा देना एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला ही होगा।

अतः जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़ का स्थानान्तरण करने एवं उनके भ्रष्टाचार, अनियमितताओं पर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे। धन्यवाद।

जयपुर दि. 01-5-2000

[श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी-डूंगरपुर)]

डूंगरपुर के रामसगड़ा में थाना व सीमलवाड़ा में पुलिस चौकी की स्थापना

मान्यवर,

डूंगरपुर जिले की रामसगड़ा में थाना खोलने व सीमलवाड़ा में चौकी कायम करने का पुलिस विभाग, राजस्थान द्वारा फैसला किया गया है, परन्तु वित्तिय संसाधनों के अभाव में स्वीकृति जारी नहीं की गयी है। रामसगड़ा में पुलिस थाना एवम् सीमलवाड़ा में चौकी कायम करना इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि वहां पर आये दिन घटनायें घटित होती रहती हैं जिनकी एफ.आई.आर. आसपास के थानों में दर्ज है। यदि यहां पर पुलिस चौकी नहीं खोली गयी तो बड़ी घटनाएं भी घट सकती हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री, वित्तीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यथाशीघ्र ही रामसगड़ा में थाना व सीमलवाड़ा में पुलिस चौकी की स्वीकृति प्रदान करावें।

मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि आप यथाशीघ्र ही उपर्युक्त कार्य को कराने की स्वीकृति प्रदान करायेंगे। धन्यवाद।

[श्री मदन दिलावर (अटरू)]

रामगंजमण्डी उप-कारागार में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार

महोदय,

कमोटा जिले की रामगंजमंडी उप कारागृह में दिनांक : 14 अप्रेल, 2000 को चेचट निवासी जो जेल में विचाराधीन कैदी थे। 14 अप्रेल को सत्यनारायण सहित, पंकज उर्फ चण्डी, दुर्गालाल माली, दुर्गालाल मेहर निवासी चेचट के साथ शातिर कैदियों रसीद, सरवर, असलम, पप्पू आदि अप्राकृतिक मैथून करना चाहा। उन्होंने इसका विरोध किया विरोध करने पर शातिर बदमाशों ने उन सभी को जबरदस्ती नंगा कर उल्टा लेटा दिया तथा गिलास में गर्म-गर्म अंगारों को भरकर कूल्हों पर जब तक दागते रहे तब तक कूल्हे जल नहीं गये, वह चिल्लाते रहे लेकिन राक्षसों को किंचित मात्र भी दया नहीं आई।

यह रोंगटे खड़े करने वाली घटना की रिपोर्ट सत्यनारायण लुहार भुगत-भोगी युवक ने जमानत पर रिहा होने पर पुलिस स्टेशन पर दर्ज कराते हुए उन्होंने यह भी कहा कि बदमाशों ने घटना का उल्लेख करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है।

अतः हवस-खोर कैदियों की पाश्विक करतूत अमानवीय, शर्मनाक व्यवहार किया है। अतः दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए पीड़ितों को 50-50 हजार रुपये की सहायता के साथ चिकित्सा व सुरक्षा उपलब्ध करावें।

[डा. किरोड़ी लाल (बामनवास)]

एक अधिकारी केन्द्र एवं राज्य सरकारों में एक साथ सेवारत

महोदय,

दो सरकारों व दो विभागों की एक साथ नौकरी करने के हैरत अंगेज कारनामों को जयपुर में एक अफसर अंजाम दे रहा है पिछले 50 दिनों से दो सरकारों में काम करने वाले इस अफसर से दोनों ही महकमे के आला अफसर खुश भी हैं और अपने मातहत अधिकारी के दो जगह कार्य करने की उन्हें जानकारी भी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दो सरकारों के दो विभागों में नौकरी का कारनामा करने वाले अफसर जयपुर के जन सम्पर्क अधिकारी, गोविन्द नारायण पारीक हैं, वे राजस्थान सरकार के जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर भी 1 मार्च, 2000 से सेवाएं दे रहे हैं। श्री पारीक 1992 तक दूरदर्शन में ही सेवारत थे। बाद में वे राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान की सेवा में आ गये तथा तब से यहीं कार्यरत हैं। श्री पारीक ने दूरदर्शन की नौकरी छोड़ दी पर शायद दूरदर्शन उन्हें छोड़ने को तैयार न था। इसलिए उनका पद वहां बरकरार रखा गया वहां भी पिछले 8 सालों से, जबकि तीन साल बाद कहीं भी इंतजार करते रहने का कानून नहीं।

दूरदर्शन में पारीक की पूर्व वेतन श्रृंखला बढ़ते हुए 7500 [illegible] माह पहुंची और उनके शुभचिंतकों ने 1 मार्च, 2000 को उन्हें जाइंनिंग रिपोर्ट को [illegible] और उन्होंने दूरदर्शन में बतौर कार्यक्रम अधिकारी जाइंनिंग रिपोर्ट दे दी और तब [illegible] हां नियमित सेवारत है। दूरदर्शन के फोन नं. 510628 से श्री पारीक के कार्यालय में होने की पुष्टि की गई। इधर राजस्थान सरकार के जन सम्पर्क विभाग में वे आ[illegible]के जयपुर के जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उनके नाम व हस्ताक्षर से प्रेस नोट जारी होते हैं। शाम को कार्यालय के फोन नं. 201564 पर वे उपलब्ध रहते हैं तो उनके घर पर फोन नं. 220861 राजस्थान सरकार का लगा है। राज्य सरकार की जीप जिसे खुद पारीक चलाते हैं। दूरदर्शन के बाहर खड़ी भी दिखती है।

इस संदर्भ में श्री पारीक से जब पूछा गया तो उनका कहना था वे दो ज[illegible] सेवा दे रहे हैं पर राज्य सरकार द्वारा उन्हें कार्यमुक्त न करने पर यह स्थिति बनी है पर विभाग के ही उनके कुछ सहयोगियों का कहना है कि आलाअफसरों के वरदहस्त होने के कारण पारीक ने यह दुस्साहस भरा काम किया जो शायद देशभर में मिसाल हो।